हिन्दी भाषा और साहित्य शिक्षण

लेखक

राधाकृष्ण शर्मा
एम०ए०-बी०एड
सेवा निवृत
शिक्षा उपनिदेशक
बीकानेर

रामदत्त शर्मा
एम०ए० एम०एड
सेवानिवृत्त
उप जिला शिक्षा अधिकारी
भरतपुर

अम्बालाल नागोरी
एम०ए० बी-एड०
व्याख्याता
निम्बार्क शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर

राजस्थान प्रकाशन
त्रिपोलिया बाजार जयपुर-2

प्राक्कथन

भारतवर्ष मे हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का कितना अधिक महत्व है, इसे इस देश का प्रत्येक नागरिक अच्छी तरह समझता है। देश की राष्ट्रीयता और जनतांत्रिक परम्पराओ को कायम रखने के लिए हिन्दी के प्रचार और प्रसार की पर्याप्त गुंजाइश है। यद्यपि राज्य सरकारें, केन्द्रीय सरकार और देश के लोग इस महान कार्य मे जुटे हुए है तथा औपचारिक शिक्षा मे प्रारम्भ से लेकर विश्वविद्यालयी स्तर तक के पाठ्यक्रम में हिन्दी को प्रमुख स्थान दिया गया है फिर भी इसके अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति तब तक सम्भव नही है जब तक कि हिन्दी भाषा के तत्वों और उसकी प्रकृति को हिंदी भाषा-भाषी लोग ठीक प्रकार से समझ नही लेते। यह कार्य अभी तक प्रारम्भिक कक्षाओं मे नही होने से हिन्दी अध्ययन-अध्यापन का स्तर अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नही कर सका है। उल्टे छात्रो के हिन्दी पढ़ने और लिखने के स्तर मे गिरावट आ गई है। अतः इस बीमारी का उपचार अति शीघ्रता से किया जाना आवश्यक हो गया है।

प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी भाषा एवं साहित्य के तत्वो और उनकी प्रकृति से परिचित कराने के लिए, छात्रों की हिन्दी विषयक कमजोरियों को दूर करने के लिए और अध्यापकों को इस सम्बन्ध मे शिक्षण के समय सहायता देने के उद्देश्यों से तैयार की गई है। अतः आशा है कि पाठक इसका पूरी तरह उपयोग कर सकेंगे।

प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण तथा बी. एड् के हिन्दी-शिक्षण के पाठ्यक्रम में शिक्षण-विधियों के साथ-साथ विषय-वस्तु एवं भाषातत्वो के समुचित ज्ञान को भी समाविष्ट किया गया है। अतः यह पुस्तक उन सभी के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकेगी। हिन्दी-शिक्षण के सेवारत प्रशिक्षण मे भी इस पुस्तक की उपयोगिता को नकारा नही जा सकता है, क्योंकि हिन्दी ग्रीष्मकालीन शिविरों के पाठ्यक्रम को भी इस पुस्तक को तैयार करते समय ध्यान मे रखा गया है।

इस पुस्तक के लिखने में जिन-जिन सन्दर्भ-ग्रन्थो से सहायता ली गई है, उनके लेखकों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। साथ ही विनम्र निवेदन करते हैं कि जो भी त्रुटियां इस पुस्तक मे रह गई है उनके लिए पाठक हमे लिखने की कृपा करें, जिससे दूसरे संस्करण के प्रकाशन मे उनका निराकरण किया जा सके।

बसन्त पंचमी, १९७६

राधाकृष्ण शर्मा
रामदत्त शर्मा
अम्बालाल नागोरी

विषय-सूची

1 हिन्दी शिक्षण में भाषायी एवं साहित्यिक विषय-वस्तु का ज्ञान और उपचारात्मक-कार्य क्यों और कैसे ?

विचारणीय बिन्दु :

1. हिन्दी शिक्षण में भाषायी एवं साहित्यिक विषय-वस्तु के ज्ञान और उपचारात्मक कार्य की आवश्यकता ।
2. हिन्दी में भाषायी एवं साहित्यिक विषय-वस्तु के क्षेत्र ।
3. हिन्दी शिक्षण मे उपचारात्मक कार्य के क्षेत्र ।
4. उपचारात्मक कार्य कैसे ?

आवश्यकता :

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयो, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयो, महाविद्यालयों तथा उच्चमाध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक प्रायः कहते सुने जाते हैं कि उनके यहाँ अध्ययन करने वाले शिक्षार्थी हिन्दी की भाषायी और साहित्यिक विषय-वस्तु से अच्छी तरह परिचित नहीं हैं । इस कारण हिन्दी भाषा के मौखिक और लिखित प्रयोग मे वे अनेक कठिनाइयों का अनुभव करते हैं । हिन्दी मे भाषा तत्वों का अधूरा या भ्रामक ज्ञान होने से तथा साहित्यिक गुण, दोष, अलंकार-छन्द आदि की सही जानकारी न होने से भाषा के सही प्रयोग में उनको अनेक कठिनाइयो का सामना करना पड़ता है । हिन्दी की सही वर्तनी, सही उच्चारण, शब्दो व मुहावरों का सही प्रयोग, सही रचना आदि के लिए क्या-क्या करना अपेक्षित है इसकी जानकारी के लिए उन्हें ऐसा साहित्य बहुत कम उपलब्ध हो पाता है जिसे पढकर वे भाषा एवं साहित्य से सम्बन्धित अपनी त्रुटियों का निराकरण कर सकें । अतः हिन्दी अध्यापक, शिक्षक प्रशिक्षक एवं हिन्दी के प्रवक्ताओं को यह आवश्यक है कि वे अपने शिक्षार्थियो को हिन्दी की भाषायी और साहित्यिक विषय-वस्तु की समुचित मात्रा मे सही जानकारी प्रदान करें, और इसके लिए उपयुक्त साहित्य का अध्ययन करने के लिए उन्हें प्रेरित करें । हिन्दी के भाषा और साहित्य के विभिन्न क्षेत्रो मे क्या-क्या उपचारात्मक कार्य उनके शिक्षार्थियो के लिए आवश्यक है इसकी जानकारी भी उन्हें होनी चाहिए, तभी वे अपने शिक्षार्थियो की विभिन्न प्रकार

की त्रुटियों का निराकरण कर सकेंगे। अतः हिन्दी शिक्षण में भाषायी विषय-वस्तु, ज्ञान और उपचारात्मक कार्य की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके लिए उपयुक्त साहित्य का सृजन भी वाछनीय है क्योंकि हिन्दी मे ऐसे साहित्य का अभी भी बहुत अभाव है और अगर है तो बहुत बिखरा हुआ है। इसीलिए प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी भाषा और साहित्य से सम्बन्धित विषय-वस्तु तथा इन दोनों के विभिन्न क्षेत्रों मे किस-किस प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं और उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है इसका सम्यक् विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

हिन्दी में भाषायी एवं साहित्यिक विषय-वस्तु के क्षेत्र :

हिन्दी की भाषायी विषय-वस्तु उसके तत्त्वों और साहित्यिक विषय-वस्तु, साहित्यिक संकलनाओं एवं शैली तथा विधाओं के अन्तर्गत आती है। अतः इस दृष्टि से हिन्दी में इस विषय-वस्तु के निम्नांकित क्षेत्र होंगे—

भाषायी विषय-वस्तु—1. वाक्य, पद, पदबन्ध, शब्द, अक्षर, वर्ण, ध्वनि, शब्द एवं वाक्यों की वर्तनी, शब्द भेद, रूप तत्त्व, अर्थ तत्त्व, पर्याय, विलोम, शब्द भण्डार (शब्द कोश की सहायता से अनेक शब्दों को सीखना), वाक्य गठन, व्याकरण-संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया के भेद, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, शब्द रचना (उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास) शब्द स्रोत, वाक्य रचना, अनुच्छेद रचना, रचना कार्य–मौखिक एवं लिखित, मुहावरे एव कहावतें, विराम चिह्न।

साहित्यिक विषय-वस्तु—छन्द, अलंकार, शब्द-शक्ति, काव्य के गुण, और दोष, रस, रीति, ध्वनि, साहित्यिक रचना की विभिन्न शैलियाँ एवं विधायें।

हिन्दी शिक्षण में उपचारात्मक कार्य के क्षेत्र :

हिन्दी का शिक्षण भाषा और साहित्य दोनों दृष्टियों से होता है अतः इसमें उपचारात्मक कार्य के क्षेत्र भी दोनों के अन्तर्गत होंगे। सामान्यतः इसके क्षेत्र निम्नांकित हो सकते हैं—1. कोश एवं सन्दर्भ ग्रन्थों का उपयोग, 2. शुद्धोच्चारण, 3. नागरी लिपि और हिन्दी वर्तनी, 4. वाक्य परिचय एवं वाक्य रचना, 5. लिंग और वचन, 6. पदों का ज्ञान एवं समुचित प्रयोग, 7. मुहावरे और कहावतें तथा उनका समुचित प्रयोग, 8. हिन्दी मे रचना कार्य, 9. हिन्दी शब्द भेद, 10. सज्ञा शब्दों का प्रयोग, 11. सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, 12. विशेषण शब्दों का प्रयोग, 13. क्रिया शब्दों का प्रयोग, 14. अव्यय शब्दों का प्रयोग, 15. कारक एवं विभक्ति सम्बन्धी प्रयोग, 16. हिन्दी शब्दों के स्रोत एवं रचना और इतिहास के आधार पर उनके भेद तथा पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, एवं तद्भव शब्दों का समुचित प्रयोग, 17. उपसर्ग और प्रत्यय, 18. सन्धि और समास, 19. विराम चिह्नों का समुचित प्रयोग, 20. छन्द, [illegible]कार, रस, काव्य के गुण एवं दोष तथा शब्द शक्तियाँ।

[illegible] कार्य कैसे ? :

हिन्दी शिक्षण के क्षेत्र मे उपचारात्मक कार्य की आज बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भाषा के सही प्रयोग में प्रत्येक स्तर पर हिन्दी का प्रयोग करने वालों की

त्रुटियाँ होती हैं उन्हें सुधारने की अत्यन्त आवश्यकता है जिससे उनकी भाषा का स्तर उन्नत हो सके। उपचार करने के पहले भाषागत प्रयोग से सम्बन्धित त्रुटियों का सही निदान किया जाना आवश्यक है। इसके लिए नैदानिक परीक्षण की प्रक्रिया अपनानी होगी। सही निदान हो जाने के उपरान्त उपचार भी सही और वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिये।

उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया बहुमुखी होती है और वह नैदानिक परीक्षण द्वारा पता लगाये गए कारणों पर निर्भर होती है। उपचार में अनुमान एवं प्रयोग के आधार पर किसी विशिष्ट प्रयत्न की उपयोगिता को परखा जाता है। यह निरन्तर विकासशील प्रक्रिया है। निदानात्मक परीक्षण के उपरान्त उपचार और उस उपचार की प्रभावपूर्णता की जाँच के लिए पुन-परीक्षण और निदान एवं निदान के आधार पर उपचारात्मक कार्य के रूप में निरन्तर अभ्यास। उपचारात्मक शिक्षण में यह क्रम निरन्तर रहता है। जब तक त्रुटियों का निराकरण न हो जाय और भाषा का प्रयोगकर्त्ता भाषा का सही प्रयोग करना न सीख ले तब तक उपचारात्मक शिक्षण जारी रहना चाहिए। इसीलिए उपचार को प्रयोग, परीक्षण और पुनःप्रयोग की अभ्यासपूर्ण प्रक्रिया कहा गया है। कई बार अनुमान के गलत हो जाने पर उपचार दोष पूर्ण हो जाता है तो उसकी दोष पूर्णता का पता परीक्षण द्वारा ही लगता है। अतः उपचारात्मक कार्य में अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण अपनाने की एवं धैर्य रखने की आवश्यकता है।

हिन्दी में नैदानिक परीक्षण के जो भी क्षेत्र बतलाये गये हैं वे ही उपचारात्मक कार्य के हैं। नैदानिक परीक्षण जितना वैयक्तिक है उतना ही वैयक्तिक उपचारात्मक शिक्षण है। भाषा के अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण प्रयोग को जितना अधिक समय हो जाता है उतना ही लम्बा उसका उपचार चलता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अध्यापक प्रारम्भ से ही इस दिशा मे जागरूक रहें। जहाँ तक भी सम्भव हो वह छात्रों को अशुद्ध उच्चारण, शब्दों के दोषपूर्ण प्रयोग, अशुद्ध वर्तनी एवं भद्दे लेख से प्रारम्भ से ही रोकें तथा इस दिशा मे कभी भी सहनशील न बनें। इसी प्रकार, सही प्रयोग का अभ्यास कराते समय निरन्तर सतर्कता रखें। जहाँ तक सम्भव हो अपनी देख रेख में ही प्रारम्भिक अभ्यास करायें। जिस प्रकार अच्छी परिचर्या और देख रेख बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक है उसी प्रकार सतर्कता और व्यक्तिगत अवधान भाषा सम्बन्धी त्रुटियों के निराकरण के लिए आवश्यक है। जो हिन्दी अध्यापक जितनी पैनी दृष्टि और व्यक्तिगत अवधान रखता है, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में उसे उतना ही कुशल कहा जाता है।

उपचारात्मक कार्य कराते समय उसकी समस्त प्रक्रिया में अध्यापक को यह सतर्कता अवश्य बरतनी चाहिए कि वह छात्रों को यह अनुभव होने न दे कि उन्हें उपचारात्मक-शिक्षण देना है या दिया जा रहा है और इस हेतु उनका निदान किया जा रहा है। यह सतर्कता इसलिये आवश्यक है कि इसके द्वारा कहीं छात्रों में अपने प्रति हीनता की भावना उत्पन्न न हो जाय, क्योंकि कोई भी यह नहीं चाहता कि उसे

कमजोर समझा जाए और उसे कोई उपचार दिया जाय। इसीलिए 'उपचारात्मक शिक्षण' इस शब्द का प्रयोग अध्यापक को छात्रों के सम्मुख नही करना चाहिए।

उपचारात्मक कार्य के लिए उपयोगी सिद्धान्त निम्नांकित हो सकते हैं— (1) उपचारात्मक-शिक्षण छात्र की वास्तविक स्थिति से ही प्रारम्भ किया जाय चाहे उसकी कक्षा कोई भी हो। (2) चार्ट और ग्राफ आदि के माध्यम से छात्र को निरन्तर सूचित किया जाता रहना चाहिए कि उसकी प्रगति किस मात्रा में हो रही है। (3) यह भी ध्यान रखा जाय कि छात्र को दिया जाने वाला अभ्यास उसके लिए निर्धारित मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है या नही। (4) अभ्यास करने की प्रक्रिया में बच्चे को निरन्तर प्रोत्साहित करते रहना चाहिए जिससे कि वह अनुभव करे कि उसने बहुत अच्छा कार्य किया है और वह कर सकता है। (5) उसको दिए जाने वाले अभ्यासो मे विविधता का समावेश होना चाहिए और उसके द्वारा की जाने वाली प्रवृत्तियों में भी विविधता लाने की प्रेरणा दी जानी चाहिए जिससे कि उसकी उपचारात्मक अभ्यास कार्यक्रम में रुचि बनी रहे और उसे थकान का अनुभव न हो।

उपसंहार

उपचारात्मक कार्य के लिए उपयोगी विधि का उल्लेख ऊपर किया गया है। यह विधि उपचारात्मक कार्य कराने वाले अध्यापक के लिए संकेत मात्र है। वैसे कुशल एव अनुभवी हिन्दी अध्यापक छात्रों के हिन्दी भाषा एवं साहित्य से सम्बन्धित त्रुटिपूर्ण ज्ञान और त्रुटिपूर्ण अभ्यास को सुधारने के लिए अपनी सूझ-बूझ और अपने अनुभव के आधार पर अनेक प्रकार की विधियों को अपनाकर छात्रों की त्रुटियों का निराकरण करते हैं और उन्हें हिन्दी के भाषागत और साहित्यिक शुद्ध उपयोग की दिशा मे प्रभावपूर्ण एवं कुशल बनाने का निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं। छात्रों को हिन्दी के भाषायी एव साहित्यिक क्षेत्रों की विषय-वस्तु, प्रकृति और उनमे होने वाली विविध त्रुटियों के प्रकारों का पता लग जाय तो उनमे से अधिकाँश छात्र यदि चाहे तो अपना उपचार स्वयं भी कर सकते हैं। इसी दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी मे भाषायी एव साहित्यिक विषय-वस्तु के विभिन्न क्षेत्रों और हिन्दी शिक्षण मे उपचारात्मक कार्य के क्षेत्रों और विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का विश्लेषण किया गया है। अपने आपको भाषा एवं साहित्य की दृष्टि से समृद्ध करने के इच्छुक व्यक्तियों और हिन्दी अध्यापकों के लिए आगे के अध्यायो मे दी गई सामग्री उनके बहुत उपयोग की होगी।

अभ्यास के प्रश्न

1. हिन्दी शिक्षण में भाषायी एवं साहित्यिक विषय-वस्तु का ज्ञान कराने की आवश्यकता क्यों अनुभव की जाने लगी है ?
2. हिन्दी शिक्षण मे उपचारात्मक कार्य क्यो महत्त्वपूर्ण है ?
3. हिन्दी में भाषायी और साहित्यिक विषय-वस्तु के क्षेत्र कौन-कौन से हैं ?
4. हिन्दी शिक्षण मे उपचारात्मक कार्य के क्षेत्रों को अंकित कीजिए।
5. हिन्दी शिक्षण मे उपचारात्मक कार्य की विधि क्या होगी ?

2 शब्द-कोश एवं सन्दर्भ-ग्रन्थों का उपयोग

ध्यातव्य विन्दु :

आवश्यकता, स्वरूप, शब्द-कोश के उपयोग से लाभ, शब्द-कोश देखने की विधि, शब्द-कोश के कुछ उपयोग, सन्दर्भ-ग्रन्थों के कुछ उपयोग एवं लाभ, उपसंहार।

आवश्यकता :

पाठ्य-पुस्तक एवं अन्य पुस्तकों के पढ़ते समय प्रत्येक व्यक्ति को कुछ शब्द ऐसे अवश्य मिल जाते हैं जिनका आशय एवं अर्थ वह नहीं समझता है। अध्यापक एवं अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उन शब्दों का साधारण अर्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ सही रूप में बतला सके, सम्पर्क स्थापित करना संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अत: अध्ययन करने वाले के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह ऐसे साधन उपलब्ध करे जिनका प्रयोग कि वह आवश्यकता पड़ने पर स्वयं ही कर सके। शब्द-कोश का प्रयोग करना यदि वह जानता है तो वह बिना किसी व्यक्ति की सहायता के ही संभवतः अपना काम चला सकेगा ऐसी उससे अपेक्षा की जाती है। पाठ्य-पुस्तक एवं अन्य पुस्तकों के पढ़ते समय ऐसे पाठ या प्रसंग आ जाते हैं जब अध्ययनकर्त्ता की यह जिज्ञासा होती है कि उसे उनके मूल स्रोत मिल जावें जिससे कि वह उनके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। अतः अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे सन्दर्भ ग्रन्थों की तलाश होती है।

स्वरूप :

शब्द-कोश में अकारादि क्रम से एक भाषा-भाषी क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयुक्त शब्द दिए जाते हैं और उन शब्दों के अनेक अर्थ, पर्यायवाची शब्द, उनकी व्युत्पत्ति, सही उच्चारण के संकेत चिह्न तथा उनका व्याकरणिक विश्लेषण दिया जाता है।

संदर्भ-ग्रन्थों में पाठ्य-पुस्तक व अन्य पुस्तकों में प्रयुक्त प्रसंगों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है।

शब्द-कोश के उपयोग से लाभ :

प्रायः शब्द-कोश का उपयोग करते रहने से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं—

1. इसका उपयोग करते रहने से छात्रों के शब्द भण्डार में वृद्धि होती है।

शब्द-कोशों मे भाषा के प्रायः सभी शब्दों के अर्थ तो दिए होते ही हैं साथ ही प्रचलित मुहावरों के अर्थ भी दिए जाते हैं। कुछ शब्द-कोशों में प्रमुख व्यक्तियों और स्थानों का उल्लेख भी मिलता है।

2 किसी शब्द की वर्तनी में शंका होने पर कोश से उसकी सही वर्तनी मालूम की जा सकती है। संदेश, विशेष, संतोष आदि शब्दों में कहाँ तालव्य 'श' और कहाँ मूर्धन्य 'ष' है यह कोश से ही पता लग जायेगा।

3. कोश में शब्द भेद भी दिए रहते हैं जिससे हम आसानी से जान सकते हैं कि कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि भेदों मे से किस प्रकार का है। संज्ञा शब्दों के लिंग का निर्देश भी कोश में रहता है।

4. कोश से कभी-कभी यह भी पता चल जाता है कि कोई शब्द कैसे बना है।

5. कोशों मे शब्दों के विशेष प्रयोगों के बारे मे भी सूचना दी जाती है। जैसे- 'अठखेली' शब्द का केवल बहुवचन में ही प्रयोग होता है, आदि।

शब्द-कोश देखने की विधि :

छात्रों को शब्द-कोश देखने की उपयुक्त विधि अवश्य बतलाई जानी चाहिए। इसके लिए उनका ध्यान निम्नलिखित बातों की ओर दिलाया जा सकता है—

(1) कोश को सच्चा साथी बनाने के लिए उसका बार-बार अवलोकन करना चाहिए। प्रारम्भ में किसी शब्द को ढूँढने मे छात्रों को कुछ अधिक समय लग सकता है, लेकिन बार-बार के अभ्यास के बाद कुछ ही सेकेंड में वांछित शब्द ढूँढ़ा जा सकता है। कभी-कभी शब्दों को शीघ्र ढूँढने के लिए प्रतियोगिता करानी चाहिए। इसके लिए हिन्दी-वर्णमाला के क्रम को याद रखना आवश्यक है। जैसे 'विमल' शब्द ढूँढना है और कोश में 'बालक' शब्द आ गया है। इसका मतलब है कि काफी पृष्ठ आगे उलटकर 'विमल' ढूँढना होगा। इसी प्रकार यदि 'वैषम्य' निकल गया है तो कुछ पीछे के पृष्ठो को उलटना होगा। छात्रों का व्यंजनों के क्रम और उनमे लगी स्वर की मात्राओं पर भी ध्यान दिलाना होगा। हिन्दी संयुक्त वर्ण स्वरांत वर्णों के बाद आते हैं, जैसे 'व्यवहार' शब्द ढूँढ़ने के लिए व के अंत में देखना होगा।

(2) प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर उस पृष्ठ का पहला और अंतिम शब्द दिया रहता है। इस पर दृष्टि दौड़ाते जाने मे शब्द शीघ्र ढूँढने मे सहायता मिलती है।

(3) शब्द ढूँढना उतना कठिन नहीं है जितना कि शब्दार्थ ढूँढना। कोश में शब्द के प्रायः कई अर्थ होते हैं। पाठ्य-पुस्तक में उस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में है यह प्रसंग द्वारा ही निश्चित किया जा सकता है। अतः सही अर्थ के चुनाव में प्रसंग को ही आधार बनाना होगा।

शब्द-कोश के कुछ उपयोग :

1. अगले दिन पढ़ाए जाने वाले पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ कोश की सहायता से लिखा जा सकता है।

2 कोश मे एक शब्द के कई अर्थ दिए जाते हैं। उन सभी अर्थों में उस शब्द का वाक्यों में प्रयोग कराया जा सकता है।

3. कभी-कभी कठिन शब्दों का श्रुत लेख लिखवाया जा सकता है। इससे शुद्ध लेख लिखने की आदत बनती है क्योंकि इस प्रकार शुद्ध लिखने का अभ्यास हो जाता है।

4. कठिन शब्दों की नकल भी की जा सकती है। इससे लेख में भी सुधार होगा और उन शब्दों की सही वर्तनी लिखने का अभ्यास भी होगा।

5. कोश का उपयोग शुद्ध उच्चारण की शिक्षा के लिए भी किया जा सकता है। विशेषकर कमज़ोर छात्र को कोश मे किसी पृष्ठ के कठिन शब्द बार-बार पढ़ने के लिए कहा जा सकता है। जिस समय ऐसे शब्द छात्र पढ़ रहे हो तो अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि छात्र कहाँ-कहाँ और किस-किस प्रकार की अशुद्धियाँ कर रहे हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने का प्रयत्न किया जा सकता है।

6. शब्द-कोश में शब्दों की रचना बतलाई गई होती है। अतः उन शब्दों की तरह के अन्य शब्द छात्रो से बनवाए जा सकते है।

7. शब्द-कोश के अनुकरण के आधार पर छात्रों को अपना निजी शब्द-कोश बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

सन्दर्भ-ग्रन्थों के कुछ उपयोग एवं लाभ :

1 पाठ्य-पुस्तक या सहायक पुस्तक में दिए गये कुछ तथ्य, घटनाओं, अन्त-कथाओ, सिद्धान्तों के विषय में विस्तार से जानने के लिए अध्यापक छात्रों को विद्यालय के पुस्तकालय में उनसे सम्बन्धित पुस्तकों को पढ़ने के लिए कह सकता है। इसके लिए उसे कक्षा मे उन तथ्यों व घटनाओं को अंकित करना पड़ेगा तथा उनमे सम्बन्धित सन्दर्भ ग्रन्थो के नाम व उनके लेखकों के नाम भी बतलाने होंगे। ऐसा करने से पूर्व उसे यह भी देखना होगा कि वे सन्दर्भ-ग्रन्थ विद्यालय के पुस्तकालय मे उपलब्ध हों।

2. संदर्भ-ग्रन्थो के अध्ययन से छात्रों के ज्ञान में वृद्धि तो होती ही है साथ ही छात्रों को अध्ययन करने की आदत भी लगती है जिससे उनकी अध्ययन करने की क्षमता का विकास होता है। अतः अध्यापक पाठ पढ़ाते समय ही छात्रों के लिए कुछ अन्तर्कथाएँ, घटनाएँ व तथ्य रेखांकित करा के उनसे सम्बन्धित सन्दर्भ-ग्रन्थों को विद्यालय के पुस्तकालय में खोजने और कुछ विस्तृत जानकारी अंकित करके लाने के लिए भी कह सकता है। छात्र जो भी लिखकर लावें उसे कक्षा में पढ़वाया जाकर उसके आधार पर चर्चा व विचार-विमर्श का आयोजन भी किया जा सकता है।

3. अध्यापक संदर्भ-ग्रन्थो में से सम्बन्धित सामग्री खोजने की प्रतियोगिता भी आयोजित कर सकता है। इसके लिए उसे पहले स्वयं यह पता लगा-लेना होगा

कि विद्यालय के पुस्तकालय में अमुक-अमुक सन्दर्भ-ग्रन्थ हैं और उनमें अमुक-अमुक सामग्री उपलब्ध है।

4. अध्यापक कुछ सन्दर्भ-ग्रन्थ लाकर कक्षा मे प्रस्तुत कर सकता है और पाठ पढाने के बाद कक्षा को कुछ दलो में बाँटकर उन्हें उन सन्दर्भ-ग्रन्थों के आधार पर सम्बन्धित सामग्री तलाश करके अकित करने के लिए कह सकता है। इसके लिए अध्यापक प्रत्येक दल को सन्दर्भ-ग्रन्थ स्वय देगा। दल के सदस्य उन ग्रन्थों मे से अपेक्षित सामग्री का चयन आपसी विचार-विमर्श के बाद करेंगे। इस हेतु कक्षा को छोटे-छोटे दलो में विभाजित कर एक दल को 2 या 3 सन्दर्भ-ग्रन्थ दिए जावें। अच्छा हो एक दल मे 4 या 5 छात्रों से अधिक न हो। इससे छात्रो मे सम्बन्धित सामग्री को खोजने की आदत विकसित होगी।

उपसंहार :

सन्दर्भ-ग्रन्थो के प्रयोग करने के लिए छात्रो को अधिकाधिक प्रेरित किया जाना चाहिए। ऊपर कुछ उपयोगों का उल्लेख किया गया है। शब्द-कोश भी सन्दर्भ ग्रन्थ के रूप मे प्रयुक्त होता है। अतः सन्दर्भ-ग्रन्थो का किस प्रकार से और किस अवसर पर प्रयोग करना है इसका निर्णय अध्यापक को अपनी कक्षा की स्थिति, प्रसग और छात्रों की रुचि को देखकर करना चाहिए। उसे यह ध्यान में अवश्य रखना चाहिए कि सदर्भ-ग्रन्थों के विषय में वह कक्षा में पूरी जानकारी छात्रो को दे। यथा ग्रन्थ का नाम, इसका लेखक, प्रकाशक, मूल्य तथा वह ग्रन्थ विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है या नही, यदि विद्यालय के पुस्तकालय मे उपलब्ध नही है तो फिर नगर के किस पुस्तकालय में उपलब्ध है इसकी पूरी जानकारी कक्षा में छात्रों को दी जानी चाहिए। सन्दर्भ-ग्रन्थों के अध्ययन एवं प्रयोग से छात्रो में अध्ययनशीलता की प्रवृत्ति जाग्रत होती है अतः यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अध्यापक इनके उपयोग के लिए छात्रो को इस ढंग से प्रेरित करे कि उन्हें वे बोझ न लगें और वे स्वयं उनका उपयोग करने के लिए आतुर हो। छात्रो को सन्दर्भ-ग्रन्थो के प्रयोग के लिए कहने से पूर्व अध्यापक को उनके उपयोग की जानकारी व अच्छा अभ्यास होना आवश्यक है।

अभ्यास के प्रश्न

1. सन्दर्भ-ग्रन्थ और शब्द-कोश की आवश्यकता क्यों होती है ?
2. संदर्भ-ग्रन्थ और शब्द-कोश के स्वरूप के बारे मे आप क्या जानते हैं ?
3. शब्द-कोश और सन्दर्भ-ग्रन्थो के उपयोग से छात्रो को क्या-क्या लाभ हो सकते हैं ?

शब्द-कोश और सन्दर्भ-ग्रन्थो के कुछ उपयोग बतलाइये ?

———

3 शुद्धोच्चारण, ध्वनि एवं उच्चारण सम्बन्धी दोषों का निराकरण

विचारणीय बिन्दु :

1. शुद्ध उच्चारण कैसे सभव है ?
2. शुद्ध उच्चारण का महत्व।
3. अशुद्ध उच्चारण क्यों ?
4. ध्वनि एवं उच्चारण सम्बन्धी भूल क्यों ?
5. ध्वनि एवं उच्चारण सम्बन्धी भूलों का स्वरूप।
6. ध्वनि एवं उच्चारण सम्बन्धी भूलों के कारण।
7. उच्चारण में ध्वनि सम्बन्धी सामान्य दोष।
8. उच्चारण दोषों के निराकरण के उपाय।
9. निष्कर्ष।

शुद्ध उच्चारण कैसे संभव ? :

शुद्ध उच्चारण तभी संभव है जबकि हम जो कुछ बोलते हैं उसे किसी भी तरह स्वयं सुनकर यह जान लें कि हम कितनी मात्रा में और कहाँ-कहाँ अशुद्ध बोल रहे हैं। हम अपनी ध्वनियाँ बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण की सहायता के उस रूप में नहीं सुन सकते हैं जिस रूप में कि उसे हमारे बोलते समय दूसरे सुनते हैं। अतः हमें स्वयं द्वारा बोली गई ध्वनियों को सही रूप में सुनने के लिए 'टेपरिकार्डर' की जरूरत होगी। अपने उच्चारण का सही रूप में सुन सकना और उसके आधार पर अशुद्ध उच्चरित ध्वनियों को सही रूप में बोलने का निरन्तर अभ्यास करके ही हम बच्चों को शुद्ध उच्चारण करना सिखा सकते हैं। घरेलू व्यक्तियों की ध्वनियाँ सुनते-सुनते हमारा अभ्यास ऐसा बन जाता है कि अशुद्ध बोलकर भी शुद्ध समझने और शुद्ध बोलकर भी अशुद्ध समझने के हम आदी हो जाते हैं। "कुन केयों है" बोलकर भी कौन कह रहा है समझने और कौन कह रहा है? उच्चारण को सुनकर के भी 'कुन केयों है' समझने का हमारा अभ्यास बन जाता है। अतः कक्षा में उच्चारण को घरेलू बोली से पृथक् रखने की बड़ी जरूरत है। तभी हमसे उच्चारण सीखे हुए बच्चे शुद्ध बोल सकेंगे और शुद्ध सुन भी सकेंगे।

शुद्ध उच्चारण का महत्व :

प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनियाँ होती है। भिन्न-भिन्न ध्वनियो के लिए भिन्न-भिन्न वर्ण निश्चित होते है। हमारी भाषा हिन्दी का महत्त्व ही इसमें है कि जो हम लिखते हैं वही हम बोलते भी हैं। अगर हम किसी वर्ण, शब्द या वाक्य को पढ़ते समय या बोलते समय उसकी निश्चित ध्वनियों का उच्चारण उनके निर्धारित तरीके से नही करते हैं तो वह उच्चारण दोष कहलायेगा। बहिन शब्द को बोलने वाले बहन, बैन, बेन तक बोलने लगे है। सुरेन्द्र को सुरेन्दर, सुरेंद, सुरन्द, सुरेन कहने लगे हैं। लिपि में तो इम्तिहान ही लिखा जाता है पर उसे इम्तान बोलते है। लिखते किन्तु है पर बोलते है किन्तू। मालूम को मालुम बोलते-बोलते अब तो वैसा ही लिखने भी लगे हैं। तात्पर्य यह है कि उच्चारण दोष से वर्तनी-के दोषों की मरम्मत हो गई है। अगर हमने शुद्ध उच्चारण पर ध्यान नही दिया तो मौखिक भाषा के साथ-साथ लिखित भाषा का रूप भी विकृत हो जावेगा।

हमारे उच्चारण को जानने की आवश्यकता :

जब कोई बालक "रेता है", "परभू, के के चला गया", "गुर खाके परसन होवो" गुरुजी की किरपा चाहए" आदि वाक्य बोलता है और हम सुनते हैं तो मालूम होता है कि बालक का उच्चारण अशुद्ध है। किन्तु हम कक्षा में "छोरा क्या कर्या रे" "कोशीस करो तो अच्चे नमरों से पास हो जावोगे" आदि वाक्य बोल कर समझते है कि हम शुद्ध बोल रहे है। यदि हम अपने उच्चारण को टेप करके खुद सुनें तो पता लगेगा कि हम स्वय भी कई वर्णों को, शब्दों को और वाक्यों को अशुद्ध बोलते है।

हिन्दी ध्वनियो का सही उच्चारण उसकी ध्वनि व्यवस्था का पूरी तरह पालन करना ही है। 'पुस्तक' को पुसतक, पुसतक, पुस्त्क, पुस्तक् बोलना शब्द के स्तर का ध्वनि दोष है। स को श, फ को प, त को क, उ को ऊ बोलना वर्णोच्चारण के दोष हैं इस तरह वाक्य के स्तर पर भी उच्चारण के दोष होते है।

"आ भीचे की जगा पेटलाद वाला सेठ मोतीलाल कृष्ण दास आवी छे" को बालक अगर पढ़ेगा "आनी चेत्री जगापेट लादवाला सेठ मोती लाल कृष्ण दास का पीछे" तो वाक्य का सही अर्थ समाप्त हो जायगा। वाक्य में एक-एक शब्द का उच्चारण उचित विराम, सुर और संगम विराम के साथ किया जाय तभी वह सही अर्थ का द्योतक होता है।

ध्वनि एवं उच्चारण सम्बन्धी भूलें क्यों ? :

प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था होती है, क्योंकि हम जिसे भाषा कहते है वह मुख से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके सहारे एक निश्चित समुदाय के व्यक्ति आपस में विनिमय अथवा स्वयं विचार करते है। परिभाषा के अनुसार भाषा का मूल आधार ध्वनि है। वास्तव में ध्वनि भाषा की न्यूनतम इकाई कहलाती है जिसके द्वारा अक्षरों का निर्माण होता है। हर भाषा की अपनी ध्वनि-व्यवस्था होती है जो दूसरी भाषाओं से भिन्न होती है।

हिन्दी में जैसे अ, इ, उ, ऊ, क, ख, ग, आदि ध्वनियों की अपनी व्यवस्था है, वैसे ही अंग्रेजी मे ए, बी, सी, डी, के, जी आदि ध्वनियों की व्यवस्था है और उर्दू में वही अलिफ, बे, पे, ते, काफ, आदि ध्वनियों की अपनी व्यवस्था है। एक क्षेत्र या एक प्रदेश में भी अलग-अलग बोलियों की अपनी-अपनी ध्वनि व्यवस्था है, यद्यपि वे परस्पर समझने-समझाने की दृष्टि से एक सी लगती हैं। उदाहरण स्वरूप हिन्दी भाषी प्रदेश मे जितनी भी बोलियाँ बोली जाती है उनकी अपनी-अपनी ध्वनि व्यवस्था है। जब बालक हिन्दी भाषा सीखता है तो उसकी बोली की ध्वनि व्यवस्था उसके हिन्दी सीखने में व्यवधान उपस्थित करती है क्योंकि बालक अपनी घरेलू बोली की ध्वनियो से प्रभावित रहता है। वह उन ध्वनियों को अपनी परिचित ध्वनियो के रूप में ही सुनता है जब भी उसके सामने हिन्दी की ध्वनियाँ बोली जाती है वह उन ध्वनियो को अपनी बोली की ध्वनियों से मिलान करते हुए समझने का प्रयास करता है। बोलने वाला जो कुछ भी उसके सामने बोलता है उसमें उसकी ध्वनियाँ प्रायः हिन्दी की मानक ध्वनियाँ नही होती है।

विद्यालय में अध्यापक द्वारा उच्चरित ध्वनियाँ प्रायः मानक नही होती हैं और छात्र उनका अनुकरण करते हैं। छात्र ध्वनियों का अशुद्ध उच्चारण करते हैं, परन्तु अध्यापक उन्हें रोकता नही है। वह अशुद्ध उच्चारण को सहन कर लेता है और छात्रो का ध्यान उस उच्चारण की अशुद्धि की ओर आकर्षित नहीं करता है। वह यह जानने का प्रयत्न नही करता है कि हिन्दी की ध्वनियों के गलत उच्चारण मे छात्रों की बोलियों की ध्वनियाँ क्या असर डाल रही है। हिन्दी के लिखित रूप और बोलने के रूप मे अन्तर बढ़ गया है। हिन्दी के बोलने का क्षेत्र व्यापक होता चला जा रहा है। कोई भाषा जब व्यापक रूप मे बोली जाती है तब उसमें अनेक प्रकार के ध्वनि परिवर्तन होने लगते हैं, किन्तु उस भाषा का लिखित रूप नही बदलता। परिणाम यह होता है कि बोलने और लिखने के रूपों में असमानता बढ़ जाती है जो ध्वनि एव उच्चारण सम्बन्धी अनेक भूलों को जन्म देती है।

राजस्थान में अधिकांश बालक दो भाषाओं मे बोलने का व्यवहार करते हैं। एक तो हिन्दी, जिसे वे पाठशाला के वातावरण में बल्कि कक्षा में ही बोलते है और दूसरी उनकी घर या गाँव की बोली जिसमे वे अपने साथियों से, बड़ों से और कभी-कभी अध्यापक जी से भी बातचीत करते हैं। चाहे अनचाहे उनके उच्चारणों में दोनों बोलियो के असर आते रहते हैं। घरेलू बोली की ध्वनि व्यवस्था, चूंकि बचपन से उनकी आदत में जमी हुई है, अक्सर उनके हिन्दी उच्चारण को और लेखन को भी प्रभावित करती रहती है। अतः ये बालक ध्वनि एव उच्चारण सम्बन्धी भूलें करते हैं।

कई बालको में अनेक मनोवैज्ञानिक कारणों से जल्दी-जल्दी बोलने, अटक कर बोलने, ध्वनियों को चबाकर बोलने, अधूरी बात कहने की आदतें बन जाती हैं। कइयों की बात को एक ही लहजे में सपाट रूप से कहने की आदत पड़ जाती है। कोई

हर बात को पूरे जोर के साथ कहने की आदत पकड़ लेता है, तो कोई इतना धीमे बोलने की आदत बना लेता है कि मानो उसके सांस ही न हो। इन सब परिणामों के पीछे चाहे जो भी कारण रहे हों इतना प्रत्यक्ष है कि यदि बालक को संभाला नही गया तो उसके ये दोष बढते चले जायेंगे और वह ध्वनि एवं उच्चारण सम्बन्धी भूलें अधिक मात्रा में करेगा।

ध्वनि एवं उच्चारण सम्बन्धी भूलों का स्वरूप .

हिन्दी में जब हमारा बोलना उसकी ध्वनि व्यवस्था के अनुसार नहीं होता है तब हम उसे ध्वनि दोष कहते हैं। ये ध्वनि दोष दो स्तरों पर होते हैं—

(1) शब्द के स्तर पर बोलने मे (2) वाक्य के स्तर पर बोलने में

शब्द के स्तर पर होने वाले ध्वनि-दोष दो प्रकार के होते हैं—स्वर से सम्बन्धित, व्यञ्जन से सम्बन्धित।

स्वर से सम्बन्धित दोष .

अ, आ, की ध्वनियां भी बोलते समय अशुद्ध हो जाती हैं। यथा—'आ' के स्थान पर बोलते समय अ की ध्वनि ही उच्चरित हो जाती है—

अशुद्ध ध्वनियां	शुद्ध ध्वनियां	अशुद्ध ध्वनियां	शुद्ध ध्वनियां
अगामी	आगामी	चहिये	चाहिये
अजमाइश	आज़माइश	तत्कालिक	तात्कालिक
अन्त्यक्षरी	अन्त्याक्षरी	नदान	नादान
अवश्यकता	आवश्यकता	नराज	नाराज़
अशीर्वाद	आशीर्वाद	परलौकिक	पारलौकिक
अहार	आहार	बदाम	बादाम
चहर दीवारी	चहार दीवारी	ब्रह्मण	ब्राह्मण
चहिये	चाहिये	भगीरथी	भागीरथी
सप्ताहिक	साप्ताहिक	मलूम	मालूम
संसारिक	सांसारिक	व्यवसायिक	व्यावसायिक

नीचे के प्रयोगों मे 'आ' की ध्वनि के स्थान पर 'अ' की ध्वनि होनी चाहिए—

अशुद्ध ध्वनियां	शुद्ध ध्वनियां	अशुद्ध ध्वनियां	शुद्ध ध्वनियां
आजकाल	आजकल	आधीन	अधीन
आपना	अपना	बांगला भाषा	बंगला भाषा

हिन्दी मे सबसे अधिक ध्वनि-दोष उत्पन्न करने वाले स्वर–इ और ई हैं। 'इ' का उच्चारण एक झटके के साथ होता है और बहुत कम समय मे होता है। 'ई' का [illegible] कुछ ताकत के साथ और लम्बे समय तक होता है। सामान्य बोलचाल में [illegible] बहुत कम रह पाता है। अत. 'इ' और 'ई' मे ताकत तथा उच्चारण मे कोई अन्तर नही रह जाता। कभी-कभी 'इ' के स्थान पर 'ई' की ध्वनि [illegible] है। यथा —

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग	अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
अतिथी	अतिथि	अभीनेता	अभिनेता
अभीमान	अभिमान	आईये	आइये
कालीदास	कालिदास	कोटी	कोटि
क्योंकी	क्योंकि	क्षत्रीय	क्षत्रिय

कहीं-कहीं "इ" का उच्चारण नहीं किया जाता है यथा—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
आजीवका	आजीविका	आध्यात्मक	आध्यात्मिक
कठनाई	कठिनाई	कुमुदनी	कुमुदिनी
क्षणक	क्षणिक	गृहणी	गृहिणी

कही-कही "इ" अनावश्यक रूप से बोली जाती है। यथा—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अहिल्या	अहल्या	छिपकिली	छिपकली
झिल्लाया	झल्लाया	तिरिस्कार	तिरस्कार
द्वारिका	द्वारका	पहिला	पहला
प्रदर्शिनी	प्रदर्शनी	वापिस	वापस

नीचे लिखे शब्दों में 'ई' के स्थान पर 'इ' का उच्चारण प्रायः हो जाता है। अतः उनके अशुद्ध एवं शुद्ध रूप इस प्रकार हैं—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अद्वितिय	अद्वितीय	महाबलि	महाबली
आशिर्वाद	आशीर्वाद	महिना	महीना
तरिके से	तरीके से	रितिकाल	रीतिकाल
दिवाली	दीवाली	लिजिये	लीजिये
देश कि रक्षा	देश की रक्षा	शताब्दि	शताब्दी
निरिक्षण	निरीक्षण	श्रीमति	श्रीमती
निरसता	नीरसता	समिक्षा	समीक्षा
पत्नि	पत्नी	सूचिपत्र	सूचीपत्र
पिताम्बर	पीताम्बर	स्त्रि	स्त्री
बिमारी	बीमारी	भागिरथी	भागीरथी

राजस्थान मे हम लोग 'इ' को 'ए' कर देते हैं। यथा—

अशुद्ध—मैंने भी कहा के क्या बात है। शुद्ध—मैंने भी कहा कि क्या बात है।

अशुद्ध—वापस आग्या क्यों के काम नही हुआ। शुद्ध—वापिस आगया क्योंकि काम नही हुआ।

'इ' को हम 'ई' या 'ए' बना देते हैं; यही बात नहीं है। ज्यादा ताकत वाली

और लम्बे समय तक गूंजने वाली 'ई' ध्वनि को भी हम घटाकर 'इ' कर दिया करते हैं—

अशुद्ध–सित्ताराम बाबा सित्ताराम। शुद्ध–सीताराम, बाबा, सीताराम।
अशुद्ध–वो तो अपनी बिमारी से परेशान है। शुद्ध–वह तो अपनी बीमारी से परेशान है।
अशुद्ध–लीजिए, अब प्रमोद कुमार कक्षा ६ कब्ता बोलेंगे। शुद्ध–लीजिए, अब प्रमोदकुमार कक्षा ६ कविता बोलेंगे।
अशुद्ध–आजकल तो ईसत्रि राज आ गया। शुद्ध–आजकल तो स्त्री राज्य आ गया।

यहाँ भी यही कारण है कि स्वर को जहाँ और जैसा बल देना चाहिए वैसा दे नहीं पा रहे है। बोलना था–सीताराम (सी-ता-रा-म) किन्तु, ई का इ कर दिया और उससे बचा हुआ समय और बल 'त' को दे दिया तो सीता हो गई 'सित्ता'। बोलना था बी-मा-री, किन्तु अपने मुंह का सुख देखा और बी को कर दिया-बि। इसकी बची हुई ताकत मा पर चली गई, तभी इस शब्द के उच्चारण मे (ध्यान से सुनने पर) या सुनाई पड़ता है म्मा। बिम्मारी।

उच्चारण में 'उ' के स्थान पर 'ऊ' और 'ऊ' के स्थान पर 'उ' का प्रयोग होता है। इस प्रकार के उच्चारण के कारण शब्दो के जो अशुद्ध रूप बन जाते हैं। उनके शुद्ध रूप नीचे लिखी प्रकार है—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अनुदित	अनूदित	ऊत्थान	उत्थान
उधम	ऊधम	कूआ	कुआँ
तुफान	तूफान	दूबारा	दुबारा
दूबारा	दुबारा	धूआं	धुआँ
दुसरा	दूसरा	रेणू	रेणु

'र' के साथ 'उ, ऊ' से युक्त शब्दों को बोलने पर जो शब्द अशुद्ध बोले जाते हैं उनके अशुद्ध और शुद्ध रूप नीचे लिखी प्रकार हैं—

अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप	अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप
गुरू	गुरु	रुठ	रूठ
जरुरत	जरूरत	रुप	रूप
पुरुप	पुरुष	रूपया	रुपया
		रूपीया	रुपया

उच्चारण में 'ऋ' की ध्वनि से सम्बन्धित अशुद्धियाँ लगभग सभी करते हैं। मुख्य कारण यह कि इस ध्वनि के रूप का हमें ठीक-ठीक पता नहीं है। ऋ ध्वनि तालु के उस भाग से बोली जाती थी जो मूर्धा और कण्ठ के बीच में जीभ के मध्य भाग को ऊपर उठाकर वहाँ तक पहुँचाया जा सके और

फिर सारे जबड़े को ऊपर की ओर दबाया जाये ताकि ओठ आजू-बाजू फैल जाएं तो सम्भवतः 'ऋ' ध्वनि का उच्चारण हो जाए। इस प्रकार उच्चारण करना हिन्दी की ध्वनि व्यवस्था मे संभव नही होता है। इसलिए ही हिन्दी मे 'ऋ' की ध्वनि बोल पाना कठिन ही नही अपितु असंभव होता है। अत. जहाँ कहीं ऋ ध्वनि का प्रसंग आता है वहाँ इसे 'रि' ध्वनि रूप में बोला जाता है। यदि इस ध्वनि को कण्ठ से आने वाली क, ख, ग, घ, और मूर्धा से निकलने वाली ट्, ठ्, ड्, ढ्, ष्, ध्वनियों के साथ बुलवाकर अभ्यास दिया जाए तो इसका शुद्ध उच्चारण संभव हो सकता है। 'ऋ' की ध्वनि जिन शब्दो में बोली जाती है उनमे कुछ के अशुद्ध उच्चरित रूप नीचे लिखे प्रकार हैं—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
प्रथ्वी, प्रिथवी, प्रिथ्वी	पृथ्वी	त्रिशा	तृषा
		त्रिशणा	तृष्णा
		अनुग्रहीत	अनुगृहीत
श्रद्धा	शृद्धा	आक्रमण	आक्रमण
श्रंग	शृंग	आदरित	आद्दत
ग्रह्	गृह्	उरिण	उऋण
क्रिष्ण	कृष्ण	क्रित्रम	कृत्रिम
घ्रित	घृत	क्रिया	क्रिया
क्रिषक	कृषक	कृसमस	क्रिसमस
श्रंगार	शृंगार	त्रितीय	तृतीय
त्रिण	तृण	दृष्टा	द्रष्टा
तृकोण	त्रिकोण	द्रश्य	दृश्य
प्रथक	पृथक्	बृज	ब्रज, व्रज
पैत्रिक	पैतृक	बृटिश	ब्रिटिश
भृष्टाचार	भ्रष्टाचार	विस्त्रित	विस्तृत
मात्रभूमि	मातृभूमि	व्रतान्त	वृत्तान्त
संग्रहीत	संगृहीत	सृस्टा	स्रष्टा
श्रजन	सृजन	ह्रदय	हृदय

जिस स्वर को हम ऐ के रूप में लिखते हैं उसे सामान्यतः अए बोलते हैं लेकिन कुछ अवस्थाओं मे यह 'ऐ' अइ भी बोला जाता है। इस प्रकार इस ऐ का लिपि रूप मात्रा में (ै) एक है पर हिन्दी में इसकी ध्वनियाँ दो हैं—अइ, अए। बोलकर देखिए। शुद्ध रूप-गैया, भैया, मैया, कन्हैया, गौरैया, सैया

उच्चरित रूप-गइया, भइया, मइया कन्हइया, गौरईया, सईया

जब कभी ऐ के बाद य आएगा, ए की ध्वनि अइ हो जाएगी। दूसरी अवस्थाओं में उनका उच्चारण अए रहेगा। देखिए—

लिखित शुद्ध रूप—कैसा, जैसा, कैंची, वैसा, कैद, वैरा, ऐसा
उच्चरित रूप— कएसा, जएसा, कएँची, वएसा, कएद, वएरा, श्रयसा

राजस्थान के कुछ भागों में ए, ऐ को मिटाकर बोलते हैं यथा—
उच्चरित रूप—जसी, कसी, श्रसी,
लिखित शुद्ध रूप—जैसी, कैसी, ऐसी,

हिन्दी की 'श्र' ध्वनि को राजस्थानी में 'ए' कर देते हैं—
श्रकेला, श्रक्ल, पहरी, दस
एकेला, एकल, पँरी, दँस

जिस स्वर को हम 'श्रौ' के रूप में लिखते हैं उसे सामान्यतया 'श्रश्रो' बोलते हैं। जैसे—कौन, डौल, श्रौरत, श्रौसत, मौर
कश्रोन, डश्रोल, श्रश्रोरत, श्रश्रोसत, मश्रोर, किन्तु
इसकी एक दूसरी भी ध्वनि है। वह है—
कौश्रा श्रौवा हौश्रा श्रौषधि
कउवा श्रउवा हउवा श्रउपधि

यह श्रउ, ध्वनि तब होती है जब 'श्रौ' के बाद व (श्रोठो से बोला जाने वाला) या प ध्वनि श्राती है।

राजस्थानी में 'श्रौ' की जगह 'श्रो' कर देने का स्वभाव बहुत ज्यादा प्रचलित है। यथा-दौड को दोड्ड, श्रौरत को श्रोरत्, लौट को लोट् उच्चारण सुनने में श्राते हैं।

राजस्थान के कुछ भागों में स्वरो को बदल देने या उनका लोप कर देने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। यथा—

(1) 'इ' सुनाई नही देती—हिन्दी के तिथि, जोखिम, कि, निछावर, जाजिम, सिगड़ी, विद्या, हथियानी, नीति, श्रपने यहाँ राजस्थान में तथ, जोखम, क, नछावर, जाजम, सगड़ी, वद्या, हथनी, नीत हो जाते हैं।

(2) 'उ-ऊ' नही सुनाई देते हैं। यथा-मालूम है, दुनियाँ, मुकम्मिल, मुकाबला, श्रनुदित, दयालु, श्रनुवाद की जगह क्रमश. मालम है, दनिया, मकम्मल, मकावला, श्रनदित, दयाल श्रनवाद बोला जाता है।

(3) उ-ऊ को श्रौ मे बदलकर भी बोलते है। हिन्दी के उल्लंघन, भूमिका, कुमुदिनी, तूफान राजस्थान में कही-कही श्रोलंगन, भोमका, कोमदनी (कमोदनी) श्रौर तोफान बोले जाते हैं।

ए, ऐ, श्रय् के उच्चारण से सम्बन्धित भूलों के कारण निम्नांकित शब्दों के शुद्ध व श्रशुद्ध रूप इस प्रकार हैं—

रूप	शुद्ध रूप	श्रशुद्ध रूप	शुद्ध रूप	श्रशुद्ध रूप	शुद्ध रूप
	ऐगा	चाहिऐ	चाहिए	देहिक	दैहिक
[illegible]	ऐतिहासिक	जैहिंद	जयहिंद	नाइका	नायिका

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
ऐक	एक	दाइत्व	दायित्व	निद्यावर	न्योछावर
ऐतिहास	इतिहास	दैनीय	दयनीय	निर्भै	निर्भय
नैन	नयन	वय्याकरण	वैयाकरण		
परलै	प्रलय	विस्मै	विस्मय		
फैकना	फेंकना	वैश्या	वेश्या		
भायाऐं	भायाएँ	सैना	सेना		
रचइता	रचयिता	सेनिक	सैनिक		
वइसा	वैसा				

उच्चारण मे ई और यी सम्बन्धी भूलें निम्नांकित प्रकार की होती हैं:—

अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप	अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप
नई	नयी	लिखायी	लिखाई
मिठायी	मिठाई	विजई	विजयी
लड़ायी	लड़ाई	स्थाई	स्थायी

ओ, औ, अव, आव के उच्चारण से सम्बन्धित भूलों के कारण इन ध्वनियों से बने अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप इस प्रकार होंगे —

अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप	अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप	अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप
अक्षोहिणी	अक्षौहिणी	गोतम	गौतम	वहोत	बहुत
अलोकिक	अलौकिक	चुनाउ,चुनाओ	चुनाव	व्योपार	व्यापार
उपन्यासिक	औपन्यासिक	भुकाउ,भुकाओ	भुकाव	भौंचाल	भूचाल
ओद्योगिक	औद्योगिक	झोपड़ी	झोंपड़ी	यूँ	यों
औगुण	अवगुण	त्योहार	त्यौहार	विविहार,व्योहार	व्यवहार
औतार	अवतार	नोकरी	नौकरी	होले	हौले
क्यूँ	क्यों	पोंहचना	पहुँचना		

उच्चारण मे अनुस्वार और अनुनासिक की भूलें होने के कारण निम्नांकित शब्द प्रायः अशुद्ध लिखे जाते हैं। अतः उन शब्दो के अशुद्ध और शुद्ध रूप इस प्रकार होगे:— अनावश्यक अनुनासिकता एवं अनुस्वारता—

अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप	अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप
करकें	करके	नानां	नाना
गरिमां	गरिमा	नें	ने
छोंडकर	छोड़कर	पूँछकर	पूछकर
डांका	डाका	मामां	मामा

जिन शब्दों के उच्चारण मे अनुनासिकता होनी चाहिए परन्तु होती नही है, उनके अशुद्ध और शुद्ध रूप इस प्रकार होंगे.—

अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप	अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप	अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप
उन्ही	उन्हीं	कही न कही	कहीं न कहीं	क्योकि	क्योंकि
पुस्तके	पुस्तकें	तरगे	तरंगें	हमी	हमीं
नही	नहीं				

ऊपर ध्वनि एवं उच्चारण संबंधी भूलों के अनेक उदाहरण इसलिए दिये गये हैं कि जिससे हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित हो और हम अपनी इन भूलों का निराकरण कर सकें। इन भूलो के होने के कई कारण हो सकते हैं जिन पर विचार किया जाना जरूरी है। कारणों के हटाये जाने पर ही भूलो का निराकरण संभव होगा—

ध्वनि एवं उच्चारण संबंधी भूलों के कारण :

(1) अशुद्ध उच्चारण करने वालों का सम्पर्क—बालक अपने प्रारंभिक जीवन मे घर के, परिवार और पड़ौस के ऐसे लोगों के सम्पर्क में आता है जो पढे-लिखे न होने के कारण अशुद्ध उच्चारण ही करते रहते हैं। बालक उनके अशुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर लेता है, बाद मे उनका सुधार बड़ा कठिन होता है।

(2) क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव—उदाहरण के लिए राजस्थान की मातृ भाषा हिन्दी मानी जाती है किन्तु यहाँ की मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाडी, बागड़ी आदि क्षेत्रीय बोलियो का प्रभाव बालकों के उच्चारण पर बहुत अधिक पड़ता है। इन बोलियो मे हिन्दी की विकृत ध्वनियों का प्रयोग होता है इसलिए बालक उनमें अभ्यस्त हो जाता है। हिन्दी की दृष्टि से वे ध्वनियाँ अशुद्ध हैं अतः बालक के अशुद्ध उच्चारण को बाद में शुद्ध करना बड़ा कठिन हो जाता है। यथा 'द्' को 'ध्' बोलने वाले बालक 'विद्यालय' को 'विध्यालय' ही बोलते हैं। 'कान' को काण और 'कोई नहीं' को 'कोने' बोला जाता है।

(3) प्रान्तीय प्रभाव—पंजाबी क, ख, ग, को का, खा गा, पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के लोग कै, खै, गै, बंगाली लोग को, खो, गो बोलते हैं। महाराष्ट्री श को च; गुजराती ऐ, औ, न को ए, ओ और ण, मेवाड़ी स को ह, बागड़ी श को च मध्यप्रदेश वाले वह को वो और तमिल वाले थ को त बोलते हैं। जब ये लोग हिन्दी भाषा में उच्चारण करते हैं तो यह विकार उत्पन्न होता है। इन्हें सुनने वाले बालक का भी इसी तरह अशुद्ध उच्चारण हो जाता है।

(4) संयुक्ताक्षरों को अलग करके बोलना—कई लोग तर्क, स्वर्ग, कर्म, धर्म, दर्शन को तरक, सरग, करम, धरम, दरसन बोलना प्रारंभ कर देते हैं।

(5) अनेक भाषाओं का प्रभाव—हिन्दी में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के शब्द आ गये हैं। अतः उनकी ध्वनियो के उच्चारण का प्रभाव हिन्दी की ध्वनियों पर पडा है। जैसे कागज के ग़ की ध्वनि से बाग के ग को ग़ बोलना या कॉलेज के कॉ की ध्वनि से कोई के 'को' को कॉई बोलना आदि। सिन्धी सड़क को और घोड़ा को घोरा कहेंगे।

(6) भौगोलिक प्रभाव—विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के स्वरयंत्र कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वे कुछ ध्वनियों को ठीक नहीं बोल सकते यथा

अरब निवासी गले को कसा रखने के कारण क, ख, ग, को क़, ख़, ग़ बोलते हैं। वे हिन्दी के क को सदा क़ ही बोलेंगे।

(7) शारीरिक विकार—हकलाने वाले, तुतलाने वाले और वाक्‌यंत्र की खराबी वाले लोगों के सम्पर्क में रहने वाले बालकों के उच्चारण मे दोष आ जाते हैं।

(8) ध्वनियों का अनिश्चित उच्चारण—हिन्दी में ऋ, ष्, क्ष्, ज्ञ् आदि कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण अनिश्चित होने से लोग स्वेच्छानुसार बोलते हैं, ज्ञ को कोई ग्य कोई ग्यन और कोई ज्ज बोलते हैं।

(9) मनोवैज्ञानिक दोष—भय, संकोच, शीघ्रता, विलम्ब, लापरवाही आदि भी उच्चारण मे दोषों के कारण बनते हैं यथा अध्ययन का अध्यन, वर्णनात्मक का वर्णात्मक।

(10) ज्ञान का अभाव—कौनसा वर्ण किस प्रयत्न और स्थान से बोला जाना चाहिये ? यह शिक्षा ठीक प्रकार से न मिलने पर भी उच्चारण के दोष होते हैं।

(11) अध्यापक का अशुद्ध उच्चारण—सिखाने वाले के अशुद्ध बोलने पर बालक तो अशुद्ध ही बोलेंगे।

उच्चारण में ध्वनि संबंधी सामान्य दोष :

उपर्युक्त कारणों से जो आजकल हिन्दी भाषा के उच्चारण में सामान्य दोष आ गए है उनको नीचे दिया जा रहा है:—

(1) आ को अँ बोला जाता है।

(2) छोटी इ और बड़ी ई बोलने वाले इ, ई बोलना नही सीख पाते। वे लिखते इ हैं किन्तु बोलते सदा ई हैं। शान्ति को शान्ती पढ़ते है।

(3) छोटे उ को ऊ बोलते हैं।

(4) ऋ को रि या र बोलते हैं। कृपा को क्रिपा या क्रपा बोलते हैं।

(5) ओ को औ बोलना जैसे गोस्वामी को गौस्वामी।

(6) क को ख, ख को क और घ को भी क बोलते है। कोना को खोना, भूख को भूक, खून को क़ून और घर को कर बोलना।

(7) छ को श, क्ष या च् बोलना यथा शक्कर को चक्कर 'मछली को मशली' छोटा को चोटा और छात्र को क्षात्र बोलना।

(8) ड, ढ में भेद नही करना यथा बुड्ढा का बुढ्डा, गड्ढा का गढ्डा, खड्डा का खड्ढा।

(9) ड़ और ढ़ में अन्तर नही समझा जाता यथा, पढ़ना का पड़ना, सड़ना का सढ़ना।

(10) ण का न वोला जाता है। विशेषण का विशेषन।

(11) द का ध् उच्चारण किया जाता है यथा विद्‌यार्थी का विध्‌यार्थी।

(12) न का ण यथा पानी का पाणी।

(13) व का ब और ब का व बोला जाता है। कवि का कबि या कबी, वाह का बाह, वहाँ का बहाँ, वन का बन।

(14) र का ड़ और ड का र बोला जाता है। सड़क का सरक, सीताराम का सीताड़ाम।

(15) स, ष् और श् के उच्चारण में अन्तर नहीं कर सकना। कृष्ण का ,कस्न. शेर का सेर या छेर, सुषुमा को शुसुमा, सुशोभित को सुसोभित और सुशील को शुसील।

(16) क्ष का छ, ज्ञ का ग्य, स्र का स्त्र उच्चारण किया जाता है। क्षत्रिय का छत्रिय, ज्ञान का ग्यान और स्रोत का स्त्रोत।

(17) स्टेशन को इस्टेशन, कर्म को करम, सवाल को स्वाल, चिह्न को चिन्ह और ब्रह्मा को ब्रम्हा बोलना सामान्य बात हो गई है।

(18) अच्छे पढे लिखे भी ख को क, घ को ग, छ को च, ठ को ट, थ को त, ध को द और भ को ब की तरह बोलते है।

उपर्युक्त उदाहरणो से स्पष्ट हो गया है कि दोष स्वर के उच्चारण से संबंधित और व्यजन के उच्चारण से संबंधित—दोनो प्रकार के होते हैं। कुछ और उदाहरण देखिए—

स्वरो मे अ को अँ, इ को ई, ई को इ, उ को ऊ, ऊ को उ बोलना सामान्य सी बात है।

व्यंजनो मे ष, श को स और स को श बोला ही जा रहा है। नमस्कार को नमश्कार करने वाले हजारो मिलेंगे। शब्द के मध्य और अन्त वाले स्वर और ह की हत्या उच्चारण मे होती रहती है। चल्ता रेता है। मिन्ट मे आज्यो।

उच्चारण सम्बन्धी दोषों के निराकरण के उपाय :

(1) प्रत्येक ध्वनि को स्वरो की मात्राओं के साथ शब्द के प्रथम, मध्यम और अन्त के स्थान पर निरुपित करके उसके सही उच्चारण का अभ्यास कराया जाय। यथा, स्वर की मात्राओ के साथ ट् ध्वनि का उच्चारण:—

टम टम, टाट, टिकिट, टीका, टुकड़ा, टूक, टेक, टैक्स, टोटा, ट्रस्ट, ट्रांसलेशन ट्रेन, ट्रंक।

ट् शब्द के प्रारम्भ, मध्य और अन्त मे:—

टटका, भटका, सपाट, कपट, सटीक, सरपट, चटपट इसी तरह अलग-अलग स्थान पर भिन्न-भिन्न ध्वनियों के साथ प्रत्येक वर्ण की ध्वनि के उच्चारण का अभ्यास जरूरी है।

(2) कठिनाई से बोली जाने वाली ध्वनियों क्ष, ड़, ढ़, ख़, ष, श, के उच्चारण का अभ्यास कराया जाय।

(3) ग-घ, ज-झ, द-ध, न-ण, इ-ई, उ-ऊ, ऋ-रि ध्वनियों के उच्चारण [illegible] भ्रम बना रहता है, अतः अलग-अलग स्थितियों मे इनके उच्चारण [illegible] कराया जाय।

(4) शब्द के मध्य की मात्रा (स्वर) का उच्चारण समाप्त सा हो जाता है, अतः बोलने की गति में थोड़ा धीमापन अपनाया जाय जिससे उच्चारण में बोलता का बोलता बना रहे।

(5) अध्यापक किसी शब्द का उच्चारण करे बाद में छात्रों से करवाए, छात्रों के साथ-साथ उच्चारण करे, श्यामपट्ट पर लिख कर छात्रों के सामने लिखे को देखकर बोले और इसके बाद उसे बिना देखे बोले। इस तरह अनेक प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है।

(6) अध्यापक सर्वप्रथम स्वयं के उच्चारण को लोगों को सुनाकर या टेप से सुन कर पता लगा ले कि वह तो अशुद्ध उच्चारण नहीं कर रहा है। शुद्ध उच्चारण कर सकने वाला ही शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दे सकेगा।

(7) उच्चारण के कतिपय नियमों का ज्ञान छात्रों को अवश्य कराया जाय। ये नियम नीचे दिये जा रहे हैं :—

(i) हिन्दी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण के उच्चारण की शिक्षा दी जाकर सम्यग् अभ्यास कराया जाय।

(ii) प्रत्येक वर्ण के उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न से छात्रों को अवगत कराया जाय।

(iii) ष् की ध्वनि हिन्दी में श् की तरह उच्चारित होती है न कि ख् की तरह।

(iv) क्ष का उच्चारण क्छ की तरह होता है न कि छ की तरह।

(v) ऋ का उच्चारण रि की तरह होता है।

(vi) ञ् तत्सम शब्दों के बीच में आता है किन्तु अब इसका उच्चारण न् के समान होता है। चञ्चल (चन्चल)।

(vii) ङ् भी तत्सम शब्दों के बीच में आता है और इसका उच्चारण अनुस्वार के समान होता है। गङ्गा (गंगा), रङ्ग (रंग)।

(viii) ण् स्वर के साथ ठीक तरह बोला जाता है यथा रणभेरी; किन्तु शब्द के बीच में न् के समान होता है ठण्डा (ठन्डा)।

(ix) दीर्घ स्वरों के साथ अनुस्वार अर्द्धअनुस्वार या चन्द्रबिन्दु (ँ) के समान उच्चरित होता है, जैसे—मैं (मैँ) हैं (हैँ)।

(x) अकारान्त दो अक्षरों वाले शब्दों का अन्तिम व्यंजन अकार-रहित उच्चरित होता यथा राम्, काम्, कल्, दिन्।

(xi) अकारान्त चार अक्षरों वाले शब्दों का दूसरा अकारान्त वर्ण भी अकार रहित उच्चरित होता है यथा टम्टम, मल्मल, चक्मक।

(xii) आकारान्त तीन अक्षरों वाले शब्दों के बीच का अकारान्त व्यंजन अकार रहित बोला जाता है। जैसे चल्ना, पढ़्ना, जन्ता, कर्ना।

(xiii) आकारान्त चार अक्षरों वाले शब्दों के बीच का तीसरा आकारान्त वर्ण अकार रहित बोला जाता है। पिघल्ना, कोमल्ता, निकल्ना, सबल्ता।

(xiv) द्य का उच्चारण द्य की तरह होता है न कि ध्य या द्द की तरह।

(xv) अकारान्त दो अक्षरों वाले शब्द के प्रथम अक्षर पर बलाघात होता है। धाम, घर, मन।

(xvi) अकारान्त तीन अक्षरों वाले शब्द के द्वितीय अक्षर पर बलाघात होता है यथा कमल, अचल, सुभाष, किशन।

(xvii) सयुक्त व्यंजन के पूर्व के अक्षर पर बलाघात होता है जैसे मिथ्या, सत्य, गल्प।

(xviii) *विसर्ग युक्त अक्षर के उच्चारण मे बलाघात होता है यथा प्रायः, दुःख।*

उपर्युक्त नियमों की जानकारी छात्रों को समय-समय पर दी जानी चाहिए। अच्छा तो यह हो कि जब बालक बोल रहा हो तभी उसे शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करना सिखाया जाय। किन्तु उस समय तो अध्यापक उसके साथ नहीं होता। अतः जब बालक विद्यालय में किसी वर्ण या शब्द का अशुद्ध उच्चारण करे तब उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान बताकर उसे शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करा दिया जाय। नागरी लिपि में वर्णों का नाम और ध्वनि एक ही है अतः इसमे शुद्ध उच्चारण से वर्तनी की शुद्धता कायम होती है। एक उपाय यह भी हो सकता है कि कक्षा के जो छात्र शुद्ध उच्चारण करते हों उनका साथ करने के लिए उस अशुद्ध उच्चारण करने वाले बालक को निर्देश दिये जाएं। शुद्ध उच्चारण करने वालों के साथ रहने से और बोलते रहने से उस बालक का उच्चारण भी सुधरेगा क्योंकि भाषा तो अनुकरण से सीखी जाती है। अगर किसी बालक का उच्चारण शुद्ध उच्चारण को सिखाने, उसका अभ्यास कराने और शुद्ध उच्चारण वाले वातावरण के प्रभाव से भी न सुधरे तो फिर उसके अभिभावकों को किसी चिकित्सक से उस बालक की चिकित्सा करवाने के लिए सुझाव देना चाहिए।

पढ़ते समय भी बालक उचित बल, विराम और स्वर के साथ पढ़े इस पर ध्यान दिया जाय। हिन्दी में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द प्रयुक्त होते हैं; अतः इनकी शब्द-रचना का ज्ञान भी शुद्ध उच्चारण करने में बड़ी मदद करता है। यथा तत्सम शब्दों की रचना सन्धि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा होती है अतः बिना इनके ज्ञान के शब्दों का शुद्ध उच्चारण कठिन होता है। केवल भाषा के कालांश में या केवल भाषा के अध्यापक द्वारा ही शुद्ध उच्चारण पर जोर न दिया जाय अपितु …ो कालांशों में सभी अध्यापक शुद्ध भाषा का उच्चारण करके उदाहरण प्रस्तुत …। विशेष तौर पर प्रारंभिक कक्षाओं मे अध्यापक शुद्ध उच्चारण करने वाले होने …हिए।

शुद्ध शब्दों, शुद्ध अक्षरों और लिपि का पूर्ण ज्ञान बालक को दिया जाय जिससे उच्चारण शुद्ध हो। उच्चारण शुद्ध होने पर वर्तनी भी शुद्ध रहेगी। जितनी बार बालक स्वयं देखेगा, सुनेगा और पढ़ेगा उतना ही अच्छा उसका उच्चारण होगा। अशुद्ध उच्चारण करने वाले बालक को प्रतिलिपि और श्रुतलेख का अभ्यास दिया जाय। शब्दकोश का उपयोग और अशुद्धियों को शुद्ध रूप में बार-बार बोलना तथा लिखना बालक को शुद्ध उच्चारण का अभ्यस्त बनाता है।

निष्कर्ष :

वैसे ऊपर उच्चारण सम्बन्धी अनेक दोष और उनके निराकरण के उपायों के बारे में विस्तार से विचार किया गया है। किन्तु इस विषय पर जितना भी कहा जाय कम है। क्योंकि प्रत्येक बालक का वातावरण उसका अपना होता है। भाषा को बोलता-बोलता ही वह स्कूल में आता है। तब तक उसे उच्चारण का कुछ अभ्यास हो चुका होता है। नया उच्चारण सिखाना सरल है किन्तु अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध उच्चारण में अभ्यस्त करना थोड़ा कठिन काम अवश्य है। यह काम राजस्थान में इसलिए कठिन हो जाता है कि राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ हिन्दी की ही उपभाषाएँ हैं और उनके शब्द हिन्दी के ही विकृत रूप हैं। इसलिए ध्वनियों के उच्चारण में विकृति प्रारम्भ से ही मातृभाषा से सीख कर बालक विद्यालय में आता है यथा ल् का ळ्; ड़ का ड्, ऐ का ए, द् का ड्; ध् का ढ्; स् का श्, छ का च्छ; य, व का य्य, व्व; न का ण, च का स या छ, स् का च्; ढ् का ड्; ध् का द्; व् का ब् उच्चारण। इसलिए प्रत्येक कक्षा मे अध्यापक स्वयं ही सजग रह कर पता लगावे कि उसके बालक कौन कौन से ध्वनि-दोषों से ग्रसित हैं ? तदनुसार उसके द्वारा अपनाये गए सुधार के उपाय ही वास्तविक सुधार के उपाय कहे जा सकते हैं। यहाँ तो उदाहरण के रूप में कुछ नमूने ही प्रस्तुत किए गए हैं।

सुधार के उपायों मे मौखिक उच्चारण का अभ्यास देने के साथ-साथ शब्द के लिखे रूप को दिखाकर बालक से शुद्ध उच्चारण करवाना भी बहुत महत्त्व रखता है। शब्दों को मौखिक रूप से बोलना उनको उच्चरित करना कहलाता है किन्तु उन शब्दों के लिखे रूप को देखकर बोलना वाचन कहलाता है। वाचन का विवेचन अगले अध्याय में किया जायगा।

अभ्यास के प्रश्न

1. शुद्ध उच्चारण कैसे संभव है ?
2. शुद्ध उच्चारण का क्या महत्त्व है ?
3. अशुद्ध उच्चारण के क्या-क्या कारण हैं ?
4. ध्वनि एवं उच्चारण सम्बन्धी भूलें क्यों होती हैं ?
5. ध्वनि एवं उच्चारण सम्बन्धी भूलों का क्या स्वरूप है, अर्थात् वे किस किस प्रकार की होती हैं ?

6. उच्चारण मे ध्वनि सम्बन्धी सामान्य दोष किस-किस प्रकार के होते हैं ?
7. उच्चारण दोषों के निराकरण के उपायों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
8. *निम्नांकित शब्दों में कौनसी ध्वनियाँ अशुद्ध उच्चरित हो रही हैं ? अशुद्ध उच्चरित* ध्वनियों को शुद्ध रूप में लिखिये।

अहार, चहरदीवारी, सप्ताहिक, संसारिक, प्राचीन, प्रारना, अतिथी अभीमान, क्योंकी, कठनाई, क्षणक, युधिस्ठर, लेकन, झिल्लाया, पहिला, प्रदर्शिनी, सामिग्री, दिवाली, निरिक्षण, समिक्षा, सूचिपत्र, स्त्रि, नुपुर, परन्तू, ऊत्थान, पुस्प, रप, जरुरत, श्रृद्धा, प्रत, श्रंगार, त्रिप्त, नितीय, गइया, भइया, ईतिहासिक, दाइत्व, जैहिंद, निछावर, देहिक, फैंकना, विम्मै, श्रोगुण, श्रोतार, दुनियाँ, उन्ही, डाका, तरंगे, मामा, हमी, नहो, गरिमा, करकें, पूँछकर, पौहचना, झोपड़ी, नोकरी, सोचेगें, हमेशां, सुसोभित।

9. निम्नांकित वाक्यों में जो भी उच्चारण सम्बन्धी अशुद्धियाँ हैं, उन्हें शुद्ध करते हुए पूर्ण शुद्ध वाक्य लिखिए।

1. वह नित्यप्रति प्रात:काल भगवान के दरसन करता है।
2. यह सरक मेरे गाँव को जा रही है।
3. सुसील की माँ उसे वहुत प्यार करती है।
4. आज के विध्यार्थी पढ़ने में ध्यान कम देते है।
5. पढ़ना बहुत मुस्किल काम है।
6. इस कक्षा के क्षात्र बहुत शोर मचाते हैं।
7. मुझे तेज भूक लग रही है।
8. आपने आज मेरे घर पधारने की बडी क्रिपा की।
9. आज छत्रियो मे वह पराक्रम नहीं रहा।
10. ब्रम्हाजी ने सृष्टि की रचना की है।
11. आप अपने भाई साहब को मेरा नमस्कार कहियेगा।

4 नागरी लिपि और हिन्दी वर्तनी की प्रकृति तथा वर्तनी सम्बन्धी भूलों का निराकरण

ध्यातव्य बिन्दु :

1. नागरी लिपि का उद्भव
2. नागरी लिपि की विशेषताएँ
3. हिन्दी वर्तनी की प्रकृति
4. शुद्ध वर्तनी का महत्त्व एवं आवश्यकता
5. वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियों के कारण
6. वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियों का स्वरूप
7. वर्तनी सम्बन्धी भूलों का निराकरण
8. मूल्यांकन

नागरी लिपि का उद्भव :

हिन्दी भाषा की लिपि नागरी है। इसे ही कालान्तर में देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। भाषा को स्थायी रूप देने की आवश्यकता ने लिपि को जन्म दिया है। लिपि के विकास की चार अवस्थाएँ है—प्रतीक लिपि, चित्र लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। सबसे पहले विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिह्नों को निश्चित किया गया था। इसके पश्चात् चित्र लिपि का आविष्कार हुआ। चित्र लिपि का विकसित रूप भी भावलिपि कहलाया, परन्तु लिपि के इन रूपों से विचारों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप मानव ने अपनी-अपनी भाषाओं के लिए ध्वनि चिह्न निश्चित किए थे। ये ध्वनि चिह्न ही आज लिपि के नाम से जाने जाते हैं। देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी संसार की सबसे प्राचीन ध्वनि लिपि है। गौरीशंकर, हीराचन्द ओझा द्वारा की गई खोज के अनुसार कहा जा सकता है कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार आर्यों ने ही किया था। वैदिक संस्कृत और संस्कृत इसी लिपि में लिखी जाती थी। बुद्ध के समय में इस लिपि का विस्तृत प्रयोग होता था। अशोक के अधिकांश शिला-लेखों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया गया है। अशोक के

बाद ब्राह्मी लिपि में परिवर्तन होना प्रारम्भ हुआ। गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि का परिवर्तित रूप गुप्त लिपि कहलाया। उत्तरी भारत मे जो परिवर्तन हुए, उनमें वर्णों का आकार थोड़ा कुटिल हो गया था; इसलिए इस रूप को—कुटिल रूप की संज्ञा दी गई। इस कुटिल लिपि से शारदा और नागरी दो लिपियां निकलीं। नागरी लिपि का प्रयोग ईसा की 10वी शताब्दी से माना जाता है। इसी नागरी को बारहवीं शताब्दी में देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। आज की देवनागरी लिपि, प्राचीन देवनागरी का सुधरा हुआ रूप है। भारत में प्रयुक्त होने वाली अन्य लिपियां भी ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। कुछ लोग देवनागरी लिपि की उत्पत्ति खरोष्टी लिपि से मानते हैं, परन्तु यह उनका भ्रम है। खरोष्टी लिपि विदेशी लिपि थी। विदेशी लिपि होने के कारण भारतवर्ष के धर्म-ग्रन्थों में इसका प्रयोग नहीं किया गया, केवल व्यापारी वर्ग मे ही इसका प्रयोग किया जाता था और वह भी भारत के उत्तरी-पश्चिमी भाग मे। कुछ शिलालेखों में भी इसका प्रयोग हो गया था। ईसा की तीसरी शताब्दी तक पश्चिमी भारत में इस खरोष्टी लिपि का प्रचलन रहा, परन्तु तत्पश्चात् ब्राह्मी लिपि की वश-परम्परा मे जनमी लिपियो का ही प्रयोग हुआ। प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से दसवी शताब्दी ईसवी के लगभग प्राचीन बंगला-लिपि निकली, जिसके आधुनिक परिवर्तित रूप बगला, मैथिली, उड़िया तथा नेपाली लिपियों के रूप मे प्रचलित है। प्राचीन नागरी से ही गुजराती, कैथी तथा महाजनी आदि उत्तर-भारत की अन्य लिपियां भी सम्बद्ध हैं।

जैसा कि ऊपर लिखा गया है, नागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में दसवी शताब्दी के प्रारम्भ से मिलता है, किन्तु दक्षिण भारत मे कुछ लेख आठवी शताब्दी तक के पाए जाते है। दक्षिण की नागरी लिपि 'नंदि नागरी' नाम से प्रसिद्ध है और अब तक दक्षिण मे संस्कृत पुस्तको के लिखने मे उसका प्रचार है। राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यभारत, विंध्यप्रदेश तथा मध्यप्रदेश में इस काल के लिखे प्रायः समस्त शिला-लेख, ताम्र-पत्र आदि मे नागरी लिपि ही पाई जाती है। ई० स० की 10वी शताब्दी की उत्तरी भारतवर्ष की नागरी लिपि में कुटिल लिपि की तरह अ, आ, घ, प, म, य, ष और स के सिर दो अंशों मे विभक्त मिलते है, परन्तु 11वी शताब्दी से ये दोनों अंश मिलकर सिर की एक लकीर बन जाती है और प्रत्येक अक्षर का सिर उतना लम्बा रहता है जितनी कि अक्षर की चौड़ाई होती है। ग्यारहवी शताब्दी की नागरी लिपि वर्तमान नागरी से मिलती-जुलती है और 12वी शताब्दी से वर्तमान नागरी बन गई है। ईसवी सन् की 12वी शताब्दी से लगा कर अब तक नागरी लिपि बहुधा एक ही रूप मे चली आती है।

९ आधुनिक देवनागरी लिपि दसवीं शताब्दी ईसवी की प्राचीन नागरी लिपि विकसित रूप है।

नागरी लिपि की वंश-परम्परा को स्पष्ट करने के लिए नीचे एक तालिका* दी जा रही है जिससे भारत में प्रयुक्त होने वाली लिपियों का ब्राह्मी एवं नागरी लिपियों से क्या सम्बन्ध है, यह स्पष्ट हो सके।

नागरी लिपि की विशेषताएँ :

नागरी लिपि में हिन्दी की प्रायः सभी मूल ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए पृथक्-पृथक् ध्वनि चिह्न हैं। इस लिपि की यह विशेषता है कि इसमें जैसा बोला जाता है, वैसा ही लिखा जाता है और वैसा ही पढ़ा जाता है। इस लिपि का ध्वनि-तत्त्व बड़ा ही वैज्ञानिक है।

इस लिपि में स्वरों के स्थान पर उनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है जिससे शब्दों का आकार अपेक्षाकृत छोटा हो जाता है।

यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर को लिखी जाती है। भारत में प्रयुक्त होने वाली कई अन्य लिपियों—मराठी, बंगाली, गुजराती, गुरुमुखी आदि से ये बड़ा मेल रखती है। मराठी भाषा के लिए अपनाई गई लिपि तो देवनागरी लिपि ही कही जा सकती है।

इस लिपि में विदेशी ध्वनियों को भी व्यक्त करने की शक्ति है। इस शक्ति के कारण ही यह लिपि संसार की सबसे अधिक समृद्ध लिपि कही जा सकती है। इस लिपि में हम संसार की प्रायः सभी भाषाओं को लिख सकते है।

हमारे देश का मूल साहित्य और संस्कृति इसी लिपि में सुरक्षित है।

*रमण बिहारीलाल 'हिन्दी शिक्षण' तृतीय संस्करण पृष्ठ सं. १७ से उद्धृत।

हिन्दी वर्तनी की प्रकृति :

हिन्दी भाषा नागरी लिपि मे ही लिखी जाती है और नागरी लिपि ध्वनि प्रधान है। अतः इसमें हिन्दी की प्रायः सभी ध्वनियों के लिए पृथक् दो चिह्न हैं। इस लिपि मे स्वरो के स्थान पर मात्राओ का प्रयोग होने से, वर्णों की संख्या बहुत अधिक होने से तथा संयुक्त एव सन्ध्यक्षरों की बनावट थोड़ी जटिल होने से वर्तनी सम्बन्धी त्रुटियो के होने की बहुत संभावना रहती है। हिन्दी की वर्तनी अधिकाश रूप मे ध्वनि प्रधान है। अतः इसके सही प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि ध्वनियों का उच्चारण शुद्ध हो। श, ष, स के उच्चारण मे बहुत कम अन्तर होने से तथा इनसे बने शब्दों के बोलने मे हिन्दी की आचलिक बोलियों मे वर्ण विपर्यय का प्रचलन होने से प्रायः इन वर्णों से युक्त शब्दो के लिखने मे वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियाँ होती हैं। कुछ वर्णों जैसे व और ब की बनावट में बहुत कम अन्तर होने से भी वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियाँ होती है।

'इ' से प्रारम्भ होने वाले संयुक्त अक्षरों को लिखने मे एक वर्ण को दूसरे के साथ मिलाना पड़ता है और ऐसी स्थिति में वर्ण से पहले जब इ की मात्रा लगानी पड़ती है तो वर्तनी के इस क्रम का सही ज्ञान एवं सही अभ्यास न होने से वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ बहुत होती हैं। यथा स्थिति, पक्तियाँ, सम्मिलित इन शब्दों में क्रमशः स्, क्, म् से पूर्व 'इ' की मात्रा लगाने का यदि सही ज्ञान नही है और यह मात्रा क्रमशः थ, त, म से पहले लगा दी जाती है तो वर्तनी सम्बन्धी त्रुटि हो जाती है। स्वरो के लिए प्रयुक्त होने वाली मात्राएँ कभी व्यजनो के पहले और कभी उनके बाद लगाई जाती हैं; जैसे किस, कोल।

'उ' 'ऊ' की मात्रायें प्रायः व्यजनो के नीचे लगती हैं परन्तु 'र' व्यंजन के बीच मे, जैसे—रु, रू। इसमे वर्तनी सम्बन्धी त्रुटियाँ होती हैं।

'र्' व्यंजन की वर्तनी के चार रूप मिलने हैं—शिरोरेखा से ऊपर 'चर्म', वर्ण के नीचे—त्राण, ग्रह, राष्ट्र, ह्रस्व इन चारो मे र् की वर्तनी पृथक्-पृथक् स्थान पर लगी है।

अनुस्वार के चिह्नो के प्रयोग में हिन्दी वर्तनी में बहुत भ्रम की संभावना है। इसके दो-दो रूप मिलते हैं यथा चंचल-चञ्चल, दोनों ही शुद्ध माने जाते है। ऊपर मात्रा लगने वाले वर्णों पर अनुनासिक का चिह्न अनुस्वार के चिह्न का स्थान ले लेता है। यथा नहीं, क्यों, फेंकना, इनमें होना तो चाहिए अनुनासिक का चन्द्राकार चिह्न, परन्तु लगाई जाती है पूरी बिन्दी (̇)अर्थात् अनुस्वार का चिह्न। अब इनको नहीँ, क्योँ, फेँकना, इनमें—ऐसे लिखने का प्रचलन नही रहा है।

इस प्रकार हिन्दी वर्तनी की प्रकृति ध्वनिप्रधान होने पर भी बहुत जटिल [illegible] लिए प्रारम्भ मे ही शब्दों व वाक्यों को सही रूप में लिखने का अभ्यास [illegible] दिया जाना आवश्यक है अन्यथा वर्तनी सम्बन्धी त्रुटियों के होने की बहुत [illegible]भावना रहेगी।

शुद्ध वर्तनी का महत्व एवं आवश्यकता :

भाषा के वर्तन (व्यवहार) का नाम वर्तनी है। वह भाषा को लिखने व बोलने की परम्परित परिपाटी है। भाषा के रूपों को अपेक्षाकृत चिरस्थायी और सुस्थिर बनाने के प्रयोजन से वर्तनी अत्यन्त उपयोगी है। भाषा मे अभिव्यक्ति के दो पक्ष होते हैं : (1) यांत्रिक (2) चिन्तनात्मक। यान्त्रिक पक्ष का सम्बन्ध ध्वनि से, लिपि से होता है। चिन्तनात्मक पक्ष का सम्बन्ध भाषा के लाघव, अभीप्टता, क्रमबद्धता एवं अलकरण से होता है। वर्तनी को यान्त्रिक पक्ष के अन्तर्गत माना जाता है। भाषा के ये दो पक्ष केवल समझने और समझाने के लिए है। वस्तुतः तो भाषा एक अखण्ड, अजस्र प्रवाह है जिसमे सभी पक्ष और सभी योग्यतायें परस्पर रची-पची रहती है। इस प्रवाह में स्वयं भी ऐसे नियोजक और प्रतिबंधक तथा प्रतिकारक होते हैं जो छोटी-मोटी विसंगतियों का निराकरण स्वयमेव करते हैं। यथा विद्यालय का समय प्रायः दीन का होता है। यहाँ 'दीन' का अर्थ प्रसंग, आकाक्षा और सन्निधि से 'दिन' ही लिया जायेगा। परन्तु यदि कोई लिखे 'दीनो की दीन मे भोजन की व्यवस्था की गई'—इस वाक्य में दूसरा 'दीन' अर्थ विक्षोभ पैदा कर सकता है क्योंकि 'दीन' का एक अर्थ धर्म-सम्मेलन भी होता है। अतः वर्तनी की अशुद्धता से अर्थ का अनर्थ भी संभव हो सकता है। इसलिए भाषागत व्यवहार मे उसके यांत्रिक पक्ष का और उसमे भी वर्तनी की शुद्धता का बड़ा महत्त्व है।

भाषागत व्यवहार मे सुस्थिरता के लिए हम लिखित रूपों को अधिक प्रमाणिक मानते हैं और शिक्षा में लिखित रूपो के अनुसार लिखित रूप प्रचारित करना चाहते हैं। उन्ही के अनुरूप बोलना सिखाने की चेप्टा करते है। परन्तु बोलने की परिपाटी लिखने की परिपाटी से भिन्नता रखती है। भाषा में किसी एक समरस बिन्दु से प्रारम्भ करके देखें तो जैसे-जैसे समय बदलता जाता है, बोलने के रूप लिखित रूप से भिन्न होते चले जाते हैं। जैसे—

परिचय		सन्ध्या		लक्ष्मी	
लिखित रूप	बोलने वाले रूप	लिखित रूप	बोलने वाले रूप	लिखित रूप	बोलने वाले रूप
परिचय	परचय, परचै, परिचै	सन्ध्या,	सन्धा,	लक्ष्मी	लच्छमी
		संध्या	मंधा,		लक्समी
			संदया, सिन्ध्या		मछमी

भाषा के बोले जाने वाले और लिखे जाने वाले रूपों मे भिन्नता वर्तनीगत अशुद्धियों को जन्म देती है। वर्तनी की अशुद्धता का प्रभाव उच्चारण पर होता है

श्रौर श्रशुद्ध उच्चारण श्रशुद्ध वर्तनी का कारण बन जाता है। शुद्ध वर्तनी का श्रभ्यास व्यक्ति मे श्रात्मविश्वास विकसित करने में सहायक होता है। वर्तनी के सम्बन्ध में यदि संदेह बना रहे तो श्रभिव्यक्ति श्रशक्त हो जाती है श्रौर इसके श्रभाव में बालकों की सृजनात्मक प्रतिभा कुण्ठित हो जाती है। इसलिए शुद्ध वर्तनी पर श्राग्रह करना जीवन में प्रत्येक कार्य को समुचित प्रकार से करने के गुण को विकसित करने के लिए श्रावश्यक है। श्रशुद्ध वर्तनी को स्वीकार करना लापरवाही श्रौर श्रशुद्धता को प्रश्रय देता है। इसलिए वर्तनीगत श्रशुद्धियों को दूर करना श्रत्यन्त श्रावश्यक है।

वर्तनी संबंधी श्रशुद्धियों के कारण :

वर्तनीगत श्रशुद्धियाँ कैसे दूर की जावें, इस पर विचार करने से पूर्व इन श्रशुद्धियो के होने के कारणों पर विचार करना श्रावश्यक है। कारणों को समझकर यदि उन्हें दूर करने के उपायो पर विचार किया जायेगा तो श्रवश्य ऐसे उपाय खोजे जा सकेंगे जिनमे छात्रों को श्रशुद्धियों से बचने श्रौर शुद्ध शब्द लिखने मे सहायता मिल सकेगी।

श्रब तक किए गए प्रयोगों का विश्लेषण करने के पश्चात् यह देखा गया है कि वर्तनी संबधी श्रशुद्धियो के निम्नलिखित कारण हैं—

1. लेखन की श्रसावधानी—श्रधिकांश वर्तनीगत श्रशुद्धियाँ केवल लिखने की श्रसावधानी श्रौर शीघ्रता के परिणामस्वरूप होती है। छात्र लिखना चाहते हैं 'भारत' परन्तु शीघ्रता मे लिखा जाता है 'भरत'। शिरोरेखा खीचते समय किंचित् श्रसावधानी के कारण इस प्रकार की श्रशुद्धियाँ हो जाती हैं। लेखनी के लेशमात्र श्रागे-पीछे हो जाने के कारण इस प्रकार की श्रशुद्धियाँ हो जाती है। जाट, काट लिखते समय यदि लेखनी नाम मात्र को भी नीचे से ऊपर को सरक जाती है तो 'ट' का 'ठ' बन जाता है। इसी प्रकार 'इंक' लिखते समय छात्र 'ड़ंक' या 'डक' लिख जाता है जो लेखन में श्रसावधानी का परिणाम है।

2 मात्राश्रों का श्रपर्याप्त ज्ञान—प्रारंभ में मात्राश्रों के सीखने में विशेष ध्यान न देने के परिणामस्वरूप छात्र मात्राश्रो की श्रशुद्धि करते हैं। जो छात्र यह नही जानते कि 'र' के साथ 'उ' श्रथवा 'ऊ' की मात्रा किस प्रकार लगायी जाती है वे प्रायः 'रु' या 'रू' लिखते हैं। संयुक्त वर्णों के साथ 'इ' की मात्रा की श्रशुद्धियाँ भी इसी कारण होती हैं। 'मक्खियाँ,' 'वग्घियां' शब्द क्रमशः 'मक्खियाँ, वग्घियाँ, के रूप में लिखे पाये गये है।

3. व्याकरण का श्रपर्याप्त ज्ञान—हिन्दी व्याकरण के नियमों का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण भी कभी-कभी छात्र वर्तनी की श्रशुद्धियाँ करते हैं, विशेषतः संज्ञाश्रों बहुवचन के रूपो मे लिखने मे। छात्रो की गृहकार्य की उत्तर-पुस्तिकाश्रो में, ., पत्तीयाँ, मूलीयाँ, मालूश्रों, चाकूश्रों, बाबूश्रों, श्रादि शब्द लिखे पाये जाते प्रकार की भूलें छात्र इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें व्याकरण के इस नियम नहीं है कि जो संज्ञाएँ इकारांत या उकारांत होती हैं, उनके बहुवचन बनाने

में क्रमशः 'ई' की मात्रा के स्थान पर 'इ' की मात्रा और 'ऊ' की मात्रा के स्थान पर 'उ' की मात्रा लगाई जाती है। इन्क, पन्डा, सन्मान, चचल आदि शब्दों के लिखने मे अनुनासिक की अशुद्धियाँ भी तत्सम्बन्धी नियम का ज्ञान न होने के कारण होती हैं।

4. **अशुद्ध उच्चारण**—छात्रों की वर्तनीगत अशुद्धियों का प्रमुख कारण उनका अशुद्ध उच्चारण है। छात्र शब्दो का जिस रूप मे उच्चारण करते हैं, साधारणतः उन्हें उन्ही रूपो मे लिखते हैं। पढ़ते समय वे शब्दो के लिखित रूपो पर कम ध्यान देते हैं। यद्यपि पुस्तको मे वे सर्वत्र 'दशहरा', 'हरएक', 'लखनऊ', प्रद्युम्न', पढ़ते हैं परन्तु प्रारम्भ से ही अशुद्ध उच्चारण का अभ्यास हो जाने के कारण वे इन शब्दों को क्रमशः 'दसैरा', 'हरेक', 'नखलऊ' और 'परदुमन' बोलते हैं और अपने अशुद्ध उच्चारण के फलस्वरूप उन्हें इन्ही अशुद्ध रूपों में लिखते हैं। शब्दों का अशुद्ध उच्चारण होने के कई कारण हैं उनमे से कुछ प्रमुख कारण निम्नांकित हैं :—

क—माता-पिता का स्नेह
ख—वातावरण का प्रभाव
ग—शब्द लाघव की प्रवृत्ति—यथा—चल्ता है, आग्रा, राम्चन्द्र
घ—शारीरिक विकार
च—स्थानीय बोलियों का प्रभाव—रोट्टी, जान्नू, बंसरी, भौत, देक्खा
छ—अध्यापक का अशुद्ध उच्चारण

5. **शोधन के अभ्यास का अभाव**—छात्रों के लिखित कार्य का परीक्षण करते समय उनकी जिन अशुद्धियों को अध्यापक चिह्नित करता है, उनका छात्रों द्वारा शोधन नहीं किया जाता है या कम मात्रा मे शोधन किया जाता है। शोधन के प्रति छात्रों के इस उपेक्षाभाव का फल यह होता है कि वे शब्दों को अशुद्ध रूप मे ही लिखते रहते हैं।

6. **अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन में कमी**—छात्रों के लिखित कार्य का निरीक्षण करते समय यह देखा गया है कि कुछ अध्यापक छात्रों की वर्तनीगत अशुद्धियों की ओर ध्यान नही देते और छात्रो की कापियों में अशुद्ध शब्दों को चिह्नित नही करते। अध्यापक की इस उपेक्षा का यह फल होता है कि छात्रों को उनकी अशुद्धियों का ज्ञान नही हो पाता और वे उक्त प्रकार की भूलें करने के अभ्यासी हो जाते है।

7. **संवेगात्मकता**—लिखते समय यदि छात्र का मन शान्त न हो, वह आवेश में हो तो जिस प्रकार वह शब्दों का उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाता उसी प्रकार शुद्ध लिख भी नही पाता। इसलिए 'आनन्द' को लिखते समय भाव की तीव्रता के कारण *'आन्द' लिख जाता है।* *इसी के फलस्वरूप कभी-कभी वह पूरे शब्द छोड़ जाता है* और कभी-कभी पूरे वाक्य भी छोड़ जाता है।

8. **बौद्धिक न्यूनता**—नीची बुद्धि-लब्धि वाले बालकों में समझने और ग्रहण करने की शक्ति कम होती है अतः वे लिखित शब्दों का [illegible] नहीं कर पाते।

ऐसे छात्रों में धारणा, प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान की मात्रा भी कम होती है, इसलिए वे शब्द को अधिक समय तक ध्यान में नही रख पाते। यदि ध्यान मे रहता भी है तो दुर्बल प्रत्यास्मरण के कारण समय पर उक्त शब्द उनके स्मृतिपटल पर प्रकट नही हो पाता। पढ़े हुए शब्दों का अशुद्ध लिखने का यह भी एक कारण है कि लिखते समय वह उन शब्दो का शुद्ध प्रत्यक्षीकरण नही कर पाता।

ऊपर दिए गए सभी कारणों के अतिरिक्त निम्नलिखित कारण और हैं जिनका उल्लेख विद्याभवन टीचर्स कालेज उदयपुर मे दि. 13 जून से 19 जून तक सन् 1963 मे आयोजित हिन्दी वर्तनी कार्यगोष्ठी के प्रतिवेदन मे किया गया है। ये कारण दोषपूर्ण शिक्षण सम्बन्धी कारणों के अन्तर्गत दिए गए हैं :—

1. वर्णमाला के अक्षरों का दोषपूर्ण एवं अपूर्ण ज्ञान
2. लिखित कार्य का सदोष अभ्यास
3. अनुपयुक्त पाठ्य-सामग्री
4 वाचन मे बिम्ब ग्रहण पर आग्रह तथा शब्द-रचना एवं वर्ण-विश्लेषण पर तुलनात्मक दृष्टि से कम ध्यान
5. विभिन्न विषयों के पाठन मे समन्वय का अभाव
6. शिक्षण के समय व्यक्तिगत ध्यान का अभाव
7. क्रमिक हिन्दी शब्द समूह के शिक्षण का अभाव
8 पाठ्यक्रम मे विस्तार के कारण वर्तनी शिक्षण पर पर्याप्त ध्यान का अभाव
9. शीघ्रलेखन पर अधिक आग्रह तथा सुलेख पर कम
10 संशोधन कार्य पर ध्यान के सातत्य की कमी
11. ध्वनिशिक्षा का अभाव
12. सर्वमान्य रूप का अभाव

वर्तनी सम्बन्धी त्रुटियों का स्वरूप :

मात्राओं की अशुद्धियाँ—हिन्दी मे मात्रा सम्बन्धी अशुद्धियों के अनेक प्रकार हैं। इन्हें निम्नांकित भागों मे बांटा जा सकता है :—

'अ' 'आ' सम्बन्धी त्रुटियाँ :

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
आधीन	अधीन	भाडार	भंडार
अध्यात्मिक	आध्यात्मिक	अराधना	आराधना
व्यवसायिक	व्यावसायिक	अनाधिकार	अनधिकार
अगामी	आगामी	अजमाइश	आजमाइश
अन्त्यक्षरी	अन्त्याक्षरी	अवश्यकता	आवश्यकता
अशीर्वाद	आशीर्वाद	अहार	आहार
चहरदीवारी	चहारदीवारी	चहिये	चाहिए
तत्कालिक	तात्कालिक	नदान	नादान

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
नराज	नाराज	बदाम	बादाम
ब्रह्मण	ब्राह्मण	भगीरथी	भागीरथी
मलूम	मालूम	सप्ताहिक	साप्ताहिक
संसारिक	सांसारिक	आजकाल	आजकल
बारात	बरात	लागान	लगान
हस्ताक्षेप	हस्तक्षेप	हाथिनी	हथिनी

इ, ई सम्बन्धी त्रुटियाँ :

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अतिथी	अतिथि	कालीदास	कालिदास
अभीनेता	अभिनेता	कोटी	कोटि
अभीमान	अभिमान	क्योकी	क्योंकि
आईये	आइये	क्षत्रीय	क्षत्रिय
चाहीये	चाहिये	तिथी	तिथि
तिलाजली	तिलांजलि	निवासीयों	निवासियों
नीती	नीति	परीचय	परिचय
परीवार	परिवार	पुष्टी	पुष्टि
पूर्ती	पूर्ति	बलीदान	बलिदान
शान्ती	शान्ति	शनी	शनि
सम्पत्ती	सम्पत्ति	स्थिती	स्थिति
अद्वितिय	अद्वितीय	आशिर्वाद	आशीर्वाद
तरिके से	तरीके से	पत्नि	पत्नी
पिताम्बर	पीताम्बर	बिमारी	बीमारी
दिवाली	दीवाली	भागिरथी	भागीरथी
महाबलि	महाबली	महिना	महीना
निरसता	नीरसता	रितिकाल	रीतिकाल
लिजिये	लीजिये	शताब्दि	शताब्दी
श्रीमति	श्रीमती	समिक्षा	समीक्षा
सूचिपत्र	सूचीपत्र	स्त्रि	स्त्री
देश कि रक्षा	देश की रक्षा	निरिक्षण	निरीक्षण
लीये	लिये	रात्री	रात्रि
रूची	रुचि	हानी	हानि

उ-ऊ की मात्रा की भूलें :

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अनुदित	अनूदित	ऊत्थान	उत्थान
उधम	ऊधम	कूआँ	कुआँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
तुफान	तूफान	दूवारा	दुवारा
दुसरा	दूसरा	धूम्रां	धुंम्रां
नुपुर	नूपुर	रूई	रुई
रेणू	रेणु	वधु	वधू
साधू	साधु	सिन्दुर	सिन्दूर
सुई	सूई	सुरज	सूरज
गुरू	गुरु	जरुरत	जरूरत
पुरूप	पुरुप	रुठ	रूठ
रुप	रूप	रूपया	रुपया
अनूसार	अनुसार	उदयपूर	उदयपुर
कूछ	कुछ	चूका	चुका
चूनना	चुनना	तूम	तुम
दूनियाँ	दुनियाँ	दूश्मन	दुश्मन
दूखी	दुखी	पूत्रों	पुत्रों
प्रभूत्व	प्रभुत्व	पूस्तक	पुस्तक
पूण्य	पुण्य	मूगल	मुगल
मूख्यतया	मुख्यतया	यूद्ध	युद्ध
समूद्र	समुद्र	सूधार	सुधार
सून्दर	सुन्दर	सूबह	सुबह
हेतू	हेतु	उपर	ऊपर
करुंगा	करूंगा	घुमना	घूमना
दुसरे	दूसरे	धुल	धूल
पुर्ण	पूर्ण	पुछा	पूछा
पुर्ति	पूर्ति	पुरा	पूरा
फुल	फूल	बुढ़ा	बूढ़ा
भुमि	भूमि	भुषण	भूषण
रुप	रूप	सुरदास	सूरदास
स्कुल	स्कूल	सुर्य	सूर्य

ए-ऐ की मात्रा सम्बन्धी भूलें :

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अकैला	अकेला	कैवल	केवल
दैना	देना	फैंकना	फेंकना
मैं (अन्दर)	में (अन्दर)	मैरा	मेरा
मैवाड़	मेवाड़	रहै	रहे
रोगैंगी	रोवेगी	मंते	ऐते

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
हे	है	क्षेत्र	क्षेत्र
एसा	ऐसा	एसे	ऐसे
एच्छिक	ऐच्छिक	एक्य	ऐक्य
जेसे	जैसे	तयारियाँ	तैयारि
पेदल	पैदल	मेथिली	मैथिलि
वेसे	वैसे	शेली	शैली
सेनिक	सैनिक	हे	है
में (अपने लिए)	मैं (अपने लिए)	ऐक	एक
एतिहास	इतिहास	सैना	सेना

'ओ, औ' मात्राओं की अशुद्धियाँ :

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
धोर	ओर	जौर	जोर
दौहा	दोहा	भौग	भोग
सो	सौ	कोन	कौन
खिलोने	खिलौने	चोगुनी	चौगुनी
नोकरी	नौकरी	मोका	मौका
अलोकिक	अलौकिक	उपन्यासिक	औपन्यासिक
क्यूँ	क्यों	गोतम	गौतम
त्यौहार	त्योहार	बहोत	बहुत
यूँ	यों	हौले	हौले

अनुस्वार और अनुनासिक की भूलें :

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अंलकार	अलंकार	अज्ञानियो	अज्ञानियों
अदंर	अंदर	इसमे	इसमें
डिगंल	डिंगल	तारो	तारों
तुम्हे	तुम्हें	दोनो	दोनों
नही	नहीं	पक्तियाँ	पंक्तियाँ
प्रसग	प्रसंग	भोकना	भौंकना
मे	में	मै	मैं
रास्तो	रास्तों	व्यँजन	व्यंजन
शृँगार	शृंगार	सारांश	सारांश
सिह	सिंह	अँधा	अंधा
अधेरा	अँधेरा	गंवार	गँवार
छेटाई	छँटाई	संवारना	सँवारना
होगें	होंगे	आएगीं	आएँगी
कही न कही	कहीं न कहीं	उन्ही	उन्हीं

ऊपर जिन मात्रा एवं अनुस्वार और अनुनासिक सम्बन्धी त्रुटियों एवं उन शब्दों के शुद्ध रूपों का उल्लेख किया गया है उनमें अधिकांश शब्द ऐसे हैं जिनमे मात्राओं का अशुद्ध स्थान पर प्रयोग हुआ है। अशुद्ध स्थान पर मात्रा के प्रयोग के अतिरिक्त भी कुछ मात्रा सम्बन्धी त्रुटियाँ होती हैं जो निम्न प्रकार की हैं—

(अ) मात्राओं का लोप—आवश्यक मात्राओं का लगाना प्राय. छात्र भूल जाते हैं। जैसे अच्छा को अच्छ, मालिन को मालन, अपरिचित का अपरचित, जामुन का जामन, मधुरा का मथुर।

(आ) अनावश्यक मात्रायें—कभी-कभी छात्र अनावश्यक रूपों में भी मात्राएँ लगा देते है, जैसे प्रदर्शनी का प्रदर्शिनी, तलवार का तालवार।

(इ) अशुद्ध मात्रायें—अशुद्ध मात्रा लगाने की भूले यथेष्ट पायी जाती हैं, जैसे रवि के स्थान पर रवी, मधुर के स्थान पर 'मधूर' का प्रयोग, आशीर्वाद के स्थान पर आशिर्वाद और उद्देशीय के स्थान पर उद्देशिय का प्रयोग। अशुद्ध मात्राओ के प्रयोग के कुछ उदाहरण ऊपर विस्तार के साथ दिए गए हैं जिनमें आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ से सम्बन्धित मात्राओं के अशुद्ध और शुद्ध रूप ध्यान से देखे जाने चाहिएँ।

(ई) स्थान परिवर्तन—इस प्रकार की अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं कि मात्रा जिस वर्ण पर लगाई जानी चाहिए थी उस पर न लगाकर किसी अन्य वर्ण पर लगा दी गई। जैसे मधुमालती के स्थान पर मुधमालती, कपड़े के स्थान पर कपेड, पश्चिम के स्थान पर पश्मिम, परिणत के स्थान पर पराणित, ससुराल के स्थान पर सुसराल लिखा जाना।

वर्णों की अशुद्धियाँ :

दूसरे प्रकार की अशुद्धियाँ वर्तनी सम्बन्धी वे हैं जिन का सम्बन्ध वर्णों से है। ऐसी अशुद्धियाँ निम्न प्रकार की पाई जाती है—

(अ) वर्ण लोप—कभी-कभी छात्र शब्द को अपूर्ण ही लिख जाते हैं अर्थात् किसी वर्ण को छोड़ देते हैं, जैसे आनन्द को 'आन्द', स्वाध्याय को 'स्वाध्या', उपाध्याय को 'उपाध्या', अध्ययन को 'अध्यन', स्वावलंबन को 'स्वालबन', कुत्ता को 'कुता', कर्त्तव्य को 'कर्तव्य', ज्यादा को 'जादा', उद्देश्य को 'उदेश्य', उदाहरण को 'उदारण'।

(आ) अनावश्यक वर्ण—कभी-कभी छात्र शब्द में अनावश्यक वर्ण अपनी ओर से जोड़ देते हैं, जैसे अच्छा को अचच्छा, जाता हूँ को जात्ता हूँ, रोटी को रोट्टी, जैसा को जैस्सा, तुमने को तुम्हने, असंभव को असंम्भव, प्रत्येक को प्रतयेक।

(इ) स्थान परिवर्तन—शब्द में किसी वर्ण को अपने स्थान पर न लिख दूसरे स्थान पर लिखने की अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं जैसे लखनऊ के स्थान नखलऊ, अमरूद के स्थान पर अरमूद, जलेबी के स्थान पर जबेली, चाकू के स्थान पर 'काचू', सड़क के स्थान पर सकड़, विशेष के स्थान पर 'विशेस'।

(ई) पूर्ण-अपूर्ण—शब्द में आधे वर्ण के स्थान पर पूर्ण लिखने और पूर्ण वर्ण के स्थान पर आधा वर्ण लिखने की अशुद्धियाँ भी अधिक मात्रा में पायी जाती हैं; जैसे प्रकाश को परकाश, द्वारिका को दुवारिका, प्रसिद्ध को परसिद्ध, चलता है को च्लता है, करता है को कर्ता है, मनचला को मन्चला, दबदबा को दब्दबा लिखते हैं।

(उ) रेफ की अशुद्धियाँ—रेफ की अशुद्धियाँ दो प्रकार की पायी जाती हैं : एक तो रेफ के स्थान पर पूरा 'र' लिखा जाता है, दूसरे रेफ को यथास्थान न लगा कर आगे-पीछे के वर्ण पर लगा दिया जाता है, जैसे कर्म के स्थान पर 'करम', कर्ता के स्थान पर 'करता', मर्द के स्थान पर 'मरद', जर्मनी के स्थान पर जरमनी, परामर्श के स्थान पर परामंर्श, अहिमर्दन के स्थान पर अहिमदर्न, भावार्थ के स्थान पर भावार्थ, चतुर्थ के स्थान पर चतुंर्थ, पंचवर्षीय के स्थान पर पंचवंर्षीय लिखते हैं।

(ऊ) सदृश वर्ण-सम्बन्धी—जिन वर्णों का उच्चारण लगभग समान होता है, उनकी अशुद्धियाँ अधिक पायी जाती है, जैसे—

(1) स, श—प्रसन्न के स्थान पर प्रशन्न, प्रहसन के स्थान पर प्रहशन, सूर्य के स्थान पर शूर्य, रहस्य के स्थान पर रहश्य, शिला के स्थान पर सिला, शिव के स्थान पर सिव, शुक के स्थान पर सुक, शेर के स्थान पर सेर, शोभा के स्थान पर सोभा, वस्तु के स्थान पर 'वश्तु', प्रशंसा के स्थान पर प्रसंसा, मुसीबत के स्थान पर मुशीबत लिखते हैं।

(2) स, ष—आविष्कार के स्थान पर आविस्कार, मनुष्य के स्थान पर मनुस्य, बहिष्कार के स्थान पर बहिस्कार, विषय के स्थान पर विसय, निराश के स्थान पर निरास।

(3) श, ष—कृष्ण के स्थान पर कृश्न, मनुष्य के स्थान पर मनुश्य, बहिष्कार को बहिश्कार, विषय को विशय, निराश को निराष।

(4) र, ऋ—ऋ के स्थान पर उच्चारण 'र' ही प्राय: होता है; अत: इस उच्चारण के प्रभाव से 'ऋ' को 'र' लिखने की भूल हो जाती है। यथा मृग को म्रग, दृग को द्रग, कृष्ण को क्रष्ण, गृह को ग्रह, पृथ्वी को प्रथ्वी।

(5) रि, ऋ—ऋतु को रितु, ऋषि को रिषि, उऋण को उरिण, तृतीय को त्रितीय, पैतृक को पैत्रिक, विस्तृत को विस्त्रित, हृदय को हिरिदय।

(6) 'र' को 'ऋ' या 'रि' को 'ऋ' लिखने की भूल—आक्रमण को आकृमण, कृत्रिम को क्रितृम, क्रिया को कृया, द्रष्टा को दृष्टा, त्रिकोण को तृकोण, क्रिसमस को कृसमस लिखने की भूल करते हैं।

(7) व, ब—'व' के स्थान पर 'ब' और 'ब' के स्थान पर 'व' लिखने की भूल बहुत साधारण है। ब्रजभाषा-भाषी प्राय: ये भूल करते हैं। इसके करने में उनका

उच्चारणगत दोष होता है। जैसे वधू को वघू, वंशज को वंशज, वंदना को वदना, बचन को बचन, बड़प्पन को बड़प्पन, बच्चा को वच्चा आदि।

(8) ए, ये—इन दोनों वर्णों के प्रयोग में भी अनेक अशुद्धियाँ हो जाती हैं। सामान्यतया दोनों रूप प्रचलित हैं पर अनेक स्थानों पर 'ए' ही उपयुक्त माना जाता है, यथा इसलिये के स्थान पर 'इसलिए', चाहिये के स्थान पर 'चाहिए', हलुये के स्थान पर 'हलुए', बनाये के स्थान पर 'बनाए', सजाये के स्थान पर 'सजाए' लिखना उपयुक्त माना जाता है।

(9) ई, यी— इन दोनों वर्णों के भी प्रयोग एक समान किये जाते हैं, पर 'ई' का प्रयोग कुछ स्थानों पर उचित है और कुछ पर नहीं, यथा दयामई के स्थान पर 'दयामयी', 'सुयी' के स्थान पर 'सुई', 'गयी' के स्थान पर 'गई', आयी के स्थान पर 'आई', नायी के स्थान पर 'नाई', का प्रयोग उचित है।

(10) पंचम वर्ण की अशुद्धियाँ—पचम वर्ण का अशुद्ध प्रयोग भी बहुधा पाया जाता है जैसे, सम्मान की जगह सन्मान, दण्ड की जगह दन्ड, चंचल की जगह चन्चल, 'पंक' की जगह 'पन्क', का प्रयोग अशुद्ध है।

(11) बिन्दु की अशुद्धियाँ—हिन्दी में बिन्दु की अशुद्धियाँ भी बहुधा पाई जाती है। ये अशुद्धियाँ निम्नांकित प्रकार की होती है:—

1. बिन्दु का लोप—जहाँ बिन्दु की आवश्यकता है, वहाँ बिन्दु नही लगाया जाता, जैसे—कड़ा को कडा, पढ़ना को पढना, काढ़ना को काढना आदि लिखा जाना।
2. अनावश्यक बिन्दु—कहीं-कहीं पर छात्र अनावश्यक रूप मे बिन्दु लगा देते है, जैसे, डलिया को ड़लिया, कण्डा को कण्ड़ा, रोड को रोड़ लिखा जाना।
3. स्थान परिवर्तन—कभी-कभी उपयुक्त स्थान पर बिन्दु न लगाकर अन्य स्थान पर बिन्दु लगा दिया जाता है, जैसे—संत को सतं, कहाँ को कंहा, गायेंगे को गायेगें, सौपे को सोंपे लिखा जाता है, जो अशुद्ध है।

(क) अनुस्वार एवं अनुनासिक—अनुस्वार बिन्दु के स्थान पर अनुनासिक (चन्द्र बिन्दु) और आनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगाने की अशुद्धियाँ भी बहुत पाई जाती है, जैसे— हँसना के स्थान पर हसना, आँख के स्थान पर आख, दाँत के स्थान पर दात का प्रयोग किया जाना अशुद्ध है।

(ख) विसर्ग का लोप—जिन शब्दों के मध्य या अंत में विसर्ग लगाया जाना चाहिए उनमे बहुधा विसर्ग नही लगाया जाता है। जैसे, अंतःसाक्ष्य को अंतसाक्ष्य, अधःपतन को अधपतन, दुःख को दुख, दुःसह को दुसह, निःस्वार्थ को निस्वार्थ, मूलतः को मूलतया, विशेषतः को विशेषतया लिखा जाता है।

(ग) योजक या विभाजक संबंधी अशुद्धियाँ—कोई-कोई शब्द दो या अधिक [illegible] के योग से बनते है। इस प्रकार के कुछ शब्दों में योजक का प्रयोग करना [illegible] है और कुछ मे उसके लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे शब्दों के

लिखने मे छात्र बहुधा यह भूल करते हैं कि जहाँ योजक लगाना आवश्यक है, वहाँ नही लगाते और जहाँ अनावश्यक है वहाँ लगा देते हैं, जैसे—

(अ) योजक का लोप—अधजला (अध-जला), दिनरात (दिन-रात) आदि।

(आ) अनावश्यक प्रयोग—बात-चीत (बातचीत), काम-धाम (कामधाम) कर्म-काण्ड (कर्मकाण्ड) आदि।

(घ) शिरोरेखा संबंधी अशुद्धियाँ—हिन्दी मे म और भ का अन्तर शिरोरेखा से जाना जाता है। छात्रो की किंचित असावधानी से 'म' के स्थान पर 'भ' और 'भ' के स्थान पर 'म' हो जाता है, जैसे भेड़ को मेड़, भूख को मूख, भोर को मोर, आदमी को आदभी, भेड़ा को मेड़ा, जामनगर को जाभनगर, लिखा जाता है।

(च) द्य, द्म, ह्ल, ह्न, द्व सम्बन्धी अशुद्धियाँ—इन मिश्रित वर्णों एवं इनसे बने संध्यक्षरों को शुद्ध रूप में लिखते समय अनेक विद्यार्थी अशुद्धियाँ करते देखे जाते है। यथा 'विद्यालय' के स्थान पर विध्यालय या विधालय, 'पद्म' के स्थान पर 'पद्‌म' 'पध्म'; आह्लाद-प्रह्लाद के स्थान पर आल्हाद-प्रल्हाद, 'चिह्न' के स्थान पर चिन्ह तथा 'द्वारा' के स्थान पर 'दुवारा', दुआरा' 'द्‌वारा' आदि लिख देते हैं। विद्यार्थियों को इन संयुक्त ध्वनियो और उनके लिखे जाने वाले स्वरूप की सही वर्तनी का बतलाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यथा 'द्य' द्+य, 'द्म' द्+म् के संयोग से, 'ह्ल'–ह्+ल' की, 'ह्न'–ह्+न की तथा 'द्व' द्+व के मिश्रित वर्ण रूप हैं।

(छ) क्ष, त्र, ज्ञ सम्बन्धी त्रुटियाँ—छात्र इन संयुक्त वर्णों के प्रयोग मे भी प्रायः अशुद्धि करते हैं। यथा 'क्षमा' को छमा या जमा, प्रत्यक्ष को प्रत्यच्छ, क्षेत्र को छेत्र, परीक्षा को परीच्छा, परीक्षा, 'प्रतीक्षा' को 'प्रतीच्छा', 'प्रतीक्सा' लिखते है। 'त्रिविध' के स्थान पर तिरविध, तृविध; 'त्राण' के स्थान पर 'तराण', 'तिराण'; लिखते है। 'ज्ञान' के स्थान पर ग्यान, ग्नान, 'ज्ञात' के स्थान पर 'ग्यात', विज्ञान के स्थान पर विग्यान, विग्नान लिखते है।

वर्तनी सम्बन्धी भूलों का निराकरण :

शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता और उसके महत्त्व पर ऊपर प्रकाश डाला गया है। वर्तनी सम्बन्धी त्रुटियो के कारणों और प्रकारों का भी उल्लेख किया जा चुका है। इस सम्पूर्ण विवरण से यह स्पष्ट है कि अशुद्ध वर्तनी की समस्या भाषा की प्रमुख समस्याओं में से एक है। यह प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक एवं महाविद्यालय स्तर तक व्याप्त है। इसकी गंभीरता से लगभग सभी अध्यापक एवं अधिकांश छात्र परिचित हैं। इस समस्या के हल के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से अनेकों उपाय सुझाए जाते रहे हैं। वर्तनी की समस्या से सम्बन्धित अनेको संगोष्ठियाँ आयोजित होती रही हैं, जिनमें इस समस्या के ऊपर विस्तार से विचार किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोग और प्रायोजन के रूप में भी लगभग सभी प्रमुख प्राथमिक, उच्चप्राथमिक, माध्यमिक एव उच्चमाध्यमिक विद्यालय इस समस्या को अध्ययन एवं निराकरण की दृष्टि से लेते रहे हैं। इधर नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण के रूप

मे भी इस समस्या के उत्पन्न होने के कारणों, प्रशुद्ध वर्तनी की विभिन्न स्थितियों तथा प्रशुद्ध वर्तनी को शुद्ध करके लिखने की प्रादत बनाने की दृष्टि से उपचारात्मक शिक्षण के प्रयास प्रारम्भ हुए हैं। यह सब होते हुए भी यह कहना कठिन है कि कितने प्रतिशत इस समस्या का समाधान हुप्रा है ?

इस महत्त्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रतीकारात्मक उपायों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है। यदि इन उपायों को ध्यान से प्रपनाया जाए और पर्याप्त मात्रा में समस्या के निराकरण हेतु प्रयत्न किए जाएँ तो प्रत्येक स्तर पर छात्रों की प्रशुद्ध वर्तनी लिखने की प्रादत में सुधार हो सकता है। प्रच्छा तो यह होगा कि इस समस्या के निराकरण हेतु उपचारात्मक कार्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर ही मुख्य रूप से किया जाए जिससे प्रागे चलकर यह समस्या विकराल रूप धारण नही कर सके।

1. स्व-संशोधन विधि—यदि बालक स्वयं प्रपनी वर्तनी सम्बन्धी प्रशुद्धियों को जान जायें तो वे प्रपने प्रयत्न द्वारा भी प्रपनी प्रशुद्धियाँ ठीक कर सकते हैं। इसके लिए प्रध्यापक को उनकी सहायता करनी होगी। बालक के स्वयं संशोधन के लिए निम्नलिखित तरीके उपयुक्त हैं :—

(क) कोश का उपयोग करके—लिखते समय यदि छात्र को किसी शब्द की वर्तनी के सम्बन्ध में किंचित् मात्र भी शंका हो, तो तुरन्त कोश का प्रयोग कर शब्द की शुद्ध वर्तनी देख लेनी चाहिए। प्रध्यापक द्वारा बतलाई गई प्रशुद्धियों का शोधन भी इस विधि से किया जा सकता है।

(ख) शुद्ध शब्द-सूची देखकर—प्रध्यापक द्वारा कक्षा के छात्रों द्वारा सामान्य त्रुटियों की एक शुद्ध शब्द सूची कक्षा में लगा दी जानी चाहिए। छात्र किसी शब्द के सम्बन्ध मे शका होने पर या प्रध्यापक द्वारा त्रुटि बतलाने पर इस शब्द सूची के प्राधार पर प्रपनी वर्तनी की त्रुटियों का संशोधन कर सकता है। स्वयं बालकों को भी 'स्व-वर्तनी संचिका' रखने को प्रादत डालकर प्रपनी प्रशुद्धियों को शुद्ध करने की प्रेरणा दी जा सकती है।

(ग) प्रशुद्धियों का स्वतः निरीक्षण करके—बालक कुछ प्रशुद्धियाँ प्रसावधानी-वश भी करता है, यदि उसमें यह प्रादत डाली जाए कि वह लेख समाप्त करने के पश्चात् स्वयं ध्यानपूर्वक पढ़े तो इस प्रकार की प्रशुद्धियों का निवारण प्रासानी से हो सकता है। ऐसा करने से उसे ज्ञात हो जाएगा कि वह वर्तनी सम्बन्धी किस प्रकार की प्रशुद्धियाँ करता है और तब वह स्वयं ही उन्हें शुद्ध करने में समर्थ होगा।

2. शुद्ध उच्चारण का प्रभ्यास [illegible] उच्चारण के कारण भी करता है। इस [illegible]
को सबसे पहले प्रपने उच्चारण पर [illegible]
समय पूर्णतः सावधान रहना चाहिए क्योंकि उसकी किंचित प्रसावधानी से [illegible]
[illegible] के प्रनेक छात्रों का उच्चारण प्रशुद्ध हो जाता है। कक्षा में हिन्दी पढ़ाते समय

अध्यापक को कठिन शब्दों की ओर विशेषतः संयुक्त वर्ण वाले शब्दों का शुद्ध उच्चारण बतलाना चाहिए और छात्रों से सामूहिक रूप में उनका उच्चारण कराना चाहिए। छात्रों का उच्चारण शुद्ध करने के लिए उन्हें यह भी बतलाया जाना चाहिए कि किस वर्ण का मुख के किस स्थान से उच्चारण किया जाता है।

३. प्रतिलिपि और श्रुतलेख अभ्यास कराकर—सुलेख का अभ्यास और श्रुतलेख की व्यवस्था वर्तनीगत अशुद्धियों के निवारण के लिए अति आवश्यक है। सुलेख अथवा श्रुतलेख के पश्चात छात्रों को अपने लिखे हुए भाग का पुस्तकों की सहायता से पुनः निरीक्षण करने का अवसर देकर स्वसंशोधन का अवसर भी दिया जा सकता है। इस विधि से बालक की त्रुटियों का संशोधन भी हो जाता है और अध्यापक का समय भी बच जाता है। इस विधि में एक बालक की उत्तर-पुस्तिका स्वयं उसी के द्वारा भी देखी जा सकती है और आपस में एक-दूसरे की उत्तर-पुस्तिका बदलकर दूसरे छात्रों द्वारा भी देखी जा सकती है।

4. व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराकर—हिन्दी व्याकरण के ज्ञान के अभाव में ही वर्तनीगत अशुद्धियाँ अधिक होती हैं। इसके निमित्त यह आवश्यक है कि बालकों के व्याकरण ज्ञान को पुष्ट किया जाय। नीचे लिखे नियमों के ज्ञान से बालकों की अशुद्धियाँ कम की जा सकती है :—

(क) जिन शब्दों के अन्त में 'ई' और 'ऊ' की मात्रायें होती है उनका बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत में 'ई' का 'इ' और 'ऊ' का 'उ' हो जायेगा। यथा लड़की–लड़कियाँ, स्त्री–स्त्रियाँ, विद्यार्थी–विद्यार्थियों, कठिनाई–कठिनाइयों, हिन्दू–हिन्दुओं, लड्डू–लड्डुओं, टट्टू–टट्टुवों।

(ख) अकारान्त और आकारान्त शब्दों का बहुवचन में ओकारान्त रूप अनुस्वारयुक्त होता है, जैसे, पहाड़–पहाड़ों, वृक्ष–वृक्षों, पुस्तक–पुस्तकों।

(ग) सहायक क्रिया 'है' का रूप एकवचन में 'है' और बहुवचन में 'हैं' होता है—जैसे वह जाता है, वे जाते हैं।

(घ) क्रिया का अन्तिम अक्षर 'ती' हमेशा दीर्घ होता है जैसे—कहती, चराती, खाती, गाती, जाती।

(च) कर्ता कारक 'मैं' निज बोध एकवचन 'मैं' होता है जब कि अधिकरण कारक 'में' भीतर अर्थबोध कराने वाला शब्द 'में' होता है जैसे, मैं घर जाता हूँ, घर में कौन है ?

(छ) दीर्घ स्वर आने पर यदि मात्रा ऊपर है तो पूर्ण अनुस्वार (ं) और यदि मात्रा ऊपर नहीं है तो चन्द्र बिन्दु (ँ) लगाना चाहिए जैसे, आँख, दाँत, कोपल, ईंधन आदि।

(ज) 'कि' संयोजक अव्यय दो वाक्यों को जोड़ने वाला है और 'की' विभक्ति सम्बन्ध कारक का चिह्न है—यथा राम ने कहा कि मोहन की पुस्तक मेरे पास है।

(झ) सम्बन्ध कारक का, की, के का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाय।

(1) वाक्य में यदि कर्म पुल्लिग एकवचन हो तो 'को' और बहुवचन हो तो 'के' का प्रयोग होता है।

(2) वाक्य में यदि कर्म स्त्रीलिंग हो तो 'की' का प्रयोग होता है जैसे—मोहन की गाय, राम का मटका, उन दोनों के लड़के।

(ट) आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द के अन्त में बहुवचन अवस्था में एँ' लगता है, जैसे, कविता–कविताएँ, महिला–महिलाएँ, सरिता–सरिताएँ।

(ठ) 'र' का प्रयोग :

(1) जब किसी आधे अक्षर में पूरा 'र' मिलता है तब उसे एक तिरछी रेखा (/) के समान लिखते हैं यथा—भ्रम, क्रम, प्रसंग, ग्रहण आदि।

(2) यही 'र' जब ट, ठ, ड और ढ में लगता है तब इसका चिह्न (‸) बन जाता है, जैसे—राष्ट्र, ड्रामा आदि।

(3) यही 'र' जब किसी पूरे अक्षर से मिलता है तो उसके ऊपर (ˆ) रेफ लग जाता है, जैसे—धर्म, कर्म, अर्थ आदि।

(ड) जब किसी संज्ञा शब्द में 'इक' प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाते हैं तो उसके आदि का 'अ' स्वर 'आ' में बदल जाता है, जैसे—समाज से सामाजिक, समय में सामयिक, धर्म से धार्मिक आदि।

(ढ) वर्णों को संयुक्त करने का ज्ञान देकर—संयुक्त वर्णों वाले कुछ शब्द को छात्र इसलिए अशुद्ध लिखते हैं क्योंकि वे वर्णों को संयुक्त करना नहीं जानते है। इस प्रकार की अशुद्धियों के निराकरण के लिए छात्रों को नागरी लिपि का पूर्ण ज्ञान देना चाहिए और वर्णों के संयुक्त करने के नियमों से उन्हें परिचित कराना चाहिए।

(त) आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द के अन्त में बहुवचन अवस्था में 'एँ' लगता है, जैसे—कविता से कविताएँ महिला से महिलाएँ, सरिता से सरिताएँ।

(थ) आंग्ल भाषा के ऐसे शब्द जिनमें 'i' वर्ण का प्रयोग होता है; उन शब्दों को जब हम नागरी लिपि में लिखेंगे तो उस समय 'i' के स्थान पर 'इ' का प्रयोग किया जाएगा। जैसे—Hike को 'हाइक', Pipe को 'पाइप' Acting को 'एक्टिंग' आदि।

5. शब्द-युग्म-अर्थभेद बताकर—हिन्दी भाषा से अनेक शब्द ऐसे है जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है। इन शब्दों की वर्तनी बालक सामान्यतः अशुद्ध ...ने है। इस प्रकार की अशुद्धियों के निवारणार्थ यह आवश्यक है कि अध्यापक ... सामने उन शब्दों का विश्लेषण कर अर्थभेद कर वर्तनी का परिष्कार ..., सुर–सूर, वाहर–बहार, शर–सर, परिणाम–परिमाण।

6. अध्यापक द्वारा संशोधन—छात्रों द्वारा किए गए कार्य का अध्यापक द्वारा नियमित संशोधन किया जाना चाहिए और वर्तनीगत अशुद्धियों की ओर विशेष रूप से उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए उनसे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में बार-बार लिखना चाहिए। अध्यापक छात्रों के कार्य का कम से कम समय मे परिमार्जन किस प्रकार उचित ढग से करे इसके लिए निम्नलिखित सुझाव उपयुक्त है:—

(क) छात्रों द्वारा की जाने वाली अशुद्धियों को चिह्नित कर अध्यापक उनके शुद्ध रूप एक स्थान पर स्पष्ट रूप से लिख कर लगा दे तो बालक स्वय उन सूचियों से अपनी अशुद्धियों का शोधन कर लेंगे।

(ख) सप्ताह मे एक या दो बार संयुक्ताक्षरों, कठिन शब्दो को श्रुतलेख के रूप में लिखाकर बालकों की उत्तर पुस्तिकाओं को एक-दूसरे को देकर उनका शोधन कराया जा सकता है। प्रत्येक कक्षा में पहले दो महीनों में वर्तनीगत अशुद्धियों का निदान कर योजनाबद्ध ढग से उनका उपचार किया जाना चाहिए। अच्छा हो, यदि बहुत लम्बे समय से अशुद्ध वर्तनी लिखने की आदत रखने वाले छात्रों का निदान नैदानिक प्रश्नपत्रों के द्वारा किया जावे। सामान्य अशुद्धियो को उनके शुद्ध रूप सहित अकारादि क्रम से लिखवाकर कक्षा में किसी उचित स्थान पर लगवा दिया जाना चाहिए जिससे बालक उन्हें बार-बार देखकर सही वर्तनी लिखने की आदत डाल सकें।

(ग) कुछ बालक विशेष कारणों से वर्तनी की अशुद्धियाँ करते हैं। उन पर विशेष ध्यान देकर अध्यापक को नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

7. शब्द-खेल क्रीड़ा प्रतियोगिता—बालक क्रीड़ाप्रिय होता है। खेल ही खेल में वह बहुत-सी बातें सीख जाता है; अतः प्रारम्भिक अवस्था में बालको से शब्द-निर्माण सम्बन्धी खेल कराने चाहिए। नीचे वर्तनी सम्बन्धी तीन खेलों का उल्लेख किया जा रहा है। इन खेलों का प्रयोग विद्याभवन में आयोजित 'हिन्दी वर्तनी कार्यगोष्ठी' के अवसर पर किया गया था और वर्तनी सुधार में ये तीनों ही खेल बहुत सफल रहे।

खेल सं. 1:—स्काउटिंग के खेल 'किम्स गेम' के आधार पर वर्तनी किम-खेल की व्यवस्था की गई। इस खेल का कक्षा 5 के 7 छात्रों पर प्रयोग किया गया था। सबसे पहले समान रूप से अशुद्ध मिलने वाले 15 शब्दों का चयन किया गया। इन 15 शब्दों को श्यामपट्ट पर लिख दिया गया था। प्रति शब्द 10 सैकण्ड के हिसाब से ये शब्द छात्रों के समक्ष उनके शुद्ध रूप सहित अनावृत किये गये। उपयुक्त समय के पश्चात् श्यामपट्ट पर आवरण डाल दिया गया और देखे हुए शब्दों के शुद्ध रूपों को अपनी संचिकाओं में लिखने को कहा गया। यही क्रम दो बार और दोहराया गया। तीनों अनावरणों के परिणाम इस प्रकार रहे :—

प्रथम—छात्रों ने अशुद्ध शब्दों के लगभग 25% शब्द शुद्ध लिखे।

द्वितीय—छात्रों ने अशुद्ध शब्दों के लगभग 50% शब्द शुद्ध लिखे।

तृतीय—छात्रों ने अशुद्ध शब्दों के लगभग 84% शब्द शुद्ध लिखे।

संयोजक का अनुमान था कि "एक दो बार यदि और अभ्यास देते तो संभव है कि छात्र शत-प्रतिशत शुद्ध रूप लिख लेते।"

खेल सं. 2:—दोषपूर्ण शिक्षण विधि के कारण कई बार छात्रों में कुछ अक्षरों के प्रयोग के सम्बन्ध में भ्रम रह जाता है। प्रायः निम्नलिखित अक्षरों के सम्बन्ध में भ्रम रहता है:

व–ब, र–ऋ, भ–म, ग–घ, न–ण, ड–ड़, ढ–ढ़, स–श, आदि। इस प्रकार की संशयपरक त्रुटियों के निवारण हेतु एक खेल का प्रयोग किया गया। श्यामपट्ट पर नीचे लिखे अनुसार दो वृत्त बनाकर छात्रों से शब्द-पूर्ति तथा शब्दोच्चारण का कार्य करवाया गया। छात्रों को दो समूहों में बाँटकर, कौन समूह अधिक शब्द लिख सकता है, इसकी स्पर्द्धा करवाई गई। इसी प्रकार उचित वर्ण द्वारा शब्द-पूर्ति की भी स्पर्द्धा रखी गई। इन स्पर्द्धाओं के फलस्वरूप पाया गया कि वर्तनी-सुधार में और विशेषकर संशयग्रस्त स्थलों पर खेल विधि उपादेय सिद्ध हो सकती है। अन्त्याक्षरी, अक्षर-पूर्ति आदि अन्य खेल भी इस सम्बन्ध में उपयोगी हो सकते हैं।

खेल सं. 3 —विद्याभवन की नवी कक्षा के दो छात्रों पर इस खेल का प्रयोग किया गया था। चलचित्र पर आधारित रचनाओं में एक छात्र ने 6 अशुद्धियाँ कीं तथा दूसरे ने 20 अशुद्धियाँ कीं। इन अशुद्धियों को विधिवत् वर्गीकृत किया गया तथा उनके निवारण के लिए जो प्रयोग किया गया वह निम्नांकित प्रकार का था:— छात्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं में चिह्नित अशुद्धियों में से एक-एक अशुद्धि को क्रमशः श्यामपट्ट पर अंकित किया गया। सम्बन्धित छात्र के समक्ष अशुद्ध और शुद्ध रूप को साथ-साथ रखकर तुलना करवाई गई। तत्पश्चात् शब्द के अन्तर्गत छात्र द्वारा लिखे गए अशुद्ध अंश को रंगीन चॉक द्वारा शुद्ध रूप में श्यामपट्ट पर लिखा गया। तत्पश्चात् छात्र को उस शब्द पर कुछ क्षणों के लिए ध्यान केन्द्रित करने हेतु कहा गया। इसके बाद कहा गया कि वह नेत्र बन्द करके शब्द का चित्र अपने मानस-पटल पर करने का प्रयत्न करे। तत्पश्चात् छात्र से कहा गया कि वह अध्यापक द्वारा एवं लिखित उसी शब्द का ठीक-ठीक अनुकरण करे। शुद्ध उच्चारण और

शुद्ध लेखन के बाद शब्द को वाक्य में प्रयोग कराया गया। अभ्यास के लिए समान शब्दों के उच्चारण तथा लेखन का अभ्यास कराया गया। इसी प्रकार सभी अशुद्धियों का परिष्कार करवाया गया।

दूसरे दिन पहले के अशुद्ध लिखे शब्दों पर आधारित स्वनिर्मित श्रुतलेख दिया गया। परिणामस्वरूप यह देखा गया कि सम्बन्धित छात्रों ने सभी शब्दों को सही लिखा।"*

8. **शारीरिक दोषों का उपचार**—जो छात्र तुतलाते या हकलाते हैं अथवा वाणी अथवा श्रवणेन्द्रिय में अन्य प्रकार का कोई दोष हो तो वाणी विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सकों द्वारा उनका परीक्षण कराया जाना चाहिए; तभी उचित उपचार संभव है।

ऊपर दी गई उपचारात्मक विधियों में से कौनसा तरीका उपयुक्त है, इस बात का निर्णय अध्यापक द्वारा ही अपनी कक्षा के बालकों की वर्तनीगत अशुद्धियों के कारणों का निदान करना चाहिए। अध्यापक बालकों की आवश्यकता, कठिनाइयों आदि के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन कर इन्हें अपने लिए अधिक उपयोगी बना सकता है।

मूल्यांकन :

किसी भी कार्य को कुछ उद्देश्यों को ध्यान मे रखकर किया जाता है। वर्तनी शुद्धि का कार्य भी बालक की अभिव्यक्ति को सशक्त, भावानुरूप और प्रभावशाली बनाने के लिए करना होता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि वर्तनीशुद्धि का कार्य करने के पश्चात् उसका मूल्यांकन भी किया जावे जिससे यह देखा जा सके कि निर्धारित उद्देश्यों में कहाँ तक सफलता मिल पाई है। मूल्यांकन को उद्देश्यनिष्ठ और विश्वसनीय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बालक की जिन वर्तनीगत भूलों को सुधारने का हमने प्रयत्न किया है उन्हीं को अनेक रूपों में बालक को लिखने का अवसर देकर उसका मूल्यांकन करें। इसलिए यह आवश्यक है कि निदान के समय जिन वर्तनीगत भूलों का चुनाव कर सुधार का प्रयास किया गया उन्ही शब्दों अथवा

---

* सेवा प्रसार विभाग, 'विद्याभवन गोविन्दराम सेवसरिया टीचर्स कॉलिज, उदयपुर, पृ० सं० 17 से 20 तक

उसी प्रकार के अन्य शब्दों का समावेश कर अनेक गद्यांश बनाए जायें और उनका श्रुतलेख लिखकर बालकों की भूलो के निराकरण का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस प्रकार के गद्यांश अध्यापक को अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार स्वयं ही बनाने चाहिएँ तभी वे अधिक उपयोगी होंगे।

वर्तनीगत भूलों के लिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सहारा भी लिया जा सकता है। इस प्रकार के कुछ प्रश्न नीचे अभ्यास के प्रश्नों में दिए जा रहे हैं।

अभ्यास के प्रश्न

1. शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता और उसके महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
2. वर्तनी-सम्बन्धी अशुद्धियों के क्या-क्या कारण हैं ?
3. वर्तनी-सम्बन्धी अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं ?
4. वर्तनी-सम्बन्धी भूलों के निराकरण के उपायों पर प्रकाश डालिये।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. 'मर्द' का अर्थ देने के लिए कौनसी वर्तनी शुद्ध है ?
   (क) परुष (ख) पुरुष (ग) पुरुश (घ) पुरस
   (च) परुश। ( )

2. कौनसी वर्तनी शुद्ध है ?
   (क) पूजनिय (ख) पूज्यनीय (ग) पुज्यनीय (घ) पुजनीय
   (च) पुजनिय। ( )

3. नीचे कुछ शब्दों की वर्तनी शुद्ध है कुछ की अशुद्ध। सभी शब्दों को उनके सामने के स्थान पर शुद्ध रूप में लिखो :—
   (क) प्रार्थना ....
   (ख) आविश्कार ....
   (ग) कन्ठ ....
   (घ) पदियनी ....
   (च) मात्रिभूमि ....

4. नीचे लिखे वाक्यों के लिए कोष्ठांकित शब्दों में से कौनसा शब्द उपयुक्त है ?
   (क) शरीर के विभिन्न........ .. ..अपना कार्य निरन्तर करते हैं ?
   (अव्यय/अवयव)
   (ख) अध्यक्ष महोदय ने अन्त में सबको पारितोषिक ....किए।
   (प्रदान/प्रधान)
   (ग) हरि/हरी घास पर बैठकर सबका मन प्रसन्न होता है।
   (घ) वह लम्बी बीमारी से .... हो गया है।
   (असक्त/अशक्त)

5. नीचे लिखे शब्दों को उनके सामने लिखे वर्ण मे से वर्ण चुनकर सही रूप में लिखिए :—

(क) प्र सा (सं/शं) ....

(ख) मिल (शा/सा) ....

(ग) निरा (प/श) ....

(घ) भा यो (इ/यि) ....

(च) ग्रोज वी (स/श) ....

6 नीचे लिखे शब्दों में से कुछ में वर्ण का लोप हुआ है और कुछ में अनावश्यक वर्ण आ गया है। सभी शब्दों को शुद्ध करके लिखिए :—

(क) ततपश्चात ....

(ख) आकर्षित ....

(ग) कवड़ी ....

(घ) खण्डरों ....

(च) त्यारियाँ ....

7. नीचे लिखे शब्दो के बहुवचन उनके सामने के रिक्त स्थान मे लिखो :—

(क) लड़की.................. (ख) हिन्दू..................

(ग) अच्छाई.................. (घ) टट्टू..................

(च) शिक्षार्थी..................

8. नीचे कुछ संयुक्ताक्षर लिखे हुए हैं। उनमें से कुछ शुद्ध और कुछ अशुद्ध हैं। सभी के शुद्ध रूप उनके सामने के रिक्त स्थान पर लिखो :—

(क) ब्राम्हण ....

(ख) डिस्ट्रिक्ट ....

(ग) आर्शीवाद ....

(घ) मुश्किल ....

(च) विद्वान ....

5 वाक्य-परिचय एवं वाक्य-रचनागत भूलों का निराकरण

विचारणीय बिन्दु :

1. रूप एवं अर्थ दोनों दृष्टियों से वाक्यों के भेद।
2. उपवाक्य एवं पदबन्ध।
3. वाक्य-रचनागत भूलें—व्याकरण की भूल—(लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं क्रिया) अनावश्यक शब्द, शब्द-क्रम, शब्द-विकार, शब्द-प्रयोग।
4. वाक्य-रचनागत भूलों के निराकरण से सम्बन्धित कुछ नियम।
5. हिन्दी के स्वाभाविक वाक्यों के कुछ साँचे (शुद्ध रूप में)

वाक्य क्या है ?

वाक्य कम से कम दो पदों का (जिनमें एक कर्त्ता पद और दूसरा क्रिया पद होगा) ऐसा समूह है (क) जिसके पहले और बाद में अपेक्षाकृत लम्बा मौन रखा जा सके। (ख) जिसके अंत में आवाज का पिच सामान्य से अपेक्षाकृत नीचा या ऊँचा हो। (ग) जिसके पदों की रचना पर किसी अन्य बाहरी शब्द समूह का प्रभाव न पड़ रहा हो और (घ) लिखित रूप में जिसके अंत में पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक या आश्चर्य-बोधक चिह्न हो और जिसके पहले या तो इन्हीं चिह्नों में से कोई हो या फिर (अनुच्छेद के प्रारम्भ में) खाली स्थान हो। —श्री अनिल विद्यालंकार

पूर्ण विचार द्योतक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य उस पद समूह को कहते हैं जो (श्रोता के प्रति) वक्ता के वक्तव्य भाव के बोधन में समर्थ हो।

—माधव प्रसाद पाठक

वाक्य रूप या रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं—

1. सरल वाक्य	2. मिश्र वाक्य	3. संयुक्त वाक्य
बस एक उपवाक्य)	एक प्रधान एवं कम से	कम से कम दो प्रधान
...म नाम पर	कम एक आश्रित उपवाक्य	उपवाक्य
।	राम ने कहा कि मैं एक किताब खरीदूँगा।	राम पढ़ता है और श्याम गाता है।

उपवाक्य :

यह किसी वाक्य का एक अंश होता है परन्तु उसमें कर्त्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। जिस वाक्यांश में कर्त्ता और क्रिया न रहे, वह वाक्य का अंश तो होता है परन्तु उपवाक्य नहीं।

उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं—प्रधान और आश्रित।

आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं—संज्ञा, विशेषण एवं क्रिया-विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य प्रत्येक उपवाक्य में एक ही होता है; अतः उसके भेद नहीं होते हैं।

संज्ञा उपवाक्य—यह उपवाक्य कर्म या पूरक का कार्य करता है, जैसा कि संज्ञा करती है—

मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है।
प्रधान उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य
मेरी इच्छा है कि वह यहाँ आवे संज्ञा उपवाक्य
(इच्छा का पूरक)
पता चला है कि वह बीमार है। संज्ञा उपवाक्य

विशेषण उपवाक्य—ये उपवाक्य प्रधान उपवाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। ये उपवाक्य 'जो' या 'जितना' से आरम्भ होते हैं। "वे लोग; जो भाषण देते फिरते हैं, देश की सेवा नहीं कर सकते।" इस वाक्य में 'जो भाषण देते फिरते हैं' यह उपवाक्य विशेषण उपवाक्य है। क्योंकि प्रधान उपवाक्य में आई हुई संज्ञा 'लोग' की यह उपवाक्य विशेषता प्रकट कर रहा है।

क्रियाविशेषण उपवाक्य—इसमे काल, स्थान, रीति, परिमाण, कारण इनमे से किसी एक के द्योतक शब्द समूह का प्रयोग होता है।

काल : वह जब-जब आता है, मेरे लिए कुछ लाता है। 'लाने' की क्रिया का काल बतलाता है।
आश्रित

वह जब तक नहीं लौटेगा मैं यहाँ ही रहूँगा। 'रहूँगा' क्रिया का काल बतलाता है।
आश्रित

वह ज्यों ही आया त्यों ही वर्षा होने लगी। यहाँ 'होने लगी' क्रिया का काल रेखांकित उपवाक्य बतला रहा है।
आश्रित

स्थान : जहाँ अभी घर है वहाँ पहले गड्ढा था। 'था' क्रिया का स्थान रेखांकित उपवाक्य से प्रकट हो रहा है।
आश्रित

वह जिधर जाता है उधर ही उसका कुत्ता जाता है। 'जाता है' क्रिया का स्थान रेखांकित उप-वाक्य से प्रकट हो रहा है।

रीति : जैसे आदमी सुख-दुःख का अनुभव करता है, वैसे ही पेड़ पौधे भी करते हैं।

आश्रित प्रधान

परिमाण : तुम्हें जहाँ तक हो सके सभी की मदद करनी चाहिए।

आश्रित

आदमी ज्यों-ज्यों बढ़ता है त्यों-त्यों मृत्यु के समीप पहुँचता जाता है।

आश्रित

राम ने उतनी ही दवाई ली जितनी कि डाक्टर ने बतलाई थी।

आश्रित

कारण : मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है।

आश्रित

यद्यपि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है।

आश्रित

वह कठिन परिश्रम करता है, जिससे वह सफल हो सके।

आश्रित

संयुक्त उपवाक्य : राम पढ़ता है, पर श्याम खेलता है।

भाव तथा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार :

अर्थ या भाव को केन्द्र मानकर वाक्य की परिभाषा की गई है, यथा—वाक्य सार्थक पद योजना के अन्तर्गत अखण्ड इकाई में मानव विचारों की अभिव्यक्ति है। —डा० ब्रजवासी लाल श्रीवास्तव।

अभिव्यक्ति में वक्ता की परिस्थितियाँ तथा मानसिक स्थितियाँ प्रतिबिम्बित होती हैं। लिखित रूप मे वाक्य की अभिव्यक्ति करते समय बहुत सी बातें अभिव्यक्त नही हो पाती है। उसमें कुछ सीमा तक विराम चिह्न ही हमारी सहायता करते हैं, यथा:—

मोहन फल लाता है।	सामान्य
मोहन फल लाता है ?	प्रश्न
मोहन फल लाता है !	आश्चर्य

इस प्रकार वाक्य में राग तत्त्व का भी विशेष महत्त्व है। वाक्य की पूर्णता के लिए समस्त पद एक साथ बोलने आवश्यक हैं। हम एक पद बोलें और एक खा जायें तो अभिप्राय स्पष्ट नहीं होगा; अतः पदों मे आसक्ति, सन्निधि होनी चाहिए। ... , आकांक्षा तथा आसक्ति वाक्य के अनिवार्य तत्त्व हैं। बिना इनके वाक्य में ... नहीं आती।

भाव तथा अर्थ की दृष्टि से वाक्य अनेक प्रकार के होते हैं। सामान्यतः आठ ... के वाक्य स्वीकार किए गए हैं:—

विधि या विधानार्थक	—सामान्य प्रयोग, राम पुस्तक पढ़ता है।
निषेध-वाचक	—जिन वाक्यों में निषेध का भाव व्यक्त हो, इसके लिए प्रायः न, नहीं का प्रयोग किया जाता है। यथा—राम पुस्तक नहीं पढ़ता है।
आज्ञार्थक	—जिनके द्वारा आज्ञा दी जाय। यथा—"राम पुस्तक पढ़े।"
प्रश्नार्थक	जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न किया जाय क्या राम पुस्तक पढ़ता है?
विस्मयादि-बोधक	—जिन वाक्यों द्वारा आश्चर्य प्रकट हो। अरे! मोहन पुस्तक पढ़ रहा है।
संदेहात्मक	—कार्य के होने में संदेह प्रकट हो। यथा—"वह आता होगा।"
इच्छा-बोधक	—जिन वाक्यों के द्वारा इच्छा, आशीष, या स्तुति का विधान हो; यथा—आपका भविष्य मंगलमय हो। आप शतायु हों।
संकेतार्थक	—अपेक्षा प्रकट हो। यथा—"यदि वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ तो आगे पढ़ने के लिए इंगलैंड जा सकेगा।"

उक्त सभी उदाहरण वाक्यों में पदों का परस्पर सम्बन्ध जानना आवश्यक है। इन विविध वाक्यों में शब्दों का क्रम विभिन्न होता है। प्रत्येक प्रकार के प्रचुर उदाहरण लेकर कक्षा मे प्रस्तुत कर उनका रूपान्तरण कराया जाना चाहिए। विशेष रूप से निषेध, आज्ञा, प्रश्नवाचक वाक्यों के रूपान्तरण का अभ्यास कराया जाना चाहिए।

वाक्य में आशय भेद के अवसर (विराम, सुर लहर)

लिखित रूप में तो विराम चिह्न ही वाक्यों की इकाई को स्पष्ट करता है। कहिए, कैसे हुआ जनाब का यहाँ आना? प्रश्न

सामान्यतः प्रश्नवाचक की सुर लहर – – – – ‾ ‾ आपका क्या नाम है? (उत्तरापेक्षी)

अन्य सुर लहर इस प्रकार हैं:—

संदिग्ध	:	उसने दिया होगा ‾ – ‾ – ‾ –
हाँ या ना उत्तरापेक्षी	:	उसे पैसे दे दूँ? ‾ – ‾ – ‾
उत्कण्ठा-सूचक	:	वह कब आया था? – ‾ – – –
विशेष अनुनय-विनय	:	इसे आप रखिए – ‾ – – –
अपूर्णता-सूचक	:	यदि ऐसी बात है ‾ – ‾ – – –

प्रश्न—विस्मय तथा निश्चय एक ही वाक्य में विभिन्न रागों से प्रकट किए जाते हैं। यथा— लड़की सुन्दर है, लड़की सुन्दर है। लड़की तो सुन्दर है।

नोट—सुर लहर के प्रतीक (–) चिह्न निम्नांकित स्थिति को उच्चारण के समय प्रकट करते हैं : (–) चिह्न ऊपर है तो स्वर ऊँचा है यह प्रकट करता है। मध्य स्थान पर है तो (–) यह चिह्न उच्चारण के समय स्वर की सामान्य स्थिति व नीचे (–) यह चिह्न जाता है तो उच्चारण के समय स्वर की धीमी गति को प्रकट करता है।

एकाक्षरी वाक्य—न, हाँ, जो

एकपदीय वाक्य—जाओ, बैठो

वाक्यों में शब्द, पद, पदबन्ध और उपवाक्य की अधिकतम सीमा निर्धारित नही की जा सकती है।

पदबन्ध—एक से अधिक ऐसे पदों का समूह जो अर्थ की दृष्टि से जुड़े हों और मिलकर एक ही व्याकरणिक कार्य कर रहे हों यथा—मकान बनाने मे काम आने वाली लकड़ी मँहगी है। इमारती लकड़ी मँहगी है।

मोहन सिंह के चचेरे लड़के ने अपनी चचेरी बहन की शादी मे बहुत काम किया।

पदबन्ध निम्न प्रकार के हो सकते हैं—

संज्ञा पदबन्ध, सर्वनाम पदबन्ध, विशेषण पदबन्ध, अव्यय पदबन्ध, क्रिया सदा पद के रूप मे रहती है पदबन्ध के रूप मे नही आती है।

वाक्य के विश्लेषण मे पदबन्ध हमारी बहुत सहायता कर सकता है। इससे शब्दों और पदों का पारस्परिक सम्बन्ध समझना आसान हो जाता है।

अव्यय पदबन्ध (1) सामने के मकान मे।
(2) अपने से बड़ों के सामने।
(3) गोली लगने की जगह पर।
(4) उसके मन में।
(5) उसके कान के पास से।

कर्त्ता के रूप में प्रयुक्त संज्ञा पदबन्ध (1) चिलचिलाती धूप मे पत्थर तोडती स्त्री।
(2) चुनाव के दिनों मे बड़े-बड़े आश्वासन देने वाले नेता।

पद और पदबन्ध के प्रत्यय को समझने के बाद में सरल वाक्यों का 'वाक्य विश्लेषण' करना आसान हो जाता है।

वाक्य-रचनागत सामान्य भूलें :

बहुत लम्बे-लम्बे वाक्य बनाते समय कर्त्ता और क्रिया के समनुसार में भूल हो जाती है।

वाक्य में पद या पदबन्धों का क्रम बदल देने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है।

अशुद्ध—तुम्हारे लिए उसके कहे अनुसार ही मैं कार्य करूँगा।

अशुद्ध—कुछ जानने के लिए हमने उसे थोड़ा परेशान किया।

शुद्ध वाक्य—उसके कहे अनुसार ही मैं तुम्हारे लिए कार्य करूँगा।
शुद्ध वाक्य—हमने कुछ जानने के लिए उसे थोड़ा परेशान किया।

हिन्दी की वाक्य-रचना यों तो बड़ी सरल है। छोटे साधारण वाक्यों में प्रायः भूल भी नहीं होती, परन्तु लम्बे अथवा मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में बहुधा भूल हो जाती है। इन भूलों को निम्न श्रेणियों में रख सकते हैं :—

(अ) व्याकरण की भूल—लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं क्रिया का सम्यक् प्रयोग।

(आ) शब्द-क्रम

(इ) शब्द-विकार

(ई) प्रयोग

विभिन्न भाषाओं में अर्थ व्यक्त करने का ढंग अलग-अलग होता है। हिन्दी में उसी बात को हम एक ढंग से कहेंगे और अंग्रेजी में दूसरे ढंग से कहेंगे। आजकल हिन्दी में अंग्रेजी वाक्य-रचना का ढंग अनजाने में ही बहुत-कुछ अपनाया जाने लगा है जो हिन्दी की स्वाभाविक वाक्य-रचना की दृष्टि से अशुद्ध है।

लिंग सम्बन्धी दोष—हिन्दी में हर-एक शब्द का लिंगत्व परम्परा से माना हुआ है। अज्ञान के कारण या अपनी बोली के प्रभाव के कारण बालक स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग और पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाकर लिख देते है। जब विदेशी शब्दों का हिन्दी में प्रयोग करते हैं तब भी ऐसी गलती हो जाती है। कभी-कभी उपमा देते समय या तुलना करते समय भी ऐसी गलती होती है।

अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
आप जैसी विद्वान् मुश्किल से मिलती हैं।	आप जैसे विद्वान् मुश्किल से मिलते हैं।
बुरे आदत मत सीखो।	बुरी आदत मत सीखो।
तुम्हारा लड़की हाथी जैसी मोटी है।	तुम्हारी लड़की हाथी जैसी मोटी है।
रमेश ने एक बकरी खरीदा।	रमेश ने एक बकरी खरीदी।

ऊपर के तीन वाक्यों में क्रिया और विशेषण का लिंग कर्ता के अनुसार होने पर वाक्य लिंग की दृष्टि से सही माना जावेगा, परन्तु कर्ता के साथ 'ने' परसर्ग लगने पर क्रिया का लिंग कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होने पर ही वाक्य शुद्ध माना जाता है।

वचन-सम्बन्धी दोष :

छात्रों को प्रायः यह पता नहीं होता कि किसी भी शब्द के साथ यदि को, से, के लिए, में, पर, कारक चिह्न आ रहे हों तो बहुवचन में उसके रूप में 'ओं' लग जाता है। जैसे—

गरीब—गरीबों को, गरीबों से, गरीबों के लिए, गरीबों में, गरीबों पर
माता—माताओं को, माताओं से, माताओं के लिए, माताओं में, माताओं पर

वाक्य में जब कभी दो संज्ञा शब्द साथ-साथ प्रयुक्त किये जाते हैं तब भी वचन सम्बन्धी भूल होने की स्थिति आ जाती है। यथा—

अशुद्ध—आज हमें विचारों और अनुभव में क्रान्ति लाने की आवश्यकता है।

शुद्ध—आज हमें विचारों और अनुभवों में क्रान्ति लाने की आवश्यकता है।

कभी-कभी वाक्य में बहुवचन वाचक विशेषण लगाने पर क्रिया में बहुवचन का चिह्न नहीं लगाने की भूल प्रायः होती है :—

अशुद्ध—हम लोगों ने जीवन में बहुत से उतार-चढ़ाव देखा है।

अशुद्ध—यहाँ सब प्रकार की पुस्तक मिलती हैं।

शुद्ध—हम लोगो ने जीवन में बहुत से उतार-चढ़ाव देखे है।

शुद्ध—यहाँ सब प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं।

कभी-कभी एकवचन का वाचक विशेषण लगाकर वाक्य मे क्रिया को बहुवचन रख देते हैं :—उसके प्रत्येक वाक्य सत्य सिद्ध हुए हैं। (अशुद्ध)

उसका प्रत्येक वाक्य सत्य सिद्ध हुआ है। (शुद्ध)

कभी-कभी ऐसा भी होता कि बहुवचन वाचक विशेषणों में भी बहुवचन का चिह्न लगा देते हैं :—

अनेकों लोग मेरे दुश्मन है। अशुद्ध

अनेक लोग मेरे दुश्मन है। शुद्ध

कइयों लड़कियों ने परीक्षा नही दी है। अशुद्ध

कई लड़कियों ने परीक्षा नही दी है। शुद्ध

पुरुष सम्बन्धी भूलें :

नीचे के वाक्यो को देखिए :—

हमने हमारी पुस्तकें बेच दी। अशुद्ध

हमने अपनी पुस्तकें बेच दी। शुद्ध

मैंने कल घर जाना है। अशुद्ध

मुझे कल घर जाना है। शुद्ध

लड़के ने उसकी पुस्तक खो दी है। अशुद्ध (यदि अभिप्राय स्वयं से है तो)

लड़के ने अपनी पुस्तक खो दी है। शुद्ध

वह ने मिठाई खाई। अशुद्ध

उसने मिठाई खाई। शुद्ध

वह का भाई मेरा दोस्त है। अशुद्ध

उसका भाई मेरा दोस्त है। शुद्ध

मुझे आप दोनों एक जैसे हैं। अशुद्ध

मेरे लिए आप दोनों एक जैसे हैं। शुद्ध

उसने मुझसे बहुत गलत बोला। अशुद्ध

वह मुझसे बहुत गलत बोला। शुद्ध

ऊपर के वाक्यों में कुछ प्रयोग तो बोलने की असावधानी के कारण अशुद्ध हो जाते हैं। कुछ हिन्दी व्याकरण की सही जानकारी न होने से अशुद्ध हो जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों के बोलने में यदि उनकी क्षेत्रीय बोली का प्रभाव है तो उन्हें उनकी क्षेत्रीय बोली और हिन्दी में पुरुष के प्रयोग सम्बन्धी अन्तर को स्पष्ट किया जावे। इसके अतिरिक्त उन्हें हिन्दी व्याकरण के नियम बतलाये जावें।

कारक एवं विभक्ति तथा क्रिया के सम्यक् प्रयोग सम्बन्धी भूलें :

नीचे लिखे कुछ वाक्य देखिए :—

बिना अच्छा योग्यता के तुम्हें नौकरी मिलना मुश्किल है। अशुद्ध

बिना अच्छी योग्यता के तुम्हें नौकरी मिलना मुश्किल है। शुद्ध

हमारी स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। अशुद्ध

हमारे स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। शुद्ध

धौलपुर के राजे ने कल भाषण दिया। अशुद्ध

धौलपुर के राजा ने कल भाषण दिया। शुद्ध

ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने कारक रूप के अनुसार ठीक नहीं हैं। हिन्दी वाक्य में विशेष बात यह है कि किसी शब्द के बाद यदि ने, को, से, के लिए, आदि कारक चिह्न आयें तो उस शब्द के तथा उससे सम्बन्धित सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है।

कभी-कभी विद्यार्थी कारक चिह्नों और अव्ययों में अन्तर नहीं करते जिससे उनके वाक्य का अर्थ भ्रष्ट हो जाता है :—

उसके सिर के अन्दर बाल घने हैं।

उसके सिर पर बाल घने हैं।

राम के ऊपर तुम्हारे बहुत ऐहसान हैं।

राम पर तुम्हारे बहुत ऐहसान हैं।

कुछ गलत प्रयोग स्थानीय बोली के प्रभाव के कारण आदत में आ जाते हैं; कुछ व्याकरण की जानकारी न होने के कारण भी हो जाते हैं। अतः आवश्यक यह है कि एक-एक चिह्न के जितने भी ठीक-ठीक प्रयोग हैं उनका ज्ञान विद्यार्थियों को कराना चाहिए। विद्यार्थियों के वाक्यों का विश्लेषण करके उनकी भूलें उन्हीं से सुधरवानी चाहिए।

शब्द-क्रम शब्द-विकार एवं शब्द प्रयोग सम्बन्धी भूलें—

हिन्दी की स्वाभाविक वाक्य रचना में शब्दों का क्रम प्रायः सुनिश्चित है। परन्तु अपनी स्थानीय बोली और अंग्रेजी वाक्य रचना के प्रभाव के कारण क्रम सम्बन्धी भूलें बहुत पढ़े-लिखे और अपने-आपको हिन्दी का विद्वान् व्यक्ति भी करते हैं।

शब्द-क्रम सम्बन्धी अशुद्धियाँ :

यथा— 1. मैंने पढते हुए दो कुत्तों को देखा । अशुद्ध
जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने दो कुत्तों को देखा । शुद्ध

2. एक दिन सन्ध्या समय मेरे मित्र मेरे यहाँ बैठे हुए शब्दों और उनके अर्थों की चर्चा कर रहे थे । अशुद्ध
एक दिन सन्ध्या समय मेरे यहाँ बैठे हुए मेरे मित्र शब्दों और उनके अर्थों की चर्चा कर रहे थे ।

3. बहुत-से रूस के विद्वान यहाँ आये है । अशुद्ध
रूस के बहुत-से विद्वान यहाँ आये है । शुद्ध

4. उसने एक मोती का हार खरीदा । अशुद्ध
उसने मोती का एक हार खरीदा । शुद्ध

5 दो हवाई-जहाज एक-दूसरे का पीछा कर रहे हैं । अशुद्ध
एक हवाई जहाज दूसरे का पीछा कर रहा है । शुद्ध

6. मक्खियाँ मधु कोष से निकालती हैं । अशुद्ध
मक्खियाँ कोष से मधु निकालती है । शुद्ध

7. मानव समाज सृष्टि के आरम्भ से ही इतना सुरक्षित नही था । अशुद्ध
सृष्टि के आरम्भ से ही मानव समाज इतना सुरक्षित नही था । शुद्ध

8. कुत्ता एकलव्य का काला और भयानक शरीर देखकर भौंकने लगता है । अशुद्ध
एकलव्य का काला और भयानक शरीर देखकर कुत्ता भौंकने लगता है । शुद्ध

9. कृष्ण धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य के चरणों मे सिर झुकाते थे । अशुद्ध
धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य के चरणों में कृष्ण सिर झुकाते थे । शुद्ध

शब्द विकार एवं अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से सम्बन्धित अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध
1. इस विद्यालय मे एक लिपिक का स्थान बनाया जाना चाहिए ।	1. इस विद्यालय में एक लिपिक का स्थान होना चाहिए ।
2. मुझे रोजाना नौकर के साथ ले जाया जाता है ।	2. मुझे रोजाना नौकर के साथ पहुँचाया जाता है ।
3. मुझे रस्सी बाध कर नहीं रखा जा सकता है ।	3. मुझे रस्सी से बाँध कर नही रखा जा सकता है ।
आप यहाँ से वापस लौट चलिए ।	4. आप यहाँ से लौट चलिए या वापस चलिए ।

5. अपने-अपने घरों पर सावधानी से रहिये।	5. अपने-अपने घर पर सावधानी से रहिये।
6. श्रीसिंह मेरे अपने पिता हैं।	6. श्रीसिंह मेरे पिता हैं।
7. मैं जी में बेचैन हो रहा था।	7. मैं बेचैन हो रहा था।
8. वह मन में डरा करता है।	8 वह डरा करता है।
9. अपने हाथ से स्वयं काम करो।	9. अपने हाथ से काम करो।
10. आज कितने असंख्य लोग दु खी हैं।	10. आज असंख्य लोग दुःखी हैं।
11. वह प्रातःकाल के समय आया।	11. वह प्रातःकाल आया।
12. वह आज लौट कर वापस आ गया।	12. वह आज वापस आ गया।
13. इधर आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है।	13. इधर भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है।

शब्द-प्रयोग सम्बन्धी अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध
1. आज बहुत से लोग चरखे कातते हैं।	1. आज बहुत से लोग चरखा चलाते हैं।
2. उसने एक प्रश्न पूछा।	2 उसने एक प्रश्न किया।
3. मेरी सफलता ईश्वर की कृपा पर निर्भर करती है।	3. मेरी सफलता ईश्वर की कृपा पर निर्भर है।
4. मुझे आशा है कि मैं फेल हो जाऊँगा।	4. मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊँगा।
5. अपनी गलती के कारण वह दण्ड देने योग्य है।	5. अपनी गलती के कारण वह दण्ड पाने योग्य है।
6. शत्रु उस पर टूट गये।	6. शत्रु उस पर टूट पड़े।
7. घोड़े चार पैर रखते हैं।	7. घोड़े के चार पैर होते हैं।
8 आजकल चारों ओर निराशा की किरणें छाई हुई हैं।	8. आजकल चारों ओर निराशा का अन्धकार छाया हुआ है।
9. मेरे क्षमा माँगने पर पिताजी का शरीर गद्गद् हो गया।	9. मेरे द्वारा क्षमा माँगते ही पिताजी गद्गद् हो गए।
10. द्विवेदी जी का व्यक्तित्व एक महान् व्यक्तित्व है।	10. द्विवेदी जी का व्यक्तित्व महान है।
11. शीघ्र ही आन्दोलन एक देशव्यापी आन्दोलन हो गया।	11. शीघ्र ही यह आन्दोलन देशव्यापी हो गया।
12. जो कुछ आप जानते हों, बताइए।	12. जो आप जानते हैं, बताइए।

कर्तृवाच्य सा होता है परन्तु अर्थ कर्मवाच्य, जैसे तोड़ना का टूटना, उठाना का उठना, समझाना का समझना इत्यादि।

7. निषेधात्मक वाक्यों की क्रियाओं में सहायक क्रिया 'होना' के विकृत रूप का लोप हो जाता है। जैसे 'वह जाना चाहता है' का रूप होगा 'वह नहीं जाना चाहता।' किसी स्थान पर 'न' और 'नहीं' का विकल्प से प्रयोग होता है। अन्य कुछ स्थानों पर 'न' अथवा 'नहीं' में से किसी एक का ही प्रयोग शुद्ध हो सकता है। जैसे (1) मुहावरों में कुछ न कुछ, कोई न कोई, एक न एक। (2) वाक्यों में—जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम यहाँ ठहरना। मेरा वहाँ न पहुँचना अच्छा नहीं रहा। क्रिया के काल पर भी 'न' और 'नहीं' का प्रयोग निर्भर है तथा वर्तमान काल (सामान्य, तात्कालिक) अपूर्णभूत और आसन्नभूत में 'न' का प्रयोग नहीं हो सकता। मैं नहीं जाता, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाना चाहता, चक्की नहीं चल रही थी आदि प्रयोग शुद्ध हैं। संभाव्य भविष्यत्, क्रियार्थक संज्ञा, कृदन्त, विधि और संकेतार्थ कालों में 'नहीं' का प्रयोग नहीं होता। बदला न लेना कायरों का काम है। निषेधात्मक अर्थ में 'मत' का भी प्रयोग होता है।

प्रश्नवाचक के रूप में भी 'न' का प्रयोग होता है—'तुम आओगे न ?' और उत्तर में 'नहीं'। दोहरे क्रियाविशेषण समुच्चय-बोधक रूप में 'न' का प्रयोग होता है। जैसे—'न तुम आते और न यह विपत्ति खड़ी होती।' 'अंग्रेज व्यापार के लिए आये थे न कि देश जीतने के लिए।'

8. मिश्रित वाक्यों में यदि के साथ तो, जब के साथ तब, जहाँ के साथ वहाँ, जिसके साथ उस, जहाँ-जहाँ के साथ वहाँ-वहाँ आदि लिखना आवश्यक है।

9 'यदि' द्वारा जुड़े हुए वाक्यों में आश्रित वाक्य का आशय भविष्यत् काल का आशय होने पर भी भूतकाल की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे–यदि मैं गया तो तुमको भी साथ ले चलूँगा।

10. एक उपवाक्य के भीतर दूसरा उपवाक्य लिखने का चलन हिन्दी में नहीं है। कभी-कभी लोग विशेषण उपवाक्य को अंग्रेजी की तरह विशेष्य के ठीक पश्चात् लिख देते हैं और यदि विशेष्य विभक्तिपूर्ण हुआ तो विभक्ति को भी अलग कर देते हैं। जैसे–'उस घोड़े, जिसने मेरे लात मार दी थी, को मैंने बेच दिया।' इस वाक्य को इस प्रकार कहना या लिखना चाहिए "उस घोड़े को मैंने बेच दिया, जिसने मेरे लात मार दी थी।" इसी प्रकार से ये वाक्य भी अशुद्ध है—(1) मैं उसी घोड़े, जिसे मैंने बटेश्वर से मोल लिया था, पर बैठकर बाजार गया. यह मनुष्य उस देश, जहाँ जाड़े में वर्षा होती है, का निवासी है।

11. ही, गर, अपना, आप आदि शब्द तथा दोहरे प्रयोग और कर्म-वाच्य व कर्तृवाच्य क्रियाएँ हिन्दी की निजी निधि हैं। इनका प्रयोग बालकों को भाँति सिखा दिया जाय तो अर्थ में उत्कृष्टता भी हो जायगी और विदेशी भी बहुत कुछ रक्षा हो सकेगी।

हिन्दी के स्वाभाविक वाक्यों के कुछ साँचे (शुद्ध रूप में) :

(इनमें + का मतलब 'है' और – का मतलब 'नहीं')

1. कर्त्ता + ने + कर्म – को + क्रिया (कर्म के अनुसार)
   राम ने एक कहानी सुनाई।
2. कर्त्ता + ने + कर्म – को + या + कर्म – को + क्रिया।
   उसने बैल या गाय खरीदी।
   मैंने बकरी या बकरा खरीदा।
3. कर्त्ता+ने – कर्म+क्रिया (एकवचन पुल्लिंग)
   मंजु ने पूछा (यहाँ कर्त्ता+ने है और कर्म – (लुप्त) है+एकवचन की क्रिया है।
   लड़कियों ने पूछा (यहाँ कर्त्ता+ने – कर्म+क्रिया (एकवचन)
4. कर्त्ता+ने+कर्म+को+क्रिया एकवचन पुल्लिंग।
   मैंने लड़कों को देखा। (कर्म बहुवचन फिर भी क्रिया एकवचन)
   लड़कियों ने लड़कों को देखा।
5. कर्त्ता+ने+कर्म+को+निर्जीव कर्म+क्रिया (निर्जीव कर्म के अनुसार)
   मैंने मोहन को पत्र लिखा। (क्रिया का लिंग निर्जीव कर्म के अनुसार)
   मैंने मोहन को चिट्ठी लिखी। (क्रिया का लिंग निर्जीव कर्म के अनुसार)
6. कर्त्ता – ने+क्रिया (कर्त्ता के अनुसार)
   राम पढ़ता है। (कर्त्ता के बाद 'ने' नहीं होने से क्रिया का वचन व लिंग
   शीला पढ़ती है। कर्त्ता के लिंग व वचन के अनुसार है)
   लड़के पढ़ते हैं।
7. कर्त्ता – ने+क्रिया (आदर-सूचक व्यक्ति के एकवचन होने पर भी क्रिया
   पिताजी आ रहे हैं। बहुवचन की)
   माताजी आ रही हैं।
8. कर्त्ता+ने+क्रिया एकवचन (आदर-सूचक कर्त्ता होने पर भी 'ने' परसर्ग
   पिताजी ने भोजन किया। कर्त्ता के लगने के बाद क्रिया बहुवचन की
   माताजी ने हमको प्यार किया। नहीं होती)
9. सर्वनाम कर्त्ता+क्रिया (क्रिया पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों प्रकार की
   वह पढ़ता है। वक्ता के आशय के अनुसार)
   वह पढ़ती है।
   कोई पढ़ता है।
   कोई पढ़ती है।
   मैं पढ़ता हूँ।
   मैं पढ़ती हूँ।

10. कुछ सर्वनाम सदा एकवचन पुंल्लिंग रहते हैं। ये हैं—
    क्या, क्या-क्या, कुछ, जो कुछ, कुछ भी, सब कुछ, कुछ न कुछ
    अतः इनके साथ सदा पुंल्लिंग एकवचन क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए।
    जैसे—वहाँ क्या हो रहा है ?
    आज कुछ न कुछ जरूर होगा।
    वहाँ हमको क्या-क्या मिलेगा ?
    तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा ?
    जो कुछ भी तुम्हें कहना हो, जल्दी कहो।
    मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
    मेरा सब कुछ तुम्हारे पास है।
11. कर्त्ता – ने+कर्म+को+क्रिया कर्त्ता के अनुसार।
    लड़का लड़की को देखता है।
    लड़की लड़के को देखती है।
12. कर्त्ता+ने+कर्म+से+कर्म – को+क्रिया प्रधान कर्म के अनुसार।
    माताजी ने प्रभुदत्त से पत्र पढ़वाया।
    मैंने दर्जी से एक कमीज सिलवायी।
13. कर्त्ता – ने+कर्म+से+कर्म – को+क्रिया कर्त्ता के अनुसार
    लड़का लड़की से पत्र लिखवाता है।
    लड़की लड़के से पत्र लिखवाती है।
14. कर्त्ता+ने+सजीव कर्म+को+प्रेरणार्थक क्रिया एकवचन पुंल्लिंग
    लड़कियों ने लड़कों को खूब फटकारा।
    मोहन ने लड़कियों को खूब रुलाया।
15. कर्त्ता+को – कर्म+क्रिया एकवचन पुंल्लिंग
    सीता को जाना है।
    लड़कों को दौड़ना है।
16. कर्त्ता+को+कर्म+क्रिया कर्म के अनुसार
    राम को दवाएँ लेनी हैं।
    लड़कों को शतरंज खेलनी है।
17. कर्त्ता+से+क्रिया+नहीं जाना – क्रिया एकवचन पुंल्लिंग
    लड़कों से चला नहीं जाता है।
    बच्चों से रोया ही नहीं जाता है।
    कर्त्ता+से+कर्म – को+क्रिया कर्म के अनुसार
    मोहन से दूध नहीं पीया जाता है।
    रमेश से खिचड़ी नहीं खायी जाती है।

19. कर्त्ता – ने+विधि या आज्ञार्थक क्रिया (ऐसी क्रियाओं के वचन और पुरुष तो कर्त्ता के अनुसार होते हैं, पर लिंग नहीं)
    राम पढ़े।
    लड़कियां पढ़ें।
    लड़कियां खुश रहें।
    लड़का खुश रहे।
20. कर्त्ता+क्रिया+ने+सहायक क्रिया (लगना) कर्त्ता के अनुसार (लिंग वचन में)
    राम पढ़ने लगा है।
    सीता पढ़ने लगी है।
21. कर्त्ता – ने+मुख्य क्रिया+ने+सहायक क्रिया (वाला/वाली/वाले) कर्त्ता के अनुसार
    राम जाने वाला है।
    लड़कियां खाने वाली हैं।
    राधा कल नाचने वाली है।
22. कर्त्ता – ने+मुख्य क्रिया+सहायक क्रिया 'करना' (कर्त्ता के अनुसार) (एकवचन पुल्लिंग)
    सीता लिखा करती है।
    लड़कियां लिखा करती हैं।
    हम लोग खेला करते हैं।
23. कर्त्ता+को+मुख्य क्रिया+सहायक क्रिया 'देना/पड़ना' (एकवचन पुल्लिंग)
    मोहन को दिखाई नहीं देता।
    चाची को सुनाई नहीं पड़ता।
    लड़कियों को सुनाई नहीं देता।
24. कर्त्ता+को+कर्म – को+मुख्य क्रिया – (आई)+सहायक क्रिया (कर्म के अनुसार)
    मुझे वह चिड़िया दिखाई नहीं देती।
    लड़कों को वे गाने सुनाई नहीं देते।
    मोहन को लड़कियां दिखाई नहीं देतीं।
25. स्त्रीलिंग कर्त्ता – ने+और+स्त्रीलिंग कर्त्ता – ने+क्रिया (बहुवचन स्त्रीलिंग)
    लीला और रीना पढ़ती हैं।
    गीता और सीता सो रही हैं।
26. पुल्लिंग कर्त्ता – ने+और+पुल्लिंग कर्त्ता – ने+क्रिया बहुवचन (पुल्लिंग)
    रमेश और दिनेश पढ़ रहे हैं।
    अध्यापक और लिपिक अधिक वेतन की मांग कर रहे हैं।
27. एकवचन पुल्लिंग कर्त्ता – ने+और+एकवचन स्त्रीलिंग कर्त्ता – ने+क्रिया (बहुवचन पुल्लिंग)
    युवक और युवती एक-दूसरे की ओर देखने में मग्न थे।
    राजा और रानी भी मूर्च्छित हो गए।
    निचले स्तर के पुरुष और स्त्री दरिद्र थे।
    एक गाय और एक घोड़ा खेत में चर रहे हैं।

28 पुल्लिंग बहुवचन कर्त्ता – ने+और+स्त्रीलिंग बहुवचन कर्त्ता – ने +क्रिया बहुवचन पुल्लिंग
लड़के और लड़कियाँ आ रहे हैं।
बैल और गायें चर रहे हैं।

29. कर्त्ता+क्रिया+और+कर्त्ता
वहाँ राजा था और उसके मंत्री।
रोगी के कमरे में नर्स थी और डाक्टर।

30. सर्वनाम+सर्वनाम+और+सर्वनाम+क्रिया बहुवचन
मैं, तू और वे घर तक साथ चलेंगे।
हम, तुम और वह परीक्षा साथ देंगे।

31. कर्त्ता – ने+या/न....... न/+कर्त्ता – ने+क्रिया अन्तिम कर्त्ता के अनुसार
बैल या गायें चर रही हैं।
मेरी माताजी या पिताजी आ रहे हैं।
न वह और न मैं पढ़ रहा हूँ।
वहाँ न बिजली और न नल है।
ऐसे वाक्यों की बनावट बदल देने से क्रिया पहले कर्त्ता के अनुसार हो जाती है।
जैसे—न वह पढ़ता है और न मैं।
वहाँ न बिजली है और न नल।
उसकी आँखों में न आँसू थे, न होंठों पर क्रन्दन।

32 अविकारी क्रिया+कर्त्ता+क्रिया
सुना है, वह कल जाने वाला है।
कहा जाता है कि वह चोर है।
जान पड़ता है, वर्षा खूब होगी।
नोट—ऊपर के तीनों वाक्यों में रेखांकित क्रियाएँ पुल्लिंग हैं। इनका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता ही नहीं।

33. कर्त्ता+सदा स्त्रीलिंग रहने वाली क्रिया
आजकल उनकी खूब छनती है।
उसकी एक नहीं चली।
इन्हें दामों की ही पड़ी है।
उससे लम्बी तानी।
उनकी खूब चलती है।

34. कर्त्ता+के समान/के साथ/के रूप में+क्रिया (कर्त्ता के अनुसार क्रिया)
चोर सभी साथियों के साथ पकड़ा गया।
रमेश अभिमन्यु के समान वीर है।
उसने पत्थर को मूर्ति के रूप में बदल दिया।

अभ्यास के प्रश्न

1. वाक्य किसे कहते हैं ?
2. वाक्य के रूप की दृष्टि से कौन से 2 भेद हैं ?
3. संयुक्त और मिश्र वाक्यों में क्या अन्तर है ?
4. उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं ?
5. भाव तथा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं ?
6. पदबन्ध किसे कहते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं ?
7. वाक्य-रचनागत भूलें सामान्यतः कितने प्रकार की होती हैं ?
8. शब्दविकार, शब्द-क्रम एवं शब्द-प्रयोग सम्बन्धी भूलों में से प्रत्येक के तीन-तीन उदाहरण प्रस्तुत कीजिए।
9. वाक्य-रचनागत भूलों के निराकरण से सम्बन्धित किन्हीं 5 नियमों का उल्लेख कीजिए ?
10. हिन्दी के स्वाभाविक रूप से शुद्ध वाक्यों के साँचों में से कोई पाँच साँचे लिखिए।
11. नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध कीजिए :—
    1. गंगा-जल माता के दूध की तरह पवित्र होती है।
    2. मेरी भाभी अपने सभी बच्चों के साथ घर पर ही रहते हैं।
    3. पत्नी पति के समान कठिन परिश्रम करती हैं।
    4. उसने खूब लम्बा ताना।
    5. सुनी जाती है कि यह बात झूठ है।
    6. उसकी सुन्दरता की क्या कहना।
    7. बैल या गाएँ चर रहे हैं।
    8. न वह और न मैं पढ़ रहे हैं।
    9. वहाँ न बीड़ी और न तम्बाकू मिलती है।
    10. सीता और राधा नाच रहे हैं।
    11. मेरे नाना और नानी मुझे बहुत मानते हैं।

6 लिंग और वचन तथा उनसे सम्बन्धित भूलों का निराकरण

(लिंग और वचन का आधार संज्ञा शब्द, लिंग की पहचान, लिंग सम्बन्धी भूलें और उनके कारण, वचन सम्बन्धी भूलें और उनके कारण, वचन के आधार पर लिंग की पहचान, लिंग सम्बन्धी विशेष नियम, लिंग और वचन सम्बन्धी कुछ अशुद्ध प्रयोग)

लिंग और वचन का आधार संज्ञा शब्द :

लिंग और वचन संज्ञा शब्दों के ही व्याकरणिक रूप हैं। सर्वनाम शब्द तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं अतः उनके लिंग व वचन का ज्ञान क्रिया के साथ प्रयुक्त किये बिना नहीं होता। विशेषण और क्रिया के लिंग तथा वचन संज्ञा के लिंग और वचन के आधार पर निर्भर होते हैं। अतः समस्या केवल संज्ञा के लिंग-वचन को निर्णीत करने की है। वैसे तो लिंग और वचन का पता लगाने के लिए व्याकरणिक नियम हैं फिर भी इनका वास्तविक निर्णय रूढ़िगत प्रयोग से ही होता है। जैसे हिन्दी में आकारान्त शब्द अधिकतर पुल्लिग मिलते हुए भी मैना शब्द सदा स्त्रीलिंग है। हार शब्द "मोती के हार" वाक्य में पुल्लिग है तो "लड़ाई में उसकी हार" वाक्य में स्त्रीलिंग है। 'आप' शब्द एकवचन होते हुए भी बहुवचन की तरह प्रयुक्त होता है तो 'नल' शब्द एकवचन और बहुवचन दोनों में तथा 'लोग' शब्द केवल बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तात्पर्य यह है कि सन्दर्भ के बिना लिंग तथा वचन का निर्णय करना कठिन होता है।

हिन्दी में लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तथा वचन भी दो, एकवचन और बहुवचन।

लिंग का अर्थ होता है जाति। हिन्दी में संज्ञा शब्दों की दो जातियाँ हैं (1) पुरुष, जिसको 'पुल्लिग' कहा जाता है और (2) स्त्री जिसे 'स्त्रीलिंग' कहते हैं।

शब्द के जिस रूप से एक या उससे अधिक संख्या का बोध होता है वह उसका वचन कहलाता है। वचन दो होते हैं (1) एकवचन (2) बहुवचन। एकवचन एक का बोध करता है और बहुवचन एक से अधिक संख्या का।

वैसे तो अधिकतर हिन्दी के शब्दों का लिंग और वचन स्पष्टतया मालूम हो जाता है किन्तु सही रूप से जानने के लिए उनको वाक्यों में प्रयोग करके देखना ही

ठीक है। क्योंकि एक ही शब्द-रूप एक वाक्य में पुल्लिंग होता है तो दूसरे में स्त्रीलिंग और एक वाक्य में एकवचन है तो दूसरे में बहुवचन।

लिंग की पहचानः—सृष्टि में जितने पदार्थ हैं वे या तो चेतन हैं या जड़। चेतन में भी दो भेद होते हैं : (1) मानव (2) मानवेतर। हिन्दी भाषा मे मानवों का सम्बोधन करने वाले जो पुंभाव वाले शब्द हैं वे पुंलिंग और जो स्त्रीभाव वाले शब्द हैं, वे स्त्रीलिंग हैं। हिन्दी में दो ही लिंग होने से जड़ को सम्बोधित करने वाले शब्दों के लिंग के निर्धारण में कठिनाई पड़ती है। अतः कौन से संज्ञा-शब्द का कौन सा लिंग होगा, यह निर्णय रूढ़ि अर्थात् समाज में उसके प्रयोग से ही मालूम हो सकता है। यही कारण है कि सभी शब्द-कोशों में संज्ञा-शब्दों के आगे उनके उस लिंग का संकेत दे दिया जाता है जो कि उनके रूढ़िगत प्रयोग से समाज में निश्चित किया गया है। यद्यपि लिंग व्याकरणिक होता है जिसका निर्णय रूढ़ि और प्रयोग के आधार पर किया जाता है फिर भी भाषा की प्रकृति में कुछ ऐसे नियम अवश्य दिखलाई पड़ते हैं जिनसे संज्ञा-शब्दों के लिंग-निर्णय में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति के व्यावसायिक, सामाजिक, प्रशासकीय अथवा पारस्परिक सम्बन्धों का पता लगता है वे शब्द उभयलिंगी अर्थात् जिस प्राणी के लिए प्रयुक्त होते हैं उसके अनुसार उसका लिंग माना जाता है। यथा मित्र, डाक्टर, प्रधानमन्त्री, निदेशक आदि शब्द जब पुल्लिंग के साथ प्रयुक्त होते हैं तो वे पुल्लिंग माने जाते हैं और जब स्त्रीलिंग के साथ प्रयुक्त होते है तो स्त्रीलिंग। जिन पशुओं के कार्य में भिन्नता का प्रयोग होता है उनके लिए लिंग-भेद के अनुसार पृथक्-पृथक् शब्दों का प्रयोग होता है जैसे गाय–बैल बकरा-बकरी, आदि। किन्तु गधा और गधी का एक सा काम होने से गधी के लिए भी केवल गधा शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। कीट, पतंगों और पक्षियों के लिए भी एक ही शब्द का प्रयोग होता है और उनका लिंग रूढ़ि से निर्णीत है यथा; "मैना" सदा स्त्रीलिंग है तो "कौआ" पुल्लिंग। विशेष बात हो तो उनके आगे नर और मादा शब्द का प्रयोग कर लेते है। हिन्दी में रूढ़ि से कर्कश, कठोर, बड़ा और, भयावह स्थिति प्रकट करने वाला शब्द प्रायः पुल्लिंग है तो कोमल, लघु, मनोहर स्थिति वाला शब्द स्त्रीलिंग। यथा वृक्ष कठोर होने से पुल्लिंग है तो लता कोमल होने से स्त्रीलिंग। चूहा बड़ा हो तो पुल्लिंग और छोटा हो तो चुहिया (स्त्रीलिंग) कहलाता है। मछली स्त्रीलिंग है तो पहाड़ पुल्लिंग। बड़ा कीट मकड़ा और छोटा मकड़ी होता है।

हिन्दी संस्कृत की बेटी है, इसलिए लिंग सम्बन्धी नियम अधिकतर हिन्दी में भी लागू होते हैं। किन्तु कहीं-कहीं विकल्प भी मिलते हैं। यथा संस्कृत के पुल्लिंग शब्द आत्मा, अग्नि, देह, पवन, राशि आदि हिन्दी में स्त्रीलिंग माने जाते हैं। संस्कृत के नपुंसकलिंग शब्द हिन्दी मे करीब-करीब पुल्लिंग हैं किन्तु संस्कृत के नपुंसक शब्द पुस्तक, वस्तु, आयु आदि हिन्दी मे स्त्रीलिंग हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक

भाषा की प्रकृति अपनी होती है और इसीलिए हिन्दी की प्रकृति भी अनेक अंशों मे संस्कृत की प्रकृति से भिन्न है।

लिंग सम्बन्धी भूलें और उनके कारण:—प्रयुक्ता को कई बार शब्द के वास्तविक लिंग का ज्ञान नहीं होता और उसके रूप से जिस लिंग का उसे आभास होता है, उसी मे वह उसका प्रयोग कर देता है। जैसे "मिठास" स्त्रीलिंग होते हुए भी अकारान्त होने से उसको पुल्लिंग मानकर प्रयोग किया जाता है—दूध में मिठास अच्छा है। कभी-कभी विभक्ति के कारण भी लिंग सम्बन्धी भूलें होती हैं यथा—"सड़कों का चौड़ी हो जाना" किन्तु होना चाहिए "सड़कों का चौड़ा हो जाना"। नियमानुसार क्रिया का लिंग वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए किन्तु कोई-कोई लेखक कर्म या विधेय के अनुसार क्रिया का लिंग लिख देते हैं यथा "वर्तमान स्थिति अत्यन्त चिन्ता का विषय बन रहा है" होना चाहिए 'बन रही है।' क्रिया का लिंग वाक्य में अन्तिम संज्ञा के अनुसार होना चाहिए यथा "गुजराती में भी गद्य-पद्य और कहानियाँ पर्याप्त संख्या में प्रकाशित हुई हैं।" कोई-कोई लेखक "प्रकाशित हुए हैं" लिखते हैं जो अशुद्ध है।

ऊपर लिंग सम्बन्धी कुछ भूलों का विवरण दिया गया है। ऐसी भूलों का मुख्य कारण है भाषा की प्रकृति से अपरिचित होना। इसमे विदेशी प्रभाव भी काम करता है। प्रान्तीय भाषाओं की लिंग संबंधी मान्यता का प्रभाव हिन्दी में लिंग सम्बन्धी भूलों का विशेष कारण बना है। कुछ हिन्दी-भाषी भी उर्दू वालों की तरह चर्चा और धारा शब्दों को पुल्लिंग में, पंजाबियों की तरह अखबार, तार, गेहूँ को स्त्रीलिंग में, बिहारियों की तरह दही, हाथी, मोती को भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करने लगे हैं। "ओर" शब्द के साथ लिंग का प्रयोग भी अब रूढ़ि-सम्मत हो गया है। संख्यावाचक शब्दों के साथ उसे पुल्लिंग और अन्यत्र उसे स्त्रीलिंग माना है यथा "उसके चारों ओर" "उसकी बाईं ओर"। गेंद को किसी प्रान्त में स्त्रीलिंग माना गया है तो कहीं पुल्लिंग।

वचन संबंधी भूलें और उनके कारण—वचन संबंधी भूलें प्रायः लिंग की भूलों के कारण होती है और वचन की भूलो के कारण लिंग की भूले भी होती हैं। वचन की भूलें पृथक् से भी होती है। दो संज्ञाएँ "और" से जुड कर प्रयुक्त होने पर समान वचन वाली होनी चाहिए किंतु भूल से एक में एकवचन और दूसरी में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है यथा आजकल अनेक पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा है। इसमे पत्र के स्थान पर "पत्रों" होना चाहिए।

विशेषण और विशेष्य का वचन एक सा होना चाहिए किन्तु कहीं विशेषण ५१ मे है तो विशेष्य बहुवचन में और कहीं विशेष्य एकवचन में है तो ५९ बहुवचन में। इसके कुछ उदाहरण-वाक्य देखिए जिनका अनायास प्रयोग ११ रहता है। बारह सींग (सींगों) वाले चौपाये को बारहसिंगा कहते हैं।

सब प्रकार की चीज (चीजें) लाओ।

डेयरी में गायें अपने बच्चे (बच्चों) को दूध पिला रही हैं।

वृक्ष के तने में अनेक जड़ें होती हैं जिससे (जनसे) वह भोजन ग्रहण करता है।

उस भुट्टे के दाने कठोर हैं जिनको (जिसको) तुमने खरीदा था। कई लोग ऐसे वाक्य भी लिखते हैं जिनके प्रारम्भ में एकवचन होता है तो अन्त में बहुवचन अथवा प्रारम्भ में बहुवचन होता है तो अन्त में एकवचन यथा—

उसके आँसू से (आँसुओं से) जो रोके नही रुकते, तुम्हारा दिल क्यों नही पसीजता ?

उन चारों लड़कों का नाम (के नाम) एक सा है (से है)

आजकल रूढ़िगत प्रयोग से पृथक् हट कर कई लोग शब्दों को अशुद्ध वचन में प्रयुक्त करते हैं यथा—

'दर्शन' शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है किन्तु आजकल कई दिनो से आपका दर्शन नही हुआ (आपके दर्शन नही हुए) कहा जाता है। सामग्री शब्द स्वयं ही बहुवचन है किन्तु इस शब्द को बहुवचन में प्रयुक्त करते समय "सामग्रियाँ" लिखते है। अनेक को अनेकों, आदि को आदियों, सब का सबों, कागजात का कागजातों लिखकर बहुवचन शब्दों के भी बहुवचन बनाने वाले बहुत मिल जायेंगे। आजकल नियम के विरुद्ध अशुद्ध वचन का इतना प्रयोग सुनने-पढ़ने को मिलता है कि शुद्ध प्रयोग सुनने-पढ़ने पर वही अशुद्ध लगने लगता है। "कई दिन से वह गैरहाजिर है" सुनने में ठीक लगता है परन्तु होना चाहिए "कई दिनों से" जैसे "कई वर्षों से" "कई महीनों से" होता है। "मुझे सौ रुपये चाहिए" की बजाय "मुझे सौ रुपया चाहिए" सुनने में अच्छा लगता है। कोरा कान को अच्छा लगना ही तो भाषा के क्षेत्र में कसौटी नहीं है, कही तो नियमो का पालन होना ही चाहिए।

वचन के आधार पर लिंग की पहचान :

(1) मनुष्य और उसके अधिक काम आने वाले पशुओं को सम्बोधित करने वाले संज्ञा शब्दो के लिंग रूढ़ि से स्पष्टतया निश्चित है यथा—

पुल्लिग	स्त्रीलिंग	पुल्लिग	स्त्रीलिंग
मर्द	औरत	बैल	गाय
पुरुष	स्त्री	बकरा	बकरी
पिता	माता	घोड़ा	घोड़ी
बाप	माँ	भैंसा	भैंस
बेटा	बेटी	सिंह	सिंहनी
वर	वधू	ऊँट	ऊँटनी
भाई	बहिन		

(2) दो या दो से अधिक प्राणिवाचक शब्द चाहे वे पुल्लिग हों या स्त्रीलिंग, द्वन्द्व समास मे सदा पुल्लिग होते हैं और उनके लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। यथा—

हाथी-घोड़े दौड़ रहे है।
घोड़ा-घोड़ी सुन्दर हैं।
भाई-बहिन एक थाली में खा रहे है।
तू और मैं चल रहे है।
राधा-कृष्ण ब्रज में रास करते थे।
सीताराम एक आदर्श पति-पत्नि थे।
हजारो नर-नारी मेला देखने जायेगे।

(3) कुछ प्राणिवाचक शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें सदा पुल्लिग अथवा स्त्रीलिंग मे ही प्रयुक्त किया जाता है और जब कभी विशेष प्रसंग हो तो उनके आगे नर या मादा शब्द जोड कर पुल्लिग या स्त्रीलिंग बना लेते हैं यथा—

सदा पुल्लिग	सदा स्त्रीलिंग	पुल्लिग	स्त्रीलिंग
कौआ	मैना	नर कौआ	मादा कौआ
तोता	कोयल	नर कोयल	मादा कोयल

(4) हिन्दी मे जो शब्द पेशे या व्यापार से सम्बद्ध होते हैं, उनका कोई लिंग नही है। उनको अगर पुल्लिग शब्दों के साथ जोड़ देते है तो वे भी पुल्लिग और अगर उनको स्त्रीलिंग शब्दों के साथ जोड़ा जाता है तो वे स्त्रीलिंग माने जा सकते है। जैसे मंत्री, वकील, प्रोफेसर, सभापति, सेक्रेटरी, डाक्टर, मजदूर, औरत या पुरुष। ऐसे शब्द जैसे है वैसे ही इनका प्रयोग करना चाहिए। इनका स्त्रीलिंग रूप बनाने की चेष्टा उचित प्रतीत नही होती फिर भी आजकल कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग बना लिये गये हैं और उनका प्रयोग हो रहा है यथा—

पुल्लिग से स्त्रीलिंग
लेखक—का—लेखिका
शिक्षक—का—शिक्षिका
प्राचार्य—का—प्राचार्या

विशेष छूट मिलने पर विद्यार्थी से विद्यार्थिनी, मंत्री से मंत्रिणी, अध्यक्ष से अध्यक्षा भी बन कर प्रयुक्त होने लगेंगे, किन्तु इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उचित नही कहा जा सकता।

(5) अप्राणिवाचक संज्ञाओं में जो आकारान्त शब्द हैं विभक्ति का चिह्न लगाये बिना उनका बहुवचन बनाने पर अगर उनके अन्तिम आ का ए हो जाता है ऐसे शब्द पुल्लिग होते हैं यथा—

एकवचन	बहुवचन
कपड़ा	कपड़े
पंखा	पंखे

एकवचन	बहुवचन
बुढ़ापा	बुढापे
अंगूठा	अंगूठे
केला	केले

(6) जिन अप्राणिवाचक आकारान्त संज्ञा शब्दों को विभक्ति के चिह्न के बिना बहुवचन बनाने में उनके आगे एँ जोड़ना पड़ता है, वे स्त्रीलिंग होते हैं।

इच्छा	इच्छाएँ	सभा	सभाएँ
आत्मा	आत्माएँ	रचना	रचनाएँ
लता	लताएँ	कथा	कथाएँ
शाला	शालाएँ	माला	मालाएँ

किन्तु कुछ अप्राणिवाचक आकारान्त संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जो सदा एकवचन मे ही प्रयुक्त होते हैं। ये संज्ञा शब्द भाववाचक होते हैं। ये स्त्रीलिंग होते हैं और इनका बहुवचन नही होता यथा—

कृपा	क्षमा	याचना	छाया
वन्दना	वेदना	लज्जा	महिमा

(7) विभक्ति के चिह्न के बिना बहुवचन बनाने में जिन अप्राणिवाचक संज्ञा शब्दों के अन्तिम अ का एँ हो जाता है वे स्त्रीलिंग होते हैं यथा—

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
आँख	आँखें	रात	रातें
पुस्तक	पुस्तकें	मेज	मेजें
बात	बातें	तस्वीर	तस्वीरें
झील	झीलें	दाल	दालें

किन्तु जिन अप्राणिवाचक अकारान्त संज्ञा शब्दों का रूप विभक्ति चिह्न के बिना बहुवचन में भी एकवचन के समान ही रहता है वे पुंलिंग होते हैं यथा—

कल	नल	जल	ग्रन्थ	कान
तेल	दाँत	क्रोध	दर्शन	हस्ताक्षर
नमक	अनाज	अनुभव	पेड़	बाजार
उपकार	उत्सव	गीत	गणित	अध्यक्ष

(8) विभक्ति का चिह्न लगाये बिना ही बहुवचन बनाने में जिन अप्राणिवाचक संज्ञा शब्दों की अन्तिम इ का इयाँ, ई का इयाँ और या का याँ करना पड़ता है वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। यथा—

जाति का जातियाँ	तिथि का तिथियाँ
कठिनाई का कठिनाइयाँ	अंगुली का अंगुलियाँ
चिड़िया का चिड़ियाँ	

किन्तु बहुवचन में प्रयोग करते समय जिन संज्ञा शब्दों की इ या ई में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वे दोनों वचनों में एक से रहते हैं, वे सदा पुल्लिग होते हैं यथा—

पक्षी, गिरि, जलधि, पानी

लिंग-सम्बन्धी विशेष नियम :

1. भाववाचक संज्ञा बनाते समय जिन शब्दों में ता या ई जोड़ा जाता है सदा स्त्रीलिंग होते हैं। यथा—

स्त्रीलिंग	स्त्रीलिंग
मित्र से मित्रता	भला से भलाई
स्वतन्त्र से स्वतन्त्रता	चौड़ा से चौड़ाई

2. 'ना' से अन्त होने वाले क्रिया-शब्द जब संज्ञा की तरह प्रयुक्त होते हैं तो वे सदा पुल्लिग होते हैं यथा—
   प्रातःकाल में पढ़ना अच्छा होता है।
   बार-बार खाना हानिकारक होता है।
   जल्दी सोना और जल्दी जागना स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं।
3. 'ना' से अन्त होने वाले क्रिया-शब्दों से जो भाववाचक संज्ञा-शब्द बनते हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं। यथा—

पुल्लिग		स्त्रीलिंग	पुल्लिग		स्त्रीलिंग
समझना	से	समझ	थकना	से	थकावट
जलना	से	जलन	सजना	से	सजावट
दौड़ना	से	दौड़	घबराना	से	घबराहट
बैठना	से	बैठक	चलना	से	चाल

4. जब द्रव्यवाचक संज्ञाओं के साथ परिमाणवाचक विशेषणों का प्रयोग होता है तो उस समय ऐसी संज्ञाओं का बहुवचन प्रयुक्त नहीं होता। उनके एकवचन के रूप का ही प्रयोग किया जाता है। यथा—

अध्यापकजी ने तीस सेर जलेबी खरीदी। (जलेबियाँ नहीं)

किन्तु संख्यावाचक विशेषण अथवा भिन्न-भिन्न प्रकार का बोध कराने वाले शब्दों के प्रयुक्त होने पर तो ऐसी संज्ञाओं का बहुवचन प्रयुक्त होता है।

मुझको बीस जलेबियाँ चाहिए (न कि जलेबी)

अनेक प्रकार की जलेबियाँ खरीद कर लाना (न कि जलेबी)

भोजन के अर्थ में भी द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में नहीं —

रात में रोटी खाना अच्छा नहीं है (न कि रोटियाँ)

5. भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है जो अशुद्ध होता है; उसका प्रयोग एकवचन में ही होना चाहिए यथा—

आजकल लोगों में मित्रताएँ (मित्रता) जल्दी टूट जाती हैं (है)।

इन पुष्पों की सुन्दरताओं (सुन्दरता) को देखो।

आपके पत्र पढ़कर बहुत आनन्द प्राप्त हुए (प्राप्त हुआ)।

अगर भिन्न-भिन्न प्रकार का बोध कराने के लिए भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता हो तो बहुवचन में किया जा सकता है। यथा—

इस पुस्तक की विशेषताओं को लिख कर लाओ (न कि विशेषता)।

6. एकवचन की संज्ञाओं के प्रति आदर का भाव प्रकट करना हो तो उनके लिए प्रयुक्त क्रिया-शब्दों में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यथा—

पिताजी आ रहे हैं।

आप यहाँ विराजिए।

7. हिन्दी के मुहावरों में आंख, कान, दाँत का बहुवचन ही प्रयुक्त होता है यथा—आपकी विद्वत्ता जान कर वह दाँतों तले अंगुली दबाता है (न कि दाँत)।

लाउडस्पीकर की आवाज सुनकर मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे हैं (न कि कान का पर्दा)।

वह तुम्हारी आँखों मे धूल झोंक रहा है (न कि आँख)।

8. अगर संख्यावाचक विशेषण पूर्व में नहीं हो तो दाम, बाल, हस्ताक्षर, दर्शन, होश, प्राण, आँसू, बात, समाचार, कदम, चरण आदि कुछ शब्दों का प्रयोग बहुवचन में ही होने लगा है। यथा—

बैल के दाम, आपके दर्शन, शत्रु के होश, उसके प्राण, सैनिक के कदम मेरे हस्ताक्षर, बच्ची के बाल, सन्त के चरण, पुत्र के समाचार, उसकी बातें

लिंग और वचन सम्बन्धी कुछ प्रयोग :

लिंग सम्बन्धी अधिक भूलें ऐसे वाक्यों मे होती हैं जिसमें कोई संज्ञा पुल्लिग और कोई संज्ञा स्त्रीलिंग होती है। लेखक या वक्ता तब स्त्रीलिंग संज्ञा के लिए पुल्लिग-विशेषण या कारक चिह्न पुल्लिग संज्ञा के लिए स्त्रीलिंग शब्दों को प्रयुक्त कर लेता है। यथा—

देश की (के) सम्मान की रक्षा के लिए वीर मर मिटे। यहाँ 'रक्षा' (स्त्रीलिंग) के कारण 'देश की' प्रयुक्त हुआ है जो गलत है।

हिन्दी की शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दिया (दी)। यहाँ अनिवार्य (पुल्लिग) के कारण क्रिया (दिया) पुल्लिग प्रयुक्त हुआ है जो गलत है। शिक्षा (स्त्री) के कारण क्रिया (स्त्री) होना चाहिए।

हमारी (हमारे) प्रान्त की सरकार न्यायप्रिय है। सरकार (स्त्री) के कारण हमारी का प्रयोग गलत है। प्रान्त (पु.) के कारण हमारे (पु.) होना चाहिए।

भपने (भपनी) बुद्धि के बल से काम किया करो। भपने (पु.) बल (पु) के कारण प्रयुक्त किया गया है। बुद्धि (स्त्री) के लिए भपनी (स्त्री.) प्रयुक्त होना चाहिए।

कुछ शब्दों को पुल्लिंग जान कर उनके साथ क्रियाएं पुल्लिंग लगाई जाती है। इसका कारण शायद ये शब्द दूसरी भाषाओं में पुल्लिग होते हैं, किन्तु हिन्दी में तो वे स्त्रीलिंग है।

तुलसी ने राम को सूर्य की उपमा दिया (दी)

भापने मुझे भाज्ञा दिया (दी)

कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग समझ कर प्रयुक्त किया जाता है, यथा—

सिनेमा देखने में बड़ा मजा भाती है (भाता है)

भधिक सर्दी के कारण नलें फट जाती हैं (नल फट जाते है)

मानव-शरीर नष्ट हो जायगी (जायगा)

वचन के प्रयोग में भी विचित्र भूलें देखने को मिलती हैं यथा—

तुलसीदास ने भनेकों (भनेक) ग्रन्थ लिखे। (भनेक शब्द तो स्वयं ही बहुवचन है उसका भनेकों बनाना व्यर्थ है)।

भनेक प्रकार की विद्या (विद्याएँ) सीखना सरल नही है।

(भनेक बहुवचन होने से विद्या का बहुवचन प्रयुक्त होना चाहिए)।

चार भादमी (भादमियो) के लिए चाय लाभो (चार बहुवचन है भतः भादमी का बहुवचन प्रयुक्त होना चाहिए।

बैठक में हर एक सदस्यों (सदस्य) को बोलना चाहिए (हर एक एकवचन है भतः सदस्य एकवचन का प्रयोग ही उचित होगा)।

मेरे (मेरा) नमस्कार (मेरा एकवचन) होना चाहिए क्योंकि नमस्कार का प्रयोग एकवचन में होता है।

तुम्हारा (तुम्हारे) दर्शन (दर्शन बहुवचन मे प्रयुक्त होता है, भतः तुम्हारा एकवचन प्रयुक्त होना चाहिए)।

उपर्युक्त उदाहरण-वाक्य तो नमूने-मात्र है। लिंग भौर वचन सम्बन्धी भूलों से बचने के लिए लेखक भौर वक्ता को हिन्दी भाषा की प्रकृति से परिचित होना चाहिए। शिष्ट समाज द्वारा किये जाने वाले प्रयोगों पर ध्यान [illegible] और विदेशी या भन्य भाषाभों प्रभाव में हिन्दी भाषा के शब्दों का [illegible] प्रयोग नहीं करना चाहिए। लिंग भौर वचन के शुद्ध प्रयोग का भभ्यास [illegible] से बचने का एकमात्र तरीका है।

अभ्यास के प्रश्न

1. लिंग और वचन का आधार केवल संज्ञा शब्दों को ही क्यों माना जाता है ?
2. वचन के आधार पर लिंग की पहचान कैसे संभव है ? उदाहरण देकर समझाइए ।
3. निम्नांकित वाक्यों को लिंग और वचन सम्बन्धी त्रुटियाँ सुधार कर पुन. लिखिए—
   1. भाई और बहिन पढ़ने गई ।
   2. कितने वीरता से भरे गीत गाये जा रहे है ?
   3. हमें अब शिक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए ।
   4. विद्यार्थी का लक्ष्य विद्या-प्राप्ति ही होनी चाहिए ।
   5. मुझे बहुत गुस्सा आती है ।
   6. हर एक ने कमीजों को पहन रखा था ।
   7. उसकी आँख से आँसू नहीं सूखता ।
   8. वृक्षों पर कोयल बोल रही हैं ।
   9. घड़ी में दस बजा है ।

7 पदों का ज्ञान एवं समुचित प्रयोग तथा पद-परिचय

विचारणीय बिन्दु :

शब्द रूप, पद रूप, हिन्दी की पद-व्यवस्था, पद क्रम, पदों का समुचित प्रयोग, पद-परिचय (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय)

1. पद क्या है ?

अ—सुप्तिङन्तम् पदम् पाणिनी, ·

ब—न वर्णा व्यतिरेकेण पदमन्यच्च विद्यते
वाक्ये वर्णपदाभ्यां च व्यक्तिरिक्त न किंचन ।
नहि किंचित्पदं नाम रूपेण नियतं क्वचित्
पदाना रूपमर्थो वाक्यार्थविव जायते ।।
अर्थात् पद साभिधेय पदाद् वाक्यार्थ निर्णयः
पद संघातजं वाक्यं वर्ण संघातजं पदम् ।
प्रत्येकं व्यंजका भिन्ना वर्णा वाक्य पदेषु ये ।
तेषामत्यन्त भेदोऽपि, संकीर्ण इव शक्तयः ।
पृथङ् निविष्ट तत्वानां, पृथगर्थानुपातिनाम् ।
इन्द्रियाणा यथाकार्यमृते देहान्न विद्यते ।।
तथा पदानां सर्वेषां पृथगर्थ निवेशिनाम् ।
वाक्येभ्यः प्रविभक्तानामर्थवत्ता न विद्यते ।।

—वाक्यपदीयम् (आचार्य भर्तृहरिः)

स-पद—वह शब्द या न्यूनतम शब्द समूह है जो स्वतन्त्र रूप में वाक्य, उपवाक्य या पद-बंध में कोई व्याकरणिक कार्य कर सके। पद कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का कार्य कर सकते हैं। 'सुबह से वर्षा हो रही है।' इस वाक्य में शब्द छह हैं, किन्तु पद तीन ही हैं।

भाषा की ध्वनियों का वह सार्थक समूह है जिसे स्वाभाविक रूप से अन्य ध्वनियों या ध्वनि समूहों से अलग करके बोला जा सकता है। ध्वनि समूहों के उच्चारण में अन्तराल के कारण उन्हें लिखित भाषा में भी अलग-अलग

शब्दों के रूप मे लिखा जाता है। इस प्रकार शब्दों में गणनीयता आ जाती है जो बहुत कुछ लिखने की परम्परा के ऊपर भी निर्भर है। मैंने किताब पढ़ी में तीन शब्द हैं, किन्तु कमल ने किताब पढ़ी में चार शब्द हैं।

शब्द का प्रत्यय बहुत लचीला है। प्राचीन काल में वैयाकरण और दार्शनिकों द्वारा शब्द का प्रयोग भाषा-मात्र के लिए भी हुआ है। शब्द का प्रयोग ध्वनि के लिए भी होता है।

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्द तत्वं यदक्षरम्
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतोयतः।

शब्द का मूल अनादि, अनंत और अक्षर ब्रह्म है। उसी ब्रह्म से (शब्दों के) अर्थ के रूप मे इस ससार की प्रक्रिया की प्रतीति होती है।

तस्माद् यः शब्द संस्कारः सासिद्धिः परमात्मनः।
तस्य प्रवृत्ति तत्वज्ञः तद्ब्रह्मामृतमश्नुते।
शब्दस्य न विभागोऽस्ति, कुतोऽर्थस्य भविष्यति।
विभागैः प्रक्रिया भेदमविद्वान प्रतिपद्यते।

हिन्दी की पद-व्यवस्था :

नदी बहती है।
पेड़ झूम रहे हैं।
किसान खेत जोतता है।

१	२	३	४	५	६
	कर्ता		कर्म		क्रिया
कल से	ये बच्चे	यहाँ			आने लगे हैं
	मैं	आज	तुम्हारा काम	जरूर	कर लूँगा।

पद-क्रम—हिन्दी में पद-क्रम का महत्त्व अंग्रेजी के समान नहीं है। तो भी वह इसमें एक प्रकार से स्वाभाविक और निश्चित है।

कर्त्ता, कर्म, क्रिया, द्विकर्मक क्रियाओं में गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म पीछे आता है। (हमने अपने मित्र को चिट्ठी भेजी।)

विशेषण संज्ञा के पहले और क्रियाविशेषण बहुधा क्रिया के पहले आता है। (एक दयालु राजा आज नगर में आये हैं।)

अवधारण के लिए ऊपर लिखे क्रम में बहुत कुछ अन्तर पड़ जाता है। जैसे—

(अ) कर्ता और कर्म का स्थानान्तर—लड़के को मैंने नहीं देखा। छड़ी कोई उठा ले गया।

(आ) सम्प्रदान का स्थानान्तर—तुम यह चिट्ठी मंत्री को देना। उसने अपना नाम मुझको नहीं बताया। ऐसा कहना तुमको उचित न था।

(इ) क्रिया का स्थानान्तर—मैंने बुलाया एक को और आये दस। तुम्हारा पुण्य है बहुत और पाप है थोड़ा। धिक्कार है ऐसे जीने को। कपड़ा है तो सस्ता पर मोटा है।

(ई) क्रियाविशेषण का स्थानान्तर—आज सवेरे पानी गिरा, किसी समय दो बटोही साथ-साथ जाते थे।

(उ) प्रश्नवाचक अव्यय—'क्या' बहुधा वाक्य के आदि में आता है और कभी-कभी बीच में अथवा अंत में आता है। क्या गाड़ी आ गई ? गाड़ी क्या आ गई ? गाड़ी आ गई क्या ?

वाक्य किसी भी अर्थ का हो, उसके पदों का क्रम हिन्दी में प्रायः एक ही सा रहता है, जैसे—

विधानार्थक—राजा नगर में आये।
निशेधवाचक—राजा नगर में नहीं आये।
आज्ञार्थक—राजन् नगर में आइये।
प्रश्नार्थक—राजा नगर में आये ?
विस्मयादि बोधक—राजा नगर मे आये !
इच्छाबोधक—राजा नगर में आवें।
संदेह-सूचक—राजा नगर में आये होंगे।
संकेतार्थक—राजा नगर में आते तो अच्छा होता।
विधि सूचक—राजा को नगर में आना चाहिए।

पद-परिचय—वाक्य का अर्थ पूर्णतया समझने के लिए व्याकरण शास्त्र की सहायता अपेक्षित है; और यह सहायता वाक्यगत शब्दों के रूप और उनका परस्पर सम्बन्ध जताने मे पड़ती है। इस प्रक्रिया को पद-परिचय कहते हैं। यह पद परिचय व्याकरण-सम्बन्धी ज्ञान की परीक्षा और उस विधा के सिद्धान्तों का व्यावहारिक उपयोग है। इसमें वाक्य के प्रत्येक पद का व्याकरणिक परिचय अर्थात् कौन पद व्याकरण के अनुसार क्या है और क्या काम करता है, बतलाया जाता है इसीलिए उसे पद-परिचय कहते हैं।

भाषा में दो तरह के शब्द प्रमुख हैं—नाम, आख्यात-संज्ञाएँ और क्रियाएँ। दूसरे दर्जे पर—उपसर्ग और निपात (अव्यय)।

'नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च यास्क।' नाम और आख्यात स्वतन्त्र चलते हैं और उपसर्ग-निपात इन्हीं की सेवा में रहते हैं। विशेषता चीजों में रहती है। इसलिए विशेषणों में पृथक् कोई विभक्ति नहीं लगती।

नाम ही हिन्दी व्याकरणों मे संज्ञा है। इसमे पद-परिचय करते समय प्रकार, वचन, कारक और सम्बन्ध देखने होते हैं।

सर्वनाम—पद-परिचय करते समय इसमें प्रकार, प्रतिनिहित संज्ञा, लिंग, वचन कारक, सम्बन्ध ।

विशेषण—प्रकार, विशेष्य, लिंग, वचन, विकार (हो तो), सम्बन्ध ।

क्रिया—प्रकार, वाच्य, अर्थ, काल, पुरुष, लिंग, वचन, प्रयोग ।

अव्यय—प्रकार, विशेष्य, विकार (हो तो), संबंध ।

क्रियाविशेषण, समुच्चयबोधक, सम्बन्ध-सूचक, विस्मयादिबोधक ।

पद ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय होते हैं । नीचे इन सभी पदों का परिचय अलग-अलग दिया जा रहा है ।

संज्ञा का पद-परिचय :

उदाहरण—(1) हरी हमारे स्कूल में पढ़ता है ।

भारत की सेना ने पाकिस्तान को जीता ।

(1) हरी—व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिग, एकवचन, कर्त्ता कारक, 'है' क्रिया का कर्त्ता ।

स्कूल—जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिग, एकवचन, अधिकरण कारक, 'है' क्रिया का अधिकरण ।

(2) भारत—व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिग, एकवचन, संबंध कारक, सेना से सम्बन्ध ।

सेना—जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्त्ताकारक, 'जीता' क्रिया का कर्त्ता ।

पाकिस्तान—व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिग, एकवचन, कर्मकारक 'जीता' क्रिया का कर्म ।

सर्वनाम का पद-परिचय :

उदाहरण—मैंने तुम्हें बहुत चाहा था ।

वह किसको पूछता है ?

(1) मैं—पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिग, एकवचन, कर्त्ता कारक, 'चाहा था' क्रिया का कर्त्ता ।

तुम्हें—पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, पुल्लिग, एकवचन, कर्म कारक, 'चाहा था' क्रिया का कर्म ।

(2) वह—पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिग, एकवचन, कर्त्ता कारक, 'पूछता है' क्रिया का कर्त्ता ।

किसको—प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुल्लिग, एकवचन, कर्मकारक, 'पूछता है' क्रिया का कर्म ।

विशेषण का पद परिचय :

उदाहरण—काली टोपी आजकल बहुत कम लोग पहनते हैं ।

सज्जन व्यक्ति समाज में आदर पाते हैं ।

काली—गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, 'टोपी' विशेष्य का विशेषण ।

कम—संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिग, 'लोग' विशेष्य का विशेषण।

सज्जन—गुणवाचक विशेषण, पुल्लिग, व्यक्ति 'विशेष्य का विशेषण'।

क्रिया का पद-परिचय :

उदाहरण—हरि पुस्तक पढ़ रहा है।

पढ़ रहा है—सकर्मक क्रिया, अपूर्ण वर्तमान, कर्तृ वाच्य, पुल्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष, कर्त्ता हरि है और कर्म पुस्तक है।

उदाहरण—रमेश ने अपने लड़के को डण्डे से पीटा।

पीटा—सकर्मक क्रिया, सामान्य भूतकाल, कर्तृ वाच्य, पुल्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष, इसका कर्त्ता रमेश और कर्म लड़के को है।

उदाहरण—सीता मेरी बहिन की लड़की है।

है—अकर्मक क्रिया, सामान्य वर्तमान, कर्तृ वाच्य, स्त्रीलिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, इसकी कर्त्ता सीता है।

उदाहरण—कृपया कल आप मेरे घर अवश्य पधारिए।

पधारिए—अकर्मक, निश्चयार्थक विधि क्रिया, कर्तृ वाच्य, पुल्लिग, एकवचन, आदर-सूचक, मध्यम पुरुष, कर्त्ता 'आप' है।

अव्यय का पद-परिचय :

उदाहरण—तुम्हारी परीक्षा कब होगी ?
तुम तेज मत दौड़ो।
लड़के और लड़कियाँ यहाँ आ रहे हैं।
रमेश धीरे-धीरे चल रहा है।
हाय ! राम के पिताजी मर गये।

कब—कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय, 'होगी' क्रिया का क्रियाविशेषण।

तेज—रीतिवाचक क्रियाविशेषण, अव्यय, दौड़ो क्रिया का क्रियाविशेषण।

और—समुच्चय-बोधक अव्यय, लड़के और लड़कियों को मिलाता है।

धीरे-धीरे—रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय, 'चल रहा है' क्रिया पद का क्रियाविशेषण।

हाय—विस्मयादि-बोधक अव्यय, दुःख का द्योतक।

अभ्यास के प्रश्न

1. पद किसे कहते हैं ?
2. भाषा अध्ययन में पद-परिचय की क्या उपयोगिता है ?
3. सर्वनाम, क्रिया और अव्यय के पद-परिचय में किन-किन बातों का विचार किया जाता है ?
4. निम्नांकित वाक्यों में रेखांकित पदों का पद-परिचय कीजिए—
   क—आम सभी को अच्छे लगते हैं।
   ख—मेरा भाई कल यहाँ आ रहा है।
   ग—रमेश धीरे धीरे मेरे पास तक पहुँच गया।
   घ—तुम्हारे पिताजी मुझे कल अचानक मिल गये।

8 मुहावरे और कहावतें तथा उनके शुद्ध एवं अशुद्ध प्रयोग

मुहावरे और कहावतों का भाषा में महत्त्व :

मुहावरे और कहावतें वक्ता या लेखक की भाषा को अधिक सशक्त प्रभावशाली एवं आकर्षक बना देते हैं। इनके प्रयोग से अभिव्यक्ति में जान आ जाती है और वह अधिक प्रभावी हो जाती है। इनके सहारे थोड़े में बहुत अधिक भाव बहुत गहराई के साथ व्यक्त किए जा सकते हैं। इनसे युक्त भाषा जनता की भाषा कहलाती है। किसी भी साहित्यकार द्वारा ऐसी भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किए जाने पर उसकी अभिव्यक्ति में सहजता एवं धारा प्रवाहिता के दर्शन होते हैं। मुन्शी प्रेमचन्द और अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' इसके उदाहरण हैं।

मुहावरे और कहावतों में अन्तर :

यद्यपि मुहावरा और कहावत में से किसी के भी शब्द नहीं बदले जा सकते, फिर भी दोनों में विशेष अन्तर है। ये अन्तर अर्थ और रूप दोनों दृष्टियों से है।

अर्थ के आधार पर अन्तर—मुहावरे में एक या कुछ शब्द अपना शाब्दिक या कोश का अर्थ छोड़ कोई नया अर्थ देने लगते हैं। उदाहरण के लिए 'दाँत खट्टे करना', 'अक्ल के पीछे लट्ठ लिये फिरना' इन मुहावरों के शाब्दिक अर्थ तो कुछ और हैं किन्तु प्रयोग में 'बुरी तरह हराना, तथा बहुत बड़ा मूर्ख होना, या मूर्खता करते फिरना' अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। 'कहावत' लोक में प्रचलित ऐसा वाक्य (पूर्ण या संक्षिप्त) होता है, जिसमें कोई अनुभव की बात संक्षेप में व्यक्त की गई होती है। जैसे—'साँप मरे न लाठी टूटे'। इसमें शब्दों का दूसरा अर्थ नहीं लेते जैसा कि मुहावरे में करते हैं, अपितु पूरे वाक्य का 'सार' ग्रहण कर लेते है। अतः इस कहावत का अर्थ या सार है 'काम भी बन जाए और अपनी हानि भी न हो'। तात्पर्य यह है कि मुहावरे में अर्थ लक्षणा-शक्ति के आधार पर अर्थात् लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है, जबकि कहावत मे वाक्य का आशय या 'सार' ग्रहण किया जाता है।

रूप के आधार पर अन्तर—(1) रचना के सार पर भी दोनों में अन्तर है। मुहावरा अपने आप में स्वतन्त्र नहीं होता और वह जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वाक्य में घुल-मिल जाता है। जैसे चोर सिपाही को देखकर 'नौ-दो ग्यारह हो गया'. यहाँ मुहावरा 'नौ दो ग्यारह हो गया' पूर्ण वाक्य का एक अंग बन कर

दूसरी ओर 'कहावत' अपने आप में पूर्ण तथा स्वतन्त्र होती है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी उसकी सत्ता स्वतन्त्र बनी रहती है। यथा—वह पढ़ा-लिखा तो 'खाक नहीं' पर बातें बड़ी ऊँची-ऊँची करता है। ठीक ही कहा है, 'थोथा चना बाजे घना'। यहाँ 'थोथा चना बाजे घना' कहावत का वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी अपना स्वतन्त्र ही अस्तित्व है।

मुहावरे और कहावतों मे एक अन्तर यह भी है कि क्रिया-युक्त मुहावरों के अन्त में 'ना' आता है। जैसे 'फूले नही समाना', 'आँखों में धूल झोंकना', 'आँख पर परदा पड़ना' आदि। प्रयोग के समय इनका रूप क्रियाओं के काल, लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार बदल जाता है। कहावत में ऐसा नही होता। इसका रूप प्रयोग के स्तर पर 'ज्यों का त्यों' ही रहता है। कहावत को लोकोक्ति भी कहते हैं। यह इसलिए कि इसका आधार लोक में प्रचलित उक्ति ही होती है। किसी महापुरुष या कवि का वचन भी कहावत या लोकोक्ति मान लिया जाता है। यथा 'का बरसा जब कृषि सुखाने' तुलसीदास का यह वचन आज कहावत बन चुका है।

मुहावरे और कहावतों में समानता :

इन दोनों मे समानता यह है कि दोनो में से किसी के भी रूप को बदलने की छूट किसी को भी नही है। इनके अर्थ और रूप तनिक भी परिवर्तन सहन नही करते है। इनमे यदि थोड़ा भी परिवर्तन किया गया तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। इसीलिए 'नौ दो ग्यारह' के स्थान पर किसी को 'आठ-तीन ग्यारह' कहने की छूट नही है। यदि ऐसे कहा गया तो यह मुहावरा न होकर साधारण वाक्य हो जायेगा। इसी प्रकार 'नाच न जाने आँगन टेढ़ा' को आपने यदि 'नृत्य करना नही ज्ञात और नृत्यस्थली ऊबड़-खाबड' यह कह दिया तो यह कहावत नही रहेगी एवं एक साधारण उक्ति समझी जायेगी।

मुहावरों और कहावतों का प्रयोग :

नीचे कुछ मुहावरे एवं कहावतें, उनके अर्थ या आशय के साथ दिए जा रहे हैं। इनका प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रयोग से अर्थ स्पष्ट हो जाए, वह केवल प्रयोग के लिए ही न हो। उदाहरणस्वरूप यदि किसी से कहा जाय कि 'थोथा चना बाजे घना' एक अच्छी कहावत है, तो यह कहावत का प्रयोग होते हुए भी अपेक्षित प्रयोग नही माना जा सकेगा। अपेक्षित प्रयोग वह होता है जिसमें उसकी पूरी अर्थसत्ता स्पष्ट हो जाय।

मुहावरे

मुहावरे	अर्थ
दिखाना	घमंड करना, अभिमान करना
पर परदा पड़ना	बुद्धि भ्रष्ट होना
मारी जाना	बुद्धि भ्रष्ट होना

मुहावरे	अर्थ
अगर-मगर करना	इधर-उधर के बहाने बनाना
अड़ंगा अड़ाना	बाधा डालना
अपना उल्लू सीधा करना	मतलब साधना
अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना	अपनी बड़ाई करना
अरमान निकालना	मन की इच्छा पूरी होना
आंख उठा कर भी न देखना	उधर ध्यान न देना
आंख लगना	नींद न आना
आंख से ओझल न करना	सदैव अपने सामने रखना
आंख खुलना	सावधान होना
आंखों में धूल झोंकना	धोखा देना
आंखों में खटकना	बुरा लगना
आकाश के तारे तोड़ना	कठिन कार्य करने को तैयार होना
आग लगने पर कुआं खोदना	आपत्ति आने पर उपाय सोचना
आंखों में खून उतर आना	अति-क्रुद्ध होना
आग बबूला होना	गुस्से में होना
आग में घी डालना	क्रोध बढ़ाना
आगा-पीछा न सोचना	अपने हित-अनहित का ध्यान न रखना
आटे के साथ घुन पिस जाना	दोषी के साथ निर्दोष को भी कष्ट उठाना
आठ-आठ आंसू रोना	अति विलाप करना
आना-कानी करना	बहानेबाजी बनाना
आपे से निकल पड़ना	क्रोध मे आकर बड़े गर्व से बोलना
आवभगत करना	आदर करना
आसमान पर दिमाग होना	बड़ा गर्व करना
आस्तीन का सांप होना	कपटी होना
इतश्री करना	समाप्त करना
इधर-उधर की कहना	बहानेबाजी बनाना
इधर का न उधर का	निरर्थक
इधर-उधर लगाना	चुगली करना
इज्जत गंवा बैठना	मान भंग होना
इने-गिने	थोड़े से
ईद का चांद होना	बहुत दिनों बाद मिलना
ईंट से ईंट बजा देना	नाश करना
उगल देना	रहस्य की बात बताना
उछल पड़ना	प्रसन्नता प्रदर्शित करना

मुहावरे	अर्थ
उतारू होना	आमादा होना
उतार-चढ़ाव होना	अनुभव होना
उथल-पुथल होना	उलट-पलट होना
उलट-फेर होना	परिवर्तन होना
उल्लू बनाना	मूर्ख बनाना
ऊटपटांग बकना	बेमतलब की बातें करना
ऊधम मचाना	उपद्रव करना
एक आँख से देखना	समान व्यवहार करना
एक हो जाना	मिल जाना
एक न सुनना	कुछ न मानना
एक पंथ दो काज	एक ही बार में दो कार्य करना
एडी-चोटी का जोर लगाना	बड़ा कठिन श्रम करना
ऐंठ दिखाना	गर्व करना
ऐसा-वैसा समझना	साधारण मानना
ऐंठ निकालना	गर्व दूर करना
ऐसी-तैसी करना	बड़ी हानि पहुँचाना
औंधे मुँह गिरना	हार जाना
औकात पर आना	चरित्र की बुराई प्रकट करना
कचूमर निकालना	बुरी हालत बनाना
कतरा जाना	बचकर निकलना
कमर कसना	तैयार होना
कपाल क्रिया करना	मार डालना
कमर टूटना	निराश होना
करम फूटना	अभागा सिद्ध होना
कलई खुलना	रहस्य प्रकट होना
कलेजे से लगाना	प्रेम प्रकट करना
कहा-सुनी हो जाना	लड़ाई-झगड़ा हो जाना
कांटों का ताज होना	मुसीबत सामने होना
कागजी घोड़े दौड़ाना	व्यर्थ की लिखा-पढ़ी करना
काफूर होना	भाग जाना, उड़ जाना
काम आना	मर जाना
काया पलटना	बहुत बड़ा परिवर्तन होना
किस्मत खुलना	अच्छे दिन आना

मुहावरे	अर्थ
कीचड़ उछालना	लांछन लगाना
कुत्ते की मौत मरना	दुर्दशा में पड़ कर मरना
कोसों दूर रहना	बचना
क्रोध पी जाना	गुस्सा दबा जाना
खटपट होना	लड़ाई-झगड़ा होना
खलबली मचना	बेचैनी मचना
खाने को दौड़ना	क्रोधपूर्ण वचन कहना
खाक छानना	भटकते फिरना
खिचड़ी पकाना	षड्यन्त्र रचना
खून का प्यासा	प्राण लेने को तैयार
खून उबलना	गुस्से में होना, क्रोध में होना
खेल बिगाड़ना	बना बनाया काम बिगाड़ना
गधे चराना	मूर्ख बने रहना
गरम होना	क्रोध करना
गले पड़ना	ऊपर आ जाना
गहरी-छानना	आनन्द में होना
गिरगिट की तरह रंग बदलना	किसी बात पर स्थिर न होना
गुड़-गोबर होना	बना-बनाया काम बिगाड़ना
गुल खिलना	रहस्य प्रकट होना
घर का न घाट का	कहीं का न होना
घर फूंक तमाशा देखना	अपनी हानि का भान न होना
घुट-घुट कर मरना	भीतर ही भीतर दुःखी होना
चार चांद लगाना	शोभा बढ़ाना
चाल में आना	धोखे में आना
चुटकियों में उड़ाना	आसानी से टाल जाना
चेहरा उतरना	उदास होना
चौकन्ना होना	सावधान होना
छूमन्तर होना	भाग जाना
छोटा मुंह बड़ी बात	अपने से बड़े को काम की राय देना
जले पर नमक छिड़कना	दुःखी को और दुःखी करना
जान से हाथ धोना	मर जाना
जान में जान आना	आशा बंधना
जाल फैलाना	षड्यन्त्र रचना
जी चुराना	आलस्य करना

मुहावरे	अर्थ
झक मारना	व्यर्थ श्रम करना
टाँग पसार के सोना	आराम से सोना
टुकड़ा माँगना	भिक्षा माँगना
टेक रखना	अपनी बात पूरी कर लेना
ठान लेना	निश्चय कर लेना
ठिकाने लगना	काम में आना
डट जाना	दृढ़ता से काम में लगना
डूबते को तिनके का सहारा	पूरी निराशा होने पर आशा बँधना
ढील ढाल करना	देर करना
तिलांजलि देना	छोड़ देना
त्योरी चढ़ाना	क्रोध करना
त्राहि-त्राहि करना	सहायता की पुकार करना
दम तोड़ना	अन्तिम साँस लेना
दम लेना	विश्राम करना
नानी याद आना	घबरा जाना
नाक कटना	बदनाम होना
नौ दो ग्यारह होना	भाग जाना
परदाफाश होना	रहस्य प्रकट होना
पानी-पानी होना	लज्जित होना
प्राण-पखेरू उड़ना	मर जाना
फाके पड़ना	भूखों मरना
फूला न समाना	बहुत प्रसन्न होना
बगुला भगत	पाखंडी
बड़े घर की हवा खाना	जेल में जाना
बहती गंगा में हाथ धोना	अवसर का लाभ उठा लेना
बात काटना	रोड़े अटकाना
बिजली गिरना	आपत्ति आना
बोलती बन्द करना	बात में हरा देना
भंडा फोड़ना	भेद खोलना
भुजा उठाना	प्रतिज्ञा करना
मजा चखाना	दण्ड देना
माल उड़ाना	मौज करना
...भेजना	मार डालना
...चढाना	उपाड़ना

मुहावरे	अर्थ
रफू चक्कर होना	भाग जाना
लोहा लेना	युद्ध करना
लात मारना	तिरस्कार करना
वार देना	न्यौछावर कर देना
सिक्का जमाना	प्रभाव जमाना
सिर मुंडाते ओले पड़ना	प्रारम्भ में ही आपत्तियां आना
हलचल मच जाना	खलबली मच जाना
उस्ताद होना	चालाक होना
गद्गद् हो जाना	आत्मविभोर हो जाना
घुल-घुल कर मर जाना	बिना कुछ कहे हुए अन्दर ही घुटते रहना।
तरस खाना	दया दिखलाना
जाल में फँसना	धोखे में आना
तलवार के धनी	वीर, युद्ध करने में कुशल
दिन काटना	समय गुजारना
नई लहर दौड़ना	नया जोश दिखलाना
सिर कट-कट कर गिरना	युद्ध में काम आ जाना
खून की नदियाँ बहाना	मार-काट करना
मार भगाना	पराजित करना
वार करना	हमला करना
पीठ दिखाना	डरकर भाग जाना
काम तमाम करना	मार डालना
रँगा सियार होना	धूर्त्त, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और।
भण्डाफोड करना	भेद खोलना
स्वर में स्वर मिलाना	हाँ में हाँ मिलाना या चापलूसी करना
अपने पैरों पर खड़ा होना	आत्म-निर्भर होना
मारा-फिरना	इधर-उधर भटकना
तिजोरियाँ भरना	धन इकट्ठा करना
पेट की अग्नि शान्त करना	भूख मिटाना
गजब ढाना	आश्चर्यजनक या आशातीत कार्य करना
उतारू होना	आमादा होना
आँखों से ज्वाला निकलना	अत्यधिक क्रोधित होना
हाथ पैर पीटना	जिद करना, असफल प्रयास करना

मुहावरे	अर्थ
झक मारना	व्यर्थ श्रम करना
टाँग पसार के सोना	आराम से सोना
टुकड़ा माँगना	भिक्षा माँगना
टेक रखना	अपनी बात पूरी कर लेना
ठान लेना	निश्चय कर लेना
ठिकाने लगना	काम में आना
डट जाना	दृढ़ता से काम में लगना
डूबते को तिनके का सहारा	पूरी निराशा होने पर आशा बँधना
ढील ढाल करना	देर करना
तिलांजलि देना	छोड़ देना
त्योरी चढ़ाना	क्रोध करना
त्राहि-त्राहि करना	सहायता की पुकार करना
दम तोड़ना	अन्तिम साँस लेना
दम लेना	विश्राम करना
नानी याद आना	घबरा जाना
नाक कटना	बदनाम होना
नौ दो ग्यारह होना	भाग जाना
परदाफाश होना	रहस्य प्रकट होना
पानी-पानी होना	लज्जित होना
प्राण-पखेरू उड़ना	मर जाना
फाके पड़ना	भूखों मरना
फूला न समाना	बहुत प्रसन्न होना
बगुला भगत	पाखंडी
बड़े घर की हवा खाना	जेल में जाना
बहती गंगा में हाथ धोना	अवसर का लाभ उठा लेना
बात काटना	रोड़े अटकाना
बिजली गिरना	आपत्ति आना
बोलती बन्द करना	बात में हरा देना
भंडा फोड़ना	भेद खोलना
भुजा उठाना	प्रतिज्ञा करना
मजा चखाना	दण्ड देना
माल उड़ाना	मौज करना
... भेजना	मार डालना
... चढ़ाना	उपाड़ना

मुहावरे	अर्थ
रफू चक्कर होना	भाग जाना
लोहा लेना	युद्ध करना
लात मारना	तिरस्कार करना
वार देना	न्यौछावर कर देना
सिक्का जमाना	प्रभाव जमाना
सिर मुंडाते ओले पड़ना	प्रारम्भ में ही आपत्तियां आना
हलचल मच जाना	खलबली मच जाना
उस्ताद होना	चालाक होना
गद्‌गद् हो जाना	आत्मविभोर हो जाना
घुल-घुल कर मर जाना	बिना कुछ कहे हुए अन्दर ही घुटते रहना।
तरस खाना	दया दिखलाना
जाल में फँसना	धोखे मे आना
तलवार के धनी	वीर, युद्ध करने में कुशल
दिन काटना	समय गुजारना
नई लहर दौड़ना	नया जोश दिखलाना
सिर कट-कट कर गिरना	युद्ध में काम आ जाना
खून की नदियाँ बहाना	मार-काट करना
मार भगाना	पराजित करना
वार करना	हमला करना
पीठ दिखाना	डरकर भाग जाना
काम तमाम करना	मार डालना
रँगा सियार होना	धूर्त, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और।
भण्डाफोड़ करना	भेद खोलना
स्वर में स्वर मिलाना	हाँ में हाँ मिलाना या चापलूसी करना
अपने पैरों पर खड़ा होना	आत्म-निर्भर होना
मारा-फिरना	इधर-उधर भटकना
तिजोरियाँ भरना	धन इकट्ठा करना
पेट की अग्नि शान्त करना	भूख मिटाना
गजब ढाना	आश्चर्यजनक या आशातीत कार्य करना
उतारू होना	आमादा होना
आँखों से ज्वाला निकलना	अत्यधिक क्रोधित होना
हाथ पैर पीटना	जिद करना, असफल प्रयास करना

मुहावरे	अर्थ
अन्तिम श्वास लेना	मरणासन्न होना
हाथ में आना	काबू पा लेना
हाथ से निकलना	पश्चाताप करना
हाथ में रहना	कब्जे मे रहना
दबा लेना	नाजायज कब्जा करना
खेल बिगड़ना	बने हुए काम में बाधा उपस्थित हो जाना
उलझन मे पड़ना	संकट में हो जाना

कहावतें या लोकोक्तियाँ :

कहावत	आशय
अपनी-अपनी डफली, अपना-अपना राग	संगठन तथा सहयोग की कमी होना
अधी पीसे कुत्ते खायें	मूर्ख कमाता है तो उसका उपयोग दुष्ट ही करते हैं।
अंधों मे काना राजा	मूर्खों के बीच थोड़े समझदार की भी पूछ होती है।
अकेला चना भाड़ नही फोड़ता	अकेला आदमी कुछ नही कर सकता
अटका बनिया देय उधार	दबने पर मनुष्य सब कुछ करता है या विवश मनुष्य कोई कसर नही छोड़ता
अधजल गगरी छलकत जाय	ओछा आदमी बहुत दिखावा करता है या अयोग्य व्यक्ति बहुत ऐंठता है।
अपना पैसा खोटा तो परखने वाले का क्या दोष	अपने लोग बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहने वालों का क्या दोष।
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गईं खेत	अवसर बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है
अरहर की टट्टी गुजराती ताला	थोडी कीमत की वस्तु की रक्षा के लिए बहुत अधिक खर्च करना
अंधे के आगे रोये और अपने दीदे खोये	अनुपयुक्त व्यक्तियों को अपनी राम-कहानी सुनाना बेकार है।
आधा तीतर आधा बटेर	बेमेल चीजों का एक साथ रहना
आम के आम, गुठली के दाम	दूना लाभ होना अर्थात् सब तरह से लाभ
आये थे हरि मिलन को, ओटन लगे	महान् उद्देश्य भूल कर, छोटे कामों मे लग जाना
भला तो जग भला	खुद अच्छे तो दुनिया भी अच्छी
कुआं, पीछे खाई	हर ओर हानि और खतरा होना

कहावत	आशय
आ बैल मुझे मार	जानबूझ कर झगड़ा या विपत्ति मोल लेना
आमों की कमाई नीबू में गँवाई	एक वस्तु में हुए लाभ का किसी और वस्तु से हुई हानि के कारण बेकार हो जाना
अपनी करनी पार उतरनी	अपने काम का फल भोगना
अक्ल बड़ी या भैंस	शारीरिक शक्ति से बड़ी बुद्धि होती है।
अपने मुँह मियाँ मिट्ठू	अपनी बड़ाई आप करना
अंधेर नगरी चौपट राजा	अच्छे-बुरे की पहचान नहीं होना, अन्याय तथा अव्यवस्था का साम्राज्य।
आँख के अन्धे, गाँठ के पूरे	मूर्ख, पर धनी आदमी
अपनी खिचड़ी अलग पकाना	बिल्कुल अलग रहना
आटे के साथ घुन भी पिसता है	दोषी के साथ निर्दोष को भी दण्ड मिलता है।
आसमान से गिरा तो खजूर में अटका	एक संकट से बचकर दूसरे में पड़ना
ओस चाटे प्यास नहीं बुझती	बहुत कम से काम नहीं चलता
इस हाथ ले, उस हाथ दे	काम का फल शीघ्र ही भोगना
ईंट का जवाब पत्थर	दुष्टों के प्रति कड़ा रुख अपनाना
उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे	दोषी ही दोष बताने वाले पर बिगड़े
उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई ?	भेद खुल ही गया तो डर क्या ?
ऊधो का लेना, न माधो को देना	लूट-पूट से बिल्कुल अलग रहना
ऊँची दुकान फीका पकवान	नाम कुछ बड़ा पर काम कुछ नहीं, ऊपरी आडम्बर तो बहुत हो किन्तु भीतर से वास्तविकता कुछ न हो
एक अनार सौ बीमार	चीज थोड़ी, चाहने वाले बहुत
एक पंथ दो काज	एक काम में दुहरा लाभ अथवा एक काम करने से दो कामों का हो जाना।
कंगाली में आटा गीला	मुसीबत में और मुसीबत
का बरखा जब कृषि सुखानी	काम बिगड़ जाने पर साधन जुटाने से क्या लाभ ?
काला अक्षर भैंस बराबर	बिल्कुल अनपढ़
खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है	एक को देख कर दूसरा भी वैसा ही बन जाता है।

मुहावरे

अन्तिम श्वास लेना
हाथ में आना
हाथ से निकलना
हाथ में रहना
दबा लेना
खेल बिगड़ना
उलझन मे पड़ना

कहावतें या लोकोक्तियाँ :

कहावत

अपनी-अपनी डफली, अपना-अपना राग
अंधी पीसे कुत्ते खायें

अधों में काना राजा

अकेला चना भाड नही फोडता
अटका बनिया देय उधार

अधजल गगरी छलकत जाय

अपना पैसा खोटा तो परखने वाले का क्या दोष
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गईं खेत
अरहर की टट्टी गुजराती ताला

अंधे के आगे रोये और अपने दीदे खोये

आधा तीतर आधा बटेर
आम के आम, गुठली के दाम
आये थे हरि भिजन को, ओटन लगे कपास

भाप तो जग मरा
कुआं, पीछे खाई

कहावत	आशय
पाँचों ऊँगलियाँ बराबर नहीं होतीं	सभी एक-से नहीं होते
बिन माँगे मोती मिले माँगे मिले न भीख	संतोष करके न माँगने वालों को सब कुछ मिल जाता है किन्तु माँगने वाले को कुछ नहीं।
मन चंगा तो कठौती में गंगा	मन शुद्ध है तो घर ही तीर्थ है।
रस्सी जल गई पर बल नहीं गया	कमजोर, गरीब या पहले की तुलना में बहुत महत्त्वहीन हो जाने पर भी यदि कोई बहुत घमण्ड करे।
लातों के भूत बातों से नहीं मानते	दुष्ट व्यक्ति दण्ड से ही मानते हैं, प्रेम से समझाने पर नहीं।
सहज पके सो मीठा होय	धीरे-धीरे सहज रूप से किया गया कार्य ही अच्छा या सुखदाई होता है।
साँच को आँच नहीं	जो सच्चे रास्ते पर है, उसे क्या डर ?
हथेली पर सरसों नहीं जमती	हर काम में समय लगता है, कोई काम चाहने से तुरन्त नहीं हो जाता।
हाथी निकल गया दुम रह गई	सारा काम हो जाना, बस थोड़ा सा शेष रह जाना।
होनहार बिरवान के होत चीकने पात	होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा के लक्षण उनके बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं।
राम नाम जपना पराया माल अपना	धोखे से धन जमा करना
रोग का घर खाँसी, झगड़े का घर हाँसी	आवश्यकता से अधिक मजाक ठीक नहीं।
लिखे ईसा, पढ़े मूसा	बहुत खराब लिखावट
लातों के भूत बातों से नहीं मानते	नीच लोग डर से ही बात मानते है
शौकीन बुढ़िया चटाई का लहँगा	बिना धन का शौक बेढंगा होता है
साँच को आँच नहीं	सच्चे को डर क्या ?
सावन हरा न भादों सूखा	सदा एकरस
सब धान बाइस पसेरी	सबको समान महत्त्व देना
सावन के अन्धे को हरियाली ही सूझती है	सुखी को सब जगह सुख ही दिखाई देता है।
साँप मरे न लाठी टूटे	जरा भी हानि पाये बिना काम पूरा करना।
सीधी उँगली से घी नहीं निकलता	अधिक सीधेपन से काम नहीं चलता

कहावत	आशय
खरी मजूरी चोखा काम	उचित मजदूरी से काम भी अच्छा होता है।
खिसयानी बिल्ली खम्भा नोचे	किसी काम या बात आदि से लज्जित होकर किसी समर्थक के प्रति व्यर्थ में क्रोध प्रदर्शित करना।
खोदा पहाड़ निकली चुहिया	परिश्रम बहुत अधिक, लाभ बहुत कम
गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास	अवसरवादी
गेहूँ के साथ घुन पिसता है	दोषी के साथ निर्दोष भी मारा जाता है। संगति का परिणाम भुगतना ही पड़ता है।
घर का भेदी लंका ढाए	आपस की फूट से सर्वनाश हो जाता है.
घर की मुर्गी दाल बराबर	घर की चीज की कद्र नहीं होती
चोर की दाढ़ी में तिनका	चोर या अपराधी खुद डरता है
छोटा मुँह बड़ी बात	योग्यता या शक्ति से बढ़ कर बातें करना।
जंगल में मोर नाचा, किसने देखा	जब कोई अपना गुण ऐसे स्थान पर दिखाए जहाँ उसे देखने या समझने वाला कोई न हो।
जल में रहकर मगर से वैर	जिसके आश्रय में रहना हो, उसी से वैर करना उचित नहीं।
जिसकी लाठी उसकी भैंस	बलवान की ही जीत होती है
डूबते को तिनके का सहारा	आफत के समय थोड़ी सहायता भी बहुत होती है।
तबेले की बला बंदर के सिर	दूसरे की आफत दूसरे पर
ताली एक हाथ से नहीं बजती	झगड़े में कुछ न कुछ दोष दोनों पक्षों का होता है।
थोथा चना बाजे घना	अयोग्य, निकम्मे या ओछे आदमी बढ़-बढ़ कर बातें करते हैं।
दूर के ढोल सुहावने	दूर की बातें अच्छी लगती हैं
दोनों हाथों में लड्डू	दोनों ओर लाभ
धोबी का कुत्ता घर का न घाट का	जो इधर-उधर भटकता जाता है वह कहीं का भी नहीं रहता।
नौ नकद, न तेरह उधार	ज्यादा मूल्य में उधार देने की अपेक्षा कम मूल्य में नकद बेचना कहीं अच्छा है।

कहावत	आशय
पाँचों ऊँगलियाँ बराबर नहीं होती	सभी एक-से नहीं होते
बिन माँगे मोती मिले माँगे मिले न भीख	संतोष करके न माँगने वालों को सब कुछ मिल जाता है किन्तु माँगने वाले को कुछ नहीं।
मन चंगा तो कठौती में गंगा	मन शुद्ध है तो घर ही तीर्थ है।
रस्सी जल गई पर बल नहीं गया	कमजोर, गरीब या पहले की तुलना में बहुत महत्त्वहीन हो जाने पर भी यदि कोई बहुत घमण्ड करे।
लातों के भूत बातों से नहीं मानते	दुष्ट व्यक्ति दण्ड से ही मानते हैं, प्रेम से समझाने पर नहीं।
सहज पके सो मीठा होय	धीरे-धीरे सहज रूप से किया गया कार्य ही अच्छा या सुखदाई होता है।
साँच को आँच नहीं	जो सच्चे रास्ते पर है, उसे क्या डर ?
हथेली पर सरसों नहीं जमती	हर काम में समय लगता है, कोई काम चाहने से तुरन्त नहीं हो जाता।
हाथी निकल गया दुम रह गई	सारा काम हो जाना, बस थोड़ा सा शेष रह जाना।
होनहार बिरवान के होत चीकने पात	होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा के लक्षण उनके बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं।
राम नाम जपना पराया माल अपना	धोखे से धन जमा करना
रोग का घर खाँसी, झगड़े का घर हाँसी	आवश्यकता से अधिक मज़ाक ठीक नहीं।
लिखे ईसा, पढ़े मूसा	बहुत खराब लिखावट
लातों के भूत बातों से नहीं मानते	नीच लोग डर से ही बात मानते है
शौकीन बुढ़िया चटाई का लहँगा	बिना धन का शौक बेढंगा होता है
साँच को आँच नहीं	सच्चे को डर क्या ?
सावन हरा न भादों सूखा	सदा एकरस
सब धान बाइस पंसेरी	सबको समान महत्त्व देना
सावन के अन्धे को हरियाली ही सूझती है	सुखी को सब जगह सुख ही दिखाई देता है।
साँप मरे न लाठी टूटे	जरा भी हानि पाये बिना काम पूरा करना।
सीधी उँगली से घी नहीं निकलता	अधिक सीधेपन से काम नहीं चलता

कहावत	आशय
नौ सौ मूसे खाय बिलइया हज को चाली	जीवनभर बुरे काम करके अन्त में अच्छा बनने का ढोंग करना।
हाथी के दाँत खाने के और, दिखाने के और	कहना कुछ, करना कुछ और। भीतर और बाहर में बहुत अन्तर होना।
हाथ कंगन को आरसी क्या।	प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत क्या?
हीरे की परख जौहरी जाने।	गुणी ही किसी वस्तु का गुण आँक सकता है।

मुहावरों और कहावतों का अशुद्ध एवं शुद्ध प्रयोग :

	अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
1.	पंजाब के गले में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ गईं।	पंजाब के पैरों में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ गईं।
2.	सम्पादकों का गला घोटने के लिए सदा उनके सिर पर दमन की तलवार लटकी रहती है।	सम्पादकों का गला काटने के लिए सदा उनके सिर पर तलवार लटकी रहती है।
3.	उससे भिड़ना तलवार की नोक पर चलना है।	उससे भिड़ना तलवार की धार पर चलना है।
4.	अच्छा हो आप झूठी शान के पीछे न पड़ें।	अच्छा हो आप झूठी शान के फेर में न पड़ें।
5.	हमने उनकी योजनाओं को दुम दबा कर स्वीकार कर लिया।	हमने उनकी योजनाओं को आँख मीच कर स्वीकार कर लिया।
6.	यह देखकर मेरा तो सिर शर्म से उड़ गया।	यह देखकर मेरा तो सिर शर्म से झुक गया।
7.	जैसे ही डाकुओं ने हमला किया, वहाँ पुलिस आ धमकी।	जैसे ही डाकुओं ने हमला किया, वहाँ पुलिस आ पहुँची।
8.	आज की कमरतोड़ मँहगाई के कारण सभी के हुलिया तंग हैं।	आज की कमरतोड़ मँहगाई के कारण सभी के हाथ तंग हैं।
9.	वे फुटकर काम करके अपना पेशा कमाते हैं।	वे फुटकर काम करके अपनी रोजी कमाते हैं।
10.	अभी ठहरो थोड़ी देर में ही आपकी आँखों पर पड़ा हुआ सारा [illegible] फाश हो जाएगा।	अभी ठहरो थोड़ी देर में ही आपकी आँखों पर पड़ा हुआ सारा परदा हट जायगा।
[illegible]	[illegible] फूट फूट कर चिल्ला दी।	लड़की फूट फूट कर रो रही थी।

	अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
12.	अपने घर में पुत्रजन्म का समाचार सुनकर वह प्रसन्नता के पारावार में बह गया।	अपने घर में पुत्रजन्म का समाचार सुनकर वह प्रसन्नता के पारावार में गोते लगाने लगा।
13.	वहाँ जान पर कुरबान होने वालों की कमी नही।	वहाँ जान कुरबान करने वालों की कमी नही।
14.	उन्होने तुम्हारे जले-भुने शब्दों को मजबूरी में ही स्वीकार किया है।	उन्होने तुम्हारे शब्दों को मजबूरी में जलभुन कर ही स्वीकार किया है।
15.	पुलिस को वहाँ देखकर वह सिट्टी भूल गई।	पुलिस को वहाँ देखकर उसकी सिट्टी गुम हो गई।
16.	आजकल उसका बोलबोला कम हो गया है।	आजकल उसका बोल-बाला नही है।
17.	वहाँ ऐसे लोगों को पर मारने नही दिया जाता।	वहाँ ऐसे लोग पर नही मार सकते।
18.	उस पर घड़ो पानी गिर गया।	उस पर घड़ों पानी पड़ गया।
19.	आज के नवयुवकों की हरकतों से लाज और लिहाज के सभी मोरचे टूट पड़े हैं।	आज के नवयुवकों की हरकतों से लाज और लिहाज के सभी मोरचे टूट गए हैं।
20.	उसकी हरकतें देखकर वहाँ सभी दाँतों तले उँगली दबा गये।	उसकी कमीनी हरकतें देखकर वहाँ सभी दाँतों तले उँगली दबा गए।
21.	मैंने उसकी उदारता और सज्जनता का कई बार मजा चखा है।	मैंने उसकी उदारता और सज्जनता का कई बार मजा लिया है।
22.	युग की माँग का यह बीड़ा कौन चबाता है।	युग की माँग का यह बीड़ा कौन उठाता है?
23.	दावत में मनपसन्द मिठाई देखकर उसकी बाछें खुल गईं।	दावत मे मन पसन्द मिठाई देखकर उसकी बाछें खिल गईं।
24.	नौकर द्वारा नुकसान किये जाने पर मालिक ने उसकी आड़े हाथों से खबर ली।	नौकर द्वारा नुकसान किए जाने पर मालिक ने उसे आड़े हाथों लिया।
25.	तुम्हारी हरकतों से मेरी नाक में दम हो गया है।	तुम्हारी हरकतों से मेरा नाक में दम हो गया है।
26.	क्यों व्यर्थ में झूठी बातें बनाते हो!	क्यों व्यर्थ में बातें बनाते हो।
27.	रमेश से उसके मित्र ने बात भी नहीं की तो वह अपना मुँह लेकर वापस आ गया।	रमेश से उसके मित्र ने बात भी नही की तो वह अपना सा मुँह लेकर लौट आया।

	अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
28.	उसके कदम आगे बढ़ने में सहम जाते थे।	वह आगे कदम बढ़ाने में सहम जाता था।
29.	उसका सिर चक्कर काटने लगा।	उसका सिर चकराने लगा।
30.	वे लीग के प्रचार का मुँह उसे प्रान्तीय शासन में उचित स्थान देकर बन्द करना चाहते हैं।	वे लीग का मुँह उसे प्रान्तीय शासन में उचित स्थान देकर बन्द करना चाहते हैं।
31.	आपके दोनों हाथ लड्डू है।	आपके दोनों हाथो में लड्डू हैं।
32.	अपने पास होने का समाचार सुन कर वे लोग फूल कर कुप्पे हो गए।	अपने पास होने का समाचार सुनकर वह फूलकर कुप्पा हो गया।
33.	उसने मुझसे कहा कि 'चोर की दाढ़ी में तिनका'।	राम की पुस्तक चोरी चले जाने पर एक लड़का जब चोरी के बारे में बिना पूछे ही सफाई देने लगा तो अध्यापक ने कहा कि चोर की दाढी में तिनका।
34	राम ने रमेश के घर जाकर कहा कि मान न मान मैं तेरा महमान।	रमेश के मना करने पर भी कुछ परिचित छात्र उसके घर चाय पीने पहुँच गए। उन्हें देखकर रमेश ने कहा कि आप लोगो ने तो यह कहावत चरितार्थ कर दी कि 'मान न मान मैं तेरा महमान'।
35.	ऊँट के मुँह में जीरा डालने से कोई लाभ नही होता।	आपने कड़कती भूख में मुझे एक ही बिस्कुट दिया तो ऐसा लगा जैसे कि ऊँट के मुँह मे जीरा' डाला गया हो।
36.	राम ने अपने मित्र से कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं।	जब दूध मे पानी मिलाकर बेचने वाला ग्वाला कहने लगा कि आजकल घी में डालडा मिलाकर बेचने वाले शुद्ध देशी घी कहकर बेचते हैं तो घी वाले ने कहा कि अपनी ओर देखो—चोर-चोर मौसेरे भाई होते हैं।
37.	राम ने रमेश से कहा कि अन्धा क्या चाहे दो आँखें।	राम नौकरी के लिए दर-दर भटक रहा था। वह संयोगवश वन-विभाग के कार्यालय मे जा पहुँचा। वहाँ एक लिपिक का स्थान रिक्त था। अधिकारी ने राम से पूछा—नौकरी करोगे? राम ने सविनय उत्तर दिया—"अन्धा क्या चाहे दो आँखें"।

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
38. अरे भाई क्या देख रहे हो—ओस को चाटने से प्यास नहीं बुझती।	अरे भाई ! जहाँ करोड़ों रुपयों का घाटा है, वहाँ सौ-दो सौ रुपयो की सहायता क्या काम देगी ? कहीं ओस को चाटने से भी प्यास बुझती है ?
39 गागर में सागर भरना ही बुद्धिमानी है।	हिन्दी के प्रसिद्ध कवि बिहारी के दोहे वास्तव में गागर में सागर है।
40. कंगाली में आटा गीला तो वैसे ही है मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ।	आजकल चीनी के दर्शन तो वैसे ही नहीं होते। थैला फटा होने के कारण राशन की चीनी लाते समय आधे से अधिक रास्ते में ही गिर गई। सच है—कंगाली में आटा गीला।
41. पंडित जी को जब एक गाय दान में दी गई तो उन्होने कहा दान की बछिया के दाँत नहीं देखे जाते।	हरीश को ससुराल से एक रेडियो दहेज में मिला। वह बहुत अच्छा नहीं था। रमेश के पूछने पर उसने कहा कि रेडियो तो मिला पर घटिया है। यह सुनकर रमेश ने कहा—भाई ! दान की बछिया के दाँत नहीं देखे जाते।

अभ्यास के प्रश्न

1. मुहावरे और लोकोक्तियों या कहावतों की भाषा में क्या उपयोगिता है ?
2. मुहावरों और कहावतों में क्या अन्तर है ?
3. निम्नांकित में कौन-कौन से मुहावरे है और कौन-कौन सी कहावतें ?
   - क. घाव पर नमक छिड़कना
   - ख. उल्टी गंगा बहाना
   - ग. अधजल गगरी छलकत जाय
   - घ. आग में घी डालना
   - च. जिसकी लाठी उसकी भैंस
   - छ. अंगूठा दिखाना
   - ज. दाल न गलना
   - झ. बाल की खाल निकालना
   - ट. चूड़ियाँ पहनना
   - ठ. ईंट से ईंट बजाना
   - ड. चलती का नाम गाड़ी
   - ढ. चिराग तले अंधेरा
4. ऊपर दिए गए मुहावरों और कहावतों का अपनी भाषा में प्रयोग कीजिए।
5. एक ऐसा वाक्य बनाइये जिसमें एक मुहावरा और एक कहावत का प्रयोग हो।
6. अपनी पाठ्यपुस्तक से कुछ मुहावरे और कहावतें चुनिए।

9 रचना और उससे सम्बन्धित त्रुटियाँ

(रचना का अभिप्राय, रचना के प्रकार, रचनागत भूलें, रचना का विशिष्ट अर्थ, रचना का शिक्षण, रचना शिक्षण के विभिन्न स्तर, रचना के मुख्य रूप, पत्र-लेखन, पत्र लेखन का महत्त्व, पत्र लेखन संबंधी भूलें, पत्रों के प्रकार, पत्रों के लिखने का ढंग, निबन्ध लेखन, निबन्ध लेखन का महत्त्व, निबन्ध लेखन संबंधी भूलें, निबन्ध के प्रकार, निबन्ध लिखने का ढंग, कहानी लेखन का अभ्यास, सार-लेखन का तात्पर्य, सारलेखन में आवश्यक बिन्दु, सारलेखन की प्रक्रिया, सारलेखन में होने वाली सामान्य भूलें)

रचना का अभिप्राय—किसी मनुष्य के द्वारा अपने विचारों और भावों को प्रकट करना उसकी अपनी रचना कहलाता है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि विचारों को किसी भी प्रकार से ऊट-पटांग प्रकट कर दिया जाय और वह रचना कहलाने लगे। भाषा और उसके साहित्यिक क्षेत्र में विचारों को क्रम-बद्ध तरीके से उपयुक्त शब्दों द्वारा प्रकट करना और उन्हें सँवारना-सजाना ही रचना है।

रचना के प्रकार :

रचना दो प्रकार की होती है—(1) मौखिक, (2) लिखित। मनुष्य अपने विचारों को अधिकतर बोलचाल द्वारा ही प्रकट करता है। अतः मौखिक रचना मानव-जीवन में बड़ा महत्त्व रखती है। लिखित रचना का आधार भी मौखिक रचना ही होती है। विचारों या भावों को लिपिबद्ध करना लिखित रचना कहलाता है। रचना को दूसरे प्रकार से भी चार भागों में बाँटा जा सकता है।

(1) पुनर्कथित—जिसमें छात्र अपनी ओर से कुछ नहीं लिखता वरन् उसने जो कुछ मौखिक या पाठ्यपुस्तकों में पढ़ कर सीखा है उसी को आधार बनाकर लिखता है।

(2) पुनर्योजित—इसमें छात्र सीखी हुई वाक्य संरचनाओं को परिवर्तित करके लिखता है।

(3) नियन्त्रित रचना—छात्र इस रचना में लगभग उन्हीं विचारों को प्रस्तुत करता है जिसकी अपेक्षा शिक्षक को होती है।

(4) मुक्त रचना—इसमें छात्र इच्छित अर्थ या विचारों को व्यक्त करने के लिए वाक्य संरचना और शब्दावली का चयन स्वयं करता है।

रचनागत भूलें :

माध्यमिक स्तर को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की रचनाओं को पढ़ने से ज्ञात होता है कि उनकी रचनाओं में अनेक दोष पाये जाते हैं। भावों के उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का सही गठन, अनुच्छेद प्रक्रिया का निर्वाह, विचारों की क्रम-बद्धता, सुसम्बद्धता, तथ्यों का संकलन, कथ्य का प्रकाशन और मौलिकता जैसे गुण विरली रचनाओं मे देखने को मिलते हैं। पुनरुक्ति, अनावश्यक विस्तार, असंगत विचार और अप्रासगिक विवरण जैसे दोषों से अधिकतर रचनाएँ भरी होती हैं। इसका मुख्य कारण है रचना के संबंध में उचित शिक्षा का अभाव। परीक्षा के समय छात्रों द्वारा लिखी गई कहानी, संवाद, जीवनी, आत्मकथा, निबंध, पत्रादि को पढ़ने से मालूम होता है कि छात्रों को न रचना की शैली का ज्ञान है और न उसके प्रारूप का। वे विचारों की पुनरावृत्ति करके, प्रसंग और विषय से बाहर की बातें लिख करके, शब्दों को अशुद्ध रूप से प्रयुक्त करके ऐसी रचनाओं का प्रस्तुतीकरण करते हैं कि जिससे वे जो कुछ कहना चाहते हैं वह उस रचना से बन नहीं पड़ता। कोई भी बात कहने का ढंग टेढ़ा होता है। वाक्य अपूर्ण, अनर्गल, भ्रामक एवं शिथिल होते हैं, उनमे क्रम ठीक नहीं होता। किसी भी दोष से उनकी रचना भरी होती है। विशेषकर पत्र और निबन्ध की रचनाओं में वे कई प्रकार की भूलें करते हैं। मूल बात यह है कि बहुत कम छात्र रचना-लेखन में रुचि लेते हैं। रचना के लेखन में लिखते रहने के अभ्यास की आवश्यकता अधिक होती है। किसी छात्र को विषय का ज्ञान तो हो, किन्तु उसे लिखने का अभ्यास न हो तो वह अच्छी रचना कर ही नही सकता।

रचना का विशिष्ट अर्थ—वैसे तो रचना मौखिक और लिखित दो प्रकार की होती है, किन्तु लिखित रचना ही में विचारों को क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण, सुव्यवस्थित और नपे-तुले रूप में प्रकट करने का अभ्यास दिया जा सकता है अतः रचना शब्द का प्रयोग लिखित रचना के लिए रूढ़-सा हो गया है। लिखित रचना ही को विभिन्न शैलियों में प्रस्तुत करने का अभ्यास संभव है। लिखित रचनाओं के माध्यम से धीरे-धीरे अभ्यास और संशोधन द्वारा शुद्ध, व्याकरण-सम्मत एवं प्रभावोत्पादक भाषा का प्रयोग, विभिन्न शैलियों का निर्माण, उपयुक्त प्रारूप का निर्वाह छात्रों को सिखाया जा सकता है। अभ्यास द्वारा ही वे अपनी लिखित रचनाओं को अप्रासंगिक उल्लेख, अनावश्यक विस्तार और अव्यवस्थित ढंग जैसे दोषों से बचा सकते है। इसके लिए रचना के संबंध में उपयुक्त शिक्षा छात्रों को दी जानी चाहिए।

रचना सिखाना :

रचना सिखाने का अर्थ है छात्रों को अपने विचारों को मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्त करना सिखाना। रचना शब्द अंग्रेजी शब्द कम्पोजीशन का पर्याय है। इसका अर्थ होता है "एक साथ रखना"। शब्दों वाक्यांशों और वाक्यों को इस प्रकार एक साथ रखा जाय कि उनके द्वारा अर्थ या कथ्य स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो

सके, रचना कहलाती है। अतः रचना का अर्थ है किसी विषय विशेष से संबंधित विचारों को क्रम-बद्ध रूप में प्रकट करना।

छात्रों को अच्छी रचना करने वाले बनाने के लिए उनमें सर्वप्रथम निरीक्षण करने की प्रवृत्ति जगानी चाहिए। जब तक उनमें किसी वस्तु, घटना, दृश्य आदि को भलीभाँति और गहराई से देखने की आदत नहीं पड़ती तब तक उनकी रचना अधिक विस्तृत, सफल और प्रासंगिक नहीं हो सकती। दूसरी बात है उनमें कल्पना शक्ति बढ़ाने की। उन्हें पूर्व-परिचित कथाओं, घटनाओं और वार्ताओं में अभीष्ट परिवर्तन करके लिखने का अभ्यास दिया जाना चाहिए। तीसरी बात है कि उन्हें पत्र पत्रिकाएँ, बाल साहित्य, उपयुक्त पुस्तकें और दूसरों की रचनाओं को पढ़ने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए। रचना-शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की रचनाओं का अध्ययन आवश्यक होता है। चौथी बात यह है कि उन्हें कहानी-संवाद, जीवनी, घटना, निबंध, सारांश और विभिन्न प्रकार के प्रारूपों से परिचित करवाया जाना चाहिए। रचनाओं के उपयुक्त रूपों का बड़ा महत्त्व है। इसकी शिक्षा के अभाव में आज छात्र साधारण पत्रों और निबंधों के रूपों से भी परिचित नहीं होते हैं। अच्छी रचना कर सकने के लिए केवल परिचय मात्र से कुछ नहीं होता, अपितु उसमें शैली की विविधताओं और भिन्न-रूपताओं को ला सकने के लिए अच्छे अभ्यास की जरूरत है। अन्तिम बात है, रचना में विषयानुकूल भावों को क्रम से सँजोने की। रचना में सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध शुद्ध और सरल भाषा का प्रयोग करने का अभ्यास देना चाहिए। भावानुकूल शब्दों का प्रयोग हो। जो कहना चाहे, वही अर्थ वाक्यों से निकले। मुहावरों और लोकोक्तियों का उचित प्रयोग किया जाय। स्पष्टता, प्रभावोत्पादकता, विषयानुकूलता और भावों की एकता का निर्वाह रचना में हो सके— इसके लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। छात्रों को क्रम से रचना की विनोदात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, आलोचनात्मक, अलंकारात्मक जैसी विभिन्न शैलियों से भी परिचित कराया जाय। रचना शिक्षण में निम्नांकित सोपानों को आधार बनाया जा सकता है।

(क) वाक्य-संशोधन-अभ्यास—प्रारम्भ में छात्रों को नियमित रूप से वाक्य-लेखन का अभ्यास कराया जाय। वाक्य-संशोधन-अभ्यास निम्नानुसार कराया जा सकता है।

चयन-अभ्यास— वाक्यों में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग।

यथा—बत्तख पानी में ·········रही है। (भाग, चर, दौड़)

एक प्रश्न का सही उत्तर लिखना।

यथा—टोपी दिखाकर—क्या यह कुर्त्ता है?

—हाँ, यह कुर्त्ता है।

—नहीं, यह कुर्त्ता नहीं है।

—यह टोपी है।

क्रम-अभ्यास—वाक्य के शब्दों को क्रम-बद्ध करना।

यथा—बहुत सुन्दर आपकी तस्वीरें भेंट मुझको कीजिए।

अनुस्थापन-अभ्यास—एक वाक्यांश को उसके उपर्युक्त वाक्यांश के साथ जोड़ना।

यथा—मछली	पानी में तैर रही है।
नाव	पानी पर तैर रही है।
	पानी के अन्दर तैर रही है।
कन्या	पानी के नीचे तैर रही है।
लकड़ी	पानी के ऊपर तैर रही है।

रिक्तस्थान पूर्ति-अभ्यास—रिक्तस्थान की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा करवाना।

यथा—राम और मोहन स्कूल से .... रहे हैं।

रेल .... पर चल रही है।

पुनर्नियोजन पूर्ति अभ्यास—वाक्य बदल कर, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके अथवा शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके उपर्युक्त अभ्यास के द्वारा छात्रों में वाक्य के गठन और आन्तरिक संबंधों का बोध हो जाता है।

(ख) वाक्य-रचना अभ्यास—वाक्य संशोधन अभ्यास के बाद छात्रों को नियन्त्रित वाक्य रचना का अभ्यास करवाया जाय। यह अभ्यास निम्न प्रकार से दिया जा सकता है।

वाक्य-लेखन अभ्यास—चित्रों को देखकर उनके आधार पर वाक्यों की रचना करवाना।

सारिणी वाक्य निर्माण अभ्यास—एक सारिणी के आधार पर कई वाक्यों का निर्माण करवाना।

यथा—वह	विद्यालय	से	आफिस	जा/आ/खा/
सीता	घर	को	बाजार	ला/रहा/रही/
वे	ग्राम		पुस्तकालय	रहे/है/हैं
राम और कृष्ण				

(ग) अनुच्छेद रचना अभ्यास—एक से अधिक वाक्यों को एक साथ क्रमबद्ध रूप से लिखवाना। इसमें छात्रों को अपने शब्द और वाक्य प्रयुक्त करने की स्वतन्त्रता दी जाय।

यह कार्य निम्न प्रकार से किया जा सकता है—

(1) अधूरे वाक्यों में क्रिया के रूप लिखना।

(2) एक वाक्यांश के स्थान पर दूसरा वाक्यांश लिखवाना।

(3) एक ही बात को छोटे-छोटे वाक्यों में विस्तार से लिखवाना।

(4) रूपरेखा के प्रत्येक बिन्दु पर कुछ वाक्य लिखवाना।

(5) पाठ्य कहानियों, संवादों, गद्यांशों का सारांश लिखवाना।

(6) कहानी की किसी घटना में मोड़ देकर उसे लिखवाना।

(7) किसी पठित कहानी को उत्तम पुरुष में लिखवाना।
(8) रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखवाना।
(9) किसी घटना, त्योहार, मेले का वर्णन लिखवाना।
(10) किसी गद्यांश का भाव कुछ वाक्यों में लिखवाना।
(11) कुछ वाक्यों में अपना परिचय लिखवाना।
(12) चित्र को आधार बनाकर पाँच-सात वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखवाना।
(13) अनुच्छेदों का वाचन करवा कर उनके आधार पर नया अनुच्छेद लिखवाना।

मुक्त रचना अभ्यास—विषय से सम्बन्धित जानकारी देकर छात्रों से क्रमबद्ध व प्रभावोत्पादक सुपाठ्य वर्णन लिखवाना।

मुक्त रचना में पत्र-लेखन, कहानी लेखन, सारांश लेखन व निबन्ध लेखन का कार्य करवाया जाय।

रचना सिखाने के विभिन्न स्तर :

प्रथम स्तर पर मौखिक रचना—विभिन्न प्रकार के वाक्यों की रचना, वार्तालाप के समयानुकूल भाषा का प्रयोग, साधारण प्रश्नों के उत्तर, अपने परिचय में कुछ वाक्य।

द्वितीय स्तर पर मौखिक एवं लिखित रचना—चित्र-वर्णन, क्षेत्रीय कथाओं का वर्णन, घर, पड़ोसी, पाठशाला, बाजार, हाट, उत्सव, मेले, साथी-मित्र, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे आदि और परिचित दृश्यावली के सम्बन्ध मे क्रमपूर्वक वाक्य लिखना।

तृतीय स्तर पर मौखिक एवं लिखित रचना—पठित या श्रुत कहानियों का लेखन, दिनचर्या का विवरण, अनुभूत यात्रा वर्णन, घरेलू पत्र-लेखन, विद्यालय प्रार्थना-पत्र लेखन, वार्तालाप, हास्य-विनोद और संवाद लेखन, अपने कार्यों का विवरण लेखन, तथा सारांश लेखन।

चतुर्थ स्तर पर लिखित रचना—पठित निबन्धों के आधार पर निबन्ध-लेखन आत्मकथा, जीवनी-लेखन, गोष्ठी-प्रतिवेदन लेखन, व्यापारिक, व्यावहारिक और सरकारी पत्र-लेखन, सामान्य तुकबंदी में कविता लेखन, अभिनन्दन-पत्र, शोक-पत्र, सूचना-पत्र, निमन्त्रण-पत्र, आदेश पत्र, तार आदि का लेखन, वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक निबंध लेखन।

पंचम स्तर पर लिखित रचना—विचारात्मक निबंध लेखन सामान्य, आलोचना लेखन, व्याख्या, प्रस्तावना, टिप्पणी व भूमिका लेखन, मौलिक लघु कथा-लेखन, संवाद लेखन, काल्पनिक वर्णन लेखन। रचना को भावात्मक वाक्यों का गठन करके तार्किक शैली में विषयवस्तु को उदाहरणादि से प्रस्तुत करते हुए प्रभावोत्पादक बनाया जाना चाहिए। व्यवहारोपयोगी लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करते हुए रचना की [illegible] को रोचक बनाया जा सकता है। भाषा पर अच्छा अधिकार अच्छी रचना लेखन के लिए आवश्यक है। रचना लिखना सीखने के लिए सरल से जटिल की ओर बढ़ना [illegible]। छात्रों से पहले सरल वाक्य, फिर मिश्रित वाक्य, इसके बाद अनुच्छेद और

बाद में लेख लिखवाना चाहिए। विषयों की कठिनाई का क्रम भी धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। छात्रों में रचना लिखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहिए। अगर अध्यापक छात्रों के स्तर के अनुकूल विषयों को छाँटे और वार्तालाप द्वारा उन पर पूरा प्रकाश डाले, तत्पश्चात उन्हें लिखने को कहें तो छात्र रचना के लिखने में प्रवृत्त होंगे। उन्हें विस्तृत बालोपयोगी साहित्य पढ़ने को दिया जाना चाहिए जिससे वे अपनी रचना के लिए सामग्री जुटा सकें।

रचना के मुख्य रूप—पहले भी लिखा जा चुका है कि रचना का प्रयोग आजकल लिखित रचना के लिए विशेषकर होता है। यद्यपि लिखित रचना के रूपों में कहानी, संवाद, सारांश, जीवनी, आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास, नाटक, निबंध एवं पत्रादि की गणना होती है किन्तु हायर सैकण्डरी स्तर तक पत्रो, निबंधों और कथाओं की रचना का सम्यक् ज्ञान तो आवश्यक ही है क्योंकि इनका उपयोग सामान्यतया सभी स्थितियों के मनुष्यों द्वारा किया जाता है।

पत्र—विज्ञान ने यातायात की सुविधा को इतना अधिक बढा दिया है कि संसार के एक भाग के लोग दूसरे किसी भाग के लोगों से किसी न किसी प्रकार का सम्पर्क अवश्य बनाये रखते हैं और सम्पर्क स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन पत्र होता है। एक-दूसरे के समाचार जानने के लिए, व्यापार के लिए, सहायता के लिए, वस्तुएँ मँगवाने-भेजने के लिए पत्र लिखना पड़ता है।

पत्र-लेखन का महत्त्व :

पत्र लिखना एक विशिष्ट कला है। यदि बिना उसका उचित प्रारूप जाने और बिना नियमों की जानकारी के कोई पत्र लिखा जाता है तो पत्र को प्राप्त करने वाले के लिए वह स्थति को स्पष्ट नहीं करता। उलटे विपरीत प्रभाव डालने वाला होता है। पत्र लिखने का एक उद्देश्य यह होता है कि पत्र का लेखक अपनी बातों को पत्र-प्राप्तिकर्त्ता तक ठीक तरह से पहुँचा दे।

पत्र-लेखन संबंधी भूलें :

जितना अधिक उपयोग जीवन में पत्रों का बढ़ रहा है, उतनी ही अधिक भूलें आजकल छात्र पत्र-लेखन में करने लगे हैं। पत्र लिखने का स्थान, दिनांक या पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर न लिखना आम बात हो गई है। सम्बोधन और आदर-स्नेहादि के लिए उचित शब्दों का प्रयोग नही किया जाता। पत्र में लिखी जाने वाली बातों का कोई क्रम नहीं होता। कई वाक्य तो अप्रासंगिक भी लिख दिये जाते हैं। कभी-कभी वाक्यों का तात्पर्य ही प्रसंग से बिल्कुल उल्टा प्रकट होता है। जो बात पत्र में लेखक लिखना चाहता है वह उसके कलेवर से स्पष्ट नहीं होती। हास्यास्पद सम्बोधन और बड़ों को आशीर्वादात्मक तथा छोटों को आदर-सूचक शब्द लिखे जाते हैं। पत्र का लेखक अपने हस्ताक्षर से पूर्व किसको आपका, आज्ञाकारी, विनीत, निवेदक, हितैषी लिखे और किसको तुम्हारा, प्रार्थी, प्रिय, स्नेही, अभिन्न, चरणों की दासी, प्यारी सखी आदि लिखे—यह ज्ञान आजकल कम छात्रों को होता है। पत्र पाने वाले का पता

(7) किसी पठित कहानी को उत्तम पुरुष में लिखवाना।
(8) रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखवाना।
(9) किसी घटना, त्यौहार, मेले का वर्णन लिखवाना।
(10) किसी गद्यांश का भाव कुछ वाक्यों में लिखवाना।
(11) कुछ वाक्यों में अपना परिचय लिखवाना।
(12) चित्र को आधार बनाकर पाँच-सात वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखवाना।
(13) अनुच्छेदों का वाचन करवा कर उनके आधार पर नया अनुच्छेद लिखवाना।

मुक्त रचना अभ्यास—विषय से सम्बन्धित जानकारी देकर छात्रों से क्रमबद्ध व प्रभावोत्पादक सुपाठ्य वर्णन लिखवाना।

मुक्त रचना में पत्र-लेखन, कहानी लेखन, सारांश लेखन व निबन्ध लेखन का कार्य करवाया जाय।

रचना सिखाने के विभिन्न स्तर :

प्रथम स्तर पर मौलिक रचना—विभिन्न प्रकार के वाक्यों की रचना, वार्तालाप के समयानुकूल भाषा का प्रयोग, साधारण प्रश्नों के उत्तर, अपने परिचय में कुछ वाक्य।

द्वितीय स्तर पर मौलिक एवं लिखित रचना—चित्र-वर्णन, क्षेत्रीय कथाओं का वर्णन, घर, पड़ोसी, पाठशाला, बाजार, हाट, उत्सव, मेले, साथी-मित्र, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे आदि और परिचित दृश्यावली के सम्बन्ध में क्रमपूर्वक वाक्य लिखना।

तृतीय स्तर पर मौलिक एवं लिखित रचना—पठित या श्रुत कहानियों का लेखन, दिनचर्या का विवरण, अनुभूत यात्रा वर्णन, घरेलू पत्र-लेखन, विद्यालय प्रार्थना-पत्र लेखन, वार्तालाप, हास्य-विनोद और संवाद लेखन, अपने कार्यों का विवरण लेखन, तथा सारांश लेखन।

चतुर्थ स्तर पर लिखित रचना—पठित निबन्धों के आधार पर निबन्ध-लेखन आत्मकथा, जीवनी-लेखन, गोष्ठी-प्रतिवेदन लेखन, व्यापारिक, व्यावहारिक और सरकारी पत्र-लेखन, सामान्य तुकबंदी में कविता लेखन, अभिनन्दन-पत्र, शोक-पत्र, सूचना-पत्र, निमन्त्रण-पत्र, आदेश पत्र, तार आदि का लेखन, वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक निबंध लेखन।

पंचम स्तर पर लिखित रचना—विचारात्मक निबंध लेखन सामान्य, आलोचना लेखन, व्याख्या, प्रस्तावना, टिप्पणी व भूमिका लेखन, मौलिक लघु कथा-लेखन, संवाद लेखन, काल्पनिक वर्णन लेखन। रचना को भावात्मक वाक्यों का गठन करके तार्किक शैली में विषयवस्तु को उदाहरणादि से प्रस्तुत करते हुए प्रभावोत्पादक बनाया जाना चाहिए। व्यवहारोपयोगी लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करते हुए रचना की भाषा को रोचक बनाया जा सकता है। भाषा पर अच्छा अधिकार अच्छी रचना लेखन के लिए आवश्यक है। रचना लिखना सीखने के लिए सरल से जटिल की ओर बढ़ना चाहिए। छात्रों से पहले सरल वाक्य, फिर मिश्रित वाक्य, इसके बाद अनुच्छेद और

बाद में लेख लिखवाना चाहिए। विषयों की कठिनाई का क्रम भी धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। छात्रों में रचना लिखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहिए। अगर अध्यापक छात्रों के स्तर के अनुकूल विषयों को छाँटे और वार्तालाप द्वारा उन पर पूरा प्रकाश डाले, तत्पश्चात उन्हें लिखने को कहें तो छात्र रचना के लिखने में प्रवृत्त होंगे। उन्हें विस्तृत बालोपयोगी साहित्य पढ़ने को दिया जाना चाहिए जिससे वे अपनी रचना के लिए सामग्री जुटा सकें।

रचना के मुख्य रूप—पहले भी लिखा जा चुका है कि रचना का प्रयोग आजकल लिखित रचना के लिए विशेषकर होता है। यद्यपि लिखित रचना के रूपों में कहानी, संवाद, सारांश, जीवनी, आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास, नाटक, निबंध एवं पत्रादि की गणना होती है किन्तु हायर सैकण्डरी स्तर तक पत्रों, निबंधों और कथाओं की रचना का सम्यक् ज्ञान तो आवश्यक ही है क्योंकि इनका उपयोग सामान्यतया सभी स्थितियों के मनुष्यों द्वारा किया जाता है।

पत्र—विज्ञान ने यातायात की सुविधा को इतना अधिक बढा दिया है कि संसार के एक भाग के लोग दूसरे किसी भाग के लोगों से किसी न किसी प्रकार का सम्पर्क अवश्य बनाये रखते हैं और सम्पर्क स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन पत्र होता है। एक-दूसरे के समाचार जानने के लिए, व्यापार के लिए, सहायता के लिए, वस्तुएँ मँगवाने-भेजने के लिए पत्र लिखना पड़ता है।

पत्र-लेखन का महत्त्व :

पत्र लिखना एक विशिष्ट कला है। यदि बिना उसका उचित प्रारूप जाने और बिना नियमो की जानकारी के कोई पत्र लिखा जाता है तो पत्र को प्राप्त करने वाले के लिए वह स्थिति को स्पष्ट नही करता। उल्टे विपरीत प्रभाव डालने वाला होता है। पत्र लिखने का एक उद्देश्य यह होता है कि पत्र का लेखक अपनी बातों को पत्र-प्राप्तिकर्त्ता तक ठीक तरह से पहुँचा दे।

पत्र-लेखन संबंधी भूलें :

जितना अधिक उपयोग जीवन में पत्रों का बढ़ रहा है, उतनी ही अधिक भूलें आजकल छात्र पत्र-लेखन में करने लगे है। पत्र लिखने का स्थान, दिनांक या पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर न लिखना आम बात हो गई है। सम्बोधन और आदर-स्नेहादि के लिए उचित शब्दों का प्रयोग नही किया जाता। पत्र में लिखी जाने वाली बातों का कोई क्रम नही होता। कई वाक्य तो अप्रासंगिक भी लिख दिये जाते हैं। कभी-कभी वाक्यों का तात्पर्य ही प्रसंग से बिल्कुल उल्टा प्रकट होता है। जो बात पत्र में लेखक लिखना चाहता है वह उसके कलेवर से स्पष्ट नही होती। हास्यास्पद सम्बोधन और बड़ों को आशीर्वादात्मक तथा छोटों को आदर-सूचक शब्द लिखे जाते हैं। पत्र का लेखक अपने हस्ताक्षर से पूर्व किसको आपका, आज्ञाकारी, विनीत, निवेदक, हितैषी लिखे और किसको तुम्हारा, प्रार्थी, प्रिय, स्नेही, अभिन्न, चरणों की दासी, प्यारी पत्नी आदि लिखे—यह ज्ञान आजकल कम छात्रों को होता है। पत्र पाने वाले का पता

सही ढंग से लिखने की जानकारी तो और भी कम छात्रों को होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि छात्रों को उचित तरीके से पत्र लिखने का अभ्यास नहीं दिया जाता।

पत्रों के प्रकार :

मुख्यतया, पत्र तीन प्रकार के होते हैं : (1) निजी पत्र, (2) व्यावहारिक पत्र, (3) प्रार्थना पत्र। कुशल समाचार जानने घरेलू संवाद भेजने, प्रसन्नता प्रकट करने, आमन्त्रित करने आदि के लिए लिखे जाने वाले पत्र निजी पत्र होते हैं। व्यावहारिक पत्रों मे व्यापार, बिक्री, खरीद, प्रशंसा, शिकायत, सूचना, संवाद आदि का ब्यौरा लिखा जाता है। नौकरी, छुट्टी, सहायता, सहयोग आदि के लिए प्रार्थना-पत्र लिखे जाते हैं।

पत्रों के लिखने का ढंग :

आजकल जो पत्र लिखे जाते हैं उनमें सर्वप्रथम दाईं ओर ऊपर के कोने में भेजने वाले का पता तथा उसके नीचे पत्र लिखने का दिनांक लिखा जाता है। उसके थोड़ा नीचे बाईं ओर पत्र-प्राप्तिकर्ता को आदर, स्नेह या आशीर्वाद सूचक शब्द लिखकर सम्बोधित किया जाता है। इससे आगे थोड़ा नीचे कुछ स्थान छोड़ कर पत्र के कलेवर में अपने समाचारों का उल्लेख करता है। पत्र की समाप्ति पर लेखक दाईं ओर नीचे अपने हस्ताक्षर किया जाता है। अगर पत्र पोस्ट कार्ड या अन्तर्देशीय पत्र मे लिखा हो तो उसके ऊपर निश्चित स्थान पर पत्र पाने वाले का पता लिखा जाता है। अगर पत्र सामान्य कागज पर लिखा हो तो उसे लिफाफे में रख कर उस पर पता लिखा जाता है। उपर्युक्त विवरण का स्पष्टीकरण निम्नानुसार हो सकता है—

पत्र लिखने का स्थान व दिनांक :

इसमें मकान, मोहल्ला, नगर और दिनांक का उल्लेख किया जाता है।

आदर, स्नेह या आशीर्वाद-सूचक शब्दों से युक्त सम्बोधन। यदि पत्र किसी बड़े या पूज्य व्यक्ति को लिखा जा रहा हो तो श्रीमान्, श्रीमती, पूज्य, आदरणीय, श्रद्धेय आदि शब्दों का प्रयोग करके सम्बन्ध सूचक शब्द यथा, माताजी-पिताजी गुरुजी, भाई साहब, दीदी आदि लिखा जाता है। बराबर वालों के लिए प्रिय, बन्धुवर, भाई सहित आदि स्त्री के लिए श्रीमती, सौभाग्यवती, कुमारी आदि छोटों के लिए प्रिय, वत्स, चिरंजीव आदि लिखा जाता है।

इसके नीचे दूसरी पंक्ति में प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, खुश रहो, नमस्ते, जयहिन्द, शुभाशीष आदि लिखा जाता है। अपरिचित को आदरणीय महोदय, प्रिय महोदय लिखा जाता है। प्रार्थना-पत्र में अधिकारी के पद का उल्लेख करके उसके आगे आदर-सूचक शब्द लिख दिया जाता है। सम्बोधन करने से पूर्व ओर ऊपर 'सेवा में' लिखने की प्रथा भी है।

में समाचार :

प्रसंगानुसार लेखक को अपने विचार सरल एवं शुद्ध भाषा में क्रमपूर्वक

लिखने चाहिए। पत्र में अपनी बात को पूरी तरह अवश्य लिखा जाय, किन्तु अनावश्यक विस्तार न हो। पत्र की भाषा रोचक एवं शिष्ट होनी चाहिए।

पत्र का समापन :

हस्ताक्षर से पूर्व भवदीय, आज्ञाकारी, विनीत, प्रिय, हितेच्छु, शुभकामनाओं के साथ, शुभाकांक्षी आदि लिखना चाहिए।

पत्र का पता :

पते में पत्र पाने वाले का नाम, मकान, मोहल्ला और नगर का उल्लेख किया जाना चाहिए। ठीक ढंग से पता नहीं लिखने पर पत्र के अभीष्ट स्थान पर पहुँचने की सम्भावना कम रहती है।

अभ्यास के लिए अध्यापक को छात्रों के सामने विभिन्न प्रकार के पत्रों के नमूने प्रस्तुत करना चाहिए।

निबन्ध-लेखन :

निबन्ध शब्द का अर्थ है अच्छी तरह से बँधी हुई गद्य-रचना। किसी भी विषय पर अपने विचारों या भावों को सरल, रोचक, क्रमबद्ध एवं सुसम्बद्ध रूप में लिख कर प्रकट करना निबन्ध कहलाता है।

निबन्ध-लेखन का महत्त्व :

निबन्ध लिखना एक ऐसी कला है जो अभ्यास से प्राप्त होती है। जनतान्त्रिक युग में अपने विचारों से लोगों को परिचित करके उन्हें प्रभावित करना बड़ा महत्त्व रखता है। जो लोग अपने भाषणों को निबन्ध के रूप में तैयार कर सकते हैं, उनके भाषण बड़े प्रभावी होते हैं। अच्छे निबन्धों को लिखने के लिए अन्य व्यक्तियों के विचारों से भी परिचित होना पड़ता है। इसके लिए गहन एवं विस्तृत अध्ययन करना होता है। निबन्ध लिखने से छात्रों की स्मरण-शक्ति, ग्रहण-शक्ति सोचने-विचारने की शक्ति का विकास होता है। उनकी भाषा मँज जाती है।

निबन्ध-लेखन सम्बन्धी भूलें :

परीक्षा में छात्रों द्वारा लिखे गये 'निबन्धों' को पढ़कर मालूम होता है कि निबन्ध लिखने की कला से छात्र सर्वथा अपरिचित हैं। किसी विषय पर तर्क-सम्मत विचार प्रस्तुत करके पाठकों को किसी निश्चित निर्णय तक ले जाने के लिए निबन्ध-लेखक को उसकी रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। निबन्ध-लेखन एक गहरी बावड़ी है जिसमें बिना उचित सोपानों के उसके अमृत रस तक पहुँचना कठिन रहता है। किन्तु आजकल छात्र बिना रूपरेखा के बिन्दुओं को बना कर ही निबन्ध लिखते हैं। इससे निबन्ध की जो विषयवस्तु है उसमें न तो प्रवाह होता है और न ही प्रभाव। क्रमबद्धता और सुसम्बद्धता का पूरा अभाव होता है। एक ही विचार को बार-बार लिख कर या असंगत बातों का उल्लेख करके केवल निबन्ध का कलेवर बढ़ाया जाता है। कई बार ऐसे निबन्ध पढ़ने को मिल जाते हैं जिनका उनके शीर्षक से कोई सम्बन्ध नहीं जुड़ता। कभी-कभी विषय की गहराईयों को बिना छुए ही केवल एकांगी रूप में

या ऊपरी बातें लिखकर निबन्ध का लेखन पूरा किया जाता है। इसका मुख्य कारण है निबन्ध-लेखन-कला के शिक्षण का अभाव। निबन्ध-लेखन में निपुण बनने के लिए ज्ञान के साथ-साथ लिखने में अभ्यास की बड़ी आवश्यकता है। जो छात्र निबन्ध लिखने में दूसरे द्वारा लिखे गये निबन्धों की नकल करते रहते हैं, उन्हे यह कला नही आती। अध्यापक को कक्षा में निबन्ध के प्रत्येक सोपान को ठीक प्रकार से सोदाहरण समझाना पड़ता है, तब छात्रों में निबन्ध-लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। वरना निबन्ध लिखना एक दुष्कर काम माना जाता है, इसलिए छात्र स्वभावतः इससे दूर भागते है। किन्तु निबन्ध-लेखन विद्वानों की कसौटी भी है। जो निबन्ध लिखना जान जाते है उनके लिए भाषा एवं साहित्य का अन्य कार्य सरल हो जाता है और वे अपने पाठकों को प्रभावित किए बिना नहीं रहते।

निबन्ध के प्रकार :

विषय, विचार व क्षेत्र आदि की दृष्टि से निबन्ध कई प्रकार के होते हैं किन्तु मुख्य रूप से इनके चार प्रकार माने जा सकते है—(1) वर्णनात्मक (2) विवरणात्मक (3) विचारात्मक (4) भावात्मक।

वर्णनात्मक निबन्ध—किसी घटना, स्थान, दृश्य या यात्रा का इसमें वर्णन होता है। वर्णन में रोचकता तो हो किन्तु पुनरुक्ति न हो। वर्णन मे लेखक अपनी कल्पना का पुट दे सकता है।

विवरणात्मक निबन्ध—जीवन चरित्र, आत्मकथा, गोष्ठी की क्रिया-कलाप, कवि, लेखक, नेता, पुस्तक, कहानी, उपन्यास आदि के तथ्यों को लिखना विवरणात्मक निबन्ध है। जो बात जैसी हुई है, उसे वैसा का वैसा लिख देना उसका विवरण कहलाता है। साहसपूर्ण कार्यों, रोचक तथा मनोरजक प्रसंगों का विवरण भी लिखा जाता है। विवरण मे घटित तथ्यो के क्रम का निर्वाह करना जरूरी होता है।

विचारात्मक निबन्ध—इसमे गम्भीर मनन, बौद्धिक चिन्तन और तर्क-वितर्क पूर्ण विषयो के निबन्ध होते हैं। लेखक अपने विचारों के प्रमाण में अनेक तर्क प्रस्तुत करता हुआ किसी पक्ष विशेष का मण्डन करता है। लेखक को इसमें विषय की गहनतम स्थितियो को चारों ओर से स्पर्श करना पड़ता है। इस प्रकार के निबन्धों को लिखने वाला श्रेष्ठ निबन्धकार कहलाता है।

भावात्मक निबन्ध—लेखक अपनी भावनाओं और कल्पनाओ को विषय के विश्लेषण में प्रस्तुत करता है। निबन्ध में प्रस्तुत विचारों को पढ़ने से पाठकों में भाव जागृति एवं मर्मस्पर्शिता उत्पन्न होती है। हास्य एवं व्यंग्य से पूर्ण निबन्ध भी भावात्मक निबन्ध ही कहलाते हैं।

निबन्ध लिखने का ढंग :

निबन्ध-लेखन एक कला है। निबन्ध लिखने का बार-बार अभ्यास करने से छात्र इस कला मे निपुण हो सकते हैं। निबन्ध लिखते समय विषय के प्रतिपादन, ... भाषा और शैली पर पूरा ध्यान दिया जाय। जिस विषय पर निबन्ध लिखना

हो, उसमे सम्बन्धित सामग्री की पहले जानकारी कर ली जाय। उस विषय में दूसरे के विचारों को भी सम्भव हो तो पढ़ लिया जाय। तत्पश्चात् उसकी रूपरेखा बना ली जाए। निबन्ध की प्रस्तावना में विषय से सम्बन्धित सूक्ति, कविता, उक्ति आदि का उल्लेख हो सके तो ठीक है वरना किसी घटना-वर्णन से भी उसे रोचक और आकर्षक बनाया जा सकता है।

प्रस्तावना के बाद विषय का विस्तार किया जाय। विस्तार मे विषय के प्रत्येक पहलू पर सम्यक्तया विचार प्रस्तुत किए जाएँ। उचित एवं पूर्ण रूप से विषय पर विचार कर लेने के बाद उपसंहार के रूप में सम्पूर्ण विस्तार का सारांश दिया जाय। उपसहार प्रभावपूर्ण होना चाहिए।

निबन्ध की भाषा सरल, सुबोध और रोचक हो। वर्तनी, विरामचिह्न और वाक्य-रचना की दृष्टि से भाषा शुद्ध हो। विचारो में क्रमता, प्रवाह और समन्वय हो। उसमें यत्रतत्र लोकोक्तियों और मुहावरों का समुचित प्रयोग भी आवश्यक होता है। विषय के विविध अंगों का सम्पूर्ण विघटन निबन्ध के कलेवर मे प्रतिपादित हो जाना चाहिए।

कहानी लेखन का अभ्यास :

कहानी लिखने का अभ्यास छात्रों को प्रारम्भ से ही करवाया जाना चाहिए। इसका क्रम निम्नानुसार अपनाया जा सकता है :

चित्र रचना—मुद्रित चित्रों या खादीग्राफ पर कहानी से सम्बन्धित चित्रो को घटना, क्रम से दिखा कर कहानी कहलाना और बाद में उसे लिखवाना।

कछुआ

यथा—जंगल का चित्र जिसमें हिरन और चूहा बात करते हुए।

शिकारी का चित्र जंगल में जाल फैलाते हुए।

कछुए का चित्र जाल में फँसे हुए।

हिरन का चित्र मरे हुए की तरह लेटे हुए।

कछुए को छोड़ कर हिरन को लेने के लिए जाते हुए शिकारी का चित्र।

चूहे का जाल काट कर कछुए को मुक्त कराने का चित्र।

शिकारी को समीप मे आया जान कर भागते हुए हिरन का चित्र।

शिकारी का पुन. कछुए को लेने आने का चित्र।

जाल को कटी हुई और कछुए को वहाँ न देखकर पश्चाताप करते हुए शिकारी का चित्र।

रिक्त स्थानों की पूर्ति—किसी कहानी के प्रत्येक वाक्य में कुछ रिक्त स्थान छोड़ कर छात्रों से उनकी पूर्ति करवाना।

रूपरेखा-रचना—किसी कहानी की रूपरेखा देकर उसके आधार पर कहानी लिखवाना।

अनुकरण रचना—अध्यापक द्वारा कहानी सुनाने के बाद उसे छात्रों से अपनी भाषा में लिखवाना।

मौलिक रचना—दिये गये शब्दों के आधार पर छात्र कल्पना से कहानी पूरी करें।

रचना के विषय में मुख्य बात यही है कि छात्रों को रचना लिखने में आनन्द आने लगे, इस तरह की प्रक्रिया अध्यापक को अपनानी है। सभी छात्र अपने सम्बन्धियों को पत्र लिखना चाहते हैं। उन्हें कभी न कभी प्रधानाध्यापक को छुट्टी का आवेदन-पत्र लिख कर देना पड़ता है। विद्यालय के समारोह में वे अपने मित्रों को आमन्त्रण-पत्र भेजना चाहते हैं। वे घर में अपने छोटे भाई-बहिनों को अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि हाईक में जो कुछ उन्होंने देखा है, सुना है उसका वर्णन अपने माता-पिता को सुनावें। ये सभी अवसर छात्रों की अपनी आवश्यकताएँ हैं और इनकी पूर्ति का आधार रचना-लेखन को बनाना छात्रों के लिए अवश्य रुचिकर होगा।

सार-लेखन का तात्पर्य :

जैसे किसी एक बात को विस्तार से कहने या लिखने में विशेष प्रतिभा और प्रयत्न की आवश्यकता होती है उसी प्रकार किसी विस्तृत रचना का सार लिखना भी एक कला है। सार लिखने का तात्पर्य है कि किन्हीं लिखित या कहे गये विचारों, बातों को ऐसी न्यूनतम सीमा में लिख देना कि जिसमें आवश्यक बातें तो उसमें समाविष्ट होने से छूट न जायँ और अनावश्यक बातें उसमें आने न पावें। दी गई विषयवस्तु को छोटे रूप में प्रस्तुत करना उसका सार-लेखन कहलाता है।

सार-लेखन में आवश्यक बिन्दु :

सार-लेखन में जिन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान में रखना होता है वे हैं—दी गई विषय-वस्तु का अर्थ, उसकी भाषा और उसका आकार। जब भी हम किसी दी गई विषयवस्तु का सार लिखना चाहें तो हम उसे पढ़ कर ठीक प्रकार से उसका अर्थ समझ लें, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि उसमें प्रयुक्त शब्द का अर्थ मालूम हो। किन्तु यह आवश्यक है कि उसमें लेखक किन भावों को प्रकट करना चाहता है यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। सार-लेखन में दी गई विषयवस्तु की भाषा की नकल करने की अपेक्षा हमें अपनी स्वयं की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि उस विषयवस्तु को पढ़ कर अगर हमने उस कथ्य या लेख के भावों को ठीक तरह समझ लिया है तो उसके स्तर को हम अपनी भाषा में ठीक प्रकार अवश्य ही प्रकट कर सकेंगे। सारांश आकार की दृष्टि से किसी दी गई विषयवस्तु के आकार का करीब-करीब एक-तिहाई होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अगर दी गई विषय-वस्तु का विस्तार सौ शब्दों में हो तो उसका सारांश तीस-पैंतीस शब्दों में लिखा जाना उचित होगा।

सार-लेखन की प्रक्रिया :

सार लिखने वाले को चाहिए कि वह दी गई विषय-वस्तु को ठीक प्रकार पढ़ कर उसके भावों को समझ ले। इसके पश्चात् उसमें के प्रधान विचार को

शीर्षक के रूप में प्रस्तुत करे। जो प्रधान विचार होता है वह सारे लेख मे बार-बार घूमता है। उसी का मण्डन उसमे होता रहता है, अत. उसे खोजना कठिन काम नही है। प्रधान विचार को पुष्ट करने के लिए अनेक सहायक विचार उसके चारों ओर घूमते हैं। अतः जो विचार प्रधान विचार को ठीक तरह पुष्ट करते हों उन्हें चुन लेना चाहिए और जो विचार पुनरुक्ति, उदाहरण या स्पष्टीकरण की दृष्टि से दिये गये हों, उन्हें छोड़ देना चाहिए। प्रधान विचार से जिन विचारों का सीधा सम्बन्ध जुड़ता न दीखे उन्हें छोड़ देना ही ठीक होगा। इसके बाद इन महत्वपूर्ण सहायक विचारों को शीर्षक (प्रधान विचार) के नीचे संकलित करें तथा इन विचारों में एक क्रम और आपसी सम्बन्ध कायम करें ताकि वे एक-दूसरे से सम्बद्ध होकर प्रधान विचार को स्पष्ट करने वाले हों। हमें चाहिए कि हम उस सम्बन्ध में अपना स्वयं का किसी प्रकार का मत प्रकट करके कलेवर को न बढ़ावें। सार-लेखन का तात्पर्य है जो दी गई विषय-वस्तु है उसका संक्षेप लिखना न कि अपनी ओर से कुछ जोड़ना या घटा देना।

भाषा की दृष्टि से वाक्य पूरे और सही अर्थ देने वाले हों। चूंकि सार लिखने वाला अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं लिखता, इसलिए उसमें अन्य पुरुष एवं अप्रत्यक्ष कथन का प्रयोग होना चाहिए। दी गई विषयवस्तु मे जिस काल का प्रयोग हुआ हो उसी काल का निर्वाह सार लेखन मे किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त कथन को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है—

निम्नांकित विषयवस्तु का सार लिखिए :

"एक महिला दूकान मे जब भी कोई चीज खरीदने जाती तो वहाँ एक आदमी को बहुत उदास हालत में खड़े हुए पाती। वह बहुत गरीब भी लगता था। एक दिन उस महिला ने तरस खाकर उसे एक रुपया देते हुए कहा—"आशा नहीं छोड़नी चाहिए" अगले दिन वह पुनः उसी दूकान पर गई तो वह आदमी खुशी-भरा चेहरा लेकर उसके पास आया और उसे चार रुपये देते हुए बोला—"यह लीजिए। मैंने आपके रुपये से सोठे खरीद कर उनकी गठीलियाँ बेचीं। उससे मुझे एक के चार मिले हैं। मै जान गया हूँ कि आशा से परिश्रम उपजता है और परिश्रम से पैसा। सचमुच हमें आशा नही छोडनी चाहिए।"

सारांश :

आशा अमर धन

एक गरीब को एक स्त्री ने एक रुपया देकर कहा कि उसे आशा रख कर मेहनत करनी चाहिए। इस पर गरीब ने सोठे बेच कर उस रुपये से चार कमा लिए। उसके जीवन में आशा का संचार हो गया।

सार-लेखन में होने वाली सामान्य भूलें :

सार लिखने वाले अधिकतर छात्र दी गई विषयवस्तु में से कुछ वाक्यों को छोड़ देते हैं और कुछ को पुनः नकल कर के लिख देते हैं। वे आकार का भी ध्यान नही रखते। इससे कभी-कभी सारांश दी गई विषयवस्तु की सीमा के बराबर या उससे भी अधिक हो जाता है। प्रत्यक्ष या अन्य पुरुष में कही गई बातचीत को भी वैसा का वैसा लिख दिया जाता है, जिससे प्रतीत होता है कि सारांश के लेखक ही के वे विचार हैं। कभी-कभी छोटा रूप देने में मुख्य बात तो छूट जाती है और गौण बातें लिख दी जाती हैं। इससे भी सारांश का उद्देश्य पूरा नही होता। सन्दर्भ के लेखक का नाम लिखने, उसका परिचय देने, उदाहरण प्रस्तुत करने, अलंकारों और विशेषणों का प्रयोग करने से भी अनावश्यक रूप से कलेवर बढ जाता है। सार-लेखन का काम गागर में सागर भरने के समान है; अतः इसके लिए पूरा अभ्यास चाहिए। सार लिखने से पूर्व लेखक विषयवस्तु को कभी-कभी पढता ही नहीं या जल्दी-जल्दी मे पढ़ कर उसका सार लिखना प्रारम्भ कर देता है जिससे उसमे न क्रम रहता है और न सुसम्बद्धता। अत. इन भूलो से बचना चाहिए।

अभ्यास के प्रश्न

1. रचना के प्रकार और उनके महत्त्व के बारे मे अपने विचार सौ शब्दो में लिखिए।
2. रचना-सबधी भूलें किस-किस प्रकार की हो सकती है?
3. रचना के शिक्षण में किन बातो को महत्त्व दिया जाना चाहिए? सक्षेप में लिखिए।
4. निम्नांकित रिक्तियों को पत्र-लेखन के नियमों के आधार पर भरिए:—

पद	सम्बोधन के शब्द	अभिवादन	पत्र की समाप्ति पर निवेदन
उदाहरण—पुत्र के लिए	प्रिय सुरेन्द्र	शुभाशीष	तुम्हारा शुभचिन्तक
पिताजी	....	....	....
छोटी बहिन	....	....	.. ..
प्रधानाध्यापक	....	....	....
बराबर वालों के लिए	....	....	... .

5. निबन्ध लिखने के ढंग का विवेचन कीजिए।
6. निबन्ध कितने प्रकार के होते हैं? और लिखना सिखाने का क्या क्रम हो सकता है?
7. कहानी-लेखन मे किस-किस प्रकार के अभ्यास आप छात्रो को देना चाहेंगे?
8. सार-लेखन में ध्यातव्य आवश्यक बिन्दुओं को लिखिए।
9. सार-लेखन में सामान्यतया कौन-कौनसी भूलें होती हैं?

---

10 अपठित और उससे सम्बन्धित त्रुटियाँ

विचारणीय बिन्दु :

(क) अपठित का अर्थ
(ख) अपठित का महत्त्व
(ग) भाषा शिक्षण के उद्देश्य और अपठित
(घ) अपठित और उपचारात्मक शिक्षण
(च) उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया
(छ) संक्षेप आशय पल्लवन एवं व्याख्या लिखने की विधि
(ज) अपठित गद्यांश के सरलीकृत प्रश्न

अपठित का अर्थ :

पठ् धातु के इत् प्रत्यय लगकर कृदन्त में पठित शब्द बना है। पठित का अर्थ है—पढ़ा हुआ। वह विषयांश जो विद्यालयों में पढ़ाया जाता है; विद्यालय के प्रसंग में पठित कहा जाता है। पठित शब्द के पहले अ लगकर अपठित शब्द बनता है। अ—नहीं के अर्थ को प्रकट करता है। इस तरह अपठित का अर्थ हुआ—नहीं पढ़ा हुआ। वे अंश जो कक्षाओं में नहीं पढ़ाए जाते—विद्यालय पाठ्यक्रम के प्रसंग में अपठित कहे जाते हैं। इसलिए विद्यालय की पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त जितना भी साहित्य है—अपठित ही कहा जाएगा।

अपठित का महत्त्व :

विद्यार्थी जीवन भावी की तैयारी का समय है। भावी जीवन की तैयारी हेतु छात्रों को अनेक पुस्तकें कक्षाओं में पढ़ाई जाती हैं। कक्षाओं में सभी पुस्तकों का पढ़ाया जाना सम्भव नहीं है। वहाँ तो इनी-गिनी पुस्तकें ही पढ़ाई जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी के लिए विपुल अपठित साहित्य पढने के लिए बचा रहता है। वह बड़ा होकर अनेक प्रकार का साहित्य पढता है। वह कार्य और आनन्द दोनों दृष्टियों से विविध प्रकार के साहित्य को पढना चाहता है। यही साहित्य उसके जीवन में काम आता है। पाठ्य-पुस्तकों का पुस्तकीय ज्ञान तो एक साधन मात्र बनता है जिसके गहन अध्ययन द्वारा वह अपठित साहित्य को समझने की क्षमता का

विकास कर जीवन पथ पर अग्रसर होता है क्योंकि अपठित साहित्य ही उसके पग-पग पर काम में आता है। अतः जीवन में अपठित साहित्य का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता है। किसी विचार या भाव को पढ़कर समझ लेना, उसका सार लिख लेना, तात्पर्य या भावार्थ प्रकट कर देना—ये सब अपठित के अभ्यास से ही सीखे जा सकते हैं।

भाषा शिक्षण के उद्देश्य और अपठित :

भाषा शिक्षण के विविध उद्देश्य हैं। उनको निम्नलिखित अगों मे बांटा जा सकता है:—

1. ज्ञान 2. अर्थ ग्रहण 3. अभिव्यक्ति 4. मौलिकता 5. अभिरुचि। इनमें से अर्थ ग्रहण के उद्देश्य की पूर्ति एवं जाँच के लिए अपठित महत्त्वपूर्ण माना जाता है। वस्तुतः विद्यार्थी की भाषा की क्षमता का मूल्यांकन अपठित के द्वारा किया जाता है। जो कक्षा में नही पढ़ाया गया है—उसे भी पढकर समझने की क्षमता छात्र मे यदि विकसित हो गई तो भाषा शिक्षण की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। विद्यार्थी काल मे प्राप्त योग्यता का उपयोजन अगर छात्र अपने भावी जीवन में नही कर पाता है तो उसका पढना व्यर्थ समझा जाता है। अतः अपठित को पढ़कर समझने की क्षमता छात्र मे विकसित हो, यह अत्यावश्यक है।

इसी दृष्टि से कक्षा शिक्षण मे अपठित का अभ्यास भी करांया जाता है। पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से प्राप्त भाषायी योग्यता का उपयोजन अपठित में करने का सुन्दर अवसर रहता है। अर्थ-ग्रहण उद्देश्य के जो अपेक्षित परिवर्तन हैं, उनकी पूर्ति भी अपठित के माध्यम से हो जाती है। उचित शीर्षक दे सकना, महत्त्वपूर्ण भावों एव विचारों का चयन कर सकना, केन्द्रीय भाव को ग्रहण कर सकना तथा सारांश ग्रहण कर सकना ये सब योग्यताएँ अपठित के शिक्षण और अभ्यास से प्राप्त की जा सकती हैं। अतः भाषा शिक्षण में अपठित का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है।

अपठित और उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता :

उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की दृष्टि से भाषा सम्बन्धी प्रश्नपत्र में अपठित गद्यांश दिया जाता है। इसके द्वारा अर्थ ग्रहण सम्बन्धी योग्यताओं की जाँच की जाती है।

परीक्षा के प्रश्न-पत्र मे दिये हुए अपठित भाग के हल को विद्यार्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं मे देखने पर, जो वस्तुस्थितियाँ प्रायः उभरती है वे निम्नलिखित हैं;—

1. विद्यार्थी प्रायः अपठित से सम्बन्धित प्रश्नों को हल नही करते हैं।
2. वे अपठित प्रश्नों को सबसे अन्त में हल करते हैं।
3. वे अपठित के प्रश्नों को हल करने में रुचि नही प्रकट करते।
4. वे भावार्थ पूछने पर दिए गए गद्यांशों मे से कुछ वाक्य लिख देते हैं।
5. रेखांकित अथवा स्थूल अंशों के आशय सम्बन्धी प्रश्नों में वे पर्यायवाची शब्द लिख देते हैं।

6. वे व्याख्या के प्रश्नों मे दिए गए अपठित पैराग्राफ को कुछ हेर फेर के साथ लिख देते हैं।
7. वे सारांश को विस्तार से लिख देते है।
8. वे अपठित पद्य सम्बन्धी प्रश्नों मे कठिन शब्दों के अर्थ लिखकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं।
9. वे सारांश, भावार्थ, तात्पर्य व आशय में अन्तर नहीं कर पाते।
10. वे व्याख्या, पल्लवन, समीक्षा एवं विस्तारपूर्वक विवेचन मे अन्तर नही समझते। ये सब कारण है, जिनकी वजह से अपठित के क्षेत्र मे भी उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है।

उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया :

प्राय: छात्र अपठित के प्रश्नों में रुचि नही लेते। इसके अनेक कारण है। इन्हें दूर करने के लिए हिन्दी अध्यापक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं:—

1. विद्यालय में पुस्तकालय की आकर्षक व्यवस्था हो।
2. विद्यार्थियों की अभिरुचि के अनुसार उनको पुस्तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।
3. विद्यालय मे छात्रोपयोगी सामयिक पत्र-पत्रिकाओं के उपलब्ध होने की उत्तम व्यवस्था की जाय।
4. महीने मे एक बार उनके द्वारा पढ़ी सामग्री में से किसी एक को आधार बनाकर उसके किसी एक अंश का सारांश लिखवाया जाय।
5. विद्यालयों में सारांश लेखन प्रतियोगिता कक्षा स्तर पर आयोजित की जाय।
6. संक्षेपण, आशय, भावार्थ, व्याख्या, पल्लवन, रेखांकित अथवा स्थूल अंशों का स्पष्टीकरण आदि मे क्या अन्तर है, इसे ठीक तरह से समझाया जाय एवं इनमे से प्रत्येक के नमूने कक्षाओं मे लगाये जावें।
7. शीर्षक देने सम्बन्धी आवश्यक नियम भी बताए जावें।

उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध मे स्पष्टता नहीं होने से विद्यार्थी अपठित अंश से सम्बन्धित प्रश्नों को ठीक तरह से हल नही कर पाते हैं अत: इनकी अच्छी जानकारी और इनमे से प्रत्येक का समुचित अभ्यास कक्षाओं मे अवश्य कराया जाना चाहिए। इन सभी के सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण नीचे किया जा रहा है :—

संक्षेपण लेखन—अपठित अंश का संक्षेपण लिखने के पूर्व निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान दिया जाय :—

1. सबसे पहले अपठित अंश का अर्थ समझने का प्रयास किया जाय।
2. अर्थ समझ में आ जाय, इसके लिए अपठित अंश को तीन-चार बार पढ़ा जाय।

3. पढ़ते हुए जो मुख्य विचार ज्ञात हों; उन्हें साथ के साथ लिखा जाय।
4. लिखे गये मुख्य विचारों को क्रमबद्ध कर लिया जाय।
5. इन क्रम से लिखे गए मुख्य विचारों को अपनी भाषा में लिखा जाय। ऐसा करते समय अपठित अंश की लिखी हुई भाषा का प्रयोग नहीं किया जाय।
6. मुख्य विचार अपनी भाषा में लिखते समय अपने मन से नई बात नहीं जोड़ी जाय। मुख्य विचार की ही बात अपनी भाषा में लिखी जाय।
7. संक्षेपण लिखते समय उद्धरण, उदाहरण जो अपठित अंश में दिए गए है उन्हें छोड़ दिया जाय।
8 संक्षेपण उत्तमपुरुष (मैं, हम) की भाषा में नहीं लिखकर अन्य पुरुष (वह, वे) में लिखा जाय।
9. संक्षेपण लिखते समय उद्धरण चिह्न को हटाकर 'कि' का प्रयोग किया जाय।
10. संक्षेपण अपठित गद्यांश में दिए गए शब्दों की संख्या का एक-तिहाई शब्दों में (अपनी भाषा में) लिखा जाय। पांच-सात शब्द कम ज्यादा हों तो कोई बात नहीं।
11. संक्षेपण अपनी भाषा में लिखते समय भाषा की अशुद्धियां न हों, इसका ध्यान रखा जाय।
12. मुख्य विचारों की आलोचना नहीं की जाय। आप उनसे सहमत हों या नहीं, इससे यहाँ कोई सम्बन्ध नहीं है। यहाँ तो केवल संक्षेप में जो मुख्य विचार हैं, उन्हें ही अपनी भाषा में लिखना है।

आशय—अपठित गद्यांश या पद्यांश में आशय भी पूछा जाता है। आशय का अर्थ है मूल भाव या विचार को अपनी भाषा में समझाते हुए संक्षेप में लिखना।

संक्षेपण मे मुख्य विचारों को अपनी भाषा मे लिखते हैं। उसमें समझाने की बात नही रहती। इसमे मूल भाव या मुख्य भाव को समझाकर संक्षेप में लिखना होता है। इसलिए आशय का कलेवर (आकार) संक्षेपण से बड़ा होगा। गद्यांश के आशय का आधार उसका लगभग आधा होगा। पद्यांश का आशय पद्य के आकार से बड़ा होगा क्योंकि पद्य में थोड़े शब्दों मे गहरा भाव छिपा रहता है। आशय लिखते समय भी निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाय :—

1. दिए गए अपठित अंश का अर्थ ठीक तरह से समझ लिया जाय। इसके लिए तीन-चार बार वह अंश पढ़ा जाय।
2. आशय लिखते समय अपठित अंश के मूल भाव या विचारों की आलोचना नहीं की जाय।
3. आशय अपनी भाषा में ही लिखा जाय।

भावार्थ—अपठित अंशों में भावार्थ भी पूछा जाता है। भावार्थ में भाव जाता है। यह कम से कम शब्दों में प्रकट किया जाता है। इसलिए इसका

आकार छोटा होता है। आशय में मूल भाव को समझकर लिखा जाता है। भावार्थ में मूल भाव को ही लिखा जाता है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पर्यायवाची शब्दों में किसी बात को लिख देना भावार्थ नहीं है। भावार्थ लिखने के लिए अपनी भाषा में सम्बन्धित भाव को स्पष्ट किया जाता है।

व्याख्या—अपठित अंश में किन्हीं स्थलों की व्याख्या लिखने को भी प्रश्न दिए जाते हैं। व्याख्या लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाएँ :—

1. जिस वाक्यांश की व्याख्या करनी हो उस वाक्य के शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द लगाकर उसी को वापिस लिख देना व्याख्या नही है। इसलिए ऐसा नही किया जाय।
2. व्याख्या जिस अंश की करनी है, उसकी मुख्य बात को बहुत अच्छी तरह अपने शब्दों में समझाते हुए लिखा जाय। अगर उसमें कोई विशेषता है तो उसे भी स्पष्ट किया जाय।
3. कोई खास प्रसंग हो तो उसे भी स्पष्ट किया जाय।
4. व्याख्या में आलोचना भी की जा सकती है।
5. व्याख्या में अनावश्यक शब्दों और विचारो को स्थान नही दिया जाय।
6. व्याख्या अपनी भाषा में लिखी जाय। वह स्पष्ट, पूर्ण, सुबोध एवं सुसंबद्ध हो। जिस बात की व्याख्या की जा रही है, वह प्रसंग के अनुसार जुड़ी हुई हो। ऐसा होने पर वह सुसम्बद्ध व्याख्या होगी।

पल्लवन—अपठित अश के प्रश्नों में पल्लवन भी पूछा जाता है। पल्लवन का अर्थ है 'विषय का विस्तार करना'। पल्लवन भी व्याख्या-जैसा ही होता है, परन्तु उसमें प्रसंग और आलोचना की आवश्यकता नही होती।

पल्लवन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाय :—

1. जिस वाक्य का या वाक्यांशों का पल्लवन करना हो, उसे ठीक तरह से समझ लिया जाय।
2. जो भाव या विचार उनमें आये हों, उन पर अलग-अलग अनुच्छेद में प्रकाश डालना चाहिये। अनुच्छेद बनाते समय क्रमबद्धता एवं सुसम्बद्धता का ध्यान रखना चाहिए।
3. पल्लवन करते समय जिस विचार से आप सहमत नहीं हैं, उसका खंडन नहीं किया जाय और जिससे आप सहमत हैं, उसका मंडन भी नही। जो विचार है, उसे स्पष्ट करने का ही ध्यान रखा जाय।
4. एक ही बात बार-बार नहीं लिखी जाय।
5. एक वाक्य या वाक्यांश का पल्लवन पन्द्रह या बीस पंक्तियों से अधिक में न लिखा जाय। बहुत अधिक विस्तार करने पर वह निबन्ध-जैसा हो जायगा। अतः आकार का ध्यान रखा जाए।
6. पल्लवन करते समय अपनी भाषा लिखो जाए और यह ध्यान रखा जाय कि उसमें व्याकरण सम्बन्धी त्रुटियाँ न हो।

7. पल्लवन करते समय मैं, हम (उत्तमपुरुष) का प्रयोग नहीं किया जाय अपितु उसके स्थान पर अन्य पुरुष यथा—'लेखक का विचार यह है कि..........' का प्रयोग किया जाय।

रेखांकितों का स्पष्टीकरण—अपठित अंश में रेखांकितों को सरल भाषा में स्पष्ट करने का प्रश्न भी दिया जाता है। इन्हें स्पष्ट करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए :—

1. रेखांकित अंश वे होते हैं, जिनके नीचे रेखा खींची हुई हो।
2. जिन शब्दों या वाक्यांश पर रेखा खींची हुई है उसे भी स्पष्ट किया जाय। उसके पहले और बाद के शब्दों को उसमें नहीं मिलाया जाय।
3. रेखांकित अंश की बात सरल भाषा में समझाते हुए लिखी जाय।
4. अगर उसमें कोई विशेष प्रसंग या अन्तर्कथा की बात छिपी हो तो वह स्पष्ट की जाय।
5. रेखांकित अंश को स्पष्ट करते समय अनावश्यक विस्तार नहीं किया जाय। कभी-कभी रेखांकित अंश नहीं देकर स्थूल टाइप या बड़े काले अक्षरों में लिखे अंश स्पष्ट करने को दिए जाते हैं। उन्हें भी इसी तरह स्पष्ट करना चाहिए।

शीर्षक—अपठित अंश में शीर्षक सम्बन्धी प्रश्न भी पूछा जाता है। शीर्षक चुनने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए :—

1. शीर्षक छोटा हो और आकर्षक हो।
2. शीर्षक मुख्य भाव पर आधारित हो।
3. दिए गए अपठित अंश को तीन-चार बार पढ़ने से मुख्य भाव ज्ञात हो जायगा। इसी मुख्य भाव के आधार पर शीर्षक दिया जा सकेगा।

नीचे एक गद्यांश दिया जा रहा है। उसको आधार बनाकर संक्षेपण, आशय, पल्लवन आदि के नमूने भी दिए गए हैं।

अपठित गद्यांश

मानव-जीवन का सर्वतोन्मुखी विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की शक्तियाँ अन्तर्निहित रहती हैं, शिक्षा इन्हीं शक्तियों का उद्घाटन करती है। मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने का कार्य शिक्षा द्वारा ही सम्पन्न होता है। सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आज तक मानव ने जो प्रगति की है, उसका सर्वाधिक श्रेय मनुष्य की ज्ञान-चेतना को ही दिया जा सकता है। मनुष्य में ज्ञान चेतना का उदय शिक्षा द्वारा ही होता है। बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन पशु-तुल्य रहता है। शिक्षा से मनुष्य की मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा ही अज्ञान रूपी अन्धकार से मुक्ति दिलाकर ज्ञान का दिव्य आलोक प्रदान करती है। इसीलिए भारतीय मनीषियों ने कहा है—'सा विद्याया विमुक्तये' अर्थात् विद्या वह है जो मनुष्य को अज्ञान के बंधन से मुक्त करती है।

प्रश्न (क) उल्लिखित गद्यांश का संक्षेपण या आशय लिखिए।
(ख) स्थूल (मोटे टाइप) वाक्य का पल्लवन या व्याख्या कीजिए।
(ग) उल्लिखित गद्यांश का भाव लिखिए।
(घ) उचित शीर्षक दीजिए।

विशेष—स्थूल अंश का स्पष्टीकरण भी व्याख्या के बाद दे दिया गया है।

उल्लिखित गद्यांश का संक्षेपण नीचे दिया जा रहा है। इस गद्यांश में 90 शब्द हैं। इसका ($\frac{1}{3}$) एक तिहाई 30 शब्द होते हैं। संक्षेपण एक-तिहाई में लिखा जाना चाहिये।

(क) संक्षेपण—शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य-जीवन की सभी प्रकार की उन्नति करना है। इसके द्वारा ही मनुष्य के छिपे हुए गुणों को प्रकट होने का अवसर मिलता है। शिक्षा ही मनुष्य को अज्ञान से दूर कर जन्म-मृत्यु के कष्ट से छुटकारा दिलाती है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान समझा जाता है।

उल्लिखित गद्यांश का आशय

आशय—मनुष्य-जीवन पशु-जीवन से श्रेष्ठ इसीलिए माना जाता है कि उसमें विशेष ज्ञान पाया जाता है। यह विशेष ज्ञान शिक्षा द्वारा ही प्राप्त होता है। इससे वह जीवन में चहुँमुखी उन्नति कर सकता है। विश्व में हर क्षेत्र में जो उन्नति दिखाई दे रही है, वह शिक्षा का ही प्रताप है।

जैसे शिक्षा से मनुष्य संसार की सभी सुख-सुविधाओं को जुटाने में समर्थ हो गया है—वैसे ही वह इससे संसार के अज्ञान रूपी मायाजाल को छोड़कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। संसार के अज्ञान से जो छुटकारा दिलाये, वही सच्ची शिक्षा है।

(शिक्षा ही अज्ञानरूपी अन्धकार से मुक्ति दिला कर ज्ञान का दिव्य आलोक प्रदान करती है।)

(ख) पल्लवन—भारतीय ऋषि-महर्षियों ने संसार के बारे में खूब सोचा है। यह सोच कर ही उन्होंने चार आश्रमों की स्थापना की थी। ज्ञान को उन्होंने सबसे ऊँचा स्थान दिया है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ एवं संन्यास इन चारों आश्रमों में प्रधान लक्ष्य मनुष्य का कल्याण करना ही है। यह कल्याण ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होता है।

उन्होंने संसार में मुख्य दो तत्त्व बताए हैं—माया और ईश्वर। गृहस्थ-जीवन मायाजाल है। इसमें फँस कर वह सब-कुछ भूल जाता है। इसलिए शिक्षा द्वारा वह इस अज्ञान को समझ कर इसे छोड़ देता है और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में प्रवेश कर ईश्वर-चिन्तन में अपना ध्यान लगाता है। यही ज्ञान का महान् प्रकाश है। इस ज्ञान के प्रकाश से वह जन्म-मृत्यु के दुःख से छुटकारा पा लेता है और ज्ञान का अनन्त सुख प्राप्त कर लेता है। यह सब सच्ची शिक्षा का ही फल है।

(शिक्षा ही अज्ञान रूपी अन्धकार से मुक्ति दिला कर ज्ञान का दिव्य आलोक प्रदान करती है।)

व्याख्या—शिक्षा के प्रसंग में दिव्य आलोक की बात कही गई है। यह दिव्य आलोक क्या है ? आदमी आँखों से देखता है। यह देखना ऊपर का देखना है। ज्ञान की नजर से देखना ही सच्चा देखना है। यह ज्ञान शिक्षा द्वारा ही प्राप्त होता है।

भारतीय दार्शनिकों ने संसार के जन्म-मृत्यु के दुःख से छुटकारा पाने का उपाय ज्ञान ही बताया है। माया और ईश्वर ये दो तत्व माने जाते हैं। माया यह अज्ञान ही है। यह मेरा पुत्र है, ये मेरे पिता हैं, वस्तुतः यह सब झूठा सम्बन्ध है। सच्चा सम्बन्ध कभी टूटता नहीं है, परन्तु पुत्र पिता से पहले मरता देखा जाता है। पिता और पुत्र में धन, जगह-जमीन आदि को लेकर झगड़ा होता है। धन-सम्पत्ति सब नाशवान हैं पर अज्ञान से इनको अपनी मान कर झगड़ा होता है। पिता, माता पुत्र, पत्नी, भाई आदि ये सब भी संसार के सम्बन्ध हैं। मृत्यु से ये टूटते जाते हैं। अतः यह सब झूठा सम्बन्ध है। अज्ञान से इसे सच्चा मान लेते हैं। शिक्षा द्वारा सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है—जिससे उसे सही स्थिति का ज्ञान हो जाता है; वह सारे झूठे व्यवहार को छोड़ कर इस सच्चे तत्व ईश्वर का दर्शन कर अत्यन्त आनन्द का अनुभव करता है। यह सब उस शिक्षा का प्रताप है जिससे उसे ज्ञान के अत्यन्त सुन्दर प्रकाश का दर्शन प्राप्त होता है।

स्थूल अंशों का स्पष्टीकरण—(ज्ञान का दिव्य आलोक प्रदान करती है)

शिक्षा के द्वारा ही सही ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान का प्रकाश इसलिए सुन्दर लगता है कि इसमे अज्ञान का नाश हो जाता है और व्यक्ति को अनन्त सुख का आनन्द प्राप्त होता है।

(ग) दिए गए गद्यांश का भाव—मनुष्य के जीवन में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान इसीलिए है कि इससे जीवन की चहुँमुखी उन्नति होती है।

इस तरह संक्षेपण, आशय, पल्लवन, व्याख्या, रेखांकितों का स्पष्टीकरण तथा भाव सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए। एक प्रश्न शीर्षक सम्बन्धी भी पूछा जाता है।

शीर्षक मुख्य भाव के आधार पर बना कर लिखा जाय। यह ध्यान में रहे कि वह छोटा और आकर्षक हो जिससे शीर्षक देख कर ही पाठक उसकी विषय-वस्तु को पढ़ने को उत्सुक हो जाए।

(घ) इस गद्यांश का शीर्षक—

शिक्षा का महत्त्व

या

शिक्षा का उद्देश्य

अभ्यास के प्रश्न

1. अपठित का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके शिक्षण का महत्त्व लिखिए।
2. अपठित में उपचारात्मक शिक्षण क्यों जरूरी है, लिखिए?
3. टिप्पणियाँ लिखिए—
   1. पल्लवन और व्याख्या।
   2. आशय एवं भावार्थ।
   3. संक्षेपण।
4. शीर्षक देते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, समझाते हुए लिखिए।

11 हिन्दी शब्द-भेद

हिन्दी शब्दों के भेद या उनका वर्गीकरण वाक्य में प्रयोग, रूपान्तर, रचना या व्युत्पत्ति एवं इतिहास के आधार पर पृथक्-पृथक् ढंग से किया जाता है। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों के आठ भेद होते हैं:—

1. वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द ....संज्ञा
2. वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द ... ...क्रिया
3. वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द ... ...विशेषण
4. विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द......क्रियाविशेषण
5. संज्ञा के बदले आने वाले शब्द ... ... सर्वनाम
6. क्रिया से नामार्थक शब्दों का सम्बन्ध सूचित करने वाले शब्द ... ...सम्बन्ध-सूचक
7. दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द ... ...समुच्चय-बोधक
8. केवल मनोविकार सूचित करने वाले शब्द ... .विस्मयादि-बोधक

रूपान्तर के अनुसार शब्दों के दो भेद होते हैं—(1) विकारी (2) अविकारी

(1) जिस शब्द के रूप में कोई विकार होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे—लड़का—लड़के लड़कों, लड़की इत्यादि।
देख— देखना, देखा, देखूँ, देखकर इत्यादि।

(2) जिस शब्द के रूप में कोई विकार नहीं होता, उसे अविकारी शब्द या *अव्यय* कहते हैं; जैसे परन्तु, अचानक, बिना, बहुधा, हाय इत्यादि।

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं, और क्रिया-विशेषण, सम्बन्ध सूचक, समुच्चय-बोधक और विस्मयादि-बोधक अविकारी शब्द हैं जिन्हें अव्यय के अन्तर माना जाता है।

हिन्दी के कोई-कोई वैयाकरण शब्दों के केवल पाँच भेद मानते हैं—संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये लोग अव्ययों के भेद नहीं मानते और उनमें विस्मयादि-बोधक को शामिल नहीं करते।

कुछ हिन्दी के वैयाकरण संस्कृत की चाल पर शब्दों के तीन भेद मानते हैं–संज्ञा (2) क्रिया (3) अव्यय। ये भेद शब्दों के रूपान्तर के आधार पर किए

हुए माने जाते हैं। व्याकरण में मुख्यत. रूपान्तर हो का विचार किया जाता है; परन्तु जहाँ शब्दों के केवल रूपों से उनका परस्पर सम्बन्ध प्रकट नहीं होता वहाँ उनके प्रयोग व अर्थ का भी विचार किया जाता है। हिन्दी में शब्द के रूप से उसका अर्थ व प्रयोग सदा प्रकट नहीं होता, क्योंकि वह संस्कृत के समान पूर्णतया रूपान्तर-शील भाषा नहीं है। हिन्दी के कभी-कभी बिना रूपान्तर के, एक ही शब्द का प्रयोग भिन्न-भिन्न शब्द-भेदों में होता है, जैसे वे लड़के साथ खेलते हैं (क्रियाविशेषण)। लड़का बाप के साथ गया (सम्बन्ध-सूचक)। विपत्ति मे कोई साथ नही देता (संज्ञा)। इन उदाहरणों से जान पड़ता है कि हिन्दी में संस्कृत के समान केवल रूप के आधार पर शब्द-भेद मानने से उनका ठीक-ठीक निर्णय नहीं हो सकता। जो लोग शब्दों के केवल तीन भेद मानते हैं (संज्ञा, क्रिया, अव्यय) उनमे से कोई-कोई भेदों के उपभेद मानकर शब्द-भेदों की संख्या तीन से अधिक कर देते हैं। किसी-किसी के मत में उपसर्ग और प्रत्यय भी शब्द हैं और वे इनकी गणना अव्ययों में करते हैं। इस प्रकार शब्द-भेदों की संख्या में बहुत मतभेद हैं।

हिन्दी शब्दों के इतिहास और रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर किए जाने वाले भेदों का विस्तार सहित विवेचन एक पृथक् अध्याय में किया जाएगा।

इससे पूर्व हिन्दी शब्दों का रूपान्तर के आधार पर विवेचन किया जा रहा है। इस विवेचन को उपचारात्मक कार्य की दृष्टि से ही किया जाएगा, जिससे हिंन्दी शिक्षण का कार्य करने वाले अध्यापकों को इसका लाभ मिल सके और वे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से सम्बन्धित त्रुटियों के प्रकार को समझकर अपने छात्रों की व्याकरण सम्बन्धी त्रुटियों का निराकरण कर सकें। सेवारत अध्यापक एवं छात्राध्यापकों के अतिरिक्त उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्र भी इस विवेचन से लाभ उठाकर अपनी व्याकरण सम्बन्धी त्रुटियों का निराकरण कर सकते हैं।

अभ्यास के प्रश्न

1. वाक्य में प्रयोग के आधार पर हिन्दी शब्दों के कितने भेद होते है ?
2. रूपान्तर के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं ?
3. हिन्दी में केवल रूप के आधार पर शब्द-भेद मानने से उनका ठीक-ठीक निर्णय क्यों नही हो सकता है ?
4. शब्दों के पाँच भेद कौन-कौन से हैं ?

12 संज्ञा-शब्दों का रूप तात्विक विवेचन, त्रुटियाँ और निराकरण

(संज्ञा का अर्थ, संज्ञा के कार्य, संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रयोग में होने वाली भूलें और उनके निराकरण के उपाय।)

संज्ञा का अर्थ :

संसार में जो कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, इन्द्रियों से जाना जाता है और जो कुछ अनुभूत होता है—उसे सम्पूर्ण या अंश रूप में सम्बोधन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे सब संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा का अर्थ होता है 'नाम'। नाम वस्तुओं के, स्थानों के, व्यक्तियों के, अनुभवों के हो सकते हैं। संसार में जो भी पहले था उसका नाम था, उसे किसी न किसी शब्द से सम्बोधित करके पुकारा जाता था; जो अभी मौजूद है उसका भी नाम है और जो आगे होगा उसका भी नाम अवश्य होगा। भाषा में संज्ञा शब्द ही मुख्य हैं। जब भाषा का प्रादुर्भाव हुआ होगा तब संज्ञा शब्द ही सबसे पहले बनाये गये होंगे और उनके बाद में क्रिया शब्द। क्रिया शब्दों को भी संज्ञा शब्दों की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। संज्ञा और क्रिया को छोड़कर शेष सब शब्द-भेद तो संज्ञा और क्रिया का ही अनुसरण करने वाले हैं। परिभाषा की दृष्टि से संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को कहा जाता है। जैसे पुस्तक, हिमालय, राम, स्त्री, दुःख, सुन्दरता—ये सब शब्द संज्ञा हैं।

संज्ञा के कार्य :

अधिकतर संज्ञा-शब्द वाक्य में कर्त्ता, कर्म, सम्बोधन और पूरक के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, किन्तु प्रत्येक विभक्ति चिह्न के पूर्व भी इनका प्रयोग होता है।

यथा अध्यापक ने (कर्त्ता) पुस्तकों के लिए (विभक्ति चिह्न के पूर्व) छात्रों को (कर्म) कहा कि हे प्रिय शिष्यो (सम्बोधन) इन्हें पढ़कर विद्वान (पूरक) बनो।

संज्ञा के भेद :

संज्ञा शब्द कई प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर इनका अध्ययन छः प्रकार से करने के लिए इनके छह भेद किए गए हैं। यथा—

1. व्यक्तियाचक—इनसे केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है। जैसे—मोहन, सीता, कलकत्ता, नर्वदा, बाइबल।

2. जातिवाचक—इन शब्दों से व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं आदि की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे नदी, पुस्तक, मनुष्य, छात्र, स्त्री, कोयल, गाय।

3. द्रव्य (पदार्थ) वाचक—जिन पदार्थों से वस्तुएँ बनाई जाती हैं, अथवा जिनको हम गिनते नहीं, बल्कि नापते या तोलते हैं, यथा सोना, लोहा, दूध, कपड़ा, तेल आदि।

4. समूहवाचक—एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का जिन शब्दों में बोध होता है, यथा—झुण्ड (हिरणों का) दल (टिड्डियों का) गिरोह (डाकुओं का) समूह (लोगों का) टोला (गायों का) गुच्छा (फूलों का) जमात (साधुओं की)।

5. भाववाचक—प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में गुण-दोष होते हैं जिन्हें देखा, सुना या छुआ नहीं जा सकता; केवल उनका अनुभव किया जा सकता है, जैसे—प्रेम, सुख, दुःख, शान्ति, क्रोध, लोभ, शत्रुता, मित्रता, चिकनाहट, लूट, समझ। इनसे व्यक्ति या वस्तु के धर्म का बोध होता है।

6. क्रियार्थक—जब क्रिया शब्द 'ना' प्रत्यय के साथ संज्ञा की तरह प्रयुक्त होते हैं तो वे क्रिया न होकर संज्ञा कहलाते है। क्रियार्थक संज्ञायें एक प्रकार की भाववाचक संज्ञायें ही होती है, यथा—

दौड़ना पैरों को मजबूत बनाता है।
प्रातःकाल में घूमना स्वास्थ्यवर्धक होता है।
दिन-दहाड़े लूटना डाकुओं का काम है।

संज्ञा के प्रयोग में होने वाली भूलें और उनके निराकरण के उपाय :

1. आजकल ऐसे प्रयोग सुनने को मिलते है जैसे—'लड़का लोगों का सभा हो रहा है'। इस वाक्य में सभा-कर्ता है, इसलिए वाक्य में क्रिया सभा के अनुकूल अर्थात् "सभा हो रही है" होना चाहिए। शुद्ध प्रयोग में "लड़कों की सभा हो रही है" वाक्य ही होगा। जब किसी वाक्य की दो संज्ञायें का, की या के से जुड़े तो वाक्य में "का, की या के", के बाद आने वाली क्रिया के अनुसार ही क्रिया का लिंग और वचन होगा।

2. समूहवाची संज्ञा शब्द अनेक है; किन्तु उनका प्रयोग जिन संज्ञा शब्दों के लिए होता है, वे निश्चित है। कुछ लोग, इसका ध्यान रखे बिना ही निम्न प्रकार के प्रयोग करते है—
विद्वानों का गिरोह, गायों का संघ, छात्रों का झुण्ड और लुटेरों की मण्डली आदि। ये प्रयोग अशुद्ध हैं। विद्वानों की मण्डली, लुटेरों का गिरोह, गायों का झुण्ड, छात्रों का संघ, अनाज का ढेर, ऊँटों का काफिला, अंगूरों का गुच्छा, सैनिकों का जत्था आदि का प्रयोग ठीक है।

3. कई लोग कारक की विभक्ति का प्रयोग करते हुए संज्ञा के रूप को नही बदलते, यथा—'लड़का ने कहा है, इस कमरा के चार खिड़कियाँ हैं' इत्यादि। नियम से आकारान्त पुल्लिग संज्ञा में 'आ' का 'ए' हो जाता है, यथा लड़के ने कहा, इस कमरे के चार खिड़कियाँ हैं। किन्तु सम्बन्ध द्योतक और देशों के नाम वाले आकारान्त पुल्लिग शब्दों के 'आ' का 'ए' नही होता। उनमें 'आ' ही रहता है, यथा—
   पिता का पत्र आया है, (न कि पिते का)
   अमेरिका के राष्ट्रपति फोर्ड हैं (न कि अमेरिके के)
   मामा से पूछो (न कि मामे से)
4. कई बार अनावश्यक रूप से एक ही अर्थ मे दो सारांशों का प्रयोग किया जाता है, जो व्यर्थ है, यथा—
   वह प्रातःकाल (के समय) दूध पीता है।
   तुम्हें अपनी ताकत (के बल) पर भरोसा करना चाहिए।
   स्कूल सोमवार (के दिन) से खुलेगा।
   आप उसके ठहराने की व्यवस्था (का प्रबन्ध) कीजिए।
5. कई बार जहाँ विशेषण का प्रयोग होना चाहिए वहाँ वाक्य मे संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, यथा—
   1. वर्षा नहीं होने से मक्का की फसल नाश हो गई। (नष्ट)
   2. यह बात निश्चय रूप से कही जा सकती है। (निश्चित)
   3. उसने अभिनन्दन-पत्र समर्पण किया (समर्पित)
6. कई बार संज्ञा शब्दो को बिगाड कर प्रयुक्त किया जाता है यथा—
   1. उसने मेरी बहुत इन्तजारी (इन्तजार) की।
   2. उसकी महानता (महत्ता) का क्या कहना है ?
7. पशु-पक्षियों की बोलियों के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द निश्चित किए हुए हैं, यथा—शेर की दहाड़, मेघ की गर्जन, भौंरों की गुंजार, कोयल की कूक, चिड़ियों की चहक, हाथी की चिग्घाड आदि, अतः इनके प्रयोग मे सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा न हो कि शेर की गुंजार, कोयल की दहाड़, चिड़ियों की चिग्घाड़ और हाथी की चहक, लिखा जाने लगे।
8. हिन्दी भाषा में पहले से चले आ रहे शब्दों के आधार पर जब नये शब्द गढे जाते है तो उनमे भूल होने की संभावना रहती है। इसलिए आजकल ऐसे कई अशुद्ध शब्दों का प्रयोग चल पड़ा है, यथा—निकट से निकटता, एक से एकता, तटस्थ से तटस्थता की तरह निर्मोहिता (निर्मोह), अज्ञानता (अज्ञान), वैमनस्यता (वैमनस्य), महानता (महत्ता) और ऐक्यता (ऐक्य)। (कालिमा की तरह) लालिमा, हरीतिमा और (चित्रकारी की तरह) पत्रकारी जैसे

अशुद्ध शब्दों का प्रयोग होने लगा है । स्पष्टीकरण के ढंग पर तो सरलीकरण, निरस्त्रीकरण शब्द बने और अब पृथक्कीकरण (पृथक्करण) का प्रयोग भी होने लगा है ।

दो भाषाओं के शब्दों या प्रत्ययों के मेल से भी कई शब्द बन गये हैं और अब वे चल पड़े हैं, यथा—समझदार, कमीना-पन, बैलगाड़ी, नेतागीरी, सड़क-निर्माण, सुलह-समिति, पूँजीवाद आदि । किंतु इसी ढंग पर नये बनने वाले शब्दों की बाढ़ रोकना कठिन हो रहा है और ये प्रयोग विचित्र लगते हैं । यथा—प्लेगारि, बहुतांश, अर्पणनामा, कृपा-कार्ड ।

9. कई बार एक शब्द को दूसरे शब्द का पूर्ण पर्याय मान कर वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है । ऐसा प्रयोग अशुद्ध हो जाता है, यथा—

   उसमें यह भी एक भलाई थी (अच्छाई होना चाहिए) ।
   मैं अपने साथी को एक भेंट देता हूँ (उपहार होना चाहिए) ।
   धनी व्यक्ति को पैसे की चिन्ता नहीं होती (परवाह होना चाहिए) ।
   दूध एक शक्तिदायक वस्तु है (पदार्थ होना चाहिए) ।
   इससे मेरा चित्त छोटा हो गया (मन होना चाहिए) ।

ऐसे कई शब्द युग्म हैं जो समान अर्थ वाले दीखते है, परन्तु वास्तव में है नहीं । अतः उनका प्रयोग वाक्य में प्रसंग को ठीक तरह समझ करके ही करना चाहिए । नीचे कुछ प्रचलित शब्दों की सूची दी जा रही है, जिनका प्रयोग अक्सर अशुद्ध होता है; क्योंकि अर्थ की दृष्टि से कुछ न कुछ अन्तर अवश्य होता है :—

स्त्री	पत्नी	दुःख	शोक
साहित्यज्ञ	साहित्यिक	मँहगाई	मँहगी
जनसंख्या	जनता	लक्षण	चिह्न
प्रदान	अर्पण	लक्ष	लक्ष्य
निर्माता	रचयिता	ठंड	ठंडक
अनुभव	बोध	कारण	हेतु
लड़ियाँ	कड़ियाँ	समाचार	संदेश
जगत	विश्व	आयु	अवस्था
आदर	सम्मान	स्वतंत्रता	स्वाधीनता
भाव	विचार	शंका	सन्देह
तालिका	सूची	अध्यक्ष	सभापति
सभ्यता	संस्कृति	काल	समय

ऐसे हजारों शब्द-युग्म हैं, जिनका प्रयोग भाषा में अशुद्ध रूप में चल पड़ा है । आजकल के लेखक भाषा के तत्वों और उसकी प्रकृति से परिचय किये बिना ही नये-नये शब्दों को गढ़ते हैं और उन्हें अप्रासंगिक रूप से प्रयुक्त करते हैं । धीरे-धीरे

उनका अशुद्ध रूप चल पड़ता है। इससे भाषा का स्वरूप विकृत हुआ है। अतः भाषा के मानक रूप को स्थिर रखने के लिए संज्ञा शब्दों का प्रयोग बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए।

अभ्यास के प्रश्न

1. संज्ञा के तात्पर्य को स्पष्ट कीजिए।
2. संज्ञा के कौन-कौन से भेद होते हैं ?
3. समूहवाची संज्ञा-शब्दों के प्रयोग में किस प्रकार की भूल होने की संभावना रहती है ? उदाहरण देकर समझाइए।
4. एक शब्द के अनेक पर्यायों के प्रचलन के बावजूद वाक्यों में उनके प्रयोग के लिए सावधानी बरतने की क्या आवश्यकता है ? उदाहरण से स्पष्ट कीजिये।

---

13 सर्वनाम शब्दों का रूप तात्विक विवेचन एवं उनके प्रयोग सम्बन्धी त्रुटियों का निराकरण

हिन्दी में प्रायः सभी वैयाकरण सर्वनाम को संज्ञा का एक भेद मानते हैं। संज्ञा के निम्न तीन भेद माने जाते हैं—नाम, सर्वनाम और विशेषण। सर्वनाम शब्द का यदि व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ करें तो उसे सर्व अर्थात् सब नामों के (संज्ञाओं के) बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहेंगे। आजकल हिन्दी में सर्वनाम की प्रचलित परिभाषा श्री कामताप्रसाद गुरु के मतानुसार निम्न है :—

सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर-सम्बन्ध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। जैसे मैं, तू, वह, यह। संज्ञा से सदा उसी वस्तु का ज्ञान होता है जिसका वह (संज्ञा) नाम है; परन्तु सर्वनाम से, पूर्वापर सम्बन्ध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है। लड़का शब्द से लड़के का ही बोध होता है, घर, सड़क, आदि का नहीं; परन्तु वह कहने से पूर्वापर सम्बन्ध के अनुसार घर, सड़क, हाथी, घोड़ा, आदि किसी भी वस्तु का बोध हो जायेगा। इसी प्रकार मैं, तुम इत्यादि व्यक्ति भी हो सकते हैं और पशु भी, यथा कहानियों में पशु भी अपने लिए मैं, वह, तुम आदि का प्रयोग करते हैं। हिन्दी में कुल मिलाकर तेरह सर्वनाम हैं—मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या।

'मैं' उत्तम पुरुष, 'तू' और 'तुम' मध्यम पुरुष, 'आप' मध्यम, अन्य और कभी-कभी उत्तम-पुरुष के लिए भी आता है। शेष सभी सर्वनाम अन्य पुरुष में माने जाते हैं।

सर्वनामों के भेद :

प्रयोग के अनुसार सर्वनामों के छह भेद हैं :—

पुरुष वाचक—मैं तू, आप (आदरसूचक)

निज वाचक—आप (आत्मन्)

निश्चय वाचक—यह, वह, सो

सम्बन्ध वाचक—जो

प्रश्न वाचक—कौन, क्या

अनिश्चय वाचक—कोई, कुछ

उनका अशुद्ध रूप चल पड़ता है। इससे भाषा का स्वरूप विकृत हुआ है। अतः भाषा के मानक रूप को स्थिर रखने के लिए संज्ञा शब्दों का प्रयोग बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए।

अभ्यास के प्रश्न

1. संज्ञा के तात्पर्य को स्पष्ट कीजिए।
2. संज्ञा के कौन-कौन से भेद होते हैं ?
3. समूहवाची संज्ञा-शब्दों के प्रयोग में किस प्रकार की भूल होने की संभावना रहती है ? उदाहरण देकर समझाइए।
4. एक शब्द के अनेक पर्यायों के प्रचलन के बावजूद वाक्यों में उनके प्रयोग के लिए सावधानी बरतने की क्या आवश्यकता है ? उदाहरण से स्पष्ट कीजिये।

सम्बन्ध		इसका, इसकी, इसके		इनका, इनकी, इनके इन लोगों का, इन लोगों की, के
अधिकरण		इस पर, इसमें		इनमें, इन पर, इन लोगों मे, पर
	प्रत्यक्ष	तिर्यक्	प्रत्यक्ष	तिर्यक्
दूरवर्ती	वह	उसने, उसको	वे	उन, उन्ह
सम्बन्धवाचक	जो	जिसने, जिसको	जो	जिन, जिन्ह, जिन्हों, जिन्हें
नित्यसम्बन्धी	सो	—	सो	—
प्रश्नवाचक	कौन	किस	कौन	किन, किन्ह, किन्हों
पदार्थ या धर्म के लिए	क्या	—	क्या	—
अनिश्चितवाचक प्राणियों के लिए	कोई	किसी	कोई	किन, किन्हीं, किन्हों, किन्हें
पदार्थ व धर्म के लिए	कुछ	कुछ	कुछ	कुछ
मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष	—	—	आप	आप
आदरसूचक	आप	आपने, आपको		आपने, आपको
निजवाचक	आप	अपना, अपनी		अपना, अपनी
परस्परताबोधक		आप, आपस	—	—

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि हिन्दी सर्वनामों के प्रत्यक्ष कारक में अन्य संपरिवर्तन प्रयुक्त नहीं होते। प्रत्येक सर्वनाम का केवल एक ही रूप प्रयुक्त होता है। तिर्यक सर्वनामों में एकवचन तथा बहुवचन में मैं, सो, क्या, कुछ, आप, आपस, सर्वनामों को छोड़कर शेष सभी सर्वनामों के संपरिवर्तक द्रष्टव्य हैं। ये संपरिवर्तक व्याकरणिक दृष्टि से अपने परिवर्ती परसर्गों द्वारा प्रतिबन्धित हैं। ये परसर्ग संपरिवर्तक दो प्रकार के हैं—संश्लिष्ट, विश्लिष्ट। मुझे में 'ए' संश्लिष्ट है तथा मुझको में 'को' विश्लिष्ट है। अधिकांश सर्वनामों का प्रयोग अन्य व्याकरणिक कोटियों मे भी होता है। मैं, तू, आप, सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी सर्वनाम

सर्वनाम प्रातिपदिकों की विभक्ति और उनके परिवर्तन :

	एकवचन		बहुवचन	
उत्तम पुरुष	प्रत्यक्ष	तिर्यक (परवर्ती परसर्ग सहित)	प्रत्यक्ष	तिर्यक (परवर्ती परसर्ग सहित)
कर्त्ता	मैं	मैंने	हम, हम लोग	हमने, हम लोगों ने
कर्म		मुझे, मुझको		हमको, हमें
करण		मुझसे, मेरे से, मेरे द्वारा		हमसे
सम्प्रदान		मेरे लिए, मुझे, मुझको		हमारे लिए
अपादान		मुझ से		हम से, हमारे से
सम्बन्ध		मेरे, मेरा, मेरी		हमारा, हमारी हमारे
अधिकरण		मुझ पर, मुझ में		हम पर, हम में
मध्यम पुरुष				
कर्त्ता	तू	तूने	तुम, तुम लोग	तुमने, तुम लोगों ने
कर्म		तुझे, तुझको		तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को
करण		तुझसे, तेरे से		तुमसे, तुम्हारे से, तुम्हारे द्वारा
सम्प्रदान		तेरे लिए, तुझे, तुझको		तुम्हारे लिए
अपादान		तुझ से, तेरे से		तुम से, तुम्हारे से
सम्बन्ध		तेरा, तेरी, तेरे		तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे
अधिकरण		तुझ पर, तुझ मे		तुम में, तुम पर
अन्य पुरुष				
कर्त्ता	यह	इसने	ये, ये लोग	इनने, इन्होंने, इन लोगों ने
निश्चयवाचक कर्म		इसे, इसको		इन्हें, इनको, इन लोगों को
करण		इससे, इसके द्वारा		इनसे, इनके द्वारा इन लोगों के द्वारा
निकटवर्ती सम्प्रदान		इसे, इसके लिए, इसको		इन्हें, इनको, इनके लिए, इन लोगों के लिए
[illegible]		इससे		इनसे, इन लोगों से

सम्बन्ध		इसका, इसकी, इसके		इनका, इनकी, इनके इन लोगों का, इन लोगों की, के
अधिकरण		इस पर, इसमें		इनमें, इन पर, इन लोगों में, पर
	प्रत्यक्ष	तिर्यक्	प्रत्यक्ष	तिर्यक्
दूरवर्ती	वह	उसने, उसको	वे	उन, उन्ह
सम्बन्धवाचक	जो	जिसने, जिसको	जो	जिन, जिन्ह, जिन्हों, जिन्हें
नित्यसम्बन्धी	सो	—	सो	—
प्रश्नवाचक	कौन	किस	कौन	किन, किन्ह, किन्हों
पदार्थ या धर्म के लिए	क्या	—	क्या	—
अनिश्चितवाचक प्राणियों के लिए	कोई	किसी	कोई	किन, किन्हीं, किन्हों, किन्हें
पदार्थ व धर्म के लिए	कुछ	कुछ	कुछ	कुछ
मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष	—	—	आप	आप
आदरसूचक	आप	आपने, आपको		आपने, आपको
निजवाचक	आप	अपना, अपनी		अपना, अपनी
परस्परताबोधक		आप, आपस	—	—

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि हिन्दी सर्वनामों के प्रत्यक्ष कारक में अन्य संपरिवर्तन प्रयुक्त नहीं होते। प्रत्येक सर्वनाम का केवल एक ही रूप प्रयुक्त होता है। तिर्यक सर्वनामों में एकवचन तथा बहुवचन में मैं, सो, क्या, कुछ, आप, आपस, सर्वनामों को छोड़कर शेष सभी सर्वनामों के संपरिवर्तक द्रष्टव्य हैं। ये संपरिवर्तक व्याकरणिक दृष्टि से अपने परिवर्ती परसर्गों द्वारा प्रतिबन्धित हैं। ये परसर्ग संपरिवर्तक दो प्रकार के हैं—संश्लिष्ट, विश्लिष्ट। मुझे में 'ए' संश्लिष्ट है तथा मुझको में 'को' विश्लिष्ट है। अधिकांश सर्वनामों का प्रयोग अन्य व्याकरणिक कोटियों में भी होता है। मैं, तू, आप, सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी सर्वनाम

विशेषण के समान भी प्रयुक्त होते हैं। कुछ सर्वनामों का प्रयोग क्रियाविशेषण और समुच्चयबोधक अव्यय के रूप में भी होता है।

हिंसक जीव मुझे क्या मारेंगे (क्रियाविशेषण)

क्या तुमको [illegible] दिखाई नही देते। (विस्मयादिबोधक)

हर किसी की सामर्थ्य नही जो उसका सामना कर सके।

यह [illegible] पुस्तक है। (विशेषण)

यह पुस्तक खो गई है। (विशेषण)

प्रकरण के भेद के अनुसार सर्वनाम का विशेषण और क्रिया-विशेषण के रूप में प्रयोग होता है।

सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से सम्बद्ध भूलें :

सर्वनाम शब्दो के प्रयोग से सम्बद्ध भूलों को निम्नांकित चार भागों में बाँटा जा सकता है। 1. सर्वनाम शब्दों का अनावश्यक प्रयोग, 2. सर्वनाम शब्दों का आवश्यक होने पर भी प्रयोग नही करना, 3. सर्वनाम शब्दों का अनुपयुक्त प्रयोग करना, 4. सर्वनाम शब्दो का अनियमित ढंग से प्रयोग करना। प्रत्येक प्रकार की भूलों के कुछ उदाहरण और उनके शुद्ध रूप नीचे दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यान से पढ़कर अपनी भाषा मे सर्वनाम शब्दो के अशुद्ध प्रयोग को शुद्ध करने की चेष्टा प्रत्येक हिन्दी भाषा का प्रयोग करने वालों को करनी चाहिए।

1. अनावश्यक प्रयोग :

	अशुद्ध	शुद्ध
1.	आप विद्यार्थी परिषद्, जो इसी वर्ष गठित हुई है, उसके चुनाव संयोजक नियुक्त किए गए हैं।	आप विद्यार्थी परिषद् के जो इसी वर्ष गठित हुई है, चुनाव संयोजक नियुक्त किए गए हैं।
2.	यह मेवाड़ मे बोली जाने वाली भाषा होने के कारण इसका नाम मेवाड़ी है।	मेवाड में बोली जाने वाली भाषा होने के इसका नाम मेवाड़ी है।
3.	उनकी अपनी भूल हर जगह प्रकट हो जाती है।	उनकी भूल हर जगह प्रकट हो जाती है।
4.	छात्रों का सच्चा नेता वह उम्मेद सिंह ही है।	छात्रों का सच्चा नेता उम्मेद सिंह ही है।
5.	वह व्यक्ति जो कल तुम्हारे पास आया था, वह मेरा अच्छा मित्र है।	वह व्यक्ति जो कल तुम्हारे पास आया था, मेरा अच्छा मित्र है।

[illegible] प्रयोग :

अशुद्ध	शुद्ध
[illegible] कापी, ठीक कर दें।	लाइये आपकी कापी, इसे ठीक कर दें।

2.	छात्र और छात्रों के अभिभावक अब शान्ति चाहते है।	छात्र और उनके अभिभावक अब शान्ति चाहते है।
3.	रमेश पुस्तक लाया और दिखाने लगा।	रमेश अपनी पुस्तक लाया और हमें दिखाने लगा।
4.	मजदूर प्रबन्धकों से असन्तुष्ट थे, क्योंकि प्रबन्धकों ने बातचीत के समय एक भी बात नहीं सुनी।	मजदूर प्रबन्धकों से असन्तुष्ट थे क्योंकि उन्होंने बातचीत के समय उनकी एक भी बात नहीं सुनी।
5.	मेरा मित्र आया और कहने लगा कि साथ चलिए।	मेरा मित्र मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि मेरे साथ चलिए।

ऊपर के वाक्यों में से वाक्य सं. 1, 3, 4, 5, ऐसे हैं, जिनमें लिखते समय भी साधारण बोलचाल में प्रयुक्त भाषा को लिख दिया गया है। इसलिए ही सर्वनाम शब्दों का लोप करके वाक्य में लाघव दिखलाया गया है। बोलचाल के समय श्रोता सामने होता है और संदर्भ से ही वह आशय समझ लेता है, परन्तु लिखित भाषा में वाक्यों की रचना यह समझ कर की जाती है कि उनको पढ़ने वाला सदैव उपस्थित नही हो सकता है। इसलिए उनमें सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से सम्बन्धित लाघव नहीं करना चाहिए। वाक्य सं. 2 और 4 में सज्ञा शब्दो की पुनरावृत्ति की गई है। इस पुनरावृत्ति की बजाय सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना आवश्यक है। इसलिए ही शुद्ध वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है।

3. अनुपयुक्त प्रयोग :

सर्वनाम शब्दों के अनुपयुक्त प्रयोग की भूल बहुत अधिक होती है। इसका *मुख्य कारण बोलचाल की भाषा का लेखन में प्रयोग और हिन्दी की लिखित भाषा* के स्वरूप का सही ज्ञान का न होना है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं जिनमें सर्वनाम शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध प्रयोग एक साथ है। इन्हें देखकर सर्वनाम शब्दों में अनुपयुक्त प्रयोग के स्थान पर उनके उपयुक्त प्रयोग की बात समझ में आ सकती है।

अशुद्ध	शुद्ध
मैं आपके कार्यालय में गया था, परन्तु तुम वहाँ नही थे, इसलिए हमें लौटना पड़ा।	मैं आपके कार्यालय में गया था परन्तु आप वहाँ नही थे, इसलिए मुझे लौटना पड़ा।
आप तो यहाँ हैं, परन्तु तुम्हारा मन यहाँ नही है।	आप तो यहाँ हैं परन्तु आपका मन यहाँ नही है।
वे बीमार पड़ गये क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खा लिया था।	वे बीमार पड़ गये क्योंकि उन्होंने ज्यादा खा लिया था।
जो जागे वह पावे।	जो जागे सो पावे।
वह इसे निज का काम समझता है।	वह इसे अपना काम समझता है

आज कुछ-न-कुछ जरूर नहीं होगा।	आज कुछ-न-कुछ जरूर होगा।
हमारे पास जो-कुछ नहीं है वह आपका है।	हमारे पास जो-कुछ है वह आपका है।

नोट—'कुछ-न-कुछ' व 'जो-कुछ' के साथ 'नहीं' का प्रयोग नहीं होता है। इन दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनामों का प्रयोग सदैव स्वीकारात्मक वाक्य में होता है।

अशुद्ध	शुद्ध
मालूम पड़ता है कि आज कोई जरूर आयेगी।	मालूम पड़ता है कि आज कोई जरूर आयेगा।
रात में कोई आती है तो मुझे किवाड़ खोलने के लिए उठना पड़ता है।	रात में कोई आता है तो मुझे किवाड़ खोलने के लिए उठना पड़ता है।

नोट—'कोई' का प्रयोग जब अज्ञात व्यक्ति के लिए होता है तो सदैव एकवचन पुंल्लिग में होता है।

अशुद्ध	शुद्ध
तुलसीदास ऐसे कवि हैं कि उन्हें सब कोई जानता है।	तुलसीदास ऐसे कवि हैं कि उन्हें सब कोई जानते हैं।
मेरे पिताजी को हर कोई जानते हैं।	मेरे पिताजी को हर कोई जानता है।

नोट—सब कोई के साथ सदैव बहुवचन पुंल्लिग की क्रिया आती है; इसी प्रकार हर कोई के साथ सदैव एकवचन पुंल्लिग की ही क्रिया आती है।

अशुद्ध	शुद्ध
आज कोई भी हमारे यहाँ आयेगा।	आज कोई हमारे यहाँ आयेगा। आज हमारे यहाँ कोई भी नहीं आयेगा।
मेरी मदद के लिए कोई भी आया।	मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया।
इस पुस्तक को कोई भी नहीं पढ़ती है।	इस पुस्तक को कोई भी नहीं पढ़ता है।
मेरे अलावा वहाँ कोई और पहुँचा।	मेरे अलावा वहाँ कोई और नहीं पहुँचा।
तुम्हारे अलावा मेरे घर कोई और नहीं आई।	तुम्हारे अलावा मेरे घर कोई और नहीं आया।
हमारे यहाँ कोई न कोई आती ही रहती है।	हमारे यहाँ कोई न कोई आता ही रहता है।
हमारे घर में कोई न कोई सदैव नहीं रहता है।	हमारे घर में कोई न कोई सदैव रहता है।

नोट—'कोई भी', 'कोई और' तथा 'कोई न कोई' का प्रयोग अज्ञात व्यक्ति के लिए एकवचन पुंल्लिग में ही होता है। 'कोई भी' का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में ही होता है परन्तु 'कोई न कोई' का प्रयोग सदैव 'सकारात्मक' या 'स्वीकारात्मक' वाक्य में होता है। इसका प्रयोग नकारात्मक वाक्य में नहीं हो सकता है।

अशुद्ध	शुद्ध
घी में कौन पड़ा है ?	घी में क्या पड़ा है ?
दरवाजे मे क्या खड़ा है ?	दरवाजे में कौन खड़ा है ?
यहाँ कल कौन आये थे ?	यहाँ कल कौन आया था ?
उन्होंने वहाँ क्या दिये हैं ?	उन्होंने वहाँ क्या दिया है ?
कल तुम्हारे घर कौन-कौन आया था ?	कल तुम्हारे घर कौन-कौन आये थे ?
कल तुमने क्या-क्या खाये ?	कल तुमने क्या-क्या खाया ?
तुम्हारे सामने देखो कौन शोर कर रही है ?	तुम्हारे सामने देखो कौन शोर कर रहा है ?
इस थैले में क्या रखी है ?	इस थैले में क्या रखा है ?
देखो, बक्से में क्या रखी है ?	देखो, बक्से में क्या रखा है ?

नोट:—'कौन' और 'क्या' दोनों ही प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। 'कौन' प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है और 'क्या' का प्रयोग वस्तु के लिए। 'क्या' का प्रयोग सदा एकवचन पुल्लिग मे होता है और 'कौन' का प्रयोग भी अज्ञात व्यक्ति के लिए एकवचन पुल्लिग में ही होता है। व्यक्तियों की भिन्नता या चयन के अर्थ में 'कौन-कौन' का और वस्तुओं की भिन्नता के अर्थ में 'क्या-क्या' का प्रयोग होता है। 'कौन-कौन' के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है; परन्तु 'क्या-क्या' के साथ एकवचन क्रिया का ही प्रयोग होता है।

अशुद्ध	शुद्ध
जो आती है, वह ही जाती है।	जो आता है, वह ही जाता है।
जो उठती है, वह गिरती भी है।	जो उठता है, वह गिरता भी है।
जो पढ़ती है, वह उत्तीर्ण होती है।	जो पढता है, वह उत्तीर्ण होता है।
जो युद्ध में लड़ते हैं, वे ही मरते है।	जो युद्ध मे लड़ता है, वह ही मरता है।
जो जन्म लेती हैं, वे ही मरती हैं।	जो जन्म लेता है, वह ही मरता है।
जो-जो आपने कहा, वह-वह मैंने सुना।	जो-जो आपने कहा, वह सब मैंने सुना।
जो-जो यहाँ आयेंगे, वे-वे तुम्हें देख कर बहुत खुश होंगे।	जो-जो यहाँ आयेंगे, वे-सब तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे।

नोट:—'जो' और 'जो-जो' सम्बन्धवाचक सर्वनाम हैं। उनके साथ एक ही वाक्य मे प्रयुक्त 'वह', 'वह ही', 'वह सब' और 'वे सब' भी सम्बन्धवाचक सर्वनाम हैं। इन शब्दों का प्रयोग जब ऐसे वाक्यों में होता है जिनमें संज्ञा नही रहती और उनसे चिरन्तन सत्य का बोध होता है तथा किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, तो इस प्रकार के वाक्यों में सदैव पुल्लिग एकवचन की क्रिया ही प्रयुक्त होती है। ऐसे वाक्यो मे स्त्रीलिंग और बहुवचन की क्रिया प्रयोग में नही लानी चाहिए। कुछ वाक्यो में 'जो-जो' का प्रयोग होता है, ऐसे

वाक्यों में सम्बन्ध दिखाने के लिए 'वह-वह' या 'वे-वे' की जगह 'वह सब' या 'वे सब' का प्रयोग करना उपयुक्त होता है। अतः सम्बन्धवाचक 'जो' या 'जो-जो' सर्वनामों के शुद्ध प्रयोग की दृष्टि से ये नियम ध्यान में रखे जाने चाहिए। ऊपर कुछ उदाहरण इस दृष्टि से ही दिए गए हैं; अतः उन वाक्यों के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग को ध्यान से देखिए और इन शब्दों का शुद्ध प्रयोग ही भविष्य में कीजिए।

अनियमित प्रयोग :

अशुद्ध	शुद्ध
मैं मेरे घर जाना चाहता हूँ।	मैं अपने घर जाना चाहता हूँ।
विद्यालय में आते ही अध्यापकजी उन्हीं से बात करने लग गये।	विद्यालय में आते ही अध्यापकजी उनसे बात करने लग गये।
तुम्हारे से क्यों नहीं चला जा रहा है?	तुम से क्यों नहीं चला जा रहा है?
यह सदैव मेरे साथ रहते हैं।	ये सदैव मेरे साथ रहते हैं।
यह लोग क्या कर रहे हैं?	ये लोग क्या कर रहे हैं?
यह भले आदमी हैं।	ये भले आदमी हैं।
वह तुम्हारी हालत क्या जानें!	वे तुम्हारी हालत क्या जानें!
तुम्हारी बात उन्हें समझ में आ जायेगी।	तुम्हारी बात उनके समझ में आ जायेगी।
तेरे को मुझसे कोई काम तो नहीं है।	तुझे मुझसे कोई काम तो नहीं है।
मुझे मेरे से कोई काम तो नहीं है।	" "
उन्हीं के पिताजी कल दिल्ली जावेंगे।	उनके पिताजी कल दिल्ली जावेंगे।
गोदान बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, अत यह हमें भी पढ़ना चाहिए।	गोदान बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, अत उसे हमें भी पढ़ना चाहिए।
मैं और मेरे मित्रों का तुम्हारे पास आना अभी संभव नहीं है।	मेरा और मेरे मित्रों का तुम्हारे पास आना अभी संभव नहीं है।
तुमने कल उसका बस्ता खोना था, यह वही लड़का है।	तुमने कल जिसका बस्ता खोना था, यह वही लड़का है।
कौनसी घड़ी वे लाये हैं, यह मेरे को पसन्द नहीं है।	जो घड़ी वे लाये हैं, वह मुझे पसन्द नहीं है।

ध्यातव्य :—कभी-कभी आंचलिक या स्थानीय बोली के प्रभाव से हम हिन्दी वाक्यों में भी सर्वनाम शब्दों का वैसे ही प्रयोग करते हैं जैसे कि उस विशिष्ट बोली में। हिन्दी भाषा की अपनी विशिष्ट प्रकृति है और उसमें सर्वनाम शब्दों का जिस स्थिति में जिस प्रकार से प्रयोग अभीष्ट है व स्वाभाविक ढंग से होता आया है, उसी ढंग से ही उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। ऊपर वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का अशुद्ध इसलिए ही माना गया है कि वह हिन्दी की स्वाभाविक वाक्य-रचना के

अनुकूल नहीं है। इसीलिए अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध वाक्य रूप भी सामने दिए गये हैं। इन्हें देख कर और अच्छी तरह समझ कर आप सर्वनाम शब्दों का सही प्रयोग करना सीख सकते हैं।

अभ्यास के प्रश्न

1. संज्ञा के कौन-कौन से भेद हैं ?
2. सर्वनाम किसे कहते हैं ? संज्ञा और सर्वनाम में क्या अन्तर है ?
3. सर्वनाम को कितने भेदों मे विभाजित किया गया है ?
4. निजवाचक 'आप' और आदर-सूचक 'आप' के प्रयोग में क्या अन्तर है ? वाक्यों मे प्रयुक्त करते हुए स्पष्ट कीजिए।
5. यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, आप, मुझे—ये शब्द किस प्रकार के सर्वनाम हैं ? प्रत्येक का प्रयोग करते हुए बतलाइये।
6. वाक्य में प्रयोग करके कोई, कुछ, कौन और क्या में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
7. मैं, तू, यह सर्वनामो के कर्म, सम्प्रदान, सम्बन्ध और अधिकरण के एकवचन एवं बहुवचन के रूप लिखिए।
8. निम्नांकित वाक्यों को शुद्ध कीजिए :—
   (क) पानी मे कौन पड़ गया है ?
   (ख) तुम तुम्हारे लड़के से क्या माँग रहे हो ?
   (ग) तुम्हारे से मुझे कोई काम नही कराना है।
   (घ) कुछ न कुछ हमें नही करना चाहिए।
   (ङ) कोई भी यहाँ आया है।
   (च) यह लोग हमसे कुछ भी नही कहते हैं।
   (छ) तेरे को हमारे मित्र ने निमंत्रित किया है।
   (ज) मैं कल तुम्हारे घर गया था, परन्तु किसी ने हमारी बात नही पूछी।
   (झ) कल मेरी उन्हीं से लड़ाई हो गई है।
   (ञ) उनकी अपनी कोई भी चीज यहाँ नही है।

14

विशेषण शब्दों का रूप तात्विक विवेचन एवं उनके प्रयोग सम्बन्धी त्रुटियों का विश्लेषण

जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे—बड़ा, काला, दयालु, भारी, एक, दो, सब। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेष्य कहते हैं; जैसे 'काला घोड़ा' वाक्यांश में 'घोड़ा' संज्ञा, 'काला' विशेषण का विशेष्य है। बड़ा घर में 'घर' विशेष्य है।

(कामता प्रसाद गुरु)

विशेषण के मुख्य तीन भेद किए जाते हैं :—

(1) सार्वनामिक विशेषण (2) गुणवाचक विशेषण और (3) संख्यावाचक विशेषण।

ये भेद उपयोगिता की दृष्टि से हैं। सार्वनामिक विशेषण सर्वनामों से बनते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर शेष सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के समान होता है। जब ये शब्द अकेले ही आते हैं तो सर्वनाम होते है और जब इनके साथ संज्ञा आती है तब ये विशेषण होते हैं। जैसे—

नौकर आया है, यह बाहर खड़ा है। वह नौकर नही आया।

ऊपर के वाक्यों में से पहले वाक्य में प्रयुक्त 'वह' सर्वनाम है और दूसरे वाक्य मे प्रयुक्त 'वह' विशेषण है, क्योंकि 'वह' 'नौकर' संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, अर्थात् उसका निश्चय बतलाता है।

किसी को बुलाओ, किसी ब्राह्मण को बुलाओ। इन वाक्यो मे प्रयुक्त 'किसी' शब्द क्रमशः सर्वनाम और विशेषण हैं।

मैं मोहनलाल प्रतिज्ञा नहीं करता हूँ। इसमें 'मैं' और 'मोहनलाल' समानाधिकरण शब्द हैं, विशेषण और विशेष्य नहीं।

'लड़का आप आया था।' इस वाक्य मे भी 'आप' शब्द विशेषण नही है, किन्तु 'लड़का' संज्ञा का समानाधिकरण शब्द है। सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं :—

1. मूल सर्वनाम (यह घर, वह लड़का)।
2. यौगिक सर्वनाम (ऐसा आदमी, कैसा घर)

मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाकर बनने वाले तथा संज्ञा शब्दों के साथ आने वाले शब्द होते हैं।

"यौगिक सार्वनामिक विशेषणों के साथ जब विशेष्य नहीं रहता तब उनका प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है जैसे—जैसा करोगे वैसा पाओगे। जैसे को तैसा मिले। इतने से काम न होगा।

ऐसा और इतना का प्रयोग कभी-कभी 'यह' के समान वाक्य के बदले में होता है। जैसे ऐसा कब हो सकता है कि मुझे भी दोष लगे। ऐसा क्यों कहते हो कि मैं वहाँ नहीं जा सकता ? ऐसा-वैसा तिरस्कार के अर्थ में आता है, जैसे मैं ऐसे-वैसे को कुछ नहीं समझता।

जितनी चादर देखो, उतना पैर फैलाओ। निज और पराया भी सार्वनामिक विशेषण हैं। निज देश, निज भाषा, पराया घर, पराया माल।

गुणवाचक विशेषण :

इस प्रकार के विशेषणों की संख्या सबसे अधिक है। इससे संज्ञा की निम्नांकित विशेषताओं का बोध होता है :—

काल—नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, अगला, पिछला।

स्पर्श—कोमल, कठोर, खुरदरा, चिकना।

स्थान—लम्बा, चौड़ा, ऊँचा, नीचा, गहरा, सीधा, ग्रामीण, भारतीय मँझरा, तिरछा।

स्वाद—मीठा, कड़वा, खट्टा, चरपरा, कसैला।

आकार—गोल, चौकोर, सुडौल, समान, सुन्दर, नुकीला।

गंध—सुगन्धित, दुर्गन्धपूर्ण।

रंग—लाल, पीला, नीला, हरा, धुँधला, फीका।

ध्वनि—मधुर, कर्कश।

दशा—दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा।

गुण—भला, बुरा, उचित अनुचित, सच, झूठ, पापी।

जब गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त रहता है तब उनका प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। जैसे—बड़ों ने सच कहा है। दीनों को मत सताओ।

संख्यावाचक विशेषण :

जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या या क्रम का बोध कराये, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक गाय, दो पुस्तकें, तीसरी कक्षा, चौथी गली, पाँचवाँ देश।

संख्यावाचक विशेषणों की संख्या कभी तो निश्चित हो सकती है, और कभी अनिश्चित हो सकती है। निश्चित—दस केले। अनिश्चित—कुछ लड़के। इन्हीं आधारों पर संख्यावाचक विशेषण के निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक दो भेद किए जा सकते हैं।

निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नांकित पाँच भेद होते हैं :—

1. गणना सूचक—ये विशेषण वस्तुओं की गिनती बतलाते हैं। जैसे—दो लड़के, तीन पुस्तकें। गणना सूचक विशेषण के दो भेद होते हैं—पूर्णाङ्कसूचक (एक, दो, तीन) और अपूर्णाङ्क सूचक (सवा, डेढ़, पौने दो, साढ़े चार)।
2. क्रम सूचक—ये विशेषण क्रम के अनुसार संज्ञा का स्थान बतलाते हैं। जैसे—पहला लड़का, दूसरी लड़की, तीसरा आदमी।
3. आवृत्ति सूचक—इस विशेषण से जाना जाता है कि उसके विशेष्य का वाच्य पदार्थ कितना गुना है, जैसे, दुगुना, चौगुना, सतगुना, अठगुना, नौगुना, द्विगुण, त्रिगुण। आवृत्ति सूचक विशेषण में परत या प्रकार के अर्थ में 'हरा' जोड़ा जाता है, जैसे—इकहरा, दुहरा, तिहरा, चौहरा।
4. प्रत्येक सूचक—इसके द्वारा कई चीजों में हर एक का बोध होता है। जैसे—प्रत्येक आदमी, हर सातवें लड़के को, प्रति व्यक्ति।
5. समुदाय सूचक—ये ऐसे विशेषण हैं, जिनसे समुदाय का बोध हो। जैसे—दर्जन, ग्रुस, कोड़ी, सैकड़ा।

अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण—इससे किसी निश्चित संख्या का बोध *नहीं होता है। जैसे—कुछ आम, थोड़े आदमी, सब चीजें, बहुत लड़कियाँ।*

निश्चित संख्यावाचक के अन्तर्गत आने वाले गणनावाचक विशेषण (चार, आठ, दस, पन्द्रह, बीस आदि) के पूर्व लगभग तथा करीब या बाद में 'एक' या 'ओ' प्रत्यय लगाने से भी अनिश्चित संख्या का बोध हो जाता है। जैसे—लगभग पाँच विद्यार्थी, करीब दस पुस्तकें, पचास-एक विद्यालय, सैकड़ों लड़के आदि। कभी-कभी गणनावाचक का समास करके भी अनिश्चित अर्थ प्रकट किया जाता है। जैसे, तीन-चार व्यक्ति, पचास-साठ मकान, सौ-दो-सौ रुपये आदि। अनगिनत, असंख्य, बेशुमार, भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं।

संख्यावाचक विशेषण के कुछ विशेष प्रयोग :

जब एक ही कोटि के सभी पदार्थों या व्यक्तियों को एक साथ कहना हो तो संख्या के साथ 'ओ' लगाते हैं जैसे—तीनों लड़के, चारों घोड़े, पाँचों व्यक्ति, दो के साथ ओ न लगाकर नों लगाते हैं। जैसे—दोनों लड़के। इसी अर्थ में किसी भी संख्या के साथ 'के' लगाकर उसी संख्या को दोहराया जाता है। जैसे—मेरा लड़का सबके सब आम खुद ही खा गया।

दस और बीस के साथ बल देने के लिए 'इयों' जोड़ते हैं। इसी अर्थ में पचास, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ और अरब आदि के साथ 'ओं' का प्रयोग होता है। *जैसे—हजारों सैनिकों ने एक साथ आक्रमण किया, लाखों लोग मर गये, करोड़ों व्यक्ति बाढ़ में डूब गये।*

यदि किसी संख्या के आधार पर पदार्थों या व्यक्तियों का विभाजन किया तो उन संख्या की आवृत्ति कर देते हैं। जैसे—इन सौ रुपयों में से प्रत्येक व्यक्ति

को पाँच-पाँच दे दो। क्या गड़बड़ी मचा रखी है, यदि ज्यादा बढ़े,तो एक-एक को देख लूँगा। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक शब्द भी आवृत्ति के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे—थोड़ी-थोड़ी पुस्तकें आदि।

कभी-कभी दो संख्यावाचक विशेषण समास के रूप में आधे निश्चय का अर्थ बतलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे—एक-दो, दो-तीन, दो-चार, तीन-चार, चार-पाँच, पाँच-छह, पाँच-सात, छह-सात, आठ-दस, दस-पन्द्रह, दस बीस, थोड़े-बहुत, न्यूनाधिक, हजार-दो-हजार, लाख-दो-लाख आदि।

परिमाणवाचक विशेषण :

संख्यावाचक विशेषण का ही एक भेद परिमाणवाचक विशेषण है। यह विशेषण वस्तु की तौल, नाप या माप की विशेषता बतलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे—मन भर शक्कर, थोड़ा शाक आदि। इसके भी दो भेद है—निश्चित और अनिश्चित। उदाहरण के लिए पाँच गज की धोती, सेर-भर लड्डू, पाँच बीघा जमीन इन शब्द-समूहों में रेखांकित शब्द निश्चित परिमाणवाचक हैं। अनिश्चित परिमाण-वाचक के उदाहरण निम्नांकित हैं—बहुत लोग, कुछ लड़के, थोड़ी जमीन।

परिमाणवाचक के कुछ विशेष प्रयोग :

संज्ञा वाचक शब्द जब परिमाण का बोध कराते हैं, तब वे परिमाणवाचक विशेषण का काम करते हैं। जैसे—एक घड़ा पानी, दो मुट्ठी चना, दो बाल्टी दूध। अधिक का बोध कराने के लिए इन परिमाणवाचक विशेषणों में 'ओं' का प्रयोग होता है। जैसे—घड़ों पानी, मनों आटा, सेरों लड्डू।

कभी-कभी दो परिमाणवाचक विशेषण समास के रूप में प्रयुक्त होते है। जैसे—न्यूनाधिक, बहुत-कुछ, थोड़ा-बहुत।

कभी-कभी परिमाणवाचक विशेषण की आवृत्ति भी होती है। जैसे—बहुत-बहुत धन्यवाद, थोड़ा-थोड़ा प्यार, कुछ-कुछ उजाला।

बहुत-से विशेषण ऐसे होते है जो संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होते है। कुछ, सब, थोड़े, बहुत आदि ऐसे ही विशेषण है। कुछ रोटियाँ, सब लड़के, थोड़े अंगूर, बहुत आदमी आदि वाक्यों में कुछ, सब, थोड़े, बहुत शब्द अनिश्चय-संख्यावाचक विशेषण हैं; परन्तु कुछ दूध, सब आटा, थोड़ा पानी तथा थोड़ी मिठाई आदि वाक्यों मे वे ही शब्द परिमाणवाचक विशेषण है।

विशेषणों के रूप :

शब्द के अन्त में आनेवाली ध्वनि के आधार पर विशेषणो के दो वर्ग होते है : (1) आकारांत जैसे, अच्छा, बड़ा, खोटा, मोटा, छोटा आदि। (2) आकारांत के अलावा अन्य ध्वनियो से अन्त होने वाले जैसे—चंचल, जड़ाऊ, मन्दबुद्धि, अनाड़ी, प्रमादशील, खोटे, खरे आदि।

लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन केवल आकारांत विशेषणों मे ही होते हैं, अन्यों मे नही। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छे लड़के मे अच्छा के

भूतकालिक कृदन्त—टूटा मकान, थका आदमी।
अन्य कृदन्त—भुलक्कड़, उड़ाऊ, हँसने वाला।
वर्तमान कालिक तथा भूतकालिक कृदन्तों के बाद विकल्प से हुआ का प्रयोग भी होता है। जैसे—बहता हुआ पानी, थका हुआ आदमी।

(ङ) अव्यय से— ऊपरी, भीतरी, ऊपर वाला, भीतर वाला।

(च) उपसर्गादि— अचल, अटल अथाह, बे-बुनियाद, बेचैन, निःशंक, निस्सार, निर्भय, निडर, निराकार, साकार, बेहिसाब।

(छ) उपसर्गादि प्रत्ययांत—अनिर्वचनीय, असहनीय, अविभाज्य, अभाज्य, अकथ्य, अकथनीय, असाध्य, अनुत्तरदायित्वपूर्ण।

(3) समस्त—जो विशेषण दो या अधिक शब्दों (संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि) के मेल से बने हों, जैसे—सरल हृदय, टेढ़-मेढ़ा, चलता-फिरता, दुधारी।

विशेषण पद-बन्ध :

नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए:—

इमारती लकड़ी मँहगी है।

इमारत बनाने के काम आने वाली लकड़ी मँहगी है।

पहले वाक्य मे इमारती शब्द विशेषण है, जिसके स्थान पर दूसरे वाक्य मे कई शब्द आये हैं। इन सारे शब्दो से मिल कर एक विशेषण पद-बन्ध बनता है। इस प्रकार विशेषण पद-बन्ध में एक से अधिक शब्द होते है जो मिल कर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। कुछ उदाहरण निम्नांकित है.—

(क) विदेशो में रहने वाले लोगो में भारत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थान देखने की इच्छा रहती है।

(ख) हमारे छात्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इस नगर की सभी शिक्षण-संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए व्यायाम प्रदर्शन दिखलाए गये थे।

(ग) सुन्दर दिखाई पड़ने वाला व्यक्ति व्यवहार में भी अच्छा हो, यह आवश्यक नहीं है।

इस प्रकार हिन्दी में विशेषण पदो के अतिरिक्त विशेषण-पदबन्धों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा मे होता है।

का, रा, ना :

हिन्दी सम्बन्ध कारक के रूप सदा विशेषण का-सा-ही काम करते है। जैसे—लखनऊ का खरबूजा, उदयपुर के खिलौने, भारत के निवासी आदि।

'रा' का प्रयोग उत्तम और मध्यमपुरुष सर्वनाम के साथ होता है। यथा—

..., तुम्हारा, मेरा, तेरा।

'ना' का प्रयोग निजवाचक के साथ होता है। यथा—अपना।

'का' का प्रयोग किसी भी संज्ञा (लड़के का हाथ) अन्य पुरुष सर्वनामों (उसका, इसका, जिनका) संज्ञावत प्रयुक्त विशेषणों (बड़ों की बात) क्रिया (खाने का सोडा, धोने का साबुन, सुनने का यन्त्र) तथा अव्यय (ऊपर का कमरा, नीचे की सीढ़ी) के साथ होता है।

वाला :

का की तरह ही वाला भी एक अत्यन्त प्रचलित प्रत्यय है, इसका प्रयोग भी विशेषण बनाने के लिए संज्ञा (पूँछवाला जानवर), (पैसेवाला व्यक्ति) सर्वनाम (आपवाला कोट) क्रिया (उड़नेवाली चिड़िया, हँसनेवाले बच्चे, रोनेवाली लड़की, पढ़नेवाले बच्चे) तथा अव्यय (ऊपरवाला कमरा, अन्दरवाला मकान) के साथ होता है।

सा-जैसा :

संज्ञा और सर्वनाम के साथ 'सा' या 'जैसा' लगाकर भी विशेषण की रचना होती है। जैसे—लक्ष्मण-सा, लक्ष्मण-जैसा, हम सा, हम-जैसा, तुम सा, तुम-जैसा। सम्बन्ध के रूपों के साथ भी 'सा' या 'जैसा' का प्रयोग होता है। जैसे सुरेश का-सा, सुरेश के जैसा, मेरे-जैसा, अपना-सा, अपना-जैसा।

विशेषण बनाने वाले कुछ प्रमुख प्रत्यय :

इक—दैनिक, मानसिक, शारीरिक, वैज्ञानिक, धार्मिक।
इत—लिखित, शिक्षित, हर्षित, शंकित।
ईय—जातीय, प्रान्तीय, भारतीय, राष्ट्रीय।
ईन—नमकीन, रंगीन, नवीन, प्राचीन, प्रातःकालीन।
मय—सुखमय, दुःखमय, करुणामय, प्रेममय, दयामय।
अनीय—पूजनीय, वन्दनीय, दर्शनीय, पठनीय, आदरणीय।
तव्य—द्रष्टव्य, ध्यातव्य, कथितव्य, गन्तव्य।
य—पूज्य, असभ्य, मान्य, श्रद्धेय, पेय, अजेय, गेय।
वान—धनवान, ज्ञानवान, रूपवान, दयावान।
मान—श्रीमान, शक्तिमान, बुद्धिमान।
ई—दानी, मानी, ज्ञानी, पहाड़ी, बंगाली, पंजाबी।
आलु—दयालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु, कृपालु।
अक्कड़—भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़।
एरा—फुफेरा, मौसेरा, ममेरा, चचेरा।
ईला—रंगीला, लचीला, सजीला, फुर्तीला, चमकीला।
ऊ—चालू, टालू, तोंदू, बुद्धू, भोंदू, बाजारू।
आऊ—बिकाऊ, दिखाऊ, पंडिताऊ।

भूतकालिक कृदन्त—टूटा मकान, थका आदमी।
अन्य कृदन्त—भुलक्कड़, उड़ाऊ, हँसने वाला।
वर्तमान कालिक तथा भूतकालिक कृदन्तों के बाद विकल्प से हुआ का प्रयोग भी होता है। जैसे—बहता हुआ पानी, थका हुआ आदमी।

(ङ) अव्यय से— ऊपरी, भीतरी, ऊपर वाला, भीतर वाला।

(च) उपसर्गादि— अचल, अटल अथाह, बे-बुनियाद, बेचैन, निःशंक, निस्सार, निर्भय, निडर, निराकार, साकार, बेहिसाब।

(छ) उपसर्गादि प्रत्ययांत—अनिर्वचनीय, असहनीय, अविभाज्य, अभाज्य, अकथ्य, अकथनीय, अगाध, अनुत्तरदायित्वपूर्ण।

(3) समस्त—जो विशेषण दो या अधिक शब्दों (संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि) के मेल से बने हों, जैसे—सरल हृदय, टेढ़-मेढ़ा, चलता-फिरता, दुधारी।

विशेषण पद-बन्ध :

नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए:—

इमारती लकड़ी महँगी है।

इमारत बनाने के काम आने वाली लकड़ी महँगी है।

पहले वाक्य में इमारती शब्द विशेषण है, जिसके स्थान पर दूसरे वाक्य मे कई शब्द आये है। इन सारे शब्दो से मिल कर एक विशेषण पद-बन्ध बनता है। इस प्रकार विशेषण पद-बन्ध मे एक से अधिक शब्द होते है जो मिल कर किसी सज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। कुछ उदाहरण निम्नांकित हैं:—

(क) विदेशों में रहने वाले लोगों में भारत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थान देखने की इच्छा रहती है।

(ख) हमारे छात्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रम मे इस नगर की सभी शिक्षण-संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए व्यायाम प्रदर्शन दिखलाए गये थे।

(ग) सुन्दर दिखाई पड़ने वाला व्यक्ति व्यवहार मे भी अच्छा हो, यह आवश्यक नही है।

इस प्रकार हिन्दी में विशेषण पदो के अतिरिक्त विशेषण-पदबन्धों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में होता है।

का, रा, ना :

हिन्दी सम्बन्ध कारक के रूप सदा विशेषण का-सा-ही काम करते है। जैसे—लखनऊ का खरबूजा, उदयपुर के खिलौने, भारत के निवासी आदि।

'रा' का प्रयोग उत्तम और मध्यमपुरुष सर्वनाम के साथ होता है। यथा—

हमारा, तुम्हारा, मेरा, तेरा।

'ना' का प्रयोग निजवाचक के साथ होता है। यथा—अपना।

'का' का प्रयोग किसी भी संज्ञा (लड़के का हाथ) अन्य पुरुष सर्वनामों (उसका, इसका, जिसका) संज्ञावत प्रयुक्त विशेषणों (बड़ों की बात) क्रिया (खाने का सोडा, धोने का साबुन, सुनने का यन्त्र) तथा अव्यय (ऊपर का कमरा, नीचे की सीढ़ी) के साथ होता है।

वाला :

का की तरह ही वाला भी एक अत्यन्त प्रचलित प्रत्यय है, इसका प्रयोग भी विशेषण बनाने के लिए संज्ञा (पूँछवाला जानवर), (पैसेवाला व्यक्ति) सर्वनाम (आपवाला कोट) क्रिया (उड़नेवाली चिड़िया, हँसनेवाले बच्चे, रोनेवाली लड़की, पढ़नेवाले बच्चे) तथा अव्यय (ऊपरवाला कमरा, अन्दरवाला मकान) के साथ होता है।

सा-जैसा :

संज्ञा और सर्वनाम के साथ 'सा' या 'जैसा' लगाकर भी विशेषण की रचना होती है। जैसे—लक्ष्मण-सा, लक्ष्मण-जैसा, हम सा, हम-जैसा, तुम सा, तुम-जैसा। सम्बन्ध के रूपों के साथ भी 'सा' या 'जैसा' का प्रयोग होता है। जैसे सुरेश का-सा, सुरेश के जैसा, मेरे-जैसा, अपना-सा, अपना-जैसा।

विशेषण बनाने वाले कुछ प्रमुख प्रत्यय :

इक—दैनिक, मानसिक, शारीरिक, वैज्ञानिक, धार्मिक।
इत—लिखित, शिक्षित, हर्षित, शंकित।
ईय—जातीय, प्रान्तीय, भारतीय, राष्ट्रीय।
ईन—नमकीन, रंगीन, नवीन, प्राचीन, प्रातःकालीन।
मय—सुखमय, दुःखमय, करुणामय, प्रेममय, दयामय।
अनीय—पूजनीय, वन्दनीय, दर्शनीय, पठनीय, आदरणीय।
तव्य—द्रष्टव्य, ध्यातव्य, कथितव्य, गन्तव्य।
य—पूज्य, असभ्य, मान्य, श्रद्धेय, पेय, अजेय, गेय।
वान—धनवान, ज्ञानवान, रूपवान, दयावान।
मान—श्रीमान, शक्तिमान, बुद्धिमान।
ई—दानी, मानी, ज्ञानी, पहाड़ी, बंगाली, पंजाबी।
आलु—दयालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु, कृपालु।
अक्कड़—भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़।
एरा—फुफेरा, मौसेरा, ममेरा, चचेरा।
ईला—रंगीला, लचीला, सजीला, छबीला, चमकीला।
ऊ—चालू, डालू, तोंदू, बुद्धू, भोंदू, बाजारू।
आऊ—बिकाऊ, दिखाऊ, पंडिताऊ।

इया—बंबइया, पुरबिया, कन्नौजिया।

दायक—सुखदायक, कष्टदायक, आरामदायक, आनन्ददायक।

प्रद—संतोषप्रद, आनन्दप्रद, ज्ञानप्रद, फलप्रद, लाभप्रद, कष्टप्रद।

द—सुखद, दुःखद।

दायी—कष्टदायी, आनन्ददायी, फलदायी, सुखदायी।

विशेषण बनाने वाले कुछ उपसर्ग :

दु—दुनाली, दुमंजिला, दुसूती, दुपाटी, दुभाषिया।

दुर—दुर्बल, दुर्गम, दुर्लभ।

दुस्—दुस्सह, दुष्कर, दुस्साहस, दुष्कर्म।

निर्—निर्दोष, निर्भय, निर्बल, निर्गुण, निर्दय, निर्जन।

नि—निडर, निबल, निकम्मा, निहत्था।

निस्—निश्चल, निश्छल, निष्प्राण, निष्कपट, निस्तेज।

प्र—प्रबल, प्रखर, प्रख्यात, प्रसिद्ध, प्रयुक्त।

सु—सुलभ, सुगम, सुडौल, सुबोध।

स—सजीव, सफल, सक्रिय, सचेष्ट, सगुण।

ला—लापरवाह, लावारिस, लापता, लाइलाज।

बे—बेईमान, बेजान, बेचारा, बेढब, बेधड़क, बेदाग, बेरहम, बेकसूर, बेहोश।

कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो दूसरे विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं। इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे—बहुत, बड़ा, अत्यन्त, अति, अतीव, महा, बेहद, घोर आदि।

उदाहरण के लिए—

क—उसकी बुद्धि बहुत तेज है।

ख—वह अत्यन्त सुन्दर है।

ग—उसने अत्यन्त घातक हमला किया।

घ—वह महामूर्ख है।

वाक्य में विशेषणों का स्थान :

वाक्य में स्थान की दृष्टि से विशेषण प्रयोग दो प्रकार के होते हैं। विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। जो विशेषण विशेष्य के पहले आते हैं उन्हें विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे—काली गाय आ रही है। ये काली विशेष्य विशेषण है क्योंकि यह विशेष्य के पहले आया है। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आता है, विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे—'गाय काली है' इसमें काली विधेय विशेषण है।

विशेषण के सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि विशेषण और विशेष्य में कोई ऐसी संज्ञा नहीं आनी चाहिए जिसके कारण उसके सम्बन्ध को

मझने में भ्रांति हो। यथा—मुझे गेहूँ की गर्म रोटी चाहिए। इस वाक्य के स्थान र यदि हम 'मुझे गर्म गेहूँ की रोटी चाहिए' यह कहेंगे तो कहने का आशय ही दल जायेगा और इसलिए दूसरा वाक्य अशुद्ध होगा।

विशेषण के प्रयोग से सम्बन्धित भूलें और उनका निराकरण :

विशेषण के प्रयोग से सम्बन्धित भूलों को हम चार भागों में बाँट सकते हैं:— 1) अनावश्यक शब्द प्रयोग (2) अनुपयुक्त शब्द प्रयोग। (3) अनियमित शब्द योग (4) अर्थ दूषित प्रयोग। विशेषण शब्दों के प्रयोग सम्बन्धी भूलों के अतिरिक्त युक्त शब्दों में क्रम सम्बन्धी त्रुटियाँ भी होती हैं। अतः इस दृष्टि से विशेषण के योग से सम्बन्धित भूलें पाँच प्रकार की भी कही जा सकती हैं।

अनावश्यक शब्द-प्रयोग :

अशुद्ध	शुद्ध
1. कैसी आरामदायक और सुखद घड़ी आज आई है।	1. कैसी सुखद घड़ी आज आई है ?
2. तुम तीनों में रमेश सबसे उत्तम-तम है।	2. तुम तीनों में रमेश सबसे उत्तम है।
3. सब विद्यार्थियों में रमेश ही बहुत श्रेष्ठ है।	3. सब विद्यार्थियों में रमेश ही श्रेष्ठ है।
4. यहाँ कुछ-एक विद्यार्थी ठहरे हुए हैं।	4. यहाँ कुछ विद्यार्थी ठहरे हुए हैं।
5. तुम एक अच्छे डॉक्टर हो।	5. तुम अच्छे डॉक्टर हो।
6. उसकी अच्छी सद्भावना सदैव मेरे साथ है।	6. उसकी सद्भावना सदैव मेरे साथ है।
7. मुझे खेद है कि तुम्हारे साथ उचित न्याय नहीं हो सका।	7. मुझे खेद है कि तुम्हारे साथ न्याय नही हो सका।
8. रमेश की कल घातक विष खा लेने से मृत्यु हो गई।	8. रमेश की कल विष खा लेने से मृत्यु हो गई।
9. इस गुप्त रहस्य को तुम्हारे अलावा कोई नही जानता।	9. इस रहस्य को तुम्हारे अलावा कोई नही जानता।
10. वह जोश में आकर गरम आग में कूद पड़ा।	10. वह जोश में आकर आग में कूद पड़ा।
11. डाकुओं के हमले के भय से यहाँ सभी सशंकित रहते हैं।	11. डाकुओं के हमले के भय से यहाँ सभी शंकित रहते हैं।
12. आपके सुकोमल चरण यहाँ कब तक पधारेंगे ?	12. आपके कोमल चरण यहाँ कब तक पधारेंगे ?

इया—बंबइया, पुरबिया, कन्नौजिया।
दायक—सुखदायक, कष्टदायक, आरामदायक, आनन्ददायक।
प्रद—संतोषप्रद, आनन्दप्रद, ज्ञानप्रद, फलप्रद, लाभप्रद, कष्टप्रद।
द—सुखद, दुःखद।
दायी—कष्टदायी, आनन्ददायी, फलदायी, सुखदायी।

विशेषण बनाने वाले कुछ उपसर्ग :
दु—दुनाली, दुमंजिला, दुसूती, दुधाटी, दुमाथिया।
दुर—दुर्बल, दुर्गम, दुर्लभ।
दुस्—दुस्सह, दुष्कर, दुस्साहस, दुष्कर्म।
निर्—निर्दोष, निर्भय, निर्बल, निर्गुण, निर्दय, निर्जन।
नि—निडर, निबल, निकम्मा, निहत्था।
निस्—निश्चल, निश्छल, निष्प्राण, निष्कपट, निस्तेज।
प्र—प्रबल, प्रखर, प्रख्यात, प्रसिद्ध, प्रयुक्त।
सु—सुलभ, सुगम, सुडौल, सुबोध।
स—सजीव, सफल, सक्रिय, सचेष्ट, सगुण।
ला—लापरवाह, लावारिस लापता, लाइलाज।
बे—बेईमान, बेजान, बेचारा, बेढब, बेधड़क, बेदाग, बेरहम, बेकसूर, बेहोश।

कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो दूसरे विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं। इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे—बहुत, बड़ा, अत्यन्त, अति, अतीव, महा, बेहद, घोर आदि।

उदाहरण के लिए—
क—उसकी बुद्धि बहुत तेज है।
ख—वह अत्यन्त सुन्दर है।
ग—उसने अत्यन्त घातक हमला किया।
घ—वह महामूर्ख है।

वाक्य में विशेषणों का स्थान :

वाक्य में स्थान की दृष्टि से विशेषण प्रयोग दो प्रकार के होते हैं। विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। जो विशेषण विशेष्य के पहले आते हैं उन्हें विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे—काली गाय आ रही है। ये काली विशेष्य विशेषण है क्योंकि यह विशेष्य के पहले आया है। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आता है, विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे—'गाय काली है' इसमें काली विधेय विशेषण है। विशेष्य विशेषण के सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि विशेषण और विशेष्य के बीच में कोई ऐसी संज्ञा नहीं आनी चाहिए जिसके कारण उसके सम्बन्ध को

समझने में भ्रांति हो। यथा—मुझे गेहूँ की <u>गर्म</u> रोटी चाहिए। इस वाक्य के स्थान पर यदि हम 'मुझे <u>गर्म</u> गेहूँ की रोटी चाहिए' यह कहेंगे तो कहने का आशय ही बदल जायेगा और इसलिए दूसरा वाक्य अशुद्ध होगा।

विशेषण के प्रयोग से सम्बन्धित भूलें और उनका निराकरण :

विशेषण के प्रयोग से सम्बन्धित भूलों को हम चार भागों में बाँट सकते हैं:— (1) अनावश्यक शब्द प्रयोग (2) अनुपयुक्त शब्द प्रयोग। (3) अनियमित शब्द प्रयोग (4) अर्थ दूषित प्रयोग। विशेषण शब्दों के प्रयोग सम्बन्धी भूलों के अतिरिक्त प्रयुक्त शब्दों में क्रम सम्बन्धी त्रुटियाँ भी होती है। अतः इस दृष्टि से विशेषण के प्रयोग से सम्बन्धित भूलें पाँच प्रकार की भी कही जा सकती हैं।

अनावश्यक शब्द-प्रयोग :

अशुद्ध	शुद्ध
1. कैसी आरामदायक और सुखद घड़ी आज आई है।	1. कैसी सुखद घड़ी आज आई है ?
2. तुम तीनों मे रमेश सबसे उत्तम-तम है।	2. तुम तीनों मे रमेश सबसे उत्तम है।
3. सब विद्यार्थियों में रमेश ही बहुत श्रेष्ठ है।	3. सब विद्यार्थियों में रमेश ही श्रेष्ठ है।
4. यहाँ कुछ-एक विद्यार्थी ठहरे हुए हैं।	4. यहाँ कुछ विद्यार्थी ठहरे हुए हैं।
5. तुम एक अच्छे डॉक्टर हो।	5. तुम अच्छे डॉक्टर हो।
6. उसकी अच्छी सद्भावना सदैव मेरे साथ है।	6. उसकी सद्भावना सदैव मेरे साथ है।
7. मुझे खेद है कि तुम्हारे साथ उचित न्याय नहीं हो सका।	7. मुझे खेद है कि तुम्हारे साथ न्याय नही हो सका।
8. रमेश की कल घातक विष खा लेने से मृत्यु हो गई।	8. रमेश की कल विष खा लेने से मृत्यु हो गई।
9. इस गुप्त रहस्य को तुम्हारे अलावा कोई नही जानता।	9. इस रहस्य को तुम्हारे अलावा कोई नही जानता।
10. वह जोश में आकर गरम आग मे कूद पड़ा।	10. वह जोश मे आकर आग में कूद पड़ा।
11. डाकुओं के हमले के भय से यहाँ सभी सशंकित रहते हैं।	11. डाकुओं के हमले के भय से यहाँ सभी शंकित रहते हैं।
12. आपके सुकोमल चरण यहाँ कब तक पधारेंगे ?	12. आपके कोमल चरण यहाँ कब तक पधारेंगे ?

अशुद्ध	शुद्ध
13. सुमधुर कण्ठ से गाये हुए भजन सभी को अच्छे लगते हैं।	13. मधुर कण्ठ से गाये हुए भजन सभी को अच्छे लगते हैं।
14. आज देश को सच्चरित्रवान व्यक्तियों की अत्यन्त आवश्यकता है।	14. आज देश को चरित्रवान व्यक्तियों की अत्यन्त आवश्यकता है।
15. तुम्हे निखालिस घी कितना चाहिए ?	15. तुम्हें खालिस घी कितना चाहिए ?
16. हमारा वाला मकान तुम उसे जरूर दिखला देना।	16. हमारा मकान तुम उसे जरूर दिखला देना।
17 किसी और दूसरे आदमी की यहाँ जरूरत नही है।	17. किसी दूसरे आदमी की यहाँ जरूरत नही है।
18. अनाज की समस्या आज सारे विश्व भर में व्यापक है।	18. अनाज की समस्या आज सारे विश्व में व्यापक है।
19. इस वर्ष पढ़ने में उसने पूरी शक्ति-भर प्रयत्न किया।	19. इस वर्ष पढ़ने में उसने शक्ति भर प्रयत्न किया।
20. रामचरितमानस से समस्त प्राणि-मात्र का कल्याण संभव है।	20. रामचरितमानस से प्राणिमात्र का कल्याण संभव है।
21. पुरुषो में से किसी को भी अपना साहस नही छोड़ना चाहिए।	21. पुरुषों में से किसी को भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए।
22. प्रायः सभी लोग तुम्हारी ईमानदारी पर विश्वास करते हैं।	22 प्रायः लोग तुम्हारी ईमानदारी पर विश्वास करते हैं। या सभी लोग तुम्हारी ईमानदारी पर विश्वास करते हैं।

ऊपर दिए गए अशुद्ध वाक्यों में सभी स्थूल-टाइप के शब्दों के प्रयोग अनावश्यक होने से अशुद्ध हैं। इसीलिए इन्हें शुद्ध वाक्यों मे नहीं लिखा गया है।

अनुपयुक्त शब्द प्रयोग :

अशुद्ध	शुद्ध
आप वास्तव में बड़े अच्छे व्यक्ति हैं।	आप वास्तव में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं।
रमेश ने मेरे घर के बनाने में भारी काम किया था।	रमेश ने मेरे घर के बनाने मे बहुत काम किया था।
आपको व्यर्थ मे ही बेशुमार कष्ट हुआ।	आपको व्यर्थ में ही बहुत कष्ट हुआ।
ॱॱन अधिकांश लोग ऐसा ही सोचते हैं।	वहाँ अधिकतर लोग ऐसा ही सोचते हैं।
ॱॱो वे लोग निपट खिलाड़ी हैं।	देखो वे लोग पूरे खिलाड़ी हैं।

नोट :—निपट शब्द सदैव व्यक्ति या व्यक्तियों के दोष दिखाने हेतु ही प्रयुक्त किया जाता है।

अशुद्ध	शुद्ध
व्यक्ति और समाज का घोर सम्बन्ध होता है।	व्यक्ति और समाज का घनिष्ट सम्बन्ध होता है।
आजकल अनाज की गहरी समस्या है।	आजकल अनाज की गम्भीर समस्या है।
चीनी की कमी अत्यन्त चिन्तनीय है।	चीनी की कमी अत्यन्त चिन्ताजनक है।
वृद्ध व्यक्ति अपना भावी जीवन बड़े कष्ट में बिताते हैं।	वृद्ध व्यक्ति अपना शेष जीवन बड़े कष्ट में बिताते हैं।
सबसे अच्छा सुख आरोग्य शरीर है।	सबसे अच्छा सुख नीरोग शरीर है।
तुम्हारे क्रोध का अब मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है।	तुम्हारे क्रोध का अब मेरे लिए कुछ भी अर्थ नहीं है।
रुपये का चौथा भाग चवन्नी कहलाता है।	रुपये का चौथाई भाग चवन्नी कहलाता है।
जल्दी 2 काम करो।	जल्दी-जल्दी काम करो।
तुम्हारा भाई महा कंजूस है।	तुम्हारा भाई बहुत कंजूस है।
हमारे देश में ऊँचे कोटि के अनेकों विद्वान् हैं।	हमारे देश में उच्च-कोटि के अनेकों विद्वान् हैं।
इस देश में आपका अनुशासन अत्यन्त सख्त है।	इस देश में आपका अनुशासन अत्यन्त कठोर है।
तुमने क्या कोई अन्य कुत्ता खरीदा है।	तुमने क्या कोई दूसरा कुत्ता खरीदा है।
इस वीरान जिन्दगी में बस तुम्हारा ही भरोसा है।	इस नीरस जीवन में बस तुम्हारा ही भरोसा है।
हमने इस वर्ष बाल दिवस पर दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया था।	हमने इस वर्ष बाल दिवस पर द्वि-दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया था।
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने कि मेरी घड़ी चुराई है।	अगर मैं गलती नहीं करता तो तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने कि मेरी घड़ी चुराई है।
मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि तुम्हारा पुत्र भी अध्यापक के रूप में कार्य करने की दृष्टि से योग्य नहीं है।	मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि तुम्हारा पुत्र भी अध्यापक के रूप में कार्य करने की दृष्टि से अयोग्य है।
आप दायाँ हाथ से लिखते हैं या बायाँ से।	आप दायें हाथ से लिखते है या बायें से।
यहाँ का सभी लड़का बहुत बुरा है।	यहाँ के सभी लड़के बहुत बुरे हैं।
तुम्हारा लड़की बहुत अच्छा है।	तुम्हारी लड़की बहुत अच्छी है।
यह लड़की बहुत लम्बा है।	यह लड़की बहुत लम्बी है।

अशुद्ध	शुद्ध
तुम्हारे पास कितना चाँदी है ?	तुम्हारे पास कितनी चाँदी है ?
इस अनाथाश्रम मे कितनी अनाथिनी स्त्रियाँ हैं ?	इस अनाथाश्रम में कितनी अनाथ स्त्रियाँ हैं ?
आपकी दोनों लड़कियाँ अत्यन्त गुणवान हैं ।	आपकी दोनों लड़कियाँ अत्यन्त गुणवती हैं ।
इस कक्षा में बुद्धिमान बालिकाएँ बहुत कम हैं ।	इस कक्षा में बुद्धिमती बालिकाएँ बहुत कम हैं ।
इच्छा बहुत बलवान होती है ।	इच्छा बहुत बलवती होती है ।
कल हमारे यहाँ एक विद्वान् महिला आयी थी ।	कल हमारे यहाँ एक विदुषी महिला आई थी ।
जिस समय इस झण्डे को बनाया गया था, उस समय उसके पीछे कोई साम्प्रदायिक भावना नही थी ।	जिस समय इस झण्डे को बनाया गया था, उस समय इसके पीछे कोई साम्प्रदायिक भावना नहीं थी ।
यहाँ कोई बच्चे नहीं आये ।	यहाँ कोई बच्चा नहीं आया ।
आपकी उनसे क्या-क्या बात हुई ?	आपकी उनसे क्या-क्या बातें हुईं ?
आपके यहाँ कल कौन-कौन व्यक्ति आया था ?	आपके यहाँ कल कौन-कौन व्यक्ति आये थे ?
मेरे पास मे ही एक बहुत लम्बी-सी गली है ।	मेरे पास मे ही एक बहुत लम्बी गली है ।
काला-काला बाल बहुत सुन्दर लगता है ।	काले-काले बाल बहुत सुन्दर लगते हैं ।
नौजवानों को नई-नई फिल्म चाहिए, नई-नई पुस्तक नही ।	नौजवानों को नई-नई फिल्में चाहिए, नई-नई पुस्तकें नहीं ।
मेरे पास पन्च पुस्तकें हैं ।	मेरे पास पाँच पुस्तकें हैं ।
राम के घर कल सप्त व्यक्ति आये थे ।	राम के घर कल सात व्यक्ति आये थे ।
यह सौ रुपया का नोट है ।	यह सौ रुपये का नोट है ।
मेरे पास तुम्हारी छः पुस्तकें हैं ।	मेरे पास तुम्हारी छह पुस्तकें हैं ।
आज हमारे विद्यालय में कल की अपेक्षा तिगुना लड़की आई हैं ।	आज हमारे विद्यालय मे कल की अपेक्षा तिगुनी लड़कियाँ आई हैं ।
तुम्हारे लाये हुए दोनों पानी मीठे हैं ।	तुम्हारे लाये हुए दोनों प्रकार के पानी मीठे हैं ।

नोट :—पदार्थवाचक संज्ञा के साथ समुदायवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं होता है । यदि करना ही हो तो 'प्रकार शब्द' लगा कर किया जा सकता है ।

अशुद्ध	शुद्ध
रेक आदमी काम के नही होते ।	हरेक आदमी काम का नहीं होता ।
त्येक लड़के खिलाड़ी नही होते ।	प्रत्येक लड़का खिलाड़ी नही होता ।

नोट :—'प्रत्येक' और 'हरेक' के साथ एकवचन संज्ञा का तथा 'सब' के साथ बहुवचन संज्ञा का प्रयोग ही शुद्ध होता है।

अशुद्ध	शुद्ध
हमारे देश में हजारों लड़का गरीब है।	हमारे देश में हजारों लड़के गरीब हैं।
अनेक लोगों ने मेरा समर्थन किया है।	अनेकों लोगों ने मेरा समर्थन किया है।
आज यहाँ कितने दूध आये हैं ?	आज यहाँ कितना दूध आया है ?
आज स्कूल में कितना लड़का आया है।	आज स्कूल में कितने लड़के आये हैं ?
कुछ दूध फट गये।	कुछ दूध फट गया।
कुछ लड़का ही तुम्हारा स्कूल में होशियार है।	कुछ लड़के ही तुम्हारे स्कूल में होशियार है।

नोट:—'परिमाण' के लिए जब 'कुछ' का प्रयोग होता है तो उसके साथ एकवचन की संज्ञा ही होगी, परन्तु 'संख्या' के लिए जब 'कुछ' का प्रयोग होता है तो संज्ञा बहुवचन की ही आती है।

अशुद्ध	शुद्ध
मेरा कुर्ता कुछ जीर्ण हो गया है।	मेरा कुर्ता कुछ पुराना हो गया है।
तुम्हारी सूरत अति अच्छी है।	तुम्हारी सूरत बहुत अच्छी है।
उसकी कर्णकटु आवाज अच्छी नहीं लगती।	उसके कर्णकटु स्वर अच्छे नहीं लगते। या उसकी तीखी आवाज अच्छी नहीं लगती।
उसने एक बहुमूल्य मौका खो दिया।	उसने एक बहुमूल्य अवसर खो दिया।
परम गरीब व्यक्ति यहाँ कितने हैं ?	बहुत गरीब व्यक्ति यहाँ कितने हैं ?
मुझे नमकीन से मिठाई प्रियता है।	मुझे नमकीन से मिठाई अधिक प्रिय है।
रामचरितमानस सर्वोत्तम ग्रन्थ है।	रामचरितमानस सबसे अच्छा ग्रन्थ है।
इन फूलों में गुलाब सुन्दरतम है।	इन फूलों मे गुलाब सबसे सुन्दर है।
राम और श्याम मे सबसे तेज कौन है ?	राम और श्याम मे अधिक तेज कौन है ?
दूध और दही में आपको सबसे अधिक पसन्द कौन है ?	दूध और दही मे आपको अधिक पसन्द कौन है ?
दूध, दही और मक्खन में अधिक अच्छा कौन है ?	दूध, दही और मक्खन मे सबसे अधिक अच्छा कौन है ?
इस वर्ग में अधिक अच्छा कौन है ?	इस वर्ग में सबसे अच्छा कौन है ?
तुम और मुझ में सबसे सुन्दर कौन है ?	तुम और मुझ में अधिक सुन्दर कौन है ?
संसार का अधिक महान लेखक कौन है ?	संसार का सबसे महान लेखक कौन है ?

ध्यातव्य:—संस्कृत से आये विशेषणों की उत्तरावस्था विशेषणों में 'तर' जोड़ कर प्रकट की जाती है। हिन्दी में 'तर' के पहले 'से' या 'से अधिक' का प्रयोग करना अच्छा होता है क्योंकि हिन्दी की प्रवृत्ति संस्कृत से भिन्न है। इसी प्रकार संस्कृत से आये विशेषणों में 'तम' जोड़ कर उत्तमावस्था प्रकट की जाती है। हिन्दी मे 'तम' के बदले 'सबसे' या 'सब मे' का प्रयोग करना अच्छा होता है। इसीलिए शुद्ध वाक्यों मे ऊपर 'तर' और 'तम' के स्थान पर 'से अधिक' तथा 'सबसे' का प्रयोग किया गया है। नीचे के छह अशुद्ध वाक्यों में दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए उत्तमावस्था का प्रयोग कर दिया गया है और दो मे अधिक की तुलना करने के लिए उत्तरावस्था का इसलिए उनके शुद्ध रूपों में 'अधिक' और 'सबसे अधिक' का ठीक स्थान पर प्रयोग किया गया है।

अनियमित प्रयोग :

एकवचन के साथ विशेषण को दोहराना नहीं चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो वह अशुद्ध होता है। अतः ऐसे विशेषणों से युक्त अशुद्ध और शुद्ध वाक्य नीचे लिखे प्रकार हो सकते हैं:—

अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
इनमें से प्रत्येक को पाँच-पाँच लड्डू दो।	इनमे से प्रत्येक को पाँच लड्डू दो।
राजस्थान मे तीन-तीन मील पर एक-एक स्कूल है।	राजस्थान मे हर तीन मील पर एक स्कूल है।
किसी भी लड़के ने अपना-अपना पाठ याद नहीं किया।	किसी भी लड़के ने अपना पाठ याद नहीं किया।

नोट :—अनियमित प्रयोगो में ऐसे भी विशेषण आते हैं जिनके रूप-निर्माण में अशुद्धि होती है। अत. ऐसे अशुद्ध विशेषण शब्दों से युक्त वाक्य नीचे दिए जा रहे हैं:—

अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
आपकी अमानुषी हरकतें कब तक चलेंगी ?	आपकी अमानवीय हरकतें कब तक चलेंगी ?
आपने अचानक पहुँच कर वहाँ सभी को अचम्भित कर दिया।	आपने अचानक पहुँच कर वहाँ सभी को चकित कर दिया।
तुम्हारी ओर अब मुश्किल मे ही कोई आकर्षित होगा।	तुम्हारी ओर अब मुश्किल से ही कोई आकृष्ट होगा।
हिन्दी मे अनुवादित रचनाएँ अब पहले से अधिक होने लगी हैं।	हिन्दी में अनूदित रचनाएँ अब पहले से अधिक होने लगी हैं।
आज यहाँ सभी का आना आवश्यकीय है।	आज यहाँ सभी का आना आवश्यक है।

अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
तुम्हें व्यर्थ में ही क्रोधित नहीं होना चाहिए।	तुम्हें व्यर्थ में ही क्रुद्ध नहीं होना चाहिए।
सारी जनता आज मँहगाई से त्रसित है।	सारी जनता आज मँहगाई से त्रस्त है।
ऐसी दर्दीली घटना मैंने कभी नहीं सुनी।	ऐसी दर्दनाक घटना मैंने कभी नहीं सुनी।
तू बड़ी मस्तीली होती जा रही है।	तू बड़ी मस्त होती जा रही है।
मैं ऐसी लाचारी हालत में कहीं नहीं जाऊँगी।	मैं ऐसी लाचार हालत में कहीं नहीं जाऊँगी।
वर्षा अब सारे राज्य में व्यापित है।	वर्षा अब सारे राज्य में व्याप्त है।
तुम्हारे विश्वसित व्यक्ति यहाँ कितने हैं?	तुम्हारे विश्वस्त व्यक्ति यहाँ कितने हैं?
शिष्ट व्यक्ति संयमित भाषा का प्रयोग करते हैं।	शिष्ट व्यक्ति संयत भाषा का प्रयोग करते हैं।
कुछ लड़के अनुत्तीर्ण हो जाने से बहुत हतोत्साहित हो गये।	कुछ लड़के अनुत्तीर्ण हो जाने से बहुत हतोत्साह हो गये।

अर्थ दूषित प्रयोग :

शुद्ध वाक्य	अशुद्ध वाक्य
रमेश का कुत्ता तुम्हारे से अच्छा है।	रमेश का कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से अच्छा है।
तुम्हारी कमीज शीतल से अच्छी है।	तुम्हारी कमीज शीतल की कमीज से अच्छी है।
कोट का दाम पायजामे से अधिक है।	कोट का दाम पायजामे के दाम से अधिक है।
आपके सब काम हमसे अच्छे हैं।	आपके सब काम हमारे कामों से अच्छे हैं।
सुशीला ने कहा—सुनो रमा, मेरी साड़ी तुमसे अच्छी है।	सुशीला ने कहा—सुनो रमा, मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से अच्छी है।
विद्यार्थी शिक्षक से कहता है—मेरा गला आप से अच्छा है।	विद्यार्थी शिक्षक से कहता है—मेरा गला आपके गले से अच्छा है।

ध्यातव्य—ऊपर के अशुद्ध वाक्यों के देखने से ज्ञात होता है कि जिन व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की गई है, उन्हें स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया गया है। इससे कुत्ते की व्यक्ति से, कमीज की व्यक्ति से, कोट के दाम की पायजामे से, साड़ी की रमा से और विद्यार्थी के गले की शिक्षक से तुलना हो गई है। ऐसी तुलना में असमान तुलना का दोष आ गया है। इसलिए वाक्य में शब्दों का 'लाघव' करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं वाक्य अनर्थक या भ्रामक तो नहीं हो गया है।

अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
तुम्हारी प्रतिभा राम की प्रतिभा से अद्वितीय है।	तुम्हारी प्रतिभा अद्वितीय है।
यह फल उस फल की अपेक्षा अनुपम है।	यह फल अनुपम है।
मोहन तुम से कम ईमानदार है।	मोहन ईमानदार है।
हरी मोहन से कम विवाहित है।	हरी विवाहित है।
तुम सबसे अधिक सच्चे हो।	तुम सच्चे हो।
तुम्हारी बात रमेश की बात से कम झूठी है।	तुम्हारी बात झूठी है।

ध्यातव्यः—ऊपर के अशुद्ध वाक्यों को देखने से पता लगता है कि उनमें स्थूल टाइप वाले शब्द ऐसे विशेषण हैं जिनमें मात्रा नहीं होती क्योंकि वे कम या अधिक हो ही नहीं सकते। ऐसे विशेषण निम्नांकित हैं:—पूर्ण, अद्वितीय, अनुपम, बेईमान, ईमानदार, सच्चा, झूठा, विवाहित, अविवाहित। अतः इन शब्दों में से किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग करते समय तुलना की जानी चाहिए। अन्यथा का वाक्य अर्थहीन एवं अशुद्ध हो जायेंगे।

अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
नीमच माता पर अष्टमी के दिन बहुत सा लोग इकट्ठा होते हैं।	नीमच माता पर अष्टमी के दिन बहुत लोग इकट्ठे होते हैं।
अच्छा हो तुम मुझे सदा अपना छोटा-सा भाई समझो।	अच्छा हो, तुम मुझे सदा अपना छोटा भाई समझो।
हमारा मित्र बहुत श्रेष्ठ आदमी है।	हमारा मित्र बहुत अच्छा आदमी है।
तुम्हारी सच गवाही ने मुझे जिता दिया।	तुम्हारी सच्ची गवाही ने मुझे जिता दिया।
उसकी झूठ बात सुन कर मुझे गुस्सा आ गया।	उसकी झूठी बात सुन कर मुझे गुस्सा आ गया।
अच्छा वाला आदमी बहुत कम दुःखी होता है।	अच्छा आदमी बहुत कम दुःखी होता है।
मेरे वाला कुर्ता संभाल कर रख लेना।	मेरा कुर्ता संभाल कर रख लेना।

नोट.—विशेषण शब्दों के साथ 'वाला' नहीं लगना चाहिए।

निम्न पुस्तकें मुझे डाक से भेज देना।	निम्नलिखित पुस्तकें मुझे डाक से भेज देना।

क्रम सम्बन्धी त्रुटियों से युक्त वाक्य :

अशुद्ध क्रमयुक्त वाक्य	शुद्ध क्रमयुक्त वाक्य
तुम सब ये काम करके ही यहाँ से जाना।	तुम ये सब काम करके ही यहाँ से जाना।
मैंने ऐसा लड़का कभी अच्छा नहीं देखा।	मैंने ऐसा अच्छा लड़का कभी नहीं देखा।

अशुद्ध क्रमयुक्त वाक्य	शुद्ध क्रमयुक्त वाक्य
हमारे गाँव जाने में गहरी एक नदी पड़ती है ।	हमारे गाँव जाने में एक गहरी नदी पड़ती है ।
मैं पसीने से तंग था कि इतने मे ही हल्की-सी हवा का झोंका आया ।	मैं पसीने से तंग था कि इतने में ही हवा का हलका सा झोंका आया ।
लखनवी कलीवाला कुर्ता पाजामा के साथ अच्छा लगता है ।	कलीवाला लखनवी कुर्ता पाजामा के साथ अच्छा लगता है ।
नागपुरी बड़े संतरे यहाँ बहुत मँहगे हैं ।	बड़े नागपुरी संतरे यहाँ बहुत मँहगे हैं ।
मशहूर आगरे का पेठा थोड़ा मेरे लिये भी लाना ।	आगरे का मशहूर पेठा थोड़ा मेरे लिये भी लाना ।
प्राकृतिक सुरम्य स्थल उदयपुर की अनूठी सम्पदा है ।	सुरम्य प्राकृतिक स्थल उदयपुर की अनूठी सम्पदा है ।
कच्चा उदयपुर का अमरूद भी मीठा होता है ।	उदयपुर का कच्चा अमरूद भी मीठा होता है ।
हमारे पास,शोलापुरी पीली चादरें बहुत संख्या में नहीं है ।	हमारे पास पीली शोलापुरी चादरें बहुत संख्या मे नहीं हैं ।
मंद शीतल पवन गर्मी में सभी को अच्छी लगती है ।	शीतल मंद पवन गर्मी में सभी को अच्छी लगती है ।
देश को आज चरित्रवान एवं स्वस्थ नवयुवकों की आवश्यकता है ।	देश को आज स्वस्थ एवं चरित्रवान नवयुवकों की आवश्यकता है ।
नवभारत टाइम्स सर्वश्रेष्ठ दैनिक हिन्दी का समाचार पत्र है ।	नवभारत टाइम्स हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ दैनिक समाचार-पत्र है ।
साँप काला फुर्तीला और अधिक विषैला होता है ।	काला साँप अधिक विषैला और फुर्तीला होता है ।
देशी लाल मोटी डोरी तीस पैसे प्रति मीटर के हिसाब से बिकती है ।	मोटी लाल देशी डोरी तीस पैसे प्रति मीटर के हिसाब से बिकती है ।
वसन्ती प्रातःकालीन मन्द-मन्द भीनी और महकती वायु बरबस ही यात्रियों का मन मोह लेती है ।	मन्द-मन्द, भीनी और महकती हुई प्रातःकालीन वसन्ती वायु बरबस ही यात्रियों का मन मोह लेती है ।
मलमल की कच्ची कलफदार पीली राजस्थानी पगड़ी पहले दरबार में जाने वालों की ड्रेस में थी ।	कच्ची मलमल की पीली कलफदार राजस्थानी पगड़ी पहले दरबार में जाने वालों की ड्रेस में थी ।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. विशेषण और विशेष्य में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
2. संख्यावाचक और परिमाण-वाचक विशेषणों में क्या अन्तर है ?
3. निश्चित संख्यावाचक विशेषण से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किस प्रकार भिन्न है ?
4. चार ऐसे वाक्य लिखिए जिनमें परिमाणवाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हों।
5. कुछ ऐसे विशेषण शब्दों के उदाहरण दीजिए जो सर्वनाम की भाँति प्रयुक्त होते हैं। वाक्य में प्रयोग करके अन्तर स्पष्ट कीजिए।
6. क्या कभी विशेषण शब्द भी संज्ञा की तरह प्रयुक्त होते हैं ? प्रयोग करके दिखलाइये।
7. विशेषणों में तुलना कैसे-कैसे होती है, सोदाहरण बतलाइये।
8. विशेषण बनाने के कुछ नियमों का सोदाहरण उल्लेख कीजिए।
9. निम्नलिखित विशेषण शब्दों को लिंगों के विशेष्यों के साथ प्रयोग कर विशेषण संबंधी लिंग परिवर्तन के नियम बतलाइये।
   काला, सदाचारी, दयालु, श्रीमान, घटिया, बढ़िया, छोटा, सुन्दर, प्रिय।
10. निम्नांकित वाक्यों को शुद्ध कीजिए—
   1. वह बहुत लज्जावान हुआ है। 2. तीस विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, वे तीसों उत्तीर्ण हो गए। 3. तुम लोगों में कौन बात पर झगड़ा हो गया ? 4. यह तस्वीर का क्या मोल है ? 5. बहुतों धनी लोगों को हमने देखा है। 6. तुम्हें कोई काम में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। 7 तुम कुछ काम में शीघ्रता करो। 8. हर आदमियों को अपने ढंग से सोचने का हक है। 9. सबों लोगों को बुलाओ। 10. हर सभाओं में भाषण देने से व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है। 11. प्रत्येक छात्रों तक यह सन्देश पहुँचा दीजिए। 12. मेरा कुरता तुमसे अच्छा है। 13. आज यहां कुछेक लड़के आये थे। 14. तुम्हारा बायाँ हाथ में क्या है ? 15. यह पुस्तक अपने ढंग का अकेला है। 16. मेरे दो घोड़ा काले हैं और एक सफेद है। 17. राम मोहन से अधिक सच्चा है। 18. तुम रमेश की अपेक्षा कम झूठ बोलते हो। 19. सेब संतरे की अपेक्षा अनुपम होता है। 20. मेरा साड़ी तुमसे अच्छा है।

—

15 क्रिया शब्दों का रूपतात्विक विवेचन एवं उनके सम्यक प्रयोग

विचारणीय बिन्दु :

क्रिया, धातु, क्रिया के भेद (सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक), सहायक क्रिया, रंजक क्रियाएँ, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रियाएँ, पूर्वकालिक क्रियाएँ, नामबोधक क्रियाएँ, क्रिया के वाच्य-क्रिया के काल. इन सभी से सम्बन्धित भूलें और उनका निराकरण।

क्रिया :

क्रिया वह शब्द या शब्द समूह है जिसमें किसी कार्य, घटना या अस्तित्व का बोध हो। जैसे—महाराज रंतिदेव ने राजमहल छोड़ दिया। आसफखाँ ने दुर्गावती के राज्य पर चढ़ाई कर दी। दलपतिशाह तलवार के धनी थे। इन वाक्यों में रंतिदेव द्वारा महल को छोड़े जाने का कार्य, आसफखाँ द्वारा चढ़ाई किए जाने की घटना तथा दलपतिशाह का तलवार का धनी होने का भाव क्रमशः छोड़ दिया, चढ़ाई कर दी तथा थे शब्दों से प्रकट होता है, अतः ये क्रियाएँ हैं।

क्रिया वाक्य का केन्द्र बिन्दु होती है और कर्त्ता, कर्म और अव्ययों की पहचान का आधार बनती है। प्रत्येक वाक्य में क्रिया अवश्य होती है। यह प्रायः प्रकट ही होती है परन्तु कभी-कभी गुप्त भी रहती है। यथा—मोहन आया परन्तु सोहन नहीं। यहाँ सोहन नही के बाद 'आया' क्रिया गुप्त रूप में विद्यमान है।

धातु :

किसी क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है, उसे उस क्रिया की धातु कहते हैं। जैसे—चलना, चलता, चला, चलो, चलिएगा मे चल समान रूप से आया है, अतः चल धातु है। केवल निम्न धातु इस नियम की अपवाद हैं; ले, दे, कर, हो, जा। इनके कुछ रूपों में धातु परिवर्तित रूप में आती है। जैसे—ले-लिया, ली, लो, लूँगा; दे-दिया, दो, कर—किया, की; हो—हुआ, है, हूं; जा-गया आदि।

शब्द-कोश में क्रियाये ना वाले रूप में दी हुई होती हैं, जाना, सोना, पढ़ना, बोलना आदि। इनमे से ना का लोप कर देने पर जो अंश बच जाता है वह धातु है।

मूल धातु का प्रयोग तू के साथ आज्ञार्थक क्रिया के रूप में भी होता है। जैसे—तू अभी मत जा। तू उसे अपने साथ मत खिला। तू हमें अपने साथ ले चल। तू मुझसे मत लड़। तू नंगे पैर भाग। तू नंगे सिर मत घूम।

अकर्मक-सकर्मक एवं द्विकर्मक क्रियाएँ :

वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखने या न रखने के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं—सकर्मक और अकर्मक।

सकर्मक क्रिया—यह वह क्रिया है जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखती है। जैसे—राम शर्बत पीता है। इस वाक्य में पीता है क्रिया शर्बत, दूध, पानी आदि (कर्म) की अपेक्षा रखती है, अतः पीना सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार खाना, तोड़ना, लिखना भी सकर्मक क्रियाएँ हैं।

अकर्मक क्रिया—यह वह क्रिया है जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है। जैसे—रमेश रोता है, सीता हँसती है। लड़की खड़ी है। लड़का बैठा है। तुम हँस रहे हो। लड़के दौड़ रहे हैं। इन वाक्यों में रोना, हँसना, खड़ा होना, बैठना, दौड़ना अकर्मक क्रियाएँ हैं।

अकर्मक क्रियाओं का सीधा सम्बन्ध कर्त्ता से रहता है। अतः इनका फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है। इस प्रकार की क्रियाओं के साथ 'कर्म' का प्रयोग होता ही नहीं। इसलिए इनका फल कर्म पर पड़ ही नहीं सकता। हिन्दी में निम्नांकित क्रियाएँ सदा अकर्मक रहती हैं :—

(क) जातिबोधक क्रियायें—आना, जाना, घूमना, दौड़ना, उड़ना।

(ख) अवस्थाबोधक क्रियायें—होना, रहना, सोना, रोना, हँसना।

अकर्मक क्रियाओं की पहचान बहुत ही आसान है। अकर्मक क्रिया रहने पर वाक्य का अर्थ कर्म के बिना ही पूरा हो जाता है। जैसे—"वह सोता है।" इस वाक्य में अर्थ को समझने के लिए कर्त्ता को छोड़कर और किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए 'सोना' एक अकर्मक क्रिया है।

सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है। इसलिए कर्म के बिना उनका अर्थ पूरा ही नहीं हो सकता। जैसे—वह रोटी खाता है। इस वाक्य में 'रोटी' कर्म के बिना वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो सकता। अकर्मक क्रिया के क्षेत्र में यह स्थिति नहीं है क्योंकि उसका अर्थ कर्म पर निर्भर नहीं रहता। सकर्मक क्रिया का कर्म कभी-कभी छिपा रहता है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वह अकर्मक है, सकर्मक नहीं।

इन वाक्यों को लें :—१. वह खाता है। २. वह पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है फिर भी ये क्रियाएँ सकर्मक हैं क्योंकि यहाँ कर्म की सम्भावना है।

कुछ क्रियाएँ प्रयोग के अनुसार सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हैं। जैसे—

जूता काटता है। (अकर्मक)

दर्जी कपड़ा काटता है। (सकर्मक)
घड़े में पानी भरा है। (अकर्मक)
नौकर ने पानी भरा है। (सकर्मक)
मिठाई के लिए सुरेश का मन ललचाता है। (अकर्मक)
शिकारी बीन बजाकर हिरन को ललचाता है। (सकर्मक)

अपूर्ण सकर्मक और अकर्मक क्रियाएँ :

कभी-कभी सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं के वाक्य में समुचित प्रयोग करने पर भी कोई बात स्पष्ट नहीं होती। जैसे—कक्षाध्यापक ने सतीश को बनाया। इस वाक्य की बनाया क्रिया से कोई बात स्पष्ट नहीं होती। यह क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट करने में असमर्थ है और अर्थ स्पष्टता के लिए अन्य पद की सहायता चाहती है।

जो क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकती वह 'अपूर्ण क्रिया' कहलाती है। अतः 'बनाया' अपूर्ण क्रिया है। यदि इसकी सहायता के लिए 'मानीटर' पद और जोड़ दिया जाए तो वाक्य का निम्नलिखित रूप हो जायेगा।

'कक्षाध्यापक ने नरेन्द्र को मानीटर बनाया।'

ऊपर के वाक्य में 'मानीटर' पद की सहायता पाकर 'बनाया' क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ हो गई।

वाक्य में क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए जो पद जोड़ा जाता है, उसे क्रिया-पूरक कहते हैं। अतः मानीटर क्रिया-पूरक है। इसीलिए अपूर्ण क्रिया दो प्रकार की होती है—(१) अपूर्ण सकर्मक (२) अपूर्ण अकर्मक।

अपूर्ण सकर्मक—जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म होने पर भी स्पष्ट नहीं होता और अर्थ-स्पष्टता के लिए अन्य शब्द की आवश्यकता होती है, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं और उस अन्य शब्द को कर्मपूरक कहते हैं। जैसे—मैंने तुमको समझा। इस वाक्य में समझा क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट करने में असमर्थ है, यद्यपि उसके साथ तुमको कर्म मौजूद है। यदि इस वाक्य में 'बुद्धिमान' शब्द जोड दिया जाए तो वाक्य का रूप हो जाएगा—मैंने तुमको बुद्धिमान समझा। अब इस वाक्य का अर्थ बिलकुल स्पष्ट है। अतः इस वाक्य में 'समझा' क्रिया अपूर्ण सकर्मक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई है और 'बुद्धिमान' कर्मपूरक है।

यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सकर्मक क्रिया के पूरक के साथ 'को' विभक्ति नहीं आती परन्तु कर्म के साथ को विभक्ति लगती है। यह ही दोनों में अन्तर है।

अपूर्ण अकर्मक—जिस अकर्मक क्रिया का अर्थ कर्ता होने पर भी स्पष्ट न हो और जिसे अर्थ स्पष्टता के लिए अन्य शब्द की आवश्यकता हो, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं और उस अन्य शब्द को कर्तृ-पूरक कहते हैं। जैसे—सीता

पड़ गई। इस वाक्य मे 'पड़ गई' क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट करने मे असमर्थ है, यद्यपि इसके साथ 'सीता' कर्ता मौजूद है। यदि इस वाक्य मे बीमार शब्द जोड़ दिया जाय तो वाक्य का रूप हो जायेगा—सीता बीमार पड़ गई और अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अतः ऊपर के वाक्य में 'पड़ गई' अपूर्ण अकर्मक क्रिया है और 'बीमार' कर्तृ-पूरक है।

सकर्मक और अकर्मक क्रिया की ठीक पहचान :

सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की ठीक पहचान का बहुत महत्व है। अतः प्रत्येक हिन्दी भाषा का अध्ययन करने वाले के लिए इन क्रियाओं को ठीक पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए, नही तो वह हिन्दी शुद्ध नही लिख सकेगा। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की ठीक पहचान कर्ता और क्रिया के बीच में 'क्या' या 'किसे' आदि प्रश्न करने से हो जाती है। यदि इन प्रश्नों के करने पर कुछ उत्तर मिले तो क्रिया 'सकर्मक' है अन्यथा 'अकर्मक'। 'ने' विभक्ति चिह्न का प्रयोग हिन्दी में सकर्मक क्रियाओं के साथ ही होता है, अकर्मक क्रियाओं के साथ कभी नहीं होता। इसलिए जिन वाक्यों में भी 'ने' विभक्ति आती है उनमें प्रयुक्त क्रिया सकर्मक ही होगी। यहाँ यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हिन्दी के शुद्ध वाक्यों का प्रयोग किया जाए। किसी आंचलिक भाषा के प्रयोग से हिन्दी की अस्वाभाविक वाक्य रचना नही की जानी चाहिए। यथा—

(1) मैंने चारपाई पर सोना है।
(2) उसने किस पर हँसा था ?
(3) आज आपने टहला है या नहीं ?
(4) तुमने क्यो सोया है ?

द्विकर्मक क्रियायें—कभी-कभी सकर्मक क्रियाओं के साथ दो-दो कर्म आते हैं। जैसे—शिक्षक छात्र को हिन्दी पढाते हैं। माता लड़के को दूध पिलाती है। यहाँ पहले वाक्य में 'पढाते' के दो कर्म हैं—'छात्र' और 'हिन्दी'। दूसरे वाक्य में भी सकर्मक क्रिया (पिलाती) के साथ दो कर्म (लड़के, दूध) आये हैं।

हिन्दी में 'देना', 'बतलाना', 'कहना', 'सुनना' आदि कुछ क्रियाएँ द्विकर्मक है। जैसे—सुरेश ने रमेश को मिठाई दी। राम ने मुझे यह बात बतलाई। द्विकर्मक क्रिया को दोनों कर्मों मे व्यक्ति को गौण कर्म और वस्तु को प्रधान कर्म कहा जाता है। प्रधान कर्म विभक्ति चिह्न रहित रहता है, जबकि गौण कर्म 'को' आदि विभक्ति चिह्न से युक्त होता है। ऊपर के वाक्यो में 'मिठाई' और 'बात' प्रधान कर्म हैं और रमेश व मुझे गौण कर्म हैं।

यहाँ इस नियम को ध्यान में रखें :—
कर्म+को = अप्रधान कर्म!
—को = प्रधान कर्म

सबसे ऊपर दिए गए दो वाक्यों में 'छात्र' और 'लड़के' अप्रधान कर्म हैं, पर 'हिन्दी' और 'दूध' प्रधान कर्म।

सहायक क्रिया :

हिन्दी वाक्यों में क्रिया कभी तो एक शब्द की होती है और कभी एक से अधिक शब्दों की। जैसे—

(क) मैंने पुस्तक पढ़ी। रमेश ने केला खाया।
(ख) मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। हरीश रोटी खा रहा है।

क्रियापद :

क्रिया के लिए जिन शब्दों का वाक्य मे प्रयोग होता है उन्हें क्रियापद कहते हैं। यदि क्रिया एक से अधिक शब्दों की बनी हो तो उन्हें मिलाकर क्रियापद कहते हैं। ऊपर दिए गए 'क' और 'ख' खण्ड के वाक्यों में पढ़ी, खाया, पढ़ता हूँ, और खा रहा है, अंश क्रियापद हैं।

यदि क्रियापद में एक से अधिक क्रियाएँ हों तो उनमें एक क्रिया मुख्य होती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में पहली क्रियाएँ 'पढ़ना' और 'खाना' मूल क्रियाएँ हैं, क्योंकि वाक्य में क्रिया का मूल अर्थ वे ही व्यक्त करती है। मूल क्रिया के अतिरिक्त वाक्य में अन्य जितनी भी क्रियाएँ होती है वे 'सहायक क्रियाएँ' कहलाती हैं। वे मूल क्रिया की सहायता करती हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों मे हूँ, है सहायक क्रियाएं हैं।

सहायक क्रिया मूल क्रिया की सहायता दो तरह से करती है—

(1) उसके अर्थ में विशेषता ला कर। जैसे, वह गिर गया, मैं चल पड़ा, रमेश रोने लगा, इन वाक्यों में गया, पड़ा, लगा, सहायक क्रियाएँ मूल क्रियाओं में क्रमशः पूर्णता, आकस्मिकता तथा प्रारम्भ की विशेषताएँ ला रही हैं।

(2) व्याकरणिक कार्य अर्थात् काल, वाच्य आदि का निर्माण करके। जैसे, हरीश आया था, महेश गाता है, में 'था' और 'है' सहायक क्रियाएँ काल बता रही हैं। इसी प्रकार यहाँ 'बाल काटे जाते हैं', में 'जाते' सहायक क्रिया कर्मवाच्य बता रही है।

इस तरह सहायक क्रिया कभी तो मूल क्रिया की अर्थ की दृष्टि से सहायता करती है और कभी व्याकरण की दृष्टि से।

हिन्दी में निम्नलिखित धातुओं का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है:—

हो, रह, आ उठ, कर, चाह, चुक, जा, डाल, दे, पड़, लग, ले, पा, सक, बन, बैठ, चल आदि। इनमें से 'सक' धातु केवल सहायक क्रिया के रूप में ही आती है। अन्य धातु कभी मूल क्रिया-रूप में और कभी सहायक क्रिया रूप में प्रयुक्त होती हैं।

ऊपर दी गई सहायक क्रियाओं में 'हो' का प्रयोग सबसे दधि
इसके रूप काल, लिंग और वचन भेद से निम्नलिखित हो सकते हैं :—

वर्तमान :

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	है	हैं
मध्यम पुरुष	है	हो
उत्तम पुरुष	हूँ	हैं

भूत :

अन्य पुरुष	था	थे
मध्यम पुरुष	था	थे
उत्तम पुरुष	था	थे

स्त्रीलिंग में था और थे के स्थान पर क्रमशः थी और थीं का प्र

भविष्य :

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	होगा	होंगे
मध्यम पुरुष	होगा	होंगे
उत्तम पुरुष	हूँगा, होऊँगा	होंगे

स्त्रीलिंग में 'गा' तथा 'गे' के स्थान पर 'गी' का प्रयोग होता है।

संभावनार्थ :

	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	हो	हों
मध्यम पुरुष	हो	हों
उत्तम पुरुष	होऊँ	हों

रंजक क्रियायें—अर्थ में विशेषता लाने वाली सहायक क्रियाओं
क्रिया कहते हैं।

कुछ प्रमुख रंजक क्रियाएँ प्रयोग के साथ नीचे दी जा रही हैं :

उठना—आकस्मिकता : मुर्दा जी उठा, राम चिल्ला उठा।

करना—अभ्यास : वह लिखा करता है।

चाहना—पूर्णता या समाप्ति : बारह बजा हैं।

चुकना—पूर्णतः समाप्ति : वह चुका

जाना—निरंतरता : वह

पूर्णता, समाप्ति

डालना—समाप्ति : उसने

देना—अनुमति : मुझे भी

—को = प्रधान धर्म

जहां क्रिया का फल वक्ता के हित में हो। अपना पता लिख दो, कपड़े धो दो।

लेना—ऐसी समाप्ति जहां क्रिया का फल क्रिया के कर्ता के हित में हो।
मेरा पता लिख लो, खाना खा लो।

पड़ना—आकस्मिकता : बच्चा रो पड़ा।
पराधीनता : तुम्हें भी जाना पड़ेगा।

पाना—सामर्थ्य : मैं कर पाता तो बताता।

रहना—निरंतरता : वह पढ़ता रहा, मैं दौड़ता रहा।

लगना—आरम्भ : मैं स्कूल जाने लगा।

सकना—शक्यता : मैं पढ़ सकता हूँ।

प्रेरणार्थक क्रिया :

हिन्दी में कुछ क्रियाएँ अकर्मक और सकर्मक के जोड़ों में पाई जाती हैं।

हँसना—हँसाना गिरना—गिराना
उठना—उठाना निकलना—निकलवाना
टूटना—तोड़ना सोना—सुलाना

हिन्दी की सकर्मक क्रियाओं का प्रेरणार्थक रूप भी मिलता है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग वहाँ होता है, जहाँ क्रिया का कार्य कर्त्ता स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति से करा रहा होता है। जैसे—

आँधी मे बहुत से पेड़ गिर जाते हैं। (अकर्मक)
देखो उसने दूध गिरा दिया। (सकर्मक)
मजदूरों से वह पुरानी दीवाल गिरवा दो। (प्रेरणार्थक)

प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ रूप नीचे दिए जा रहे हैं, जिन्हें देखिए और समझिए।

छापना — छपवाना
गिरना — गिरवाना
पीसना — पिसवाना
काटना — कटवाना
लिखना — लिखवाना
हँसना — हँसवाना
बताना — बतवाना
बनाना — बनवाना

प्रेरणार्थक क्रियाओं के भेद :

प्रेरणार्थक क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं—(1) अकर्मक क्रियाओं से बनी

(क)—मैंने राम को हँसाया। (ख) मैंने मजदूरों से घर बनवाया। 'हँसाया' और 'बनवाया'—ये दोनों ही प्रेरणार्थक क्रियाएँ हैं, परन्तु इनमें एक अन्तर है। 'हँसाया' अकर्मक क्रिया 'हँसना' से बना है, पर 'बनाया' सकर्मक क्रिया 'बनना' से। प्रेरणार्थक क्रियाएँ अकर्मक क्रिया से बनें या सकर्मक से, ये सदा सकर्मक ही रहती हैं, अत. 'हँसाया' और 'बनवाया' दोनों सकर्मक क्रियाएँ ही हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है। वह यह है कि अकर्मक क्रियाओं से बनी प्रेरणार्थक क्रियाओं से यह बोध होता है कि काम करने में कर्त्ता स्वयं कुछ हद तक सक्रिय भाग लेता है, पर सकर्मक क्रियाओं से बनी प्रेरणार्थक क्रियाओं में कर्त्ता स्वयं काम नही करता, काम दूसरे की सहायता से पूरा होता है और कर्त्ता काम करने वाले को केवल प्रेरणा, सहायता या सुविधा देता है। यदि कर्त्ता काम करने में भाग लेता है तो वह क्रिया प्रथम श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया कही जाती है। पर यदि कर्त्ता काम करने में कुछ भी भाग नहीं ले और काम कोई दूसरा ही पूरा करे तो वैसी क्रिया द्वितीय श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है।

जैसे—(क) उसने सब कुछ लुटा दिया—प्रथम श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया।
(ख) उसने सब कुछ लुटवा दिया—द्वितीय श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया।

इन दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप में कुछ अन्तर रहता है। प्रथम श्रेणी की क्रियाओं में केवल 'ना' और द्वितीय श्रेणी की क्रियाओं में 'वाना' जैसे—

प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी
गिराना	गिरवाना
चलाना	चलवाना
उड़ाना	उड़वाना
उठाना	उठवाना
जगाना	जगवाना
सुलाना	सुलवाना
पिलाना	पिलवाना
चमकाना	चमकवाना
दिलाना	दिलवाना
जिलाना	जिलवाना
बिठाना (बिठलाना)	बिठवाना
सिखाना (सिखलाना)	सिखवाना

प्रेरणार्थक क्रियाओं के इन दो रूपों में एक बात स्पष्ट हो जाती है—यदि कर्त्ता स्वयं काम न करे और वह काम कोई दूसरा ही पूरा करे, तो द्वितीय श्रेणी प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होना चाहिए, प्रथम श्रेणी का नहीं। जैसे—

(क) मैंने राम को अध्यापकजी से पढाया।

(ख) हमने मजदूरों से मकान गिराया।

यहाँ पढ़ाया के बदले 'पढ़वाया' और गिराया के बदले 'गिरवाया' का प्रयोग होना चाहिए।

प्रेरणार्थक क्रिया के साथ कभी-कभी एक ही कर्म आता है। जैसे— (क) मैंने राम को हँसाया। (ख) उसने एक पेड़ लगवाया। ध्यान से देखें कि ऐसे वाक्यों मे सजीव कर्म के साथ 'को' आता है, पर निर्जीव कर्म के साथ नहीं। इसलिए निर्जीव कर्म के साथ 'को' का प्रयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए :—

(क) मैंने एक घर को वनवाया।

(ख) उसने एक पत्र को लिखवाया।

ऊपर दिए गए वाक्यों मे 'को' का प्रयोग असंगत लगता है। इन वाक्यों को भी देखिए—

(क) पिता ने पुत्र को शिक्षक से पढवाया।

(ख) मैंने नौकर से एक पेड़ कटवाया।

(ग) पिता ने अपने पुत्र को अध्यापक से विज्ञान पढवाया।

ऊपर के वाक्यों में से प्रथम दो वाक्यों मे दो-दो कर्म आये हैं और तीसरे में तीन कर्म आये हैं। अतः ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे वाक्यो में निर्जीव कर्म में 'को' नहीं लगता। इसलिए इस प्रकार के वाक्य अशुद्ध हैं :—

(क) मैंने नौकर से एक पेड़ को कटवाया।

(ख) मैंने राम से एक पत्र को लिखवाया।

(ग) पिता ने पुत्र को शिक्षक से विज्ञान पढ़वाया।

जिस सजीव कर्म पर क्रिया का फल पड़ता है, उसके साथ 'को' का प्रयोग होता है, पर जिस कर्म से प्रेरणा मिलती है उसके साथ 'से' का। इसलिए ऊपर दिए गए वाक्यों में 'पुत्र' के साथ 'को' आया है, पर 'शिक्षक' और 'नौकर' के साथ 'से'। ऐसे वाक्यों में 'को' और 'से' का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो वाक्य का अर्थ ही बदल जायेगा।

इन वाक्यों को देखिए—

(क) मैंने छात्र से शिक्षक को पढवाया।

(ख) मैंने घर से नौकर को धुलवाया।

इन वाक्यों को इस प्रकार लिखकर व्याकरण और अर्थ दोनो की रक्षा करनी आवश्यक है।

(क) मैंने छात्र को शिक्षक से पढवाया।

(ख) मैंने नौकर से घर धुलवाया।

संयुक्त क्रियाएँ :

संयुक्त क्रियाएँ मुख्य क्रिया और सहायक क्रियाओं के मेल से बनती हैं और कोई विशिष्ट अर्थ प्रकट करती हैं। ये क्रियाएँ धातुओं के कुछ विशिष्ट कृदन्तों के साथ, अर्थ में विशेषता लाने के लिए, जोड़ी जाती हैं। ऐसी क्रियाएँ प्राय: इन क्रियाओं के मेल से बनाई जाती हैं :—

आना, जाना, होना, लेना, देना, पाना, उठना, बैठना, करना, चाहना, चुकना, डालना, सकना, बनना, पड़ना, रहना, चलना।

उदाहरण :—पहुँच जाना, तोड़ डालना, देख सकना, कर बैठना, भेज देना, दे देना, मार रखना आदि।

संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग—इन क्रियाओं का बनाना तो आसान होता है परन्तु इनका सही प्रयोग करना कठिन। इसलिए संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में निम्न नियम ध्यान में रखने आवश्यक हैं :—

(1) मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों ही सकर्मक हो तो उनके मेल से बनी हुई सयुक्त क्रियाएँ सदा सकर्मक रहती हैं। जैसे—भेज देना, लिख देना।

(2) मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया में से यदि एक भी अकर्मक हो तो संयुक्त क्रियाएँ अकर्मक हो जाती हैं।

जैसे :—पूछ बैठना,
चल देना।
मोहन को लकवा मार गया।
फसल को पाला मार गया।

(3) वाक्य में सकर्मक संयुक्त क्रिया रहने पर 'ने' का प्रयोग होता है, पर अकर्मक संयुक्त क्रिया रहने पर 'ने' का प्रयोग नहीं होता।

जैसे :—उसने पत्र भेज दिया। ('ने' का सही प्रयोग)
मैंने उसे छोड़ दिया। ('ने' का सही प्रयोग)
उसने सो लिया। ('ने' का अशुद्ध प्रयोग)
हमने हँस चुका। ('ने' का अशुद्ध प्रयोग)

(4) संयुक्त क्रियाओं का एक विशेष अर्थ होता है। अत: उनके अर्थ को ध्यान में रखकर ही संयुक्त क्रिया बनानी चाहिए। जैसे, कुछ संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग बुरे अर्थ में ही होता है। उससे पता चलता है कि कोई अनुचित कार्य बिना सोचे-समझे जल्दबाजी में कर दिया गया है।

जैसे :—(1) जिसके जी में जो कुछ आता है, वही लिख चलता है और छापने वाले भी आँखें बन्द करके छापते चलते हैं।
—रामचन्द्र वर्मा 'अच्छी हिन्दी'

(2) अनेक कवि हो चुके जिन्होंने इस विषय पर न मालूम क्या-क्या लिख डाला है।
—आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी

इन वाक्यों में लिख चलना, छापते चलना, लिख डालना, सयुक्त क्रियाओं के *प्रयोग से पता लगता है कि कुछ अनुचित कार्य जल्दबाजी मे कर दिए गए हैं।* इन क्रियाओं का प्रयोग अच्छे अर्थ मे किया हुआ नही देखा गया है। अतः नीचे लिखी तरह इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए :

(1) उसने एक अच्छी पुस्तक लिख मारी।
(2) उसने एक महान् ग्रन्थ लिख डाला।
(3) प्रसाद जी ने कामायनी लिख डाली।

ऊपर के दिए गए वाक्यों से स्पष्ट है कि हिन्दी में एक क्रिया जब दूसरी क्रिया से बिल्कुल निःस्वार्थ भाव से मिलती है तो दोनों अपना-अपना अर्थ छोड़ देती हैं और इस प्रकार एक विशेष अर्थ या ध्वनि प्रकट करती हैं। यह विशेषता किसी दूसरी भाषा की क्रियाओं में नहीं मिल सकती।

पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ—कुछ क्रियाएँ दो समानार्थक (एक ही प्रकार के अर्थ प्रकट करने वाली) क्रियाओं के मेल से बनती हैं। जैसे :—पढ़ना-लिखना, लड़ना-झगड़ना, मिलना-जुलना, समझना-बूझना, देखना-भालना, खाना-पीना आदि।

कुछ सयुक्त क्रियाएँ विपरीतार्थक (विरोधी या विपरीत अर्थ प्रकट करने वाली) क्रियाओं के मेल से बनती हैं। जैसे—आना-जाना, उठना-बैठना, सोना-जागना आदि।

पुनरुक्त संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में इनके क्रम या स्थान का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। इन्हें कहीं भी रख देने की छूट नहीं है। इसलिए *'पढ़ना-लिखना'* के बदले *'लिखना-पढ़ना' का प्रयोग नही हो सकता।* इसी प्रकार 'मिलना-जुलना' का 'जुलना-मिलना' और 'आना-जाना' का 'जाना-आना' नहीं हो सकता। दायें-बायें का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि किस प्रकार प्रधान शब्द बायीं ओर रखा जाय और अप्रधान शब्द को दायी ओर। द्वन्द्व समास की संज्ञाओं की तरह यह नियम अवश्य ध्यान मे रखा जाना चहिए। नीचे लिखी तरह के वाक्य नहीं लिखे जाने चाहिए :—

(1) वह अब मेरे यहाँ आया-जाया नहीं करता।

(2) वह आजकल लिखा-पढ़ा नहीं करता।

(3) अच्छे लोगों से जुलते-मिलते रहो।

पूर्वकालिक क्रिया:—कर्त्ता जिस क्रिया (कार्य) को पहले करके दूसरी क्रिया (कार्य) करता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे—रमेश यहाँ से खाना खाकर गया। इस वाक्य में रमेश कर्त्ता द्वारा पहले खाने का कार्य किया गया है और फिर जाने का कार्य। अतः इस वाक्य में 'खा कर' पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया की धातु के साथ 'कर' अथवा 'करके' शब्दांश जोड़कर बनती है।

नामबोधक क्रियाएँ—ये क्रियाएँ दो प्रकार से बनती हैं—

(क) संज्ञा + क्रिया :
जैसे—भस्म करना, भस्म होना, आरम्भ करना।

(ख) विशेषण + क्रिया :
जैसे—निराश होना, विसर्जित करना, आलोकित करना।

ऐसी नामबोधक क्रियाओं को कुछ लोग संयुक्त क्रियाएं समझ बैठते हैं। यह उनका भ्रम है। ये संयुक्त क्रियाएँ नहीं हैं। संयुक्त क्रियाएँ दो क्रियाओं के मेल से बनती हैं। इसलिए नीचे लिखी तरह के वाक्य अशुद्ध हैं :—

(क) सभा विसर्जन हो गई।
(ख) प्रतिमा विसर्जन हुई है।
(ग) पूजा आरम्भ हो गया।
(घ) भवन आलोक हो गया।
(च) सभा भंग हो गया।
(छ) झोंपड़ी भस्म हो गया।

इन्हें इस प्रकार शुद्ध रूप में लिखा जा सकता है:—

(क) सभा विसर्जित हो गई अथवा सभा का विसर्जन हो गया।
(ख) प्रतिमा विसर्जित हो गई अथवा प्रतिमा का विसर्जन हो गया।
(ग) पूजा आरम्भ हो गई अथवा पूजा का आरम्भ हो गया।
पूजारम्भ
(घ) भवन आलोकित हो गया अथवा भवन में आलोक हो गया।
(च) सभा भंग हो गई।
(छ) झोंपड़ी भस्म हो गई।

क्रियाओं का वर्गीकरण

क्रिया के वाच्य :

'वाच्य' क्रिया के उस रूपान्तर को कहते हैं, जिससे जाना जाता है कि वाक्य में कर्त्ता के विषय में विधान किया गया है या कर्म के विषय में अथवा केवल भाव के विषय में; जैसे, 'स्त्री कपड़ा सीती है' (कर्त्ता के विषय में विधान)। 'कपड़ा सिया जाता है' (कर्म के विषय में विधान)। 'यहाँ बैठा नहीं जाता' (भाव के विषय में विधान)।

इस प्रकार क्रिया हमारे सामने नये-नये रूप धारण करके आती है। वह कभी तो कर्त्ता के अनुसार अपना रूप बदलती है और कभी कर्म के अनुसार और कभी-कभी तो इन दोनों से बिल्कुल आजाद होकर अपना अलग रूप बना लेती है। अतः क्रिया का यह रूप-परिवर्तन ही वाच्य है।

क्रिया तीन प्रकार से अपना रूप बदलती है, इसलिए वाच्य तीन प्रकार के होते हैं :

1. कर्तृ वाच्य (कर्त्तरि प्रयोग)
2. कर्म वाच्य (कर्मणि प्रयोग)
3. भाव वाच्य (भाव प्रयोग)

कर्तृ वाच्य :—जहाँ क्रिया कर्त्ता के अनुसार होती है, वहाँ वह कर्तृ वाच्य में कहलाती है। इसे 'कर्त्तरि प्रयोग' भी कुछ वैयाकरण कहते हैं। इसका अर्थ है क्रिया का कर्त्ता के अनुसार रूप बदलना, अर्थात् क्रिया के रूप का कर्त्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होना। कर्तृ वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग होता है। उदाहरण :—

(क) मैं पढ़ता हूँ। (ख) वह पढ़ता है।
(ग) लड़के खेलते हैं। (घ) लड़कियाँ खेलती हैं।

इन वाक्यों की क्रियाओं के ऊपर कर्त्ता के लिंग, वचन और पुरुष का प्रभाव पड़ा है। अतः वाक्य में इन क्रियाओं की अपनी अलग हस्ती नहीं है।

कर्म वाच्य :—'कर्म वाच्य' का अर्थ है क्रिया का कर्म के अनुसार रूप बदलना। इसे कर्मणि प्रयोग भी कुछ वैयाकरण कहते हैं। इससे जाना जाता है कि वक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है। अतः क्रिया का रूप इस वाच्य में कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुमार होता है। जैसे—

(क) राम ने रोटी खायी।
(ख) कमला ने चावल खाया।
(ग) मैंने एक ग्राम खाया।
(घ) मैंने चार ग्राम खाये।
(च) मुझसे रोटी नही खाई जाती।
(छ) मुझसे चावल नही खाया जाता।

कर्म-वाच्य का प्रयोग दो प्रकार से होता है :

(क) कर्त्ता + ने + कर्म − को + क्रिया
(ख) कर्त्ता + से + कर्म + मुख्य क्रिया + नही + सहायक क्रिया 'जाना'

कर्त्ता के साथ 'ने' आने पर कर्म के साथ 'को' का प्रयोग नही होता है। कर्त्ता के बाद 'से' आता है तो क्रिया के साथ नही का प्रयोग अवश्य होता है।

लड़की ने लड़के को देखा। }
लड़की ने लड़की को देखा। } भाव वाच्य

इन वाक्यो को देखें :—
रोगी से पानी पिया जाता है। अशुद्ध
रोगी से पानी भी नही पिया जाता। शुद्ध
रोगी से खिचड़ी खाई जाती है। अशुद्ध
रोगी से खिचड़ी भी नही खाई जाती। शुद्ध

हिन्दी मे 'शक्ति' या 'सक' 'पाने' का बोध कराने के लिए ऐसे-ऐसे वाक्य इस प्रकार लिखे जाने चाहिए :—रोगी पानी पी सकता है।

	कर्त्तरि प्रयोग	शुद्ध वाक्य
रोटी खाई जाती है।	"	"
नीबू चूसा जाता है।	"	"
अखबार पढ़ा जाता है।	"	"
लिखी जाती है।	"	"

राम से रोटी खाई गई।
मुझसे लिखा जाता है।
उससे पढ़ा जाता है।
हम लोगों से हँसा जाता है।

} अशुद्ध वाक्य

भाव वाच्य—क्रिया का सदा एकवचन पुल्लिग रहना।

इस वाच्य मे क्रियाएँ अपनी स्वतन्त्र सत्ता कायम कर लेती हैं। इसलिए ऐसी क्रियाओं के रूप कर्त्ता या कर्म के अनुसार वदलते ही नही। इसका प्रयोग तीन प्रकार से होता है :—

(क) कर्त्ता + से + मुख्य क्रिया + नही जाता।

(ख) कर्त्ता + ने + कर्म + को + क्रिया।

(ग) कर्त्ता + ने – कर्म।

(घ) लड़कों से चला नही जाता।

लड़कियों से चला नही जाता।

लड़कियों ने लड़कों को देखा।

राम से खाया नही जाता। भाव वाच्य

राम से खिचड़ी नहीं खायी जाती। कर्म वाच्य

मैंने आज चार पूड़ियाँ खाईं। कर्म वाच्य

कृष्ण ने राधा को देखा। भाव वाच्य

निष्कर्ष :—वाच्य-विवेचन में हमे क्रिया के रूप पर ही विचार करना चाहिए, उसके अर्थ पर नही। कर्त्ता + से का प्रयोग 'नहीं' के साथ (अशक्ति या लाचारी का भाव प्रकट करने के लिए) तो होता है, पर 'नहीं' के बिना नहीं। इसलिए 'राम से रोटी खायी नहीं जाती' तो ठीक है, पर 'राम से रोटी खायी जाती है' यह गलत है।

क्रिया के काल :

व्याकरण में काल का अर्थ होता है—समय का बोध कराने के लिए क्रिया का रूप-परिवर्तन या रूपान्तर।

भूत, वर्तमान, भविष्यत्, ह, थ, ग, समय सूचक प्रत्यय

था, थ ह–है गा आ,ई,ए

भूतकाल के भेद :

सामान्य भूत—उसने पढ़ा।

आसन्न भूत—उसने पढ़ा है। वह पढ़ चुका है।

पूर्ण भूत—उसने पढ़ा था। वह पढ़ चुका था।

अपूर्ण भूत—वह पढ़ता था। वह पढ़ रहा था।

सन्दिग्ध भूत—उसने पढ़ा होगा।

हेतुहेतुमद् भूत—वह पढ़ता। उसने पढ़ा होता।

भूतकालिक क्रियाओं के रूप व अर्थ :

कभी-कभी किसी क्रिया का रूप हमें भ्रम में डाल देता है, यथा—

1. साहित्य का रस जिसने पा लिया उसके लिए भू-तल ही स्वर्ग बन गया।

— शिवपूजन सहाय

2. कवि स्वभाव से ही उच्छृङ्खल होते हैं। वे जिस तरफ झुक गए, झुक गए। जी में आया तो राई का पर्वत कर दिया, जी में न आया तो हिमालय की तरफ भी आँख उठा कर न देखा।

— आचार्य द्विवेदी

ऊपर के वाक्यों में रेखांकित क्रियाएँ रूप की दृष्टि से सामान्य भूत की हैं; परन्तु अर्थ की दृष्टि से सामान्य वर्त्तमान काल की हैं।

मैं अब चला।
इधर आ बेटा।
आया, पिताजी।
} तात्कालिक वर्तमान काल के लिए सामान्य भूत का प्रयोग।

वर्त्तमान काल :

सामान्य वर्त्तमान—वह पढ़ता है।

तात्कालिक वर्त्तमान—वह पढ़ रहा है। राम भारत में रहता है।
राम भारत में रह रहा है।

सन्दिग्ध वर्त्तमान—वह पढ़ता होगा।

सम्भाव्य वर्त्तमान—उसने पढ़ा हो। यह भी सम्भव है कि उसने अखबार पढ़ा हो।
वह आया हो तो मेरा पत्र उसे दे देना।

सूर्य पूरब में उगता है।
कौए काले होते हैं।
} चिरन्तन सत्य

वह मेरे यहाँ रोज आया करता है । मैं प्रतिदिन रात में कुछ पढ़ लिया करता हूँ ।	आदत, अभ्यास
वह मेरे यहाँ रोज आ रहा है । मैं प्रतिदिन रात में कुछ पढ़ रहा हूँ ।	अशुद्ध प्रयोग

वर्तमान-कालिक क्रियाओं के रूप और अर्थ :

1. कभी-कभी सामान्य वर्तमानकाल की क्रियाओं से भूत और भविष्यत् कालों का बोध होता है । जैसे—
   (क) कोयला काला होता है ।
   (ख) दूध उजला होता है ।
   (ग) जो जन्म लेता है वह अवश्य ही मरता है ।
2. कभी-कभी तात्कालिक वर्तमान से भविष्यत् का बोध होता है । जैसे—
   (क) मैं कल ही पटना जा रहा हूँ ।
   (ख) मैं अगले वर्ष अमेरिका जा रहा हूँ ।

क्रिया में 'वाला' जोड़कर भी भविष्यत्काल का बोध कराया जाता है । यथा—

(क) कल मैं पटना जाने वाला हूँ ।
(ख) वह हाल ही में अमेरिका जाने वाला है ।

भविष्यत् काल :

सामान्य भविष्यत्—इससे यह बोध होता है कि कोई काम आगे आने वाले समय मे होगा ।

सामान्य भविष्यत्—वह पढ़ेगा । मैं जाऊँगा । वह लिखेगा ।

सम्भाव्य भविष्यत्—इससे भविष्य मे काम होने की सम्भावना या इच्छा की पूर्ति की सम्भावना का भाव प्रकट होता है । जैसे—

(क) हो सकता है, वह कल आये ।
(ख) सम्भव है वह जो जाये ।

कभी-कभी सम्भावना का भाव 'सकना' से भी इस प्रकार प्रकट होता है । जैसे—

(क) कल वर्षा हो सकती है ।
(ख) वह अगले महीने आ सकती है ।

अपूर्ण भविष्यत्—

(क) वह पढ़ता रहेगा ।
(ख) संसार चलता रहेगा ।

पूर्ण भविष्यत्—

(क) वह पढ़ चुकेगा।

(ख) वह सब कुछ कर चुकेगा।

भविष्यत् काल की क्रियाओं के रूप और अर्थ :

1. कभी-कभी भविष्यत् काल की क्रियाओं से चिरन्तन सत्य का बोध होता है। इसलिए उनसे भूत, वर्तमान और भविष्यत् तीनों कालों का अर्थ प्रकट होता है।

   जैसे—फाँसी देने से क्या अपराधी सुधर जायगा?

   इससे क्या उसके अपराधों का मार्जन हो जायगा?

   जो अमिट रेखा उसके हाथों में खिंची है, वह उसके साथ मिट जायगी?

यहाँ 'जायगा' का अर्थ है 'सकता है'। 'सुधर जायगा' से यह बोध नहीं होता कि सुधरने का कार्य केवल भविष्य में होगा। इसका अर्थ है 'सुधर सकता है'।

अभ्यास के प्रश्न

1. क्रिया और धातु में क्या अन्तर है?
2. सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं में भेद स्पष्ट कीजिए।
3. अपूर्ण सकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं के बारे में आप क्या जानते हैं?
4. सकर्मक और अकर्मक क्रिया की ठीक पहचान क्या है?
5. द्विकर्मक क्रियाएँ किन्हें कहते हैं? अप्रधान और प्रधान कर्म में क्या अन्तर है?
6. सहायक क्रिया किसे कहते है?
7. हिन्दी मे किन धातुओं का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है?
8. रंजक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं?
9. प्रेरणार्थक क्रिया कैसी होती है और उसके भेदों के विषय में आप क्या जानते हैं?
10. संयुक्त क्रियाएँ कैसे बनती हैं और उनका शुद्ध प्रयोग कैसे होता है?
11. पूर्वकालिक एवं नाम-बोधक धातुओं से क्रिआप क्या समझते हैं?
12. क्रिया के वाच्य से आप क्या समझते हैं?
13. क्रिया के वाच्य सम्बन्धी अशुद्धियों से पूर्ण कोई पाँच वाक्य लिखिए और उनके शुद्ध रूप भी दीजिए।

14. क्रिया के काल से आप क्या समझते हैं ?
15. भूत, वर्तमान और भविष्यत् काल की क्रियाओं में से प्रत्येक के रूप सम्बन्धी भ्रामक प्रयोगों के पाँच उदाहरण प्रस्तुत कीजिए और उनके अर्थ की दृष्टि से जो काल बनता हो, उसका विवेचन कीजिए।
16. निम्नांकित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करते हुए उनकी अशुद्धियों के प्रकार का विवेचन कीजिए :—
    1. सभा विसर्जन हो गई।
    2. पूजा आरम्भ हो गया।
    3. वह आजकल लिखा-पढ़ा नहीं करता।
    4. वह अब मेरे यहाँ जाया-आया नहीं करती।
    5. मैं तुमसे यह कहा चाहता हूँ।
    6. उसे मदद करना पड़ा।
    7. राधा भोजन बनाते रहती है।
    8. मुझसे रोटी खायी जाती है।
    9. वह अपना भोजन आप ही बना देती है।
    10. उसने मजदूरों से पेड़ गिराया।
    11. मैंने राम से एक पत्र को लिखवाया।
    12. रोगी से पानी पिया जाता है।
    13. राम से रोटी खायी गयी।
    14. हमने रोटी को खाया।
    15. लड़कों ने पुस्तक को पढ़ा।
    16. सूर्य प्रतिदिन पश्चिम में डूब रहा है।
    17. सीता से हँसा जा रहा है।

16 अव्यय शब्दों का रूपतात्विक विवेचन एवं उनके प्रयोग से सम्बन्धित त्रुटियों का विश्लेषण

अव्यय शब्द का अर्थ होता है—जिसका व्यय न हो। संस्कृत-व्याकरण की दृष्टि से वे शब्द जिनका व्यय नहीं होता अर्थात् विभिन्न स्थितियों में प्रयोग होने पर भी जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता हो, वे अव्यय शब्द कहे जाते हैं। हिन्दी-व्याकरण की दृष्टि से वे सभी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की कोटि में नहीं आते, अव्यय कहलाते हैं।

हिन्दी की दृष्टि से अव्यय की परिभाषा संस्कृत व्याकरण के अव्यय की परिभाषा के समान नहीं हो सकती। क्योंकि हिन्दी में सुशील, कोमल, कठोर, भारी, वृद्ध आदि कई ऐसे विशेषण शब्द हैं जिनके विभिन्न प्रयोग की स्थितियों में भी परिवर्तन नहीं होता। हाँफता-हाँफता, हँसता हुआ जैसे अव्यय शब्दों के रूप परिवर्तन होते हैं। राम-राम जैसे संज्ञा, कितना जैसे सर्वनाम, भला जैसे विशेषण, चल जैसे क्रिया शब्द भी जब वाक्य के आरम्भ में प्रयुक्त होकर विस्मय प्रकट करते है, तो अव्यय माने जाते है। ऐसी स्थिति में हिन्दी के अव्यय की परिभाषा संस्कृत के अव्यय की परिभाषा से भिन्न होगी। संस्कृत अव्यय की परिभाषा रूप पर आधारित है, किन्तु हिन्दी में अव्यय की परिभाषा उनके कार्य पर आधारित होती है—यथा, अव्यय वे शब्द होते है जो वाक्य में प्रयुक्त होकर निम्नलिखित कार्य करते हैं :—

(1) क्रिया के स्थान, दिशा, काल, रीति, कारण, परिमाण, तुलना, अवधारण, सादृश्य, उद्देश्य, यथार्थ, निषेध, बल, स्वीकृति आदि को बताते हैं।

(2) शब्दों, पदबन्धों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हुए विकल्प, विरोध या परिणाम को प्रकट करते है।

(3) विस्मय, हर्ष, शोक, अनुमोदन, तिरस्कार, स्वीकृति, सम्बोधन आदि भावों को प्रकट करते हैं।

फिर भी हिन्दी में रूप के आधार पर ही अधिकांश विद्वानों ने अव्यय की परिभाषा दी है जिसका विवेचन इस अध्याय में ही आगे किया जायगा।

अव्यय शब्दों की रूप के आधार पर विशेषता :

अव्यय व्याकरण-शास्त्र का महत्त्वपूर्ण अंग है। हिन्दी व्याकरण में अधिकांश विद्वानों ने शब्द-भेद पाँच माने हैं—संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। इन सभी शब्द-भेदों में प्रत्येक अपनी विशेषता लिये हुए रहता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के रूपों में लिङ्ग, वचन, कारक एवं वाच्य की दृष्टि से परिवर्तन हो जाता है :—

	शब्द	लिङ्ग	वचन	कारक	वाच्य
संज्ञा	लड़का	लड़की	लड़के, लड़कियाँ	लड़के ने, लड़कों ने लड़की ने, लड़कियों ने	लड़के के द्वारा, लड़कों के द्वारा
सर्वनाम	मैं	मैं	हम	मैंने, मुझे, मुझसे, हमने, हमको, हमसे	मेरे द्वारा, हमारे द्वारा
क्रिया	पढ़ना	पढ़ता हूँ पढ़ती हूँ पढ़, पढ़ूँ पढ़ूँगा	पढ़ते हैं पढ़ती हैं पढ़ो, पढ़ें पढ़ेंगे	(राम ने पत्र) पढ़ा (हमने पत्र) पढ़े	पढ़ा जाता है। पढ़ी जाती है।
विशेषण	अच्छा	अच्छी	अच्छे	—	—

वाक्य-रचना के अनुसार इन चारों शब्द-भेदों के रूपों में परिवर्तन होता है, परन्तु अव्यय शब्दों की यह विशेषता है कि उनका रूप सदा एक ही रहता है। देखिए—

(1) आपका पत्र कल मिला।
(2) कल मुझे बुखार आ गया।
(3) वह कल काम करने नहीं गया।
(4) कल रविवार था।
(5) कल सोमवार होगा।
(6) उसके द्वारा कल एक पुस्तक पढ़ी गई।
(7) कल अच्छे छात्रों को पुरस्कार दिए जाएँगे।

उल्लिखित वाक्यों की रचना में कल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ऊपर के उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के रूप परिवर्तित होते हैं, परन्तु अव्यय के नहीं। इसलिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी शब्द कहे जाते हैं और अव्यय अविकारी।

अव्यय की परिभाषाएँ :

अव्यय शब्द सामासिक शब्द है। संस्कृत में इसका विग्रह यों किया जाता है—न व्ययः इति अव्ययः। यह नञ समास का शब्द है। अ=अर्थात् नहीं, व्यय=विकार या परिवर्तन—अर्थात् ऐसे शब्द जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, सदा ज्यों के त्यों रहते हैं—अव्यय कहे जाते हैं। लिङ्ग, वचन, कारक सभी अवस्थाओं में जिस शब्द का रूप न बदले, वह अव्यय है।

संस्कृत व्याकरण में भी अव्यय के बारे में यही बात यों कही गई है :—

"सदृशं त्रिषु लिंगेषु, सर्वासु च विभक्तिषु।
वचनेसु च सर्वेषु, यन्नव्येति तदव्ययम्॥"

संस्कृत में तीन लिङ्ग और तीन वचन होते हैं। जो तीनों लिङ्गों और तीनों वचनों तथा सभी कारकों में एकसमान रहता है—वह अव्यय है।

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने भी अव्यय की परिभाषा इसी प्रकार दी है :—

"जो सब लिङ्गों में एकसा रहे और सभी विभक्तियों में तथा वचनों में जो रूपान्तरित न हो, वह अव्यय है।"

अव्ययों के भेद :

हिन्दी-व्याकरण की अनेक पुस्तकों में अंग्रेजी व्याकरण के (Adverb) क्रिया-विशेषण, (Preposition) सम्बन्धबोधक, (Conjunction) समुच्चय-बोधक एवं (Interjection) द्योतक या विस्मयादिबोधक शब्द-भेदों के आधार पर अव्यय के चार भेद निर्धारित किए गए हैं। हिन्दी-व्याकरण में रूप और कार्य के आधार पर अव्यय के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं :—

1. क्रियाविशेषण अव्यय
2. समुच्चय बोधक अव्यय
3. सम्बन्ध बोधक अव्यय
4. विस्मयादि बोधक (भाव बोधक) अव्यय
5. स्थान बोधक अव्यय
6. काल बोधक अव्यय
7. परिमाण बोधक अव्यय

8. निपात (अवधारण, विधि-सूचक आदि)
9. प्रश्न वाचक अव्यय
10. प्रादि अव्यय ।

क्रियाविशेषण अव्यय—जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, वे क्रियाविशेषण अव्यय कहे जाते हैं । क्रियाविशेषण शब्द से यही तात्पर्य अभीष्ट भी है । जिनसे क्रिया की विशेषता प्रकट नहीं हो, उन्हे क्रियाविशेषण नही माना जाना चाहिए । अंग्रेजी को आधार बनाकर किन्ही व्याकरण-पुस्तको मे क्रिया *विशेषण अव्यय के निम्नलिखित भेद बताए गए हैं :—*

(1) काल वाचक क्रियाविशेषण		(Adverb of Time)
(2) स्थान वाचक	,,	(Adverb of Place)
(3) रीति वाचक	,,	(Adverb of Manner)
(4) परिमाण वाचक	,,	(Adverb of Quantity)

कुछ विद्वानों का मत है कि काल व स्थान बोधक अव्यय समय व जगह से सम्बन्धित हैं—उनसे क्रिया की विशेषता प्रकट नही होती; अतः इन्हें क्रियाविशेषण नही माना जाना चाहिए । अंग्रेजी और हिन्दी की प्रकृति भिन्न है; अतः अंग्रेजी के आधार पर हिन्दी अव्ययों को जगाना ठीक प्रतीत नहीं होता । क्रियाविशेषण अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण शब्दों से भी बन जाते हैं । देखिए :—

संज्ञा शब्दों से निर्मित क्रियाविशेषण अव्यय—प्रेमपूर्वक, आनन्दपूर्वक, दिनभर, रातभर, ध्यान से, लगन से, रात तक आदि ।

प्रेम, आनन्द, दिन, रात, ध्यान, लगन ये सब संज्ञाएँ हैं परन्तु पूर्वक, भर, से, तक शब्द जुड़कर क्रियाविशेषण अव्यय बन गए हैं ।

विपरीतार्थक संज्ञा शब्दों के मेल से भी क्रियाविशेषण अव्यय बन जाते हैं; जैसे—रात-दिन, सुबह-शाम, देश-विदेश आदि ।

सर्वनाम शब्दों से निर्मित—जिससे, इसलिए, इससे

क्रिया शब्दों से निर्मित—चलते-चलते, दौड़ते-दौड़ते, लिखते-लिखते, पढ़कर, सोकर, लिखकर आदि ।

विशेषण शब्दों से निर्मित—अच्छा, बहुधा, प्रथमतः, साधारणतः

क्रियाविशेषण अव्ययों से क्रिया की विशेषता ज्ञात होती है—

1. राम ध्यानपूर्वक सुनता है । (कैसे सुनता है—ध्यानपूर्वक) 'सुनता है' क्रिया की विशेषता ध्यानपूर्वक से प्रकट होती है ।

2. राम चलते-चलते पढ़ता है। (कैसे पढ़ता है—चलते-चलते) यहाँ 'चलते-चलते' शब्द 'पढ़ता है' क्रिया की विशेषता प्रकट करता है।
3. रमा अच्छा गाती है। (कैसा गाती है—अच्छा गाती है) यहाँ 'अच्छा' शब्द 'गाती है' क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है।

हिन्दी की प्रचलित व्याकरणों में क्रियाविशेषण के सभी भेद अव्यय के अन्तर्गत लिये गए हैं, परन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि प्रत्येक अव्यय क्रियाविशेषण हो, यह जरूरी नहीं है। देखिए—

जब मैं पढ़ता हूँ तब वह होता है, इस वाक्य में 'पढ़ता हूँ' और 'सोता है' ये दो क्रियाएँ हैं—पढ़ता हूँ क्रिया में जब लगने से कोई विशेष बात उत्पन्न नही होती; इसी प्रकार सोता है क्रिया में तब लगने से भी कोई नई बात नही आती; फिर ये क्रियाविशेषण कैसे हुए ?

हिन्दी व्याकरण में यह अंग्रेजी की नकल का प्रभाव है। अंग्रेजी भाषा के व्याकरण में अव्यय और क्रियाविशेषण शब्द अलग-अलग नहीं हैं पर हिन्दी की स्थिति भिन्न है। यहाँ अव्यय और क्रियाविशेषण में भिन्नता है। अव्यय जब क्रिया की विशेषता प्रकट करे तब उसे क्रियाविशेषण मानने में कोई आपत्ति नही परन्तु जब अव्यय समय, स्थान आदि का ज्ञान कराते हैं और उससे क्रिया की विशेषता प्रकट नही होती, ऐसी स्थिति मे उन्हे क्रियाविशेषण मानना ठीक नहीं। देखिए :—

(1) जहाँ वर्षा होती है, वहाँ फसल ठीक हो जाती है।
(2) इधर से रेल आई, उधर से मोटर गई।
(3) जब राम पढ़ रहा था, तब मोहन खेल रहा था।

प्रथम वाक्य मे जहाँ वहाँ स्थान का, दूसरे वाक्य में इधर, उधर, दिशा का और तीसरे वाक्य में जब तब समय का ज्ञान कराते हैं। इनसे क्रिया में कोई विशेषता उत्पन्न नही होती, अतः ये क्रियाविशेषण नहीं, अव्यय हैं। जब अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करें तब वे क्रियाविशेषण कहे जाएँगे। देखिए :—

(1) विमल जल्दी-जल्दी काम करता है।
(2) प्रकाश धीरे-धीरे बोलता है।
(3) सुभाष खूब खेलता है।
(4) महावीर ध्यानपूर्वक पाठ पढ़ता है।
(5) उर्मिला अपना पाठ अवश्य याद करेगी।

इन वाक्यो में रेखांकित शब्द अव्यय हैं, परन्तु वे क्रिया की विशेषता बता अतः क्रियाविशेषण कहे जायेंगे।

इसलिए यह स्पष्ट है कि जो अव्यय क्रिया की विशेषता बतायें, वे क्रिया-विशेषण कहे जायेंगे और जो क्रिया की विशेषता नही बताते, वे क्रियाविशेषण होकर अव्यय ही रहेंगे। ऐसी कई विद्वानो की मान्यता है।

समुच्चय-बोधक अव्यय—ये वे अव्यय शब्द हैं, जो दो शब्दों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं; जैसे—

(1) राम और श्याम (दो शब्द—राम, श्याम हैं जो और से जुड़े हैं।)

(2) राम कश्मीर जाने वाला था पर अब नही जाएगा।

इस वाक्य में दो वाक्य हैं—1. राम कश्मीर जाने वाला था।
2. (पर अब) नही जाएगा।

पर अब से ये दोनों वाक्य जुड़े हैं। इसलिए ये अव्यय समुच्चय-बोधक अव्यय कहे जाएँगे।

समुच्चय-बोधक अव्यय के दो भेद किए जाते हैं—(1) समानाधिकरण
(2) व्याधिकरण

समानाधिकरण-समुच्चय बोधक —जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं।

व्याधिकरण-समुच्चय बोधक —जिनके योग से एक वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं।

समानाधिकरण-समुच्चय बोधक अव्यय चार प्रकार के माने जाते है—

संयोजक —अर्थ की दृष्टि से दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले अव्यय संयोजक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे—और, तथा, व, एवं, भी।

विभाजक —(विकल्प बोधक) अर्थ की दृष्टि से दो शब्दों या वाक्यों को जो अव्यय अलग करते हैं—वे विभाजक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे—या, वा, अथवा, कि, नही तो, चाहे न, क्या-क्या।

विरोध-दर्शक —ये वे अव्यय हैं जिनसे दो वाक्यों का विरोध प्रकट होता है। जैसे—परन्तु, किन्तु, मगर, लेकिन, अपितु, वरन्।

फल-दर्शक —ये वे अव्यय हैं जिनसे यह स्पष्ट हो कि पिछले वाक्य के परिणामस्वरूप आगे के वाक्य का अर्थ फलित हुआ है। जैसे—अतः, अतएव, इसलिए, चुनांचे, सो।

व्याधिकरण समुच्चय-बोधक अव्यय भी चार प्रकार के हैं :—

1. कारण-बोधक —ये वे अव्यय हैं जिनके योग से प्रथम वाक्य में दी गई स्थिति का कारण दूसरे वाक्य में दी गई स्थिति से प्रकट होता है। ये अव्यय हैं—क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, चूँकि।

2. उद्देश्य-वाचक —(ध्याख्या-वाचक) इन अव्ययों से तात्पर्य या उद्देश्य प्रकट होता है। ये अव्यय हैं—कि, ताकि, जो, आदि।

3. संकेत-वाचक —इन अव्ययों के कारण पूर्व वाक्य में बताई गई घटना से आगे के वाक्य की घटना का संकेत प्रकट होता है—(जैसे यदि वह परिश्रम करेगा तो उत्तीर्ण होगा।)
ऐसे अव्यय है—यदि, यद्यपि, परन्तु, तथापि, तो, आदि।

4. स्वरूप-वाचक —ये अव्यय वे हैं जिनके योग से प्रथम शब्द या वाक्य का स्पष्टीकरण पिछले वाक्य या शब्द से प्रकट होता है—
ऐसे अव्यय हैं—जो, अर्थात्, कि, मानो।

सम्बन्ध-बोधक अव्यय—ये वे अव्यय है जिनसे वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ सम्बन्ध प्रकट होता है। ये अव्यय कारक चिह्नों के बाद में लगते हैं।

जैसे—(1) राम के साथ सीता वन में गई।

(2) भोजन के बिना वह अधिक समय जीवित नहीं रह सकता।

इन वाक्यों में साथ, बिना सम्बन्ध-बोधक अव्यय हैं जो कारक चिह्न के बाद में लगे हैं।

सम्बन्ध-बोधक अव्यय के उदाहरण :

आगे, पीछे, पहले, नीचे, ऊपर, ओर, तरफ, पास, द्वारा, सहारे, मारफत, लिए, कारण, वास्ते, हेतु, सिवा, बगैर, अलावा, अतिरिक्त, सा, समान, सी, से, अनुसार, विरुद्ध, साथ, सहित, समेत, अपेक्षा, बनिस्पत आदि।

ये सब सम्बन्ध को प्रकट करते हैं। अगर इनके योग से समय का सम्बन्ध होता रहा हो तो ये समय-वाचक सम्बन्ध-बोधक अव्यय कहे जाएँगे।

जैसे—राम से पहले मोहन आया। इस वाक्य में पहले अव्यय मोहन के आने के समय का ज्ञान कराता है। अतः यह समय या काल वाचक सम्बन्ध-बोधक अव्यय कहा जाएगा। इसी प्रकार स्थान, दिशा, साधन आदि से अनेक भेद किए जा सकते हैं।

विस्मयादि बोधक (भाव बोधक) अव्यय— इन अव्ययों से विविध प्रकार के मनोभावों का ज्ञान होता है; इसलिए इन्हें विस्मयादि बोधक या भावबोधक अव्यय कहते हैं। ये मनोभाव हर्ष, विषाद, शोक, दुःख, सम्बोधन, क्रोध, घृणा, ग्लानि, आश्चर्य आदि हो सकते हैं।

ये अव्यय हैं—ओहो, अहा, हा, अरे, अच्छा, शाबाश, छि:, हाय, ठीक, रे, अरे, भई।

कुछ उदाहरण देखिए :—

(1) ओहो! मोहन आ गया।

(2) हाय, मेरा मित्र चल बसा।

(3) छि:, ऐसा कुकृत्य, ठहरो, मत करो, लौट जाओ।

(4) वाह, तुमने खूब अच्छा भाषण दिया।

(5) अरे, इधर आओ।

स्थान-बोधक अव्यय—ये वे अव्यय हैं जिनसे स्थान का ज्ञान होता है—जैसे—यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, यहाँ से, कहाँ से, वहाँ से—ये स्थान का ज्ञान कराते हैं—इनसे क्रिया की विशेषता प्रकट नहीं होती; अतः ये स्थान-वाचक अव्यय होंगे।

काल-बोधक अव्यय—ये वे अव्यय हैं जिनसे समय का बोध होता है। जैसे—अब, जब, कब, तब, अभी, अब से, जब से, तब से, अभी से इनसे भी क्रिया की विशेषता प्रकट नहीं होती, अतः ये स्थान वाचक अव्यय हैं।

निपात अव्यय—ये वे अव्यय हैं जिनके योग से अवधारण एवं विधि या निषेध-सूचक भाव प्रकट होते हैं। जैसे—जी हाँ, जी नहीं, हाँ जी, हाँ, नहीं, न, मत आदि।

कुछ उदाहरण देखिए :—

(1) अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछा—क्या तुमने यह चित्र बनाया? विद्यार्थी ने उत्तर दिया—जी हाँ।

(2) हाँ जी, आजकल पंजाब में गेहूँ खूब मिल रहा है।

(3) नहीं, मैं तस्करी के कार्य कभी नहीं करूँगा।

(4) यहाँ ठीक लग रहा है न।

प्रश्नवाचक अव्यय—ये वे अव्यय हैं जिनसे प्रश्न का ज्ञान होता है। जैसे—क्या, क्यों, कितना, कितने, कैसे।

प्रादि अव्यय—इनके अन्तर्गत प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस्, निर, दुष्ट, दुर, वि, आ, नि अधि, अपि, प्रति, परि आदि जो उपसर्ग हैं, वे लिये जाते हैं।

उपसर्गों के रूप भी अविकारी होते हैं—लिङ्ग, वचन, कारक सभी में ये अपना रूप वही रखते हैं—अतः ये भी अव्यय ही हैं।

अव्यय शब्दों के प्रयोग और उससे सम्बन्धित त्रुटियाँ :

हिन्दी में अव्यय शब्दों के प्रयोग से सम्बन्धित त्रुटियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। उनकी स्थिति एव अवसरों में भी पर्याप्त विभिन्नता है, अतः सभी स्थितियों एव अवसरों को ध्यान में रखते हुए त्रुटियों के विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण विशद् रूप में करना सम्भव नहीं है। इस कारण प्रस्तुत अध्याय में कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय, विस्मयादि-बोधक अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय, निपात अव्यय एवं क्रियाविशेषण अव्यय शब्दों के त्रुटिपूर्ण प्रयोगों का ही विश्लेषण किया जा रहा है।

कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय :

कालवाचक और स्थानवाचक अव्ययों का प्रयोग 'से' के साथ होता है और 'से' के बिना भी; यथा—

जब राम सोयेगा, तब लक्ष्मण जागेगा।

अब से आगे किसी को भी तंग मत करना।

दो दिन पूर्व हमारे यहाँ बहुत अच्छा समारोह हुआ था।

रमेश यहाँ से कुछ दिन पूर्व ही चला गया।

हमारी सदा से ही ऐसी परम्परा रही है।

अतः इस प्रकार के वाक्यों मे से कालवाचक अव्यय के साथ 'काल' या 'समय' शब्द का प्रयोग करना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि कालवाचक अव्यय स्वयं ही काल का बोध कराता है। अतः निम्नांकित वाक्यों मे 'काल' और समय' शब्दों का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है।

हमारी सदा काल से ही ऐसी परम्परा रही है।

अबके समय से आगे किसी को भी तंग मत करना।

यहाँ-वहाँ के साथ 'पर' शब्द का प्रयोग बहुधा किया जाता है, परन्तु यह है। इसका कारण यह है कि यहाँ-वहाँ स्थानबोधक शब्द हैं; अतः उनसे ही न का बोध हो जाता है, तो 'पर' के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है।

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
मैं यहाँ पर बहुत देर से बैठा हूँ।	मैं यहाँ बहुत देर से बैठा हूँ।
कुछ व्यक्ति वहाँ पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।	कुछ व्यक्ति वहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इधर-उधर का प्रयोग—इन अव्यय शब्दों से दिशा का बोध होता है। 'इधर' से 'समीप' और 'उधर' से 'दूर' का बोध होता है; अतः निम्नांकित प्रयोग अशुद्ध है :—उधर आओ, इधर मत जाओ—इनके स्थान पर उधर जाओ, इधर मत आओ। ये वाक्य शुद्ध होंगे।

'इधर-उधर' शब्द जहाँ एक साथ प्रयुक्त हों वहाँ इनका क्रम यह ही रहेगा। यदि 'उधर-इधर' लिख दिया तो वह अशुद्ध प्रयोग माना जायेगा।

विस्मयादि-बोधक अव्यय :

विस्मयादि-बोधक अव्ययों का प्रयोग बहुत सरल है; अतः इनके प्रयोग में त्रुटियाँ प्रायः नहीं ही होती है। कुछ शब्द ही ऐसे हैं जिनके प्रयोग में असावधानी-वश त्रुटि होना सम्भव है। उनमें से 'भई' शब्द ऐसा है जिसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। इसे 'भाई' शब्द समझकर प्रयोग करने से त्रुटि होती है। 'भाई' संज्ञा शब्द है जबकि 'भई' अव्यय है। यह सम्बोधन है अतः इसका प्रयोग स्त्रीलिङ्ग और पुल्लिङ्ग दोनों के लिए ही होता है। इस पर कर्त्ता के लिङ्ग, वचन और पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता। सावधानी यह रखनी चाहिए कि इसके स्थान पर वर्तनी की अशुद्धि समझकर 'भाई' शब्द का प्रयोग न हो जाय।

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
सुरेश ने ललिता से कहा—भाई, कुछ और नहीं तो एक कप चाय तो ला।	सुरेश ने ललिता से कहा—भई, कुछ और नहीं तो एक कप चाय तो ला।
पिता ने पुत्र से कहा—भाई, इतना कम पढ़ने से तो तुम इस वर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकोगे।	पिता ने पुत्र से कहा—भई, इतना कम पढ़ने से तो तुम इस वर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकोगे।

समुच्चय-बोधक अव्यय :

'या' और 'न....न' के साथ एक ही प्रकार के शब्द आने चाहिए, भिन्न-भिन्न प्रकार के नहीं; अर्थात् एक भाग में जिस प्रकार का शब्द रहे, उसी प्रकार का शब्द दूसरे भाग में भी रहना चाहिए।

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
1. गणेश न खेलता है न महेन्द्र।	1. न गणेश खेलता है, न महेन्द्र।
2. न सीता पढ़ती है, न खेलती है।	2. सीता न पढ़ती है, न खेलती है।
3. राम पढ़ रहा है या रमेश खेल रहा है।	3. राम पढ़ रहा है या खेल रहा है। राम पढ़ रहा है या रमेश पढ़ रहा है।
4. न वह पढ़ता है, न खेलता है।	4. वह न पढ़ता है, न खेलता है।

निपात के प्रयोग :

हाँ, जी हाँ, नहीं, जी नहीं—'हाँ', 'जी हाँ' का प्रयोग स्वीकारात्मक वाक्य के साथ करना चाहिए, पर 'नहीं' और 'जी नहीं' का नकारात्मक वाक्य के साथ। यदि इस स्थिति के विपरीत अवस्था में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वह अशुद्ध होता है। यथा—

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
1. क्या तुम खेल रहे हो? जी हाँ, खेल नहीं रहा हूँ।	1. क्या तुम खेल रहे हो? जी हाँ, खेल रहा हूँ।
2. क्या तुम पढ़ रहे हो? जी नहीं, पढ़ रहा हूँ।	2. क्या तुम पढ़ रहे हो? जी नहीं, पढ़ नहीं रहा हूँ।

'न' शब्द से प्रार्थना या अनुरोध का भी बोध होता है। ऐसे अर्थ में 'नहीं' का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि 'नहीं' से स्पष्ट निषेध का बोध होता है। अतः ऐसी स्थिति में 'न' के स्थान पर 'नहीं' का प्रयोग करने से वाक्य त्रुटि-पूर्ण हो जाता है।

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
1. आप मेरी सहायता करेंगे नहीं! (प्रार्थना)।	1. आप मेरी सहायता करेंगे न! (प्रार्थना)।
2. आप आज हमारे यहाँ भोजन करेंगे नहीं! (अनुरोध)	2. आप आज हमारे यहाँ भोजन करेंगे न! (अनुरोध)
3. आप आज भोजन न करेंगे। (निषेध)।	3. आप आज भोजन नहीं करेंगे! (निषेध)।

'न' और 'नहीं' दोनों से ही निषेध प्रकट होता है, पर 'न' और 'नहीं' में एक अन्तर है। 'न' से निश्चय का भाव प्रकट नहीं होता पर 'नहीं' से 'अवश्य' 'निश्चय' का भाव प्रकट होता है। अतः जहाँ 'अवश्य' या 'निश्चय' का भाव करना हो, वहाँ 'न' का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
1. तुम्हारा कहना वह कभी भी न मानेगा ।	1. तुम्हारा कहना वह कभी भी नहीं मानेगा ।
2. वह व्यर्थ के झंझट में न पड़ेगा ।	2. वह व्यर्थ के झंझट में नहीं पड़ेगा ।

'मत' से भी निषेध का बोध होता है, पर इसका प्रयोग 'आज्ञा' या 'परामर्श' का भाव प्रकट करने के लिए होता है । अतः इस प्रकार का आशय प्रकट करते समय 'न' या 'नहीं' का प्रयोग करना त्रुटिपूर्ण है ।

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
1. नंगे पैर धूप में न दौड़ो ।	1. नंगे पैर धूप में मत दौड़ो ।
2. जब दो व्यक्ति बातें कर रहे हों तो बीच में न बोलो ।	2. जब दो व्यक्ति बातें कर रहे हों तो बीच में मत बोलो ।

'ही' का प्रयोग—'ही' किसी शब्द के बाद आता है तो उसे प्रभावशाली बना देता है । अतः इसके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए ।

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
1. आपने तो ही मुझसे ऐसा कहा था ।	1. आपने ही तो मुझसे ऐसा कहा था ।
2. एक रमेश तो ही ऐसा कहने वाला नहीं है, कुछ दूसरे भी हैं ।	2. एक रमेश ही तो ऐसा कहने वाला नहीं है, कुछ दूसरे भी हैं ।

'ही' का प्रयोग 'केवल' के अर्थ में भी होता है परन्तु 'ही' शब्द का प्रयोग सही स्थान पर करना अपेक्षित है ।

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
1. एक व्यक्ति ने मेरी मदद ही की ।	1. एक ही व्यक्ति ने मेरी मदद की ।
2. आज तीन व्यक्ति मेरे यहाँ ही भोजन करेंगे ।	2. आज तीन ही व्यक्ति मेरे यहाँ भोजन करेंगे ।

'ही' का प्रयोग 'अवश्य' के अर्थ मे भी होता है, परन्तु यह अर्थ प्रकट करने के लिए उसे मुख्य क्रिया के उपरान्त रखना होता है । यदि दूसरे किसी स्थान पर 'ही' को रख दिया गया तो वह 'अवश्य' का अर्थ नहीं देगा ।

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
1. रमेश आज अपने ही घर जायेगा ।	1. रमेश आज अपने घर जायेगा ही ।
2. आप चाहे कुछ भी कहे, मैं तो भोजन ही करूँगा ।	2. आप चाहे कुछ भी कहें, मैं तो भोजन करूँगा ही ।

ध्यातव्य—'ही' के शुद्ध प्रयोग में सबसे अधिक ध्यान यह रखना चाहिए कि जब उसका प्रयोग किसी शब्द पर जोर देने के लिए किया जाय तो उसे उस शब्द के तुरन्त बाद ही रखें । यदि 'ही' का स्थान परिवर्तन कर दिया तो वाक्य का अर्थ बदल जायेगा । जैसे—

वह आज ही आयेगा ।   वह ही आज आयेगा ।

इन दोनों वाक्यों में से एक में 'आज' पर जोर है और दूसरे में 'वह' पर। अतः दोनो वाक्यो के अर्थ मे भिन्नता है।

'तो' का प्रयोग—प्रश्नवाचक वाक्य मे 'तो' के प्रयोग से सन्देह का भाव प्रकट होता है और नकारात्मक वाक्यो मे अनुमान का भाव। जैसे—

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
1. तुम तो अच्छे हो ?	1. तुम अच्छे तो हो ? (सन्देह का भाव)
2. रमेश तो अस्वस्थ नही है।	2 रमेश अस्वस्थ तो नही है। (अनुमान का भाव)

'थोड़े + ही' का प्रयोग – इसका प्रयोग 'बिल्कुल नही' के अर्थ में इस प्रकार होता है—

(क) राम ने थोड़े ही उसे मारा है।

(ख) रमेश ने थोड़े ही उसकी साइकिल ली है।

'बिल्कुल नही' का आशय प्रकट करने के लिए वाक्य में 'थोड़े ही' शब्द का प्रयोग करना होगा। इसके बदले 'थोड़ा' या 'थोड़ी' का प्रयोग करने पर 'बिल्कुल नही' का अर्थ प्रकट नही होगा। अतः इस अर्थ को प्रकट करते समय 'थोड़े ही' का प्रयोग करें। ऐसे वाक्य नही लिखें :—

अशुद्ध प्रयोग

(क) राम ने थोड़ा ही उसे मारा है।

(ख) रमेश ने थोड़ी ही उसकी साइकिल चुराई है।

'भी' का प्रयोग—'भी' शब्द का प्रयोग किसी शब्द पर जोर देने के लिए होता है। अतः वाक्य मे 'भी' के स्थान का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ऐसा न हो कि आप जोर तो किसी शब्द पर देना चाहें और 'भी' के गलत प्रयोग से जोर किसी शब्द पर पड़ जाय। अत. इस दृष्टि से सावधानी बरतनी आवश्यक है। देखिए—

(क) रमेश ने भी भोजन किया।

(ख) रमेश ने भोजन भी किया।

इन दो वाक्यों में पहले वाक्य का अर्थ है—रमेश के अतिरिक्त भोजन करने वाले और लोग भी थे। दूसरे वाक्य का अर्थ है—रमेश ने दूसरे कार्यों के साथ-साथ भोजन करने का कार्य भी किया। अतः वाक्य के अर्थ का ध्यान रखकर ही 'भी' का प्रयोग सही स्थान पर किया जाना चाहिए।

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
1. विद्यार्थी भी पढ़ते और लिखते है ।	1. विद्यार्थी पढ़ते और लिखते भी हैं ।
2. दूकानदार भी माल बेचते और खरीदते हैं ।	2. दूकानदार माल बेचते और खरीदते भी हैं ।

'भी' या 'भी तो' से 'आग्रह' या विनीत परामर्श का भाव भी प्रकट होता है । जैसे—अरे, जरा उठो भी । कुछ खा भी तो लो ।

और+भी से अधिक का भाव प्रकट होता है; यथा—

(क) मुझे **और** भी अनाज चाहिए ।

(ख) तुम्हें कुछ **और** भी विनम्र होना चाहिए ।

तक, भर, केवल—'तक' का प्रयोग 'भी' के अर्थ मे होता है । जैसे—

(क) तुमने मेरी ओर देखा तक नही ।

(ख) रमेश यहाँ आया परन्तु मुझसे बोला तक नही ।

ऐसे वाक्यों मे 'तक' के साथ नही का प्रयोग होता है । 'तक' से स्थान तथा 'समय की सीमा' का भी बोध होता है जो इस प्रकार है—

(क) रमेश स्कूल तक आया ।

(ख) रमेश अपने पिताजी से मिलने फाटक तक गया ।

(ग) कल उसने मेरी बहुत देर तक प्रतीक्षा की ।

'भर' से पूरे समय या स्थान का बोध होता है—

(क) रमेश वर्ष भर पढता ही रहा ।

(ख) वह जीवन भर परिश्रम करता रहा, परन्तु सफल नही हुआ ।

(ग) वह दिन भर चक्कर काटता रहा ।

'भर' से 'सिर्फ' या 'केवल' का भी भाव प्रकट होता है—

(क) मैं उसे कह भर सकता हूँ, मानना न मानना उसकी मर्जी पर निर्भर है ।

(ख) गरीब के पास एक झोंपड़ी भर है ।

'केवल' का भी प्रयोग किसी शब्द पर जोर देने के लिए होता है । जैसे—

(क) केवल राम यहाँ आया है ।

(ख) राम केवल यहाँ आया है ।

'केवल' के स्थान के कारण पहले वाक्य का अर्थ है—राम के अतिरिक्त कोई और आदमी यहाँ नही आया । दूसरे का अर्थ है—राम यहाँ के अतिरिक्त और कही नही गया । अत: अर्थ का ध्यान रखकर ही 'केवल' का प्रयोग किसी शब्द के साथ करना चाहिए । नीचे के वाक्यों में 'केवल' के स्थान का ध्यान

नही रखने से उन वाक्यों का अर्थ ही नष्ट हो गया है। इनके शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग नीचे देखिए—

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
1. दुर्घटना में वह केवल मरा।	1. दुर्घटना में केवल वह मरा।
2. वह केवल मदद करता है।	2. केवल वह मदद करता है।

क्रिया-विशेषण :

क्रिया की विशेषता वतलाने वाले कुछ अव्ययों के प्रयोग के सम्बन्ध मे एक बात ध्यान मे रखने की है कि उनके साथ 'से' का प्रयोग न किया जावे। उनके साथ 'से' का प्रयोग करना अशुद्ध है।

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
1. मेरी बात सुनकर राम चुपचाप से नही रह सका।	1. मेरी बात सुनकर राम चुपचाप नहीं रह सका।
2. यहाँ धीरे-धीरे से मत चलो।	2. यहाँ धीरे-धीरे मत चलो।
3. हम अपने घर ज्यों-त्यों से पहुँच ही गए।	3. हम अपने घर ज्यों-त्यों पहुँच ही गए।

कुछ विशेषणो का प्रयोग क्रिया-विशेषण की तरह होता है। इनमें कैसे, जैसे, तैसे, कितना, इतना, अच्छा, मीठा ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग क्रियाविशेषण के रूप मे करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इनके मूल रूप को सुरक्षित रखा जाय। अर्थात् इनके स्थान पर इनके ही अन्य रूप प्रयोग में न लाये जायें। यथा—

'कैसे' के स्थान पर 'कैसी' या 'कैसा' का प्रयोग नही करें। जैसे, तैसे, कितना, इतना, अच्छा एवं मीठा के स्थान पर क्रमशः जैसी-जैसा, तैसी-तैसा, कितनी-कितने, इतनी-इतने, अच्छी-अच्छे, मीठी-मीठे शब्द रूपों का प्रयोग नही करें। यदि इस प्रकार के प्रयोग किये जायेंगे तो ये शब्द क्रियाविशेषण नही रहेंगे। इनके अशुद्ध व शुद्ध प्रयोग नीचे देखिए—

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
1. आप यहाँ कैसी आयी ?	1. आप यहाँ कैसे आयी ?
2. राम आपके घर कैसा आया ?	2. राम आपके घर कैसे आया ?
3. वह लड़की आपके घर जैसी-तैसी पहुँच ही गई।	3. वह लड़की आपके घर जैसे-तैसे पहुँच ही गई।
4. उसने अपना काम जैसा-तैसा कर ही लिया।	4. उसने अपना काम जैसे-तैसे कर ही लिया।

5. आप आजकल कितने पढ़ते हैं ?	5. आप आजकल कितना पढ़ते हैं ?
6. लड़कियाँ इन दिनों कितनी पढ़ रही हैं ?	6. लडकियाँ इन दिनों कितना पढ़ रही है ?
7. लड़की इतनी क्यों हँसती है ?	7. लड़की इतना क्यों हँसती है ?
8. लड़के इतने क्यों खेलते हैं ?	8. लड़के इतना क्यों खेलते हैं ?
9. लता मंगेशकर अच्छी गाती है ।	9. लता मगेशकर अच्छा गाती है ।
10. मुकेश व किशोर कुमार अच्छे गाते हैं ।	10. मुकेश व किशोर कुमार अच्छा गाते हैं ।
11. आपकी लड़की बहुत मीठी बोलती है ।	11. आपकी लडकी बहुत मीठा बोलती है ।
12. आपके लड़के बहुत मीठे बोलते हैं ।	12. आपके लड़के बहुत मीठा बोलते हैं ।

हँसते-हँसते, खाते-खाते, चलते-चलते, रोते-रोते, दौड़ते-दौड़ते, हांफते-हांफते, सोते-सोते, घूमते-घूमते का प्रयोग क्रियाविशेषण के रूप मे होता है । इनके प्रयाग में एक बात विशेष रूप में ध्यान रखनी चाहिए । इन शब्दों के अन्त में प्रयुक्त 'ते-ते' के बदले 'ता-ता' या 'ती-ती' का प्रयोग नही करना चाहिए अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जायगा । इन शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध रूपों के प्रयोग से सम्बन्धित वाक्य इस प्रकार के होते हैं :—

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
1. राम मेरी बात पर हँसता-हँसता लोट-पोट हो गया ।	1. राम मेरी बात पर हँसते-हँसते लोट-पोट हो गया ।
2. कल मेरी लड़की हँसती-हँसती मेरे पास आयी ।	2. कल मेरी लडकी हँसते-हँसते मेरे पास आई।
3. मैं तो कल खाती-खाती थक गयी ।	3. मैं तो कल खाते-खाते थक गयी ।
4. कल की दावत में रमेश खाता-खाता बोलने लगा ।	4. कल की दावत मे रमेश खाते-खाते बोलने लगा ।
5. मैं तो चलती-चलती थक गई ।	5. मैं तो चलते-चलते थक गई ।
6. राम चलता-चलता थक गया, परन्तु स्टेशन नजर ही नही आया ।	6. राम चलते-चलते थक गया, परन्तु स्टेशन नजर ही नहीं आया ।
7. लड़की रोती-रोती चली गई ।	7. लड़की रोते-रोते चली गई ।

8. हमारा मित्र रोता-रोता सो गया, परन्तु उसकी पत्नी ने उससे कुछ भी नहीं पूछा ।	8. हमारा मित्र रोते-रोते सो गया, परन्तु उसकी पत्नी ने उससे कुछ नहीं पूछा ।
9. वह दौड़ता-दौड़ता थक गया है ।	9. वह दौड़ते-दौड़ते थक गया ।
10. एक लड़की कल दौड़ती-दौड़ती मेरे पास आई ।	10. एक लड़की कल दौड़ते-दौड़ते मेरे पास आई ।
11. क्या हुआ, तू हाँफता-हाँफता क्यों आ रहा है ?	11. क्या हुआ, तू हाँफते-हाँफते क्यों आ रहा है ?
12. क्या हुआ, तू हाँफती-हाँफती क्यों आ रही है ?	12. क्या हुआ, तू हाँफते-हाँफते क्यों आ रही है ?
13. कल मेरा मित्र सोता-सोता चिल्लाया ।	13. कल मेरा मित्र सोते-सोते चिल्लाया ।
14. लीला, तू सोती-सोती क्यो पढ़ रही है ।	14. लीला, तू सोते-सोते क्यों पढ़ रही है ।
15. क्यों, क्या घूमती-घूमती थक गई ।	15. क्यों, क्या घूमते-घूमते थक गई ।
16. कल मैं घूमता-घूमता स्टेशन पहुँच गया ।	16. कल मैं घूमते-घूमते स्टेशन पहुँच गया ।

क्रियाविशेषणों के अनावश्यक, अनुपयुक्त एवं अनियमित प्रयोग :

क्रियाविशेषणों के अनावश्यक, अनुपयुक्त एवं अनियमित प्रयोगों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं । इन्हें ध्यान से पढ़ने से आप ऐसे प्रयोगों को अपनी भाषा में प्रयुक्त करने से बच सकेंगे ।

अनावश्यक प्रयोग :

1. कल मैं प्रात:काल के समय उधर गया था ।
   ('काल' या 'के समय' में से एक का प्रयोग ही आवश्यक है)
2. इधर आजकल वह मेरे देखने में नहीं आया ।
   (इधर का प्रयोग अनावश्यक है)
3. आज सारे देश भर में शोक मनाया जा रहा है ।
   ('सारे देश' या 'देश भर' में से एक का प्रयोग)
4. सेल देख कर वे वापस लौट आये हैं ।
   ('वापस' या 'लौट' मे से किसी भी एक का प्रयोग)
5. वह लगभग सो गया । ('लगभग' का प्रयोग अनावश्यक)

6. उसके पास केवल मात्र एक रुपया शेष है।

(केवल और मात्र में से एक का ही प्रयोग आवश्यक)

7. आपके आँसू केवल दिखाने भर को थे।

(केवल या भर में से किसी एक का प्रयोग आवश्यक)

8. कल आप अवश्य ही हमसे मिलेंगे।

(अवश्य और ही में से केवल एक का प्रयोग आवश्यक)

9. हम केवल चाय ही लेंगे।

(केवल और ही में से एक का ही प्रयोग आवश्यक)

10. आप दोपहर को किसी भी समय आ सकते हैं।

(दोपहर को और किसी भी समय में से एक का प्रयोग आवश्यक)

11. कल ही तो उनकी आवाज हमारे कान में सुनाई पड़ी थी।

(कान में और सुनाई में से एक का प्रयोग)

12. मैं सदैव ही तुम्हारा ऋणी रहूँगा। (ही का प्रयोग अनावश्यक)

13. तुम अत्यन्त ही सुन्दर हो। (ही का प्रयोग अनावश्यक)

14. तुम्हारा स्वप्न कदापि भी सत्य नहीं होगा।

(भी का प्रयोग अनावश्यक है)

अनुपयुक्त प्रयोग :

1. मामला बड़ा आगे बढ़ चुका है।

(बड़ा के स्थान पर बहुत का प्रयोग उपयुक्त होगा)

2. मैं आपकी आज्ञा के अनुकूल ही कार्य करूँगा।

(अनुकूल के स्थान पर अनुसार का प्रयोग उपयुक्त)

3. मेरे स्वभाव के अनुरूप ही काम मुझे मिला है।

(अनुरूप के स्थान पर अनुकूल का प्रयोग उपयुक्त)

4. मुझसे समझौता करने के एक मात्र दो उपाय हैं।

(एक मात्र के स्थान पर केवल का प्रयोग उपयुक्त)

5. क्यों उदास चेहरे से यहाँ बैठे हो ?

(चेहरे से के स्थान पर होकर का प्रयोग उपयुक्त)

6. तुमने मेरी सभी कहीं निन्दा करनी शुरू क्यों कर दी है।

(सभी कहीं के स्थान पर हर जगह का प्रयोग उपयुक्त)

अनियमित प्रयोग :

1. आपकी पुस्तक निश्चय ही विद्वत्तापूर्ण लिखी गई है।

(विद्वत्तापूर्वक शब्द का प्रयोग सही होगा)

2. आप मेरी बात नहीं समझ सकते हैं, न बोल सकते है।

(न का प्रयोग सही होगा)

3. यदि आप मेरी बात मानें तो उधर कभी नहीं जाएँ।

(नहीं के स्थान पर न का प्रयोग सही होगा)

4. मेरा सादरपूर्वक निवेदन आप अवश्य स्वीकार करें।

(आदरपूर्वक या सादर का प्रयोग सही)

5. आपका काम आसानीपूर्वक पूरा कर लिया जयागा।

(आसानीपूर्वक के स्थान पर आसानी से का प्रयोग सही)

योजक शब्दों के अनावश्यक एवं अनुपयुक्त प्रयोग

अनावश्यक :

1. हम पहुँचे ही थे जबकि खेल शुरू हो गया।

(जब का अनावश्यक प्रयोग)

2. आप लोग धन्य हैं कि जिन्हें सन्तों के दर्शन होते हैं।

('कि' का अनावश्यक प्रयोग)

3. आजकल प्रायः करके मैं घर पर ही मिलता हूँ।

(करके का अनावश्यक प्रयोग)

4. जिसकी आस्था धर्म में नहीं होती है, फिर वह काफिर होता है।

(फिर का अनावश्यक प्रयोग)

5. मान लो यदि वह असफल हो गया तो तुम क्या करोगे।

(मान लो या यदि में से एक का प्रयोग)

6. कदाचित् यदि ऐसा हो भी जाय तो आप सच न मानें।

(कदाचित् और यदि में से एक का प्रयोग)

अनुपयुक्त :

1. सफल कविता वह है जो देश व काल का ध्यान रखकर लिखी जावे।

('व' के स्थान पर वा या और का प्रयोग उपयुक्त है)

2. मैं आज स्कूल नहीं गया कि मेरे पिताजी बीमार थे।

('कि' के स्थान पर 'क्योंकि' का प्रयोग)

3. आप मेहनत करते हैं क्योंकि अच्छा पैसा मिल सके।

(क्योंकि के स्थान पर 'ताकि' या 'इसलिए कि' का प्रयोग)

4. इसका कारण यह है क्योंकि वह बीमार था।

(क्योंकि के स्थान पर 'कि' का प्रयोग)

5. मेरा काम पूरा करो नहीं तो अपने घर जाओ ।
(नहीं तो के स्थान पर 'या' का प्रयोग)

6. तुम अपने घर जाओ या तो तुम्हे देर हो जायगी ।
(या तो के स्थान पर 'नहीं तो' या 'अन्यथा' का प्रयोग)

7. मेहनत से पढो क्योंकि पास हो सको ।
('क्योंकि' के स्थान पर 'ताकि' का प्रयोग)

अभ्यास के प्रश्न

1. संस्कृत में अव्यय की परिभाषा क्या की गई है ?
2. हिन्दी में अव्यय की परिभाषा संस्कृत जैसी क्यों नही हो सकती ?
3. हिन्दी में अव्यय की परिभाषा क्या होगी ?
4. रूप के आधार पर अव्यय शब्दों की विशेषता सक्षेप में स्पष्ट कीजिए ।
5 अव्ययों के कितने भेद हैं ?
6. क्रियाविशेषण अव्यय किन्हें कहा जाता है ?
7. समुच्चय-बोधक और सम्बन्ध-बोधक अव्ययों में क्या अन्तर है ?
8. निपात और प्रादि अव्यय किन्हें कहा जा सकता है ?
9. अव्यय शब्दों के प्रयोग से सम्बन्धित मुख्य-मुख्य त्रुटियों का उल्लेख कीजिए और उनके शुद्ध प्रयोग भी लिखिए ।
10. निम्नांकित वाक्यो को शुद्ध रूप में लिखिये :—
    1. हम भारतीय अनन्त काल से दासता के बन्धन मे पिसते आ रहे हैं ।
    2. कल दो घण्टे तक मैं आपकी वहाँ पर प्रतीक्षा करता रहा परन्तु आप नही आये ।
    3. मैं अपने मित्र के यहाँ गया तो उसने कहा—'भाई, कुछ और नहीं तो मुझे मेरी पुस्तक तो लौटा दो ।
    4. तुमने मेरा कहा न माना न गणेश ने माना ।
    5. क्या आप घर नही जा रहे हैं ? जी हाँ, मैं घर जा रहा हूँ ।
    6. आप आज मेरे घर न आएँ ।
    7. सुरेश ने तो ही मुझे स्मरण दिलाया था ।

8. आपने मेरा स्वागत ही किया।
9. आप तो अच्छे हैं।
10. विष्णु ने थोड़ा ही उसका पेन लिया है।
11. मिठाई वाला भी मिठाई घटिया और बढ़िया बेचता है।
12. आप मेरे घर आये तक हैं।
13. कल की दुर्घटना में पाँच व्यक्ति केवल बचे।
14. आपकी बात सुन कर मैं चुपचाप मे नहीं रह सका।
15. सड़क पार करते समय धीरे-धीरे से नही चलो।
16. कल एक लड़का आपके पास कैसा आया।
17. तुम अच्छी गाती हो।
18. आप बहुत मोठे बोलते हैं।
19 तुम्हारी बातें ऐसी है जिन्हें सुनकर मैं हँसता-हँसता लोट-पोट हो गया।
20. आप सोती-सोती क्यों पढ रहीं हैं ?
21. आप रोती-रोती क्यों बातें कर रही हैं ?
22. तुम्हें देखकर न जाने कैसा-कैसा बातें मेरे दिमाग मे आ जाती हैं।
23. आप हँसता-हँसता क्यों बातें कर रहे है ?
24. वह उस दिन की दुर्घटना को याद-याद कर रो-रो पड़ा।
25. उसने आपसे रोता-रोता क्या पूछा ?

---

17 कारक एवं विभक्ति सम्बन्धी शुद्ध प्रयोग

विचारणीय बिन्दु :

1. कारक की परिभाषा।
2. कारक के भेद।
3. कारक की विभक्तियाँ या परसर्ग।
4. परसर्गो का शुद्ध प्रयोग।
5. परसर्गों के अशुद्ध प्रयोग से सम्बन्धित भूलें और उनका निराकरण।

वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्द के साथ जो सम्बन्ध व्यक्त होता है, उसे कारक कहते हैं। यह सम्बन्ध संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बोधित होता है, उसे कारक-विभक्ति या केवल कारक भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए "राम के पिता ने श्याम के लिए बाजार से एक पुस्तक 'खरीदी।" इस वाक्य में पिता ने से आगे के चार पदों का वाक्य की क्रिया 'खरीदी' से सम्बन्ध सूचित होता है। इसी तरह 'राम के' पद का 'पिता ने' के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है। अतः राम के, पिता ने, श्याम के लिए, बाजार से, एक पुस्तक इन पदों का वाक्य में एक-दूसरे से जो सम्बन्ध है, उसे कारक सम्बन्ध कहेंगे। यह कारक सम्बन्ध जिन रूपों से व्यक्त होता है, वे रूप कारक विभक्ति या केवल कारक भी कहलाते हैं, जो कहीं कर्त्ता, कहीं कर्म, कहीं करण आदि के भाव का बोध कराते हैं। इस भाव का बोध कराने के लिए जिन स्वतन्त्र चिह्नों का प्रयोग किया गया है [जैसे—के (सम्बन्ध), ने (कर्त्ता), के लिए (संप्रदान), से (अपादान)], उन्हें कारक चिह्न या परसर्ग कहा जाता है। परसर्ग वे कारक चिह्न हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध अन्य पदों से जोड़ते हैं।

हिन्दी के वाक्यों मे 'कारक' ही संज्ञा (या सर्वनाम) का सम्बन्ध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ स्थापित करता है और भिन्न-भिन्न प्रकार के अर्थ प्रकट करता है। इसलिए कारक का अर्थ है—संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध वाक्य के दूसरे शब्दो के साथ जोड़ने का तरीका।

संज्ञा का सम्बन्ध दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने के लिए उसमें (संज्ञा में) कभी तो 'ने' लगाना पड़ता है, कभी 'को' और कभी 'में', 'से' आदि; पर कभी-कभी वह सम्बन्ध इन चिह्नों के बिना भी स्थापित हो जाता है। ऐसी दशा में शब्द का कारकीय रूप परसर्ग या चिह्न-रहित होता है। यथा— लड़का सोता है। मेरा हाथ दुखता है। वह पुस्तक पढ़ता है। मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ। लड़का घर गया।

कारक के भेद :

हिन्दी में कारक के द्वारा संज्ञा का सम्बन्ध क्रिया के अलावा दूसरे शब्दों के साथ भी स्थापित किया जाता है। ये सम्बन्ध आठ प्रकार के होते हैं। इसलिए हिन्दी में आठ कारक माने जाते हैं। ये हैं :—

कर्त्ता —इससे क्रिया (काम) करने वाले का बोध होता है।

कर्म —इससे क्रिया के फल भोगने वाले का बोध होता है।

करण —इससे क्रिया के होने में सहायता देने वाले साधन का बोध होता है।

सम्प्रदान—इससे क्रिया करने के उद्देश्य या प्रयोजन का बोध होता है।

अपादान —इससे किसी क्रिया के एक स्थान से हटकर दूसरे स्थानमे होने का बोध होता है।

अधिकरण—इससे क्रिया के होने के स्थान या समय का बोध होता है।

सम्बन्ध — इससे संज्ञा के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार के सम्बन्ध (नाते-रिश्ते) का बोध होता है।

संबोधन —इससे संज्ञा के पुकारने, संबोधित करने या बुलाने का भाव प्रकट होता है।

कारक के इन भेदों से एक बात स्पष्ट है कि सम्बन्ध और सम्बोधन कारकों का सीधा सम्बन्ध क्रिया से नही रहता, पर अन्य कारकों का सीधा सम्बन्ध क्रिया से रहता है। इसलिए संस्कृत में सम्बन्ध और सम्बोधन की गणना कारक मे नही की जाती।

कारक की विभक्तियों या परसर्गों का सही प्रयोग :

'ने' का सही प्रयोग : कर्त्ता मे कभी तो 'ने' लग जाता है और कभी नही। ऐसा इसलिए होता है कि 'कर्त्ता' में 'ने' का लगना या न लगना क्रिया पर निर्भर करता है, कर्त्ता की इच्छा पर नहीं।

इसका प्रयोग सकर्मक क्रिया और साथ ही सामान्यभूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत, [illegible] या हेतुहेतुमद् काल मे रहे तो कर्त्ता में 'ने' का लगाना आवश्यक हो [illegible] है। जैसे—

राम ने पुस्तक पढ़ी ।　　　　(सामान्य भूत)
उसने पुस्तक पढ़ी है ।　　　　(आसन्न भूत)
उसने पुस्तक पढ़ी थी ।　　　　(पूर्ण भूत)
उसने पुस्तक पढ़ी होगी ।　　　　(सदिग्ध भूत)
उसने पुस्तक पढ़ी होती तो कोई कठिनाई मालूम नहीं हुई होती ।
(हेतुहेतुमद् भूत)

अपूर्ण भूत रहने पर सकर्मक क्रिया के साथ भी कर्त्ता में 'ने' नही लग सकता । जैसे—

वह पुस्तक पढ़ रहा था ।
वह पत्र लिख रहा था ।

'ने' के प्रयोग के लिए क्रिया का सकर्मक होना भी आवश्यक है । यही कारण है कि सकर्मक संयुक्त क्रिया के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के 'भूतकाल' में कर्त्ता मे 'ने' लग जाता है । सयुक्त क्रिया का अन्तिम खण्ड सकर्मक हो तो वह सकर्मक समझी जाती है । इसलिए भिन्न-भिन्न प्रकार की सकर्मक संयुक्त क्रियाओं के साथ 'ने' का प्रयोग होता है । जैसे—

उसने रो दिया । उसने पत्र भेज दिया । उसने चोर को मार डाला । मैंने उसे खेलने दिया । उसने मुझे जाने दिया । मैंने उसका विचार सुनना चाहा ।

प्रेरणार्थक क्रियाएँ सदा सकर्मक रहती हैं । इसलिए इनके साथ भी (अपूर्ण भूत को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के भूतकाल में) कर्त्ता में 'ने' लग जाता है । जैसे—मैंने उसे हँसाया । मैंने एक मकान बनवाया ।

कभी-कभी कुछ अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग सकर्मक की तरह होता है, जब उन क्रियाओं से बनी हुई संज्ञा कर्म का काम करती है । ऐसी क्रियाओं के साथ भी 'ने' का प्रयोग होता है । जैसे—उसने एक चाल चली । उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी ।

थूकना, छींकना और खाँसना—इनके बाद कर्म कभी नही आता; फिर भी ये सकर्मक क्रियाएँ हैं । इनका कर्म छिपा रहता है । फिर भी ये सकर्मक क्रियाएँ हैं । अतः इनके कर्त्ता के साथ 'ने' परसर्ग लगा रहता है । यथा—मैंने थूका । उसने छींका । उसने कब खाँसा ? उसने क्यों खाँसा ?

'समझना' के साथ कर्त्ता में 'ने' कभी लगता है और कभी नही । इसके साथ एक ही लेखक कभी तो 'ने' का प्रयोग करता है और कभी नहीं । ऐसा इसलिए होता है कि कभी-कभी 'समझना' का अर्थ होता है—'समझ सकना' जो एक अकर्मक संयुक्त क्रिया है । क्या समझे ? का अर्थ है—क्या समझ सके या क्या समझ

में आया ? इसलिए 'समझ सकना' के अर्थ में 'समझना' के साथ 'ने' का प्रयोग नहीं होता, पर साधारण अर्थ में इनके साथ 'ने' का प्रयोग होता है ।

'ने' का प्रयोग निम्नांकित स्थितियों मे नही होता है —

क्रिया किसी भी काल में रहे पर वह अकर्मक हो तो कर्ता मे 'ने' लग ही नही सकता । जैसे—वह गया । वह जाता है । वह जायेगा ।

यही कारण है कि अकर्मक सयुक्त क्रिया के साथ भी कर्ता में 'ने' नहीं लग सकता । संयुक्त क्रिया का अन्तिम खण्ड अकर्मक (जैसे आना, जाना, पाना, बैठना, रहना, चुकना, सकना, लगना आदि) हो तो वह क्रिया अकर्मक हो जाती है। इसलिए अकर्मक संयुक्त क्रिया रहने पर कर्ता के साथ 'ने' का प्रयोग नहीं होता। जैसे—वह पूछ बैठा । वह देखने लगा । वह खा चुका है । वह गा चुका । वह खा नहीं सका । वह खा नहीं पाया । वह खाता रहा । वह खाता रहेगा ।

सकर्मक क्रिया रहने पर भी 'ने' का प्रयोग नहीं हो सकता, यदि क्रिया वर्तमान या भविष्यत् काल में रहे । जैसे—वह पुस्तक पढ़ता है । वह पुस्तक पढ़ेगा ।

तोलना, बकना और भूलना अकर्मक क्रियाएँ है । 'लाना' और 'ले जाना' भी अकर्मक सयुक्त क्रियाएँ हैं, क्योंकि 'लाना' क्रिया का अर्थ है— 'ले+आना' और 'ले जाने' का अर्थ है ले+जाना । इन संयुक्त क्रियाओं के अन्तिम खण्ड (आना-जाना) अकर्मक है । इसीलिए ये दोनो संयुक्त क्रियाएँ अकर्मक है । यही कारण है कि इन क्रियाओं के साथ कर्ता में 'ने' चिह्न नही लगता है ।

वाच्य के अनुसार 'ने' का प्रयोग—

1. 'ने' का प्रयोग कर्तृवाच्य में नही होता । जैसे—"राम रोटी लाता है ।"
2. 'ने' का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है । जैसे—राम ने रोटी खायी ।
3. 'ने' का प्रयोग भाववाच्य मे होता है जब कर्म में 'को' लगा रहता है । जैसे—राम ने सीता को देखा ।

'को' का प्रयोग—कर्म कारक मे 'को' का प्रयोग सजीव कर्म के साथ होता है । इससे तात्पर्य यह है कि नीचे दिए गए वाक्यो की तरह के वाक्यों में क्रियाएँ सकर्मक होती हैं । जैसे—

उसने लड़के को पढ़ाया । लड़की ने लड़के को देखा । लड़के ने लड़की को देखा । मैंने नौकर को भेजा । उसने चोर को पकड़ा । उसने गरीबों को सताया । राम ने उसको पढ़ाया ।

सकर्मक क्रियाओ के निर्जीव कर्म के साथ 'को' का प्रयोग नहीं होता ।

राम ने रोटी खायी। सीता ने भात खाया। वह फल खाता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैंने एक पेड़ काटा। उसने एक सिनेमा देखा। कभी-कभी 'देखना', 'करना' तथा 'बनाना' के साथ निर्जीव कर्म में 'को' लगता है, जब, वैसे' कर्म के पहले 'इस, इन, उन, उस' का प्रयोग होता है। जैसे—

जिस समय हमने इस झण्डे को बनाया था..........

तब कभी तुम उस काम को न करो।

कुछ सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं—एक सजीव (गौण कर्म) और दूसरा निर्जीव (मुख्य कर्म)। 'को' का प्रयोग सजीव कर्म के साथ तो होता है पर निर्जीव कर्म के साथ नहीं। जैसे—

शिक्षक ने छात्र को हिन्दी पढ़ायी। मैंने राम को एक पुस्तक दी। यहाँ सजीव कर्म (छात्र राम) में तो 'को' लगा है पर निर्जीव कर्म (हिन्दी पुस्तक) में नहीं।'

प्रेरणार्थक क्रिया के साथ भी सजीव कर्म में 'को' लगता है पर निर्जीव कर्म में नहीं। जैसे—

मैंने लड़के को रुलाया। उसने पुत्र को पढ़ाया। मैंने नौकर से एक पेड़ कटवाया। उसने धोबी से धोती धुलवायी।

'लड़के' में 'को' लगा है, जो शुद्ध है, पर 'पेड़' में 'को' नहीं लगा है। इसलिए निर्जीव कर्म में 'को' इस प्रकार लग ही नहीं सकता—

(क) मैंने नौकर से एक पेड़ को कटवाया।

(ख) उसने राम से एक पत्र को लिखवाया।

(ग) राम ने सीता से चिट्ठी को पढ़वाया।

समय या दिशा का बोध कराने के लिए कालवाचक या स्थान वाचक संज्ञा में 'को' इस प्रकार लगता है—

वह सोमवार को आयेगा। सभा रात को दस बजे होगी। पन्द्रह अगस्त को स्वतन्त्रता-दिवस मनाया जाता है। वह घर को चल पड़ा। कोई कहता है, उसका पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया।

प्राकृतिक या मानसिक वेग (भूख, प्यास, क्रोध, शर्म, गर्मी, सर्दी, ज्वर आदि) प्रकट करने के लिए सजीव संज्ञा (या सर्वनाम) मे 'को' इस प्रकार लगाया जाता है—

बच्चे को भूख लगी है। मुझको प्यास लगी है। उसको क्रोध आ गया। सीता को ज्वर आ गया।

कभी-कभी 'को' के प्रयोग से लाचारी, बाध्यता या कर्तव्य का भी भाव प्रकट होता है—मुझको कल जाना है। उसको कल जाना पड़ेगा। लड़के को पढ़ना चाहिए।

'को' से किसी काम की योजना का तुरन्त होने का भी भाव प्रकट होता है—वह आने को है। मैं जाने को हूँ।

कभी-कभी 'को' का प्रयोग 'के लिए' के अर्थ में होता है और इससे किसी काम के लक्ष्य या प्रयोजन का बोध होता है—

उसे खाने को घर में कुछ नहीं है। उसे देखने को जी तरस रहा है।

विकसते मुरझाने को फूल, उदय होता छिपने को चन्द।

मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को।

दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर जाता।

'से' का प्रयोग : 'से' का प्रयोग 'साधन' के अर्थ में होता है। यह साधन सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार का होता है। जैसे—

मैं कलम से लिखता हूँ। पुस्तक से ज्ञान बढ़ता है। पढ़ने-लिखने से बुद्धि बढ़ती है। पिता ने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाया। मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए। सभी डाक पत्र से भेजे गए। वह गाड़ी से आयेगा। सोने से गहने बनते हैं। मैं हवाई जहाज से जाऊँगा।

अशक्ति और लाचारी का भाव प्रकट करने के लिए कर्त्ता में 'से' इस प्रकार लगता है—

रोगी से उठा भी नहीं जाता। उससे पानी भी नहीं पिया जाता है।

दूसरे की शक्ति या सामर्थ्य का बोध कराने के लिए 'नहीं' के बिना कर्त्ता के साथ 'से' कभी नहीं लगता। यथा—

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
रोगी से उठा जाता है।	रोगी से उठा नहीं जाता है।
कमजोर लड़को से खेला जाता है।	कमजोर लड़को से खेला नहीं जाता है।

'से' का प्रयोग 'कहना, पूछना, बोलना, मिलना, माँगना' के सजीव कर्म में भी होता है। जैसे—

(क) शिक्षक ने छात्र से पूछा।
(ख) मैंने अपने मित्र से कहा।
(ग) वह मुझसे नहीं बोलता।
(घ) वह तुमसे कल मिलेगा।
(च) उसने मुझसे एक किताब माँगी।

'डर' या 'खतरा' का भाव प्रकट करने के लिए 'से' का प्रयोग इस प्रकार होता है—मुझे साँप से डर लगता है। आज मानव को अज्ञान से खतरा है। गरीबों से कोई नहीं डरता है।

क्रियाविशेषण बनाने के लिए संज्ञा में 'से' इस प्रकार लगाया जाता है—वह सुख से रहता है। मैं मन से पढ़ता हूँ।

समय (निश्चित या अनिश्चित) का बोध कराने के लिए 'से' का प्रयोग इस *प्रकार होता है*—

वह मंगलवार से बीमार है। वह एक महीने से बीमार है। वह कुछ वर्षों से बीमार है।

'से' का प्रयोग तुलना के अर्थ में इस प्रकार होता है—

वह मुझसे अच्छा है। मैं उससे गरीब हूँ।

'से' से दिशा का बोध होता है। 'के' से भी दिशा का बोध होता है, परन्तु दोनों में अन्तर है। 'से' से दूरी का बोध होता है, पर 'के' से नजदीक (सटा हुआ) होने का। जैसे—

उसका घर स्कूल से दक्षिण मे है। (दक्षिण दिशा मे जरा दूर।)

राम औषधालय के दक्षिण मे रहता है। (दक्षिण मे औषधालय से सटा हुआ)

अतः 'दिशा' का भाव प्रकट करने के लिए 'से' और 'के' का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए।

'से' से कारण का भी बोध होता है। जैसे—

(क) वह हैजे से मर गया। (ख) वह भूख से मर गया।

'से' का प्रयोग अपादान कारक में भी होता है और इससे *स्थान* परिवर्तन (या अलगाव) का भाव प्रकट होता है। जैसे—

पेड़ से पके आम गिर रहे हैं। वह भारत से चला गया। वह रूस से आया है। पहाड़ से नदियाँ निकलती हैं।

'के लिए' का प्रयोग—'के लिए' का प्रयोग 'सम्प्रदान कारक' 'किसी के लिए', 'किसी को देने' आदि अर्थ में इस प्रकार होता है—

वह राम के लिए पुस्तक लाया।

उसने मेरे लिए एक अंगूठी खरीदी।

'के लिए' का प्रयोग क्रियार्थक संज्ञा (धातु+ने) के साथ भी होता है और इससे *लक्ष्य, उद्देश्य या प्रयोजन का भाव प्रकट* होता है। जैसे—

वह पढ़ने के लिए गया। वह गाने के लिए आया। हम गरीबों को सोने के लिए टाट भी उपलब्ध नहीं है।

कभी-कभी क्रियार्थक संज्ञा के बाद 'के लिए' छिपा रहता है, क्योंकि 'के लिए' के बिना ही 'प्रयोजन' का भाव स्पष्ट हो जाता है। जैसे—

मैं उसे देखने जाऊँगा। वे प्रभु का नाम करने जा रहे हैं।

यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है—संज्ञा के बाद 'के लिए' का प्रयोग आवश्यक है। इसे इस प्रकार छिपाया नहीं जा सकता—

अशुद्ध	शुद्ध
मैं राम पुस्तक खरीदूंगा।	मैं राम के लिए पुस्तक खरीदूंगा।
वह सोहन एक घड़ी लाया।	वह सोहन के लिए एक घड़ी लाया।

यहाँ 'राम' और 'सोहन' के बाद 'के लिए' का प्रयोग होना आवश्यक है।

'में' और 'पर' के प्रयोग . 'मे' यह परसर्ग अधिकरण कारक में लगता है और 'स्थान के भीतर' का भाव प्रकट करता है। जैसे--

घड़े मे पानी है। दावात मे स्याही है। मनुष्य मे बहुत कमजोरियाँ हैं। इस झोले मे कितने आम हैं?

कभी-कभी 'में' का प्रयोग 'भीतर' का अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे—घर मे अनाज। बगीचे मे फूल। परन्तु ऐसे प्रयोग अच्छे नही कहलाते। ऐसे प्रसंग में 'का' का प्रयोग अधिक अच्छा होता है। जैसे—

घर का अनाज, बगीचे का फूल।

'मे' से कभी-कभी केवल स्थान या सीमा का बोध होता है, किसी स्थान के भीतर या अन्दर का नहीं। जैसे—

वह स्कूल मे है। वह कचहरी में है। उसके हाथ मे एक किताब है।

'मे' से समय का बोध भी होता है। यथा--

वह रात मे पढ़ता है। वह दो महीने मे आयेगा।

'मे' का प्रयोग किसी वस्तु का मूल्य बताने के लिए भी होता है। जैसे--

(क) यह पुस्तक मैंने पाँच रुपये में खरीदी।

(ख) वह गाय तुमने कितने में खरीदी?

'मे' से वस्त्र या पोशाक का भी भाव प्रकट होता है। यथा—

(क) भारत की स्त्रियाँ साड़ी में ही अच्छी लगती है।

(ख) अरे! वह तो आज सूट में आया है।

एक वस्तु या स्थिति को दूसरी मे बदलने का भाव 'मे' से इस प्रकार प्रकट होता है—

(क) वह मकान धूल मे मिल गया।

(ख) अंग्रेजी से हिन्दी मे अनुवाद करिए।

(ग) यह शरीर मिट्टी मे मिल जायेगा।

घृणा, प्रेम, वैर आदि भाव प्रकट करने के लिए 'में' का प्रयोग इस प्रकार होता है—

1. सुरेश और दिनेश में शत्रुता है।
2. कुत्ता और बिल्ली में जन्मजात वैर है।
3. हम भाई-बहनों में बड़ा प्रेम है।
4. तुम्हें आपस में घृणा नहीं करनी चाहिए।

ऐसे वाक्यों में 'में' के बदले 'के बीच' का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 'के बीच' का प्रयोग इस प्रकार हो सकता है—

इन दोनों मकानों के बीच एक गली है।

धनी और गरीब के बीच एक खाई है।

'में' के प्रयोग के सम्बन्ध में एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए। 'आना', 'जाना' और 'भेजना' आदि गतिबोधक क्रियाओं के साथ किसी स्थान वाचक संज्ञा में 'में' नहीं लगता, क्योंकि उस संज्ञा से ही स्थान का बोध हो जाता है। जैसे—

वह आज स्कूल नहीं गया। मैं कल बाजार गया था। राम आज ही घर आया है। मैं आज कॉलेज नहीं जाऊँगा। वह आज ही कोटा जा रहा है। मैं उसे कल ही बम्बई भेज रहा हूँ।

अतः नीचे लिखी तरह के वाक्य नहीं लिखे जाने चाहिए—

वह आज कॉलेज में नहीं जायेगा। मैं आज स्कूल में नहीं जा सकता। वह कल बाजार में जायेगा।

'पर' का प्रयोग—'में' परसर्ग से किसी स्थान के भीतर का बोध होता है या स्थान के अंश विशेष का, किन्तु 'पर' से 'ऊपर' का बोध होता है या पूरे स्थान का। जैसे—

पेड़ पर एक बन्दर है। छत पर कौए बैठे हैं। वह पलग पर सोता है। राम घर पर ही है। राम घर में है।

अन्तिम वाक्य में 'घर में' का अर्थ है—'कमरे के अन्दर' परन्तु 'घर पर' से पूरे स्थान का बोध होता है। इस 'पर' का आशय है राम घर से बाहर किसी और जगह नहीं है, परन्तु यह मालूम नहीं कि वह कमरे के अन्दर है या बाहर।

इस अर्थ को ध्यान में रखकर ऐसे वाक्य लिखे ही नहीं जा सकते—चोर घर पर घुसा है। उसके सिर में टोपी है। वह कमरे पर बैठा है।

इस प्रकार के वाक्य अवश्य लिखे जा सकते हैं—

चोर ने उसके घर पर आक्रमण किया। दुश्मन ने मुझ पर चढ़ाई की।

'में' और 'पर' से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। यथा—

बन्दर घर में है। बन्दर दीवार पर है। यहाँ 'घर में' का अर्थ है—'घर के अन्दर' और 'दीवार पर' का अर्थ है—'दीवार के ऊपर'।

'पर' के प्रयोग के सम्बन्ध में एक बात ध्यान में रखने योग्य है। स्थान-वाचक अव्यय (यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ आदि) के साथ 'पर' का प्रयोग उचित नहीं। यथा—

वहाँ पर कितने लोग हैं ? तुम कहाँ जा रहे हो ?

'वहाँ', 'कहाँ' आदि से तो स्थान का बोध हो जाता है फिर 'पर' का प्रयोग क्यों ?

'पर' का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए इस प्रकार होता है—

वह ठीक समय पर आया। उसके आने पर ही मैं जाऊँगा।

क्रिया के बाद 'पर' के प्रयोग से 'बाद' का अर्थ प्रकट होता है। इसलिए 'आने पर' का अर्थ है—'आने के बाद'।

'पर' का प्रयोग मूल्य बताने के लिए होता है और इससे 'के लिए' का अर्थ प्रकट होता है—

आजकल कम मजदूरी पर बहुत कम लोग मिल पाते है।

मैं लाखों रुपये पर भी अपना ईमान नहीं बेच सकता।

'पर' का ऐसा प्रयोग मूल्य बतलाने के साधारण अर्थ में नहीं होता। साधारण अर्थ में मूल्य बताने के लिए 'में' का प्रयोग होता है, 'पर' का नहीं। यथा—

आपने यह पुस्तक कितने रुपयों में खरीदी है ?

मैंने वह अंगूठी पचास रुपये में खरीदी है।

'के', 'रे', 'ने' और 'का', 'के', 'की' के प्रयोग :

'के', 'रे', 'ने' सम्बन्ध कारक की विभक्तियाँ हैं। 'के' संज्ञा में लगता है, पर 'रे' और 'ने' सर्वनाम मे। जैसे—राम के, तेरे, मेरे, अपने, 'के', 'रे' और 'ने' ('से', 'मे', 'पर' आदि विभक्तियों की तरह) सदा एक रूप रहते हैं। इनमे कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है।

'के', 'रे' और 'ने' का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के अस्तित्व (रहने या नही रहने के भाव) का बोध कराने के लिए होता है। जैसे—श्याम के दो लड़के हैं। राम के दो लड़कियाँ हैं। रमेश के कुछ भी नहीं है। तेरे दो लड़के हैं। मेरे दो लड़कियाँ हैं। अपने दो लड़के है। अपने दो लड़कियाँ हैं। अपने कुछ नहीं है।

ऊपर के वाक्यों में 'के', से 'के पास' का अर्थ प्रकट हो रहा है। इन सभी वाक्यों में 'होना' क्रिया का प्रयोग हुआ है। इस अर्थ में 'के' के बदले 'को' का करना ठीक नहीं है। नीचे लिखे वाक्यों को लें—

श्याम को दो लड़कियाँ हैं। श्याम को चार पुस्तकें हैं। श्याम को दो गायें हैं। हाथी को चार पैर होते हैं।

'को' का प्रयोग उन क्रियाओं के साथ होता है जो अपने-आप उत्पन्न होती हैं। जैसे—श्याम को भूख लगी है। राम को क्रोध आ गया।

'के' का प्रयोग 'अस्तित्व' का भाव प्रकट करने के लिए इस प्रकार होता है—श्याम के एक बहन है। राम के एक भाई है। राम के एक लड़की है। उसके पास दो पुस्तकें हैं। क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? मर्द के दाढ़ी होती है, औरतों के नहीं।

'के', 'रे' और 'ने' का प्रयोग किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का भी बोध कराने के लिए होता है—श्याम के एक लड़का हुआ। तेरे एक लड़की हुई। अपने एक लड़की हुई।

ऐसे वाक्यों में 'को', 'का', 'की', 'रा', 'री', 'ना', या 'नी' का प्रयोग इस प्रकार नहीं हो सकता —

श्याम को लड़की हुई। श्याम की लड़की हुई। श्याम का लड़का हुआ। तेरी लड़की हुई। तेरा लड़का हुआ।

'के', 'रे', 'ने' सम्बन्ध विभक्तियाँ है; इसलिए इनके रूप नहीं बदलते। पर 'क', 'र', 'न' सम्बन्ध प्रत्यय हैं। इसलिए लिंग और वचन के अनुसार इसके रूप इस प्रकार बदलते रहते हैं—

'क' के रूप—का, की, के

'र' के रूप—रा, री, रे

'न' के रूप—ना, नी, ने

इन प्रत्ययों से ('क', 'र', 'न', से) भिन्न-भिन्न प्रकार के सम्बन्ध के भाव प्रकट होते हैं और इनका प्रयोग विशेषण की तरह संज्ञा का गुण बतलाने के लिए होता है। यही कारण है कि कुछ लोग इन प्रत्ययों को 'भेदक' कहते है और संज्ञा को 'भेद्य'। इन प्रत्ययों का प्रयोग इस प्रकार होता है—

(क) सम्बन्ध (नाता-रिश्ता) का भाव प्रकट करने के लिए। जैसे—

1. श्याम का लड़का अच्छा है। 2. मोहन की लड़की खेलती है।
3. सोहन के लड़के पढ़ रहे है। 4. तेरे लड़के तेज हैं।
5. तेरी माता दयालु है।

(ख) अधिकार का भाव प्रकट करने के लिए। जैसे—

1. उसका घर सुन्दर है। 2. राम के नौकर चतुर हैं।
3. इस विद्यालय के शिक्षक अच्छे हैं।
4. इस बाग का माली कौन है?

(ग) द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने के लिए। जैसे—
1. यह लकड़ी की कुर्सी है। 2. यह सोने की अंगूठी है।

(घ) क्रियार्थक संज्ञा के बाद किसी वस्तु का उद्देश्य या प्रयोजन प्रकट करने लिए। जैसे—
1. यह नहाने का पानी है। 2. यह टहलने की छड़ी है।

(च) किसी वस्तु का मूल्य या रकम प्रकट करने के लिए। जैसे—
1. मुझे पाँच रुपये के चावल दो।
2. मैंने पचास रुपयों का सोना खरीदा।
3. यह पाँच करोड़ की योजना है।

(छ) समय और स्थान का भाव प्रकट करने के लिए। जैसे—
1. रात का भोजन अच्छा बना था।
2. ये जंगल के फूल यों ही झर जाते हैं।
3. गाँव की सड़कें बहुत खराब हैं।
4. भारत के लोग शान्ति चाहते हैं।

(ज) 'का/की' का प्रयोग 'के लिए' या अनुकूल अर्थ में। जैसे—
1. यह खेलने का कमरा है। 2. यह पूजन का कलश है।
3. यह पूजन की सामग्री है। 4. यह सातवीं कक्षा की पुस्तक है।
5. मेरे पास गाड़ी का भाड़ा नहीं है।

(झ) 'का, की' से 'बना हुआ' या 'निर्मित' के अर्थ में। जैसे—
1. कागज की नाव डूब जायगी।
2. ताश का महल ढह जायेगा।
3. पाप का घड़ा फूट जायेगा।

(ञ) 'का' तुलना के लिए 'जैसा' के अर्थ में। जैसे—
1. उसका रंग दूध में घुले हुए गुलाब का रंग है।
2. उसकी जुबान में जादू का असर है।
3. यह औरत जहर की पुड़िया है।

सम्बोधन की 'ओ' विभक्ति :

जातिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाएँ सम्बोधन कारक के एकवचन में एकारांत हो जाती हैं, अर्थात् उनका 'आ' 'ए' में बदल जाता है। जैसे—

1. लड़के, शोर मत करो। 2. ऐ अन्धे, उधर मत जा।

सम्बोधन कारक में जातिवाचक संज्ञाओं के बहुवचन में 'ओ' विभक्ति लग ...ी है। जैसे—

लड़को, हल्ला मत करो ।

लड़कियो, इधर आओ ।

देवियो, अपने घर का ध्यान रखो ।

सज्जनो, आप इस समस्या पर विचार करें ।

देशवासियो, देश की मदद करो ।

भाइयो और बहनो, समाज की सेवा करो ।

यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए—'ओ' के बदले 'ओं' का प्रयोग इस प्रकार नहीं हो सकता—

सज्जनों, मेरी बात ध्यान से सुनें ।

भाइयों और बहनों, अपना काम मन से करो ।

विभक्ति के कारण संज्ञा के रूप किस प्रकार बदल जाते हैं, इसका ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए—अतः ऐसे गलत वाक्य नहीं लिखे जाने चाहिए—

इस कुओं का पानी अच्छा है । वह लड़के ने क्या कहा ?

ये जूते चमड़ा के हैं, कपड़ा के नहीं ।

मैं उसका लिए एक किताब लाया ।

अभ्यास के प्रश्न

1. कारक किसे कहते हैं ?
2. कारक कितने प्रकार के होते हैं ?
3. परसर्ग क्या होते है ?
4. नीचे दिए गए वाक्यों में परसर्ग के प्रयोग से सम्बन्धित अशुद्धियाँ हैं । अतः ऊपर दिए गए परसर्ग सम्बन्धी शुद्ध प्रयोग के विवेचन के आधार पर उन अशुद्धियों को शुद्ध कीजिए—

    1. तुम क्या खाया है ? 2. मैं कल नहीं पढ़ूगा ।
    3. उसने क्या कर रहा था ?
    4 मैं इस वर्ष परीक्षा पास करके आया हूँ ।
    5. उसने काम समाप्त कर चुका है ।
    6. तुम मुझे गाली क्यों दिया ? 7. आपने क्या लिख रहे हैं ?
    8. मोहन क्यों छींका और खाँसा ? 9. आप यह पुस्तक कब लिया ?
    10. आपने उसको क्यों लाया ? 11. उसने एक तालाब को खुदवाया ।
    12. माता पुत्र देखकर प्रसन्न हुई । 13. राम ने रोटी को खाया ।

18. गरीब भात को खाते हैं और धनी गरीब को।
19. लडके से रोटी खायी जाती है।
20. सोहन से गीत गाया गया।
21. मुझ मे पढ़ा जाता है।
22. हम लोगों से दौड़ा गया।
23. लड़कों से खेला जायगा।
24. शिक्षक से पढाया जाता है।
25. श्याम को दो घोड़े हैं।
26. मुझको तीन घर हैं।
27. हाथी को सींग नहीं होती।
28. मेरी लडकी को एक लड़की हुई।
29. मेरे मित्र को एक पुत्र हुआ।
30. मनुष्य को दो आँखें होती है।
31. पशु को चार पैर होते हैं।
32. नागरिकों, समाज की सेवा करो।
33. विद्यार्थियों, तोड़-फोड़ का काम मत करो।
34. मैं आज बाजार में नहीं जाऊँगा।
35. इस कमरा की खिडकी छोटी है।
36. उस कारखाने मे कितना मजदूर काम करते हैं ?
37. मेरा लडका का मित्र बहुत अच्छा है।
38. यह किताब कितना मे खरीदी ?
39. इस लड़का के लिए घडी खरीदी गई।
40 आपके मामा का क्या नाम है ?
41. कनाडे के प्रधानमन्त्री का क्या नाम है ?
42. आपका हाथ मे क्या है ?
43. चौराहा पर कौन खडा है ?

01
.21

18 हिंदी शब्दों के स्रोत एवं रचना और इतिहास के आधार पर उनका वर्गीकरण

हिन्दी का शब्द-मण्डार :

शब्द की अनेकों परिभाषायें दी गई हैं, परन्तु व्याकरण की दृष्टि से की गई परिभाषाओं से यह बात उभरती है कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी वह ध्वनि है जिससे किसी अर्थ का बोध होता है। किसी भी भाषा की समृद्धि उसके शब्द-समूह पर निर्भर है। हिंदी भाषा के पास एक ऐसा शक्तिशाली शब्द-भण्डार है जिसमें निरन्तर वृद्धि होती रहती है। इसके दो कारण मुख्य हैं : पहला कारण यह है कि हिंदी भाषा में वह शक्ति है कि उसमे शब्दो का निर्माण बड़ी सरलता से किया जा सकता है। दूसरा कारण यह है कि हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं से आये शब्दों को पचा लेने की शक्ति है।

हिन्दी शब्दों के स्रोत :

हिन्दी भाषा में शब्द अनेकों स्रोतों से आये हैं। इनमे से कुछ शब्द संस्कृत से उसी रूप में लिये गए हैं, कुछ को बदलकर ग्रहण किया गया है, कुछ शब्द हिंदी के अपने हैं और कुछ देश की अन्य भाषाओं से लिये गए हैं। विदेशी भाषाओं से शब्द लेने में भी हिंदी ने संकोच नही किया है। कुछ शब्द हिंदी में ऐसे भी मिलते हैं जो दो भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से बने हैं। कुछ शब्दों का निर्माण पशु-पक्षियों आदि की ध्वनियों के अनुकरण से किया गया है। इस प्रकार हिंदी शब्दों को उनके स्रोत के आधार पर छह भेदों में बाँटा गया है—तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, द्विज, अनुकरणात्मक। कुछ विद्वानों ने हिन्दी शब्दों के स्रोत के आधार पर किए गए विभाजन को इतिहास के आधार पर किया गया वर्गीकरण माना है और इस दृष्टि से इसके चार भेद किये हैं:—तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज।

प्रसिद्ध भाषाविद् डा० धीरेन्द्र वर्मा ने हिन्दी शब्द-समूह का उसके शब्दो के स्रोत के आधार पर निम्नांकित वर्गीकरण किया है:—

(क) भारतीय आर्य भाषाओं से आये हुए शब्द।
(ख) भारतीय अनार्य भाषाओं से आये हुए शब्द।
(ग) विदेशी भाषाओं से आये हुए शब्द।

इस प्रकार हिंदी शब्दों के विभिन्न स्रोतों के आधार पर उनका वर्गीकरण विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से किया है, परन्तु उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। इतिहास के आधार पर हिन्दी शब्दों का वर्गीकरण इस अध्याय में आगे दिया गया है, परन्तु उस वर्गीकरण में हिंदी शब्दों के द्विज और अनुकरणात्मक भेदों को स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः उन्हें यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है :

द्विज शब्द—ये वे हिंदी शब्द हैं जो दो भाषाओं के सम्मिश्रण से गढ़े गये हैं; जैसे—डबल रोटी (अंग्रेजी-हिंदी), रामबख्श (हिंदी-अरबी)।

अनुकरणात्मक शब्द—ये वे शब्द हैं जिनका निर्माण पदार्थों की ध्वनि तथा पशु-पक्षियों की बोली के आधार पर किया गया है। जैसे—टप-टप, खट-खट, धड़-धड़, म्याऊँ-म्याऊँ, भौं-भौं, काँव-काँव आदि। अनुकरणात्मक शब्दों को देशज शब्दों के अन्तर्गत भी माना जाता है। अतः कुछ अनुकरणात्मक शब्द आगे इसी अध्याय में दिए जायेंगे।

भारतीय आर्य-भाषाओं से हिन्दी में आये हुए शब्द :

हिन्दी शब्दों का अनेक स्रोतों के आधार पर डॉ. धीरेन्द्र वर्मा द्वारा किया गया वर्गीकरण भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारतीय आर्य-भाषाओं से आये हुए शब्दों को तत्सम और तद्भव दो भागों में बाँटा है। तद्भव शब्दों में उन्होंने संस्कृत भाषा से आये हुए शब्दों के अलावा दूसरी प्राचीन आर्य-भाषाओं से, जो शब्द मध्यकालीन भाषाओं में होते हुए आये हैं, उन्हें भी रखा है। उनके मत के अनुसार सभी तद्भव शब्दों का मूल स्रोत संस्कृत भाषा ही नहीं है। उनके अनुसार तद्भव शब्द हिंदी भाषी प्रदेश की जनता की बोलियों से बड़ी मात्रा में मध्यकाल से ही हिन्दी में आते रहे हैं। साहित्यिक हिंदी में इनकी संख्या कम होती गई है, क्योंकि इन्हें गँवारू समझा जाता है। वास्तव में ये शब्द ही असली हिंदी के शब्द हैं। हिंदी में ऐसे तद्भव और तत्सम शब्द बहुत कम हैं जो बंगला, मराठी, पंजाबी आदि आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं से आये हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हिंदी-भाषी लोगों ने इन भाषाओं के बोलने वाले व्यक्तियों के सम्पर्क में आने पर भी इन भाषाओं को बोलने का बहुत ही कम प्रयास किया। उल्टे इन भाषाओं पर हिंदी की छाप अधिक गहरी है।

भारतीय अनार्य-भाषाओं से हिन्दी में आये हुए शब्द :

हिंदी के तत्सम और तद्भव शब्दों में बहुत से शब्द ऐसे हैं जो प्राचीनकाल में अनार्य-भाषाओं से तत्कालीन आर्य भाषाओं में ले लिये गए थे। हिंदी के लिए व में ये आर्य भाषाओं से आये हुए शब्दों के समान ही हैं। प्राकृत भाषा के ...करण-वेत्ता जिन प्राकृत शब्दों को संस्कृत शब्द समूह में नहीं पाते थे, ... अनार्य-भाषाओं में आगे ...

मुण्डा, कोल आदि अन्य अनार्य-भाषाओं से आधुनिककाल में आये हुए शब्द हिंदी में बहुत कम हैं।

द्राविड़ भाषाओं से आये हुए शब्द हिंदी में प्रायः बुरे अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। द्राविड़ों में 'पिल्लै' शब्द का अर्थ पुत्र होता है, वही शब्द हिंदी में 'पिल्ला' होकर कुत्ते के बच्चे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मूर्द्धन्य वर्णों से युक्त कुछ शब्द यदि सीधे द्राविड़ भाषाओं से नहीं आये हैं तो कम से कम उन पर द्राविड़ भाषाओं का प्रभाव तो बहुत ही पड़ा है। मूर्द्धन्य वर्ण द्राविड भाषाओं की विशेषता है। कोल भाषाओं से हिंदी में शायद ही कुछ शब्द आये हैं; अतः इन भाषाओं का प्रभाव हिंदी पर उतना स्पष्ट नहीं है। हिंदी में बीस-बीस करके गिनने की प्रणाली कदाचित् कोल भाषाओं से आई। 'कोड़ी' शब्द कोल भाषाओं से आया हुआ मालूम पड़ता है। इस प्रकार के कुछ शब्द और भी हो सकते हैं।

विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द :

सैकड़ों वर्षों तक भारत पर विदेशी शासन रहने से विदेशी भाषाओं के बहुत शब्द हिंदी में तद्भव या तत्सम शब्दों के रूप में विद्यमान हैं। ये शब्द या तो फारसी, अरबी, तुर्की तथा पश्तो आदि मध्य एशिया की भाषाओं से मुसलमानों के साथ आये या यूरोप की अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और जर्मन भाषाओं से आये हैं। यूरोपीय भाषाओं से आये हुए शब्दों में से सबसे अधिक शब्द अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आये हैं। इसका मुख्य कारण भारत में अंग्रेजी शासनकाल का होना है।

हिंदी शब्दों का रचना और इतिहास के आधार पर वर्गीकरण :

हिंदी शब्दों की रचना तथा इतिहास के आधार पर कई भेद होते है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के निम्नांकित तीन भेद होते हैं :

(1) रूढ़ि : जिन शब्दों में सार्थक खण्ड न हों, उन्हें रूढ़ि कहते हैं। जैसे—घोड़ा, पेट, कपड़ा। इनमें से किसी भी शब्द के सार्थक खण्ड नहीं हो सकते क्योंकि ये शब्द दो या अधिक तत्वों से जुड़कर नहीं बने हैं।

(2) यौगिक : वे शब्द जो एक से अधिक तत्वों से बने हों अर्थात् जिनके सार्थक खण्ड हो सकें, उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे—खानदान, गजराज, गुलदस्ता।

(3) योगरूढ़ि : योगरूढ़ि 'योग' और 'रूढ़ि' से बना है। जो शब्द यौगिक तो हैं, किंतु साथ ही जो विशेष अर्थ में रूढ़ि हो चुके हैं, उन्हे योगरूढ़ि कहते हैं। जैसे— जलज (कमल), दशानन (रावण), पंकज (कमल) आदि। ये सभी यौगिक हैं; किंतु इनका अर्थ रूढ़ि हो चुका है। उदाहरणार्थ, जल में उत्पन्न कोई भी वस्तु (घास, मछली, सीपी, शंख आदि) जलज नाम की अधिकारिणी है परन्तु इस शब्द का प्रयोग केवल कमल के लिए ही होता है। इस तरह यौगिक होते हुए भी ये

शब्द विशेष अर्थ में रूढ़ि हो गए हैं। चतुरानन (ब्रह्मा), भूपति (राजा); जलद (बादल), जलधि (समुद्र), चौपाया (जानवर), चारपाई (खाट), ये सब भी यौगिक होते हुए विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं; अतः इन्हें भी योगरूढ़ि शब्द कहेंगे।

इतिहास के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं :

1. तत्सम—तत् का अर्थ है वह तथा सम का अर्थ है समान। 'तत्सम' अर्थात् *उसके समान यानी संस्कृत के समान*। जो संस्कृत शब्द अपने मूल रूप में बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे मृत, मृग, यक्ष, रात्रि, रहस्य, विधान, विप्लव, विद्यालय, विराट, विवेक, भाषण, भुजंग, भूत, मौतिक, विस्तृत आदि शब्द तत्सम कहलाते हैं।

2. तद्भव—तत् का अर्थ है 'वह' अर्थात् संस्कृत, और भव का अर्थ है 'पैदा हुआ' अर्थात् तद्भव का अर्थ है संस्कृत शब्द से पैदा हुआ शब्द। संस्कृत शब्दों से विकसित शब्दों को तद्भव कहते हैं। ये शब्द प्रायः संस्कृत शब्दों के विकृत रूप हैं जो प्राकृत, अपभ्रंश आदि से बिगड़ते-बनते विकसित होते हिंदी में आये हैं। हस्त तत्सम है जिससे हाथ तद्भव रूप बना। ऐसे ही मुक्ता से मोती शब्द बना। मेघ से मेह, वक्र से बाँका, विवाह से ब्याह, वेत्र से बेंत, त्रिशूल से तिरसूल, पक्षी से पंछी, पुत्र से पूत आदि।

3. विदेशी—हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से आये हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में तुर्की, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि भाषाओं से विदेशी शब्द आये हैं।

तुर्की —चाकू, कैंची, लाश, तोप आदि।
अरबी —आदमी, हुक्म, वकील, कानून, किताब, कलम।
फारसी —हजार, फौज, खर्च, बर्फ, बादाम;
पुर्तगाली—गमला, आलमारी, तौलिया, गोभी, नीलाम।
अंग्रेजी —स्कूल, कॉपी, टिकिट, कोट, पेन्ट, रेडियो, बटन।

4. देशज—जो शब्द न तो तत्सम हों, न तद्भव और न विदेशी अर्थात् जो देश में ही जन्मे हों, देशज कहलाते हैं। इनमें कुछ तो अनुकरणात्मक होते हैं; जैसे भड़भड़ाना, खटखटाना आदि। इनके अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिनकी रचना का (व्युत्पत्ति) हमें पता नहीं लगता। जैसे—पेड़, खिड़की, अटकल, टट्टू, तेंदुआ आदि शब्द।

पर्यायवाची शब्द :

लगभग समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ

पर्यायवाची शब्द नमूने के रूप में दिए जा रहे हैं। ये शब्द कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकों में आ चुके हैं:—

अग्नि —आग, पावक, अनल, हुताशन
असुर —दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशिचर, निशाचर, रजनीचर
अनुपम —अपूर्व, अनोखा, अद्‌भुत, अनूठा, अद्वितीय
अरण्य —जंगल, विपिन, वन, कानन
अश्व —वाजि, हय, घोटक, घोड़ा, तुरंग
आँख —नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग
आकाश—व्योम, गगन, अम्बर, नभ, आसमान
आम —आम्र, रसाल
अमृत —अमिय, पीयूष, सुधा
आनन्द —मोद, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, उल्लास
इच्छा —आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, मनोरथ
इन्द्र —सुरपति, शक्र, पुरन्दर, वासव, महेंद्र, देवराज
ईश्वर —अन्तर्यामी, ईश, जगदीश, दीनबन्धु, दीनानाथ, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, भगवान, सच्चिदानन्द, हरि
उन्नति —अभ्युदय, उत्थान, उन्नयन, उत्कर्ष, विकास
कपड़ा —वस्त्र, पट, वसन, अम्बर
कमल —सरोज, जलज, पंकज, सरसिज, शतदल, राजीव
कामदेव—मदन, मन्मथ, अनंग, मनसिज, स्मर
किरण —अंशु, मरीचि, कर, रश्मि
कुबेर —यक्षराज, धनद, धनाधिप
कोमल —मृदु, सुकुमार, मुलायम, नरम, मसृण
कौशल —पटुता, प्रवीणता, दक्षता, चतुरता, कुशलता
क्रोध —कोप, अमर्ष, रोष
गणेश —लम्बोदर, गजानन, गजबदन, विनायक, गणपति
गंगा —भगीरथी, मन्दाकिनी, देवनदी
घर —गृह, निकेतन, भवन, सदन, मन्दिर, आवास
घोड़ा —अश्व, तुरंग, वाज, सैन्धव
चतुर —दक्ष, विज्ञ, प्रवीण, निपुण, पटु, नागर, कुशल, योग्य
चन्द्र —चाँद, सुधांशु, हिमांशु, विधु, सुधाकर, राकेश, शशि, कलानाथ, कलापति, द्विज, क्षपाकर
जल —अम्बु, अम्भ, उदक, क्षीर, तोय, नीर, पानी, पय, वारि, सलिल

झण्डा —पताका, ध्वजा, फरहरा, वैजयन्ती
तरंग —उर्मि, लहर, लहरी, वीचि
तारा —उडु, तारा, तारक, नक्षत्र, सितारा
तालाब—जलाशय, झील, ताल, तड़ाग, सर, सरोवर
थोड़ा —अल्प, किंचित्, परिमित, न्यून, सीमित, स्वल्प
दास —अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर
दिन —दिवस, वासर, दिवा, अहन, अहं
दुःख —पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, खेद
क्षोभ, विषाद, संताप
देवता —अजर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, सुर
द्रव्य —धन, वित्त, सम्पदा, दौलत, सम्पत्ति, मुद्रा
नदी —सरिता, तरिनी, निर्झरणी, तरंगिणी, पयस्विनी
नरक —यमलोक, यमालय, यमपुर
नौका —नाव, तरणी, जलयान, तरी
पति —कंत, नाथ, भर्ता, वर, स्वामी, वल्लभ
पत्नी —कलत्र, भार्या, जाया, कांता, दारा, परिणीता, बीवी, वधू, बहू
पवित्र —पाक, पावन, पुण्य, शुचि, शुद्ध
पहाड़ —अचल, गिरि, नग, पर्वत, भूधर, शैल
पक्षी —विहग, विहंग, खग, पखेरू, चिड़िया
पंडित —सुधी, विद्वान्, कोविद, बुध, धीर, मनीषी
पत्थर —प्रस्तर, पाषाण, पाहन, उपल
पार्वती —उमा, गौरी, भवानी, गिरिजा, सती, शैलसुता
पुत्र —तनय, सुत, बेटा, लड़का
पुत्री —सुता, बेटी, लड़की, दुहिता, तनुजा
पृथ्वी —भू, भूमि, क्षिति, धरणी, धरित्री, धरती, मही, वसुंधरा
प्रकाश —प्रभा, ज्योति, चमक
पुष्प —फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून
बाण —तीर, विशिख, शर, शिलीमुख, सायक
बिजली—चपला, चंचला, तड़ित, विद्युत, सौदामिनी, क्षणप्रभा
ब्रह्मा —आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, विधि, विधाता
वृक्ष —तरु, द्रुम, पादप, विटप, पेड़
मधुकर—भौंरा, भ्रमर, अलि, मधुप, षट्पद

मनुष्य —मनुज, मानव, आदमी
मित्र —सखा, सहचर, साथी, सुहृद
मूर्ख —अबोध, अज्ञ, मूढ़, जड़
मछली —मत्स्य, मीन, शफरी
महादेव—शम्भु, महेश्वर, हर, भूतनाथ, नीलकण्ठ
मेघ —घन, जलधर, वारिद, बादल, नीरद, वारिधर, पयोद, पयोधर, अम्बुद
मोक्ष —मुक्ति, निर्वाण, परमपद, परमधाम
युद्ध —रण, लड़ाई, संग्राम, विग्रह
रात्रि —निशा, रैन, रात, रजनी, दामिनी, विभावरी
राजा —नृप, भूप, महीप, महीपति, नृपति, नरेश
रमा —कमला, लक्ष्मी, इन्दिरा, श्री, लोकमाता
विष्णु —नारायण, कृपाणि, मुकुन्द, दामोदर, केशव
वसंत —ऋतुराज, कुसुमाकर, बहार, मधु, मधुऋतु
वायु —अनिल, पवन, समीरण, वात, समीर, हवा
शरीर —काया, गात, गात्र, तनु, वपु, अंग, जिस्म
सब —सर्व, समस्त, निखिल, अखिल, समग्र, सकल, पूर्ण, सम्पूर्ण
समुद्र —अम्बुनिधि, उदधि, जलनिधि, जलधि, नदीपति, पयोधि, सागर, नीरधि
समूह —समुदाय, संघ, समुच्चय, झुण्ड, दल, कलाप, गण, टोली, जत्था, मण्डली
सरस्वती—भारती, शारदा, वाणी, विधात्री, वीणापाणि, वागीश्वरी
सर्प —अहि, भुजंग, विषधर, नाग, साँप, व्याल
सोना —सुवर्ण, कंचन, कनक, स्वर्ण
सिंह —केशरी, मृगपति, मृगेन्द्र, पञ्चानन, शेर, हरि
सूर्य —अंशुमाली, अर्क, आदित्य, तरणि, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, दिनमणि, प्रभाकर
स्त्री —नारी, महिला, अबला, कांता, कामिनी, वनिता, रमणी, ललना
स्वर्ग —देवलोक, सुरलोक, बहिश्त, जन्नत, दिव
सुन्दर रुचिर, रम्य, मनोहर, रमणीक, ललित, उत्तम, कमनीय, ललाम
हाथी —गज, कुञ्जर, पतंग, गयंद, करी, दंती, हस्ती

पर्यायवाची शब्दों में अर्थ-भेद :

सामान्यतः यह धारणा है कि पर्यायवाची शब्द एक अर्थ देने वाले होते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि किसी भाषा में बहुत कम ही शब्द ऐसे होते हैं, जिनका अर्थ पूर्णतः एक होता है। अधिकतर पर्यायवाची शब्द एकार्थी न होकर मिलते-जुलते अर्थ वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में यह अपेक्षित है कि शब्दों का प्रयोग करते समय उसके सही अर्थ का ध्यान रखा जावे। कुछ शब्द नीचे इस प्रकार के दिए जा रहे हैं और उनमें अर्थ-भेद को स्पष्ट किया जा रहा है :

अगम —जहाँ पहुँचा न जा सके, दुर्गम—जहाँ पहुँचना कठिन हो।
अधिक —आवश्यकता से ज्यादा, पर्याप्त—न ज्यादा, न कम।
अनिवार्य —जिसका निवारण न हो सके या जो टाला या छोड़ा न जा सके।
आवश्यक —जरूरी (आवश्यक में अनिवार्य जैसी बाध्यता नहीं होती)
अलौकिक —जो सामान्यतः लोक में न पाया जावे।
अस्वाभाविक—जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो।
अस्त्र —जिसे फैंक कर मारा जावे जैसे—बाण, गोली, बम।
शस्त्र —जिसे हाथ में पकड़े हुए मारा जाए, जैसे—तलवार, छुरी, गदा।
अबला —स्त्री जाति के अर्थ में
निर्बला —बलहीन स्त्री
अहंकार —झूठा घमण्ड, अर्थात् शक्ति व योग्यता से अपने को अधिक समझना।
स्वाभिमान —सच्चा घमण्ड
घमण्ड —अपने को बहुत बड़ा और दूसरों को कुछ नहीं मानना
दर्प —नियम के विपरीत काम करने पर भी घमण्ड करना
गर्व —विद्या, रूप, कला, धन, देश, मर्यादा आदि का अभिमान होना।
गौरव —अपनी शक्ति या योग्यता का उचित ज्ञान
दम्भ —अपने को बड़ा दिखाने के लिए आडम्बर
अज्ञान —ज्ञान का न होना
अनभिज्ञ —किसी बात की जानकारी की कमी
अज्ञ —जो जानता नहीं हो, मगर बतलाने पर जान जाय
मूर्ख —जो मोटी बुद्धि के कारण बहुत देर से समझे

मूढ़	—जिसमें समझने की शक्ति हो ही नहीं
मान	—श्रद्धा-भाव रखना
मद	—किसी वस्तु को पाकर पागल-सा हो जाना
अनुरूप	—स्वरूप व योग्यता के अनुसार
अनुकूल	—अपने पक्ष में, उपादेयता या उपयोगिता का ध्यान होना
अनुभव	—व्यवहार, अभ्यास आदि से प्राप्त ज्ञान
अनुभूति	—चिंतन और मनन से प्राप्त आंतरिक ज्ञान
अपराध	—कानून विरुद्ध कार्य
पाप	—धर्म विरुद्ध कार्य
आधि	—मानसिक कष्ट
व्याधि	—शारीरिक कष्ट या रोग
कलंक	—कुसंगति में पड़कर चरित्र पर दोष लगना
अपयश	—सदा के लिए दोषी बन जाना
अभिज्ञ	—अनेक विषयों का ज्ञान
विज्ञ	—किसी खास विषय का अच्छा ज्ञान
अगोचर	—जो इन्द्रियों द्वारा समझा न जा सके परन्तु ज्ञान या बुद्धि से जाना जाय
अज्ञेय	—जो किसी प्रकार न जाना जाय
अद्वितीय	—जिसके समान दूसरा न हो
अनुपम	—जिसकी उपमा न हो
अनबन	—दो व्यक्तियों की आपस में न बनना
खटपट	—दो व्यक्तियों या पक्षों में साधारण झगड़ा
अमूल्य	—जिस वस्तु का मूल्य कोई दे ही न सके
बहुमूल्य	—जिस वस्तु का मूल्य अधिक परन्तु उचित हो
अवस्था	—जन्म से वर्तमान काल तक का समय
आयु	—जन्म से मरण तक का समय
अर्पण	—अपने से बड़े को कोई वस्तु भेंट करना
प्रदान	—बड़ों की ओर से छोटों को देना
अर्चना	—धूप, दीप आदि से पूजा
पूजा	—बिना किसी सामग्री के भी भक्तिपूर्ण प्रार्थना
अभिनन्दन	—बड़ों का विधिवत् सम्मान
स्वागत	—किसी प्रथा या सभ्यता के अनुसार किसी का सम्मान

आशंका —अमंगल होने का भय
शंका —संदेह का भाव
आज्ञा —बड़ों द्वारा किया गया कार्य-निर्देश
आदेश —किसी अधिकारी द्वारा किया गया कार्य-निर्देश
अभिवादन —बड़ों को हाथ जोड़कर अभिवादन किया जाता है
नमस्कार —समान अवस्था वालों को किया जाता है
नमस्ते —बड़े-छोटे और समान अवस्था वालों को
प्रणाम —अपने से बड़ो को किया जाता है
अनुज —केवल छोटा भाई
भाई —छोटे-बड़े दोनों को कहा जाता है
आधि —मानसिक कष्ट
व्याधि —शारीरिक कष्ट
इच्छा —किसी वस्तु की साधारण इच्छा
अभिलाषा —किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा
कामना —किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा
ईर्ष्या —दूसरे की सफलता पर मन से जलना
द्वेष —दूसरे के प्रति घृणा और शत्रुता का भाव
स्पर्धा —दूसरे की उन्नति देखकर अपनी उन्नति करने की भावना
उत्साह —काम करने की उमंग
प्रयास —साधारण प्रयत्न
साहस —साधन के अभाव मे भी काम करने की तीव्र इच्छा
करुणा —दूसरे का दुःख देखकर हृदय भर आना
दया —दूसरो का दुःख दूर करने की स्वाभाविक इच्छा
कृपा —छोटो की सहायता करना
सहानुभूति —किसी के सुख-दुःख का हल्का प्रभाव
संवेदना —किसी के दुःख का गहरा प्रभाव
कष्ट —शारीरिक या मानसिक कष्ट
क्लेश —मन के अप्रिय भाव
पीड़ा —रोग या चोट के कारण शरीर मे कष्ट
शोक —किसी प्रियजन की मृत्यु पर होने वाला अफसोस
वेदना —मानसिक कष्ट
ग्लानि —किए हुए कुकर्म पर एकांत में शर्म का भाव
लज्जा —अनुचित काम करने पर मुँह छिपाना

संकोच —किसी काम को करने में हिचक
व्रीड़ा —स्वाभाविक लज्जा
तट —नदी, तालाब या समुद्र के निकट की जमीन
पुलिन —नदी आदि के तीर की भीगी हुई जमीन
तीर —जलाशय के जल को स्पर्श करने वाली जमीन
सैकत —किनारे की बालू वाली जमीन
त्रुटि —कमी का भाव
दोष —उचित-अनुचित का भाव
भूल —सभी प्रकार की गलतियाँ
अशुद्धि —भाषा सम्बन्धी भूल
प्रेम —समान आयु वालों की स्वाभाविक प्रीति
स्नेह —अपने से छोटों के प्रति प्रेमभाव
प्रणय —दाम्पत्य प्रेम (पति-पत्नी) के अर्थ मे
श्रद्धा —बड़ों के प्रति विश्वासपूर्ण प्रेम
भक्ति —देवता, ईश्वर या गुरुजनों के प्रति प्रेम
वात्सल्य —माता-पिता का सन्तान के प्रति प्रेम
प्रार्थना —श्रद्धेय एवं पूज्य व्यक्तियों के प्रति की जाती है।
अनुरोध —बहुधा बराबर वालों या साधारण व्यक्तियो से किया जाता है।
निवेदन —दूसरों के सामने नम्रता से विचार रखना
आवेदन —प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना या दरख्वास्त प्रस्तुत करना।
प्रलाप —व्यर्थ की बातें करना
विलाप —दुःख मे रोना
पत्नी —विवाहिता स्त्री (किसी पुरुष की अपनी)
स्त्री —स्त्री-जाति का बोधक शब्द
महिला —कुलीन घरों की स्त्री
पूजा —मानसिक और बाह्य दोनों प्रकार की
अर्चना —केवल बाह्य क्रिया (धूप-दीप द्वारा सत्कार)
उपासना —किसी की निकटता की अनुभूति के लिए किया हुआ काम
आराधना —देवता से दया-याचना
बाला —सोलह वर्ष की लड़की
किशोरी —दस से पन्द्रह वर्ष की लड़की

कन्या —दस साल की कुमारी
मित्र —वह व्यक्ति जिससे अपनापन हो
बन्धु —जो वियोग न सह सके
सखा —दो शरीर एक प्राण
सुहृद —उपकार का बदला न चाहने वाला मित्र
सेवा —रोगी या संकट-ग्रस्त की सहायता
सुश्रूषा —रोगी या दुखी की टहल-चाकरी
सन्तोष —जो वस्तु मिल जाय उसी को अधिक मान लेना
तृप्ति —जब इच्छा पूरी हो जाय
सन्धि —किसी राष्ट्र से सैनिक या राजनीतिक मेल
मेल —किसी व्यक्ति के साथ मेल या दोस्ती
स्वतन्त्रता —नियम तथा अनुशासन के साथ काम करने की आजादी
स्वच्छन्दता —नियम-रहित स्वतन्त्रता
उच्छृङ्खलता —उद्दण्डता के साथ मनमाना व्यवहार
मौन —बोलने की इच्छा नहीं रखना
मूक —जो बोल ही न सके
राजा —जो किसी देश विशेष का अधिकारी हो
सम्राट —राजाओं का राजा
विद्रोह —किसी शासन के विरुद्ध कार्य
क्रांति —जनसाधारण द्वारा शासन को उलटने का अचानक प्रयत
प्रसिद्धि —सामान्यतः मशहूर होना
ख्याति —विशेष रूप से मशहूर होना
व्याख्यान —मौखिक भाषण
अभिभाषण —लिखित भाषण
भ्रम —मिथ्याज्ञान
सदेह —ऐसा ज्ञान जिसमें अनिश्चय हो
लड़का —बालक या पुत्र किसी भी अर्थ में प्रयुक्त सामान्य शब्
बालक —कोई भी लड़का
पुत्र —बेटा, माँ-बाप आदि के प्रसंग में प्रयुक्त
श्रम —केवल शारीरिक
परिश्रम —शारीरिक तथा मानसिक दोनों
—जिसमें दोनों पक्ष सक्रिय हो
—केवल एक पक्ष सक्रिय हो।
सहायता

अनार्थक शब्द :

किसी वस्तु के छोटे रूप का बोध जिन शब्दो से होता है, वे अनार्थक शब्द होते हैं। यथा:—

मुख्य संज्ञा शब्द	अनार्थक रूप	मुख्य संज्ञा शब्द	अनार्थक रूप
ढकना	ढकनी	गट्ठर	गठरी
नद	नदी	खाट	खटिया
पहाड़	पहाड़ी	चिमटा	चिमटी
पिटारा	पिटारी	कण	किनकी
रस्सा	रस्सी	डफ	डफली
ढोलक	ढोलकी	बाग	बगिया
धुरा	धुरी	घर	घरौंदा
मटका	मटकी	नाला	नाली
टोप	टोपी	ताल	तलैया
डिब्बा	डिबिया	कुटी	कुटिया
हथौड़ा	हथौड़ी	पंख	पखुड़ी
झण्डा	झण्डी	गोला	गोली
गागर	गगरी	डोला	डाली
घंटा	घंटी	तसला	तसली
कलसा	कलसी	सोढ़ा	सोढ़ी

शब्दों के तत्सम एवं तद्भव रूप :

तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम
कुटुम	कुटुम्ब	बृच्छ	वृक्ष
सनेह	स्नेह	किरपा	कृपा
अस्तुति	स्तुति	आसा	आशा
जुगुति	युक्ति	परिछा	परीक्षा
दूहा	दोहा	कारड	कार्ड
कागद	कागज	जतन	यत्न
हरस	हर्ष	कसतूरी	कस्तूरी
सतकार	सत्कार	अवनी	अवनि
सक्कर	शक्कर	करूप	कुरूप
परकत	प्रकृति	औगुन	अवगुण
प्रन	प्रण	वसत	वस्तु

तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम
हरषित	हर्षित	पसु	पशु
माटी	मिट्टी	पंछी	पक्षी
सपना	स्वप्न	भंवरा	भ्रमर
छन	क्षण	सगुन	शकुन
बन	वन	दुध	दूध, दुग्ध
जतन	यत्न	देस	देश
नहाक	नाहक	कुसल	कुशल
गनक	गणिक	मगन	मग्न
जसोदा	यशोदा	कान्ह	कृष्ण
लखन	लक्ष्मण	उतरू	उतरना
गुसाईं	गोसाईं	रोसु	रोष
प्रिथीपाल	पृथ्वीपाल	असवार	सवार
थारो	तेरा	असमान	आसमान
जस	यश	बिसाल	विशाल
हिए	हृदय	स्याम	श्याम
निसंक	निशंक	डार	डाल
हाँसी	हँसी	गुन	गुण
निठुर	निष्ठुर	मृगु	मृग
मलान	म्लान	बिनु	बिना
संगत	संगति	तयार	तैयार
सुमिरन	स्मरण	आसा	आशा
निरमल	निर्मल	अंजन	इंजिन

अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द :

भाषा में प्रायः ऐसे शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, जो अनेक शब्दों के स्थान पर अकेले ही प्रयुक्त हो सकें। इनसे रचना में कसावट आ जाती है। यथा—अध्यापक ने लड़कों को राजनीति से सम्बन्ध रखने वाली बातें समझाता हूँ। इस वाक्य के स्थान पर अध्यापक ने लड़कों को राजनैतिक बातें समझाता हूँ, यहाँ वाक्य घक गठा हुआ है। इस प्रकार के शब्दों की रचना उपसर्ग प्रत्यय तथा समास की सहायता से की जाती है। जैसे—जिसके पास धन न हो वह निर्धन होता जो स्थान देखने योग्य होता है वह दर्शनीय कहलाता है मांस का आहार

करने वाला व्यक्ति मांसाहारी कहलाता है। नीचे कुछ ऐसे ही शब्द दिए जा रहे हैं:—

अनुकरण करने योग्य = अनुकरणीय
अपने आप अपनी हत्या करने वाला = आत्महंता
ईश्वर में विश्वास करने वाला = आस्तिक
ईश्वर में विश्वास न करने वाला = नास्तिक
काम से जी चुराने वाला = कामचोर
दूर तक देखने (सोचने) वाला = दूरदर्शी
जहाँ या जिस पर जाना कठिन हो = दुर्गम
जानने की इच्छा रखने वाला = जिज्ञासु
जिस पर विश्वास किया जा सके = विश्वसनीय
जिस पर विश्वास न किया जा सके = अविश्वसनीय
जिसका भाग्य अच्छा न हो = अभागा
जिसका आदि न हो = अनादि
जिसका अन्त न हो = अनंत
जिसका निवारण न हो सके = अनिवार्य
जिसका वर्णन न किया जा सके = अवर्णनीय
जिसका आचरण अच्छा हो = सदाचारी
जिसका कोई नाम न हो = अनाम
जिसका मूल्य बहुत अधिक हो = मूल्यवान, अमूल्य
जिसकी उपमा किसी से न दी जा सके = अनुपम
जिसकी बराबरी कोई न कर सके = अद्वितीय
जिसके पास धन न हो = निर्धन
जिसके माँ-बाप न हों = अनाथ
जिसने अपना ऋण उतार दिया हो = उऋण
जिसमें दया न हो = निर्दय
जिसमें रस न हो = नीरस
जिसमें रस हो = सरस
जिसके कोई सन्तान न हो = निःसंतान
जैसा पहले कभी न हुआ हो = अभूतपूर्व, अपूर्व
जो अपने प्रति किए गए उपकार को माने = कृतज्ञ
जो अपने प्रति किए गए उपकार को न माने = कृतघ्न
जो एक-दूसरे पर आश्रित हो = अन्योन्याश्रित

तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम
हरषित	हर्षित	पसु	पशु
माटी	मिट्टी	पंछी	पक्षी
सपना	स्वप्न	भंवरा	भ्रमर
छन	क्षण	सगुन	शकुन
बन	वन	दुध	दूध, दुग्ध
जतन	यत्न	देस	देश
नहाक	नाहक	कुसल	कुशल
गनक	गणिक	मगन	मग्न
जसोदा	यशोदा	कान्ह	कृष्ण
लखन	लक्ष्मण	उतरू	उतरना
गुसाईं	गोसाईं	रोसु	रोष
प्रिथीपाल	पृथ्वीपाल	असवार	सवार
थारो	तेरा	असमान	आसमान
जस	यश	बिसाल	विशाल
हिए	हृदय	स्याम	श्याम
निसंक	निशंक	डार	डाल
हाँसी	हँसी	गुन	गुण
निठुर	निष्ठुर	मृगु	मृग
मलान	म्लान	बिनु	बिना
संगत	संगति	तयार	तैयार
सुमिरन	स्मरण	आसा	आ[illegible]
निरमल	निर्मल	अंजन	ई[illegible]

अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द :

भाषा में प्राय: ऐसे शब्दों की आवश्यकता पड़ती है
स्थान पर अकेले ही प्रयुक्त हो सकें। इनसे रचना में कसावट
अध्यापक ने लड़कों को राजनीति से सम्बन्ध रखने वाली
वाक्य के स्थान पर अध्यापक ने लड़कों को राजनैतिक बातें
गठा हुआ है। इस प्रकार के शब्दों की रचना
की सहायता से की जाती है। जैसे—जिसके पास
जो स्थान देखने योग्य होता है वह दर्शनीय

कुपथ	सुपथ	शीत	उष्ण
कुलीन	अकुलीन	क्षय	अक्षय
योगी	भोगी	शाकाहारी	मांसाहारी
संयोग	वियोग	संकल्प	विकल्प
जन्म	मृत्यु	दुर्लभ	सुलभ
सपूत	कपूत	दिन	रात
आदर	अनादर, निरादर	जय	पराजय
एक	अनेक	सजीव	निर्जीव
प्रेम	घृणा	मानवीय	अमानवीय
लौकिक	अलौकिक	सभ्यता	असभ्यता
शील	अशील	विनीत	उदण्ड
वीर	कायर	स्वर्ग	नरक
नश्वर	अनश्वर	हित	अहित
भलाई	बुराई	स्पष्ट	अस्पष्ट
सरस	नीरस	हर्ष	खेद
निर्माण	विध्वंस	विशेष	सामान्य
व्यवस्था	अव्यवस्था	व्यवहार	अव्यवहार
कृष्ण	श्वेत	वक्ता	मूक
विरोध	समर्थन	सद्गति	दुर्गति
निश्चित	अनिश्चित	निर्णीत	अनिर्णीत
भूत	भविष्यत्	रुचिकर	अरुचिकर
सरल	कठिन	लघु	दीर्घ
औपचारिक	अनौपचारिक	कटु	मिष्ट
हास्य	रुदन	विद्वान	मूर्ख
बाहर	भीतर	शत्रु	मित्र
सधवा	विधवा	सबल	निर्बल
मूल्य	अमूल्य, निर्मूल्य	उदार	कृपण
दाता	याचक	भक्ष्य	अभक्ष्य
प्रेम	घृणा	प्रगति	अवगति
उन्नति	अवनति	जीवन	मरण
विनाश	निर्माण	दुष्ट	सज्जन
उलझन	सुलझन	अल्प	बहु
स्वस्थ	अस्वस्थ	समीपस्थ	दूरस्थ

जो कभी न मरे = अमर
जो कुछ न करे = अकर्मण्य
जो कोई काम न कर रहा हो = बेकार
जो जल्दी न मिले = दुर्लभ
जो किसी का भी पक्ष न ले = निष्पक्ष
जो नियमों के विरुद्ध हो = अपवाद
जो क्षमा न किया जा सके = अक्षम्य
जो क्षमा किया जा सके = क्षम्य
जो पहले रह चुका हो = भूतपूर्व
जो पढ़ा न जा सके = अपठ्य
जो पढ़ा-लिखा न हो = अनपढ़
जो मानने योग्य हो = मान्य
जो राजनीति जाने = राजनीतिज्ञ
जो सहन न कर सके = असहिष्णु
मास में एक बार होने वाला = मासिक
प्रत्येक काम में देर करने वाला = दीर्घसूत्री
बिना वेतन का = अवैतनिक
व्याकरण जानने वाला या लिखने वाला = वैयाकरण
सब-कुछ जानने वाला = सर्वज्ञ
सहन न कर सकने योग्य = असह्य

विलोम या विपरीतार्थक शब्द :

सदाचार	दुराचार, अनाचार	आदान	प्रदान
पुरुष	स्त्री	आयात	निर्यात
भय	अभय, निर्भय	भद्र	अभद्र, अशिष्ट
हिंसक	अहिंसक	दास	स्वामी
कुख्यात	प्रख्यात	यश	अपयश
सुन्दर	कुरूप	ज्ञानी	मूर्ख
पूर्ण	अपूर्ण	निर्गुण	सगुण
शांत	अशांत	सुर	असुर
साक्षर	निरक्षर, अपढ़	धनवान	गरीब
धर्म	पाप	पुरातन	नवीन
जड़	चेतन	अपकार	उपकार

कुपथ	सुपथ	शीत	उष्ण
कुलीन	अकुलीन	क्षय	अक्षय
योगी	भोगी	शाकाहारी	मांसाहारी
संयोग	वियोग	संकल्प	विकल्प
जन्म	मृत्यु	दुर्लभ	सुलभ
सपूत	कपूत	दिन	रात
आदर	अनादर, निरादर	जय	पराजय
एक	अनेक	सजीव	निर्जीव
प्रेम	घृणा	मानवीय	अमानवीय
लौकिक	अलौकिक	सभ्यता	असभ्यता
शील	अशील	विनीत	उदण्ड
वीर	कायर	स्वर्ग	नरक
नश्वर	अनश्वर	हित	अहित
भलाई	बुराई	स्पष्ट	अस्पष्ट
सरस	नीरस	हर्ष	खेद
निर्माण	विध्वंस	विशेष	सामान्य
व्यवस्था	अव्यवस्था	व्यवहार	अव्यवहार
कृष्ण	श्वेत	वक्ता	मूक
विरोध	समर्थन	सद्गति	दुर्गति
निश्चित	अनिश्चित	निर्णीत	अनिर्णीत
भूत	भविष्यत्	रुचिकर	अरुचिकर
सरल	कठिन	लघु	दीर्घ
औपचारिक	अनौपचारिक	कटु	मिष्ट
हास्य	रुदन	विद्वान	मूर्ख
बाहर	भीतर	शत्रु	मित्र
सधवा	विधवा	सबल	निर्बल
मूल्य	अमूल्य, निर्मूल्य	उदार	कृपण
दाता	याचक	भक्ष्य	अभक्ष्य
प्रेम	घृणा	प्रगति	अवगति
उन्नति	अवनति	जीवन	मरण
विनाश	निर्माण	दुष्ट	सज्जन
उलझन	सुलझन	अल्प	बहु
स्वस्थ	अस्वस्थ	समीपस्थ	दूरस्थ

स्थूल	कृश	मोटा	दुबला
प्रातः	सायं	लाभ	हानि
लालची	संतोषी	शक्त	अशक्त
भीरु	निर्भीक	कठिन	सरल
सीमित	असीमित	स्वाभाविक	अस्वाभाविक
आस्तिक	नास्तिक	ऊँचा	नीचा
हार	जीत	दुर्जन	सज्जन
भिज्ञ	अनभिज्ञ	भिन्न	अभिन्न
आरम्भ	अन्त	नीति	अनीति
अनाथ	सनाथ	वैर	प्रीति
अनुकूल	प्रतिकूल	सुगन्ध	दुर्गन्ध
आकाश	पाताल	बलवान	निर्बल
उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	प्रकाश	अन्धकार
प्रकाश	अन्धकार	निकट	दूर
शुभ	अशुभ	मृत	जीवित
जन्म	मरण	त्याज्य	ग्राह्य

अभ्यास के प्रश्न

1. रचना के आधार पर हिंदी शब्दों के कौन-कौन से भेद होंगे ?
2. इतिहास के आधार पर हिंदी शब्द के जो भी भेद हों, उन्हें लिखिये।
3. पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं ?
4. निम्नांकित शब्दों में से प्रत्येक के कम से कम तीन पर्यायवाची शब्द लिखियेः—

   आनन्द, कोमल, क्रोध, गणेश, उन्नति इच्छा, अरण्य, झण्डा, तालाब, घोड़ा, द्रव्य, देवता, नौका, नरक, पवित्र, पहाड़, मूर्ख, मेघ, युद्ध, सुन्दर।
5. निम्नांकित शब्द-युग्मों मे अर्थ की दृष्टि से जो भी अन्तर हो, उसे स्पष्ट कीजिए :—

   अनिवार्य-आवश्यक, अस्त्र-शस्त्र, अज्ञान-अनभिज्ञ, मान-मद, अनुभव-अनुभूति, आदि-व्याधि, अभिज्ञ-विज्ञ, प्रेम-स्नेह, श्रद्धा-भक्ति, लज्जा-व्रीड़ा,

मित्र-सखा, सन्धि-मेल, मौन-मूक, पूजा-अर्चना, पत्नी-स्त्री, तृप्ति-संतोष, श्रम-परिश्रम, सहयोग-सहायता।

6. निम्नांकित शब्दों के तत्सम रूप लिखिये :—
हरषित, भारी, सपना, जसोदा, लखन, हाँसी, जस, विसाल, गुन, सुमिरन, मगन, निठुर, बिनु।

7. निम्नांकित शब्दों के विपरीतार्थक या विलोम शब्द लिखिये :—
योगी, पुरातन, दुर्लभ, सजीव, सभ्यता, स्वर्ग, हर्ष, वक्ता, नश्वर, उन्नति, स्थूल, दुर्जन, जीवन, वैर, सुगन्ध, त्याज्य।

8. तद्भव और तत्सम में क्या अन्तर है ?

9. असहिष्णु, दीर्घसूत्री, अक्षम्य एवं अन्योन्याश्रित का अर्थ बताइये और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए।

10. निम्नांकित के लिए एक शब्द बतलाइये।—
(क) जो इस लोक का न हो (ख) जिसको सभी लोग मानें
(ग) जो देखने योग्य हो (घ) जो निन्दा करे
(च) जिसे कहा न जा सके (छ) जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो।

19 हिन्दी उपसर्ग और प्रत्यय

विचारणीय बिन्दु :

1. प्रत्ययों के भेद--व्युत्पादक प्रत्यय-उपसर्ग। उपसर्ग के स्रोत। अर्थगत एवं रूपगत प्रभाव। हिन्दी में उपसर्गों की स्थिति। हिन्दी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग। पीछे लगने वाले प्रत्यय। हिन्दी में प्रत्यय की स्थिति। प्रत्ययों की प्रकृति। प्रत्ययों का प्रयोग।

उपसर्ग-स्रोत, अर्थगत तथा रूपगत प्रभाव :

हिन्दी में शब्द चार तरह से बनाये जाते हैं--सन्धि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा। सन्धि और समास पर पहले विचार किया जा चुका है। अब उपसर्ग और प्रत्यय पर विचार किया जा रहा है।

परिभाषा :

शब्दों के वे आबद्ध अंश जिनमें स्वतन्त्र अस्तित्वद्योतक कोई अर्थ नहीं होता तथा जो भी प्रातिपदिक के आश्रय से--उसके पूर्व आकर, अर्थवान् होते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं।

उपसर्ग शब्द में भी यही अर्थ निहित है--सृष्टि (रचना) से पूर्व। प्रत्ययांशों की भाँति, उपसर्गांशों के सम्बन्ध में निम्नांकित बातें द्रष्टव्य हैं--

1. ये आबद्ध अंश होते हैं
2. स्वतन्त्र रूप में इनका कोई अर्थ नहीं होता
3. स्वतन्त्र दशा में ये वाक्य प्रयुक्ति के योग्य नहीं होते
4. प्रकृति (प्रातिपदिक) के पूर्ववर्ती होते हैं--
   (1) उसे नया अर्थ देते हैं।
   (2) उसे नया रूप देते हैं।

इस विश्लेषण की सार्थकता देखें—अचल, अगम, उभर, उपड़। अचल शब्द है इसमें 'अ' उपसर्ग अंश है और 'चल' प्रातिपदिक है। 'अ' के स्वतन्त्र अस्तित्व के रूप में कोई अर्थ नहीं है। यह वाक्य मे स्वतन्त्र पद-रूप में नही आता है। 'चल' के पूर्व आकर आबद्ध होता है फिर अभाव-सूचक अर्थ देता है। धातु को विशेषण रूप बना देता है।

ध्यातव्य : भर, बिन, ना, कम, खुश, बद, आदि जो वाक्य में स्वतन्त्र प्रयुक्ति की क्षमता रखते हैं, उपसर्ग नही माने जा सकते हैं। उनका अन्य प्रातिपदिकों के साथ समास होता है—

अध-जल, भर-पेट, प्रति-दिन, बिन-जाने, हर-समय, ना-काफी, ऐन-वक्त, खुश-हाल, बद-नसीब आदि।

हिन्दी में उपसर्गों की स्थिति :

जैसे प्रत्यय शब्द स्रोत से अनुकूलता रखते हैं वैसे ही उपसर्ग भी हिन्दी में तीन स्रोतों से आये हैं तथा अपने स्रोत के शब्द रूप के साथ ही सामान्यतया आते हैं—

1. संस्कृत स्रोत : इनकी संख्या सर्वाधिक है। ये संस्कृत शब्दों के साथ व्युत्पन्न रूप में ही गृहीत होते हैं। परिनिष्ठित हिन्दी में संस्कृत तद्रूपों की बहुलता रहती है। उनमें संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत की पद्धति पर लगे लगाये, हिन्दी में ग्रहण किये जा कर चल रहे हैं। सामान्यतः हिन्दी में उपसर्गों की पृथक रूप से स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, न ही वे हिन्दी के अपने रूपों के साथ आबद्ध होते हैं। ऐसे उपसर्ग हैं— अति, अनु, अ, अन, अन्तः, अप, अभि, वि (हीनता, श्रेष्ठता), आ, उत, उप, न, दुर, दुः, दुस, नि (अभाव, विशेषता), निः, निर, निस, परा, परि, पुरा, प्र, प्रति, स, सत्, सम, सह, सु, अधि, अव, नत, कु।

संस्कृत के इन उपसर्गों की गिनती कर सकना कठिन है। हिन्दी में परिनिष्ठितता का आगमन होने से संस्कृत उपसर्गों की संख्या मे निरन्तर वृद्धि हो रही है फिर भी संस्कृत के उपसर्ग और उनके तद्रूप शब्दों की उपसर्ग बहुलता हिन्दी की अपनी प्रकृति नहीं है।

हिन्दी उपसर्गों की बहुलता वाली भाषा नहीं है। हिन्दी के अपने उपसर्ग भी न के बरावर हैं। व्याकरण में जिन्हें उपसर्गों के नाम पर गिनाया गया है, वे अव्यय हैं। उनका स्वतन्त्र प्रयोग तथा अर्थ भी है। अधर, भर, बिन—ये उपसर्ग

नहीं है। हिन्दी ने संस्कृत के प्रचलित उपसर्गों में से कुछ को तद्भव करके ग्रहण कर लिया है और अपने शब्दों में वह उनका प्रयोग करती है।

हिन्दी उपसर्ग :

हिन्दी में उपसर्गों की संख्या अब तक की खोज के अनुसार केवल १२ है। यथा--अ, उ, उन, दु, नि, अन, औ, कु, पर, स, सु, क।

विदेशी उपसर्ग :

विदेशी उपसर्ग विदेशी स्रोतों से विदेशी शब्दों के साथ आये हैं, यथा--

फिल, ब, वे बहर, वर, बा, ला, हम, ऐन, कम, खुश, गैर, दर, ना, बद, बिला, हर, सब। उदाहरण--फिलहाल, बेबुनियाद, बेईमान, बहरहाल, बरबाद, बाकायदा, लाजवाब, हमदम, ऐनवक्त, कमजोर, खुशबू, गैरहाजिर, दरअसल, नालायक, बदकिस्मत, बिलानागा, हरदम, सब-डिप्टी, सब-जज, सब-कमेटी।

पीछे लगने वाले प्रत्यय :

शब्दों के वे आबद्ध अंश जिनमें स्वतन्त्र अस्तित्व-द्योतक कोई अर्थ नहीं होता और जिनमें स्वतन्त्रतया प्रयुक्त (वाक्य में) होने की क्षमता नहीं होती तथा जो प्रकृति के आश्रय से--उनके पश्चात् आकर, अर्थवान् होते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं।

1. प्रत्यय आबद्ध अंश होते हैं।
2. स्वतन्त्र रूप में उनका कोई अर्थ नहीं होता।
3. स्वतन्त्र रूप में ये वाक्य-प्रयुक्ति के योग्य नहीं होते।
4. प्रकृति से पश्चवर्त्ती होते हैं।
5. प्रकृति के साथ आकर ही अर्थवान् होते हैं--
   (अ) प्रकृति में लगकर उसे नया अर्थ देते हैं।
   (ब) उसे नया पद-रूप देते हैं।

उदाहरण : 'बात' प्रकृति-अंश। 'अंगड़' प्रत्यय-अंश, इसका स्वतन्त्रतया कोई अर्थ नहीं। जब बात के साथ आबद्ध होता है तब आधिक्य अर्थ देता है। बात स्त्री वाचक है, अंगड़ उसे पुंवाचक कर देता है। 'बतंगड़' हो गया।

हिन्दी में प्रत्यय की स्थिति :

हिन्दी प्रत्यय बहुल भाषा है। शब्द रचना, काल-रचना, सबमें प्रत्ययों का ... एवं व्याकरणिक महत्त्व है। मूल प्रकृति में प्रत्यय लगाकर आगे से आगे शब्द, नये पद, नये रूप, नये अर्थ बनाते चले जाइये--

प्रत्यय रूप विस्तार और अर्थ विस्तार के प्रबलतम साधन हैं ।

धातु—वच्—वाचा—वाचल—वाचालता ।

प्रत्यय—आ (विभक्ति) आल ता

संज्ञा	प्रत्यय—1	प्रत्यय—2	प्रत्यय—३
	आ (विभक्ति)	आल	ता
संज्ञा	प्रत्यय—1	प्रत्यय—2	
समझ	दार	ई	
धातु	प्रत्यय—1	प्रत्यय—2	
घुम	आव	दार	घुम, घुमाव, घुमावदार

कभी एक प्रत्यय से, कभी दो, कभी तीन और कभी चार प्रत्ययों से शब्द व्युत्पन्न होते हैं । अधिकतर संख्या एक तथा दो प्रत्यय-युक्त शब्दों की है । इन शब्दों में प्रत्यय-क्रम देखें—

1. कुपित (कुप—इत), प्रसारित—प्रसार—इत, प्रक्षेपण (प्रक्षेपन), कथनी (कथन—ई), क्रियात्मक—क्रिया—आत्मक, आत्मिक—आत्मा—इक ।

2. तेजस्विता (तेजस—वी—इता), शिथिलता (श्लथ—इल—इता), गोपनीयता (गोपन—इय—ता), कमीनपन (कम—ईन—पन), सराहनीय (सराह—ना—इय), होनहार (हो—ना—हार), संपेरिन (साप—एरा—इन), गुंजार (गुं—ज—आर), दुहरान (दो—हरा—आन), बनावटीपन (बन—आ—वट—ई—पन) ।

प्रत्ययों का मूल शब्द (प्रातिपदिक) में योग होता है। इस योग में वर्ण सन्धि होती है। प्रत्येक भाषा में इसका अपना-अपना ढंग है। हिन्दी में प्रकृतियाँ स्वरान्त होती हैं। जब कभी व्यंजनाद्य प्रत्यय आते हैं तब प्रकृति मेल हो जाता है—बनावटी, पन। किन्तु जब विषय स्वरार्ध प्रत्यय आते हैं तब प्रकृति का अंतिम स्वर लुप्त होकर वर्ण सन्धि हो जाती है—

लड़का ई - लड़क्/आ/ई लड़क्-ई=लड़की, काम-एरा=कमेरा-कम् अ/ऐरा=कम्-एरा-कमेरा। इसी प्रकार—

(1) साँप-एरा=सप्-एरा=सपेरा आँ, व, अ का लोप हो जाता है।
(2) सपेरा-इन=सपेर-इन=सपेरिन आ का लोप।
(3) गुंज-आर=गुंज्-आर=गुंजार (ऊं को उं हुआ)।
(4) तेजस्विता-तेज-स्व्-इता=तेजस्विता (ई का लोप)
(5) आत्मा-इक=आत्म्-इक=आत्मिक (आ का लोप)
(6) समाज-इक=सामाज-इक=सामाजिक (अ का लोप आरम्भ में आ का आगम हुआ)

प्रत्ययों की प्रकृति की पहिचान :

स्वराद्य प्रत्यय के योग से पूर्व, प्रकृति अन्त्य स्वर लुप्त हो जाता है।

कुछ प्रत्यय प्रकृति में वृद्धि करते हुए आते हैं—

इनमें इक प्रत्यय जबरदस्त है—आधुनिक (अधुना), आनुषंगिक (अनुषग), आन्तरिक (अन्तर), ऐतिहासिक (इतिहास), लौकिक (लोक), नैतिक (नीति), साम्प्रदायिक (सम्प्रदाय), यांत्रिक (यन्त्र), ऐहिक (इह), दैहिक (देह)।

य प्रत्यय का भी यही स्वभाव है :

ऐश्वर्य (ईश्वर), दैन्य (दीन), सौन्दर्य (सुन्दर), चातुर्य (चतुर), लावण्य (लवण), माधुर्य (मधुर), वाणिज्य (वणिज), साम्य (सम), पार्वत्य (पर्वत)।

कुछ प्रत्यय प्रकृति में ह्रास करते हुए आते हैं :

औती —बपौती-बाप, ऐया प्रत्यय, कन्हैया (कान्हा), भैया (भाई)-
का —बुंद का (बूंद), झुमका (झूम)
इया —खटिया (खाट), लुटिया (लोटा)
औड़ा —हथौड़ा (हाथ)
औही —बरोही (बार)
एल —नकेल (नाक), फुलेल (फूल); खपरैल (खपरा)
ड़ी —दमड़ी (दाम), पगड़ी (पाग), चमड़ी (चाम)

साधारणतः स्त्री वाचक प्रत्यय प्रकृति के रूप में ह्रास लाते हैं—

कुछ प्रत्यय प्रकृति के साथ ग्राबद्ध हो जाते हैं और उनसे प्रकृति में कोई अन्तर नहीं आता है; उसकी वर्तनी यथावत् रहती है।

सतीत्व (सती), उदीयमान (उदीय), विराजमान (विराज), नाट्यकार (नाट्य), दिलचस्प (दिल), जमीदार (जमीन)।

कुछ प्रत्यय संधि के सामान्य नियमों के अनुसार ग्राबद्ध होते हैं—

कालान्तर (काल), छिपाव (छिप), बचाव (बच), धड़का (धड़), आलोचनात्मक (आलोचना), उतराई (उतर), बहुतायत (बहुत)।

इन प्रयोगों को भी देखें—

1. बुद्धि/मान	2. समझदार
वर्द्ध/मान	बढ़ोत्तरी
न्यून/ता	कमी, कमाई
स्निग्ध/ता	चिकन/ग्राई
तीक्ष्ण/ता	तीखा/पन
बन्ध/इत = बन्धित	बन्द/इश

ऊपर के उदाहरणों में संख्या-1 के प्रत्ययों को संख्या-2 की प्रकृति के साथ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसका कारण है—

जिस स्रोत से प्रकृति अंश आते हैं उन्ही स्रोतों से प्रत्यय अंश भी आते हैं। हिन्दी में संस्कृत, अरबी, फारसी या अन्य स्रोतो से शब्द आये है तो उनके साथ प्रत्यय भी आये हैं।

तत्सम प्रकृति के साथ सामान्यतः तद्भव प्रत्यांश नही जुड़ते हैं। यथा—भावुकपन।

संस्कृत और हिन्दी शब्दावली में कभी-कभी परांश खप जाते है—बुद्धिमान, बुद्धिवाला, हितेच्छु, हितू, तुंदिल, तोंदुल, यजमान, चलायमान, शोभायमान।

इसी प्रकार हिन्दी-उर्दू के बीच भी कभी-कभी परांश आबद्ध हो जाते हैं—बरखुरदार, बेटेदार, चुनिन्दा, मानिन्दा, खाकसार, मिलनसार, घड़ीसाज, चालबाज।

संस्कृत तत्सम शब्दों के साथ मूल फारसी प्रत्ययांशों के योग के इक्के-दुक्के उदाहरण मिल सकते हैं—पंक्तिवार, क्रमवार राष्ट्रभाषा मे मिले-जुले परांशों की प्रकृति इन दिनों बढ़ती जा रही है। जैसे—फोटोग्राफीपना (बोली में), कुदरतपन, आपसदारी, खुशहालीपन, गवर्नरी, लैनवार, पैरेवार, ब्यौरेवार, चचाज़ाद, कक्षावार, स्कूलवार, व्यापाराना, शिष्ट एवं साहित्य सम्मत नीति यह है कि जिस जाति या स्रोत का प्रकृति अंश हो, उसी जाति का प्रत्यय अंश आबद्ध रहे।

प्रत्ययों का व्यवहार अर्थ प्रतिबंधित, रूप प्रतिबंधित एवं ध्वनि प्रतिबंधित भी होता है।

1. विशेष अर्थ की प्राप्ति के निमित्त एक प्रत्यय एक प्रकृति के साथ तो आता है, किन्तु उसी प्रकृति या उसके पर्याय रूप के साथ नहीं आ सकता—।

अक्ल/मन्द	ठीक	धन/वान	ठीक
अक्ल/दार	ठीक नहीं	धन/मान	ठीक नहीं
समझ/दार	ठीक	प्रेम/इल	ठीक
समझ/हार	ठीक नहीं	प्रिय/इल	ठीक नहीं
समझ/वान	ठीक नहीं	प्यार/इल	ठीक नहीं

एक प्रकृति में भिन्न-भिन्न प्रत्यय लग सकते हैं। कभी-कभी एक अर्थ के द्योतनार्थ भी एक प्रकृति में अलग-अलग प्रत्यय लगते हैं, किन्तु आगे उनके प्रस्तार में रूप प्रतिवेश लग जाता है—

(क) लज, इला (लजीला)

लज, आलु (लजालु) किन्तु आगे भाववाचक संज्ञार्थक 'पन' रूप प्रतिबंधित रहता है—लजीलापन।

दूध, एल (दुधैल); दूध, आरू (दुधारू; दोनों रूप ठीक हैं। किन्तु आगे—पन प्रत्यय रूप प्रतिबन्धित होता है—दुधारूपन।

बच्चा, ड़ा (बछड़ा)

बच्चा, एरा (बछेरा)

बच्चा, एरा, ऊ (बछेरू) तीनों रूप ठीक हैं। किन्तु आगे—पन प्रत्यय रूप प्रतिबन्धित होता है—बछेरपन (बछेरापन)।

ध्वनि प्रतिबंधित होने के कारण भी प्रत्ययों का व्यवहार सीमित हो जाता है—या आई प्रत्यय इनके साथ रूप प्रतिबंधित है—लड़कपन, लरिकाई।

पहना और पहरा—ये दोनों रूप ध्वन्यान्तर में है। आवा प्रत्यय दोनों में आबद्ध है (पहनावा-पहरावा) 'आनी' प्रत्यय ध्वनि प्रतिबंधित है। पहनानी, पहरानी या पहिरावनी (आवनी प्रत्यय) होता है।

प्रत्ययों का यौगिक विधान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाविशेषण प्रकृति तथा धातुओं के साथ होता है। इन्हें ही व्याकरण में क्रमशः तद्धित प्रत्यय और

कृदन्त प्रत्यय कहा गया है । इन प्रत्ययों के योग से अन्य प्रकार के प्रातिपदिक (या शब्द भेद) तथा धातु रूप (क्रिया-रूप) व्युत्पन्न होते हैं जैसे कि हम आरम्भ में देख चुके हैं । बनावटीपन, समझदारी, वाचालता, घुमावदार । अतः जो शब्द धातुओं के साथ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, उन्हें कृदन्त शब्द कहा जाता है । धातु के अतिरिक्त अन्य के साथ प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनाए जाते हैं, वे तद्धित शब्द कहलाते हैं ।

हिन्दी में 20 से अधिक प्रकार के ऐसे प्रत्यय योग विधान देखे जा सकते हैं ।

संज्ञा प्रातिपदिक से संज्ञा प्रातिपदिक बनाने वाले :

जवाब–जवाबदारी मिलन–मिलनसारिता

दस्त –दस्तकारी धमक –धमकी

कथन–ई–कथनी, गवर्नर–ई–गवर्नरी, कशीदा–कारी–कशीदाकारी, धड़–आका–धड़ाका, जीव–अट–जीवट, नाट्य–कार–नाट्यकार, बात–अंगड–बतगड़, सती–त्व–सतीत्व, कवि–त्व–कवित्व, राजा–त्व–राजत्व, लड़का–पन–लड़कपन, भंजन–हारा–भंजनहारा, बाप–औती–बपौती ।

संज्ञा प्रातिपदिक से विशेषण प्रातिपादिक बनाने वाले :

कर्मन् –य कर्मण्य
पथ –य पथ्य
घोप –इत घोपित
तृषा –इत तृषित
व्यथा –इत व्यथित
द्रोह –ई द्रोही
क्रिया –आत्मक क्रियात्मक (आलोचनात्मक, विवरणात्मक)
स्थान –ईय स्थानीय (दर्शनीय, जातीय, गोपनीय)
आत्मा–इक आत्मिक (लौकिक, सामाजिक, पारिवारिक)
चुगली –खोर चुगलखोर (आदमखोर)
हित –ऊ हितू (चालू)
ओजस् –वी ओजस्वी (तेजस्वी, यशस्वी, तपस्वी)
जमीन –दार जमींदार (जायकेदार, पहरेदार, शानदार, समझदार)
दिल –चस्प (रूप प्रतिबंधित)
खाक –सार खाकसार, मिलनसार
मल –इन मलीन, जीर्ण (जरा), सार्वजनीन (जन)
कांटा –ईला, आ कँटीला, महकीला, छबीला, पथरीला
कृपा –आलु कृपालु (श्रद्धालु, दयालु)

घन -वान धनवान (मूल्यवान)
सुहाग -इनी सुहागिनी (अपराधिनी, गृहणी)
रुह -आनी रुहानी
विश्वास-अनीय विश्वसनीय

संज्ञा प्रातिपादिक से नाम धातु (क्रिया प्रातिपदिक) बनाने वाले

दुख -आ दुःख (दुखता है, दुखा दिया)
गन्ध -आ गन्धा (गन्धा ने लगा)
हाथ -इया हथिया (धन हथिया)
बात -इया बतिया (लोग बतियाते हैं)

संज्ञा प्रातिपदिक से क्रियाविशेषण प्रातिपदिक बनाने वाले

आदत -आन आदतन (कुदरतन, जवाबन)
आगा -ए आगे (पीछे)
काल -अन्तर कालान्तर (रूपान्तर)
तरतीब-वार तरतीबवार (पैरेवार, ब्योरेवार, कक्षावार) ;

इसी प्रकार विश्लेषण करके देखने पर प्रत्ययों में कई यौगिक विध मिलेंगे।

कक्षा 6, 7 व 8 की हिन्दी पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त प्रत्ययों की सूची—

य (संस्कृत, विशेषण वाचक) कर्मण्य, गण्य, नव्य, भव्य, पथ्य, दिव्य, धन्य

ना (हिन्दी संज्ञार्थक) चलना, उठना, खाना, पीना, पिलाना

इत (संस्कृत, विशेषण वाचक) अगणित, आलिंगित, कार्यान्वित, कुपित, कुंचि घोषित, चिंतित, प्रफुल्लित, प्रसारित, रचित, ललि विचलित, सुगंधित, अर्पित, अवतरित, कल्पि तृषित, त्वरित, दलित, ध्वनित, पठित, पुलकि मुकलित, व्यथित, आयोजित, आलोकित, द्विगुणित मिश्रित

ई (संस्कृत-हिन्दी-उर्दू संज्ञार्थक, विशेषणात्मक) जवाबदारी, सवाही, गुस्ताखी, जोड़ी, फोटोग्राफ बन्दी, मिलनसारी, मीनाकारी, सलाई, उतरा चित्रकारी, झिड़की, दस्तकारी, धमकी, मजूर आबादी, इंजीनियरी, कथनी, करनी, खुशहाली पाणी, छलनी, छटनी, जननी, जवानी, तैराकी

	द्रोही, अनुवर्ती, जंगी, दम्भी, दुनाली, देही, नकली, मानी, मौजी, कुदरती, दरबारी, आपसी
आत्मक (संस्कृत, विशेषणार्थक)	अभिव्यंजनात्मक, आलोचनात्मक, गुणात्मक क्रियात्मक
ईय (संस्कृत, विशेषणार्थक)	अमानुषीय, आत्मीय, केन्द्रीय, गोपनीय, जातीय, स्थानीय, कार्तिकीय, स्वर्गीय, अशोभनीय, तटीय, दर्शनीय, शोचनीय
क (संस्कृत, विशेषार्थक)	आगन्तुक, लेखक, आलोचक, चालक, चिन्तक, पर्यटक, पातक, पूरक, याचक, रूपक, अराजक, घातक, दर्शक, नर्तक, वर्धक, अवरोधक, गणक, बंधक, वाचक, पाठक
इक (संस्कृत, विशेषणार्थक)	आत्मिक, आधुनिक, आनुषंगिक, आंतरिक, ऐतिहासिक, ऐहिक, दैविक, नाविक, पारमार्थिक, पारलौकिक, पौराणिक, सांकेतिक, सासारिक, औद्योगिक, दार्शनिक, नैतिक, पारस्परिक, पैतृक, प्रादेशिक, यांत्रिक, शारीरिक, साम्प्रदायिक, सास्कृतिक, साहित्यिक, स्वाभाविक, व्यावहारिक
ता (संस्कृत, सज्ञार्थक)	आत्मीयता, खिन्नता, गोपनीयता, घनिष्ठता, चुकता, निस्तब्धता, प्रगल्भता, प्रफुल्लता, लोलुपता, वाचालता, शिष्टता, सुगमता, अराजकता, आकुलता, उच्चाशयता, उग्रता, एकाग्रता, कुटिलता, जागरूकता, प्रभुता, भिन्नता, रम्यता, शिथिलता, शिशुता, अस्वस्थता, क्षमता, तत्परता, तेजस्विता, दृढ़ता, ममता, वक्तृता, व्यग्रता।
खोर (उर्दू विशेषणार्थक)	आदमखोर, चुगलखोर
इय (संस्कृत, सज्ञार्थक)	इन्द्रिय (इन्द्र)
इया (हिन्दी, विशेषणार्थक)	दिवालिया, खेवरिया
ऊ (हिन्दी, विशेषणार्थक)	हितू, चालू
उ (संस्कृत, विशेषणार्थक)	भिक्षु
उक (संस्कृत, विशेषणार्थक)	भिक्षुक
य (संस्कृत, संज्ञार्थक, विशेषणार्थक)	ऐश्वर्य, दैन्य, कौमार्य, सौन्दर्य, वाणिज्य, आधिपत्य, चातुर्य, महात्म्य, लावण्य, शौर्य, पार्वत्य

धन	–वान	धनवान (मूल्यवान)
सुहाग	–इनी	सुहागिनी (अपराधिनी, गृहणी)
रूह	–आनी	रूहानी
विश्वास	–अनीय	विश्वसनीय

संज्ञा प्रातिपादिक से नाम धातु (क्रिया प्रातिपदिक) बनाने वाले

दुख	–आ	दुःख (दुखता है, दुखा दिया)
गन्ध	–आ	गन्धा (गन्धा ने लगा)
हाथ	–इया	हथिया (धन हथिया)
बात	–इया	बतिया (लोग बतियाते हैं)

संज्ञा प्रातिपदिक से क्रियाविशेषण प्रातिपदिक बनाने वाले

आदत	–आन	आदतन (कुदरतन, जवाबन)
आगा	–ए	आगे (पीछे)
काल	–अन्तर	कालान्तर (रूपान्तर)
तरतीब	–वार	तरतीबवार (पैरेवार, ब्यौरेवार, कक्षावार)

इसी प्रकार विश्लेषण करके देखने पर प्रत्ययों में कई यौगिक विधान मिलेंगे।

कक्षा 6, 7 व 8 की हिन्दी पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त प्रत्ययों की सूची—

य (संस्कृत, विशेषण वाचक)	कर्मण्य, गण्य, नव्य, भव्य, पथ्य, दिव्य, धन्य
ना (हिन्दी संज्ञार्थक)	चलना, उठना, खाना, पीना, पिलाना
इत (संस्कृत, विशेषण वाचक)	अगणित, आलिंगित, कार्यान्वित, कुपित, कुंचित, घोषित, चिंतित, प्रफुल्लित, प्रसारित, रचित, ललित, विचलित, सुगंधित, अर्पित, अवतरित, कल्पित, तृषित, त्वरित, दलित, ध्वनित, पठित, पुलकित, मुकलित, व्यथित, आयोजित, आलोकित, द्विगुणित, मिश्रित
ई (संस्कृत-हिन्दी-उर्दू संज्ञार्थक, विशेषणात्मक)	जवाबदारी, तबाही, गुस्ताखी, जोड़ी, फोटोग्राफी, बन्दी, मिलनसारी, मीनाकारी, ललाई, उतराई, चित्रकारी, भिड़की, दस्तकारी, धमकी, मजूरी, आबादी, इंजीनियरी, कथनी, करनी, खुशहाली, घाणी, छलनी, छटनी, जननी, जवानी, तैराकी,

	द्रोही, अनुवर्ती, जंगी, दम्भी, दुनाली, देही, नकली, मानी, मौजी, कुदरती, दरबारी, आपसी
आत्मक (संस्कृत, विशेषणार्थक)	अभिव्यंजनात्मक, आलोचनात्मक, गुणात्मक क्रियात्मक
ईय (संस्कृत, विशेषणार्थक)	अमानुषीय, आत्मीय, केन्द्रीय, गोपनीय, जातीय, स्थानीय, कार्तिकीय, स्वर्गीय, अशोभनीय, तटीय, दर्शनीय, शोचनीय
क (संस्कृत, विशेषार्थक)	आगन्तुक, लेखक, आलोचक, चालक, चिन्तक, पर्यटक, पातक, पूरक, याचक, रूपक, अराजक, घातक, दर्शक, नर्तक, वर्धक, अवरोधक, गणक, बंधक, वाचक, पाठक
इक (संस्कृत, विशेषणार्थक)	आत्मिक, आधुनिक, आनुषंगिक, आंतरिक, ऐतिहासिक, ऐहिक, दैविक, नाविक, पारमार्थिक, पारलौकिक, पौराणिक, सांकेतिक, सांसारिक, औद्योगिक, दार्शनिक, नैतिक, पारस्परिक, पैतृक, प्रादेशिक, यांत्रिक, शारीरिक, साम्प्रदायिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, स्वाभाविक, व्यावहारिक
ता (संस्कृत, संज्ञार्थक)	आत्मीयता, खिन्नता, गोपनीयता, घनिष्ठता, चुकता, निस्तब्धता, प्रगल्भता, प्रफुल्लता, लोलुपता, वाचालता, शिष्टता, सुगमता, अराजकता, आकुलता, उच्चाशयता, उग्रता, एकाग्रता, कुटिलता, जागरूकता, प्रभुता, भिन्नता, रम्यता, शिथिलता, शिशुता, अस्वस्थता, क्षमता, तत्परता, तेजस्विता, दृढ़ता, ममता, वक्तृता, व्यग्रता।
खोर (उर्दू विशेषणार्थक)	आदमखोर, चुगलखोर
इय (संस्कृत, संज्ञार्थक)	इन्द्रिय (इन्द्र)
इया (हिन्दी, विशेषणार्थक)	दिवालिया, खेवरिया
ऊ (हिन्दी, विशेषणार्थक)	हितू, चालू
उ (संस्कृत, विशेषणार्थक)	भिक्षु
उक (संस्कृत, विशेषणार्थक)	भिक्षुक
य (संस्कृत, संज्ञार्थक, विशेषणार्थक)	ऐश्वर्य, दैन्य, कौमार्य, सौन्दर्य, वाणिज्य, आधिपत्य, चातुर्य, महात्म्य, लावण्य, शौर्य, पार्वत्य

स्त्री (संस्कृत, विशेषणार्थक) तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी
न (संस्कृत, हिन्दी, संज्ञार्थक) कतरन, कथन, चिंतन, दलन, लेन, देन, नर्तन, पीड़न
कारी (हिन्दी-फारसी, संज्ञार्थक) कशीदाकारी, पच्चीकारी, पिचकारी

अभ्यास के प्रश्न

1. उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा लिखते हुए उनका भेद स्पष्ट कीजिए।
2. निम्नांकित उपसर्गों में से प्रत्येक से कम से कम तीन शब्दों का निर्माण कीजिए—

   अ, कु, उ, दु, अन, औ, सु, स, क, उन, ना, बा, बहर, बर, फिल, बिला, सत्, दुर्, दुस्, नि, अधि, प्रति, पर, उप।

3. निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग, प्रकृति और प्रत्यय अलग-अलग छाँटकर अपनी उत्तर-पुस्तिका पर अंकित कीजिए—
   उप-प्रधान, ओढ़नी, पातक, सिलाई, लुटिया, दलाली, चौड़ाई, सुपरीक्षित, अभ्यार्थी, चौथी, पहाड़ी, पाटी, कोठरी, बाँसुरी, क्रोधी, मामी, मंजुल, ज्ञानवान्, बुद्धिमान, प्राचीनता, महत्व, पत्रकार, पंचक, बालक, लुहार, आढ़तिया, रसोइया, सँपेरा, मिठास, रंगत, मुटापा, गेहुआ, रुपहला, दूसरा, पाँचवाँ, छठा, तैसा, कहाँ, चौका, तिक्का, सरकारी, सपरैल, धुँधला, नापसन्द, बदकिस्मत, कम उम्र, गैरवाजिब, बिलानागा, बेरहम, विषाद, विकास, सुदूर, अछूत, निकम्मा, प्रतिक्षण, संहार।
4. कृदन्त और तद्धित का भेद सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
5. कक्षा 6 व 7 की पुस्तकों में से प्रत्येक से कम से कम 25 तद्धित और उपसर्ग वाले शब्द छाँटिए और उनके प्रकृति और प्रत्यय अलग-अलग कर अपनी उत्तर-पुस्तिका पर अंकित कीजिए।
6. हिन्दी में शब्द कितनी तरह बनाये जाते हैं ? प्रत्येक किस्म के तीन-तीन उदाहरण प्रस्तुत कीजिए।
7. प्रकृति में वृद्धि करते हुए आने वाले किन्हीं चार प्रत्ययों को अंकित कीजिए और उनमें से प्रत्येक के चार उदाहरण भी लिखिए।

20 हिंदी में सन्धि और समास

संधि :

'संधि' शब्द दो शब्दों (सम्+धि) के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है—मेल। यहाँ मेल का एक विशेष अर्थ है। न तो वाक्यों के मेल को और न शब्दों के मेल को ही सन्धि कहते हैं। अक्षरों का मेल भी संयोग कहलाता है। सन्धि दो अक्षरों का मेल तो होता है, परन्तु यह मेल विशेष अवस्था में होता है। जब दो अक्षर मिलकर तीसरे अक्षर मे बदल जाते हैं, तो उसी विकार (रूप-परिवर्तन) को सन्धि कहते है। संक्षेप में, सन्धि से तात्पर्य है दो अक्षरों के मेल से तीसरे अक्षर का बनना।

सन्धि और संयोग में यह फर्क है कि सन्धि की व्यवस्था में दो ध्वनियाँ मिल कर एक तीसरे रूप को ग्रहण कर लेती हैं, किंतु संयोग की अवस्था में उनमें कोई विकार नहीं होता। उदाहरण के लिए सत्+जन मिलकर सज्जन बनता है। यहाँ त्+ज् = ज्ज की संधि है, किंतु सत्पुरुष शब्द में त् और प की संधि नहीं होती, यहाँ दो व्यंजन ध्वनियों का केवल संयोग है।

सन्धि तीन प्रकार की होती है :—

(1) स्वर सन्धि (2) व्यंजन संधि (3) विसर्ग सन्धि

हिंदी लेखन में सन्धि का प्रयोग अधिकांशतः तत्सम शब्दों में ही होता है। तद्भव रूपों में इसके उदाहरण कम ही मिलते हैं, जैसे—

सब्+ही=सभी, यहाँ+ही=यहीं

स्वर-संधि :

दो स्वरों के मेल से जो विकार (रूप+परिवर्तन) होता है उसे 'स्वर-संधि' कहते हैं। इसके पाँच भेद हैं—(क) दीर्घ (ख) गुण (ग) वृद्धि (घ) यण और (च) अयादि।

(क) दीर्घ सन्धि : एक सवर्ण के परे दूसरा सवर्ण आये तो इससे जो विकार उत्पन्न हो, उसे दीर्घ सन्धि कहते हैं। दीर्घ का अर्थ होता है—भारी, मोटा-तगड़ा या फैला हुआ। 'दीर्घकाय' से अर्थ स्पष्ट हो जाता है।

	संधि	उपनियम
अ + अ = आ :		
राम + अवतार = रामावतार	अ + अ = आ	अ अथवा आ के परे अ अथवा आ आवे तो आ हो जाता है।
राम + आधार = रामाधार	अ + आ = आ	
विद्या + आलय = विद्यालय	आ + अ = आ	
माया + अधीन = मायाधीन	आ + आ = आ	
इ या ई :		
गिरि + इन्द्र = गिरीन्द्र	इ + इ = ई	इ या ई के परे इ या ई आवे तो ई हो जाता है।
गिरि + ईश = गिरीश	इ + ई = ई	
मही + इन्द्र = महीन्द्र	ई + इ = ई	
मही + ईश = महीश	ई + ई = ई	
उ या ऊ :		
भानु + उदय = भानूदय	उ + उ = ऊ	उ अथवा ऊ के परे उ अथवा ऊ आवे तो ऊ होता है।
लघु + ऊर्मि = लघूर्मि	उ + ऊ = ऊ	
वधू + उत्सव = वधूत्सव	ऊ + उ = ऊ	
भू + ऊर्ध्व = भूर्ध्व	ऊ + ऊ = ऊ	

(ख) गुण सन्धि : अ अथवा आ के पश्चात् इ या ई आवे तो दोनों मिलकर 'ए' हो जाते हैं। उ अथवा ऊ आवे तो ओ हो जाता है। ऋ आवे तो अर् हो जाता है।

अ अथवा आ के परे इ या ई आवे तो ए होता है।

उदाहरण :		
नर + इन्द्र = नरेन्द्र	अ + इ = ए	
सुर + ईश = सुरेश	अ + ई = ए	
महा + इन्द्र = महेन्द्र	आ + इ = ए	
महा + ईश = महेश	आ + ई = ए	
पर + उपकार = परोपकार	अ + उ = ओ	अ या आ के परे उ या ऊ आवे तो ओ हो जाता है।
समुद्र + ऊर्मि = समुद्रोर्मि	अ + ऊ = ओ	
महा + उत्सव = महोत्सव	आ + उ = ओ	
गंगा + ऊर्मि = गङ्गोर्मि	आ + ऊ = ओ	
महा + ऋषि = महर्षि	आ + ऋ = अर	अ अथवा आ के परे ऋ आवे तो अर् होता है।

(ग) वृद्धि सन्धि : अ अथवा आ के परे ए अथवा ऐ आवे तो ऐ हो जाता है और ओ अथवा औ आवे तो औ हो जाता है।

मत + एक्य = मतैक्य　　　　　अ + ऐ = ऐ
सदा + एव = सदैव　　　　　अ + ए = ऐ
महा + औषध = महौषध　　　　　आ + औ = औ

(घ) यण् सन्धि : (1) इ या ई के पीछे कोई भिन्न स्वर हो तो 'य' होता है।

(2) उ या ऊ के परे भिन्न स्वर हो तो 'व' होता है। (पहले वाले स्वर में मिलकर)

अति + अल्प = अत्यल्प　　　　　इ + अ = य
अति + आचार = अत्याचार　　　　　इ + आ = या
प्रति + उपकार = प्रत्युपकार　　　　　इ + उ = यु
प्रति + एक = प्रत्येक　　　　　इ + ए = ये
सु + अल्प = स्वल्प　　　　　उ + अ = व
सु + आगत = स्वागत　　　　　उ + आ = वा

(5) अयादि सन्धि : (1) ए अथवा ऐ के बाद कोई भी स्वर आ जाय तो उन दोनों के बदले 'ए' के स्थान पर 'अय्' और ऐ के स्थान पर 'आय्' हो जाता है।

(2) ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो ओ के स्थान पर अव् और 'औ' के स्थान पर 'आव्' हो जाता है।

ने + अन = नयन　　　　　ए + अ = अय्
नै + अक = नायक　　　　　ऐ + अ = आय्
पो + अन = पवन　　　　　ओ + अ = अव्
पौ + अक = पावक　　　　　औ + अक = आव्
चे + अन = चयन (ए + अ)　　　　　नै + इका = नायिका (ऐ + ई)
गै + अक = गायक (ऐ + अ)　　　　　भौ + उक = भावुक (औ + उ)
नौ + इक = नाविक (औ + इ)　　　　　पौ + अन = पावन (औ + अ)

व्यञ्जन सन्धि : जब व्यञ्जन के परे स्वर अथवा व्यञ्जन हो तो उसे हम व्यञ्जन सन्धि कहेंगे।

नियम सं. (1) : किसी भी वर्ग का पहला वर्ण (क् त् च् ट् प्) के बाद अनुनासिक को छोड़कर कोई स्वर या घोष व्यञ्जन (' र् ल् व्) या वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आवे तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है।

दिक् + गज = दिग्गज　　　　　जगत् + आनन्द = जगदानन्द

दिक् + वधू = दिग्वधू
दिक् + अम्बर = दिगम्बर
वाक् + दान = वाग्दान
तत् + रूप = तद्रूप
उत् + अय = उदय

अप् + ज = अब्ज
षट् + विकार = षड्विकार
सत् + गति = सद्गति
उत् + योग = उद्योग
उत् + घाटन = उद्घाटन

अनुनासिकीकरण (2) : किसी भी वर्ग का पहला अक्षर (क च प ट त) के बाद अनुनासिक वर्ण आये तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक पञ्चम अक्षर हो जाता है।

वाक् + मय = वाङ्मय
जगत् + नाथ = जगन्नाथ
षट् + मास = षण्मास
तत् + मय = तन्मय

(3) त् के पश्चात् स्वर या वर्ण का तीसरा या चौथा अक्षर आवे तो त् के बदले द् हो जाता है।

सत् + आचार = सदाचार
भगवत् + गीता = भगवद्गीता
सत् + धर्म = सद्धर्म
तत् + रूप = तद्रूप

(4) त् या द् के बाद 'च' या 'छ' हो तो त् या द् 'च्' में बदल जाता है एवं त् के बाद ट् हो तो त् का ट् तथा त् के बाद ल् हो तो त् का ल् में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार त् या द् के बाद ज् या झ् आये तो त् या द् का ज् हो जाता है।

सत् + चरित्र = सच्चरित्र
शरद् + चन्द्र = शरच्चन्द्र
महत् + छाया = महच्छाया
उत् + छेद = उच्छेद
तत् + टीका = तट्टीका
उत् + लास = उल्लास

उत् + लंघन = उल्लंघन
तत् + लीन = तल्लीन
सत् + जन = सज्जन
विपद् + जाल = विपज्जाल
उत् + लेख = उल्लेख

(5) त् या द् के बाद श् आवे तो त् या द् का च् और श् के बदले 'छ' हो जाता है। यदि त् या द् के बाद 'ह' आवे तो त् या द् का ध् और 'ह' का 'ध्' हो जाता है।

उद् + शिष्ट = उच्छिष्ट | उत् + शृंखल = उच्छृंखल
उत् + श्वास = उच्छ्वास | तत् + हित = तद्धित
उद् + हत = उद्धत | उत् + हरण = उद्धरण
उत् + हार = उद्धार

(6) छ के पूर्व में यदि स्वर हो तो छ के बदले च्छ हो जाता है।

आ + छादन = आच्छादन | वि + छेद = विच्छेद
परि + छेद = परिच्छेद | छत्र + छाया = छत्रच्छाया।

(7) म् के बाद स्पर्श व्यञ्जन (क् से न् तक वर्ण) हो तो म् के बदले अनुस्वार होता है।

अलम् + कार = अलंकार | सम् + गम = संगम
अहम् + कार = अहंकार | पन् = चम = पंचम
सम् + तोष = संतोष
किम् + चित = किंचित

(8) 'म्' के परे या 'म्' के बाद अन्तस्थ, उष्म वर्ण (य् र् ल् व् श् स् ष् ह्) आवे तो म का अनुस्वार हो जाता है।

किम् + वा = किंवा | सम् + शय = संशय
सम् + योग = संयोग | सम् + वाद = संवाद
सम् + सार = संसार | सम् + हार = संहार

(9) ऋ, र्, ष् के बाद कहीं भी न् आवे तो उसका ण् विकार हो जायेगा।

वर् + अन् = वरण
मर् + अन् = मरण
शर् + अन् = शरण
परि + मान = परिमाण
(अपवाद—प्रजनन का प्रजनण नहीं होगा।)

(10) यदि किसी पद के आदि में 'स' हो और इसके पूर्व में अ, आ को छोड़कर कोई स्वर आवे तो वह ष् बन जाता है।

अभि + सेक = अभिषेक
अभि + सिक्त = अभिषिक्त
(अपवाद—अनुस्वार विसर्ग पर इस नियम का कोई प्रभाव नहीं होता।)

(11) ष के पश्चात् त् अथवा थ् आवे तो त् व थ् के स्थान पर क्रमशः ट् ठ् हो जाता है।

आकृष् + त = आकृष्ट

तुष् + त = तुष्ट

पृष् + थ = पृष्ठ

विसर्ग सन्धि : विसर्ग के परे स्वर अथवा व्यञ्जन आवे तो उसमें जो विकार पैदा होता है, उसे हम विसर्ग सन्धि कहते हैं।

(1) विसर्ग के आगे या विसर्ग के बाद में च् अथवा छ हो तो विसर्ग का 'श' हो जाता है।

विसर्ग के बाद ट् अथवा ठ् हो तो विसर्ग के स्थान पर श् हो जाता है।

विसर्ग के बाद त् अथवा थ् हो तो विसर्ग के स्थान पर स् हो जाता है।

निः + चल = निश्चल

निः + छल = निश्छल

धनुः + टंकार = धनुष्टंकार

निः + ठुर = निष्ठुर

मनः + ताप = मनस्ताप

(2) विसर्ग के बाद श् स् ष् आवे तो विसर्ग का श् स् ष् हो जाता है।

दुः + शासन = दुश्शासन

निः + संदेह = निस्संदेह

निः + संकोच = निस्संकोच

(3) विसर्ग के पूर्व 'अ' हो और बाद में क् ख् प् फ् हो तो विसर्ग में विकार नहीं होता है।

उषः + काल = उषःकाल

अधः + पतन = अधःपतन

पयः + पान = पयःपान

रजः + कण = रजःकण

(4) यदि विसर्ग के पूर्व इ अथवा उ हो और उसके बाद में क् ख् तथा प् फ् हो तो विसर्ग के स्थान पर ष् हो जाता है।

निः + कपट = निष्कपट

निः + काम = निष्काम

निः + फल = निष्फल

दुः + काम = दुष्काम

(5) यदि विसर्ग के पहले 'अ' हो और बाद में कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे :—

अतः + एव = अतएव

(7) यदि विसर्ग से पहले 'अ' हो और बाद में घोष व्यञ्जन (स्पर्श या स्पर्श संघर्षी) हो, या अन्तःस्थ ध्वनि य् या ह् हो तो विसर्ग के बदले 'ओ' हो जाता है।

जैसे—मनः + योग = मनोयोग

रजः + गुण = रजोगुण

(7) यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और आगे कोई घोष व्यञ्जन हो तो विसर्ग के स्थान पर र् हो जाता है। जैसे—

निः + आस = निराश,, दुः + गुण = दुर्गुण, वहिः + मुख = वहिर्मुख

(8) यदि विसर्ग के आगे 'त' हो तो विसर्ग का 'स' हो जाता है। जैसे—

मनः + ताप = मनस्ताप

ध्यातव्य।

(1) दीर्घ स्वर सन्धि के अन्तर्गत ई + इ, ई, उ + ऊ तथा ऊ + उ, ऊ का प्रचलन हिंदी मे नहीं है; वस्तुतः 'ई' और 'ऊ' से अन्त होने वाले शब्द संस्कृत में ही अपेक्षाकृत कम हैं, ऐसे सभी शब्द हिंदी में प्रचलित भी नहीं हैं, आदि मे 'ऊ' वाले शब्द तो हिंदी मे नगण्य ही हैं।

(2) इसी कारण गुण स्वर सन्धि मे अ, आ + उ, ऊ के उदाहरण बहुत कम मात्रा मे उपलब्ध हैं।

(3) आदि या अन्त में 'ऋ' वाले शब्द हिंदी में नगण्य है, इसलिए अ, आ + ऋ के अतिरिक्त 'ऋ' के अन्य योग हिंदी मे नहीं चलते।

(4) वृद्धि स्वर सन्धि के उदाहरण भी हिंदी में अंगुलियों पर गिने जाने योग्य ही हैं।

(5) यण् स्वर सन्धि के अन्तर्गत इ + अन्य स्वर के उदाहरण ही अधिक संख्या मे उपलब्ध हैं।

(6) 'अयादि' स्वर सन्धि के हिंदी में बहुत कम उदाहरण हैं। वस्तुतः उपसर्ग, प्रत्यय के अलावा स्वतन्त्र शब्दों के निकट आये हुए अयादि स्वर सन्धि के योग संस्कृत में ही बहुत कम हैं। इसी कारण हिंदी स्वर सन्धियों में से अयादि स्वर सन्धि को निःसंकोच हटाया जा सकता है।

हिंदी सन्धि :

वस्तुतः सन्धि संस्कृत भाषा की ही विशेषता है। हिंदी भाषा वियोग प्रधान है; फिर भी इन दिनों हिंदी सन्धियों की भी कुछ स्थितियाँ विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। ये सन्धियाँ तीन रूप की मानी गई हैं।

(1) वर्णविकार—यथा, डाक + घर = डाग्घर, पहुँच + जाऊँगा = पहुँज्जाऊँगा किंतु इस प्रकार के प्रयोग प्रचलित नहीं हैं।

(2) वर्ण-हानि—यथा, सब् + ही = सभी, अब + ही = अभी, कब + ही = कभी। ध्वनि-एकता—यहाँ + ही = यहीं, वहाँ + ही = वहीं, यह + ही = यही, वह + ही = वही, खरीद + दार = खरीदार।

(3) वर्ण-वृद्धि—कह + आना = कहलाना, मूसल + धार = मूसलाधार, दीन + नाथ = दीनानाथ।

कुछ उदाहरण हिंदी सन्धि के और भी हो सकते हैं, किंतु सन्धि के व्यापक नियमों का हिंदी में अभाव है। सन्धि के व्यापक नियम संस्कृत में ही प्रचलित हैं। मूलतः सन्धि हिंदी में है ही नहीं।

समास :

'समास' शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। 'सम् + आस'। 'सम' दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है—(क) संक्षिप्त (ख) सुन्दर। 'आस' का अर्थ है 'कथन'। इस प्रकार समास का अर्थ है—संक्षिप्त तथा सुन्दर कथन या शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति हट जाने पर ये शब्द एक साथ मिल जाते हैं और एक संक्षिप्त तथा सुन्दर रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार विभक्ति हटाकर शब्दों को एक संक्षिप्त तथा सुन्दर रूप देना ही समास है—'समसनम् इति समासः'। समास का प्रयोजन यह है कि अनेक पदों का एक पद में, अनेक विभक्तियों की एक विभक्ति और अनेक स्वरों का एक स्वर में कथन।

समास के भेद :

समास के प्रमुख भेद निम्नांकित हैं :—(1) तत्पुरुष (2) बहुव्रीहि (3) द्वन्द्व (4) अव्ययीभाव।

तत्पुरुष समास के मुख्य उपभेद हैं—कर्मधारय, द्विगु, नञ्। हिंदी में नञ् समास का प्रचलन बहुत कम है। इसके अलावा कर्मधारय और द्विगु को भी तत्पुरुष का उपभेद न मानकर समास के भेदों में ही सम्मिलित किया जाता है। ।१ समास के छह भेद किए जाते हैं :

तत्पुरुष समास :

जिस समास में अन्तिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते है। जैसे, राजमंत्री। इसके पूर्वपद में प्रायः विभक्ति का लोप पाया जाता है। जिस कारक विभक्ति का लोप होता है, उसी के आधार पर इसका नाम रखा जाता है और समास विग्रह में उसका संकेत किया जाता है। कर्त्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी सभी कारकों से सम्बद्ध तत्पुरुष समास बनाए जाते हैं।

कर्म या द्वितीया तत्पुरुष—इस समास में कर्म कारक का 'को' चिह्न समारा होने पर हट जाता है। जैसे—चिड़ीमार (चिड़ियों को मारने वाला), गगन-चुम्बी (गगन को चूमने वाला), पाकिटमार, गिरह-कट, मुँह-तोड़, स्वर्ग-प्राप्त।

करण-तत्पुरुष—इसे तृतीया तत्पुरुष भी कहा जाता है। इस समास मे करण कारक का 'से' चिह्न हट जाता है। जैसे पददलित (पद से दलित), अकालपीड़ित (अकाल से पीड़ित), शोकाकुल (शोक से आकुल), प्रेमसिक्त, जल, मदमाता, तुलसीकृत, रसभरी, , करुणापूर्ण, रोगग्रस्त, मुँहमाँगा, श्रमजीवी, कामचोर, मुँहचोर।

सम्प्रदान या चतुर्थी तत्पुरुष—इसमें सम्प्रदान का 'के लिए' चिह्न हट जाता है। जैसे रेलभाड़ा (रेल के लिए भाड़ा), देशभक्ति (देश के लिए भक्ति), मार्गव्यय (मार्ग के लिए व्यय), रसोईघर, साधुदक्षिणा, शिवार्पण, सभाभवन, पुत्रशोक, राहखर्च, स्नानघर, गौशाला, मालगोदाम, देवालय, विधानसभा, डाकमहसूल।

अपादान या पञ्चमी तत्पुरुष—इसमें अपादन कारक का 'से' चिह्न हट जाता है। जैसे—पदच्युत (पद से च्युत), बन्धन-मुक्त, (बन्धन से मुक्त), देशनिकाला (देश से निकाला), बलहीन, नेत्रहीन, धनहीन, शक्तिहीन, पथभ्रष्ट, जलरिक्त, पापमुक्ता, व्ययमुक्त, ऋणमुक्त, धर्मविमुख, धर्मच्युत, लोकोत्तर, मरणोत्तर।

सम्बन्ध या षष्ठी तत्पुरुष—इसमे सम्बन्ध कारक का चिह्न 'का', 'के', 'की' हट जाता है। जैसे—गंगाजल, (गङ्गा का जल), राजदरबार (राजा का दरबार), भू-दान, प्रेमोपासक, चन्द्रोदय, गुरुसेवा, देशसेवा, सेनानायक, ग्रामोद्यान, अमरस, सूर्योदय (सूर्य का उदय), दीनानाथ (दीनों का नाथ)।

अधिकरण या सप्तमी तत्पुरुष—इसमे अधिकरण कारक का चिह्न 'मे', 'पर' आदि हट जाता है। जैसे—गृह-प्रवेश (गृह मे प्रवेश), आपबीती (आप पर बीती), पुरुषोत्तम, नरोत्तम, पुरुषसिंह, ध्यानमग्न, गृहस्थ, ग्रामवास, दानवीर, आत्मनिर्भर, शरणागत, सर्वोत्तम, हरफनमोला, रणशूर, मुनिश्रेष्ठ, आनन्दमग्न, शास्त्रप्रवीण।

कर्मधारय समास :

यह तत्पुरुष का भेद है। इसमे प्रथमा (कर्त्ता) विभक्ति का प्रथमा विभक्ति से समास होता है और वैसा तब हो सकता है जब समास में विशेषण एवं विशेष्य का भाव हो या उपमान-उपमेय का भाव हो। इन आधारों पर इसके दो भेद किये जाते हैं :—(1) विशेषता-वाचक। (2) उपमान-वाचक।

(1) विशेषता वाचक—दोनों पदों मे परस्पर विशेष्य-विशेषण भाव सूचित होता है। इसमे कभी तो विशेषण पूर्व मे होता है और कभी बाद में। कभी-कभी दोनों पद विशेषण होते हैं।

विशेषण पूर्व पद—रक्तकमल (रक्त है जो कमल), कृष्णसर्प, परमानन्द माहाजन, कालीमिर्च, नीलगाय।

विशेषण उत्तर-पद—देशांतर, नराधम (अधम है जो नर), पुरुषोत्तम (उत्तम है जो पुरुष)

दोनों ही पद विशेषण—शीतोष्ण (शीत-उष्ण), शुद्धाशुद्ध (शुद्ध-अशुद्ध) मोटा-ताजा, लाल-पीला, ऊँच-नीच।

उपमान वाचक—इस प्रकार के कर्मधारय समास में दोनो पदो मे उपमान-उपमेय का भाव रहता है। इसके मुख्यत: दो भेद हैं :

(1) उपमान पूर्व पद (2) उपमान उत्तर पद।

उपमान पूर्व पद—इसमे उपमान पहले आता है, जैसे चन्द्रमुख (चन्द्र के समान मुख), घनश्याम (घन के समान श्याम)।

उपमान उत्तर-पद—इसमें उपमान बाद में आता है। जैसे चरण-कमल (चरण-कमल के समान), पाणि-पल्लव (पाणि-पल्लव के समान)।

द्विगु : जिस विशेषतावाचक कर्मधारय में विशेषण शब्द संख्यावाचक हो तथा समस्त शब्द के द्वारा समाहार या समुदाय का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे—त्रिभुवन (तीनों भुवनो का समाहार), चौराहा (चारों राहों का समूह), पंचवटी (पाँच वटों का समाहार), अष्टाध्यायी (आठ अध्यायों का समाहार), पसेरी (पाँच सेर), चौमासा, सतसई, चवन्नी, चौघड़ा, दुअन्नी, नवग्रह, षड्रस, त्रिफला, पंचपात्र, दोपहर, शतांश।

नञ् समास : जिस समास का पहला पद अभाव या निषेध का बोध कराये ना, अन, अ, गैर आदि), उसे नञ् समास कहते हैं। जैसे अनादि (न आदि),

अश्रुतपूर्व, अगोचर, अनजाना, अनाचार, अनिष्ट (न इष्ट), अनन्त (न अन्त), अधर्म (न धर्म), अन्याय (न न्याय), अधूरा, अनहोनी, नापसंद, गैरहाजिर, गैरवाजिब, आदि। इस समास को भी तत्पुरुष की ही एक कोटि माना जाता है; जैसे—नालायक, अदृश्य, अचल, अधीर, अनावश्यक, अनिच्छुक।

बहुव्रीहि समास—इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और यह अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है। जैसे—पीताम्बर (पीत है अम्बर जिसका, कृष्ण); चतुर्भुज (चार हैं भुजाएँ जिसके, विष्णु; दशानन (दश हैं आनन जिसके, रावण); गजानन (गज के समान है आनन जिसका, गणेश); पंकज (पंक से जन्म लेने वाला अर्थात कमल); जलज (जल में जन्म लेने वाला अर्थात् कमल)।

द्वन्द्व समास : जिस समास में दोनों पद समानतः प्रधान हों, उसे द्वन्द्व समास कहते हैं। द्वन्द्व समास में समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है। इसके तीन भेद होते हैं :

(1) इतरेतर द्वन्द्व।
(2) वैकल्पिक द्वन्द्व।
(3) समाहार द्वन्द्व।

(1) इतरेतर द्वन्द्व : इस कोटि के द्वन्द्व में समुच्चय बोधक अव्यय 'और' का लोप होता है। जैसे—सीता-राम, राधा-कृष्ण, राम-लक्ष्मण, सुख-दुख, गाय-बैल, नाक-कान, दाल-भात, गौरी-शंकर, देश-विदेश, छत्तीस, चौबीस।

(2) वैकल्पिक द्वन्द्व : इस कोटि के समास में विकल्प-सूचक समुच्चय बोधक वा, या, अथवा, आदि का लोप रहता है। यह समास परस्पर विरोधी भावों के बोधक शब्दों का होता है। जैसे—धर्माधर्म, भला-बुरा, छोटा-बड़ा, थोडा-बहुत, जात-कुजात, लेन-देन।

(3) समाहार द्वन्द्व : इस कोटि के समास में प्रयुक्त पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित होता है। जैसे—दाल-रोटी, रुपया-पैसा, सेठ-साहूकार, घास-फूस, घर-द्वार, खाना-पीना, कहा-सुनी, घर-आँगन, धन-धान्य, नर-नारी।

इसी कोटि में वे शब्द भी हैं जिनमें प्रतिध्वनि शब्दों का प्रयोग मिलता है। अड़ोस-पड़ोस, भीड़-भाड़, घोड़ा-वोड़ा, कमरा-वमरा, रोटी-वोटी। कभी-कभी शब्दों की पुनरुक्ति के द्वारा भी ऐसे समस्त पद बनाए जाते हैं। जैसे—देखा-देखी, भाग-दौड़, तड़ा-तड़ी, कपड़ा-लत्ता आदि।

अव्ययीभाव समास : जिस समास में पहला पद प्रधान और समस्त पद क्रिया-विशेषण का कार्य करता हो, उसे अव्ययीभाव कहते हैं। इसमें प्रथम पद प्रायः अव्यय होता है, पर कभी-कभी संज्ञा व अव्यय शब्दों की द्विरुक्ति होने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। यथा—यथाशक्ति, प्रतिदिन, यथासम्भव, आजन्म, आमरण, भरपेट, हररोज, हरघड़ी, हरदम, हरदिन, भरसक, प्रत्येक, हाथोंहाथ, यथेच्छ, प्रतिवर्ष, यथारुचि।

संज्ञा या अव्ययों की पुनरुक्ति से भी अव्ययीभाव समास बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा या अव्ययों की पुनरुक्ति हो—घर-घर, हाथों-हाथ, रातों-रात, पल-पल, क्षण-क्षण; अव्यय शब्दों की पुनरुक्ति से बने—बीचों-बीच, धीरे-धीरे, पहले-पहल।

कर्मधारय और बहुव्रीहि में अन्तर : कर्मधारय तथा बहुव्रीहि में भेद यह है कि कर्मधारय में पूर्व पद प्रायः उत्तर पद का विशेषण या विशेष्य, अथवा उपमान या उपमेय होता है। बहुव्रीहि के विग्रह में इसलिए, वाला, वाली, जिसका, जिसकी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द अन्य पद का सम्बन्ध घोषित करते हैं।

सन्धि और समास में समता—सन्धि और समास में कुछ-कुछ समता है

1. ये दोनों ही शब्दों का संक्षेप करते हैं।
2. ये दोनों ही शब्दों को सुन्दर रूप देते हैं।
3. ये दोनों ही शब्दों का निर्माण करते हैं।

   सन्धि—शिव + आलय = शिवालय

   समास—राजा का पुत्र = राजपुत्र

ये दोनों ही शब्द सुन्दर और छोटे तथा नये हैं।

सन्धि और समास में अन्तर :

इन दोनों में निम्नांकित अन्तर है—

1. सन्धि अक्षरों को मिलाकर संक्षेप करती है, जबकि समास शब्दों की विभक्तियों को हटाकर।
2. सन्धि ध्वनि में सुन्दरता तथा सरलता लाकर शब्द को सुन्दर बनाती है जबकि समास विभक्ति को हटाकर शब्द को सुन्दर बनाता है।
3. सन्धि में समास नहीं होता, जबकि समास में सन्धि होती है।
4. सन्धि प्रायः छोटा शब्द बनाती है, जबकि समास प्रायः बड़ा।
5. सन्धि निरर्थक वर्णों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है, *जबकि समास* निरर्थक शब्दों को बिल्कुल नहीं अपनाता है।

अभ्यास के प्रश्न

1. संधि किसे कहते हैं तथा स्वर सन्धि के कितने प्रकार होते हैं ?
2. निम्नांकित शब्दो मे संधि विच्छेद कीजिए और यह भी बतलाइये कि इनमे से प्रत्येक मे संधि का कौन-कौन सा नियम लागू होता है ?
   कल्पात, रत्नाकर, परोपकार, गिरीश, जगदीश, मनस्ताप, दिग्गज, अन्विति, आद्यन्त, तथैव, पावन, प्रत्युत्तर, भावुक, महर्षि, यथोचित्त, उज्ज्वल, उद्योग, उन्माद, कृदन्त, परन्तु, सज्जन, संधि, नमस्कार, तपोबल, विस्तार, निर्जन, मनोयोग, यशोधरा, शिरोमणि, सरोवर, स्वर्ग, श्रेयस्कर।
3. नीचे लिखे शब्दों में सधि कीजिए :—
   रमा + ईश, तत् + लीन, सम् + हार, दु: + कर्म, परम + अर्थ, किम् + चित्, परि + छेद, उत् + उयन, दिक् + भ्रम, पृष् + थ, परम् + तु, युधि + स्थिर, सत् + आनंद, तत् + हित, सम् + सार, मम् + निहित, निः + रोग, नः + उपाय, सब + ही, किस + हो, शिरः + मणि।
4. समास शब्द का क्या अर्थ है तथा समास प्रयोग से क्या लाभ हैं ?
5. समास कितने प्रकार के होते हैं ?
6. तत्पुरुष समास के भेदो को सोदाहरण बतलाइये।
7. कर्मधारय और बहुव्रीहि तथा द्विगु और बहुव्रीहि का अन्तर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
8. निम्नांकित समासों का विग्रह कीजिए तथा समास के नाम का निर्देश भी कीजिए—

   मुँहमाँगा, युद्धभूमि, रोगयुक्त, पथभ्रष्ट, सेनापति, भुजदण्ड, अनुचित, सप्तर्षि, त्रिनेत्र, नीतिनिपुण, नकटा, दाल-भात, चन्द्रमुखी, घनश्याम, लौहपुरुष, कमलनयन, नीलाम्बर, स्वर्णाक्षर, त्रिफला, शताश, त्रिकाल, मिठबोला, वज्रदेह, संदेह, सरसिज, बेरहम, लेन-देन, भला-बुरा, घर-आँगन, धन-धान्य, छत्तीस, शिवपार्वती, हरिशंकर, भाई-बहिन, हाथो-हाथ, यथेच्छ, प्रत्येक, भरसक, धर्मच्युत, मरणोत्तर, कामचोर मदान्ध, मुँहचोर, स्नानघर, श्रमदान, ग्रामोद्धार, पुस्तकालय, हरफन-मौला, नालायक, अधर्म, अनिच्छुक।

9. सन्धि और समास में क्या-क्या समानताएँ और असमानताएँ हैं ?

10. निम्नांकित वाक्यों को शुद्ध कीजिए—

(1) वह चार राहों के समाहार पर खड़ा है ।

(2) उसके भाई और बहिन मैदान में खेल रही हैं ।

(3) राम ने मोहन को बहुत भला और बुरा कहा ।

(4) वह स्नान के लिए घर में है ।

(5) रमेश मुँह से चोर है ।

(6) उसे मुँह से माँगा दान मिला ।

(7) क्या तुम परीक्षा अर्थी हो ।

(8) मैं आजकल निःरोग हूँ ।

(9) वह तीन फलों का समाहार खा रहा है ।

(10) उसके पास कपड़ा और लत्ता नहीं हैं ।

21 हिन्दी में विराम चिन्ह और उनके प्रयोग से सम्बन्धित त्रुटियाँ

भाषा के लिपिबद्ध रूप को बोलते समय बीच-बीच में ठहरना व रुकना पड़ता है। इस ठहरने या रुकने को विराम कहते हैं। जो निर्दिष्ट संकेत चिन्ह भाषा के लिये बद्ध रूप के लिये प्रयुक्त होते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ विराम चिन्ह ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग केवल लिखने में किया जाता है। बोलने से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता। लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्यमेव किया जाना चाहिए। यथोचित विराम चिह्नों का प्रयोग न करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है इसलिये उपयुक्त विराम चिह्नों के प्रयोग से ही किसी वाक्य का सही सही अर्थ समझा जा सकता है।

निम्नांकित वाक्यों में विराम चिह्नों को समझिये—

(i) मैंने भोजन कर लिया।

(ii) मैंने भोजन कब किया ?

(iii) क्या मैंने भोजन कर लिया ?

(iv) रोको मत, जाने दो।

(v) रोको, मत जाने दो।

(vi) बसन्त ! बहार चली गई ?

(vi) 'बसन्त बहार' चली गई।

विराम चिह्न :

अल्प विराम—इसका चिह्न (,) है। इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। जैसे :—

(1) राम, श्याम, मोहन, माधव और रंजन सब सिनेमा गये।

(2) सदर बाजार में दंगा हुआ इसमे कई हिन्दू, मुसलमान और पारसी थे।

(3) कहीं हरियाली छाई हुई है, तो कहीं सूखा पड़ा हुआ है।

(4) उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता।

(5) वे, जो श्रम नहीं करते, असफल रहते हैं।

अर्द्ध विराम—इसका चिन्ह (;) है, जब अल्प विराम से अधिक रुका जाय तब इसका प्रयोग होता हैं।

(1) अरे ! यही तो सब कुछ नहीं है; तुम्हें कुछ और भी काम करना चाहिए।

(2) इसमें सन्देह नहीं; तुम्हारी मुस्कराहट ही बता रही है।

(3) यदि मैं सब कुछ दे दूं; तब तो तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे !

निर्देशक चिह्न—इसका चिह्न (—) है। विचारधारा में रुकावट पैदा होने या एक वक्तव्य में दूसरा वक्तव्य प्रकट करने पर इसका प्रयोग किया जाता है।

(1) आन पर मर मिटना, प्राण रहते हुए शत्रु से लोहा लेना। पीठ न दिखाना, हँसते-हँसते विपत्तियों को झेलना, शरणागत की रक्षा करना—ये क्षत्रियों के प्रमुख गुण थे।

(2) उसी ने तो—परमात्मा उसका भला करे—मेरा बेड़ा पार लगाया।

योजक चिन्ह—इसका चिह्न (-) है। दो शब्दों या दो शब्द खंडों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है जैसे—

गृह-कर यंत्र-निर्माण सुख-दुख नर-नारी

निर्देशन चिह्न की रेखा कुछ बड़ी होती है और योजक चिह्न की छोटी। दोनों में यह अन्तर है।

अवतरण या उद्धरण चिह्न—इसका चिह्न (" ") है। किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह इकहरा व दुहरा दो प्रकार का होता है।

जैसे:—(1) हरि ने कहा, "यदि तुम समय पर आ जाते तो मैं तुम्हारी सहायता कर देता।" यहाँ दुहरे अवतरण चिह्न का प्रयोग हुआ है।

किन्तु यदि कथन के भीतर भी कोई और कथन हो या वाक्य में कोई विशेष अभिप्राय को दर्शित करने वाला शब्द हो तो इकहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग होता है, जैसे—

(i) 'शपथ' प्रेमीजी की एक श्रेष्ठ कृति है।

(ii) उसने आगे कहा, 'तब राजा बोला' 'क्या मुझे इसको क्षमा करना पड़ेगा ?' इस पर मन्त्रीजी ने हाथ जोड़ कर कहा 'महाराज ! यह क्षमा के योग्य है।' यह सुन कर राजा ने दण्डनायक को क्षमा कर दिया।'

लाघव चिह्न—इसके चिह्न हैं (. , ०) किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने में जो अक्षर काम में आवें उनके आगे इसका उपयोग किया जाता है जैसे—

3 जून सन् 1972 ई०, एम. ए., पं. विष्णुदत्त, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद।

तुल्यता सूचक चिह्न : इसका चिह्न (=) है। समान मान, मूल्य या अर्थ को ... के लिये इसका प्रयोग किया जाता है।

जैसे— 1 रुपया = 100 पैसे

मयंक = चन्द्रमा।

पूर्ण विराम—इसका चिह्न (।) है । वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है । जैसे—

(1) यह काम पूरा करने पर ही घर जाना ।

(2) पुस्तक पढ़ कर रख दो ।

(3) रमेश ने कहा कि मैं घर चलता हूँ, तुम आ जाना ।

हिन्दी मे कुछ वर्षों से नव भारत टाइम्स, दैनिक में पूर्ण विराम के लिए बिन्दी (.) का प्रयोग होने लगा है । अभी तक इस चिह्न को अन्य प्रकाशनों मे नही देखा गया है । अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि (.) चिह्न को पूर्ण विराम के स्थान पर प्रयुक्त करने के लिए स्वीकृत कर लिया गया है । अतः हिन्दी मे पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई (।) ही स्वीकृत चिह्न है ।

प्रश्न सूचक चिन्ह—इसका चिन्ह (?) है । प्रश्न सूचक शब्दों और वाक्यो के अन्त में इसका प्रयोग होता है जैसे—

(i) क्यो ? कैसे ? किस तरह ?

(ii) तुम अब क्या कर रहे हो ?

(iii) क्या तुम अभी तक नही गये ?

विस्मय सूचक चिन्ह—इसका चिह्न (!) है । हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय, आदि शब्दों और वाक्यों के अन्त में यह लगाया जाता है । जैसे—

(i) क्या ही मनोहर दृश्य है !

(ii) छिः ! छिः ! हा ! हन्त !

सम्बोधन के बाद भी इसी का प्रयोग किया जाता है जैसे—

(iii) हे प्रभो ! अब तुम्ही खेवनहार हो ।

विवरण चिह्न—इसका चिह्न (:—) है । किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिये वाक्य के अन्त मे इसका प्रयोग होता है । इसे 'कोलन तथा डैश' कहते हैं ।

(i) पदार्थ चार हैं :—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष

(ii) निम्नलिखित प्रश्नों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिये :—

(iii) कला के सम्बन्ध मे अग्रलिखित कथन पठनीय है:—ससार मर्त्य है, मनुष्य मर्त्य है, और उसके सब कर्म भी मर्त्य हैं । इस मर्त्य मे अमरत्व का सचार करना ही कला है ।

लोप चिह्न—इसके चिह्न (+ + + — — — × × × ×) हैं । जब किसी अश में कुछ अश का लोप हो जाय या छूट जाय तब इसका प्रयोग किया जाता है ।

(i) ज्यादा बक बक मत करो नही तो — — — — — —

(ii) ऐसी बात नहीं कि ये तुम्हें × × × × ×

(iii) जीवन में लेखन कला का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भावों की विचारों की अभिव्यक्ति का यही उच्चतम साधन है — — — — कहा हुआ कुछ समय बाद भुला दिया जाता है, किन्तु लिखा हुआ अमिट और स्थायी होता है।

हंसपद या भूल चिह्न—इसका चिह्न (‸) है। लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाय या आवश्यकतानुसार कुछ और जोड़ना पड़े तो यहाँ इस शब्द को लगा कर ऊपर इस शब्द या वाक्यांश को जोड़ देते हैं।

दस
(i) आपको मैंने बाजार जाते हुए ‸ रुपये दिये थे।

राजनेता
(ii) क्या कहा डा० राजेन्द्र प्रसाद कुशल वक्ता और कुशल ‸ थे।

कोष्ठक चिन्ह—इसके चिह्न ( ) { } [ ] हैं। इसका प्रयोग किसी शब्द, वाक्य या वाक्यांश को पृथक् करने या इसके अर्थ को स्पष्ट करने में किया जाता है।

(i) चरणों की उपमा सरसिज (कमल) से दी जाती है।

(ii) व्याकरण की व्युत्पत्ति है कि (पृथक करण) + आ (भले प्रकार) + करण (समझाना)

(iii) वैद्य (नब्ज देखता हुआ) ये तो मलेरिया के लक्षण हैं।

इनके अतिरिक्त कुछ और भी चिन्ह हैं जिनका प्रयोग हिन्दी में समय-समय पर किया जाता है।

—अपूर्ण विराम (कोलन) (:)
पुनरुक्ति सूचक चिन्ह (do, — " — ")
समाप्ति सूचक चिन्ह (×—×—×—×)

विराम चिन्हों के पहचान के संकेत—

1.	विराम –	(।)
2.	अल्प विराम	(,)
3.	अर्द्ध विराम	(;)
4.	प्रश्न चिन्ह	(?)
5.	निर्देशन चिन्ह	(—)
6.	विस्मयादि बोधक	(!)
7.	योजक चिन्ह	(–)
8.	लाघव चिन्ह	(. . ०)
9.	अवतरण चिन्ह	(" ")

10. लोप चिन्ह (—— — — ××× ·····)
11. कोष्ठक ( ) { } [ ]
12. समाप्ति चिन्ह (— — —०—)
13. तुल्यता सूचक (—)
14. कोलन (:)
15. हंस पद (‸)
16. पुनरुक्ति चिन्ह (" " ")
17. विवरण चिन्ह या कोलन तथा डैश (: —)
18. डैश (—)

कोलन (:), डैश (—) कोलन तथा डैश (:—) : इनके प्रयोग निम्नांकित स्थलों पर होते हैं :

1. इन तीनों का प्रयोग वैकल्पिक रूप से, आगे आने वाले शब्द, वाक्यांश या वाक्य के निर्देशन के लिए होता है। जैसे—

प्रमुख बातें निम्नांकित हैं :—

अथवा

प्रमुख बातें निम्नांकित हैं—

अथवा

प्रमुख बातें निम्नांकित हैं :

इन तीनों ही प्रयोगों में कोई अन्तर नहीं है।

2. डैश का प्रयोग निक्षिप्त वाक्य, वाक्यांश या शब्द के दोनों ओर होता है। जैसे—हमारे बड़े-बड़े नेताओं—जैसे गांधी, नेहरू, सुभाष—ने देश के लिए व्यक्तिगत सुखों का बलिदान कर दिया।

3. नाटक में या अन्यत्र किसी का कथन निर्देशित करने के लिए। जैसे—

राम—तुम चलोगे क्या ?

मोहन—हाँ, चलूँगा।

टिप्पणी : (2) और (3) के स्थान पर कोलन डैश (:—) का प्रयोग नहीं होता, डैश ही लगाए जाते हैं। कुछ लोग (3) में डैश के स्थान पर कोलन (:) का भी प्रयोग करते हैं।

विराम चिह्न सम्बन्धी त्रुटियाँ :

विराम चिन्हों सम्बन्धी त्रुटियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं :

1. विराम चिह्न का बिल्कुल न लगाना 2. विराम चिन्ह का अशुद्ध लगाना।

विराम चिन्ह का बिल्कुल न लगाना : विराम चिन्ह जहाँ लगना चाहिए वहाँ यदि कोई भी विराम चिन्ह न लगाया जाय तो ऐसी त्रुटि के कारण भाषा अशुद्ध समझी जाती है। अतः विराम चिन्ह का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है। भाषा की शिक्षा में विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग करना सिखाना प्रायः उपेक्षित रह जाता है। इसीलिए विराम चिन्हों को उपयुक्त स्थान पर न लगाने की त्रुटि विद्यार्थी ही नही, अपितु भाषा का लिखित व्यवहार करने वाले शिक्षक भी करते हैं। विराम चिन्ह कई हैं, किन्तु यदि विद्यार्थी पूर्ण विराम (।), अल्प विराम (,) और प्रश्न-चिन्ह (?) का प्रयोग अच्छी तरह समझ लें तो उनकी भाषा मे निखार और स्पष्टता आ सकती है।

कई विद्यार्थी पृष्ठ के पृष्ठ लिखते चले जाते हैं, परन्तु बहुत कम जगह पूर्ण विराम लगाते हैं। अल्प विराम और अर्द्ध विराम का प्रयोग तो बहुत कम मात्रा में ही देखने को मिलता है। अध्यापक भी उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में भाषा सम्बन्धी त्रुटियो का संशोधन करते समय वर्तनी एवं व्याकरण की त्रुटियों को तो सशोधित कर देते हैं, परन्तु विराम-चिन्हो से सम्बन्धित त्रुटियों को प्रायः वे भी छोड़ देते हैं। इस प्रकार विराम चिन्ह सम्बन्धी त्रुटियों की निरन्तर उपेक्षा का परिणाम यह है कि लगभग सभी छात्र विराम चिन्ह सम्बन्धी त्रुटियों की ओर बिल्कुल ध्यान ही नही देते हैं। उन्हें यह अनुभव ही नही होता कि विराम चिन्ह सम्बन्धी त्रुटियाँ भी भाषा सम्बन्धी त्रुटियों मे मानी जाती हैं। बहुत से छात्रों को इतनी सी बात भी पता नही है कि जब किसी अनुच्छेद में एक वाक्य को समाप्त करते समय—है, हैं, था, थे, थी, गा, गे, गी, लिखे जाते हैं और उनके आगे यदि कोई योजक शब्द नही होता है तो ऐसे शब्दों के आगे पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। यथा—

"राम की पुस्तक उसके पास नही है वह आज अपने किसी साथी की पुस्तक से ही पाठ पढेगा उसने पुस्तक नहीं होने की बात अपने अध्यापक जी को भी नही बतलाई है उसे भय है कि कहीं उसके अध्यापकजी यह जानकर नाराज न हो जावें।"

ऊपर दिए गए अनुच्छेद में पूर्ण विराम केवल अन्त मे ही लगा है, जबकि इसमे—है, गा, है से समाप्त होने वाले तीन वाक्य और हैं जहाँ पूर्ण-विराम का चिन्ह लगाया जाना चाहिए। 'भय' के बाद भी है, शब्द 'है, परन्तु वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह नही लगेगा, क्योंकि 'है' के आगे 'कि' योजक चिन्ह है और वाक्य भी पूरा नही हुआ है।

अल्प विराम और अर्द्ध विराम सही स्थान पर नही लगाने की त्रुटि तो उच्च कक्षाओं के छात्र और अध्यापक भी बहुत अधिक मात्रा मे करते हैं। यथा—

1. 'वह आज विद्यालय नहीं आया है क्योंकि उसे बुखार आ गया है।'

2. 'जब तक हिन्दी में सभी कार्य नहीं होता देश उन्नति नही कर सकता है।'
3. 'इक्कीस मील चौडी दुनिया की सबसे बडी नहर यही है।'
4. "संस्कृत भाषा का स्वरूप और व्याकरण ही कुछ ऐसा था कि उसमें विशेष विराम-चिन्हों की आवश्यकता भी नही होती थी। पर एक तो हिन्दी का स्वरूप और गठन इससे बहुत-कुछ भिन्न है और दूसरे अब हमारी दृष्टि में विराम-चिन्ह और उनकी आवश्यकताएँ आ गई हैं इसीलिए हमें भी इन पर ध्यान रखना पड़ता है।"

ऊपर दिए गए चार वाक्यों में से पहले वाक्य में 'क्योंकि' से पहले अल्प विराम (,) लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में भी 'होता' के बाद मे अल्प विराम (,) होना आवश्यक है। तीसरे वाक्य में भी 'चौडी' शब्द के बाद और 'दुनिया' शब्द के पहले अल्प विराम (,) अवश्य लगाया जाना चाहिए। तीसरे वाक्य में अल्प विराम के यथास्थान नही लगाये जाने से वाक्य का अर्थ हो जायगा कि दुनिया इक्कीस मील चौडी है; जबकि लेखक का आशय इक्कीस मील चौडी नहर की ओर संकेत करने से है। चौथे उदाहरण मे दो वाक्य हैं, जिनमें अन्तिम वाक्य में 'भिन्न है' के बाद अर्द्ध विराम (;) और 'आ गई हैं' के बाद भी अर्द्ध-विराम (;) लगाया जाना चाहिए। इनके नही लगाने की त्रुटियाँ छात्र ही नहीं, अपितु हिन्दी के पढ़ाने वाले अनुभवशील अध्यापक और बड़े लेखक भी करते देखे गए हैं। अतः विराम चिन्हो का सही स्थान पर सही रूप से लगाने का अभ्यास उच्च-प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर पर्याप्त मात्रा में कराया जाना चाहिए। ऐसा कराने से पहले हिन्दी अध्यापक को इनके सही प्रयोग के बारे मे अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अच्छा हो शिक्षक-प्रशिक्षण के समय इनका पर्याप्त अभ्यास कराया जाय। विराम चिन्हों के सही उपयोग के सम्बन्ध में 'श्री रामचन्द्र वर्मा' के विचार निम्नांकित हैं :—

"हिन्दी में अब भी कुछ ऐसे सज्जन हैं जो संस्कृत के अच्छे ज्ञाता होने और संस्कृत के प्रभाव में रहने के कारण ही हिन्दी में विराम-चिन्हों की कोई आवश्यकता नही समझते। परन्तु यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो हिन्दी में विराम-चिन्हो की आवश्यकता है और बहुत आवश्यकता है। बहुत से ऐसे स्थल होते हैं जिनमें विराम-चिन्हों का ठीक-ठीक उपयोग न होने से अर्थ-सम्बन्धी अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं।"

विराम चिन्ह न लगाने से भ्रामक अर्थ हो जाने के कुछ उदाहरण निम्नांकित हैं :—

विराम चिन्ह न लगाने पर अर्थ	विराम चिन्ह लगाने पर अर्थ
1. 'नही जाना चाहिए' (जाने के लिए मनाही)	1. नहीं, जाना चाहिए। (न जाने के विचार का विरोध)
2. मालिक ने नौकर को कोड़े से मारा। (सामान्य कथन)	2. मालिक ने नौकर को, कोड़े से मारा। (अल्प विराम के बाद बोलने में कोड़े पर कुछ जोर आ जाने से वह 'मालिक' की विशेष निर्दयता का सूचक हो गया है।)
3. ये मैना के सिर पर पाँव हैं। (सिर के ऊपर पाँव होने का अर्थ)	3. ये मैना के सिर, पर, पाँव हैं। (मैना के तीन पृथक-पृथक अंगो की सूचना)
4. सिद्धों की रानी कल्पवती की माता उदयपुर पधारी थी। (यहाँ आशय है कि कल्पवती ही सिद्धों की रानी है।)	4. सिद्धों की रानी, कल्पवती की माता उदयपुर पधारी थी : (यहाँ आशय है कि कल्पवती की माता सिद्धों की रानी है।)
5. मेवा फल वृक्ष पर आयात कर लिया जावे। (मेवा फल देने वाले वृक्षों पर आयातकर लिया जावे)	5. मेवा, फल, वृक्ष पर आयात कर लिया जावे। (मेवा, फल और वृक्ष तीनों पर आयात कर लिया जावे)

ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाषा मे 'अल्प विराम' के लगाने या न लगाने से अर्थ कितना बदल जाता है। कई बार वक्ता का आशय विराम चिन्ह न लगाने से बिल्कुल भिन्न अर्थ मे ही समझा जा सकता है। अतः विराम चिन्हों के सही प्रयोग का अभ्यास कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः इनके शुद्ध प्रयोग को समुचित बल देने की दिशा मे प्रयत्न किए जाने चाहिए। उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण तथा बी० एड० के पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रश्न-पत्र में विराम चिन्हों के सही रूप मे लगाये जाने से सम्बन्धित प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाने चाहिए।

विराम चिन्ह का अशुद्ध लगाना : इस बिन्दु के अन्तर्गत विराम चिन्ह को उपयुक्त स्थान पर न लगाकर अनुपयुक्त स्थान पर लगा देने से भाषा में क्या २ असंगतियाँ हो जाती हैं उनका उल्लेख किया जावेगा। इसके अतिरिक्त उपयुक्त विराम चिन्ह के स्थान पर अनुपयुक्त विराम चिन्ह लगा देने से क्या-क्या असंगतियाँ हो जाती हैं; उनका भी विवेचन किया जावेगा।

अनुपयुक्त स्थान

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. तू ! आ भी गया।
5. अरे, वह फेल हो गया !
6. सीता जरा इधर आओ !

अनुपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग

अनुपयुक्त विराम चिन्ह

1. वह मेरे घर नहीं आया। क्योंकि वह बीमार पड़ा है।
2. जब तक तुम नहीं जाते। मैं अपने घर नहीं जा सकता।
3. कृपया बतलाने का कष्ट करें। कि आप [illegible] क्या चाहते हैं।
4. ब्राह्मण मधुर, प्रिय होते हैं।
5. वे लोग अहमदाबाद जा रहे हैं। पर यह पता नहीं है कि आबू रोड होकर या हिम्मत नगर होकर जा रहे हैं।
6. गैर औरत का अर्थ होगा—वह जो औरत न हो, औरत से भिन्न हो, अर्थात् अ-स्त्री।
7. क्या तमाशा हो रहा है ? (आश्चर्य सूचक अर्थ में)
8. न जाने अब क्या होगा ? (साधारण कथन)
9. कह नहीं सकता कि वह क्यों नहीं आया ?

उपयुक्त स्थान

1. लड़के यहाँ भूखे हैं अतः उन्हें रोको मत, जाने दो।
2. आज लड़के, लड़कियाँ और प्रौढ़-जन साथ-साथ मैच देखने जा रहे हैं।
3. वह स्कूल नहीं आया, क्योंकि वह बीमार पड़ा है।
4. तू आ भी गया !
5. अरे ! वह फेल हो गया।
6. सीता ! जरा इधर आओ।

उपयुक्त विराम चिन्ह

1. वह मेरे घर नहीं आया, क्योंकि वह बीमार पड़ा है।
2. जब तक तुम नहीं जाते, मैं अपने घर नहीं जा सकता।
3. कृपया बतलाने का कष्ट करें, कि आप मेरे से क्या चाहते हैं।
4. ब्राह्मण मधुर-प्रिय होते हैं।
5. वे लोग अहमदाबाद जा रहे हैं, पर यह पता नहीं है कि आबू रोड होकर या हिम्मत नगर होकर जा रहे हैं।
6. गैर औरत का अर्थ होगा-वह जो औरत न हो; औरत से भिन्न हो, अर्थात् अ-स्त्री।
7. क्या तमाशा हो रहा है !
(आश्चर्य सूचक अर्थ में)
8. न जाने अब क्या होगा।
(साधारण कथन)
9. कह नहीं सकता कि वह क्यों नहीं आया।
(साधारण कथन)

10 अभी तक पता नहीं चला कि शत्रु कहाँ है ?
(साधारण कथन).

10. अभी तक पता नहीं चला कि शत्रु कहाँ है।
(साधारण कथन)

11. आपने उनसे पूछ लिया है।
(प्रश्न-वाचक)

11. आपने उनसे पूछ लिया है ?
(प्रश्न-वाचक)

12. आप वहाँ जायेंगे।
(प्रश्न-वाचक)

12. आप वहाँ जायेंगे ?
(प्रश्न-वाचक)

ऊपर विराम चिन्ह सम्बन्धी कुछ त्रुटियों का उल्लेख किया गया है। अभी हिन्दी में लेखन के इस अंग पर विशेष रूप से विचार और कार्य की आवश्यकता है जिससे विराम-चिन्हों के ठीक-ठीक प्रयोग करने के नियम निर्धारित किए जा सकें।

अभ्यास के प्रश्न

1. विराम चिन्हों की क्या उपयोगिता है ?
2. पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है ?
3. निम्नलिखित अनुच्छेदों में उचित स्थानों पर उचित विराम चिन्ह लगाइये :
   (क) अरे बेवकूफ अब दूसरा बर्तन क्या होगा जो बर्तन साफ रहने हैं उन्हीं में से किसी एक में इमली भिगो डाल और क्या यों—बस यही पीतल का लोटा काम दे जाएगा साफ तो इसे करना ही है एक बर्तन लाकर उसे खराब करने से क्या लाभ ऐसी बातें तुम लोगों को खुद क्यों नहीं सूझ जाया करतीं।

   (ख) भरत ने राम से कहा भाई आप इस वन में बड़ा दुख पा रहे हैं माता पिता भी बड़ी दुखी हो रही हैं इसलिए आप अयोध्या लौट चलिए

   (ग) कमल क्या तुमने कभी ताज महल देखा है
   गोविन्द नहीं मेरी कभी आगरा जाना हो नहीं हुआ।

   (घ) हठात् चौंक कर जागा गाडी खडी थी गाडीवान ने कहा हम लोग पहुँच गये।

   मैंने देखा एक सरोवर के किनारे गाडी खड़ी है अशोक का पेड़ शायद इसके पास भी होगा पर वह फिर देखा जायगा मैंने जोर से आवाज दी मनदोज ओ मनदोज

   नींद से भर्रायी आवाज बोली जी सा ब

   उठो अब सामान उतारो यहीं बाहर ही बिस्तरे कर लेंगे सबेरे देखा जायगा

   सहसा चुप यद्यपि मैं अनुभव कर सका कि यह चुप्पी सुप्ति की नहीं है वह अत्यन्त सजग है

   क्यों मनदोज क्या है

   मनदोज ने अविचलित भाव से उत्तर दिया साब बिस्तरा तो गिर गया

22 | काव्य में शब्द-शक्तियाँ

विचारणीय बिन्दु :

1. साहित्य में शब्द और अर्थ का महत्त्व ।
2. शब्द-शक्ति क्या है ?
3. शब्द-शक्तियों का परिचय—
   (1) अभिधा
   (2) लक्षणा
   (3) व्यंजना

साहित्य में शब्द और अर्थ का महत्त्व :

ज्ञान राशि के संचित कोष साहित्य में शब्द और अर्थ का ही चमत्कार देखने को मिलता है। साहित्य है ही क्या ? शब्द और अर्थ का मेल ही तो है। साहित्य में से शब्द हटा दिए जायें तो साहित्य का रूप रहेगा ही नहीं। शब्द का जो महत्त्व है—वह उसके अर्थ के कारण है। शब्द दो प्रकार के होते हैं—सार्थक व निरर्थक। साहित्य में सार्थक शब्दों का ही उपयोग किया जाता है।

शब्द-शक्ति क्या है ?

शब्द का अर्थ जिसमें प्रकट होता है, वही उसकी शब्द-शक्ति है। अर्थ का बोध कराने वाला व्यापार ही शब्द-शक्ति कहलाता है। ये शब्द-शक्तियाँ अथवा व्यापार तीन माने गये हैं :—

(1) अभिधा (2) लक्षणा (3) व्यंजना

शब्द-शक्ति परिचय :

अभिधा शब्द-शक्ति :—जिस शक्ति के द्वारा शब्द का प्रचलित या मुख्य सांकेतिक अर्थ समझा जाता है, उसे अभिधा शक्ति कहते हैं।

इस शक्ति से वाक्य में प्रयुक्त शब्द का सांकेतिक अर्थ प्रकट होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इसलिए किसी शब्द का अभीष्ट अर्थ जानने के

लिए संयोग, वियोग, साहचार्य, विरोध, प्रकरण, संदर्भ आदि की सहायता ली जाती है।

व्यवहार मे एक शब्द का कोई निश्चित अर्थ समझ लिया जाता है। इस प्रकार की कल्पना को संकेत कहा जाता है। जैसे, गाय शब्द का एक पशु विशेष जिसके गल कंबल होता है, जो दूध देती है—के साथ संकेत तय कर लिया गया। इसलिए गाय शब्द बोलते ही उस पशु विशेष का बोध हो जाता है।

(क) महावत गज पर बैठ कर जा रहा है।

(ख) कपड़ा व्यापारी गज से कपड़ा नाप रहा है।

दोनों वाक्यो में प्रयुक्त गज शब्द का अर्थ जानने के लिए प्रकरण की सहायता ली जाती है।

महावत के प्रकरण से गज का अर्थ हाथी स्पष्ट हो रहा है और कपडा व्यापारी के प्रकरण से गज का अर्थ वस्त्र नापने की लोहे की छड़ निकल रहा है। इस तरह अभिधा से सांकेतिक मुख्य अर्थ का बोध होता है।

अभिधा शक्ति से तीन प्रकार के शब्दो का अर्थ-बोध होता है—

(1) रूढ़ (2) यौगिक (3) योग रूढ

रूढ़—ये वे शब्द हैं जिनके खण्ड करने से कोई अर्थ नहीं निकलता, जिनकी व्युत्पत्ति नही होती—जैसे गढ, घोड़ा। 'गढ़' शब्द के खण्ड हुए 'ग' व 'ढ' परन्तु ग का भी कोई अर्थ नही निकलता और ढ का भी कोई अर्थ नही होता। पूरे शब्द से ही किले का अर्थ निकलता है; इसलिए यह रूढ़ शब्द है।

यौगिक—ये वे शब्द हैं, जिनके खण्ड करने से वही अर्थ प्रकट होता है जो उस शब्द का सांकेतिक मुख्य अर्थ है।

जैसे—<u>पाठशाला</u> इस शब्द के खण्ड हुए—पाठ + शाला

पाठ = पढ़ने का | वह स्थान जहाँ शिक्षा दी जाती है,
शाला = स्थान | उसे पाठशाला कहा जाता है।

इस शब्द के खण्ड करने पर भी उन शब्दो का वही अर्थ प्रकट होता है, जो उसका सांकेतिक मुख्य अर्थ है। अतः ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहे जाते हैं।

योग-रूढ़—ये वे शब्द होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति होती तो है परन्तु व्युत्पत्ति प्राप्त अर्थ उस शब्द के सांकेतिक मुख्य अर्थ से भिन्न होता है।

जैसे—जलज का सांकेतिक मुख्य अर्थ है 'कमल'; इसकी व्युत्पत्ति हुई—
+ ज।

जल = जल में
ज = जन्म लेने वाला } जो जल मे पैदा हो, वह जलज है ।

इस व्युत्पत्ति से प्राप्त होने वाला अर्थ जल मे उत्पन्न होने वाले सिघाड़ा, शख, मीप, जोक आदि के लिए लागू नही होता ।—जलज का साकेतिक मुख्य अर्थ कमल के लिए ही रूढ है । इसलिए यह शब्द योग-रूढ़ शब्द है ।

अभिधा शक्ति द्वारा प्राप्त अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है और इस अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द वाचक कहलाता है । 'गाय' वाचक शब्द है और उससे प्राप्त अर्थ (पशु विशेष से सम्बन्धित) वाच्यार्थ कहा जाएगा । लोक-व्यवहार में अभिधा शक्ति का अधिक उपयोग होता है ।

काव्य मे यह शक्ति इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं मानी जाती । लक्षणा एव व्यजना शक्तियां काव्य की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण मानी जाती है ।

लक्षणा शक्ति—मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढि अथवा प्रयोजन के कारण जिस क्रिया (शक्ति) द्वारा मुख्य अर्थ प्रकट हो, उसे लक्षणा शक्ति कहते है ।

— साहित्य कोश

इससे लक्षणा के लिए तीन बातें होनी जरूरी हैं :—

1. शब्द के मुख्यार्थ का बाध (नही लगना) ।
2. मुख्यार्थ से सम्बन्धित और अर्थ लगना ।
3. विशेष अर्थ को ग्रहण करने का कारण रूढि या प्रयोजन ।

उदाहरण—राजस्थान जग चुका है ।

यहाँ राजस्थान का मुख्यार्थ है 'भारत का एक प्रांत' किन्तु यह मुख्यार्थ यहाँ नहीं लगता है । राजस्थान एक जगह विशेष को दिया गया नाम है । जगह जड़ है, उसमें जगने की शक्ति नही है । इसलिए यह मुख्यार्थ छोड़कर उससे सम्बन्धित विशेष अर्थ राजस्थान के निवासी लिया जाएगा क्योंकि जगने की क्षमता उन्ही मे है । राजस्थान शब्द से अर्थ राजस्थान के निवासी लिया जाता है । राजस्थान का यह अर्थ किसी विशेष प्रयोजन से नही किया गया है, ऐसा कहने की रूढ़ि हो गई है । इस प्रकार यहाँ लक्षणा की तीनो बातें घटित हो रही हैं :—

1. मुख्यार्थ का नही लगना (राजस्थान का मुख्यार्थ राजस्थान प्रदेश यहाँ नहीं लग रहा है ।)
2. मुख्यार्थ से सम्बन्धित और अर्थ लगना (राजस्थान से राजस्थान के निवासी यह अर्थ लिया गया है)

3. इस विशेष अर्थ को रूढ़ि के कारण ग्रहण किया जाता है।

जहाँ पर भी ये तीन बातें होंगी, वहाँ लक्षणा शक्ति होगी।

रूढ़ि से जो विशेष अर्थ लिया जाय, वहाँ रूढ़ि लक्षणा कही जाती है। ऊपर का उदाहरण रूढ़ि लक्षणा का ही है।

प्रयोजनवती लक्षणा—किसी प्रयोजन विशेष से जहाँ लक्षणा में विशेष अर्थ लिया जाता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है।

जैसे—गगा पर घर है।

गगा के बहाव पर घर होना सम्भव नहीं है।

इसलिए यहाँ गंगा शब्द का अर्थ गंगा का प्रवाह न होकर गगा के किनारे से लिया गया है। इस वाक्य का अर्थ हुआ—गंगा के तट पर घर है। गगा के तट पर घर कहने से वहाँ के पवित्र एव शीतल वातावरण की बात भी प्रकट हो रही है। गंगा-तट पर कहने से पवित्रता एवं शीतल वातावरण की बात प्रकट नहीं होती; क्योंकि शीतलता एव पवित्रता का सम्बन्ध गगा के बहाव से है, तट से नही। इस तरह यहाँ ये बातें उभर कर सामने आ रही हैं :—

1. मुख्यार्थ का बाधित होना (गगा का मुख्यार्थ गगा का बहाव यहाँ नही लिया जा सकता।)
2. मुख्यार्थ से सम्बन्धित और अर्थ जोड़ना—(यहाँ गंगा शब्द से सम्बन्धित विशेष अर्थ गंगा का तट लिया गया है।)
3. यहाँ गंगा पर घर कहने का विशेष प्रयोजन यह है कि वहाँ की पवित्रता और शीतल वातावरण ध्वनित हो।

जहाँ किसी विशेष प्रयोजन की बात लक्षणा से प्रकट हो रही हो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है।

विशेष—लक्षणा का ज्ञान कराने वाले शब्द लाक्षणिक या लक्षक कहे जाते हैं। लक्षणा से प्रकट होने वाला अर्थ लक्ष्यार्थ कहा जाता है।

व्यंजना शक्ति—यह तीसरी शब्द-शक्ति है। व्यजना शब्द (वि+अंजन) अंजन शब्द के पहले वि उपसर्ग लगकर बना है जिसका अर्थ हुआ—विशेष प्रकार का अंजन। जैसे अंजन लगाने से नेत्रों का दृष्टि-दोष मिट जाता है और साफ दिखाई देने लगता है वैसे ही इस शब्द-शक्ति से शब्द का वह अर्थ ध्वनित हो जाता है जो पहली दो शक्तियों (अभिधा एवं लक्षणा) से नही हो पाता।

जिस शब्द-शक्ति से शब्द का लोक में प्रचलित अर्थ या उससे सम्बन्धित अर्थ न निकलकर व्यग्यार्थ प्रकट होता है, उसे व्यंजना शब्द-शक्ति कहते हैं

जैसे—किसी ने घर में कहा—सूर्यास्त हो गया।

ग्वाले ने भी गायें चराते अपने बेटे से कहा—सूर्यास्त हो गया।

एक खेल-प्रभारी ने खेलते हुए खिलाड़ियों से कहा—सूर्यास्त हो गया।

तीनों स्थानों पर प्रयुक्त वाक्य एक ही है। इसका सांकेतिक सामान्य अर्थ यही है कि संध्या हो गई है। परन्तु तीनों स्थानों पर श्रोताओं ने वह विशेष अर्थ ग्रहण किया है जो इसके शब्दार्थ से ध्वनित नहीं होता।

देखिए—घर मे यह वाक्य प्रयुक्त होने पर निम्नलिखित अभिप्राय स्पष्ट हुआ—

(1) वृद्ध दादा संध्या (संध्या-उपासना) में बैठने के लिए तैयारी करने लगे।

(2) जब बहू ने यह वाक्य सुना तो वह घर में दीपक लगाने की तैयारी करने लगी।

घर में यह अर्थ लिया गया—

(1) संध्या में बैठिए।
(2) दीपक लगाओ।

ग्वाले द्वारा यह वाक्य कहने पर उसके बेटे ने निम्नलिखित अभिप्राय समझा—

"गायो को एकत्रित करो और गाँव की ओर चलो।"

खेल-प्रभारी द्वारा यही वाक्य कहे जाने पर खिलाड़ियों ने निम्नलिखित अभिप्राय समझा—

"समय हो गया है अतः अब खेल समाप्त करें।"

यही व्यंजना का चमत्कार है। वाक्य एक ही है परन्तु भिन्न-भिन्न शक्तियों ने भिन्न-भिन्न स्थिति में भिन्न-भिन्न अभिप्राय समझकर तदनुसार कार्य किया है।

संध्या में बैठो, दीपक लगाओ, गायों को बस्ती मे ले जाने के लिए इकट्ठी करो, खेल समाप्त करो—ये विभिन्न अभिप्राय यहाँ न अभिधा से स्पष्ट होते हैं न लक्षणा से। अतः यहाँ अभिधा और लक्षणा से अभिप्राय स्पष्ट नही होकर, व्यंजना से ही उल्लिखित अभिप्राय (व्यंग्यार्थ) ध्वनित हो रहा है।

व्यंजना के शब्द और अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित भेद किए जाते हैं:

(1) शाब्दी व्यंजना (2) आर्थी व्यंजना।

जहाँ शब्द से व्यंजना (व्यंग्य) प्रकट हो, वहाँ 'शाब्दी व्यंजना' होती है।

जैसे—को घटि ए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर।

राधिका के लिए (वृषभ + अनुजा = गाय) और कृष्ण के लिए हलधर के वीर (बैल के भाई बैल) कहकर जो व्यंग्य किया गया है, वह शाब्दी व्यजना ही है।

(2) आर्थी-व्यंजना—जहाँ अर्थ से व्यंजना प्रकट हो, वहाँ आर्थी-व्यंजना होती है।

'सूर्यास्त हो गया' ऊपर दिया गया उदाहरण इसी का उदाहरण है।

विशेष :—व्यजना का ज्ञान कराने वाले शब्द व्यंजक कहलाते हैं।

व्यंजना द्वारा जो अर्थ निकलता है—वह व्यंग्यार्थ कहलाता है।

शब्द-शक्तियों के चमत्कार को समझने और काव्य का आनंद प्राप्त करने हेतु इनका अध्ययन अति महत्त्वपूर्ण है। पाठ्यपुस्तक के नाटक, सवाद, पद्य आदि विधाओं के पाठो मे प्रयुक्त उदाहरण के द्वारा इनका विशेष अभ्यास किया जाना चाहिए।

अभ्यास के प्रश्न

(1) शब्द-शक्ति को समझाते हुए उसके भेदों के नाम लिखिए।

(2) अभिधा और लक्षणा शब्द-शक्ति को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

(3) समझाइये—वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द, व्यंजक शब्द।

(4) व्यंजना की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट कीजि

23 काव्य में रस

विचारणीय बिन्दु :

(1) रस की परिभाषा
(2) रस और उसके भेद
(3) रस के अंग
(4) प्रत्येक रस एवं उसके विभिन्न अंगों का परिचय
(5) रस परिचय एवं उदाहरण।

रस की परिभाषा :

रस शब्द का अर्थ है 'स्वाद'। काव्य के आस्वादन से जो आनन्द प्राप्त होता है, वही रस है। काव्य के आनन्द से हृदय भाव-विभोर हो जाता है और अलौकिक आनन्द की प्राप्ति होती है—यह प्राप्ति ही रस है।

काव्य और रस का सम्बन्ध शरीर और आत्मा जैसा है। अतः रसों का ज्ञान काव्य को समझने के लिए अत्यावश्यक है। रस सिद्धात के प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं।

रस और उसके भेद :

काव्य में नौ रस माने गए हैं :—

रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास्य शृंगार।
अद्भुत शांत वीभत्स ये, नवरस के आधार॥

1. रौद्र
2. भयानक।
3. वीर।
4. करुण।
5. हास्य।

6. शृंगार।
7. अद्भुत।
8. शान्त।
9. वीभत्स।

ये नवरस हैं। कुछ विद्वान वात्सल्य और भक्ति को भी रस मानते हैं। इस तरह रसों की संख्या ग्यारह हो जाती है।

रस और उसके अंग :

प्रत्येक रस के चार अंग माने जाते हैं:—

(1) स्थायी भाव।
(2) विभाव।
(3) अनुभाव।
(4) संचारी भाव।

स्थायी भाव—ये वे भाव होते हैं जो उत्पन्न होकर प्रारम्भ से अन्त तक बने रहते हैं। ये ही भाव स्थायी भाव होते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। उत्साह, क्रोध, भय, रति आदि ग्यारह स्थायी भाव होते हैं।

विभाव--भावों को विशेष रूप से उत्पन्न करने वाले बाह्य कारण विभाव कहलाते हैं। इनसे ही भावों में आस्वादन योग्यता के अंकुर उत्पन्न होते हैं। ये विभाव दो प्रकार के होते हैं : (1) आलंबन (2) उद्दीपन।

आलंबन विभाव---ये वे विभाव होते हैं, जो भावों को जगाते हैं।

उद्दीपन विभाव---ये वे विभाव होते हैं जो भावों को उद्दीप्त या तीव्र करते हैं।

अनुभाव—आंतरिक भावों का बाहरी आकृति आदि पर प्रभाव पड़ता है। इस बात की सूचना देने वाले बाहरी शरीर सम्बन्धी विकार अनुभाव कहलाते हैं। जैसे—क्रोध से आँखें लाल हो जाना आदि।

संचारी भाव—वे भाव (विकार) जो समय-समय पर मन में उठकर स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं, संचारी भाव कहे जाते हैं।

निर्वेद, ग्लानि, शंका, दैन्य, श्रम आदि तेंतीस संचारी भाव माने जाते । संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं।

रस	स्थायी भाव	विभाव	अनुभाव	संचारी भाव
1. शृंगार संयोग शृंगार	रति	आलंबन—नायक-नायिका उद्दीपन —रूप, सुन्दरता, वेशभूषा	प्रेमालाप, हाव-भाव	आवेग, हर्ष, चपलता, व्रीडा आदि
वियोग शृंगार	रति	आलंबन—नायक-नायिका उद्दीपन —गुण श्रवण, चित्रदर्शन	अश्रु, प्रलाप	विषाद, चिंता, उत्कंठा
2. हास्य रस	हास	आलंबन—विकृति-आकृति उद्दीपन —बेढंगी हँसी	मुस्कराहट	निद्रा, आलस्य आदि
3. करुण रस	शोक	आलंबन—पीड़ित आत्मीयजन मृत आत्मीयजन उद्दीपन —शव-दाहकर्म आदि	दैव निन्दा, छाती पीटना, प्रलाप	मोह, व्याधि, स्मृति, चिंता, दैन्य आदि
4. रौद्र रस	क्रोध	आलवन—शत्रु, दुष्ट व्यक्ति उद्दीपन —शत्रु या दुष्ट के कार्य	नेत्र लाल होना, दांत पीसना आदि	उग्रता, आवेग आदि
5. वीर रस	उत्साह	आलवन—शत्रु, विपक्षी, दीनदुखी उद्दीपन —शत्रु की ललकार, दीनदुखी की पुकार	भुजा पकड़ना, शत्रु पर प्रहार करना, दान देना	गर्व, हर्ष, धृति, उग्रता आदि ।

क रस	भय	आलम्बन—दुखदायी व्यक्ति, हिंसक जीव, नदी की बाढ़, भूतप्रेत की शंका उद्दीपन —भयप्रद चेष्टाएँ, नीरवता, विस्मयजनक ध्वनि	रोमांच, कंपन, चिल्लाना, मूर्च्छा, आदि।	चिंता, दैन्य आदि
7. वीभत्स रस	घृणा	आलम्बन—घृणित व्यक्ति या वस्तु उद्दीपन —दुर्गंध, घृणा उत्पन्न करने वाली चेष्टाएँ	नाक सिकोड़ना, गिद्धो का मांस नोचना आदि।	मोह, आवेग, मूर्च्छा
8. अद्भुत रस	विस्मय	आलम्बन—आश्चर्यजनक वस्तु उद्दीपन —विस्मयजनक चीजों के बारे मे सुनना।	रोमांच होना, आँखें फाड़ना, आश्चर्य करना।	आवेग, हर्ष आदि
9. शान्त रस	शम	आलम्बन—परमात्मचिंतन उद्दीपन —शान्त आश्रम, तीर्थ स्थान, शास्त्र-चिन्तन	संसार त्याग की इच्छा	धृति, हर्ष, ग्लानि
10. वात्सल्य रस	स्नेह	आलवन—सन्तान उद्दीपन —तुतली बोली (बच्चों की), उनकी क्रीडाएँ	हँसना, गोद में लेना आदि	हर्ष, मोह आदि
11. भक्ति रस	इष्टदेव की रति	आलंबन—इष्टदेव उद्दीपन —इष्टदेव के गुण	इष्टदेव के गुणों का कथन	हर्ष, स्मृति आदि

रसों व उनके अंगों का सामान्य परिचय ऊपर दिया जाता है। नीचे रस और उनके उदाहरण दिए जा रहे हैं। इनके आधार से पाठ्यपुस्तक के अंशों में रसों को घटाइये और रस सम्बन्धी अभ्यास कीजिए :—

शृंगार रस—इसमें स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन रहता है। इसके दो भेद होते हैं —

(1) संयोग शृंगार—जब स्त्री-पुरुष दोनों वार्तालाप द्वारा आनन्द का अनुभव करें तो संयोग शृंगार होता है।

(2) वियोग शृंगार—जब दोनों मे वियोग होता है तो वियोग शृंगार होता है। शृंगार को रसराज भी कहते हैं।

संयोग शृंगार का उदाहरण—

बतरस लालच लाल को, मुरली धरी लुकाय।
सौंह करैं भौंहन हँसैं, दैन कहैं नटि जाय ॥

वियोग शृंगार का उदाहरण—

बिनु गोपाल बैरिन भई कुञ्ज।
तब ये लता लगति अति सीतल,
अब भई विषम ज्वाल की पुञ्जे ॥

हास्य रस—विलक्षण आकृति, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर हास स्थायी भाव जाग्रत होता है और यही परिपुष्ट होकर हास्य रस में बदल जाता है। इसमें हँसी पैदा करने वाले कामों का वर्णन रहता है।

उदाहरण—

(क) विंध के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महा बिनु नारि दुखारे।
गौतम तास तरी तुलसी, सो कथा सुनि के मुनि वृन्द सुखारे ॥
ह्वै हैं सिला सब चन्द्रमुखी, परसै पद मञ्जुल कञ्ज तिहारे।
कीन्ही भली रघुनायक जू, करुना करि कानन को पगुधारे ॥

(ख) मूली में मोहन बसैं, गाजर में गनेस।
कृष्ण करेला मे बसैं, रक्षा करे महेस ॥

करुण रस—किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश से हृदय में जो उद्विग्नता उत्पन्न होती है, उसे शोक कहते हैं। यही स्थायी भाव शोक पुष्ट होकर करुण रस में बदल जाता है। इसमें शोक अथवा दुख की दशाओं का वर्णन रहता है।

उदाहरण—प्रियमृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विषभरा,।
चित्रस्थ सी निर्जीव सी हो रह गई हत उत्तरा ॥
फिर पीटकर सिर और छाती, अश्रु बरसाती हुई।
कुररी सदृश सकरुण गिरा से, दैन्य दरसाती हुई ॥

रौद्र रस—शत्रु अथवा दुष्ट के कार्यों को देखकर जो क्रोध पैदा होता है, वही क्रोध विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से पुष्ट होकर रौद्र रस में बदल जाता है।

उदाहरण— अति रिस बोले वचन कठोरा,
कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा ?

वीर रस—शत्रु की उन्नति को मिटाने के लिए, दीन-दुखियों की सहायता के लिए हृदय में जो स्फूर्ति उत्पन्न होती है—उसे उत्साह कहते हैं। यही उत्साह अन्य विभाव आदि अंगों से परिपुष्ट होकर वीर रस बन जाता है।

उदाहरण— आओ वीरो ? आज देश की कीर्ति बढ़ा दें,
सबके सम्मुख मातृभूमि को शीश चढ़ा दें।
शत्रुजनों को मार यहाँ से अभी हटा दें,
उनका घोर घमण्ड सदा के लिए घटा दें ॥

भयानक रस—भयावह वस्तु तथा दृश्य का वर्णन इसी रस में होता है। भय की दशा में भयानक रस होता है।

उदाहरण— बालधि बिसाल बिकराल, ज्वाल जाल मानों।
लंक लीलबे को काल रसना पसारी है ॥

वीभत्स रस—घृणित वस्तुओं को देखकर जो घृणा का भाव होता है—वही घृणा का भाव वीभत्स रस में बदल जाता है।

उदाहरण— सिर पर बैठ्यो काग, आँख दोउ खात निकारत।
खींचत जीभहिं स्यार, अतिहि आनन्द उर धारत ॥

अद्भुत रस—किसी असाधारण व्यक्ति को देखकर जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, वही अद्भुत रस में बदल जाता है, इसमें आश्चर्य पैदा करने वाली वस्तु का वर्णन रहता है।

उदाहरण— नटवर है, अनुपम तव माया।
सकल चराचर एक सूत्र में तूने बाँध रचाया ॥

शान्त रस—संसार की नश्वरता देखकर जो निर्वेद भाव उत्पन्न होता है, वही निर्वेद भाव पुष्ट होकर शांत रस में परिणत हो जाता है।

उदाहरण— जा दिन मन पंछी उडि जैहैं।
ता दिन तेरे तन तरुवर के सबै पात झरि जैहैं।
घर के कहें बेग ही काढ़ो, भूत भये कोऊ खैहैं।

वात्सल्य रस—शिशुओं के प्रति जो स्नेह भाव होता है, वही वात्सल्य भाव के रूप में बदल जाता है।

उदाहरण— सोभित कर नवनीत लिए,
पुटरन चलत रेनु मग मण्डित, मुख दधि लेप किए।
धन्य 'सूर' एको पल यह सुख, का सत कल्प जिए॥

भक्ति रस—इष्टदेव, गुरु आदि के प्रति जो पूज्य-भावना होती है, वही भक्तिरस का आधार होता है।

उदाहरण— चरण कमल बन्दो हरि राई।
जाकी कृपा पगु गिरि लंघै, अंधे को सब कछु दरसाई॥
बहिरो सुनै मूक पुनि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराई॥
'सूरदास' स्वामी करुणामय, बार-बार बन्दौं तेहि पाई॥

अभ्यास के प्रश्न

1. रस की परिभाषा लिखकर उसके अंगों के नाम लिखिए।
2. रस कितने माने जाते हैं? उनके नाम लिखिए।
3. स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का अन्तर स्पष्ट कीजिए।
4. अपनी पाठ्यपुस्तक के सूर एवं तुलसी के पदों में से भक्ति व वात्सल्य रस के उदाहरण छाँटकर लिखिए।
5. वीर रस के स्थायीभाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव लिखिये।

---

24 काव्य में गुण

विचारणीय बिन्दु :

1. गुणों का परिचय क्यों ?
2. गुण क्या है ?
3. गुण और उसके भेद
4. गुण परिचय (ओज, प्रसाद, माधुर्य)

गुणों का परिचय क्यों ?

भारतीय साहित्य के आचार्यों ने काव्य के विविध अंगों पर खूब चिन्तन किया है। काव्य के गुण भी उनके चिन्तन-मनन की ही उपज हैं। इनका अध्ययन काव्य के भाव एवं कला-पक्ष को समझने में उपयोगी माना जाता है। इसलिए इनका प्रारम्भिक परिचय नीचे दिया जा रहा है; इससे विद्यार्थी को साहित्य के अध्ययन हेतु आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी।

गुण क्या है ?

गुण का शाब्दिक अर्थ है—विशेषता ! काव्य में दोषों का नहीं पाया जाना ही उसका गुण है। ये गुण रसों के आश्रय में रहते हुए उनके उत्कर्ष के कारण बनते हैं। इनसे काव्य की विशेषता प्रकट होती है।

गुण और उसके भेद :

संस्कृत आचार्यों ने गुणों के विविध भेद माने हैं। भरत मुनि ने गुणों की संख्या दस बताई है। आचार्य कुन्तक ने दो सामान्य एवं चार विशिष्ट गुण माने हैं। मम्मट और विश्वनाथ ने तीन गुण माने हैं।

हिन्दी के अधिकतर आचार्यों ने मम्मट और विश्वनाथ के आधार पर हिन्दी में तीन ही गुण माने हैं। ये तीन गुण हैं—

(1) ओज (2) प्रसाद (3) माधुर्य

ओज गुण—ओज का अर्थ है तेज या प्रताप। हिन्दी साहित्य कोश कार के नुसार ओज गुण की परिभाषा इस प्रकार है:—

काव्य के अन्तर्गत जो गुण सुनने वाले के मन में उत्साह, वीरता, आवेश आदि जाग्रत करने की क्षमता रखता हो, वह ओज कहलाता है।

यह गुण निम्नलिखित रसों से युक्त रचनाओं में पाया जाता है:—

(1) वीर रस-युक्त रचनाओं मे।

(2) वीभत्स रस-युक्त रचनाओं में।

(3) रौद्र रस-युक्त रचनाओं मे।

इस गुण-युक्त रचनाओं में संयुक्ताक्षरों तथा ट, ठ, ड़, श, ष आदि का प्रयोग रहता है।

उदाहरण— बेटा, दूध उजालियो, तू कट पडियो जुद्ध।
नीर न आवे मो नयन, पण थण आवे दुद्ध॥

(ख) मारहिं चपेटन्हि डाटि दाँतन्ह काटि, लातन्ह मीजन्हीं।
चिक्करहिं मर्कट, भालु छलबल करहिं जेहि खल छीजही॥

पाठ्य-पुस्तक के वीर रस, वीभत्स एव रौद्र रस की रचनाओं में इस गुण को देखिए एव गुण सम्बन्धी अभ्यास को दृढ़ कीजिए।

प्रसाद गुण—प्रसाद शब्द का अर्थ होता है 'प्रसन्नता'। जिस गुण के कारण सभी रस की रचनाएँ पाठक या श्रोता को शीघ्रता से समझ मे आ जायँ, वह गुण प्रसाद गुण कहलाता है। प्रसाद गुण को स्पष्ट करने के लिए हिन्दी-साहित्य कोशकार ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है—

जैसे सूखे ईंधन मे अग्नि और स्वच्छ वस्त्र मे जल तुरन्त फैल जाता है, उसी प्रकार चित्र को रसो मे और रचना में जो तुरन्त व्यक्त कर दे, वह गुण प्रसाद है।

प्रसाद गुण मे सरल, सहज भाव प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस गुण की विशेषता है—अर्थ की निर्मलता। यह सभी रसों में पाया जाता है।

उदाहरण— वह आता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता।

विशेष—अभ्यास के लिए पाठ्य-पुस्तक की रचनाओं मे इस गुण को देखिए।

माधुर्य गुण—माधुर्य शब्द का अर्थ है 'मधुरता'। काव्य गुण के प्रसंग में विभिन्न विद्वानो ने माधुर्य शब्द का निम्नलिखित अर्थ स्वीकार किया है—

माधुर्य = कर्ण-प्रियता (आचार्य भरत)
माधुर्य = रस सम्पन्नता (दण्डी)
माधुर्य = दीर्घ समास-रहित होना (वामन)

माधुर्य गुण वह गुण है जिसमें सुनने में मधुर लगने वाले शब्दों का प्रयोग हो, जिसमें बड़ी समास रचना नहीं हो तथा चित्त को द्रवित करने की विशेषता एवं भावमयता हो। ऐसी विशेषताओं वाली रचना में माधुर्य गुण पाया जाता है।

यह गुण शृंगार, करुण तथा शान्त रस की रचनाओं में पाया जाता है। इसमें क से म तक के वर्ण (ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर) तथा मूर्धन्य वर्ण एवं अन्त्य वर्णों का प्रयोग किया जाता है।

उदाहरण—— कंचन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि,
कहत लखन सन राम हृदय गुनि।
मानहुँ मदन दुंदभी दीन्हीं।
मनसा विस्व विजय कहँ कीन्हीं॥

पाठ्य-पुस्तक के काव्यांशों को गुणों की दृष्टि से भी देखिए और उनकी विशेषता को ध्यान में लीजिए। इस तरह गुणों का अभ्यास आगे महाविद्यालयों में साहित्य का अध्ययन करते समय बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा।

अभ्यास के प्रश्न

(1) गुण की परिभाषा लिखकर उसके भेदों की जानकारी दीजिए।
(2) ओज गुण किन-किन रसों में पाया जाता है, उनके नाम दीजिए।
(3) माधुर्य गुण को सोदाहरण व स्पष्ट कीजिए।
(4) कौन सा गुण प्रायः सभी रचनाओं में पाया जाता है? परिभाषा देकर उसकी विशेषता लिखिए।

---

25 | काव्य में दोष

विचारणीय बिन्दु :

1. काव्य के दोष क्या है ?
2. काव्य के दोष और उसके भेद।
3. कतिपय दोषों का परिचय।

काव्य के दोष क्या हैं ?

काव्य का लक्षण बताते हुए कहा गया है—'रसात्मकं वाक्यं काव्यम्'; रसात्मक वाक्य ही काव्य है। यही रस-काव्य की आत्मा है। काव्य और रस का सम्बन्ध शरीर और आत्मा जैसा बताया गया है।

काव्य-रस में अलौकिक आनन्द की अनुभूति होती है। काव्य के भाव एवं कला-पक्ष रस-वृद्धि में अतीव सहायक होते हैं। जिस प्रकार स्वस्थ शरीर की वृद्धि में रुग्णता के कीटाणु बाधक होते है, एवं स्वस्थ शरीर के सौंदर्भ को समाप्त कर देते हैं—उसी प्रकार काव्य के दोष भी काव्य के समस्त सौंदर्य को चौपट कर देते हैं। परिणामस्वरूप काव्यानन्द का आनन्द नहीं लिया जा सकता।

पहले प्रारम्भ से ही साहित्य के विद्यार्थी को काव्य के गुण-दोषों से परिचित करा दिया जाता था, परन्तु अब तो साहित्य के प्रारंभिक विद्यार्थी काव्य के दोष भी होते हैं क्या, कहकर उनसे अपना अपरिचय प्रकट करते सुने जाते हैं। इससे काव्य का रसास्वादन एवं उसमें उत्पन्न अलौकिक आनन्द (ब्रह्मानन्द सहोदर) का अयेष्ट अनुभव वे नहीं कर पाते हैं। इसलिए भाषा एव साहित्य मे प्रवेशेच्छुक विद्यार्थी के लिए काव्य के दोषों से भी परिचित होना जरूरी है।

दोष किसे कहते हैं ?—जिस कारण से काव्य के मुख्य अर्थ को समझने मे बाधा आ जाती है अथवा उसकी सुन्दरता में कमी आ जाती है, उसे ही दोष कहते हैं।

काव्य के ये दोष काव्य-रचयिता की अक्षमता से ही उत्पन्न होते हैं। इनके कारण काव्य का वांछित आनन्द पाठक को नहीं हो पाता है। इसलिए साहित्य के सभी आचार्य इस बात से अपनी सहमति प्रकट करते हैं कि काव्य में किंचित मात्र भी दोष न रहें।

काव्य के दोष और उनके भेद :

काव्य के दोषों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है :—

(1) शब्द-दोष (2) अर्थ-दोष (3) रस-दोष।

इन दोषों का नाम-विवरण निम्न प्रकार है :—

शब्द-दोष :—(1) च्युत संस्कृति दोष, (2) श्रुति कटुत्व दोष
(3) अक्रमत्व दोष, (4) दुष्क्रमत्व दोष,
(5) अप्रतीत्व दोष, (6) न्यून पदत्व दोष,
(7) अधिक पदत्व दोष, (8) अश्लीलत्व दोष,
(9) ग्राम्यत्व दोष, (10) क्लिष्टत्व दोष।

अर्थ-दोष :—(1) पुनरुक्ति दोष, (2) काल दोष,
(3) व्याहत दोष, (4) प्रसिद्धि विरुद्ध दोष,
(5) विद्या विरुद्ध दोष।

रस-दोष :—(1) स्वशब्द वाच्यत्व दोष,
(2) विभाव-अनुभाव कष्ट कल्पना दोष,
(3) रस की पुनः पुन. दीप्ति दोष,
(4) अकांड छेदन दोष,
(5) प्रकृति विपर्यय दोष।

कई विद्वान वर्णन दोष को भी पृथक दोष मानते हैं। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित दोष लिये जाते है—(1) पूर्वापर विरोध दोष, (2) अर्थ विरोध दोष, (3) प्रकृति विरोध दोष।

उल्लिखित दोषों में से कतिपय दोषों का परिचय नीचे दिया जा रहा है :

कतिपय दोषों का परिचय :

1. च्युत संस्कृति दोष :—व्याकरण विरुद्ध प्रयोग इस दोष के अन्तर्गत माने जाते हैं। जहाँ भी व्याकरण विरुद्ध प्रयोग होगा, यह दोष माना जाएगा।

जैसे—मर्म वचन जब सीता बोला, हरिप्रेरित लछिमन मन डोला। (तुलसी)

यहाँ सीता बोला प्रयोग व्याकरण विरुद्ध है। अतः यहाँ च्युत संस्कृति दोष है।

2. श्रुति कटुत्व दोष :—जहाँ काव्य में कानों को अप्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ यह दोष होता है। जैसे :—

प्रिया अलक चच्छुस्रवा, डसँ परत की दृष्टि।

यहाँ चच्छुस्रवा व दृष्टि दोनों ही शब्द कान को सुनने मे अप्रिय लगते हैं। अतः यहाँ श्रुति कटुत्व दोष है। शृंगार, करुण आदि कोमल रसो मे ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर यह दोष होगा।

3. अक्रमत्व दोष :—जहाँ जो शब्द रखा जाना जरूरी है, वहाँ नही रखकर दूर रखने पर अक्रमत्व दोष होता है। जैसे :—

विश्व मे लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी।

यहाँ मानवी शब्द लीला के साथ रखना था क्योंकि ये विशेषण विशेष्य है; परन्तु दोनों दूर रखे गए हैं; अतः यहाँ अक्रमत्व दोष है।

4. अश्लीलत्व दोष :—कविता या काव्यांश मे लज्जाजनक और अशुभ सूचक शब्दों या पदों का प्रयोग किया जाय—वहाँ अश्लीलत्व दोष माना जाता है।

जैसे—(क) रहते चूते मे मजदूर।

यहाँ 'चूते' शब्द का अर्थ पानी टपकते हुए झोंपड़े से है; परन्तु लोक-व्यवहार में यह शब्द लज्जाजनक माना जाता है। अतः यहाँ अश्लीलत्व दोष है।

(ख) जीमूतन दिन पितृ-गृह तिय पग यह गुदरान।

इसमे 'मूत' शब्द घृणास्पद है। पितृ-गृह पितृ-लोक को कहते हैं, इससे अशुभ गुद शब्द गुह्य अंग के लिए प्रयुक्त होता है। अतः यहाँ अश्लीलत्व दोष है।

5. ग्राम्यत्व दोष :—जहाँ काव्य मे गँवारू लोगो की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाय, वहाँ यह दोष माना जाता है। जैसे—

(क) लै कै सुघर खुरपिया पिय के साथ।

यहाँ खुरपिया गँवारू बोली का प्रयोग है। अतः ग्राम्यत्व दोष है।

(ख) धनु है यह गौरम दाइन नाही। इस चरण में गौरम दाइन शब्द बुन्देलखण्ड के कुछ भाग मे ही प्रचलित है; अतः यहाँ ग्राम्य दोष है। 'गौरम दाइन' का अर्थ है 'इन्द्र-धनुष'।

6. क्लिष्टत्व दोष :—जहाँ कठिन शब्दों का प्रयोग करने से अर्थ समझने में कठिनाई का अनुभव हो, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होगा। जैसे—

वेद नखत ग्रह जोरि अरध करि, सोई बनत अब खात

इसमें वेद नखत ग्रह शब्दों से सामान्य अर्थ स्पष्ट नही होता। यहाँ इनके

प्रतीक संख्याओं के योग से अर्थ निकाला जा रहा है—वेद 4, नक्षत्र 27 तथा ग्रह 9; सबका योग $4+27+9=40$ हुआ—इसका आधा 20। इस बीस से विष का अर्थ लिया गया है। गोपियाँ कृष्ण के विरह में विष खाती हैं। अतः यहाँ क्लिष्टत्व दोष है।

7. पुनरुक्ति दोष :—जहाँ काव्य में एक ही अर्थ निकले, ऐसी स्थिति में वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। जैसे—

(क) "धन्य है कलकहीन जीना एक क्षण का, युग युग जीना सकलंक धिक्कार है।" दोनों चरणों का भाव एक ही है। अतः पुनरुक्ति दोष है।

(ख) मृदु बानी मीठी लगे, बात, कवित की उक्ति।

इस चरण में बानी, बात और उक्ति एक ही अर्थ के द्योतक हैं। अतः यहाँ पुनरुक्ति दोष है।

8. अर्थ विरोध :—जहाँ शब्द के ऐसे प्रयोग से अर्थ में विरोध उत्पन्न हो, वहाँ अर्थ विरोध का दोष होता है। जैसे—

लगी वासना की कलिकाएँ, बिखराने मधु वैभव। यहाँ कलिका (कली) से मधु (पराग) का बिखरना कैसे सम्भव है? पराग तो कली के खिलने पर फूल से ही बिखरता है। अतः यहाँ अर्थ विरोध दोष होगा।

पूर्वापर विरोध, प्रकृति विरोध, प्रकृति विपर्यय आदि अनेक दोष हैं। यहाँ तो केवल कुछ प्रसिद्ध दोषों का ही उल्लेख किया गया है।

दोषों का ज्ञान हो तो साहित्य का अध्ययन करते समय साहित्य में रही कमियाँ स्पष्ट हो सकेंगी जिनसे समीक्षा करने मे बड़ी सहायता मिलेगी।

अभ्यास के प्रश्न

(1) दोष की परिभाषा लिखकर यह बताइये कि इनकी जानकारी साहित्य के विद्यार्थी के लिए क्यों जरूरी है?

(2) दोषों के मुख्य प्रकार क्या हैं, लिखिए।

(3) निम्नलिखित दोषों का परिचय दीजिए :—

(i) श्रुति कटुत्व दोष,

(ii) ग्राम्यत्व दोष,

(iii) क्लिष्टत्व दोष।

26 | काव्य में अलंकार

विचारणीय बिन्दु :

(1) अलंकार क्या है ?
(2) अलंकार का अध्ययन क्यों;
(3) पाठ्य-क्रम में अलंकारों का स्थान,
(4) अलंकार शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता;
(5) निर्धारित अलंकार और पाठ्य-पुस्तक की कविताएँ;
(6) मेरा अलंकार संग्रह;
(7) साहित्यिक कार्य-क्रम;
(8) अलंकार और उसके भेद।

अलंकार क्या है ?

काव्य के सम्बन्ध में भारतीय मनीषियों ने बहुत गहरा चिन्तन किया है। इस चिन्तन के परिणामस्वरूप अनेक नई धारणाएँ उभर कर सामने आई हैं। अलंकार भी उन्ही में से एक है। संस्कृत काव्य-शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य भामह ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। संस्कृत साहित्य में अलंकार सम्बन्धी बहुत साहित्य रचा गया है।

हिन्दी मे भी अलंकारों को आधार बनाकर विपुल साहित्य का सृजन हुआ और हो रहा है। केशव, बिहारी, मतिराम, देव, जसवन्तसिंह, आदि रीतिकालीन कवियों के काव्यों में अलंकार सौंदर्य देखने योग्य है। आधुनिक कवि मैथिलीशरण गुप्त, हरिऔध, प्रसाद, पंत आदि अनेक कवियों के काव्यों मे भी अलंकार सौंदर्य का दर्शन किया जा सकता है। अलंकार काव्य की शोभा बढाते हैं। यह शब्द निम्नलिखित दो शब्दों से बना है :—

(1) अलं (2) कार।

अलं का अर्थ है—भूषण

कार का अर्थ है—करने वाला।

तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आभूषण धारण करने से नारी का सौंदर्य बढ जाता है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुन्दरता बढ जाती है।

अलंक्रियते अनेन इति अलंकार: अर्थात् जो अलंकृत करे, वह अलंकार है।

अलंकार का अध्ययन क्यों ?

अलकारो का अध्ययन-अध्यापन सदा से होता आ रहा है। काव्य के सौंदर्य और रसानुभूति के लिए अलकारों का अध्ययन-अध्यापन किया जाता है। इससे काव्य-रचना और काव्य-अध्ययन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इनके अध्ययन से प्राचीन एव अर्वाचीन काव्य-सौंदर्य का दर्शन होता है। काव्य मे रहे गहरे भावों को भी अलकारों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है और समझा जा सकता है। इनके प्रयोग से विषय सुबोध और सुस्पष्ट बन जाता है। इनसे काव्य में रोचकता एवं प्रभावोत्पादकता बनी रहती है।

अलकार-अध्ययन में प्रतिभा-सम्पन्न विद्यार्थियों को काव्य-रचना की प्रेरणा मिलती है। वे स्व-रचना मे अधिक सौंदर्य लाने के लिए अलंकारों का आधार ले सकेंगे।

अलंकार-युक्त रचना के द्वारा विषयवस्तु भी सरलता से याद रह जाती है। शिवाजी का आतंक साहित्य का विद्यार्थी "ऊँचे घोर मंदर के अंदर रहन वारी, ऊँचे घोर मंदर के अदर रहाती हैं" इस पक्ति से सरलतया याद रख लेता है। अलकार-प्रधान रचनाएं मन को लुभाने वाली होती हैं। छोटे-छोटे बालक भी ऐसी रचनाओं से आकर्षित हो जाते हैं। अविभक्त इकाई कक्षा के नन्हे-मुन्ने भी और पंक्तियां तो भूल जाते हैं परन्तु

'चुन्नू के घर बजे रेडियो मुन्नू के घर बजे रेडियो'

तथा

लकड़ी पर चढी ककड़ी, ककड़ी पर आई मकडी।

चुन्नू, मुन्नू, ककड़ी, मकडी इन शब्दों में ध्वनि-साम्य मे जो सौंदर्य है—उसी से नन्हें-मुन्ने ऐसे पद बिना रटे भी याद कर लेते हैं। इसी तरह बडे विद्यार्थी भी शब्द एवं अर्थ सौंदर्य से प्रभावित होकर उस प्रसग को उस पक्ति से याद रख लेते हैं।

अलंकार युक्त रचना सुनने व सुनाने में भी आनन्द प्रदान करती है। वक्ता को भी ऐसी रचनाएँ सुनाने में आनन्द आता है और श्रोता भी अलंकार युक्त रचनाएँ विशेष पसन्द करते हैं।

अलकारों का अध्ययन विभिन्न कवियो की विशेषता का दर्शन कराने में भी सहायक होता है।

इस तरह अलंकार अध्ययन सभी दृष्टियो से बड़ा उपयोगी रहता है।

पाठ्य-क्रम में अलंकारों का स्थान :

माध्यमिक एवं उच्च-माध्यमिक परीक्षाओं के विशेष हिन्दी के पाठ्य-क्रम में तिपय अलकारों को अध्ययन हेतु रखा गया है। इसके पीछे भी दृष्टि यही है कि द्यार्थियों की काव्य-प्रतिमा मुखरित हो तथा काव्य-रचना और अध्ययन में उनकी

गति बढ़े। यद्यपि इन परीक्षाओं के पाठ्य-क्रम में से कतिपय निर्धारित अलंकार ही रखे गए हैं; पर अलंकारों की यह बानगी विपुल साहित्य भण्डार में प्रवेश हेतु प्रेरणा देने में बड़ी सहायक सिद्ध होगी।

अलंकार-शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता :

माध्यमिक एवं उच्च-माध्यमिक कक्षाओं के छात्र अलंकारों के प्रश्नों में अनेक त्रुटियाँ करते हैं। विविध अलंकारों की अन्तर सम्बन्धी धारणा स्पष्ट नहीं होने से ऐसी भूलें हुआ करती हैं। पूछा कुछ जाता है और वे उत्तर कुछ लिख देते हैं। जैसे—

वे कभी भ्रम अलंकार के स्थान पर संदेह लिख देते हैं।
वे कभी संदेह के स्थान पर भ्रम लिख देते हैं।
वे कभी श्लेष के स्थान पर यमक लिख देते हैं।
वे कभी यमक के स्थान पर श्लेष लिख देते हैं।
वे कभी उपमान को उपमेय लिख देते हैं।
वे कभी उपमेय को उपमान लिख देते हैं।
वे कभी रूपक को उत्प्रेक्षा लिख देते हैं।
वे कभी उत्प्रेक्षा को उपमा लिख देते हैं।

वे पाठ्यपुस्तक की कविताओं में अलंकार घटा नहीं पाते। रटे रटाये लक्षण व उदाहरण वे प्रस्तुत करके अलंकार ज्ञान की इतिश्री मान लेते हैं। अलंकारों की चर्चा के समय प्रायः वे उदासीनता प्रकट करते हैं। ये सब स्थितियाँ अलंकार शिक्षण की आवश्यकता प्रकट करती हैं।

उपचारात्मक शिक्षण :

ऊपर यह बताया गया है कि छात्र अलंकारों में अन्तर नहीं कर पाते, वे पाठ्यपुस्तक में पढ़ी हुई कविताओं को अलंकार सौंदर्य की दृष्टि से स्पष्ट नहीं कर पाते—अतः ऐसी शिक्षण-प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जिससे कि छात्रों में वांछित योग्यता उत्पन्न हो सके। इस दृष्टि से निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाय :

पाठन विधि :

अलंकार-शिक्षण के लिए जो विधि अपनाई जाती है—प्रायः उसमें छात्रों को अलंकारों के लक्षण व उदाहरण लिखा दिये जाते हैं। इससे छात्र में पढ़ी हुई कविताओं में अलंकार देखने की दृष्टि उत्पन्न नहीं हो पाती। अतः इस शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

इस दिशा में निगमन विधि का आधार लेना छात्रों के लिए हितकारी रहेगा। पाठ्यपुस्तक में कविताओं का अध्ययन कराते समय निर्धारित अलंकारों में से जिन अलंकारों का प्रयोग उनमें दिखाई देता है, उनका परिचय उन्हीं कविताओं

आधार बनाकर स्पष्ट किया जाय। जब ऐसी दो-तीन कविता उदाहरण उस अलंकार की चर्चा में आ जाएँ तो फिर उन्ही को आधार बनाकर उदाहरण प्रस्तुति की जाय और छात्रो से उस अलकार का जो सौंदर्य उस पद से प्रकट हो रहा है—स्पष्ट करवाया जाय। छात्र स्वयं ही उसका लक्षण भी निकाल सकेंगे। जब ऐसा वे कर लें तो फिर श्याम-पट्ट पर उस अलंकार का लक्षण लिख दिया जाय। तदनन्तर पाठ्य-पुस्तक मे आई कविताओं के पद उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर उस लक्षण को उनमें छात्रो से घटवाया जाय। इस तरह जो अलकार ज्ञान छात्र प्राप्त करेंगे, वह दृढ़ होगा और छात्र की रुचि उसमें आगे अध्ययन हेतु बढ़ती रहेगी।

निर्धारित अलंकार और पाठ्य-पुस्तक की कविताएं :

वार्षिक योजना या इकाई योजना बनाते समय ही पाठ्यक्रम मे निर्धारित अलंकार और उनसे सम्बन्धित पाठ्य-पुस्तक की कविताएँ ध्यान में ले ली जाएँ, जिससे अलंकार शिक्षण देते समय सुविधा रहे।

ऐसा नही होने से प्रायः होता यह है कि कविताओं का अर्थ ज्यों-त्यों स्पष्ट कर दिया जाता है और अलंकार की बात रहती जाती है। पाठ्यक्रम की पूर्ति के लिए अध्यापक जब गद्य-पद्य आदि पढ़ा देते हैं तब या उसके पहले ही जब वह चाहता है अलंकारों के लक्षण व उदाहरण लिख दिये जाते हैं एवं तत्सम्बन्धी पूर्ति समझ ली जाती है। *यह प्रक्रिया अलंकार-शिक्षण को प्रभावी नही बना पाती*—इसके लिए उल्लिखित सुझाव उपादेय हैं। एक उदाहरण से यह बात यों स्पष्ट की जा सकती है—

कक्षा 9वीं की पाठ्य-पुस्तक के कविता-पाठों में निम्नलिखित पद पढ़ाने हेतु रखे गये हैं :

(क) कबिरा सोई पीर है—जो जाने पर पीर

(ख) *कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय*

(ग) ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर रहनवारी ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर रहते हैं

और भी कोई ऐसे पद हों तो उन्हें लिया जा सकता है।

कविता पढाते हुए सोई पीर—पर पीर में प्रयुक्त शीर्षक का सौंदर्य स्पष्ट किया गया। इसी तरह से कनक शब्द का सौंदर्य स्पष्ट किया गया और यह सौंदर्य भी अलकार सौंदर्य है—बताया गया। ऐसे जितने भी पद पाठ्यपुस्तक में हैं—वे यमक अलंकार पढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं।

जब छात्रों में दो-तीन कविता-पाठों में इस तरह शब्द सौंदर्य को समझने की दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी तो फिर वही दृष्टि अलकार समझने की भूमिका बनेगी। ... निर्गमन विधि के द्वारा यमक अलकार का अध्ययन करना अति प्रभावी सिद्ध ... यही दृष्टि अन्य अलकारों के शिक्षण मे भी अपनाई जानी चाहिए। इससे छात्र

में अलंकार पकड़ उत्पन्न होगी जो उसे साहित्य रत्नाकर में गोते लगाने को उत्प्रेरित करेगी।

मेरा-अलंकार-संग्रह :

जब छात्रों में अलंकार पकड की दृष्टि उत्पन्न हो तो अध्यापक उन्हें 'मेरा अलंकार संग्रह बनाने को उत्प्रेरित करें। छात्र पाठ्यपुस्तक तथा अन्य काव्य-ग्रन्थों से पदों का चयन कर यह संग्रह बनाना प्रारम्भ करेगा। इससे भाषा व साहित्य में रूचि तो उत्पन्न होगी ही; साथ ही उसकी यह पकड अलंकार-शिक्षण की नींव में सीमेंट का काम करेगी। उसका यह "मेरा अलकार संग्रह" अलकार ज्ञान को मजबूत बनाने में अतीव सहायक सिद्ध होगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के पीछे जो भावना है, वह पूरी होगी और छात्रों में वांछित योग्यता का आविर्भाव देख कर शिक्षक हृदय भी प्रफुल्लित होगा।

साहित्यिक कार्यक्रम :

विद्यालयो मे कविता प्रपाठ, अन्त्याक्षरी आदि का कार्य-क्रम विभिन्न अवसरों पर आयोजित किये जाते हैं। इन कार्य-क्रमो में अलकार-पाठ कार्य-क्रम भी रखा जाय. जिसमें छात्र विविध अलकारों का पाठ प्रस्तुत करें। कोई यमक अलंकार के पदों का पाठ करे तो कोई श्लेष का, तो कोई भ्रम का तो कोई संदेह का। इस कार्य-क्रम में "मेरा अलंकार संग्रह" अति सहायक सिद्ध होगा।

इसी तरह अलंकार प्रतियोगिता कार्य-क्रम भी आयोजित किया जाय-जिसमे एक दल किसी अलंकार का लक्षण पूछे और दूसरा दल उस लक्षण को किसी पद पर घटित करे।

"साहित्यिक प्रदर्शनी" कार्य-क्रम भी आयोजित किया जाय—जिसमें छात्रों की अपनी साहित्यिक रचनाएँ यथा—"मेरा-लेख-संग्रह", "मेरा कविता संग्रह", "मेरा कहानी-संग्रह" आदि प्रदर्शनी में रखे जाएँ। जो सर्वश्रेष्ठ संग्रह हो उस पर पुरस्कार भी दिया जाय।

ये सब कार्य-क्रम उपचारात्मक शिक्षण के भी अंग सिद्ध होंगे। इससे अलंकार विषयक धारणाएँ पूर्णतया स्पष्ट हो जावेंगी।

अलकारो का परिचय भी उपचारात्मक शिक्षण का ही एक अंग है। इसी दृष्टि से यहां कतिपय अलंकारों का परिचय दिया जा रहा है :

अलंकार और उसके भेद :

अलकार के तीन भेद माने जाते हैं—(1) शब्दालंकार (२) अर्थालंकार (3) उभयालंकार

शब्दालकार—इस शब्द से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि ये अलंकार शब्दों से सम्बन्धित होते हैं। जहाँ शब्दों के प्रयोग से ही चमत्कार या सुन्दरता में वृद्धि हो,

और उन शब्दों के स्थान पर उसी अर्थ को प्रकट करने वाला दूसरा शब्द रख दें तो वह चमत्कार या सौंदर्य वृद्धि समाप्त हो जाय, पर अर्थ में कोई परिवर्तन न हो वहां शब्दालंकार होता है।

जैसे—कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय,

यहाँ जो चमत्कार है, वह कनक शब्द के प्रयोग में है। मगर कनक के स्थान पर स्वर्ण कर दें और यों लिख दें—"स्वर्ण कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय" तो अर्थ तो ज्यों का त्यों बना रहता है परन्तु कनक कनक ते सौ गुनी…में जो चमत्कार (कर्ण-प्रियता) है वह समाप्त हो जाता है। यह चमत्कार कनक शब्द के प्रयोग से प्रकट हुआ है—इसलिए यहां शब्दालंकार है।

अर्थालंकार—इस शब्द से यह स्पष्ट होता है कि ये अलंकार अर्थ से संबंधित होते हैं। यह अलंकार अर्थ पर निर्भर रहते हैं, शब्द पर नहीं। इसका चमत्कार शब्द में नहीं अर्थ में रहता है। शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों से बदल दिया जाय तो भी अर्थ का चमत्कार बना रहता है। जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो और शब्दों के बदल देने पर भी अर्थ चमत्कार बना रहे-वहाँ 'अर्थालंकार' होता है।

जैसे—मुख मयंक सम मंजुल राजत (मुख चन्द्रमा के समान सुशोभित हो रहा है) में अर्थ के कारण चमत्कार इसलिए है कि मुख की तुलना चन्द्रमा से की गई है। इन शब्दों के स्थान पर इनके पर्यायवाची शब्द लिख दें—"आनन विधु सम सुन्दर सोहत" तो भी अर्थ का चमत्कार बना रहता है। इसलिए यहाँ अर्थालंकार है।

शब्दालंकार व अर्थालंकार में अन्तर :

अर्थालंकार में अर्थ के कारण चमत्कार रहता है। पर्यायवाची शब्दों से परिवर्तन कर देने पर भी अर्थ में चमत्कार बना रहता है।

शब्दालंकार में शब्द के कारण चमत्कार बना रहता है, अर्थ के कारण नहीं। शब्द को बदल देने पर वह चमत्कार समाप्त हो जाता है।

उभयालंकार—इसका तात्पर्य है—शब्दालंकार+अर्थालंकार जहाँ शब्द एवं अर्थ दोनों का चमत्कार बना रहता है—वहाँ उभयालंकार होता है।

विशेष—अनेक विद्वान अलंकारों का यह वर्गीकरण स्वीकार नहीं करते। वे अलंकार और रस में गहरा सम्बन्ध मानते हैं। इस बात को वे उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जैसे शरीर और चमड़ी का सम्बन्ध होता है—वैसे ही रस और अलंकार में सम्बन्ध होता है। सभी प्रकार के अलंकार काव्य के रस या भाव से इस तरह घुले-मिले होते हैं जैसे—दूध और शक्कर। इसलिए अलंकारों का यह वर्गीकरण उचित नहीं।

शब्दालंकार

कुछ प्रसिद्ध शब्दालंकार निम्नलिखित हैं :

(1) अनुप्रास (2) यमक

(3) श्लेष (4) वक्रोक्ति

अनुप्रास :

उदाहरण देखिए तथा विशेषता ध्यान में लीजिए—

(क) हम भारत के भरत खेलते, शेरों की सन्तान से।

(ख) यह एकलिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है।

(ग) ताहि अहीर की छोहरियाँ, छछिया भरि छाछ पे नाच नचावें।

(क) में भ, र, त वर्णों की आवृत्ति हुई है।

(ख) में स, न, ह वर्णों की आवृत्ति हुई है।

(ग) में ह, र, छ, न, च वर्णों की आवृत्ति हुई है।

लक्षण—जिसमें एक वर्ण या अनेक वर्णों की आवृत्ति (एक से अधिक बार) हो, चाहे उनके स्वर मिलें या न मिलें, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं।

इस लक्षण को अनुप्रास शब्द के अर्थ को ध्यान में रखकर भी याद रखा जा सकता है :—

अनु = बार-बार

प्र = विशेष रूप से

आस = रखना

अर्थात् किसी वर्ण का बार-बार प्रयोग करना जिससे बोलने और सुनने में विशेष प्रभाव उत्पन्न हो।

अनुप्रास अलंकार से रचना में चमत्कार (कर्ण-प्रियता) उत्पन्न होता है।

विशेष—अनुप्रास अलंकार की बात हृदयंगम हो जाय, इसके लिए पाठ्य-पुस्तक की रचना का या अन्य रचनाओं का अध्ययन करते समय अनुप्रास अलंकार से प्रकट चमत्कार को ध्यान में लिया जाना चाहिए।

अनुप्रास अलंकार के प्रकार—अनुप्रास के पाँच भेद होते हैं :—

(1) छेकानुप्रास (2) वृत्यानुप्रास (3) श्रुत्यानुप्रास

(4) अन्त्यानुप्रास (5) लाटानुप्रास।

इन सब में अनुप्रास का जो लक्षण ऊपर बताया गया है, रहता ही है परन्तु कुछ विशेषताओं के कारण इन भेदों का भी परिचय आवश्यक है :—

छेकानुप्रास—इसमें एक वर्ण अथवा अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति होती है। अर्थात् उनका दो बार प्रयोग होता है।

इस लक्षण को इस रूप में भी याद किया जा सकता है :—

वर्ण अनेक कि एक की, आवृत्ति एकै बार।
सो छेकानुप्रास है, आदि अन्त निरधार।।

उदाहरण—आँख में आँसू न लाना
यहाँ आ और न दो बार आये हैं।

वृत्यानुप्रास—इसमें वर्ण या वर्णों का दो से अधिक बार प्रयोग किया जाता है :—

उदाहरण—(क) चारु चन्द्र की चचल किरणें, खेल रही थी जल-थल में
(च का बार-बार प्रयोग)

(ख) सेस महेस गनेस दिनेस सुरेस हू जाहि निरंतर ध्यावैं
(स का बार-बार प्रयोग)

(ग) गावैं गुनी गनिका गधर्व औ सारद सेस सबै गुन गावत
(ग का बार-बार प्रयोग)

(घ) दुख में सुमिरन सब करैं, सुख में करै न कोय
(क की बार-बार आवृत्ति)

श्रुत्यानुप्रास—इसमें समान उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति होती है।

उदाहरण—इधर चतुर ने जाल बिछाया,
उधर पक्षियों ने फल छोड़े।।

प्रथम पंक्ति में इ, च, ज तालव्य वर्णों की तथा दूसरी पंक्ति में उ, प, फ ओष्ठ्य वर्णों की आवृत्ति हुई है। इसलिए श्रुत्यानुप्रास अलकार है।

अन्त्यानुप्रास : इसमें पद अथवा चरण के अंत मे आने वाले अक्षरों में समानता रहती है।

उदाहरण : कोटि मनोज लजवानि हारे, सुमुखि कहहु को आहि तुम्हारे।

लाटानुप्रास : इसमें शब्द और अर्थ की आवृत्ति में तात्पर्य की भिन्नता रहती है। शब्दो के अर्थ तो वही रहते है परन्तु अन्वय करने पर तात्पर्य बदल जाता है।

उदाहरण—(क) रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी।

(ख) यदि है पुत्र कुपुत्र, व्यर्थ उसको धन देना,
यदि है पुत्र सुपुत्र व्यर्थ उसको धन. देना।

यहाँ अन्वय करने पर तात्पर्य मे भिन्नता स्पष्ट हो जाती है।

यमक :

नीचे दिए गए उदाहरण ध्यान से पढ़िए और विशेषता ध्यान मेंलीजिए :

(क) भूपन भनत सिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ातीं ते वे नगन जड़ाती हैं।

(ख) कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाये,
ते खाये बौरात जग, वा पाये बौराय।

(ग) ऊँचे घोर मंदर के अन्दर रहनवारी, ऊँचे घोर मंदर के अन्दर रहति हैं ।

(क) में प्रयुक्त समान शब्दों के अर्थ देखिए
नगन=हीरे पन्ने आदि नग जड़ाती = आभूषण में नग आदि लगवाना
नगन=वस्त्र रहित जड़ाती=शीत से कांपना

(ख) में प्रयुक्त समान शब्दों के अर्थ देखिए
कनक = स्वर्ण कनक = धतूरा

(ग) में प्रयुक्त समान शब्दों के अर्थ देखिए
घोर मंदर = बड़े-बड़े सुन्दर महल घोर मंदर = भयंकर गुफाएँ

निष्कर्ष—दो समान शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं परन्तु अर्थ में भिन्नता है । इसी समान शब्द प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है ।

परिभाषा—जिसमें शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं ।

ध्यातव्य—पाठ्य-पुस्तक की रचनाओं में यमक अलंकार के प्रयोग हों तो उनके द्वारा इसका विशेष अभ्यास दिया जाना चाहिए ।

श्लेष—

इन उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और विशेष बात ध्यान में लीजिए:—

(१) मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरि सोई ।
जा तन की झांई परे स्याम हरित दुति होई ।।

(२) पानी गए न ऊबरे मोती मानुष चून ।

(३) सुवरन को ढूँढ़त फिरत, कवि, व्यभिचारी, चोर ।

(४) जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई ।
बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होई ।।

(५) को घटि ? ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर ।

मोटे शब्दों का चमत्कार देखने के लिए उसके अर्थ ध्यान में लीजिए:—

(१) झांई→परछाई, ध्यान, झलक
स्याम→श्रीकृष्ण, काला रंग, पाप
हरित→प्रसन्न होना, हरा रंग, दूर करना

(२) पानी
- चमक (मोती के साथ)
- प्रतिष्ठा (मनुष्य के साथ)
- जल (चूने के साथ)

(३) सुवरन { सुन्दर वर्ण (अक्षर-शब्द) (कवि के लिए)
सुन्दर रूप (व्यभिचारी के लिए)
स्वर्ण (चोर के लिए)

(४) बारे { जलाने पर (दीप के सम्बन्ध में)
बचपन में (कपूत के सम्बन्ध में)

बढ़ै { बुझने पर (दीप के सम्बन्ध में)
बड़ा होने पर (बड़ा होने पर)

(५) वृषभानुजा—वृषभ + अनुजा = गाय, वृषभानु + जा = वृषभानु की पुत्री (राधा)।

निष्कर्ष—शब्द तो एक बार ही आया है परन्तु उसके अर्थ अलग-अलग हो रहे हैं। इसीलिए चमत्कार भी प्रकट हो रहा है।

परिभाषा—जिसमें शब्द तो एक बार ही प्रयुक्त हो परन्तु उसके अर्थ भिन्न-भिन्न हों—वह श्लेष अलंकार कहा जाता है।

ध्यातव्य—अभ्यास हेतु पाठ्य-प्रसार के पदों का अध्ययन करते समय जहाँ एक शब्द के एक बार आने पर विभिन्न अर्थ निकलते हों—इस परिभाषा को वहाँ घटाइये और श्लेष का चमत्कार देखिए। यमक में शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ भिन्न होता है तथा श्लेष में आवृत्ति नहीं होती शब्द एक ही रहता है और अर्थ भिन्न-भिन्न होते हैं।

एक से चार तक के शब्दों के अर्थ यों ही विभिन्न निकल रहे हैं परन्तु पाँचवें में वृषभानुजा शब्द के विभिन्न अर्थ उसके खण्ड करने पर निकलते हैं। जहाँ शब्द को बिना तोड़े ही विभिन्न अर्थ निकलें—वहाँ अभंग श्लेष माना जाता है और जहाँ शब्द को तोड़ने पर विभिन्न अर्थ निकलें—वहाँ सभंग श्लेष माना जाता है।

वक्रोक्ति अलंकार :

निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए और शब्द का चमत्कार देखिए—

(१) एक सखी दूसरी सखी से पूछती है—"हे री सखी, कृष्ण चन्द्र ?
दूसरी सखी उत्तर देती है—चन्द्र कहूँ, कृष्ण होत ?

(२) राधा-कृष्ण का प्रश्नोत्तर—को तुम ? हैं घनश्याम हम, तो बरसौ कित जाय।

विश्लेषण—पहले में प्रश्न पूछा गया है —कृष्ण चन्द्र हैं ?
उत्तर दिया गया है—चन्द्र कहीं कृष्ण होता है ?
दूसरे में प्रश्न पूछा गया है ? —तुम कौन हो ?
उत्तर दिया गया है—घनश्याम
उत्तर का उत्तर दिया गया है—तो कहीं जाकर वर्षा करो

निष्कर्ष—वक्ता के कहे गए वाक्य या शब्द का भिन्न अर्थ निकाल कर श्रोता कुछ और ही उत्तर देता है और घुमा-फिरा कर कोई बात कही जा रही है।

परिभाषा—जहाँ किसी उक्ति में वक्ता ने किसी अन्य अभिप्राय से शब्द का प्रयोग किया हो परन्तु सुनने वाला उससे भिन्न अर्थ की कल्पना कर लेता है और बात को घुमा-फिराकर विशेष तात्पर्य प्रकट किया जाता है—वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है।

वक्रोक्ति शब्द को भी समझने से यह बात स्पष्ट हो जाती है—

वक्र = टेढ़ा, उक्ति = कथन अर्थात् किसी बात का सीधा अर्थ न लेकर घुमा-फिरा कर दूसरा अर्थ लेना।

ध्यातव्य—वक्रोक्ति में कथन प्रतिकथन रहता है। वक्रोक्ति के दो भेद होते हैं—(१) काकु वक्रोक्ति, (२) श्लेष वक्रोक्ति।

काकु वक्रोक्ति में कण्ठ ध्वनि से ही भिन्न अर्थ लगाया जाता है।

श्लेष वक्रोक्ति में प्रयुक्त शब्द का भिन्न अर्थ निकाला जाता है। ऊपर दिए गए सभी उदाहरण श्लेष वक्रोक्ति के हैं।

काकु वक्रोक्ति का उदाहरण—एक कह्यो वर देत भव, भाव चाहिए चित्त।
सुनि कह कोउ-'भोले भवहिं, भाव चाहिए भित्त।।

एक ने कहा—भगवान् शंकर भक्ति करें तो वर देते हैं। दूसरे ने विशेष स्वर में कहा—क्या भोले शिव को भी भक्ति की जरूरत है, (तात्पर्य निकला—नहीं) भोले शंकर से वर-प्राप्ति के लिए भक्ति की आवश्यकता नहीं है। यह तात्पर्य किसी शब्द के विभिन्न अर्थ से नहीं निकालना पड़ा—ध्वनि से ही स्पष्ट हो गया।

पाठ्य-पुस्तकों में आए ऐसे प्रसगों का आधार लेकर वक्रोक्ति का चमत्कार स्पष्ट किया जाय। यह अलंकार उच्च कोटि के हास्य, शृंगार एवं वीर रसों की उत्पत्ति मे बड़ा सहायक होता है।

अर्थालंकार

अर्थालंकार के अनेक भेद हैं। यहाँ कतिपय भेदों का परिचय दिया जा रहा है:—

उपमा अलंकार :

निम्नलिखित उदाहरण देखिये और विशेष बात ध्यान मे लीजिये:—

(क) राम लखन सीता-सहित, सोहत परन निकेत।
जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत।।

(ख) पीपर पात सरिस मन डोला

(ग) है तीर तुल्य लगती तप में समीर

(घ) राम का मुख कमल के समान सुन्दर है।
(च) नव उज्ज्वल जल-धार हार हीरक सी सोहती।
(क) में राम, लक्ष्मण, सीता और पर्ण कुटीर का वर्णन करते हुए यों बताया गया है—

पर्ण कुटीर	अमरपुर (स्वर्ग) के समान है।
राम	इन्द्र के समान हैं।
सीता	शची (इन्द्र की पत्नी) के समान है।
लक्ष्मण	जयंत (इन्द्र के पुत्र) के समान है।

(ख) में मन को पीपल के पत्ते के समान बताया गया है।
(ग) में तप-समीर (ग्रीष्म की हवा) को तीर के समान बताया गया है।
(घ) में राम के मुख को कमल के समान सुन्दर बताया गया है।
(च) में जल-धार को हीरक हार के समान सुन्दर बताया गया है।

निष्कर्ष—पर्ण कुटीर, राम, सीता तथा लक्ष्मण की स्वर्ग, इन्द्र, शची व जयंत के साथ तुलना की गई है। इसी तरह से अन्य खण्डों में भी किसी की किसी से तुलना की गई है।

उपमा—दो भिन्न वस्तुओं की किसी समान धर्म के आधार पर परस्पर तुलना करना उपमा अलंकार कहलाता है।

ध्यातव्य—उपमा में चार बातें होती हैं:—

(१) जिसकी तुलना की जाय। (उपमेय)
(२) जिससे तुलना की जाय। (उपमान)
(३) समानता बताने वाला शब्द हो (इसे वाचक शब्द कहते हैं।)
(४) ऐसा गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में हो। (इसे समान धर्म कहते हैं।)

यही बात ऊपर दिए गए एक उदाहरण के आधार पर यों प्रकट की जा सकती है:—

उदाहरण—राम का मुख कमल के समान सुन्दर है।
उपमेय—राम का मुख (जिसकी तुलना की गई है।)
उपमान—कमल (जिससे तुलना की गई है।)
वाचक शब्द—समान (यह समानता बताने वाला शब्द है।)
समान धर्म—सुन्दर (यह गुण राम के मुख और कमल दोनों में समान रूप से है।)

उपमा में ये चारों अंग रहते हैं तो वह पूर्णोपमा कहलाती है।
इनमें से किसी की कमी होने पर लुप्तोपमा कही जाती है।

पूर्णोपमा का उदाहरण—राम का मुख कमल के समान सुन्दर है।

लुप्तोपमा का उदाहरण—है तीर तुल्य लगती तन में समीर (यहाँ समान धर्म लुप्त है।)

विशेष—पाठ्य-पुस्तक में आये प्रसंगों के आधार पर इस अलंकार का अभ्यास दिया जाना चाहिये।

रूपक-अलंकार :

निम्नलिखित उदाहरण पढ़िये और विशेषता ध्यान में लीजिए—

(क) मयंक है श्याम बिना कलंक का

(ख) अंबर-पनघट में डुबो रही, तारा-घट उषा-नागरी

(ग) नदियाँ प्रेम-प्रवाह, फूल तारा-मण्डल हैं।

(घ) चरण-कमल बन्दौ हरि राई ॥

(क) प्रथम खण्ड मे श्याम उपमेय और मयंक उपमान को एक रूप कहा गया है।

(ख) द्वितीय खण्ड में उषा को पनिहारिन (नागरी), आकाश को पनघट और तारों को घट बताया गया है।

(ग) तृतीय खण्ड में नदियाँ उपमेय और प्रेम प्रवाह उपमान को एक रूप कहा गया है और तारामण्डल को फूल कहा गया है।

(घ) चतुर्थ खण्ड में चरण और कमल को एक रूप कहा गया है।

निष्कर्ष—इन उदाहरणों में उपमा के समान उपमेय और उपमान पृथक्-पृथक् नहीं हैं। दोनों मिलकर एक रूप हो गये है।

परिभाषा—जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाय अथवा जहाँ उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाय, वहाँ रूपक अलंकार होता है।

ध्यातव्य—रूपक के तीन भेद माने जाते हैं:—

(१) निरंग रूपक (२) सांग रूपक (३) परंपरित रूपक

(१) निरंग रूपक—जिसमे केवल उपमेय को उपमान का रूप दिया जाता है। जैसे—दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है ?

इसमें दुःख को जलनिधि (समुद्र) कहा गया है परन्तु दुःख के किसी अंग के साथ नहीं।

(२) सांग रूपक (सावयव रूपक)—जहाँ उपमेय पर तथा उसके अन्य अंगों एवं उसके सहचरो पर भी उपमान का आरोप किया जाता है, वहाँ सांग रूपक होता है। जैसे—अंबर पनघट में डुबो रही, तारा-घट उषा नागरी।

उषा उपमेय को पनिहारिन (नागरी) उपमान बताया गया है। पनिहारिन

के अंग घट, पनघट भी उपमेय उषा के साथ बताए गए हैं। यहाँ आकाश पनघट है और तारा घट के रूप में है।

(३) परंपरित रूपक---इसमें दो रूपक होते हैं-जिनमें से एक रूपक दूसरे रूपक पर निर्भर रहता है। जैसे---कवि कुल-कुमुद कलाधर राम। हों दुःख सब करुणा धाम।।

इसमें कवि कुल को कुमुद बनाया इसलिए राम को कलाधर (चन्द्रमा) बनाया क्योंकि कुमुद चन्द्रमा को देखकर खिलते हैं। एक रूपक है कवि-कुल कुमुद इसके लिए राम को कलाधर (कलाधर राम) का दूसरा रूपक बनाया गया जिस पर पहला निर्भर रहता है। इसलिए यहाँ परंपरित रूपक है।

पाठ्य-पुस्तक के प्रसंगो को आधार बनाकर इसका (रूपक अलंकार का) अभ्यास कराया जाय।

उत्प्रेक्षा अलंकार :

इस अलंकार को समझने के लिए नीचे कुछ उदाहरण देखिए तथा विशेष बात ध्यान मे लीजिए:---

(क) लट लटकनि मनो मत्त मधुप गन मादक मर्दाहि पिये।
(ख) परति पछार बाइ छिन ही छिन, अति आतुर है दीन।
मानहुँ सूर काढ़ि डारी है, वारि मध्य ते मीन।।
(ग) मनो नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात।।
(घ) संग सुबन्धु पुनीत प्रिया, मनु धर्म क्रिया धरि देह सुहाई।।
(च) ध्यान सभा जनु तनु धरें, भगति सच्चिदानन्द।। (चित्रकूट में भरत)

ऊपर के उदाहरणों को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि---

खण्ड क में श्रीकृष्ण के बालों की लटाओ मे भ्रमर (मधुप) की सम्भावना की गई है।

खण्ड ख में श्रीकृष्ण के वियोग में दुःखी गायों की स्थिति में जल से बाहर निकाली गई तड़पती मछलियों की कल्पना की गई है।

खण्ड घ में वन जाते हुए राम-लक्ष्मण एवं सीता में शरीरी धर्म और क्रिया की कल्पना की गई है।

खण्ड ग मे श्रीकृष्ण के श्याम वर्ण शरीर जिस पर पीत वस्त्र हैं, उसमें प्रभात के प्रकाश से प्रकाशित नीलमणि के पर्वत की कल्पना की गई है।

खण्ड च में चित्रकूट में भरत के आने के समय जब राम व सीता मुनियों के में थे---उनमें शरीरधारी भक्ति और सच्चिदानन्द की कल्पना की गई है।

निष्कर्ष---इन उदाहरणों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि किसी उपमेय

में किसी उपमान की कल्पना की गई है और उसे मनु, मानो, जनु आदि शब्दों से प्रकट किया जाता है।

परिभाषा—जहाँ किसी उपमेय में किसी उपमान की कल्पना की जाती है और उसे जनु, जानहु, मनु, मानो, आदि शब्दों से प्रकट किया जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।

ध्यातव्य—उत्प्रेक्षा के तीन भेद माने जाते हैं—

(१) वस्तूत्प्रेक्षा—जहाँ किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में सम्भावना की जाय वहाँ वस्तूत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे—

सोहत ओढ़े पीत पट स्याम सलौने गात,
मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात।

(२) हेतूत्प्रेक्षा—जहाँ अहेतु को हेतु मानकर उत्प्रेक्षा की जाय—वहाँ हेतूत्प्रेक्षा अलंकार होता है।

जैसे—बढ़त ताड़ को वृक्ष मह, मनु चूमन आकाश।

ताड़ का वृक्ष स्वभावतः ऊँचा होता है, वह आकाश को छूने के लिए ऊँचा नहीं होता इस तरह अहेतु में हेतु की सम्भावना की गई है।

(३) फलोत्प्रेक्षा—जहाँ अफल में फल की कल्पना की जाय, वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे—दिनकर निज कर देत है, सतदल दलनि उघारि।

यहाँ सूर्य की किरणें इसलिए गिरती हैं कि शतदल कमल खिल जाय। वस्तुतः सूर्य किरणों के गिरने के पीछे इस फल की इच्छा नहीं है। अतः यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार है।

अभ्यास के लिए पाठ्य-पुस्तक के कविता-पाठों का आधार लिया जाय।

अनन्वय अलंकार :

इस अलंकार को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण पढ़िये और विशेषता ध्यान में लीजियेः—

(क) रवि मयूख मयूख के समान है।

(ख) उपमान विहीन रचा विधि ने बस भारत के सम भारत है।

(ग) सुन्दर नन्द किशोर से सुन्दर नन्द किशोर।

निष्कर्ष—इन उदाहरणों को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि उपमेय को उसी उपमेय के समान बताया गया है। रवि की किरणें (मयूख) मयूख के समान तथा भारत को भरत के समान ही बताया गया है।

परिभाषा—जहाँ उपमेय की तुलना उपमान के अभाव में उसी उपमेय को ही उपमान बताकर की जाती है, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है।

ध्यातव्य—अभ्यास हेतु पाठ्य-पुस्तक के पदों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

संदेह अलंकार :

इस अलंकार को समझने के लिए नीचे दिये जा रहे पदों के उदाहरण पढ़िये और चमत्कार ध्यान में लीजिए—

(क) लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार !

(ख) सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है;
कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है।

(ग) तुलसी सुरेस चाप, कैधों दामिनी कलाप,
कैधों चली मेरु ते कृसानुसरि भारि है।

(घ) आ ! बाण थे या भयंकर पक्षधारी व्याल थे।

उल्लिखित पदों की पंक्तियों को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि:—

क खण्ड में दुर्गा है या लक्ष्मी—सादृश्य के कारण यह निश्चय नहीं हो पा रहा है।

ख खण्ड में साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, सादृश्य के कारण यह निश्चय नहीं हो पा रहा है।

ग खण्ड में इन्द्र-धनुष है या बिजली का समूह या आग की नदी—समानता के कारण निश्चय नहीं हो पा रहा है।

घ खण्ड मे बाण थे या पंखधारी सर्प थे—समानता के कारण निश्चय नहीं हो पा रहा है।

निष्कर्ष—यहाँ सादृश्य के कारण किसी का भी निश्चय नहीं हो पा रहा है।

परिभाषा—जहाँ सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं का संशय बना रहे और निश्चय किसी का भी न हो, वहाँ सन्देह अलंकार होता है।

ध्यातव्य—पाठ्य-पुस्तक में आए पदों के प्रसंग को आधार बनाकर इस अलंकार का अभ्यास दिया जाना चाहिये।

धौं, किधौं, अथवा, वा, या, कि, किंवा इन शब्दों में से किसी का भी प्रयोग सन्देह प्रकट करने के लिये किया जाता है। इन्हे वाचक शब्द कहा जाता है।

भ्रांतिमान अलंकार :

यह भी एक अलंकार है। इसे समझने के लिए सन्देह अलंकार की बात ध्यान में रख कर निम्नलिखित उदाहरण पढ़िये और सन्देह तथा इसकी भिन्नता ध्यान में लीजिए:—

(क) नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से
देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है ?

(ख) चन्द्र के भरम-होत, मोद है कुमोदनी को,
सुसि संक पंकज नी फूलि सकति है।

(ग) आवत लखि घनश्याम को, नाचि उठे मुदि मोर।

उल्लिखित उदाहरणों को पढ़ने पर यह ज्ञात होता है कि:—

(क) खण्ड में राधिका के नाक में लगी नथ के मोती को डाड़िम का बीज समझकर नाक और मोती के योग को दूसरा शुक समझ लिया गया है।

(ख) शिशिर ऋतु के सूर्य को चन्द्र समझकर कुमुदनी खिलने लगी है और कमलिनि नहीं फूल रही है।

(ग) खण्ड में घनश्याम (कृष्ण) को बादल समझकर मोर नाचने लग गये हैं।

निष्कर्ष—इन उदाहरणों में भ्रम के कारण किसी वस्तु को कुछ समझकर कार्य हो रहा है। वस्तुतः चीज और है तथा उसे भ्रम से कुछ और समझ लिया गया है। सन्देह में तो सन्देह बना रहता है कोई निश्चय नहीं होता। इसमें एक भ्रम से एक निश्चय कर लिया जाता है। इसमें धौं, किधौं, या, अथवा, वा ऐसे वाचक शब्द भी नहीं होते।

परिभाषा—जहाँ समानता के कारण किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो एवं निश्चय रूप से उसे वैसा समझ लिया जाय, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है।

ध्यातव्य—पाठ्य-पुस्तक के पदों को या अन्य पदों के आधार पर संशय और भ्रांतिमान का अन्तर ठीक तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसके लिये ऐसे पदों के द्वारा विशेष अभ्यास दिया जाय।

दृष्टान्त अलंकार :

निम्नलिखित उदाहरण पढ़िये और इस अलंकार की विशेषता समझने का प्रयास कीजिये:—

(क) रहिमन अँसुआ नयन ढरि, जिय दुःख प्रकट करेई।
जाहि निकारो गेहतें, कस न भेद कहि देई॥

(ख) पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम उचारते।
देखो भयंकर भेड़िये भी आज आँसू डालते॥

(ग) भले-बुरे सब एक से जौ लौं बोलत नाहिं।
जानि परत हैं काक-पिक, ऋतु वसन्त के माहिं॥

(घ) करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।
रस री आवत जात ते सिल पर-परत निसान॥

उल्लिखित उदाहरणों को पढ़ने पर यह ज्ञात होता है कि:--

खण्ड क में प्रथम पंक्ति में जो बात कही गई है, दूसरी पंक्ति में वैसी ही मिलती-जुलती बात कही गई है।

खण्ड ख, ग तथा घ में भी यही बात है।

निष्कर्ष--एक पंक्ति में एक बात कह कर दूसरी पंक्ति में उसी से मिलती-जुलती बात कही जा रही है।

परिभाषा--जहां उपमेय तथा उपमान सम्बन्धी दो अलग-अलग वाक्यों में अलग-अलग बात होने पर भी बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव से एक प्रकार की समानता मालूम हो-वहां दृष्टांत अलंकार होता है।

दृष्टान्त अलंकार में दोनों वाक्यों मे भाव एक होते हुए भी समान धर्म एक नहीं होता। इस अलंकार मे ज्यों, जैसे वाचक शब्दों के प्रयोग नही होते।

ऊपर के उदाहरणों से यह स्पष्ट है।

खण्ड ख में 'रामनाम उचारते' और आंसू डालते भिन्न-भिन्न धर्म हैं परन्तु दोनों का भाव एक ही है। ऐसा ही सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है।

उदाहरण अलंकार :

दृष्टांत अलंकार की बात को ध्यान में रखते हुए दिए गए उदाहरण पढ़ें और दोनों का अन्तर ज्ञात करें—

(क) सन्त न छाँड़े संतई, कोटिक मिलें असन्त।
मलय सर्प से ज्यों घिरा, शीतलता न तजन्त॥

(ख) जो रहीम मन हाथ है, मनसा कहुँ किन जाहि।
जल में ज्यों छाया परी, काया भीजत नाहि॥

(ग) बुरो बुराई जो तजै, तो खरो सकात।
ज्यों निकलंक मयंक लखि, गनें लोग उतपात॥

ऊपर लिखे उदाहरणों को पढ़ने से यह बात ज्ञात होती है कि :—

खण्ड क में ऊपर एक बात कही गई है कि संत पुरुष कभी भी सज्जनता नही छोड़ते है। दूसरी पंक्ति मे उदाहरण द्वारा इसी बात को समझाई गई है कि चन्दन के सर्प लपटे रहते हैं परन्तु चन्दन अपनी शीतलता नही छोड़ता। यही बात शेष उदाहरणो में भी है।

निष्कर्ष—पहले एक बात कही जाती है और दूसरी पक्ति मे उसी बात को उदाहरण द्वारा समझाई जाती है। इसमे ज्यों, जैसे वाचक शब्द भी रहते हैं।

परिभाषा—जहां पहले सामान्य रूप से कोई बात कही जाय और उसी बात ...ो उदाहरण से समझाई जाय, वहां उदाहरण अलकार होता है।

ध्यातव्य—दृष्टान्त मे उपमेद वाक्य तथा उपमान वाक्य मे बिंब प्रतिबिंब

भाव होता है। ऊपर कही गई बात से मिलती-जुलती दूसरी बात से उसकी पुष्टि की जाती है परन्तु ज्यों, जैसे आदि वाचक शब्दो का प्रयोग नहीं होता।

उदाहरण मे एक बात कहकर उसको उदाहरण द्वारा समझाया जाता है। उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए ज्यों, जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

इनका विशेष अभ्यास विविध उदाहरणो से दिया जाय जिससे कि दृष्टान्त और उदाहरण अलंकार का अन्तर स्पष्ट हो जाय।

अन्योक्ति अलंकार :

यह अलंकार ठीक तरह से स्पष्ट हो जाय इसके लिए नीचे दिये गए उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और इसकी विशेषता समझिए—

(क) भरत प्यास पिंजरा परयौ, सुआ समय के फेर।
आदर दै-दै बोलियतु, वाइसु बलि की ओर॥

(ख) स्वारथ सुकृत न श्रम वृथा, देखि विहंग विचारि।
बाज पराये पानि परि तू पच्छीनु न मारि॥

(ग) कर लै सूघि सराहि हूँ रहे सबै गहि मौनु।
गंधी अंध! गुलाब की गँवई गाहक कौनु॥

इन उदाहरणों को पढ़ने से यह बात ज्ञात होती है कि—

खण्ड (क) में तोते और कौए की बात कहकर यह स्पष्ट किया गया है कि समय से स्थिति मे परिवर्तन होता रहता है।

खण्ड (ख) में पालतू बाज के उदाहरण से राजा जयसिंह को जो औरंगजेब के सेनापति थे और अपनी ही जाति के व्यक्तियों को औरंगजेब की आज्ञा से हानि पहुँचाते थे, यह समझाया गया है कि वे ऐसा काम छोड़ दें।

खण्ड (ग) में भी गंधी के उदाहरण से यह स्पष्ट किया गया है कि चीज के परख करने वालो को सामने ही उस चीज को रखनी चाहिए, मूर्खों के सामने नहीं।

निष्कर्ष—किसी अन्य के कथन से किसी अन्य को सजग किया जाता है या कोई विशेष भाव स्पष्ट किया जाता है।

परिभाषा—जहाँ कवि जो बात कहना चाहता है उसे सीधी न कहकर उसके समान दूसरी बात कहता है और अपने अभिप्राय का बोध कराता है—वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है।

ध्यातव्य—जो बात कहना चाहता है, उसे प्रस्तुत बात कहते हैं। जो दूसरी बात प्रस्तुत के समान होती है पर प्रसंग का विषय नहीं होती उसे अप्रस्तुत बात कहते हैं।

ऊपर के उदाहरण में राजा जयसिंह को सजग करना प्रस्तुत बात है और बात की बात विषय के प्रसंग की नहीं है, पर उसके उल्लेख से प्रस्तुत बात का बोध कराया गया है-अतः यह अप्रस्तुत बात है ।

पाठ्य पुस्तक में कबीर, रहीम, बिहारी, गिरधर आदि कवियों के काव्यांशों के उदाहरणों से इसका अभ्यास दिया जाय ।

अतिशयोक्ति अलंकार :

इस अलंकार को समझने के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—इन्हें ध्यान से पढ़िए और इस अलकार की विशेषता ध्यान में लीजिए—

(क) कहलाने एकत वसत अहि मयूर मृग बाघ ।
जगत तपोवन सो कियो, दीरघ राघ निदाघ ।।

(ख) पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहुँ पास ।
नित प्रति पून्योई रहत, आनन ओप उजास ।।

(ग) भूपति तेरे दान से याचक बने कुबेर ।

(घ) निसदिन बरसत नैन हमारे ।
सदा रहत पावस ऋतु हमपै, जब ते स्याम सिधारे ।
कंचुकि नहीं सूखत सुनि सजनी, उर बिच बहत पनारे ।।

इन उदाहरणों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि—

खण्ड क में गर्मी के सम्बन्ध में बढ़ाचढ़ाकर यह बात कही गई है कि *परस्पर विरोधी स्वभाव वाले जीव गर्मी के कारण अपना विरोध भूल गये हैं।*

खण्ड ख में किसी नायिका के मुख की सुन्दरता इतनी बढ़ा चढ़ा कर बताई गई है कि उसके सौंदर्य के आतप के कारण हमेशा पूर्णिमा का प्रकाश बना रहता है। ऐसी स्थिति में तिथि पत्रक से ही पूर्णिमा की तिथि का ज्ञान हो सकता है। इस तरह अन्य उदाहरणों मे बातें इसी तरह बढ़ा चढ़ा कर कही गई हैं।

निष्कर्ष—इन सब उदाहरणो में बढ़ा चढ़ा कर बातें कही गई हैं ।

परिभाषा—जहाँ बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है ।

ध्यातव्य—अतिशयोक्ति शब्द से ही यह स्पष्ट हो रहा है—अतिशय + उक्ति; अतिशय = बढ़ा-चढ़ा कर, उक्ति = कथन करना । जिसमे बढ़ा-चढ़ा कर बात कही जाती है, वह अतिशयोक्ति है ।

भूषण, बिहारी, सेनापति, सूर आदि कवियों के पदों में अतिशयोक्ति के प्रसंग आने पर इस अलंकार को सुस्पष्ट किया जाना चाहिए ।

अभ्यास के प्रश्न

(१) अलंकार की परिभाषा स्पष्ट करते हुए उसके अध्ययन के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

(२) अलंकार में उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए।

(३) अलंकार पढ़ाने हेतु किस विधि को अपनाना चाहिए, स्पष्ट कीजिए।

(४) अलंकार विषयक ज्ञान के लिए विद्यालय के साहित्यिक कार्य-क्रम में क्या-क्या कार्य-क्रम जोड़े जाने चाहिए, लिखिए।

(५) शब्दालंकार और अर्थालंकार को सोदाहरण समझाइये।

(६) निम्नलिखित अलंकारों का उत्तर स्पष्ट कीजिए—
यमक-श्लेष, भ्रांतिमान-संदेह, दृष्टान्त-उदाहरण, उपमा-रूपक, रूपक-उत्प्रेक्षा।

ऊपर के उदाहरण में राजा जयसिंह को सजग करना प्रस्तुत बात है और बात की बात विषय के प्रसंग की नहीं है, पर उसके उल्लेख से प्रस्तुत बात का बोध कराया गया है–अतः यह अप्रस्तुत बात है।

पाठ्य पुस्तक में कबीर, रहीम, बिहारी, गिरधर आदि कवियों के काव्यांशों के उदाहरणों से इसका अभ्यास दिया जाय।

अतिशयोक्ति अलंकार :

इस अलंकार को समझने के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—इन्हें ध्यान से पढ़िए और इस अलंकार की विशेषता ध्यान में लीजिए—

(क) कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ।
जगत तपोवन सो कियो, दीरघ दाघ निदाघ॥

(ख) पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहुँ पास।
नित प्रति पून्योई रहत, आनन ओप उजास॥

(ग) भूपति तेरे दान से याचक बने कुबेर।

(घ) निसदिन बरसत नैन हमारे।
सदा रहत पावस ऋतु हमपै, जब तें स्याम सिधारे।
कंचुकि नहीं सूखत सुनि सजनी, उर बिच बहत पनारे॥

इन उदाहरणों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि—

खण्ड क में गर्मी के सम्बन्ध में बढ़ाचढ़ाकर यह बात कही गई है कि परस्पर विरोधी स्वभाव वाले जीव गर्मी के कारण अपना विरोध भूल गये हैं।

खण्ड ख में किसी नायिका के मुख की सुन्दरता इतनी बढ़ा चढ़ा कर बताई गई है कि उसके सौंदर्य के आतप के कारण हमेशा पूर्णिमा का प्रकाश बना रहता है। ऐसी स्थिति में तिथि पत्रक से ही पूर्णिमा की तिथि का ज्ञान हो सकता है। इस तरह अन्य उदाहरणों में बातें इसी तरह बढ़ा चढ़ा कर कही गई हैं।

निष्कर्ष—इन सब उदाहरणों में बढ़ा चढ़ा कर बातें कही गई हैं।

परिभाषा—जहाँ बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है।

ध्यातव्य—अतिशयोक्ति शब्द से ही यह स्पष्ट हो रहा है—अतिशय + उक्ति; अतिशय = बढ़ा-चढ़ा कर, उक्ति = कथन करना। जिसमें बढ़ा-चढ़ा कर बात कही जाती है, वह अतिशयोक्ति है।

भूषण, बिहारी, सेनापति, सूर आदि कवियों के पदों में अतिशयोक्ति के प्रसंग आने पर इस अलंकार को सुस्पष्ट किया जाना चाहिए।

अभ्यास के प्रश्न

(१) अलंकार की परिभाषा स्पष्ट करते हुए उसके अध्ययन के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

(२) अलंकार में उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए।

(३) अलंकार पढ़ाने हेतु किस विधि को अपनाना चाहिए, स्पष्ट कीजिए।

(४) अलंकार विषयक ज्ञान के लिए विद्यालय के साहित्यिक कार्य-क्रम में क्या-क्या कार्य-क्रम जोड़े जाने चाहिए, लिखिए।

(५) शब्दालंकार और अर्थालंकार को सोदाहरण समझाइये।

(६) निम्नलिखित अलंकारों का उत्तर स्पष्ट कीजिए—
यमक-श्लेष, भ्रांतिमान-संदेह, दृष्टान्त-उदाहरण, उपमा-रूपक, रूपक-उत्प्रेक्षा।

27 काव्य में छंद

विचारणीय बिन्दु :

(१) छन्द एवं उनका अध्ययन ।
(२) छन्द एवं उपचारात्मक शिक्षण ।
(३) छन्द की परिभाषा ।
(४) छन्दो के भेद एवं उनका सोदाहरण परिचय ।

छन्द-शास्त्र भारत का प्राचीन साहित्य है । इसके रचयिता आचार्य पिंगल माने जाते हैं । इसीलिए छन्द का दूसरा नाम पिंगल भी है । प्राचीन-काल से ही इसका अध्ययन किया जाता रहा है । वेदों के छः अंगों में छन्द की भी गणना की जाती है । इसी से इसका महत्त्व स्पष्ट है । जैसे व्याकरण का गद्य पर नियन्त्रण होता है, वैसे ही पद्य पर छन्द का ।

संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषा में छन्द पर बहुत साहित्य रचा गया है । हिन्दी का छन्द शास्त्र भी इन्ही भाषाओं की शैलियों से प्रभावित है ।

यद्यपि वर्तमान में छन्द-मुक्त काव्य रचने का प्रचलन हो गया है तथापि छन्दों के अध्ययन के महत्व मे कमी नहीं आई है । छन्दो के अनेक लाभ भी है—

(१) छन्द मुक्त रचना सरलता से याद हो जाती है ।
(२) छन्द-प्रयोग से थोडे शब्दों में गहन भाव का समावेश हो जाता है ।
(३) छन्द से काव्य की सुन्दरता में भी वृद्धि होती है ।
(४) कवि की विशेषता भी छन्द प्रयोग के द्वारा प्रकट होती है—(जैसे रसखान के सवैये)
(५) छन्द तथा रस भाव को एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुँचाने में बहुत सहायक होते हैं ।

छन्द एवं उपचारात्मक शिक्षण :

विद्यालयों के हिन्दी-सस्कृत पाठ्य-क्रम के अन्तर्गत छन्दों का शिक्षण दिया जाता है परन्तु विद्यार्थियों को उनमें गति नही हो पाती । वे छन्दो के सम्बन्ध में निम्नलिखित भूलें किया करते हैं—

(१) वे प्रत्येक पद को दोहा नाम दे देते हैं।

(२) वे पाठ्य-पुस्तक में प्रयुक्त छन्दों में पढ़े हुए छन्दों के लक्षण नही घटा पाते हैं।

(३) वे दोहा व सोरठा का अन्तर स्पष्ट कर नही पाते।

(४) वे मात्रिक एवं वर्णिक छन्दों का अन्तर स्पष्ट नहीं कर पाते।

(५) वे यति, गति एवं लय के साथ छन्द का वाचन नही कर पाते।

इन सभी दृष्टियों से उपचारात्मक शिक्षण का महत्व स्पष्ट है।

छन्द के उपचारात्मक शिक्षण में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए —

(१) पाठ्य-पुस्तक के काव्यांशों को पढाते समय छन्द का सामान्य परिचय दिया जाय।

(२) उस छन्द को निर्धारित गति, यति एवं लय के साथ पढने का अभ्यास दिया जाय।

(३) पाठ्य-क्रम के निर्धारित छन्दों का अभ्यास पाठ्य-पुस्तक मे प्रयुक्त छन्दों के द्वारा दिया जाय।

(४) जब दो-तीन बार छात्र दोहा, सोरठा, चौपाई छन्द पढ लें तब उनको आधार बनाकर उनका लक्षण बताया जाय और आगे के उदाहरणों पर छात्रों से उसे घटवाया जाय। इसी तरह क्रमशः अन्य छन्दों को भी बताया जाय।

(५) पृथक् से छन्द नहीं पढाये जाकर पाठ्य-पुस्तक को आधार बनाकर ऊपर दिए गए संकेत को ध्यान में रखते हुए छन्द पढाये जाएँ।

(६) छन्द प्रतियोगिताएँ आयोजित की जायें जिनमें कभी दोहा तो कभी चौपाई और कोई छन्द विशेष के पद सुनाने को उत्प्रेरित किया जाय। ये छन्द कण्ठस्थ हों तो ठीक है; नही तो लिखित रचना का आधार भी लिया जा सकता है।

उल्लिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जायगा तो छन्द विषयक धाराएँ सुस्पष्ट हो जावेंगी जिससे सामान्य भूलें नहीं होंगी।

नीचे छन्द विषयक सामान्य परिचय दिया जा रहा है। इसे भी ध्यान में लिया जाय।

छन्द की परिभाषा—छन्द शब्द छद् धातु से बना है। इस छद् धातु का प्रयोग बाँधना या रक्षित करने के साथ प्रसन्न करने के अर्थ में भी होता है।

कोशकार ने छन्द की परिभाषा निम्नलिखित रूप मे दी है—

"अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा-गणना तथा यति-गति आदि से सम्बन्धित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य-रचना छन्द कहलाती है।"

इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि छन्द में अक्षर, मात्रा, गति, यति की व्यवस्था विशेष नियम के अनुसार रहती है इससे यह सिद्ध है कि पद्य-रचना मे छन्द का भी उतना ही महत्त्व रहता है जितना कि व्याकरण का गद्य में।

सरल शब्दों में छन्द की परिभाषा यों दी जा सकती है—

जो रचना नियत मात्रा, वर्ण, गति, यति एवं चरण सम्बन्धी नियमों के अनुसार होती है, उसे छन्द कहते हैं।

"मत्त चरण गति, यति, नियम अन्तहि समता वंद,
जा पद रचना में मिले, भानु भनत सुइ छन्द।"

छन्द की परिभाषा को ठीक तरह से समझने के लिए मात्रा, वर्ण, गति, यति एवं चरण की बात समझनी जरूरी है।

मात्रा—किसी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है, उसे मात्रा कहते हैं। ये मात्राएँ दो प्रकार की होती हैं—(१) लघु, (२) गुरु।

लघु मात्रा—लघु मात्रा वर्ण की लघु मानी जाती है।
गुरु (दीर्घ) मात्रा—दीर्घ वर्ण की मात्रा दीर्घ (गुरु) मानी जाती है।
लघु वर्ण—अ, इ, उ, ऋ और इनसे युक्त व्यंजन
दीर्घ वर्ण—आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, और इनसे युक्त व्यंजन

लघु वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है। इसका चिह्न '।' है। मात्रा गिनते समय यह चिह्न लगाते हैं।

दीर्घ वर्ण की दो मात्रा गिनी जाती हैं। इसका चिह्न 'ऽ' है। मात्रा गिनते समय यह चिह्न लगाते हैं।

व्यंजन अपने साथ मिले हुए स्वर के अनुसार लघु या दीर्घ माने जाते हैं।
जैसे— क—(क् + अ) लघु वर्ण है।

का (क् + आ) दीर्घ वर्ण है।

विशेष—निम्नांकित स्थितियों में छन्द शास्त्र की दृष्टि में लघु वर्ण भी गुरु माना जाता है—

(क) अनुस्वार युक्त स्वर या व्यंजन लघु (ह्रस्व) हो तो भी उसकी मात्रा गुरु (दीर्घ) मानी जाती है।

(ख) विसर्ग से युक्त होने पर कोई भी वर्ण गुरु (दीर्घ) मात्रा वाला माना जाता है।

(ग) संयुक्ताक्षर से पहले वाला वर्ण यदि उस पर जोर पड़ता हो तो गुरु माना जाता है।

जैसे— तथ्य में त पर जोर पड़ रहा है इसलिए गुरु माना जायगा।

(घ) हलन्त व्यंजन के पहले का वर्ण भी गुरु माना जाता है जैसे श्रीमन् में म की गुरु मात्रा मानी जायगी और न् जो हलन्त व्यंजन है, उसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जायगी।

(च) छन्द के चरण के अन्त मे आवश्यकतानुसार लघु वर्ण भी गुरु माना जाता है।

विशेष—जिस वर्ण पर ँ चन्द्र बिन्दु लगा हो, अगर वह वर्ण लघु है तो लघु मात्रा वाला माना जायगा और गुरु हो तो गुरु मात्रा वाला माना जायगा। जैसे—हँसी में हँ लघु माना जायगा और खाँसी मे खाँ दीर्घ या गुरु माना जायगा।

वर्ण—मात्राओं के मात्राओं के समान वर्ण भी दो प्रकार के माने जाते हैं—लघु वर्ण तथा गुरु वर्ण। वर्णों पर लगी हुई मात्राओं के अनुसार वे लघु या दीर्घ माने जाते हैं। स्वर व व्यंजन सब वर्ण के अन्तर्गत ही आते हैं।

गण—तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। वर्ण लघु हो या गुरु गिनती में एक ही माना जाता है। गणों के ८ आठ भेद माने जाते हैं:—यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण।

इनके स्वरूप के लिए निम्नलिखित सूत्र का आधार लेना चाहिए।

यमाता राज भान सलगा

इस सूत्र के य से स तक के सभी वर्ण आठ गणों के पहले वर्ण हैं। तीन-तीन वर्ण लेकर आठ गणों का रूप इस सूत्र से बन जाता है। वर्णों का रूप बनाने के लिए लघु चिन्ह। और गुरु चिह्न ऽ का प्रयोग किया जाता है। तीन वर्ण क्रमशः लेते जाइये और लघु या दीर्घ (गुरु) जैसा वर्ण हो उसका चिह्न लगाते जाइये—इससे प्रत्येक गण का रूप बन जायगा। देखिए—

तीन वर्ण	चिह्न	गण	तीन वर्ण	चिह्न	गण
यमाता । S S	। S S	यगण	जभान । S ।	। S ।	जगण
मातारा S S S	S S S	मगण	भानस S । ।	S । ।	भगण
ताराज S S ।	S S ।	तगण	नसल । । ।	। । ।	नगण
राजभा S । S	S । S	रगण	सलगा । । S	। । S	सगण

ये गण छन्दों में प्रयुक्त होते हैं, अतः इनका ज्ञान उपयोगी है।

गति—छन्द के बोलने के विशेष ढंग को ही गति कहते हैं। इसी का दूसरा नाम लय है। यह गति ही छन्द का प्राण होती है। इससे ही छन्द की पहचान सरलता से हो जाती है। छन्द बोलते समय अगर नियत मात्रा या वर्ण की कमी हो तो छन्द बोलने में बाधा पड़ती है। उसकी गति नहीं बनती है। जब गति में भंग होता है तो गति भंग दोष कहा जाता है। इससे जल्दी से यह पता चल जाता है कि इस छन्द में कुछ कमी रह गई है।

यति—छन्द बोलते समय आवश्यकतानुसार कहीं-कहीं बीच में और अन्त में जो विश्राम लिया जाता है, उसे यति कहते हैं। छन्द लिखते समय यति विराम चिह्नों द्वारा प्रकट की जाती है।

चरण—पद्य के चतुर्थ अंश (भाग) को चरण कहते हैं। इसके दूसरे नाम पद या पाद हैं। प्रत्येक छन्द में चार चरण तो होते ही हैं। पहला और तीसरा चरण विषम और दूसरा तथा चौथा चरण सम कहलाता है।

तुक—छन्द के चरणों के अन्त में वर्णों की समानता को तुक कहते हैं।

छन्द पढ़ते समय मात्रा, वर्ण, गति, यति आदि का ध्यान रखना चाहिए जिससे छन्द का परिचय ठीक तरह से हो सके।

नीचे छन्द के कतिपय भेदों का परिचय दिया जा रहा है। इसे पढ़िये और इसके आधार से पाठ्य-पुस्तक के छन्दों को भी पहचानिए।

छन्द के भेद—छन्द तीन प्रकार के होते हैं - (१) मात्रिक (२) वर्णिक (३) मुक्तक।

मात्रिक छन्द—जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं।

वर्णिक छन्द—जिन छन्दों की रचना वर्णों की गणना के अनुसार की जाती है; जिनमें वर्णों की संख्या नियत हो, उन्हें वर्णिक छन्द कहते हैं।

मुक्तक—ये वे छन्द होते हैं, जिनमें गणों की संख्या का बन्धन नहीं रहता, मुक्तक छन्द कहे जाते हैं। इनमें केवल वर्ण संख्या और कहीं-कहीं लघु-गुरु वर्णों का ही विचार किया जाता है।

मात्रिक छन्दों का परिचय :

दोहा छन्द :

नीचे दिये गये उदाहरण ध्यान से पढ़िये—

कबिरा माला काठ की, कहि समझावै तोहि।
मन न फिरावै आपणा, कहा फिरावै मोहि॥

कबिरा माला काठ की (प्रथम चरण)
। । S S S S । S
१+१+२+२+२+२+१+२ = १३ मात्राएँ

कहि समझावै तोहि (दूसरा चरण)
। । । । S S S ।
१+१+१+१+२+२+२+१ = ११ मात्राएँ

मन न फिरावै आपणा (तीसरा चरण)
। । । । S S S । S
१+१+१+१+२+२+२+१+२ = १३ मात्राएँ

कहा फिरावै मोहि (चौथा चरण)
। S । S S S ।
१+२+१+२+२+२+१ = ११ मात्राएँ

देखिए और ध्यान में लीजिए—

प्रथम और तीसरे चरण मे १३ मात्राएँ है और दूसरे तथा चौथे चरण में ११ मात्राएँ हैं।

यही बात अन्य दोहों में भी देखिए। इससे दोहे का निम्नलिखित लक्षण स्पष्ट होता है—

लक्षण—जिसके पहले व तीसरे चरण में १३ मात्राएँ व दूसरे और चौथे चरण में ११ मात्राएँ हों—वह दोहा छन्द होता है।

सोरठा:—यह भी मात्रिक छन्द है—इसका उदाहरण देखिए—

सुनि केवट के बैन	(प्रथम चरण)	प्रेम लपेटे अट पटे	(दूसरा चरण)
। । S । । S S ।	११=मात्राएँ	S । । S S । । । S	= १३ मात्राएँ
विहँसे करुना ऐन	(तीसरा चरण)	चितै जानकी लखन तन	(चौथा चरण)
। । S । । S S ।	= ११ मात्राएँ	। S S । S । । । । ।	= १३ मात्राएँ

देखिए—पहले व तीसरे चरण में ११ तथा दूसरे व चौथे चरण में १३ मात्राएँ हैं।

लक्षण—जिस छन्द के पहले व तीसरे चरण में ११ तथा दूसरे व चौथे चरण में १३ मात्राएँ होती हैं वह सोरठा छन्द कहा जाता है। यह दोहे का उल्टा होता है।

चौपाई:—उदाहरण पढ़िए—

परहित सरिस धर्म नहिं भाई
IIII IIISI IISS =१६ मात्राएँ
परपीड़ा सम नहिं अधमाई
IISS IIII IISS =१६ मात्राएँ

चौपाई के प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं। इस छन्द में पहले व दूसरे तथा तीसरे व चौथे मे तुक मिली हुई रहती है।

रोला:—उदाहरण देखिए—

नव	उज्ज्वल	जलधार,	हार	हीरक	सी	सोहति।
II	SII	IISI,	SI	SII	S	SII

[कुल २४ मात्राएँ]

१+१+२+१+१+१+१+२+१, २+१+२+१+१+२+२+१+१
= ११ मात्राएँ — १३ मात्राएँ

विच बिच छहरति बूँद, मध्य मुक्ता मनि पोहति [कुल २४ मात्राएँ]
II II IIIISI SI SS II SII
= ११ मात्राएँ — १३ मात्राएँ

देखने से ज्ञात होता है कि इसके प्रत्येक चरण में २४ मात्राएँ होती हैं परन्तु ११ व १३ मात्राओं पर यति होती है।

लक्षण—जहाँ प्रत्येक चरण मे २४ मात्राएँ हों तथा ११ व १३ मात्राओं पर यति हो—वहाँ रोला छंद होता है।

कुण्डलिया—उदाहरण पढ़िये और इसकी विशेषता ध्यान में लीजिये:—

बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताय।
काम बिगारे आपनो, जग में होत हँसाय॥
जग में होत हँसाय, चित्त में चैन न पावै।
खान पान सनमान, रागरंग मनहि न भावै॥
कह गिरधर कविराय, दुःख कछु टरत न टारे।
खटकत है जिय मांय, कियो जो बिना बिचारे॥

मात्राएँ देखिए—बिना बिचारे जो करे, सो पाछे पछताय। (दोहा छंद).

ISISSSIS, S SSIISI

=१३ मात्रा =११ मात्रा

जग में होत हँसाय, चित्त में चैन न पावै।

IIS SIISI, SISSII SS

=२४ मात्राए (रोला छन्द)

निम्नलिखित विशेषता इससे स्पष्ट है:—

(१) पहले दोहा छन्द रहता है।

(२) दोहा के साथ रोला छन्द आगे जुड़ जाता है।

(३) दोहे के अन्तिम चरण की रोला के प्रथम चरण में आवृत्ति होती है।

लक्षण:— जो छन्द दोहा व रोला छन्द के मेल से बनता है तथा दोहे के अन्तिम चरण की जिसमें आवृत्ति होती है—वह कुण्डलिया छन्द होता है। इसमें दोहे के चार तथा रोला के चार कुल आठ चरण होते हैं। यह छन्द छः पंक्तियों में लिखा जाता है।

उल्लाला.—उदाहरण ध्यान में लीजिए:—

हे शरण-दायिनी देवि ! तू

SIIISISSI S =१५ मात्राएँ (प्रथम चरण)

करती सबका त्राण है।

IISIIS SIS =१३ मात्राएँ (द्वितीय चरण)

हे मातृ भूमि, संतान हम

S SISI SSIII =१५ मात्राएँ (तृतीय चरण)

तू जननी तू प्राण है।

SIIS SSIS =१३ मात्राएँ (चतुर्थ चरण)

देखिए:—इस उदाहरण से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं:—

(क) इसके प्रथम चरण व तृतीय चरण में १५ मात्राएँ है।

(ख) इसके द्वितीय व चतुर्थ चरण में १३ मात्राएँ हैं।

(ग) तुक द्वितीय व चतुर्थ चरण में मिलती है।

लक्षण:—जिस छन्द के प्रथम व तृतीय चरण में प्रत्येक मे १५ मात्राएँ होती हैं और द्वितीय व चतुर्थ चरण में प्रत्येक में १३ मात्राएँ होती हैं तथा तुक दूसरे व चौथे चरण में मिलती है—उसे उल्लाला छन्द कहते हैं।

छप्पय :

निम्नलिखित पद्य को पढ़िये और इसकी विशेषता ध्यान में लीजिए:—

जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं।
I I S I I S S I S I I I I S I S S = २४ मात्राएँ
घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं।
I I S S I I I I I I I I I I S I S S = २४ मात्राएँ
परम हंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाये।
I I I S I I I S I S I S I I I I S S = २४ मात्राएँ
जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाये।।
I I S S I I S I I S S S I I S S = २४ मात्राएँ

(रोला)

उल्लाला:
हम खेलें कूदें हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में,
I I S S S S S I I I I I S S S S I S = १५ + १३ मात्राएँ
हे मातृ भूमि तुझको निरख, मग्न क्यों न हों मोद में।।
(१५ + १३ मात्राएँ)

इस उदाहरण को देखने से यह स्पष्ट है कि:—

(१) इसमें प्रथम चार चरण रोला छन्द के हैं।

(२) इसमे उल्लाला छन्द को दो चरणों में रखा गया है।

(३) इसमे कुल मिलाकर ६ चरण हैं।

लक्षण—जिस छन्द में ६ चरण होते हैं। पहले चार चरणों में रोला और शेष दो में उल्लाला छन्द का प्रयोग किया जाता है—वहाँ छप्पय छन्द कहा जाता है।

गीतिका—यह भी मात्रिक छन्द है। इसका उदाहरण पढ़िये और इसकी विशेषता ध्यान में लीजिये—

हे प्रभो आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए।
S I S S S I S S, S I I I S S I S = २६ मात्राएँ
(14) (12)

शीघ्र सारे दुर्गुणों को, दूर हमसे कीजिए।।
S I S S S I S S, S I I I S I S = २६ मात्राएँ
(14) (12)

लीजिए हमको शरण मे, हम सदाचारी बनें।
S I S I I S I I I S, I I I S S S I S = २६ मात्राएँ
(14) (12)

ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बनें ।।
S I S S S I S I I, S I I I S S I S = २६ मात्राएँ
१४ १२

इस उदाहरण को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि—

(१) इस छंद के प्रत्येक चरण में २६ मात्राएँ होती हैं ।

(२) इसमें १४ एवं १२ मात्राओं पर यति होती है ।

लक्षण—वह छंद जिसके प्रत्येक चरण में २६ मात्राएँ होती हैं तथा १४ व १२ मात्राओं पर यति होती है, गीतिका छन्द कहा जाता है ।

हरिगीतिका—यह भी मात्रिक छंद है । इसका उदाहरण पढ़िये और इसकी विशेषता ध्यान में लीजिये:—

दो शस्त्र पहले तुम मुझे फिर, युद्ध तुम मुझ से करो ।
S S I I I S I I I S I I, S I I I I I S I S = २८
१६ १२

यों स्वार्थ साधन के लिए मत, पाप पथ में पद धरो ।
S S I S I I S I S I I, S I I I S I I I S = २८
१६ १२

कुल प्राण शिक्षा मे न तुमसे, माँगता हूँ भीति से ।
I I S I S S S I I I S, S I S S S I S = २८
१६ १२

बस शस्त्र ही में चाहता हूँ, धर्म पूर्वक नीति से ।
I I S I S S S I S S, S I S I I S I S = २८
१६ १२

इस उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि:—

इस छन्द के प्रत्येक चरण में २८ मात्राएँ होती है ।

इस छन्द में १६ व १२ मात्राओं पर यति होती है ।

लक्षण—जिस छन्द के प्रत्येक चरण मे २८ मात्राएँ हों तथा १६ व १२ मात्राओं पर यति हो, वह हरिगीतिका छन्द कहा जाता है ।

विशेष—हरिगीतिका शब्द चार बार 'हरिगीतिका, हरिगीतिका, हरिगीतिका, हरिगीतिका' लिख दें तो इसका उदाहरण हो जाएगा ।

गीतिका छद हरिगीतिका के साथ मिलकर पद बना देता है । मीरां, तुलसी, सूर आदि के पदों में इसका दर्शन होता है ।

वर्णिक छन्द :

वर्णिक छन्दों में वर्णों का क्रम नियत रहता है । तीन वर्ण का गण कहलाता है । वर्णिक छन्द में गणों के क्रम में वर्णों की संख्या निर्धारित होती है ।

कतिपय वर्णिक छंदों का परिचय ध्यान में लीजिए:—

मन्दाक्रान्ता छन्द—निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और वर्ण गिन कर वर्णों का क्रम देखिये:—

फूली डालें सु कुसुममयी, नीप की देख आँखें।
S S S S I I I I I S S I S S I S S = १७ वर्ण (मगण, सगण, नगण, तगण, तगण, अन्त में दो गुरु)
मगण सगण नगण तगण तगण गुरु गुरु

आ जाती है मुरलिधर की मोहिनी मूर्ति आगे ॥
S S S S I I I I I S S I S S I S S = १७ वर्ण

कालिन्दी के पुलिन पर आ देख नीलाम्बु न्यारा
S S S S I I I I I S S I S S I S S = १७ वर्ण

हो जाती है उदय उर में माधुरी अम्बुदों की
S S S S I I I I I S S I S S I S S = १७ वर्ण

इस उदाहरण को पढ़ने से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं—

(क) प्रत्येक पंक्ति में १७ वर्ण हैं।

(ख) प्रत्येक पंक्ति में एक मगण, एक सगण, एक नगण, दो तगण होते हैं और प्रत्येक पंक्ति के अन्त में दो गुरु होते हैं।

(ग) यह छन्द चार चरणों वाला होता है।

लक्षण—जिस छंद की प्रत्येक पंक्ति में १७ वर्ण हों एवं एक मगण, एक सगण, एक नगण, दो तगण तथा अन्त में दो गुरु हों वह मन्द्राक्रांता छन्द कहलाता है। इस छन्द में चौथे और दसवें वर्ण पर यति होती है।

विशेष—वियोग शृंगार के वर्णन में इस छंद का अधिक उपयोग किया जाता है। संस्कृत दूत काव्य इसी छन्द में लिखे गये हैं। हिन्दी में भी अयोध्यासिंह उपाध्याय ने इस छन्द (मेघदूत) में राधा के विरह के समय का वर्णन किया है।

मालिनि—इस छन्द का उदाहरण देखिए और इसकी विशेषता ध्यान में लीजिए:—

प्रियपति ! वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है ? १५ वर्ण
I I I I I I S S S I S S I S S गण—नगण २, मगण १
नगण नगण मगण यगण यगण यगण २

दुखज सनिधि डूबी, का सहारा कहाँ है ? १५ वर्ण
। । । । । । s s s । s s । s s (गण—नगण २, मगण १,
नगण नगण मगण यगण यगण मगण २)

लखमुख जिस का मैं, आज लौं जी सकी हूँ ।
। । । । । । s s s । s s । s s (वर्ण १५, गण ऊपर लिखे अनुसार)

वह हृदय हमारा, नैन तारा कहाँ है ?
। । । । । । s s s । s s । s s (वर्ण १५, गण ऊपर लिखे अनुसार)

इस उदाहरण को देखने से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं:—

(क) प्रत्येक पंक्ति मे १५ वर्ण हैं।

(ख) प्रत्येक पंक्ति में दो नगण, एक मगण एवं दो यगण हैं।

(ग) प्रत्येक पंक्ति मे आठवें वर्ण पर यति है।

लक्षण—जिस छन्द में दो नगण, एक मगण तथा दो यगण हों तथा १५ वर्ण हों वह मालिनि छन्द होता है। इस छन्द मे प्रत्येक चरण में आठवें वर्ण पर यति होती है।

द्रुतविलम्बित—नीचे दिया गया उदाहरण देखिये और वर्णों को गिनकर गणों का क्रम ध्यान मे लीजिए:—

दिवस का अवसान समीप था। वर्ण २
। । । s । । s । । । s । s गण—नगण १, भगण २, रगण १
नगण भगण भगण रगण

गगन था कुछ लोहित हो चला ऊपर लिखे अनुसार
। । । s । । s । । s । s

तरु शिखा पर थी तब राजती ऊपर लिखे अनुसार
। । । s । । s । । s । s

कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा ऊपर लिखे अनुसार
। । । s । । s । । s । s

इस उदाहरण से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है:—

(क) प्रत्येक चरण में १२ वर्ण हैं।

(ख) प्रत्येक चरण मे एक नगण, दो भगण तथा एक रगण है।

लक्षण—जिस छन्द मे १२ वर्ण हों तथा एक नगण, दो भगण एवं एक रगण हो, उसे द्रुतविलम्बित छन्द कहते हैं।

मत्तगयंद सवैया—निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और वर्णों का क्रम देख गणों पर ध्यान दीजिए—

सेसम हेसग नेसदि नेससु रेसहु जाहि निरंतर गावै =वर्ण २३
S I I S I I S I I S I I S I I S I I S I I S S
भगण भगण भगण भगण भगण भगण भगण गण—भगण ७, अंत दो गुरु

जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावै —„—
S I I S I I S I I S I I S I I S I I S I I S S

नारद सेसुक व्यासर टै पचि हारे तऊ पुनि पार न पावै —„—
S I I, S I I, S I I, S I I, S I I S I I, S I I S S

ताहिअ हीरकि छोहरियां छछिया भरि छाछ पे नाच नचावै —„—
S I I S I I S I I S I I S I I S I I S I I S S

इस उदाहरण को पढने से एव देखने से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं—

(क) प्रत्येक चरण मे २३ वर्ण हैं।

(ख) प्रत्येक चरण में सात भगण होते हैं और अंत मे दो गुरु

(ग) इसमे चार चरण हैं।

लक्षण—जिस छन्द के प्रत्येक चरण में २३ वर्ण एव ७ भगण हों वह मत्तगयंद सवैया छंद कहा जाता है। इसके प्रत्येक चरण के अंत मे दो गुरु होते हैं।

विशेष—मत्तगयद शब्द का अर्थ है—मस्त हाथी। इस छद का पाठ करते हुए व्यक्ति मस्त हाथी की तरह झूमने लग जाता है या इसका पाठ झूमते हुए मस्त हाथी की तरह झूमते हुए होता है। इसीलिए इसका यह नाम रखा गया है। सवैया के मदिरा, सुमुखी, सुन्दरी आदि अनेक भेद होते हैं। २२ वर्णों से लेकर २६ वर्णों तक के छद सवैया कहलाते हैं।

मुक्तक छन्द—इसके मनहरण, घनाक्षरी आदि भेद होते हैं।

मनहरण कवित्त—इस छन्द का उदाहरण पढ़िए और इसकी विशेषता ध्यान में लीजिए—

ऊँचे घोर मन्दर के मन्दर रहन वाली, ऊँचे घोर मंदर के अंदर रहति है। ३१ वर्ण

कन्दमूल भोग करैं कन्दमूल भोग करैं, तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती हैं। ३१ वर्ण

भूषन सिथिल अंग, भूखन सिथिल अंग, बिजन डुलाती ते वे बिजन डुलाती हैं। ३१ वर्ण

भूषन भनत सिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं॥ ३१ वर्ण

इस उदाहरण से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है—

(क) इसके चार चरण होते हैं परन्तु प्रत्येक चरण दो पंक्तियों मे लिखा जाता है।

(ख) इसके प्रत्येक चरण मे ३१ वर्ण होते है।

(ग) इसमें वर्णों की गिनती ही होती है, इसमें गणो का बंधन नहीं रहता।

(घ) इसमें १६ व १५ वर्णों पर यति होती है।

लक्षण—वह छंद जिसमे गणों का कोई बंधन नही रहता किन्तु प्रत्येक चरण में ३१ वर्ण होते हैं, मनहरण कवित छंद कहा जाता है। इसमे सोलह तथा पंद्रहवें वर्ण पर यति होती है।

विशेष—वीर रस के लिए वर्णन मे इसका प्रयोग बहुत सुन्दर लगता है।

ध्यातव्य—ऊपर मात्रिक, वर्णिक एवं मुक्तक तीनो छंदों के कतिपय भेदों का सामान्य परिचय दिया गया है। इनको पढकर इनके विशेष अभ्यास हेतु पाठ्य-पुस्तकों में दिये गये इनके उदाहरणो पर इसका विशेष अभ्यास किया जाना चाहिए।

अभ्यास के प्रश्न

(१) छन्द की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को समझाइये।

(२) मात्रिक छंद एवं वर्णिक छंद को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

(३) छन्द मे उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता का कारण लिखिए।

(४) परिभाषा दीजिए—मात्रा, गण, गति, यति, चरण।

(५) गण कितने होते हैं ? इनका रूप सरलता से बनाएँ। इसके लिए किस सूत्र का आधार लेना चाहिए ? उस सूत्र के आधार पर गण के रूप बनाइए।

(६) निम्नलिखित छंदों के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए—
मत्तगयद, मनहरण कवित्त, दोहा, सोरठा, गीतिका, हरिगीतिका, कुण्डलिया, चौपाई।

(७) पठित छंदों को आधार बनाते हुए अपनी पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त छंदों का परिचय दीजिए।

28 अर्थ-विज्ञान

विचारणीय बिन्दु :

अर्थविज्ञान क्या है, शब्द का अर्थ से सम्बन्ध, अर्थ क्या है ? अर्थ के साधन, अर्थ का महत्व, अर्थ के आधार, अर्थ के प्रकार, अर्थ का क्षेत्र, अर्थ में परिवर्तन, अर्थ में परिवर्तन के कारण ।

अर्थ-विज्ञान क्या है ?

यह विज्ञान शब्दों के अर्थ पर विचार करने की प्रेरणा देता है । भर्तृहरि वाक्यपदीय ग्रन्थ को पढ़ने से मालूम होता है कि अर्थ विज्ञान पर हमारे देश में भाषाविदों ने पर्याप्त विचार किया है किन्तु आधुनिक काल में इसके प्रमुख आचार्य माईकेल ब्रील माने जाते हैं । शब्द के वास्तविक अर्थ पर विचार करते-करते आर. एम. मेये नामक विद्वान् ने अर्थ-मूलक विधान का प्रयोग किया । इससे यह तथ्य सामने आया कि जैसे-जैसे समाज की धारणाएं अर्थ के सम्बन्ध में बदलती जाती हैं वैसे-वैसे शब्दों के अर्थ में भी विकास होता जाता है । जे. ट्रायर नामक विद्वान् ने बताया कि शब्द मनुष्यों की धारणाओं से सम्बद्ध होते हैं । इन्हीं धारणाओं से अर्थ का सम्बन्ध रहता है । अतः यदि धारणाएँ बदलती हैं तो शब्दों के अर्थ में भी अन्तर आने लगता है । धीरे-धीरे अध्ययन के बाद विद्वानों ने भाषागत प्रयोगों में अर्थ के निश्चय के लिए प्रसंग को विशेष महत्त्व देना प्रारम्भ किया । अब भाषाशास्त्री अर्थ-विज्ञान को भाषा के अध्ययन की आन्तरिक स्थितियों के रूप में स्वीकार करने लगे हैं । चोम्स्की नामक विद्वान् का विचार है कि भाषा के आकृति-मूलक पक्ष (व्याकरणिक रूप) और आर्थी पक्ष परस्पर जुड़े होते हैं । कोरजिम्बुस्की का मत है कि भाषा में शब्दों के मुकाबले उनकी अर्थगत प्रतिक्रियाओं का विशेष महत्व होता है। ध्वनि, वर्ण, शब्द आदि अर्थ के बोधक चिह्न या प्रतीक मात्र हैं । हमारे द्वारा प्रयुक्त शब्दों का अर्थ शब्दों में न होकर हमारी अपनी धारणाओं में सन्निहित होता है
लिए कमल, पंकज, जलज, सरोज, नीरज आदि शब्दों से स्थूल रूप में एक ही
। बोध होता है किन्तु वास्तव में ये सब एक ही अर्थ के कभी भी द्योतक

नहीं हो सकते। तात्पर्य यह कि एक शब्द कदापि दूसरे शब्द का पूरे का पूरा समानार्थी नहीं हो सकता।

शब्द का अर्थ से सम्बन्ध :

किसी अर्थ, भाव, विचार या वस्तु का बोध एक शब्द कराता है। किसी शब्द के उच्चारण से जिस अर्थ का बोध होता है वह सब सामाजिक धारणा पर निर्भर करता है, उसका कोई निश्चित और नित्य नियम नहीं बनाया जा सकता। सांस्कृत में 'गो' शब्द गाय का बोध कराता है जबकि अंग्रेजी भाषा में वह एक क्रिया का बोधक है। अतः शब्द और अर्थ का कोई नित्य और निश्चित सम्बन्ध कायम नहीं रहता। देश काल के भेद से उसमें अन्तर हो सकता है। किसी शब्द के अर्थ को समाज की स्वीकृति जब तक मिलती रहे तब तक वह वैसा बोध कराता है। जब कभी समाज में उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन की अपेक्षा होती है तो वह शब्द तत्काल परिवर्तित अर्थ को स्वीकार कर लेता है।

अर्थ क्या है ?

भाषा में जो सार्थक ध्वनियाँ शब्द बनाती हैं उनका प्रयोग वक्ता अपने प्रयोजन के अनुसार करता है। प्रत्येक प्रयुक्त शब्द का सम्बन्ध किसी न किसी वस्तु, भाव या विचार से जुड़ा होता है—यही सम्बन्ध उसका अर्थ है। शब्दों की उत्पत्ति वक्ता के मुख से होती है तो अर्थ उसके मन में प्रकट होता है। वैसे देखा जाय तो शब्द का कोई अर्थ विशेष नहीं होता या यों कहें कि जिस अर्थ को वह इंगित करता है वही उसका अर्थ निश्चित है, यह कहना गलत होगा। सही रूप में कहा जाय तो समाज ने वैसा अर्थ मान लिया है इसीलिए उसका वह अर्थ होता है। गाय शब्द से गाय (एक पशु विशेष) का बोध होता है। यह समाज द्वारा स्वीकृत होने से ऐसा हो रहा है वरना "गाय" शब्द की ध्वनियों की कोई सामर्थ्य नहीं कि वे उसी पशु विशेष को इंगित करें और दूसरों को नहीं। अगर समाज यह स्वीकार कर ले कि वह एक ऐसे पशु को "गाय" शब्द से सम्बोधित करेगा जो तांगा खींचता है, जिसके खुर चिरे नहीं होते, जिसकी पूँछ के बालों का चमर बनता है, जो हिनहिनाता है तो गाय शब्द का अर्थ वह पशु (जिसे आजकल घोड़ा शब्द से सम्बोधित किया जाता है) हो जायगा। किसी शब्द का कोई अर्थ माना हुआ होता है और वह शब्द उस अर्थ का प्रतीक मात्र है। अर्थ की परिभाषा में यों कहा जा सकता है कि किसी ध्वनि, शब्द, वाक्यांश या वाक्य को ज्ञानेन्द्रियों से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है वही प्रतीति उस ध्वनि, शब्द, वाक्यांश या वाक्य का अर्थ होती है।

अर्थ के साधन :—हमारे आचार्यों ने तो बताया है कि अर्थ का ग्रहण व्यवहार, आप्त, वाक्य, उपमान, वाक्य शेष, विवृति, सान्निध्य, व्याकरण और कोष इन आठ साधनों से किया जाता है।

व्यवहार :—बालक अपने बड़ों को जिन शब्दों का व्यवहार जिन अर्थों में करते देखता है वह भी वैसा ही करना शुरू कर देता है। क्योंकि भाषा तो अनुकरण से सीखी जाती है। व्यवहार में वह प्रत्यक्ष विधि से सीखता चला जाता है।

आप्त वाक्य—कुछ अर्थ-ज्ञान ऐसा भी होता है जो प्रत्यक्ष बोध से ग्रहण नहीं किया जा सकता; ईश्वर, आत्मा, सुख-दुःख आदि के अर्थ को वह अपने श्रद्धेय व्यक्तियों से सुन कर सीख लेता है।

उपमान—एक वस्तु का अर्थ बोध होने पर उसकी जैसी अन्य अप्रत्यक्ष वस्तु का बोध उसकी समता के आधार पर किया जा सकता है; यथा हृदय का आकार नागर बेल के समान होता है। चूंकि नागर-पान के आकार का अर्थ बोध है इसलिए प्रत्यक्ष में नहीं होते हुए भी हृदय के आकार का अर्थबोध नागर-पान के आकार के अर्थबोध के आधार पर हो सकता है।

वाक्यशेष—इसे प्रसंग भी कहा जाता है। "मुझे जल दो" और "मैं जल रहा हूँ" वाक्यों में जल शब्द का अर्थ-बोध प्रसंग के आधार पर ही सम्भव है।

विवृति—इसको व्याख्या भी कहा जा सकता है—किसी-किसी शब्द का अर्थ-बोध एक ही पर्याय से नहीं किया जा सकता। उसके लिए व्याख्या करने की जरूरत होती है; यथा रावण—एक ऐसा महापुरुष जो शिवजी का तो भक्त था, किन्तु भगवान् राम का शत्रु था।

पद सान्निध्यः—किन्हीं-किन्हीं मंदिरों में नाना प्रकार की मूर्तियां होती हैं उनमें से कई को हम जानते हैं कि ये शिव-विष्णु-पार्वती आदि है और कई मूर्तियों को हम नहीं जानते फिर भी सबको देवता मानकर नमस्कार करते हैं। इसमें परिचित शब्द के साथ अपरिचित शब्द का अर्थ बोध भी होने लगता है।

व्याकरण:—व्याकरण अर्थबोध का प्रधान साधन है। अर्थ प्रयोग पर आधारित है और प्रयोग व्यवस्था की अपेक्षा रखता है। व्यवस्था व्याकरण से उपलब्ध होती है।

कोष—दैनिक जीवन में बहुत कम प्रयुक्त शब्दों के अर्थ बोध के लिए कोष हमारी सहायता करता है।

अर्थ का महत्व :

किसी भाषा की ध्वनियां, उनसे बनने वाले शब्द और फिर उनसे बनने वाले (जो कि भाषा कहलाती है) को अगर शरीर मान लिया जाय तो उनके अर्थ

को उनकी आत्मा मानना पड़ेगा। अर्थ ही के लिए भाषा (शब्द, वाक्य) का प्रयोग होता है। इसलिए भाषा शिक्षण में अर्थ का बड़ा महत्त्व है। अर्थ के विज्ञान को समझ लेने से भाषा के सही प्रयोग में बड़ी मदद मिलती है। अर्थ ही मूल तत्त्व है जिसके प्रेषण के लिए भाषा की संरचना हुई है और उसका इतना अधिक प्रयोग होता है।

अर्थ के आधार :

परिचित अवस्था में किसी ध्वनि या शब्द विशेष को सुनते ही हम उसके अर्थ को फौरन समझ लेते हैं तब ऐसा लगता है कि अर्थ शब्द या उसकी ध्वनियों में निहित है; किन्तु वास्तव में यह सही नहीं है। अर्थ ध्वनि या शब्द में निहित न होकर वाक्य में होता है। वाक्यों का प्रयोग करते-करते हम इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि ज्यों ही हम एक शब्द का उच्चारण करते हैं त्यों ही वह एक पूरे वाक्य का काम कर देता है और इसीलिए हमें उस शब्द के अर्थ की प्रतीति हो जाती है। भोजन करते हुए ब्राह्मण के द्वारा सैन्धव शब्द के उच्चारण मात्र से हम "सैन्धव लाओ" वाक्य का बोध करके नमक ले जाते हैं। वाक्य का तात्पर्य है शब्दों का प्रयोग और इसीलिए वाक्य (प्रयोग) अर्थ का आधार माना गया है। भर्तृहरि के मतानुसार किसी शब्द का अर्थ (वाक्यात्, प्रकरणात्, अर्थाध्यौचित्यात्, देशकालतः, शब्दार्थाः) जिस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है उस पर, जिस प्रसंग और सन्दर्भ में प्रयुक्त हुआ है उस पर, जिस देश, काल एवं औचित्य मे प्रयुक्त हुआ है उस पर निर्भर करता है क्योंकि उस शब्द के बने रहने पर भी इनके परिवर्तन हो जाने पर अर्थ का भी परिवर्तन हो जाता है। जो विद्वान् केवल वाक्य-प्रयोग को अर्थ का आधार बनाते हैं, वे प्रकरण, औचित्य, देश, कालादि को वाक्य के ही अन्तर्गत मान कर चलते हैं।

अर्थ के प्रकार :

रचना के आधार पर कोषार्थ व्याकरणार्थ और प्रसंगार्थ होते हैं। परम्परागत प्रयोग के आधार पर प्रसंग से अलग अर्थ के साथ जिन शब्दों को अलग एकत्र कर लिया जाता है, वे कोषार्थ हैं। इन्हें रूढ़ या वाच्यार्थ भी कहा जाता है। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, कर्त्ता, पूरक, आदि का अर्थ प्रकट करते हैं वे व्याकरणार्थ प्रयोग हैं। "मैंने कृष्णा मेनन को बोलते हुए सुना है" वाक्य मे "बोलते हुए" का अर्थ जो "प्रभावशाली वक्तृत्व" को प्रकट करता है वह न कोषार्थ है और न व्याकरणार्थ; वह प्रसंगार्थ है।

कई शब्द ऐसे होते है कि जिनका अर्थ प्रयोग, प्रकरण, देश और काल के बदल जाने पर भी नहीं बदलता। किन्तु कई शब्द ऐसे भी है जिनका अर्थ बदल

जाता है। कई शब्द एक से अधिक अर्थों के बोधक बन जाते हैं—जैसे पानी, वर्षा, जलवायु और जल के लिए। किन्तु प्रयोग ही अर्थ का मुख्य आधार होने से प्रयोग-भेद से शब्दों के अर्थ में भेद हो जाता है। सामान्यतया यह अर्थ तीन प्रकार का माना गया है—(१) अभिधेय अर्थ (२) लाक्षणिक अर्थ (३) व्यंजक अर्थ।

अभिधेय अर्थ :

यह शब्द का सामान्य अर्थ होता है। श्रोता या पाठक बिना किसी विशेष ऊहापोह के इसी अर्थ को ग्रहण करता है। इसी सामान्य अर्थ में शब्द का सबसे अधिक प्रयोग होता है। इसे वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या केन्द्रीय अर्थ भी कहा जाता है। यथा "वह बच्चा पाँच वर्ष का है।" यहाँ बच्चा शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में हुआ है।

लाक्षणिक अर्थ :

शब्द का इस अर्थ मे प्रयोग सामान्य अर्थ की तुलना में कम होता है। यह अर्थ सीमित होता है तो सामान्य अर्थ से विकसित होकर उसके लक्षणों को ग्रहण कर लेता है। इसे परिधीय अर्थ भी कहते हैं। शब्द का सामान्य अर्थ जब परिधि को ग्रहण कर लेता है तो सीमित हो जाता है। यथा 'सुरेन्द्र पच्चीस वर्ष का हो गया तो क्या, अभी बच्चा ही है।' यहाँ बच्चा शब्द (सामान्य अर्थ मे नासमझ, उम्र में छोटा, पराधीन, सरल, जिद्दी) एक सीमित अर्थ नासमझ के लिए प्रयुक्त हुआ है और बच्चे के अनेक लक्षणों मे से एक लक्षण 'नासमझ' को प्रकट करता है लेकिन अपने मूल सामान्य अर्थ से जुड़ा हुआ है।

व्यंजक अर्थ :

यह अर्थ सामान्य अर्थ से बिलकुल भिन्न होता है। किसी शब्द का प्रयोग जब किसी विशेष अर्थ में (जो कि सामान्यतया हुआ नहीं करता) होता है तो वह व्यंजना-विशिष्टता और विलक्षणता प्रकट करता है। यद्यपि यह प्रयोग बहुत ही कम होता है, किन्तु वक्ता का विशिष्ट अभिप्राय प्रकट करता है इसलिए अभिप्रायिक अर्थ भी कहलाता है। इसका सम्बन्ध अभिधेय और लाक्षणिक अर्थ से नहीं होता और इसमें शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेता है। यथा—अरे भाई ! बच्चे हो न, क्यों समझोगे ? यहाँ बच्चा शब्द व्यंग मे प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ बच्चा नहीं वृद्ध होगा।

अर्थ का क्षेत्र :

भाषा में सामान्यतया एक अर्थ के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है किन्तु परिस्थितियों मे अनेक अर्थों के लिए एक शब्द और एक अर्थ के लिए अनेक

शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। ऐसे प्रयोगों में वे अर्थ के किसी विशिष्ट भाग के ही द्योतक बनते हैं। एक स्थिति में किसी अर्थ के एक क्षेत्र के लिये सामान्यतया एक ही शब्द का प्रयोग होता है, किंतु उसका प्रयोग भिन्न प्रसंगों में होने पर भी भिन्न-भिन्न अर्थों वाला कहा जाने लगता है। यथा–हरि का सामान्य अर्थ विष्णु होते हुए भी विभिन्न प्रसंगों में इन्द्र, यम, ब्रह्मा, मनुष्य, अग्नि, वायु, सिंह, घोड़ा, बंदर, हंस, कोयल, मेंढक, सांप, मोर आदि अर्थों का बोधक बन गया है।

दूसरी स्थिति में एक अर्थ के लिये अनेक शब्द प्रयोग में आते हैं। यथा––शिक्षा देने वाले लोग गुरू, शिक्षक, उपदेशक, उपाध्याय, आचार्य, प्रवक्ता आदि अनेक शब्दों से सम्बोधित होते हैं। ये शब्द किसी अर्थ क्षेत्र के भाग विशेष को छूते हैं। उन्हें एक दूसरे का स्थानापन्न समझना भूल होगी।

वास्तव में किसी एक भाव, अर्थ या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाला एक ही शब्द हो सकता है। दूसरे शब्द एक दूसरे के पूरक होकर उस अर्थ क्षेत्र को इंगित कर सकते हैं यथा––दुःख मानसिक होता है और कष्ट शारीरिक। ये दोनों शब्द मिलकर एक अर्थ क्षेत्र को पूरा करते हैं। इनमें से कोई अकेला पूरे अर्थ क्षेत्र का प्रतीक नहीं बन सकता; चाहे कोश में दुःख का अर्थ कष्ट और कष्ट का अर्थ दुःख क्यों न लिखा हो।

कभी-कभी दोनों शब्द किसी अर्थ के थोड़े से भाग को स्पर्श करते हैं, किन्तु शेष में दोनों एक दूसरे से पृथक् होते हैं। यथा––गृहणी और रमणी।

कभी दो शब्द किसी अर्थ क्षेत्र के बहुत अधिक भाग को स्पर्श करते हैं और उनमें अन्तर भी बहुत कम रह जाता है। यथा––उद्देश्य और ध्येय।

अर्थ में परिवर्तन :

यद्यपि प्रत्येक शब्द किसी न किसी अर्थ विशेष का प्रतीक होता है और प्रयोग, प्रकरण, देश काल आदि में परिवर्तन होने पर अपने सामान्य अर्थ को छोड़ कर अन्य अर्थ का द्योतक भी हो सकता है किन्तु समय बीतने पर कभी-कभी कोई शब्द अपने अर्थ को छोड कर नये अर्थ को भी ग्रहण कर लेता है। यथा हरिजन का अर्थ पहले भगवान् का भक्त होता था किंतु आजकल इस शब्द का अर्थ भंगी हो गया है। यह अर्थ का परिवर्तन तीन प्रकार का माना जाता है (१)––अर्थ संकोच (२) अर्थ विस्तार (३) अर्थादेश।

अर्थ संकोच––कई शब्दों के अर्थ धीरे-धीरे संकुचित होकर सीमित बन जाते हैं; जैसे मृग का अर्थ पहले पशु होता था जिसमे सभी प्रकार के पशुओं को 'मृग' कहा जा सकता था किंतु इस शब्द का अर्थ संकुचित हो गया है और यह केवल हिरन

नाम के पशु के लिए ही प्रयुक्त होता है। धान का अर्थ अब केवल छिलके वाला चावल होता है। पहले यह शब्द सब अनाजों के लिए प्रयुक्त होता था।

अर्थ विस्तार—इस परिवर्तन में कई शब्दो का अर्थ पहले की तुलना में विस्तृत हो जाता है। पहले—तेल शब्द का अर्थ तिलों से निकलने वाला चिकना पदार्थ होता था किंतु अब तो मूंगफली, सरसों, अलसी आदि कई प्रकार के बीजों का तेल भी तेल-घी कहलाता है। रुपया-पैसा शब्द धन के लिए प्रयुक्त होने लगा है। तार शब्द का प्रयोग भी इसी तरह हो रहा है।

अर्थादेश—कई शब्दो का अर्थ पहले से बदल कर बिल्कुल नया हो गया है। उनके पूर्व के अर्थ के स्थान पर नये अर्थ का आदेश (आगमन) हो जाता है यथा—कुशल शब्द का अर्थ पहले कुश को लाने वाला होता था, अब होशियार होता है। चाहे कोई कुश को नही ला सकता हो, फिर भी कुशल कहलाता है। जैसे वह साइकिल चलाने मे कुशल है। यहाँ कुशल का अर्थ साइकिल को चलाने मे होशियारी दिखाने वाला है। गँवार, नागर, प्रवीण आदि शब्द भी ऐसे ही हैं। पहले वान् का अर्थ अधिकारी था, यथा—धनवान्। अब वान का अर्थ चालक है यथा—गाड़ीवान। उपर्युक्त तीनो प्रकार के अर्थ परिवर्तनों में कही तो अर्थ का अपकर्ष (संकोच या उल्टा) होता है और कही उत्कर्ष (विस्तार) अत: अर्थापकर्ष और अर्थोत्कर्ष को अर्थ परिवर्तन के तीन प्रकारों से भिन्न नही मानना चाहिए।

अर्थागम :

एक भाषा दूसरी भाषा के शब्दों को आवश्यकता और परिस्थितिवश ग्रहण करती रहती है किंतु यह आवश्यक नही है कि उसके साथ उसका वही अर्थ भी आवे। कई बार तो एक भाषा में अनेकार्थ वाला शब्द दूसरी भाषा में जाकर उनमे से केवल एक अर्थ का द्योतक रह जाता है। कभी-कभी एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा में जाकर अपने पूर्व के अर्थ के स्थान पर एक नया ही अर्थ बताने लगता है। कभी-कभी तो अर्थ विशेष के लिए नये शब्दों का निर्माण हो जाता है यथा—छतरी-सेना।

अर्थ परिवर्तन के कारण :

भाषा का प्रवाह बराबर चलता रहता है। हजारों-लाखों मुखों से उच्चारित होने के कारण जहाँ इसकी ध्वनियों के उच्चारण में अन्तर पड जाने की अधिक सम्भावना रहती है, वहाँ उसके अर्थ मे परिवर्तन होने की भी अधिक सम्भावना बनी रहती है; यद्यपि समाज के पढ़े-लिखे लोग व्याकरण और कोश के माध्यम से उस परिवर्तन पर पूरा नियन्त्रण रखते हैं फिर भी परिवर्तन स्वाभाविक है। इसके कई ... हैं जिनमें से कुछ का वर्णन नीचे दिया जा रहा है—

(१) भावावेश में प्रयोग—जब वक्ता भावावेश में होता है तो कई ऐसे शब्दों को प्रयोग में लाता है जो अपने मूल अर्थ को छोड़ कर अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। यथा अपने किसी मित्र के लिए—'वह तो देवता है। दिग्गज है,' में देवता और दिग्गज का प्रयोग।

(२) अशुद्ध प्रयोग—कई शब्दों का प्रयोग वक्ताओं द्वारा प्रारम्भ में तो विपरीत अर्थ के लिए अज्ञानतावश किया जाता है किंतु वही अशुद्ध अर्थ धीरे-धीरे मूल अर्थ बन जाता है। यथा असुर का अर्थ 'देवता' होता था किंतु एक शब्द 'सुर' का अर्थ भी देवता होने से और अ उपसर्ग का अर्थ निषेध में होने से असुर का अर्थ देवता नहीं अर्थात् राक्षस चल पड़ा और चल रहा है। राक्षस, रक्षा करने वाले को कहा जाता था बाद में रक्षा करने वाले भक्षक बन गये; इसलिए राक्षस का अर्थ विनाश करने वाला हो गया है।

(३) शिष्टता का प्रयोग—आप भोजन अरोगते है और गरीब निगलता है। आपका घर दौलतखाना और मेरा घर गरीबखाना है। एक ही वस्तु, भाव या विचार के लिए दो विभिन्न शब्दों का प्रयोग शिष्टता की आड़ में होने लगता है। आपका पधारना होता है तो मेरा आना।

(४) अलंकार का प्रयोग—अपनी भाषा में विलक्षणता लाने के लिए भी शब्दों का प्रयोग मुख्य अर्थ को छोड़ कर किया जाता है। दाँत खट्टे करना, आँखें दिखाना, आदि मुहावरे ऐसे ही उदाहरण हैं जो अपने मूल अर्थ को छोड़ कर किसी अन्य विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं। वह पत्थर दिल है। यहाँ पत्थर का प्रयोग विलक्षणता को प्रकट करने के लिए हुआ है।

(५) अमङ्गल-निवारण-प्रयोग—समाज में जिन कार्यों को अशुभ माना जाता है उनको प्रकट करने वाले मुख्य शब्दों के प्रयोग के स्थान पर उसी अमङ्गल अर्थ के लिए अन्य शुभ शब्दों का प्रयोग किया जाता है यथा 'मर गए' के लिए 'वैकुण्ठवासी हुए'। छोटी जाति के लोगों के लिए महत्तर, नमक के लिए रामरस है, सबरस शब्दो का प्रयोग।

गौण अर्थ का प्रयोग—सैन्धव का मुख्य अर्थ है सिन्धु देश मे होने वाला। प्राचीन समय में भारत मे सिंधु देश से घोड़ों का आयात होता था इसलिए भारत मे सैन्धव शब्द घोड़ों के लिए प्रयुक्त होने लगा।

भौगोलिक प्रयोग—अर्थ के परिवर्तन मे भौगोलिक प्रभाव भी काम करता है यथा, रेगिस्तानी जहाज। इसमे जहाज शब्द अपना मूल अर्थ छोड़ देता है।

सामाजिक प्रयोग—प्राचीन समय मे भाभी को उसके पति की बहिन बहुत खिझाती थी, उसकी निन्दा करती थी इसलिए उसे ननंद शब्द से पुकारा जाने लगा। आज भी पति की बहिन को ननद कहा जाता है चाहे वह भाभी से लड़े या प्यार करे। पहले लड़की अपने पति के लिए जिस लड़के का वरण करती थी वह वर कहलाता था। आज भी जिस लड़के का विवाह होने को होता है, वह वर कहलाता है चाहे उसका वरण लड़की ने नही वल्कि उसके माता-पिता ने किया हो।'

वस्तुगत प्रयोग—पहले भोज-पत्र पर ही लिखा जाता था इसलिए पत्र (वृक्ष का पत्ता) शब्द चल पड़ा। अब कागज पर लिखा जाता है तो भी वह पत्र कहलाता है यथा समाचार-पत्र, प्रार्थना-पत्र। पहले लिखने के लिए काला रंग ही काम में आता था इसलिए उसे स्याही कहा जाने लगा आज लाल, हरे, आसमानी रंग से लिखा जाता है और उसमे स्याह (काला) रङ्ग नहीं होता तब भी लाल स्याही, हरी स्याही, आसमानी स्याही कहा जाता है।

पूर्व मे कहा जा चुका है कि किसी शब्द का कोई अर्थ इसलिए है कि समाज ने उसे वैसा स्वीकार कर लिया है। आज भी ऐसे कई शब्द हैं जो अपने पहले के अर्थ को छोड़ कर नये अर्थों को ग्रहण कर रहे है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी अर्थ विशेष को इंगित करने वाला एक शब्द मान लिया गया और वह चल पड़ा। वह अर्थ वाच्य हो गया और वह प्रतीक शब्द हो गया वाचक। अब वाचक का अर्थ वाच्य बन गया। अर्थ वह सम्बन्ध है जो वाचक और वाच्य के बीच स्थापित होता है। शब्द और वस्तु भाव या विचार का उससे सम्बन्ध एक मानी हुई बात है इसलिए जब कभी इसमें परिवर्तन हो जाने की बड़ी संभावना बनी रहती है। अंग्रेजों ने पटरी के लिए रेल शब्द का प्रयोग किया। वह रेल शब्द हमारे लिए पटरी पर चलने वाली गाड़ी को इंगित कर रहा है। यह कैसे हो जाता है? इसकी जानकारी करने के लिए अर्थ विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता रहती है और वास्तव में यह अध्ययन वड़ा आनन्ददायक है।

प्रारम्भ में यद्यपि कोई एक शब्द एक ही अर्थ-क्षेत्र के लिए प्रतीक होता है किन्तु समय बीतने पर सयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द-सान्निध्य, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वर आदि के प्रभाव से वही शब्द भिन्न-भिन्न अर्थ-क्षेत्र का भी बोध कराने लगता है। यह नियम सभी शब्दो पर एकसा लागू नहीं होता। संक्षेप मे कहा जाय तो शब्द, वाक्यांश, वाक्य आदि को आँख, कान, नाक, जीभ या त्वचा से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है, वो प्रतीति उस शब्द, वाक्यांश या वाक्य का अर्थ है। यह अर्थ सदा एक ही नहीं

रहता। इस अर्थ की प्रतीति स्वयं के अनुभव करने या दूसरों के अनुभवों को सुन करके भी होती है।

व्याकरणिकों के मतानुसार जो कुछ दृश्य, श्रुत, कल्पित या अनुमत है वह किसी न किसी शब्द, वाक्यांश या वाक्य का वाच्य होता है। प्रत्येक अर्थ, भाव या विचार अपनी प्रतीति के लिए एक शब्द रखता है जो उस शब्द का प्राण या सार होता है। उस अर्थ के आधार पर ही शब्द जीवित रहता है। कोई भी एक शब्द दूसरे शब्द का पूरी तरह से पर्याय नहीं होता। किन्हीं दो पर्यायों में अर्थ का सामञ्जस्य अधिक होता है तो किन्हीं में कम। वक्ता-श्रोता के आशय, प्रकरण, प्रयोग, देश, काल आदि के आधार पर किन्हीं-किन्हीं शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता रहता है; यथा—काँटा, शूल, नाक का गहना, तोलने का साधन, बुरा आदि विभिन्न अर्थों को प्रकट कर सकता है।

भाषा के व्याकरणिक रूप के अर्थ भी वक्ता, प्रकरण और प्रसंग के अनुसार अर्थ के बोधक होते हैं। यथा—"यदि मैं पहाड़ पर चढ़ा तो थक जाऊँगा" वाक्य में 'चढ़ा' भूतकाल का अर्थ न बता कर भविष्यत् काल को प्रकट करता है चाहे उस शब्द का रूप भूतकाल का क्यों न हो? 'क्या श्रीमान् पधार रहे हैं' में श्रीमान् संज्ञा और आप सर्वनाम का द्योतक है। सुरेन्द्र ने गोपाल से कहा—"सुरेन्द्र ऐसा मूर्ख नहीं जो तुम्हारे चकमे में आ जाए" वाक्य में सुरेन्द्र वक्ता होने से मैं सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। "तुम तो बिल्कुल गधे हो" वाक्य मे गधा संज्ञा, मूर्ख विशेषण के अर्थ को प्रकट करता है। "वे तो घर मे अभी नहीं हैं।" वाक्य में 'वे' पति के लिये प्रयुक्त होने पर बहुवचन होते हुए एकवचन संज्ञा को प्रकट करता है। "संसार मे 'मैं' को जो जीत लेता है वही विजयी होता है" वाक्य में 'मैं' (सर्वनाम) संज्ञा है। "मैं पाँच मिनिट में आया" वाक्य मे पाँच मिनिट वाचक विशेषण होते हुए भी अनिश्चित वाचक विशेषण का अर्थ प्रकट करता है। कल मेरे स्कूल मे छुट्टी है—इस वाक्य में वर्तमान कालिक क्रिया "है" भविष्यत् कालिक क्रिया "होगी" का अर्थ प्रकट करती है। इस तरह के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं जिसका आशय अर्थ के लिए प्रयोग के महत्त्व को प्रकट करना है।

शब्द और उसमे निहित अर्थ या भाव अन्योन्याश्रित होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए महाकवि तुलसीदास ने कहा था—"गिरा अर्थ जल बीचि सम कहि अत भिन्न न भिन्न।" यद्यपि सभी शब्द और उनके अर्थों के लिये एकसा नियम लागू नहीं हो सकता किन्तु भाषा के समुचित प्रयोग के लिये भाषा-शिक्षण के अन्तर्गत अर्थ विज्ञान की जानकारी देना उपादेय और मनोरंजक होगा।

अभ्यास के प्रश्न

(१) अर्थ-विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए ।

(२) अर्थ की परिभाषा उदाहरण देकर समझाइए ।

(३) अर्थ ग्रहण करने के कौन-कौन से साधन हैं ?

(४) अर्थ में परिवर्तन कितने प्रकार से होता है ? प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइये ।

(५) भौगोलिक, सामाजिक एवं वस्तुगत प्रयोग अर्थ मे परिवर्तन के लिए किस प्रकार जिम्मेदार होते हैं ? स्पष्ट कीजिए ।

❀❀❀